किया है । इसी कारण उनम जातिगत सर्वोच्चता का अहंकार जागा और यही अहंकार उन्हें काफी महंगा पडा और 1945 मे उन्हें भारी पराजय का सामना करना पडा ।

जमनी क इतिहास म दूसरी महत्वपूर्ण घटना तृतीय शताब्दी के मध्य घटी । इस समय जमनी के विविध कबीलों ने जिनमे गोथ वन्डाल बर्गेण्डियन लाम्बार्ड विसीगोथ-प्रमुख हैं महान् प्रयाण या प्रस्थान (Voelker wanderungen) आरम्भ किया । अपने मूल प्रदेश स व मुख्यतया दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने लग । कुछ लोगो ने पूर्व की ओर भी प्रस्थान किया । जमन कबीलों का यह महा प्रस्थान रोमन साम्राज्य को महगा पडा और य कबील रोमन साम्राज्य के सीमान्तो का दरवाजा खटखटाने लग । इन्ही वर्षों म जमन कबीलों के नेताओं ने वीरता और साहस क व काय किए जिनस जमन महाकाव्यों का जन्म हुआ । इन महाकाव्यो म वियोवुल्फ (Beowulf) तथा फाल सुग साागा (Volusungsaga) तथा फाल आफ दी नीबलुगन (Fall of the Nieblunoen) नामक महाकाव्य प्रमुख हैं ।

500 इस्वी सन् के आने प्राने रोम क साम्राज्य का पश्चिमी क्षेत्र बबर लोगो (बबर लोग व लोग माने जाते थ जो गैर-रोमन थे) के आक्रमण स जजरित हो गया और उनके ध्वंसावशेषो पर नये राज्यो का उदय हुआ । इन राज्यो म फ्रैंकिश साम्राज्य प्रमुख था । फ्रैंकिश क अन्तगत जमन लोगो के दो वश-मेरोविन्जियन वश तथा करोलिन्गियन वश-ख्यात हैं । इन दो वशो ने 481 ईस्वी स लकर 987 इस्वी तक राज्य किया । 481 म क्लोविस I फ्रैंक लोगो का राजा बना । 500 ई म इसन ईसाई धम स्वीकार किया परिणामत पश्चिमी क्षेत्र क इसके अनुयायियों न भी ईसाई धम स्वीकार कर लिया । लकिन पूव की जनता ने काफी देर बाद लगभग सातवी व आठवी शताब्दी म ईसाई धम को अपनाया वह भी काफी जोर जबर्दस्ती के बाद । क्लोविस I क शासन क 100 वष बाद मेरोविन्जियन वश का पतन आरम्भ हुआ और सौ वष बाद उसका स्थान छोटे छोटे सामन्तो व राजाओं ने लिया । आठवी शताब्दी क मध्य म करोलिंगियन वश का शासक पेपिन (Pepin the Short) गद्दी पर बैठा । इसन 741 स 768 इस्वी तक शासन किया । इस समय इटली म स्टीफन II (752 757) पोप के पद पर विद्यमान था । इसने नवीन शासक का भारी समथन किया क्योंकि स्वय पोप को उस शासक से मदद की आवश्यकता थी ।

पेपिन का ज्येष्ठ पुत्र चाल्स महान् (फ्रांसिसी भाषा म इसे शार्लमन तथा जमन भाषा म कार्ल डेर ग्रास कहा जाता है) तीन वष अपने भाई के साथ सयुक्त रूप से राज्य करता रहा और 771 म इसन सम्पूर्ण सत्ता पर अधिकार जमा लिया तथा 814 तक (अपनी मृत्यु पयन्त) शासन करता रहा । इसका साम्राज्य अत्यधिक विस्तृत था और मध्य काल तक यूरोप क किसी भी एक शासक न इतना विस्तृत भाग

पश्चिमी जर्मनी की राजनीति एवं प्रशासन

लेखक

डा० देवनारायण आसोपा

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

जयपुर

महत्त्व है । जहा राजनीतिक दृष्टि से जमनी म सम्राट व क्षेत्राधिपतियों म भारी संघर्ष चल रहा था वहा सामान्य जनता पादरियों के विलासिता मय जीवन भ्रष्टाचार व पाखण्ड से तंग आ चुकी थी । उन्हें एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो पादरियों के अत्याचार व आतंक से उन्हें मुक्ति दिला सके । मार्टिन लूथर मुक्तिदाता के रूप में सामने आया । लूथर का जन्म 1483 म आइजलेबेन नामक नगर म हुआ । उसका पिता कोयला खाना का मालिक था और एक समृद्ध परिवार म जन्म लेने के कारण लूथर को उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाएं मिली। 1501 म उसने एरफुर्ट विश्वविद्यालय म प्रवेश लिया । चार वर्ष बाद और 22 वर्ष की उम्र म उसने विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त की । उसी वर्ष उसके जीवन म एक महान परिवर्तन आया । कई वर्षों से वह धार्मिक प्रश्नों पर विचार कर रहा था । इसी बीच उसके एक मित्र की मृत्यु हो गई और वह भाव विह्वल हो उठा ।

1505 म उसने एरफुर्ट के ईसाई मठ म प्रवेश किया तथा दो वर्षों बाद वह पादरी बना । लेकिन इसके बावजूद उसे आत्मिक शान्ति नहीं मिली । 1508 म वह विटनबर्ग नगर म दर्शनशास्त्र का प्रोफेसर बना । इस छोटे से नगर म वह अत्यधिक लोकप्रिय प्राध्यापक व उपदेशक बन बैठा । 1510 म लूथर को रोम भेजा गया । वहा उसने निकट से पोप व उसके पादरीवर्ग को देखा तथा उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार और पाखण्ड के कारण उसकी आत्मा विद्रोह कर उठी । पोप द्वारा जनता म वितरित क्षमा-पत्र (पापों के लिए) को उसने कभी पसन्द नहीं किया । रोम से लौटने पर उसका यह विचार और भी दृढ़ हो गया कि व्यक्ति ईश्वर की अनुकम्पा से मुक्ति प्राप्त करता है न कि उसके भूमि पर उपस्थित प्रतिनिधि की कृपा से । यहाँ तक कि पोप के क्षमा-पत्र से भी नहीं । क्षमा पत्र वितरण का यह आधार था कि ईसा ने इतना पुण्य संचित किया था कि वह उसके अनुयायियों के काम आ सके । वह पुण्य चर्च के पास सुरक्षित है और पादरी व पोप क्षमा-पत्र के रूप म वह पुण्य सामान्य ईसाई लोगों को दे सकते हैं । 1516 म जर्मनी म नये क्षमा-पत्र वितरण के लिए आये। तत्कालीन पोप लियो दशम को रोम स्थित सेंट पीटर के चर्च के पुनर्निर्माण के लिए धन की आवश्यकता थी । उसके लिए धन उगाहने के लिए क्षमा-पत्र भेजे गये ।

जर्मनी म पोप का प्रतिनिधि टेटजल क्षमा पत्र बेच रहा था । लेकिन मार्टिन लूथर को यह पाखण्ड सहन नहीं हुआ और उसने उसका घोर विरोध किया । 1517 म विटनबर्ग के प्रमुख गिरजाघर के बाहर लूथर द्वारा प्रतिपादित 95 सिद्धान्त चिपकाये गये । अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने के लिए उसने कई उद्धरणों का लैटिन भाषा से जर्मन भाषा म अनूदित किया था । शीघ्र ही ये तर्क जनता के मन म घर कर गये ।

निश्चित मानवतावादी वर्ग था नागरिक तथा सामान्य जनता के इस वर्ग ने विटनबर्ग के इस पादरी नगर का पक्ष लिया । क्योंकि पादरियों ने लूथर के इस

चाहता था। इस पर ब्राडनबर्ग व पेलेटीनेट के शासक ने संयुक्त रूप से उस राज्य पर कब्जा कर लिया। इस पर जर्मन सम्राट रूडोल्फ द्वितीय ने शीघ्रता से कदम उठाया। प्राटेस्टेंट लोग ने सवाय हालैण्ड व इंग्लैण्ड तथा फ्रांस से सहायता मांगी। सहायता मिल भी गई। इस पर जर्मन सम्राट ने वह क्षेत्र सक्सनी के ड्यूक को प्रदान किया। लेकिन शीघ्र ही ब्राडनबर्ग तथा पलेटीनेट के शासकों ने पुनः उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया।

जर्मन हाप्सबर्ग वंश के सम्राट तथा जर्मनी के प्रोटेस्टेंट ड्यूकों के मध्य संघर्ष ने शीघ्र ही अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष का रूप धारण कर लिया। युद्ध में लगभग सभी यूरोपीय देशों ने भाग लिया और यह 1618 से 1648 तक चला। बीच-बीच में कुछ समय शांति रही। युद्ध को चार चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहले चरण में बोहेमिया ने जर्मन सम्राट के विरुद्ध संघर्ष किया दूसरे चरण में डेनमार्क ने तीसरे चरण में स्वीडन ने तथा चौथे चरण में फ्रांस ने। इंग्लैंड ने कभी एक राज्य का साथ दिया तो कभी दूसरे का। स्वीडन हालैंड व इंग्लैण्ड प्रोटेस्टेंट राज्य थे।

युद्ध के तीस वर्ष बाद दो संधियां हुई वे थी म्यूनस्टर की संधि तथा ओस्नाब्रुक की संधि। दोनो संधियां वेस्टफालिया की संधि के नाम से जानी जाती है। इस संधि के दूरगामी परिणाम हुए। धार्मिक विवाद मंद पड़ गए लेकिन जर्मन साम्राज्य को भारी क्षति पहुँची। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि तीस वर्षीय युद्ध में जर्मनी की आधी जनसंख्या समाप्त हो गई। कई इतिहासकार $\frac{1}{3}$ जनसंख्या की समाप्ति की बात कहते हैं। देश की अर्थ व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और जर्मनी में जनतन्त्र के सिद्धान्त को भारी धक्का लगा। सामंत तथा ड्यूक लोग पुनः शक्तिशाली बनने लगे। वेस्टफालिया की संधि के बाद जर्मनी 300 से अधिक राज्यों में बंट गया। इसके अलावा सम्राट के अन्तर्गत 1400 छोटी-छोटी क्षेत्रीय इकाईयां थी। कुछ राज्य तो इतने छोटे थे कि यह कहा जाता है कि उसका शासक जब घूमने जाता था तो थोड़ी दूर जाने पर उसे ध्यान रखना पड़ता था कि कहां वह अपने साम्राज्य का छोड़कर अन्य राज्य की सीमा में प्रवेश तो नहीं कर गया हो।

ब्राडेनबुर्ग-प्रशा राज्य का उदय

17 वीं व 18 वीं शताब्दी में जर्मनी के इतिहास में एक नवीन शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ यह था ब्राडनबर्ग प्रशा का राज्य। 1618 से 1660 तक ये दो राज्य अलग अलग राज्य थे। 1660 में दोनों राज्य एक हो गए तथा प्रशा के नाम से जाने गए। इसी प्रशा ने आगे जाकर जर्मनी में आस्ट्रिया के सम्राट के नेतृत्व को चुनौती दी तथा जर्मनी के एकीकरण के सपने को पूरा किया।

फ्रांसिसी क्रांति तथा नेपोलियन और जर्मन राज्य

1789 में पेरिस की जनता ने फ्रांसिसी क्रांति का सूत्रपात किया तथा स्वतन्त्रता समानता और बन्धुत्व के नारे सामने रखे। जर्मन बुद्धिजीवियों ने इन

प्राक्कथन

हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि इस भाषा में विश्व के विविध देशों के सम्बन्ध में अधिकाधिक जानकारी उपलब्ध हो। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर **पश्चिमी जर्मनी की राजनीति एवं प्रशासन** नामक पुस्तक पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है। अपने शोधकार्य के सिलसिले में लेखक को डेढ़ वर्ष पश्चिमी जर्मनी में रहने का अवसर मिला, उसी दौरान इस पुस्तक के लिए अधिकांश सामग्री एकत्रित की गई। हिन्दी भाषा में पश्चिमी जर्मनी की शासन पद्धति पर यह पहली पुस्तक है। इस दृष्टि से राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की पहल के लिए मैं उसका आभारी हूं।

कवियों एवं दार्शनिकों का देश जर्मनी भारतीय जनता के लिए एक सुपरिचित राष्ट्र है। लेकिन दोनों देशों का परिचय सांस्कृतिक पक्ष की दृष्टि से ही अधिक रहा है। राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से यह सम्पर्क नया ही है। आज पश्चिम जर्मनी विश्व के प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों में से एक है सिर्फ अमरीका ही औद्योगिक दृष्टि से जर्मनी से कुछ आगे है। भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए न केवल जर्मन पूंजी की जरूरत है वरन् उससे भी अधिक उसके तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है। पिछले 20–22 वर्षों में जर्मनी ने भारत के औद्योगिक विकास में सक्रिय रुचि दिखाई है जिससे भारत काफी लाभान्वित हुआ है।

पश्चिम जर्मनी के आर्थिक पक्ष और उसकी उन्नति से तो भारतीय जनता परिचित है लेकिन उसकी राजनीतिक संस्थाओं व शासन-पद्धति के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान काफी सीमित है। लेखक ने इस कमी को पूरा करने की दिशा में एक प्रयास किया है।

प्रस्तुत पुस्तक में जर्मनी का सामान्य परिचय, ऐतिहासिक परम्परा व जनतान्त्रिक भावना का विकास, वर्तमान संविधान (जिसे बेसिक ला के नाम से पुकारा जाता है), राजनीतिक संस्थाओं, प्रशासन तथा प्रमुख राजनीतिक दलों की गतिविधियों का परिचय एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। पश्चिम जर्मनी की विदेश नीति का संक्षिप्त परिचय भी इसमें सम्मिलित किया गया है। परिशिष्ट में बेसिक ला (संविधान) का हिन्दी अनुवाद देकर इसे पाठकों के लिए [illegible] गया है।

समझौता भंग करने का आरोप लगाया। तथा दोनों ने फौजी तैयारियां आरम्भ की। 14 जून 1866 को युद्ध आरम्भ हो गया। सिर्फ वाल्मार मेक्लनबुर्ग तथा कुछ छोटे अन्य जर्मन राज्यों ने युद्ध में प्रशा का साथ दिया। 20 जून को आस्ट्रिया को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ा तथा वियना अपनी पूरी ताकत के साथ प्रशा का मुकाबला न कर सका। उधर प्रशा की सेना ने एक के बाद एक स्थानों पर आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। यद्यपि इटली की जन सेना पराजित हुई फिर भी बिस्मार्क का यह उद्देश्य पूरा हो गया आस्ट्रिया परास्त हुआ और 3 जुलाई 1866 में सादोवा के युद्ध में आस्ट्रिया की पराजय हुई। बाद में प्रशा की सेना ने आस्ट्रिया और हंगरी की ओर प्रस्थान किया। 26 जुलाई को युद्ध समाप्त हो गया। इतिहास में यह युद्ध सात सप्ताह का युद्ध कहलाता है। एक माह बाद प्राग की संधि हुई और आस्ट्रिया ने जर्मन परिसंघ से निकलना स्वीकार किया तथा प्रशा को कुछ युद्ध हर्जाना देना स्वीकार किया। इतना ही नहीं आस्ट्रिया ने इटली को वेनिशिया का प्रदेश भी देना स्वीकार किया। प्राग की संधि के अनुसार प्रशा को श्लेसविग हाल्सटाईन हनोवर विसाऊ हेस तथा फ्रांकफुर्ट नगर भी अपने राज्य में मिलाने तथा मेन नदी के उत्तर में स्थित राज्यों को एक नवीन संघ में पुनर्गठित करने का अधिकार भी दिया गया। बिस्मार्क ने 22 जर्मन राज्यों के उत्तर जर्मन परिसंघ का निर्माण किया। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण का एक और कदम पूरा हुआ। लेकिन दक्षिण जर्मनी के राज्य अभी भी स्वतन्त्र थे तथा उन्हें फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। इन जर्मन राज्यों की कमर तोड़ने के लिए फ्रांस को परास्त करना जरूरी था। शीघ्र ही फ्रांस ने एक के बाद एक मांग प्रस्तुत करना आरम्भ कर दिया।

अगस्त 1866 में नपोलियन ने राइनलैण्ड में प्रदेश की मांग की। लेकिन बिस्मार्क ने उसे ठुकरा दिया। नपोलियन ने अब अन्य क्षेत्रों पर नजर डाली। अगस्त के अन्त में प्रशा स्थित फ्रांस के राजदूत बेनेदित्ती ने बिस्मार्क से कहा कि यदि फ्रांस द्वारा बेल्जियम व लुक्जमबुर्ग पर कब्जा करने पर बिस्मार्क विरोध न करे तो नेपोलियन समस्त जर्मनी के एकीकरण की स्वीकृति दे देगा। बिस्मार्क ने सारी बात लिखित रूप में देने को कहा और साथ ही यह भी कहा कि लुक्जेमबुर्ग जर्मन परिसंघ का सदस्य है। अतः जनमत विरोध कर सकता है। लुक्जमबुर्ग के प्रश्न पर 1867 तक तनाव चला। बाद में लंदन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने उसे एक स्वतन्त्र प्रान्त डची बना दिया।

सितम्बर 1868 में प्रशा व फ्रांस के बीच तनाव का एक अन्य मामला सामने आया और वह था स्पेन के सिंहासन के उत्तराधिकार का मामला। 1868 में स्पेन की जनता ने अपनी महारानी ईसाबेला द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह कर उस स्पेन से निकाल दिया। 1869 में स्पेन की अस्थायी सरकार ने यूरोपीय राजकुमारों में से किसी व्यक्ति को अपना शासक बनाने का प्रयास किया। जर्मनी के होहेनसोलर्न सिग्मा

जहाँ तक संभव हो सका है पुस्तक को सरल सरस व बोधगम्य भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आशा है यह पुस्तक विद्यार्थियों एवं सामान्य पाठकों के लिए उपादेय व रुचिकर सिद्ध होगी। पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने के लिए विद्वानों की सम्मति एवं समालोचना का स्वागत है।

—देवनारायण आसोपा

इतिहास विभाग
जोधपुर विश्वविद्यालय
जोधपुर

14 जुलाई 1945 को चार जर्मन राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ जिनके नाम इस प्रकार हैं —

(1) सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी
(2) साम्यवादी दल
(3) क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा
(4) लिबरल पार्टी या उदार दल।

इन राजनीतिक दलों ने फासिस्ट विरोधी जनतान्त्रिक व्यवस्था की स्थापना कर जर्मन राष्ट्र की सुरक्षा करने की घोषणा की। अमेरिका द्वारा अधिकृत जर्मन प्रदेश में फरवरी 1946 में स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दलों को कार्य करने की अनुमति दी गई उसके फलस्वरूप उपरिलिखित चार राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधियाँ आरम्भ कीं। ब्रिटेन तथा फ्रांस ने अपने अपने प्रदेशों में दिसम्बर 1945 में राजनीतिक दलों के निर्माण की अनुमति दी। इस प्रकार समस्त जर्मन प्रदेश में आरम्भ में चार राजनीतिक दलों ने कार्य आरम्भ किया बाद में अन्य दलों की भी स्थापना हुई। यह उल्लेखनीय है कि इन चार जर्मन राजनीतिक दलों को चार राष्ट्रों का समर्थन व आशीर्वाद प्राप्त था। रूस ने जर्मन साम्यवादी दल को समर्थन प्रदान किया अमेरिका ने क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा लिबरल पार्टी को ब्रिटेन ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ सहयोग किया तो फ्रांस ने लिबरल पार्टी को आशीर्वाद प्रदान किया।

द्वि क्षेत्रीय ढाचे का निर्माण

यद्यपि जर्मनी चार भागों में विभाजित था फिर भी पोटसडम-सम्मेलन ने आर्थिक दृष्टि से चारों क्षेत्रों को एक आर्थिक इकाई मानने की व्यवस्था की थी। लेकिन शीघ्र ही सोवियत संघ ने अपने जर्मन प्रदेश में कठोर नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयास किया। उसके प्रत्युत्तर में अमेरिका तथा ब्रिटेन ने अपने अधिकृत क्षेत्रों को आपस में मिलाने की घोषणा की और इस प्रकार 1947 के आरम्भ में द्विक्षेत्रीय ढाचे का निर्माण हुआ। फ्रांस अभी भी स्वतन्त्र रूप से अपने क्षेत्र पर प्रशासन कर रहा था लेकिन अपने देश के पुनर्निर्माण के लिए उसे अमेरिकी सहायता की आवश्यकता थी उधर शीतयुद्ध भी आरम्भ हो गया था और अपने देश की सुरक्षा के लिए भी पश्चिम की वाशिंगटन की ओर देखना पड़ा। ऐसी स्थिति में फ्रांस ने अमेरिका का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि अमेरिका ब्रिटेन व फ्रांस के प्रदेशों को मिलाकर एक कर दिया जाए। इस प्रकार त्रि क्षेत्रीय ढाचे का निर्माण हुआ।

जैसा कि पहले ही वर्णन किया जा चुका है 20 मार्च 1948 में रूस ने मित्र राष्ट्र नियन्त्रण आयोग से अपनी सदस्यता वापस ले ली थी अतः यह स्पष्ट हो गया

विषय-सूची

संविधान निर्मात्री सभा का गठन कर सम्पूर्ण जर्मनी के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा। यह प्रस्ताव पश्चिमी राज्यों के सैनिक गवर्नरों के पास भेजा गया उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया।

संसदीय परिषद का गठन

अगस्त 1948 में सभी लैण्ड (राज्य) की सरकारों ने संसदीय परिषद् के चुनाव करवाए। कुल 65 प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ। इनके अलावा पश्चिमी बर्लिन के 25 प्रतिनिधि आए जिन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं था। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के भी 27 सदस्य सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के भी 27 सदस्यों के अलावा फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी तथा जर्मन पार्टी के 5-5 सदस्य और सेन्टर पार्टी तथा साम्यवादी दल के 2-2 सदस्यों ने संसदीय परिषद् का निर्माण किया। बर्लिन से सोशियल डेमोक्रेट क्रिश्चियन डेमोक्रेट तथा फ्री डेमोक्रेट प्रतिनिधि आए। संसदीय परिषद् के अध्यक्ष पद पर क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के कानराड आल्डेनावर का चुनाव हुआ। बसिक ला के निर्माण के लिए एक प्रसीडियम तथा काउंसिल आफ एल्डर्स का भी निर्माण किया गया। साथ ही मूल अधिकारों संघ राज्य व सदस्य राज्यों के बीच अधिकार विभाजन वित्त सरकार के स्वरूप व गठन न्यायिक व संवैधानिक न्यायालय तथा कार्यविधि के नियम (rules of procedure) आदि विषयों पर समितियों का निर्माण किया गया। सबसे महत्त्वपूर्ण समिति पांच सदस्यों की समिति थी जिसमें 2 क्रिश्चियन डेमोक्रेट 2 सोशल डेमोक्रेट तथा 1 फ्री डेमोक्रेट थे। बाद में जर्मन अन्य दलों के दो सदस्य भी सम्मिलित किए गए।

उधर हर्रेनशियामिज नामक नगर में संविधान के विशेषज्ञ बेसिक ला का प्रारूप बनाने में व्यस्त थे। 10 अगस्त को उन्होंने काम आरम्भ किया और दो सप्ताह में उन्होंने पश्चिमी जर्मनी के लिए बसिक ला का एक विस्तृत प्रारूप तैयार कर लिया। संसदीय निर्माण प्रक्रिया के इतिहास में यह एक अनोखी मिसाल है। 1 सितम्बर 1948 को संसदीय परिषद् ने उस दस्तावेज पर विचार आरम्भ किया तथा 8 मई 1949 में बसिक ला स्वीकृत हो गया। उसके पक्ष में 53 तथा विरोध में 12 मत आए। 12 मई को पश्चिमी जर्मनी के सैनिक गवर्नरों ने उस पर सहमति दी। बसिक ला की स्वीकृति के लिए यह शर्त रखी गई कि जब 11 लैण्डर (राज्यों) में से 2/3 लैण्डर उसे स्वीकार कर लेंगे तभी वह मान्य होगा। सब लैण्डर ने उसे स्वीकृति दी सिर्फ बवेरिया नामक राज्य (लैण्ड) ने ही उसे स्वीकृति नहीं दी लेकिन संघ राज्य में प्रवेश करना स्वीकार कर लिया।

बसिक ला के निर्माण पर विविध प्रभाव

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि पश्चिमी जर्मन राजनेताओं ने संविधान के स्थान पर बसिक ला के निर्माण को पसन्द किया ताकि जर्मनी के

(1) डाक तथा दूर सचार की गापनीयता ग्रनुलघनीय हागी।

(2) इस ग्रधिकार पर कानून द्वारा राक लगाई जा सकती है।

(ग्र) विचरण की स्वतत्रता—व्यक्ति द्वारा ग्रपने व्यवसाय व्यापार शिक्षा मनोरजन तथा सामाजिक दायित्वा का निवाह करने के लिए विचरण या यात्रा करना ग्रनिवाय हो जाता है। विचरण का ग्रधिकार सद्भाव म वद्धि करता है राजनीतिक विचार के ग्रादान प्रदान व प्रसार म सहायता करता है। भारतीय सविधान भी नागरिक को यह ग्रधिकार प्रदान करता है। वसिक ला के ग्रनुच्छेद 11 म कहा गया है—

(1) समग्र सघीय प्रदेश म सभी जनता का विचरण की स्वतत्रता हागी।

लकिन यदि किसी व्यक्ति की यात्रा से ग्राधारभूत जनतात्रिक व्यवस्था का भग लगती है तो उस पर कानून द्वारा प्रतिबध लगाया जा सकता है। इसी प्रकार म महामारी के खतरे या प्राकृतिक विनाश की स्थिति म तथा नवयुवका का सुरक्षित रखने तथा ग्रपराध को रोकने के लिए विचरण के ग्रधिकार को सीमित किया जा सकता है।

(ग्र) पेशा व्यवसाय व उद्याग चुनने का ग्रधिकार—मनुष्य की एक कहावत के ग्रनुसार प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि रुझान या झुकाव भिन्न हाता है। ग्रपने रुझान या पसद के ग्राधार पर ही व्यक्ति ग्रपना पेशा या व्यवसाय चुनता है। यदि उस जबरदस्ती दूसरे काय म लगाया जाय ता उसके व्यक्तित्व के विकास म बाधा ग्राती है तथा ग्रविरुचिकर काय न हाने पर न वह ग्रपना दायित्व सही ढग म निभा पाता है ग्रौर न राष्ट्रीय उत्पादन म सहयोग कर सकता है। यही कारण है कि ग्रनुच्छेद 12 म कहा गया है—

(1) समस्त जमन लोगा को यह ग्रधिकार हागा कि व निबाध रूप से ग्रपना पेशा व्यवसाय व उद्योग नौकरी का स्थान प्रशिक्षण का स्थान चुन सकें।

(2) सिफ ग्रनिवाय सावजनिक सेवा का जो सभी पर समान रूप से लागू हाती हैं छोडकर व्यक्ति पर कोई निश्चित व्यवसाय नही थोपा जा सकता।

(3) न्यायालय द्वारा जिस व्यक्ति का स्वतत्रता से वचित किया गया है उसी व्यक्ति पर जबरन श्रम थोपा जा सकता है।

(क) सनिक व ग्रन्य सेवाग्रों सम्बन्धी दायित्व—ग्रधिकाश यूरापीय देशा म ग्रनिवाय सनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था रही है। द्वितीय महायुद्ध से पहले जमनी में भी यही व्यवस्था थी लकिन द्वितीय महायुद्ध के भयकर विनाश के पश्चात् जमन लोगा म युद्ध विरोधी भावना पनपी ग्रौर वे ग्रनिवाय सनिक सेवा का विरोध करने लगे। जन भावना का ग्रादर करते हुए वसिक ला के 13वें ग्रनुच्छेद म कहा गया है—

(1) जिन व्यक्तिया ने 18 वष की ग्रायु प्राप्त कर ली है उन्हें सशस्त्र सनाग्रा सघीय सीमा सुरक्षा-दल तथा नागरिक प्रतिरक्षा-सगठन म सेवा करने का कहा जा सकता है।

भौगोलिक स्थिति

अपने समग्र इतिहास के दौरान जर्मनी की सीमाए घटती-बढ़ती रही हैं। एसा भी वक्त था जब जर्मनी एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र ही था क्योंकि वह अनेक छोटे-बड़े राज्यो में बटा हुआ था। 1871 के बाद ही जर्मनी एक राजनीतिक इकाई के रूप म सामने आया था। प्रथम तथा द्वितीय महायुद्धों के बाद जर्मनी की सीमा म कमी हुई या वह विभाजित हुआ। यदि हम 1871 के जर्मनी को इकाई मान कर उसकी भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करें तो उस म निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे

प्रथमत पश्चिमी जर्मनी —इसका राजकीय नाम है सघीय जर्मन गणराज्य (The Feder l Repub ic of Germany)। द्वितीय महायुद्ध के बाद इस क्षेत्र पर अमेरिकी ब्रिटिश व फ्रांसीसी लोगो का अधिकार था तथा 1949 म इस एक राज्य का दर्जा दिया गया। यह 1871 के जर्मनी का सबसे बड़ा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है पूर्व जर्मनी। इसका राजकीय नाम है जर्मन जनवादी गणराज्य (German Democrati Republic)। द्वितीय महायुद्ध के बाद इस क्षेत्र पर रूसी आधिपत्य स्थापित हुआ। बाद म यह जर्मन साम्यवादी राज्य के रूप म उभर कर सामने आया।

एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप म जर्मनी आज के पूर्वी जर्मनी की पूर्वी सीमा पर ही समाप्त नहा होता है। इसका एक तीसरा हिस्सा भी है जिसम पोमरेनिया पूर्वी प्रशा साइलेशिया तथा ब्रान्डनबर्ग का पूर्वी प्रदेश सम्मिलित हैं। यह क्षेत्र 1945 के बाद से पोलण्ड व सोवियत सघ के अधिकार म है। इस प्रकार भौगोलिक जर्मनी तीन भागो म विभाजित है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन भी 1945 के बाद चार मित्र राष्ट्रो म बाट दी गई। बाद म अमरिका ब्रिटेन व फ्रांस के हिस्सो को मिलाकर पश्चिमी बर्लिन का निर्माण हुआ जो पश्चिमी जर्मनी के साथ है। पूर्वी बर्लिन सोवियत सघ के अधीन था जो बाद म उसने पूर्वी जर्मन सरकार को दे दिया। यह उल्लेखनीय है कि बर्लिन आज के पूर्वी जर्मन राज्य के बीच म स्थित है।

पश्चिमी जर्मनी की भौगोलिक स्थिति

प्रस्तुत पुस्तक म हम पश्चिमी जर्मनी की राजनीति और प्रशासन पर प्रकाश डालेंगे अत हम उसकी भौगोलिक स्थिति का ज्ञान होना जरूरी है। सघीय जर्मन गणराज्य (पश्चिमी जर्मनी) यूरोप के हृदय म 47 तथा 55° उत्तरी अक्षांश रेखा तथा 6° स 23 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओ के बीच स्थित है। उत्तर म दक्षिण म पहुँचने के लिए 83? किलोमीटर (517) मील लम्बाई पार करनी पड़ती तथा पूर्व स पश्चिम तक पहुँचने के लिये 453 किलोमीटर (281 मील) की दूरी पार करनी पड़ती। वायुयान म सफर करते समय एक व्यक्ति 50 स 55 मिनट म उत्तर से दक्षिण की दूरी तथा 30 स 35 मिनट म पूर्व स पश्चिम की दूरी पार कर सकता है।

था। इसी स्तर से समाजीकरण पर बल दिया जिसके परिणाम स्वरूप वर्मिक ना के 15वें अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि— भूमि प्राकृतिक स्रोत तथा उत्पादन के साधनों को कानून द्वारा समाजीकरण के उद्देश्य के लिए सार्वजनिक स्वामित्व या सार्वजनिक नियन्त्रण में व्यवस्था को हस्तान्तरित किया जा सकता है। वह कानून मुआवजे के स्वरूप व मात्रा की व्यवस्था करेगा। इस मुआवजे के सम्बन्ध में 14वें अनुच्छेद की परिच्छेद (5) की व्यवस्था यथोचित परिवर्तन से साथ लागू होगी।

इस प्रकार वर्मिक ना में समाजवादी समाज की रचना के लिए भी प्रावधान मौजूद है।

(ग) नागरिकता से वंचित प्रत्यर्पण तथा शरण का अधिकार—राष्ट्रीय राज्यों के उदय के साथ ही साथ नागरिकता का महत्त्व बढ़ गया है। नागरिकता के अभाव में व्यक्ति राज्यहीन हो जाता है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए वर्मिक ना के 16वें अनुच्छेद में यह अधिकार दिया गया है कि— किसी भी व्यक्ति को उसकी जर्मन नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। नागरिकता की समाप्ति कानून के अन्तर्गत तथा उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध तभी हो सकती है जब नागरिकता के अन्त होने से वह राज्यहीन नहीं हो जाता। इतना ही नहीं साथ ही यह व्यवस्था भी की गई है कि किसी भी जर्मन को विदेश में प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा। साथ ही यह व्यवस्था भी है कि राजनीतिक कारणों से पीड़ित व्यक्ति को शरण प्राप्ति का अधिकार है चाहे वह व्यक्ति किसी भी देश का निवासी हो।

(घ) याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार—अपनी शिकायतों तथा असुविधाओं को दूर करने के लिए प्रत्येक जर्मन को अधिकार है कि वह सम्बद्ध अधिकारियों तथा ससदीय सभाओं के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर सके। अनुच्छेद 18 में कहा गया है—प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में या दूसरों के साथ संयुक्त रूप में लिखित आवेदन या शिकायत प्रस्तुत करने का अधिकार है। आवेदन सम्बद्ध अधिकारियों तथा संसदीय अंगों के सम्मुख पेश किया जा सकता है।

(ङ) मूल अधिकार छीनना—कुछ विशेष दशाओं में व्यक्ति को मूल अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि—जो कोई व्यक्ति स्वतन्त्र जनतान्त्रिक व्यवस्था से संघर्ष करने के लिए मत व्यक्त करने की स्वतन्त्रता—खास कर समाचार पत्र की स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 5 का परिच्छेद 1) करता है अध्यापन की स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 5 का 3) सभा करने की स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 8) संघ निर्माण की स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 9) डाक व दूर सञ्चार की गोपनीयता की स्वतन्त्रता अनुच्छेद 10) सम्पत्ति (अनुच्छेद 14) या शरण प्राप्ति के अधिकार (अनुच्छेद 16 का परिच्छेद (2))—का दुरुपयोग करता है उससे ये अधिकार छीन लिए जायेंगे। इनकी समाप्ति तथा इसकी सीमा के बारे में संघीय संवैधानिक न्यायालय निर्णय की घोषणा करेगा।

1937 की जर्मन राज्य-सीमा तथा 1949 में जर्मनी का विभाजन
बाल्टिक समुद्र
उत्तरी समुद्र
लिथुआनिया
प्रशा
पोलैण्ड
पोलैण्ड
वार्सा
संघीय
जर्मन
गणराज्य
जर्मनी
प्रशासित
चेकोस्लोवाकिया
फ्रांस
स्विटजरलैण्ड
आस्ट्रिया
म्यूनिख
बर्लिन
(पश्चिमी)
(पूर्वी)

इरहार्ड को सम्मति तो दे देते हैं लेकिन उसके स्थान पर कौन चांसलर बने इस पर मतभेद तीव्र हो उठते हैं। फलस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता का जन्म होता है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण प्रशासन को पक्षाघात हो जाता है और जन-कल्याण की योजनाओं पर समुचित अमल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति दल-बदल को भी प्रोत्साहन देती है। राजनीतिक अस्थिरता की इस महामारी से बचने के लिए बेसिक ला के 67वें अनुच्छेद में व्यवस्था है कि —

बुन्डेसटाग सिर्फ चांसलर के उत्तराधिकारी के चुनाव के बाद ही वर्तमान चांसलर के प्रति अपना अविश्वास प्रकट कर सकता है तथा राष्ट्रपति से प्रार्थना कर सकता है कि वह उसे पदच्युत कर दे। यह अनुच्छेद बेसिक ला की मौलिकता का प्रतीक है।

(9) युद्ध विरोधी तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का समर्थक—युद्ध की विभीषिका से जर्मन लोग भलीभांति परिचित हैं। जर्मनी में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसने महायुद्ध में अपना कोई पुत्र, पति या भाई न खोया हो। समस्त जर्मनी धूलि धूसरित हो गया था। 3 मई 1945 को न्यूयार्क हेराल्ड ट्रिब्यून के संवाददाता ने बर्लिन में प्रवेश करने के बाद जो विवरण प्रस्तुत किया वह इस प्रकार है—

बर्लिन में कुछ नहीं बचा था। वहाँ न कोई घर है न दुकान, न यातायात के साधन न सरकारी भवन, सिर्फ कुछ दीवारें बच गईं। बर्लिन को अब एक भौगोलिक स्थिति कहा जा सकता है जो ढहे हुए मकानों के कूड़े का ढेर है।

रूसी समाचार-पत्र प्रावदा के संवाददाता ने लिखा— आतंकित गृहिणियाँ बची खुची दुकानों को लूट रही हैं। बर्लिन निराशा व टूटे सपनों का नगर रह गया है।

जब जर्मनी की राजधानी की यह अवस्था थी तो समस्त देश की बर्बादी व विध्वंस का आसानी से अन्दाज लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जर्मन जनता के मन में युद्ध के प्रति घृणा होना स्वाभाविक था। युद्ध से छुटकारा पाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की ओर ध्यान देना आवश्यक था अतः बेसिक ला की धारा 24 में कहा गया है—

(1) संघ शासन कानून द्वारा सार्वभौम शक्ति अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को सौंप सकता है।

(2) शान्ति की स्थापना के लिए संघ शासन पारस्परिक सुरक्षा की व्यवस्था में प्रवेश कर सकता है, ऐसा करते समय वह अपने सार्वभौम अधिकारों को सीमित करने की सहमति देगा क्योंकि इससे यूरोप तथा विश्व के राष्ट्रों के मध्य शान्तिपूर्ण एवं स्थायी व्यवस्था की स्थापना होगी।

(3) राज्यों के मध्य विवाद के समाधान के लिए संघ शासन सामान्य, विशद तथा बाध्यकारी नियम के अन्तर्राष्ट्रीय पंच निर्णय से सम्बद्ध समझौता को स्वीकार करेगा।

पश्चिमी जमनी के उत्तर म उत्तरी समुद्र (North Sea) डेनमार्क तथा बाल्टिक समुद्र पूव म पोलण्ड व चेकास्लोवाकिया दक्षिण म आस्ट्रिया तथा स्विटजरलण्ड तथा पश्चिम म फ्रांस लुग्जेम्बग बेल्जियम व हॉलैण्ड राज्य स्थित हैं।

क्षेत्रफल व जनसख्या

पश्चिमी जमनी का कुल क्षेत्रफल 95 959 वगमील (248 534 वग किलो मीटर) तथा पश्चिमी बर्लिन का क्षेत्रफल 184 वगमील (479 वग किलोमीटर) है। दोनो मिलकर 1937 की जमन साम्राज्य की भौगोलिक सीमा के 53 प्रतिशत क्षेत्र का निर्माण करत हैं। उस समय जमन साम्राज्य का क्षेत्र 181 815 वग मील (470 900 वग किलोमीटर) था। पूर्वी जमनी का आज का क्षेत्रफल 41 610 वग मील (107 771 वग किलो मीटर) है तथा पूर्वी बर्लिन का क्षेत्रफल 150 वग मील (400 वग किलोमीटर) है। दोनो मिलाकर 1937 के जमन साम्राज्य के 23% क्षेत्र का निर्माण करत हैं। 1945 के पोटसडम सम्मेलन ने जिसमें अमरिका रूस ब्रिटेन तथा फ्रांस न भाग लिया था लगभग 24 प्रतिशत जमन क्षेत्र पोलण्ड व रूस प्रशासन के अन्तगत रखा था। पोलण्ड व रूस के पास ओडर-नाइस नदियों के पूर्व म स्थित क्षेत्र है। यह क्षेत्र 41 133 वग मील (114 300 वग किलो मीटर) है।

निम्नलिखित चाट से पश्चिमी जमनी व उसके राज्यों के क्षेत्रफल व जनसख्या का सकेत मिलता है।

क्षेत्रफल तथा जनसख्या
(दिसम्बर 1969)

नाम	राजधानी	क्षेत्रफल वग किलोमीटर	जनसख्या (1000)	राजधानी की जनसख्या (1000)
सम्पूर्ण पश्चिमी जमनी	बान	248 534	61 508	299 4
श्लसविग हाल्स्टाइन	कील	15 676	2 557	276 (
हाम्बुर्ग (नगर राज्य)	हाम्बुर्ग	753	1 817	1 817
लोअर सक्सनी	हनोवर	47 408	7 100	517 3
ब्रमन (नगर राज्य)	ब्रमन	404	756	756
नॉथराइन वस्टफालिया	डुसलडॉर्फ	340 9	171 0	680 3
हस	वीजबाडन	21 110	5 423	260 6
राइनलण्ड पलटीनट	माइन्ज	19 837	3 671	176 7
बाडन वुरटमबग	स्टुटगाट	35 750	8 910	628 4
बवेरिया	म्यूनिख	70 550	10 569	1326 3
सारलण्ड	सारब्रुकन	2 568	11_7	130 3
पश्चिमी बर्लिन	पश्चिमी बर्लिन	479	213_	213 4

लम्बी अवधि तक सुधारवादी या मध्यममार्गी तथा मार्क्सवादी लोग एक ही दल मे बने रहे।

फोलमार तथा बर्नस्टाइन ने सुधारवादी विचारधारा का नेतृत्व किया। बर्नस्टाईन म बौद्धिक प्रतिभा थी। साम्यवादी लोग इसे संशोधनवाद के संस्थापक की संज्ञा देते है। इसने क्रान्तिकारी कदमो का विरोध किया तथा धीरे धीरे सुधारो की वकालत की। दल के भीतर सुधारवादियो का हमेशा काफी प्रभाव रहा। जो लोग साम्यवादी विचारधारा के हामी थे उन्होने न केवल क्रांतिकारी सिद्धान्तो की वकालत की वरन् हडताल आदि हथियारो के इस्तेमाल की भी बात की। इस प्रकार दल म कभी क्रांति-पोषक साम्यवादी विचारधारा के समर्थकों का जोर होता तो कभी सुधारवादियो का।

सुधारवादियो तथा साम्यवादियो के बीच एक मध्यममार्गी गुट भी था। सुधारवादी एरफुर्ट-कार्यक्रम म संशोधन चाहते तो साम्यवादी उसका विरोध करते तथा साथ ही क्रांतिकारी तरीके अपनाने की माग करते। लेकिन मध्यममार्गी लोग यह मानते थे कि दल के हित म एरफुर्ट कार्यक्रम को उसके समन्वित रूप म ही स्वीकार किया जाए।

1909 म दल म उग्रवादियो (साम्यवादियो) का प्रभाव बढा तो 1912 मे सुधारवादी पुन ताकतवर हो उठे। 1914 तक आते आते यह स्पष्ट हो गया कि सोशल डमोक्रेटिक पार्टी का विभाजन निश्चित है। जब प्रथम महायुद्ध आरम्भ हुआ और जर्मनी ने उसमे प्रवेश किया और सरकार ने युद्ध ऋण की व्यवस्था की माग की तो कार्ल लीबक्नेख्त ने जो विल्हेल्म लीबक्नेख्त का पुत्र था संसद म युद्ध ऋणो के विरोध म मतदान किया। 1915 म सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अन्य 19 सदस्य-सदस्या ने उसका अनुसरण करते हुए युद्ध का विरोध किया। 1916 का वर्ष इस दल के लिए काफी कठिन वर्ष था। उग्रवादी दल के अनुशासन मे रह कर युद्ध के समर्थन के लिए तैयार न थे। फलत 1917 म दल दो भागो म विभाजित हो गया जिनके नाम इस प्रकार हैं—

(1) सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (बहुमत इसके साथ था) अत यह मेजोरिटी सोशलिस्ट कहलाते हैं।

(2) इण्डिपेण्डेण्ट सोशल डमोक्रेटिक पार्टी।

शीघ्र ही दूसरे वर्ग के दल का फिर विभाजन हुआ और एक नए दल जर्मन साम्यवादी दल का उदय हुआ। इस प्रकार जर्मन समाजवादी आन्दोलन तीन भागो म बट गया लेकिन शीघ्र ही इण्डिपेण्डेण्ट सोशल डेमोक्रेटिक दल समाप्त हो गया और पुन दो दल रह गए।

वाईमार-गणतन्त्र (1919–1933) के निर्माण म सोशल डमोक्रेटिक पार्टी का निर्णायक योगदान था। जर्मन केजर (सम्राट) के गद्दी त्यागने के पश्चात् समाजवादी नेता फ्रीडरिच एबर्ट ने सत्ता सम्हाली। बाद म वह राष्ट्रपति पद पर आसीन हुआ।

राज्यों की राजधानियों के अलावा पश्चिमी जर्मनी के कुछ प्रमुख नगरों का विवरण तथा उनकी जनसंख्या 1970 में इस प्रकार था —

कोलोन (866 303) एसेन (704 769) फ्रैंकफर्ट (660 410) डार्टमुण्ड (648 883) डुजबुर्ग (457 891) न्यूरमबर्ग (477 108) वुपरटाल (414 728) गेल्सन किर्चन (348 620) बोखम (346 886) तथा मानहाइम (330 920)

1973 में पश्चिमी जर्मनी की कुल जनसंख्या 61800000 था।

जर्मनी के आर्थिक विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत करने के लिए यह आवश्यक है कि विश्व के कुछ प्रमुख देशों के साथ उसकी तुलना की जाए —

तुलनात्मक अन्तर्राष्ट्रीय आंकड़े

सन	देशों के नाम	क्षेत्र वर्गकिलो मीटर (100)	जनसंख्या (1 000)	निवासी प्रति वर्ग किलो	निवासी प्रतिवर्ग मील
1970	पश्चिमी जर्मनी	248	61800	248	641
1970	पूर्वी जर्मनी	108	17075	158	409
1970	सोवियत संघ	8650	241748	11	28
1970	अमरिका	3615	205395	22	57
1970	जापान	143	103540	280	726
1970	ब्रिटेन	94	55711	228	591
1970	इटली	116	54459	181	468
1970	फ्रांस	211	50770	93	240
1970	स्पेन	195	33290	66	171
1970	कनाडा	3852	21406	2	[illegible]
1970	स्वीडन	174	8046	18	46
1971	भारत	—	54700	—	—

जर्मन भौगोलिक क्षेत्र में स्थान के अनुसार सभी तरह की प्राकृतिक स्थिति उपलब्ध हो जाती है। इस राज्य में जर्मनी की भूमि तथा क्षेत्र विविध प्रकार का है। प्राकृतिक स्थिति की दृष्टि से उत्तर में उत्तर सागर से दक्षिण में आल्प्स पर्वत में तथा पश्चिम में राइन पहाड़ियों से पूर्व में [illegible] की ओर [illegible] के पर्वतों तक के जर्मनी को पांच भागों में बांटा जा सकता है। ये भाग इस प्रकार हैं —

1 उत्तरी जर्मनी का तराई क्षेत्र

2 मध्य क्षेत्र के पवतीय क्षेत्र तथा गहराइ वाले प्रदेश
3 दक्षिण-पश्चिमी चारस भूमि तथा पवत-श्रेणी
4 दक्षिण जमन आल्पस की नीची पवत-श्रेणी
5 बवरिया स्थित आल्पस पवतीय क्षेत्र ।

पश्चिम से पूव दिशा म भूमि की बनावट के आधार पर जमनी को तीन भागो म विभाजित किया जा सकता है—

1 मध्य भाग म ऊची भूमि
2 दक्षिण म आल्पस का पवतीय प्रदेश
3 उत्तर की समतल भूमि

जलवायु

जमनी सम शीतोष्ण कटिबंध म स्थित है जहा मौसम पश्चिमी (पछुआ) हवाओ स सचालित होता है। मौसम अवसर परिवर्तित होता रहता है। जलवायु के अन्तगत ताप क्रम तथा वर्षा प्रमुख तत्व हैं। पश्चिमी हवाओ के कारण वर्षा सभी समयो म होती रहती है। उत्तरी जमनी के समतल भूमि म वर्षा का वार्षिक औसत 20 स 28 इच रहता है जबकि मध्य क्षेत्र के पवतीय क्षेत्र म 39 इच से अधिक तथा दक्षिण स्थित आल्पस पवत के क्षेत्र म 80 इच के आसपास वर्षा होती है।

ताप क्रम का विवरण इस प्रकार है —ताप क्रम विभिन्न क्षेत्रो म भिन्न भिन्न है। जनवरी के सबसे ठडे महीने म समुद्री तट पर यह 34 डिग्री फारनहाईट स लेकर 27 डिग्री फारनहाईट (–1.5 डिग्री सेंटीग्रेड स–3 डिग्री सेंटीग्रेड तक) पहाड़ी क्षेत्रों म सामान्यत 21 डिग्री फारनहाईट (–6 डिग्री सेंटीग्रेड) रहता है। जुलाई के मध्य म—जो सबसे अधिक गम महीना है—उत्तर जमन तथा पूर्व जमन समतल भूमि वाले क्षेत्र म 61 डिग्री फारनहाईट स 66 डिग्री फारेनहाइट (16 डिग्री सेंटीग्रेड स 19 डिग्री सेंटीग्रेट तक) रहता है। वन प्रदेश म यह 68 डिग्री फारन हाईट (20 डिग्री सेंटीग्रेड) तक हो जाता है। ऊपरी राईन की घाटी म सर्वाधिक ताप क्रम तथा आल्पस प्रदेश म सबस कम तापमान रहता है। जनवरी स मार्च तक आल्पस प्रदेश बफ स ढका रहता है। पवत की ऊंचाई के अनुसार शीत काल म वहा 3 स 6 फीट बर्फ जम जाती है।

प्राकृतिक साधन

पश्चिमी जमनी की मुख्य खनिज सम्पदा म ऊंचे स्तर का कोयला भण्डार है। अन्य प्राप्य वस्तुए इस प्रकार हैं —पत्थर पोटाश लोहा तांबा तथा जस्ता। जल द्वारा विद्युत निर्माण की बहुतायत है। पश्चिमी जमनी के प्रमुख भारी उद्योगो म लोहा तथा इस्पात खान रासायनिक उत्पादन मशीनें तथा ट्रक व मोटरें जहाज निर्माण भवन निर्माण तथा विद्युत-उत्पादन हैं। अन्य उद्योग हैं —सूती वस्त्र बुनाई

नगाव निमाण ि वा वन खाद्य पदार्थो का निमाण सू म यत्रो का निमाण प्रादि । अधिकाश उद्योग रूर तथा सार प्रदेश म स्थित है। यह क्षेत्र पश्चिमी जमनी की पश्चिमी सीमा उत्तरी सीमा तथा राइन की तराई क म य म स्थित है ।

एतिहासिक पृष्ठभूमि

वतमान जमनी के राजनीतिक आर्थिक सामाजिक एव धार्मिक विकास का म ो मूल्याकन करने के लिए यह अनिवाय है कि जमनी के इतिहास पर एक विहगम दृष्टि डालें। एम एच स्टाईनबेग के अनुसार जमन इतिहास का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व यह है कि एक राजनीतिक इकाई अर्थात् एक राष्ट्र क रूप म 1871 तक जमनी का कोई अस्तित्व नही था।[1] जान ई रोड्स की मान्यता है कि पूर्ण राष्ट्र राज्य क रूप म जमनी काफी देरी स रगमच पर उतरा [2] लेकिन एक महान् साम्राज्य क रूप म जमनी सदियो तक यूरोप के राजनीतिक क्षितिज पर छाया हुआ रहा है। जमन साम्राज्य की कहानी से पूर्व हम जमन शब्द का अथ और उसका प्रचलन हृदयगम करना होगा ।

रोमन लोगो न सवप्रथम जर्मेनिया मेग्ना (महान जमनी) शब्द का प्रयोग किया। एक आधुनिक जमन इतिहास क अनुसार जर्मनिया केल्टिक भाषा का शब्द था जिसका अथ होता है पडोसी । बाद म जमनी क लिए डाइच तथा जमनी के लिए डाइचलाण्ड श द का प्रयोग प्रचलित हुआ और आज भी जमन लोग अपने देश को डाइचलाण्ड ही कहते है। प्राचीन जमन भाषा म डाइच शब्द का अथ होता है जनता या जन । जमन लोग टयूटोनिक जाति के रूप म भी जाने जाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि सरकारी कागजातो म सवप्रथम 1442 म जमन-भू-प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया। 1486 म आल्प्स पवत क उत्तर म स्थित क्षेत्र को रोम साम्राज्य का जमन सविभाग नाम दिया गया ।

सवप्रथम रोम क सम्राट जूलियस सीजर न जमन लोगो क बारे म विवरण प्रस्तुत किया है। सीजर को इस जाति स छोटी मोटी मुठभेड करनी पडी लेकिन विस्तृत विवरण क लिए हम एक अन्य रोमन इतिहासकार व लेखक टसीटस (55 117 ई) का सहारा लेना पडता है। टसीटस न जो पुस्तक लिखी उसका नाम था De Situ Moribus et Populis Germanioe अर्थात् भौगोलिक क्षेत्र व आचार व्यवहार तथा जमन जनता क सबध म । यह उल्लेखनीय है कि द्वितीय युद्ध क दौरान तथा बाद म जब जब यूरोप व अमरिका क लोगो न जमनो की तथा जमन जनता की बुराई व आलोचना की तो उन्होन टसीटस की पुस्तक का उद्धृत किया । जबकि वस्तुस्थिति यह है कि उस रोमन लेखक न जमन जनता की प्रशसा अधिक व आलोचना कम की। उसने कहा कि रोम साम्राज्य क लोग इनके प्रारम्भ चरित्र का

1 एम एच स्टाईनबग ए शार्ट हिस्ट्री आफ जर्मनी (कैम्ब्रिज 1944) देखिए भूमिका ।
2 जान ई रोड्स जमनी ए हिस्ट्री (न्यूयार्क 1964) पृ 20

अनुसरण करें ऐसा करके ही व अपने साम्राज्य व संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। टैसीटस लिखता है कि जर्मन लोग स्वतन्त्रता तथा युद्धप्रेमी हैं। जर्मन लोग नीली आंखो और सुनहले रक्तिम बालों से युक्त हैं जर्मन युवतियां अत्यधिक सुन्दर होती हैं। इस रोमन लेखक का मत था कि उनका पारिवारिक जीवन नैतिकतापूर्ण था यद्यपि स्त्रियां सभी दुस्तर और भारी काम करती थीं तथा पुरुष शराब पीते जुआ खेलते तथा युद्ध करते थे। समाज में अपेक्षाकृत कम मतभेद था तथा दासप्रथा लगभग नहीं के समान थी।

टसीटस जर्मन लोगों की राजनीतिक संस्थाओं के जनतन्त्रवादी रूप से बहुत प्रभावित था। वह लिखता है — वे (जर्मन लोग) संकट कालीन स्थितियों को छोड़कर कुछ निश्चित दिनों—या नव चन्द्रोदय या पूर्णिमा के दिन एकत्रित होते हैं जब जनता उचित समझती है वह बैठ जाती है पास में हथियार होते हैं। पादरी या पुरोहित शांत रहने को कहता है। पादरी ही ऐसे अवसर पर अनुशासन स्थापित करने का अधिकार रखता है तब राजा या मुखिया (नेता) की बात सुनी जाती है। उसकी बात इसलिए अधिक सुनी जाती है कि वह समझा-बुझा सकता है न कि इसलिए कि उसके पास आदेश देने की शक्ति है। यदि उसके विचार तथा भावनाओं से लोग असंतुष्ट होते हैं तो वे मंद ध्वनि में असंतोष व्यक्त करते हैं यदि संतुष्ट होते हैं तो वे अपने भाले उठाकर समर्थन करते हैं।

सामाजिक नैतिक व कानूनी मामलों में जर्मन लोग शपथ वचन या प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ते थे। यह गुण पर्याप्त रूप में आज भी जर्मन लोगों में पाया जाता है। उनके धार्मिक जीवन के बारे में टैसीटस लिखता है कि वे वसन्त ऋतु में प्रजनन विषयक शास्त्रोक्त क्रिया का समारोह या त्यौहार मनाते हैं। कुछ जर्मन देवताओं के नाम इस प्रकार हैं —थोर जो तूफान व बिजली का देवता था इसी से ईसाई दिन गुरुवार (Thursday) का नाम प्रचलित हुआ। वह वोडन नामक देवता की पत्नी फ्रिया का उल्लेख करता है जिससे शुक्रवार (Friday) का नाम पड़ा। यह उल्लेखनीय है कि ईसाई मत के प्रचलन से पूर्व जर्मन-लोगों के धर्म ने ईसाई धर्म को भी कुछ सीमा तक प्रभावित किया। उदाहरण के लिए प्रजनन विषयक शास्त्रोक्त क्रिया-समारोह से ही ईसाईयों का ईस्टर त्यौहार बना जिस दिन ईसा ने पुनर्जीवन प्राप्त किया ऐसा विश्वास प्रचलित है। इसी प्रकार यह भी स्मरणीय है कि प्राचीन जर्मन देवताओं और भारत के वैदिक कालीन देवताओं में भी काफी साम्य है।

जर्मनों के इतिहास में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना 9 ईस्वी सन् में घटी। इस वर्ष रोमन सेनापति वारुस ने राइन नदी पार की। सम्भवतः वह राईन तथा एल्ब नदी के बीच का प्रदेश जीतना चाहता था। हरिन अरमिनस नामक जर्मन कबीले के नेता हरमन ने रोमन सेनाओं को पराजित करने में सफलता प्राप्त की। जर्मन लोगों ने 20वीं सदी के आरम्भ तक इस घटना को अपने इतिहास में भारी महत्त्व

पर शासन नहीं किया था।[1] जर्मन लोग इस महान् शासक को अपने इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। फ्रांसीसी लोग भी इसे अपना सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मानते हैं क्योंकि इसने जर्मनी और फ्रांस दोनों पर शासन किया था। उसकी मृत्यु के सौ वर्ष बाद उसके साम्राज्य का विभाजन हो गया और जर्मनी और फ्रांस में अलग अलग सत्ताएं स्थापित हो गईं।

चार्ल्स महान् या शार्ल मेन ग्रोस ने न केवल अपने साम्राज्य को सुसंगठित किया वरन् 800 ई. में रोम में प्रवेश कर तत्कालीन पोप लियो III (795–816) से अपना राज्याभिषेक भी करवाया। रोम में यह राजतिलक यूरोपीय इतिहास की एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना है। और यहीं से सम्राट बड़ा कि पोप यह संघर्ष आरम्भ होता है। बाद में पोप बनाम सम्राट के संघर्ष के कारण ही जर्मन सम्राट हेनरी चतुर्थ को 1077 में इटली में स्थित मोडेना के निकट कानोसा नामक स्थान पर जाकर तत्कालीन पोप ग्रेगरी से क्षमा माँगनी पड़ी क्योंकि पोप ने उसे धर्म-बहिष्कृत कर दिया था और हेनरी चतुर्थ की जनता व सरदारों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। सम्राट तथा पोप के बीच सर्वोच्च पद के लिए 1056 से 1250 ईस्वी तक संघर्ष चलता रहा। बाद में पोप की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई।

प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य ऐतिहासिक विस्तार में जाना नहीं है। अतः यहाँ उन शासकों की तालिका दी जा रही है जिन्होंने जर्मनी के सम्राट के रूप में तथा प्रशा राज्य के शासक के रूप में जर्मन इतिहास के निर्माण में योगदान दिया था।

पवित्र रोमन साम्राज्य व आस्ट्रिया प्रशा के राजा तथा आधुनिक जर्मनी के सम्राट

राजा का नाम	कब जर्मन शासक बना
चार्ल्स महान	800
लुविस प्रथम	814
लोथार प्रथम	840
लुविस द्वितीय	855
चार्ल्स दी बाल्ड	875

1 962 में जर्मन सम्राट ओटो प्रथम ने रोम में राज्याभिषेक किया था और अपने साम्राज्य को पवित्र रोमन साम्राज्य का नाम दिया। यह महत्वपूर्ण बात है कि जर्मन सम्राट ने अपने आपको रोमन सम्राट कहलाना पसंद किया। 1508 के बाद रोम में सिंहासनारोहण का समारोह समाप्त हो गया और जर्मन सम्राट अपने आपको स्वयं ही रोमन सम्राट कहने लगे। रोमन सम्राट का पद 1806 में जाकर समाप्त हुआ यद्यपि 16वीं शताब्दी के बाद कई अवसरों पर रोमन सम्राट नाम मात्र के सम्राट ही रह गये थे।

राजा का नाम	सन जिसमें शासक बना	
चार्ल्स दी फैट	8९4	
अर्नुल्फ	896	
बरेन्गार	915	
हेनरी दी फाउलर	919	
ओटोप्रथम दी ग्रेट शासक बना	936	
ओटो प्रथम दी ग्रेट		
रोम में राज्याभिषेक	962	सैक्सन सम्राट
ओटो द्वितीय	973	
ओटो तृतीय	983	
हेनरी द्वितीय (सैन्ट)	1002	
कानराड द्वितीय	1024	
हेनरी तृतीय	1039	सैलियन वंश के सम्राट
हेनरी चतुर्थ	1059	
हेनरी पंचम	1106	
लोथार फान सप्लीनबुर्ग	1125	
कानराड तृतीय	1138	
फ्रेडरिक I (बारबरोसा)	1152	होहनस्टाउफन वंशीय सम्राट
हेनरी षष्ठम	1191	
पवित्र रोमन सम्राट व आस्ट्रिया के सम्राट		
फिलिप आफ स्वाबिया	1198	
ओटो चतुर्थ (एटीबिग)	1198	
फ्रेडरिक II आफ होहनस्टाउफन	1220	
कानराड IV	1250	
रुडोल्फ आफ हाप्सबुर्ग	1273	
एल्बर्ट प्रथम आफ हाप्सबुर्ग	1298	
हैनरी सप्तम आफ लुक्सम्बर्ग	130४	
लुडविग आफ बवेरिया	1314	
चार्ल्स चतुर्थ आफ लुक्सम्बर्ग	1347	
वेन्जेल	1378	
सिगिसमुन्ड आफ लुक्सम्बर्ग	1410	

राजा का नाम	सन जिसमें शासक बना
एलवट द्वितीय श्राफ हाप्सवुग	1438
फ्रेडरिक तृतीय	1440
मक्समिलियन प्रथम	1493
चाल्स पचम	1519
फर्डीनिण्ड प्रथम	1556
मक्समिलियन ि्तीय	1564
रुडोल्फ द्वितीय	1576
माथियाज	1612
फर्नीनिण्ड ि्तीय	1619
फर्डीनिण्ड तृतीय	1637
लियोपा ड प्रथम	1658
जासेफ प्रथम	1705
चाल्स पष्ठम	1711
मारिया थरसा व फ्रासिस प्रथम	1740
जोसफ ि्तीय	1765
लियोपोल्ड ि्तीय	1790
फ्रासिस ि्तीय	1792
पवित्र रामन साम्राज्य का अत	1806
फर्डीनिण्ड I (आस्ट्रिया का सम्राट)	1835
फ्राज जोसफ (आस्ट्रिया का सम्राट)	1848
चाल्स (आस्ट्रिया का सम्राट)	1916
1918 में पद त्याग	

प्रशा व आधुनिक जमनी क शासक

फ डरिक विलियम दी ग्रट इलक्टर आफ ब्राडेन बुग	1640
फ्रेडरिक I प्रशा का राजा	1701
फ्रेडरिक विलियम प्रथम	1713
फ्रेडरिक ि्तीय (महान)	1740
फ डरिक विलियम ि्तीय	1786
फ्रेडरिक विलियम तृतीय	1797
फ्रेडरिक विलियम चतुथ	1840
विलियम प्रथम	1861
विलियम प्रथम (जमन सम्राट)	1871
फ डरिक तृतीय	1888
विलियम ि्तीय	1888
1918 म राज्य त्याग	

उक्त वशावलिया देने का तात्पय जमनी क सम्राटा का सक्षिप्त उल्लेख करना मात्र है। इसक अतिरिक्त जिन घटनाओं ने जमन इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी है उनका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

ग्युल्फ तथा घिबेलीन्स वर्गों के मध्य गृह युद्ध 1198–1214

इस काल में ग्युल्फ व घिबेलीन्स वर्ग के बीच में चले आ रहे संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप धारण कर लिया। घिबेलीन्स लोगों को एक नेता की आवश्यकता थी और उन्होंने हेनरी षष्ठ के भाई फिलिप आफ स्वाबिया को अपना राजा चुना यद्यपि उस समय तक दो वर्षीय फ्रेडरिक को आधिकारिक तौर पर राजा बना लिया गया था। ग्युल्फ वर्ग के लोगों ने फिलिप के चुनाव को मान्यता देने से इन्कार कर दिया तथा कोलोन नगर के आर्कबिशप तथा इंग्लैण्ड के राजा रिचार्ड की सहायता से उन्होंने ओटो चतुर्थ को अपना राजा चुना। इस दोहरे चुनाव से 20 वर्ष तक साम्राज्य की शान्ति भंग रही। इस गृहयुद्ध में घिबेलीन्स वर्ग को फ्रांस का सहयोग मिला और इस प्रकार संघर्ष अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया। अन्त में पोप तथा घिबेलीन्स वर्ग ने मिलकर फ्रेडरिक को राजा बनाया। इस घटना का वर्णन करने का तात्पर्य यह संकेत करना है कि किस प्रकार जर्मन लोग समय समय पर विभाजित रहे और विदेशी शक्तियों ने जर्मनी में हस्तक्षेप किया।

13वीं शताब्दी में नगरों का विकास

जर्मन इतिहास का एक महत्वपूर्ण तथ्य है नगरों का विकास। क्योंकि जर्मनी यूरोप के हृदय में स्थित है अतः व्यापारिक आर्थिक व सांस्कृतिक दृष्टि से यहां के नगरों का महत्व और भी बढ़ जाता है। मध्यकाल में जर्मनी में विभिन्न आकार के 2000 से अधिक नगर बसे। इनमें ब्रान्सबुर्ग फ्रांकफुर्ट कोलोन ल्यूबेक हाम्बुर्ग ब्रेमन गोसलार बान आदि प्रमुख नगरों में से कुछेक थे।

ट्यूटानिक नाइट्स (Tutonic knights)

1190 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई और वह थी ट्यूटोनिक नाइट्स (सरदार या राजपुत्र) का उदय। इस संगठन का जन्म यद्यपि यरुशलम में हुआ लेकिन शीघ्र ही –13वीं सदी के आरम्भ में इन्होंने यूरोप में प्रवेश किया। नाइट्स वर्ग का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को शपथ लेनी पड़ती थी कि वह ब्रह्मचारी तथा निर्धन व्यक्ति है और रहेगा तथा स्वामी उसे किसी भी कार्य के लिए प्रयुक्त कर सकता है। उस लड़ाकू नाइट्स वर्ग प्रान्तीय व क्षेत्रीय अधिकारी या अन्य राजनीतिक वित्तीय या मठों में नियुक्त किया जा सकता था। धीरे धीरे यह वर्ग अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और कभी नगरों तो कभी पोलैण्ड के राजा की मदद करने लगा। पोलैण्ड स्थित मासोविया के ड्यूक कानराड ने प्रशा के कबीलों के उद्दण्ड व्यवहार को समाप्त करने के लिए नाइट्स से मदद मांगी तथा यह स्वीकार किया कि ट्यूटानिक नाइट्स के ग्राण्ड मास्टर या प्रमुख नेता हरमन फान साल्जा प्रशा के लोगों से जीती हुई भूमि को अपने कब्जे में रख सकता है। साल्जा (1167–1239) ने तत्काल जर्मन सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय से इसकी अनुमति मांगी जो उसे मिल गई। नाइट्स लोगों को अपने द्वारा विजित क्षेत्र में चुंगी चौकियां बाजार व टकसाल स्थापित

करने का अधिकार दिया गया। सम्राट के प्रान्तों के अन्त में कहा गया कि साम्राज्य के उत्तराधिकारी नागों को वही विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो साम्राज्य के राजकुमारों को होते हैं। शीघ्र ही नाइट्स लोगों ने दुर्गों का निर्माण किया। नगर बसाये गये नये भू प्रदेश जीते। इन्हीं ट्यूटानिक नाइट्स ने आगे जाकर प्रशा राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।

साम्राज्य का विघटन व नवीन शक्तियों का उदय (1250–1410)

तेरहवीं शताब्दी से पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य जर्मन साम्राज्य में विघटन की प्रक्रिया जारी रही। फ्रेडरिक द्वितीय की मृत्यु के पश्चात् साम्राज्य की समृद्धि वैभव तथा प्रतिष्ठा में कमी हो चली यद्यपि उसके 550 साल बाद तक साम्राज्य एक राजनीतिक इकाई के रूप में किसी तरह चलता रहा। 1250 में सम्राट की मृत्यु के बाद 23 वर्ष का समय साम्राज्य का अन्तराल (Interreenum) कहा जाता है। 1291 में स्विटजरलैण्ड जर्मन साम्राज्य से अलग हो गया। 1257 में पूर्व जर्मन सम्राट के चुनाव में समस्त जर्मन सामंत तथा प्रमुख बिशप भाग लेते थे किन्तु 1257 में मात्र सात चुनाव करने वाले सिर्फ सात व्यक्ति रह गये जिनमें मार्क्स, ट्रायर तथा कोलोन नगर के आर्कबिशप भी शामिल थे तथा चार अन्य सामंत होते थे। इन सात व्यक्तियों को घूस प्रलोभन व लालच देकर खरीदा जा सकता था।

ऐस्टेटस व क्षेत्राधिपतियों का उदय (Rise of Teritorial Lords)
हाहेनस्टाउफन वंश के काल में ही विभिन्न क्षेत्रों के अधिपति सामंतों ने अपनी शक्ति में वृद्धि प्रारम्भ कर दी थी। 14वीं सदी में जब साम्राज्य की नाव कमजोर पड़ी तो सम्राट को समय-समय पर उनसे सहायता लेने को मजबूर होना पड़ा। इससे क्षेत्राधिपतियों की सत्ता शान और वैभव में वृद्धि हुई और इटली के नगर राज्यों का अनुसरण करते हुए क्षेत्राधिपतियों द्वारा अपने क्षेत्रों या एस्टेट्स (Estates) में राज्यों का निर्माण हुआ। इन एस्टेटस में एक नवीन व्यवस्था का उदय हुआ। एस्टेटस राज्यों में पादरी बुजुर्ग कुलीन सामंत तथा कभी-कभी किसान भी शामिल होते थे—क्षेत्राधिपतियों को चुनौती का सामना करना पड़ा तथा जनता को अधिकारों की प्राप्ति हुई। इनमें से प्रतिनिधि समय-समय पर सभा एकत्र करते तथा शासक को अपने अपने क्षेत्रों में कर निर्धारण सम्बन्धी निर्देश देते। एस्टेटस भी इस प्रकार संसदीय जनतन्त्र के आधार बने। इन्हें संसदीय संस्था की संज्ञा भी दी गई है।

नगर राज्यों व संघों का उदय

नगरों की स्थापना का संक्षिप्त वर्णन ऊपर प्रस्तुत किया जा चुका है। इटली के नगर राज्यों की भाँति जर्मनी में भी जनतन्त्र का वास्तविक प्रयोग नगर राज्यों में ही हुआ। 1200 ईस्वी में जर्मनी में 250 नगर थे 1300 में 811 तथा 1450 में 3000 नगर। जर्मन सम्राट नई चर्च के नगर राज्यों को साम्राज्य प्रतिनिधि

सभा (Imperial Diet) में भी प्रतिनिधित्व मिला।[1] ये नगर व्यापार वाणिज्य तथा शिक्षा के केन्द्र थे। यहां पर सर्वप्रथम शिक्षित बुर्जुआ वर्ग का उदय हुआ और स्वतंत्र विचार स्वातन्त्र्य व स्थानीय मामलों का स्वशासन हुआ। नगर अपने अधिकारों के प्रति सजग थे। लेकिन अकेले शक्तिशाली सामन्तों से अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे। अतः उन्होंने नगर संघों का निर्माण किया जिसमें स्वाबियन लीग तथा रेनिश लीग प्रमुख हैं। चौदहवीं शताब्दी में ये नगर संघ इतने अधिक शक्तिशाली हो उठे कि उनका विरोध करने के लिए सामन्तों ने भी लीग ऑफ नाइट्स नामक संघों का निर्माण किया।

इसी प्रकार नगर राज्यों व प्रमुख नगरों ने मिलकर हांसियाटिक लीग नामक व्यापारी संघ का निर्माण किया। हंस का अर्थ होता है व्यापारी-संघ। इस व्यापार संघ ने विदेशों में व्यापार के विकास व सुरक्षा के लिए अपने व्यापारिक प्रतिनिधि भेजे। चौदहवीं शताब्दी के मध्य में 70 नगर इस व्यापारी संघ के सदस्य थे। यह संघ मुख्यतः आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए बनाया गया। लेकिन जब जब उनके आर्थिक हितों को आघात पहुंचा उन्होंने हथियार उठाये और अवसर आने पर युद्ध भी किये। डेनमार्क और इस जर्मन व्यापार संघ के बीच 1362-65 तक युद्ध चला लेकिन संघ को सफलता न मिली। पर डेनमार्क पर व्यापारिक दबाव बना और 1370 में उसे हांसियाटिक लीग के साथ संधि करनी पड़ी जो स्ट्रालसुण्ड की संधि कहलाती है। यह संधि लीग की भारी विजय थी।

इन नगर राज्यों के संघों तथा व्यापारिक संघों ने जर्मनी में शिक्षा व्यापार व संस्कृति तथा राजनीतिक चेतना का मार्ग प्रशस्त किया। आज भी जर्मन लोग इन नगर राज्यों का जनतान्त्रिक व्यवस्था का गर्व से याद करते हैं। इतना ही नहीं वर्तमान पश्चिमी जर्मनी के संघ राज्य के दो सदस्य आज भी नगर राज्य ही हैं। इनके नाम हैं हाम्बुर्ग तथा ब्रेमन।

साम्राज्य तथा क्षेत्राधिपतियों के मध्य संघर्ष 1450-1648

1452 में जर्मन सम्राट को रोम में पवित्र रोमन राज्याभिषेक हुआ। यह अंतिम राज्याभिषेक था। लेकिन इसके बाद भी साम्राज्य का विघटन तेजी से प्रारम्भ हो गया। विघटन का कारण सम्राट तथा क्षेत्राधिपतियों (Territorial Lords) के मध्य संघर्ष का प्रारम्भ था। 15 वीं शताब्दी के मध्य में जर्मन साम्राज्य नाम मात्र का साम्राज्य रह गया था। अधिकांश सत्ता व क्षेत्र क्षेत्राधिपतियों के पास केन्द्रित थी। उन्होंने लगभग सम्पूर्ण नागरिक सत्ता हस्तगत कर ली थी।

धर्मसुधार आन्दोलन 1517-1555

जर्मनी के ऐतिहासिक विकास के सन्दर्भ में धर्मसुधार आन्दोलन का भारी

1 रायल पूर्वोक्त पृष्ठ 76

वाय को जहर फनाने की सजा दी । जब पोप ने लूथर को आदेश दिया कि वह रोम में उपस्थित हो तो लूथर ने आदेश की अवहेलना की । इसके बजाय उसने 1518 में आगुसबुर्ग की सभा में पोप के प्रतिनिधि से मिलना स्वीकार किया। आगुसबुर्ग में लूथर व पोप के प्रतिनिधि के बीच वादविवाद से कोई समझौता न हो सका । इसी बीच जर्मनी में लूथर के क्रांतिकारी विचारों का प्रसार होने लगा। जून 1520 में पोप ने लूथर को धर्म बहिष्कृत कर दिया। उसी वर्ष लूथर ने जर्मन राष्ट्र के ईसाई सामन्तों व कुलीनों के नाम एक पत्र (Letter to the Christian nobles of the German nation) प्रकाशित किया तथा उसने अपील की कि वह ईसाई धर्म को पोप व पादरियों के भ्रष्ट पंजे से मुक्त करें। इसी प्रकार पोप द्वारा बहिष्कृत करने के उत्तर में उसने 'ईसाई की स्वतन्त्रता के बारे में' (on the freedom of a christian) नामक लेख भेजा जिसमें सभी ईसाइयों के समान होने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया था। अन्त में उसने चर्च की समग्र सत्ता पर कटु प्रहार करते हुए 'चर्च के बेबीलोनियन बन्दीकरण के बारे में' (on th babylonian captivity of the Church) नामक पुस्तिका प्रकाशित की । ये सब पुस्तकें एक नये धर्म का आधार बनीं तथा इस प्रकार प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय का उदय हुआ।

सामान्यतया पोप द्वारा धर्म बहिष्कृत करने के तत्काल बाद सम्बद्ध व्यक्ति को साम्राज्य से बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन लूथर के बारे में ऐसा नहीं हुआ। बड़े सामन्त तत्कालीन जर्मन सम्राट चार्ल्स पंचम तथा पोप से नाराज थे। अतः लूथर के धार्मिक विचारों से सहमत न होने पर भी सामन्तों ने लूथर का पक्ष लिया। 1520 में वार्म सभा (Diet of Worm) में लूथर को बुलाकर उसके तर्क सुने गये। सम्राट, पादरियों, बिशपों, राजकुमारों, सामन्तों तथा बुर्जुआ लोगों के समक्ष लूथर ने कहा कि वह अपने विचारों पर दृढ़ है तथा यदि मूल ईसाई ग्रन्थों सम्बन्धी उसके विचारों को समझने में भूल हुई हो तो वह उसे सुधारने को तैयार है। अन्त में उसने अपनी आत्मा तथा ईश्वर में श्रद्धा की घोषणा की और पश्चात्ताप प्रकट करने से इन्कार किया। किसान, बुर्जुआ तथा छोटे छोटे सामन्त लूथर की दृढ़ता से बड़े प्रभावित हुए। शीघ्र ही उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। हान्स शावक नामक लेखक ने लूथर को 'विटनबर्ग की बुलबुल'—जिसने ईसाई सत्य के गीत गाये—की संज्ञा दी।

इस सभा के बाद सक्सनी में लूथर को गिरफ्तार कर वार्टबुर्ग के किले में नजरबन्द कर दिया गया। वहां उसने बाईबिल का नवीन जर्मन भाषा में अनुवाद किया। इस कार्य से धार्मिक क्रान्ति का ही प्रसार नहीं हुआ वरन् आधुनिक जर्मन भाषा का विकास भी प्रारम्भ हुआ।

नाइट वर्ग द्वारा विद्रोह—1552 में नाइट्स लोगों ने विद्रोह किया जो अप्रत्यक्ष रूप से लूथर की शिक्षा का परिणाम था। कई नाइट्स (सरदारों) ने लूथर

के उपदेशों को स्वीकार किया। इनमें से एक फ्रांज फान सिकिंगन (1481–1523) ने राष्ट्र में बढ़ते असन्तोष से फायदा उठाना चाहा। नाइट्स लोग क्षेत्राधिपतियों से नाराज थे। अतः उन्होंने नवीन आधार पर राष्ट्र के संगठन के नाम पर विद्रोह किया। पर लूथर ने नाइट्स लोगों का समर्थन नहीं किया।

किसान विद्रोह —लूथर के क्रांतिकारी विचारों से प्रेरणा प्राप्त कर किसानों ने भी विद्रोह (1524–25) कर दिया। विद्रोह दक्षिण पश्चिम में प्रारम्भ हुआ। शीघ्र ही उन्होंने सामंतों के किले व महल लूटने व जलाने प्रारम्भ किये तथा एक बारह सूत्री सिद्धान्त सम्मुख रख कर अपना शोषण बन्द करने की मांग की। किसानों के विद्रोह और हिंसा के व्यापक रूप से लूथर घबरा गया। यद्यपि किसानों को आशा थी कि लूथर उनका समर्थन करेगा। लेकिन व्यापक हिंसा को देखते हुए उसने उनका भी विरोध किया। इस प्रकार नाइट्स तथा किसानों के विद्रोह में उसने क्षेत्राधिपतियों व राजकुमारों का साथ दिया। इसका लाभ भी हुआ। क्षेत्राधिपतियों व कई राजाओं ने प्रोटेस्टेंट मत को स्वीकार कर लिया।

कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय में संघर्ष

लूथर ने चर्च की सम्पत्ति को भी जनता व सार्वजनिक प्रयोग में लाने की वकालत की। कई राजा व नगर राज्य इस तर्क से आकर्षित हुए। क्योंकि यदि चर्च की सम्पदा राज्य या नगर के हाथ में आ जाय तो उससे राज्य की आमदनी बढ़ेगी। इस कारण भी कई सामन्तों, राजाओं और नगर पिताओं ने प्रोटेस्टेंट धर्म स्वीकार कर उसकी वकालत की। शीघ्र ही इन लोगों ने मिलकर एक प्रोटेस्टेंट संघ का निर्माण किया जिसका उद्देश्य जर्मन सम्राट, पोप तथा जर्मनी के कैथोलिक क्षेत्रों—जैसे बवेरिया का विरोध करना था। इस संघ का निर्माण (1526) में हुआ और उसकी स्थापना में सेक्सनी व हेसे राज्य के शासकों तथा दक्षिण जर्मनी के कुछ नगर राज्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जर्मनी में गृह युद्ध छिड़ने की आशंका हो गई। स्थिति पर नियन्त्रण करने के लिए 1526 में स्पायर नामक स्थान पर एक सभा का आयोजन किया गया ताकि प्रोटेस्टेंट राजाओं व अन्य क्षेत्राधिपतियों के बीच धार्मिक सह अस्तित्व कायम किया जा सके। लेकिन विशेष सफलता प्राप्त न हो सकी। लूथर तथा पोप दोनों इस धार्मिक सह अस्तित्व के सिद्धान्त के खिलाफ थे। 1540 में यह सह अस्तित्व असफल हो गया। क्योंकि लोग प्रोटेस्टेंट धर्म के बढ़ते प्रभाव से भयभीत हो उठे। स्वयं जर्मन सम्राट चार्ल्स ने तय किया कि वे प्रोटेस्टेंट शासकों को कुचल देंगे। इसी बीच उसे सफलता अवसर भी प्राप्त हो गया। 1545 में सेक्सनी के शासक फ्रेडरिक तथा हेस राज्य के शासक फिलिप ने ब्रन्सविक के कैथोलिक राज्य पर हमला कर उसे अपना प्रोटेस्टेंट बना लिया। जर्मन सम्राट ने इन दोनों प्रोटेस्टेंट राजाओं पर हमला कर दिया। दस वर्ष तक (1545–1555) तक युद्ध चला। प्रोटेस्टेंट पक्ष को पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय की लोकप्रियता में कमी नहीं आई। 1555 में

नाना सम्प्रदायों के मध्य ग्राग्सवुग की सधि हुई तथा यह स्वीकार किया कि यथा स्थिति बनी रहे याना जा राय प्रोटेस्टन्ट हैं वे वैसे रह नकिन व बल पूवक दूसरे राज्यों म हस्तक्षेप न कर साथ ही यह भी स्वीकार किया गया कि शासक ही अपने राज्य के धम का निश्चय करगा।

प्रति-धमसुधार

उधर कथोलिका न भी अनुभव किया कि यदि धम के क्षेत्र म उन्हान सुधार प्रारम्भ नहीं किया तो अधिकाधिक लोग प्रोटेस्टन्ट धम स्वीकार कर लगे। पोप पाल तृतीय (1534-49) न कथोलिक सुधार का सूत्रपात किया। साथ ही इग्नेशियस ग्राफ लोयाला न जीयस समाज (The Society of Jeaskus) की स्थापना कर कथोलिक सिद्धान्ता की पुनर्स्थापना का प्रयास किया। जीयस समाज ने मठा म पवित्रता ब्रह्मचय व सादगी क वातावरण का निमाण किया तथा चच की सम्पत्ति की रक्षा क लिए कदम उठाये तथा ईसा व पोप की निरन्तर सेवा करते हुए ईसाई धम क शत्रु क नाश सघष करन की प्रतिज्ञा की।

जमनी के मामलों पर विदेशी प्रभाव

इस युग म जमनी क इतिहास का निणायक तत्व था जमनी की राजनीति धम व सास्कृतिक जीवन पर विदेशी राज्यो का उत्तरोत्तर बढ़ता प्रभाव। जमनी के कुलीन वग न विदेशी वस्तुओं व सिद्धान्ता का अपनान का होड़ की। इसी क परिणाम स्वरूप जमनी का बाद म तीस वर्षीय युद्ध म भाग लन का बाध्य होना पड़ा जो मुख्यत जमनी की धरता पर ही लड़ा गया।

1555 क बाद अयोग्य जमन नेतृत्व इस युग की एक विशषता या कमी था जमनी म सुयोग्य सम्राटा का अभाव। सम्राट मक्समिलियन II (1564 1576) अत्यधिक अस्थिर व समझौतावादी स्वभाव का था तो रूडाल्फ द्वितीय (1576 1612) तथा फर्डीनेंड द्वितीय (161 -1637) अत्यधिक जिद्दी कठोर तथा राजनीतिक प्रभाव के प्रति ग्र ज थ।

तीस वर्षीय युद्ध (1618-1648)—1608 म जमनी क प्रोटेस्टेट राज्यों न एक प्रोटेस्टेन्ट लीग की स्थापना की तथा आवश्यकता तथा सकट म धम म एक दूसरे का प्रारम्भिक स्वतन्त्रता का मर रा का वचन दिया। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कथोलिक धम क अनुयायियो ने कथोलिक लीग का निमाण किया। इस प्रकार जमनी दा सशस्त्र गुटों म बट गया। प्रारम्भ म युद्ध विदेशी राज्यो के साथ साठ गाठ की इसी बीच बनावम क्षेत्र के कथोलिक ड्यूक की मृत्यु हो गई। उसका अधिकाश प्रजा प्रोटेस्टेन्ट धम की अनुयायी था। अत बनावम राज्य दो गुटों म बट गया उनम एक दल गुट था जो कथोलिक ड्यूक को चाहता था। उस गद्दी के क दावेदार उठ खड़ हुए। इनम प्रमुख वग का स्तकर जान सिगिस मुण्ड प्रोटेस्टेन्ट का काउन्ट पालेटाइन विलियम तथा सक्सनी का ड्यूक जान ■ डरिक प्रमुख ■। य तीनो प्रोटेस्टेन्ट थ। लकिन जमन सम्राट बनावम राज्य किसी कथोलिक क हाथ म रखना

क्राति के आदर्शों का स्वागत किया। जमनी के कवियो इतिहासकारो पत्रकारा प्राध्यापको ने पुस्तको लेखो व कविताओ के माध्यम से फ्रासिसी क्राति के सिद्धान्तो को लोकप्रिय बनाया। लेकिन जमनी के छोटे बडे शासक इससे घबरा उठे। 1799 में फ्रास में नपोलियन का उदय हुआ। उसकी सेना ने सारे यूरोप में तहलका मचा दिया तथा जमनी को रौंद डाला।

नपोलियन ने 1801 में आस्ट्रिया को पराजित किया जिसके फलस्वरूप आस्ट्रिया के सम्राट ने जमनी स्थित अपने साम्राज्य के पुनगठन की स्वीकृति दी। लेकिन जमन शासक आपस में झगडने लगे। उन्होने रूस तथा फ्रास से पचनिणय देने को कहा। फ्रास ने रविलनी तथा धार्मिक पुनगठन में 300 जमन राज्यो में कमी कर आधे से अधिक राज्य समाप्त कर दिए गए। 45 स्वतन्त्र नगर राज्य जो साम्राज्य के अन्तगत थे समाप्त कर दिए गए तथा सिफ छह नगर राज्यो हाम्बुग ब्रमन ल्यूबेक फ्रैंकफुट न्यूरेमबग तथा आग्सबुग का ही अस्तित्व बना रहा। 70 धार्मिक राज्यो में से—इनमें आर्कबिशप राज्य तथा बिशप राज्य आदि शामिल थे—सिफ मायन्ज के भूतपूव आर्कबिशप का राज्य रखा गया। उसे भी रेगेन्सबुग का क्षेत्र दिया गया। 112 अन्य नगर व क्षेत्रो को मिलाकर अन्य राज्यो में मिला दिया गया। ट्रायर व कोलोन क्षेत्र फ्रास ने लिए गये। 1803 में रेगेन्सबुग सभा में जमन साम्राज्य के इस पनगठन को स्वीकार किया। 1806 में राइन राज्यो का परिसंघ (Confederation of Rhine) बनाकर नपोलियन ने जमनी के पवित्र रोमन साम्राज्य का खात्मा कर दिया। फ्रैंकफुट व न्यूरेमबग नगर राज्य समाप्त कर दिए गये। इसी वष नपोलियन ने प्रशा राज्य को पराजित कर दिया। नेपोलियन ने अप्रत्यक्ष रूप से जमनी के एकीकरण व जनतन्त्रीकरण की दिशा में काय किया।

प्रशा में सुधार

1806 की पराजय के बाद प्रशा के शासक फ्रैडरिक विलियम III ने शासन सेना व अथव्यवस्था में सुधार की आवश्यकता का अनुभव किया तथा बरन फान स्टाइन को राज्य का मुख्य मन्त्री नियुक्त किया। 1807 में स्टाइन ने सुधार आदेश (Reform Edict) की घोषणा की। इसके अनुसार कुलीनो व गर कुलीनो के मध्य वग विभेद समाप्त कर समानता की स्थापना की गई। 1810 में स्टाइन ने कृषक दासो (Serf) को मुक्ति प्रदान की। इससे पूव 1808 में नगर पालिका प्रशासन में सुधार किए गये तथा नगरवासियो को अपनी नगर परिषद चुनने के अधिकार दिए गये। स्टाइन इगलड जसी सवधानिक व्यवस्था की स्थापना के पक्ष में था। स्टाइन के सुधारो से प्रशा को आधुनिक स्वरूप प्राप्त हुआ।

वियना काग्रेस व जमनी

1814 में नपोलियन की पराजय के पश्चात् विजेता राष्ट्र आस्ट्रिया प्रशा इगलड रूस तथा अन्य राज्य वियना में एकत्रित हुए। जमनी की जनता को आशा थी कि 1815 की वियना काग्रेस जमनी के एकीकरण का माग प्रशस्त करेगी किन्तु आस्ट्रिया का चान्सलर मटरनिख जमनी में जमन प्रदेश पर अपना प्रभाव

बनाये रखना चाहता था। वियना व्यवस्था द्वारा एक जर्मन परिसंघ का निर्माण किया गया जिसमें 35 राजतान्त्रिक राज्य तथा 4 नगर राज्य सदस्य बनाये गये। वियना व्यवस्था से जर्मन देशभक्त व एकता प्रेमियों की आशाएं पूरी नहीं हुई।

आर्थिक संघ या ज़ोलवेराईन (Zollverein)

इसी बीच आर्थिक क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण घटना घटी जो आगे चलकर जर्मनी के एकीकरण की ओर सुदृढ़ कदम साबित हुई। 1820 के बाद जर्मन राज्यों ने अनुभव किया कि हर राज्य में कई चुंगी चौकियों के कारण उनके व्यापार को भारी हानि होती है। अतः उन्होंने निर्णय लिया कि एक आर्थिक संघ या ज़ोलवेराईन द्वारा इस समस्या को हल किया जा सकता है। प्रशा की ज़ोलवेराईन में भारी दिलचस्पी थी क्योंकि उसका व्यापार काफी विशद था। 1828 में प्रशा तथा सात अन्य जर्मन राज्यों ने ज़ोलवेराईन की सदस्यता ग्रहण की। 1842 में सभी जर्मन राज्यों ने ज़ोलवेराईन की सदस्यता ग्रहण कर ली।

1848 की क्रांति

1815 से 1848 तक जर्मनी के बुद्धिजीवी व जनता देश के एकीकरण की दिशा में कार्य करते रहे। यद्यपि मार्ग सरल न था अनुदार निरंकुश सत्ता व राजनीतिक स्वतन्त्रता के समर्थक उदारवादियों के बीच निरन्तर संघर्ष चलता रहा जनता प्रतिनिधि सभा के निर्माण की मांग करती रही। कुछ जर्मन शासकों ने 1830 की क्रांति के बाद जनता को स्वतन्त्रता प्रदान की किन्तु आस्ट्रिया व अन्य शासकों ने उसका विरोध किया। 1832 में जर्मनी के पलेटीनेट क्षेत्र में स्थित हाम्बास नामक नगर में जर्मनी के बुद्धिजीवी विचारक नगर प्रतिनिधि व पत्रकार सम्मिलित हुए तथा हाम्बास मंच में एकत्रित जर्मन जनता को स्वतन्त्रता के लिए प्रेरित किया। स्वाबिया मैत्र के प्रसिद्ध कवि लुडविग उहलैण्ड ने घोषणा की जब तक जनतान्त्रिक के कुंभ से राजकुमार के माथे पर तिलक न लगाया जाय वह जर्मनी में राज्य नहीं करेगा।

1848 के प्रथम चार महीनों में क्रांति एवं महामारी की भांति समस्त यूरोप में फैलने लगी। शीघ्र ही क्रांति ने बर्लिन और वियना के द्वार खटखटाने प्रारम्भ कर दिये। सर्व प्रथम प्रशा के राइनलैण्ड साईलेसिया तथा पूर्वी प्रशा में विद्रोह की भावना फैली। 3 मार्च 1848 में कोलोन नगर में जनता की भीड़ ने नगर हॉल में प्रवेश कर नगरपालिका सदस्यों के सम्मुख छः मांगें प्रस्तुत की। इन मांगों में सत्ता विचार नागरिक स्वतन्त्रता जनप्रिय सेना (Popular Militia) के साथ-साथ श्रमिकों की सुरक्षा न्यूनतम जीवन यापन स्तर तथा सभी के लिए राज्य की ओर से शिक्षा की व्यवस्था की मांगें की गई एवं सप्ताह बाद प्रशा की राजधानी बर्लिन में मध्यम वर्ग व जनता ने राजनीतिक आमसभा का आयोजन किया तथा संयुक्त प्रतिनिधि सभा चुनाव तथा समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता की मांग की। इसके साथ ही निम्न वर्गीय लोगों ने भी अपनी मांग रखी। बर्लिन के 4000 मजदूरों ने राजा के

सामने अपना याचिका प्रस्तुत का तथा श्रमिकों की दशा म सुधार करने की प्रायना की।

13 माच को बलिन म भीड तथा पुलिस व सेना म मुठभेड हो गई। अगले चार दिन बलिन म बराबर प्रदशन हुए दिनादिन भीड की सख्या बढी। कुछ लोगो ने शासक फ्रेडरिक विलियम तृतीय के महल पर पत्थर भी फेंके। 18 माच को प्रदशनकारियो की भीड न उग्र रूप ले लिया। 19 माच को शासक ने अपने प्रिय बलिन वासियो के नाम एक पत्र लिखा। आगामी महीनो म राजा को बलिन छोड कर पाट्सडम जाना पडा। धीरे धीरे क्रान्तिकारियो का जोश ठण्डा पडने लगा। उधर वियना म भी विद्रोह को दबाने के समाचार मिले। इसस प्रेरणा पाकर प्रशा के शासक न भी क्रान्तिकारियो का दमन कर दिया। 1848 की क्राति ■ समस्त जमनी के एकीकरण तथा जनतन्त्र की स्थापना का सपना पूरा नहीं हुआ। लकिन राजा भी समझ गया कि समय के बदलते रुख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उसन ऊपरी तौर पर जनता का एक सविधान प्रदान किया और उस सविधान के अन्तगत जनवरी 1849 म चुनाव कराये गये।

फ्राकफुट राष्टीय सभा 1848

जब प्रशा म जनता विद्रोह कर रही थी उसी समय समस्त जमनी की जनता के प्रतिनिधि फ्राकफुट म एकत्रित हुए और उन्होंने समस्त जमनी के लिए एक सविधान तयार करने की दिशा म काय आरम्भ किया। 18 मई 1848 म फ्राकफुट नगर के सन्तपाल गिरजाघर म 830 चुने हुए प्रतिनिधियो न सविधान निमाण का काय किया। प्रतिनिधियो म अधिकाशत प्रोफेसर वकील व्यापारी डाक्टर पादरी सनिक अधिकारी तथा राज्यो की विधान सभाओ के सदस्य और पत्रकार तथा साहित्यकार लोग थ। यद्यपि उस समय कोई स्पष्ट एव सगठित राजनीतिक दल नहीं था फिर भी प्रतिनिधियो को विचारो व सिद्धान्तो की दृष्टि स निम्नलिखित भागो म बाटा जा सकता है। अनुदारवादी दक्षिणपथी जिसम दो वग थ एक वग म प्रशा के प्रतिनिधि थ तथा प्रशा के राजा को जमनी का सम्राट बनाकर वधानिक राजतन्त्र की स्थापना चाहते थे। इनका नेता राडोविटज तथा बटन ब्याग फान विक थ। दूसरा वग अन्य राज्यो का प्रतिनिधित्व करता था व प्रशा का नतृत्व स्वीकार करने को तयार न थे।

एक वग सविधानवादियों तथा जनतन्त्रवादियो का था। इसके प्रतिनिधियो म अत्यधिक विलक्षण प्रतिभावान लोग मौजूद थ। हानरिच फान गार्गेन कवि आण्ट इतिहासकार डाहलमान पत्रकार ब्याग गर्वीनस तथा जाकब ग्रिम इस वग म शामिल थ। य लोग सम्राट का पद ना या न ना इस विषय म एक मत नहीं थ। अन्तिम वग उग्र गणतन्त्रवादियो का था। इनका नेता कुशल भाषण कर्त्ता राबट ब्लम (1807–1848) था। य सम्राट के पद को किसी भी शत पर स्वीकार करने को तयार न थे। उनके आदश समाजवाद के निकट थ।

19 मई 1848 को फ्राकफुट स्थित जमन राष्ट्रीय सभा न हाइनरिच वान गार्गेन को अपना अध्यक्ष चुना। माच 1849 मे राष्ट्रीय सभा न प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम तृतीय को जमनी का नया सम्राट चुना और एक प्रतिनिधि मण्डल बर्लिन भेजा ताकि वह प्रशा क शासक स इसकी स्वीकृति ल। फ्रेडरिक विलियम तृतीय ने प्रतिनिधि मण्डल का उत्तर दिया। सज्जनो यह न भूलो कि जमनी म और भी राजा हैं और मैं उनम स एक हू। प्रशा के शासक ने अपने मित्रो स कहा मैं गटर म से उठाया हुआ लाल फीते (क्रान्ति) स युक्त मुकुट को कसे स्वीकार कर सकता हू। फ्राकफुट म बना भी मुकुट तयार होगा उसम क्रान्ति की बू आएगी।

इस प्रकार 1848 की क्रान्ति जो सफलता क निकट पहुँच चुकी थी असफल हो गई। यह जमन जनतन्त्र का दुर्भाग्य था कि उस समय प्रशा के शासक ने सम्राट पद को स्वीकार नही किया। लकिन 1848 की क्रान्ति अपना प्रभाव छोड बिना न रही। समस्त जमनी क शासको को किसी न किसी रूप म जनभावनाओ का आदर करते हुए जनता को अधिकार देने पड।

बिस्माक और जमनी का एकीकरण

प्रशा क शासक विलियम फ्रेडरिक ने गार्गेन स कहा था जो कोइ जमनी का शासन चाहता है तो उसे जमनी को जीतना चाहिए दूसर शब्दो म शक्ति और तलवार के माध्यम स ही सम्राट पद धारण किया जा सकता है। 1862 म बिस्माक प्रशा का चान्सलर बना। उसी वष उसन ससदीय समिति क समक्ष घोषणा की थी— महान् प्रश्नो का हल भाषणो व बहुमतो स नही होता—यह 1848 व 1849 की भूल थी—वरन् रक्त और लोहे से होता है इस भाषण का आशय यह नही कि जमन रक्त पिपासु थ वरन् बिस्माक एकीकरण की अपनी आगामी योजना म शक्ति क प्रयोग का औचित्य सम्मुख रखना चाहता था।

बिस्माक ने तीन चरणो म जमनी का एकीकरण सम्पन्न किया —

(1) डेनमाक स युद्ध

(2) आस्ट्रिया स युद्ध

(3) फ्रास स युद्ध

डेनमाक क राजा क पास दो जमन डचिया (राज्य) थी। उनक नाम थे श्लसविग तथा होलस्टाइन। डेनमाक का राजा इन डचियो को अपने राज्य म नही मिला सकता था तथा अलग स उन पर शासन करता था। होलस्टाइन नामक डची तो जमन परिसघ की सदस्य भी थी। 1863 म डेनमाक के राजा फ्रेडरिक सप्तम न डेनमाक क राष्ट्रवादियो क दबाव म आकर अपना ससद म यह बिल प्रस्तुत किया कि श्लेसविग तथा होल्सटाईन की डचियो म भी डेनमाक का सविधान लागू किया जाए। प्रशा तथा आस्ट्रिया न डेनमाक क इस कदम का विरोध किया। इसी बीच डेनमार्क क शासक की मृत्यु हो गई और क्रिश्चियन नवम गद्दी पर बठा। उसन श्लसविग ■■

अपने राज्य में मिलाना चाहा। इसी बीचप्रशा और आस्ट्रिया ने मिलकर डनमार्क के विरुद्ध कदम उठाने का निश्चय किया। जनवरी 1864 में दोनों राज्यों ने डनमार्क के शासक से मांग की कि वह डचियों को अपने राज्य में न मिलाये। क्रिश्चियन नवम ने उनकी मांग की ओर ध्यान नहीं दिया। फलत फरवरी 1864 को 37000 प्रशा तथा 23000 आस्ट्रियायी सैनिकों ने डनमार्क पर हमला कर दिया। 12 मई 1864 को युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अक्तूबर 1864 में वियना में संधि हुई जिसके अन्तर्गत श्लेसविग हाल्सटाइन तथा लाउनबर्ग का प्रदेश आस्ट्रिया व प्रशा को सौंप दिए गये। 1865 के अगस्त माह में आस्ट्रिया और प्रशा के बीच गेस्टाईन समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत प्रशा को श्लेसविग तथा आस्ट्रिया को हाल्सटाइन का प्रदेश प्राप्त हुआ। प्रशा को श्लेसविग में सेना भेजने के लिए हाल्सटाइन प्रदेश से गुजरने की अनुमति दी गई तथा हाल्सटाईन के कील बन्दरगाह का प्रशासन प्रशा को सौंपा गया। प्रशा ने आस्ट्रिया को 25 लाख डनिश सिक्के (धोलर) देकर लाउनबुर्ग का प्रदेश खरीद लिया। गेस्टाईन के इस समझौते में ही भावी आस्ट्रिया प्रशा युद्ध के बीज निहित थे।

आस्ट्रिया व प्रशा में संघर्ष

प्रशा आरम्भ से ही इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था कि आस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर निकाल देगा। अब उसने इतनी शक्ति अर्जित करली थी कि वह अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। लेकिन आस्ट्रिया से युद्ध आरम्भ करने से पूर्व यह आवश्यक था कि कोई विदेशी राष्ट्र उसकी मदद को न आये। रूस और प्रशा के सम्बन्ध अत्यन्त मधुर थे। बिस्मार्क को फ्रांस से ही खतरा था अतः उसे मनाना जरूरी था। अक्तूबर 1865 में बिस्मार्क बियारिटज में छुट्टी मनाने पहुंचा। वहीं उसने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय से जर्मन समस्या पर विचार विमर्श किया तथा यह पता लगाने का प्रयास किया कि यदि प्रशा व आस्ट्रिया में युद्ध छिड़ जाए तो क्या फ्रांस तटस्थ रहेगा। नेपोलियन का उत्तर था—यदि उसे जर्मनी के राईनलैण्ड प्रदेश का कुछ भाग मिले तो यह सम्भव है। यद्यपि बिस्मार्क ने इस विषय में कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया लेकिन उसने नेपोलियन को यह महसूस करा दिया कि ऐसा हो सकता है।

बिस्मार्क बहुत सावधानी बरतना चाहता था। अतः उसने इटली के सार्डिनिया राज्य के साथ भी संधि करनी चाही। अप्रैल 1866 में प्रशा व सार्डिनिया के बीच संधि हुई जिसके अन्तर्गत सार्डिनिया के शासक ने स्वीकार किया कि यदि तीन माह की अवधि के भीतर प्रशा व आस्ट्रिया के बीच युद्ध हो तो वह प्रशा का साथ देगा। उधर प्रशा ने सार्डिनिया को वेनेशिया देने का वादा किया। इस प्रकार बिस्मार्क ने युद्ध की तैयारियां पूरी कर लीं। इसी बीच आस्ट्रिया व प्रशा के बीच तनाव में वृद्धि हुई। आस्ट्रिया ने आगस्टनबुर्ग नामक राजकुमार की अध्यक्षता में श्लेसविग व हाल्सटाईन का एक संयुक्त राज्य बनाने का प्रयास किया तो बिस्मार्क ने वियना पर गेस्टाईन

रिगन वशीय राजकुमार लियोपोल्ड को भी गद्दी पर बठने को कहा गया। फ्रांस ने इसका विरोध किया क्योंकि प्रशा का राजवंश भी हान्जलोलन वंश से सम्बद्ध था और इससे उसकी शक्ति व प्रतिष्ठा में वद्धि होती। 2 जलाई को मंडिड में घोषणा की गई कि लियोपोल्ड ने सिंहासन स्वीकार कर लिया है। इस पर फ्रांस ने प्रशा के राजा विलियम प्रथम से मांग की कि वह लियोपोल्ड की उम्मीदवारी वापस ले। फ्रांसिसी राजदूत बेनदित्ती बाड एम्स नामक स्थान पर प्रशा के राजा से मिला। राजा ने अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए उसमें इंकार कर दिया परन्तु चुपचाप लियोपोल्ड से कहा कि वह ऐसा करे। लियोपोल्ड ने स्पेन के सिंहासन पद के प्रत्याशी के रूप में अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन नेपोलियन को डर था कि लियोपोल्ड अपना विचार बदल सकता है। अतः उसने अपने राजदूत को एक तार भेजा जिसमें लिखा कि प्रशा के सम्राट से मिलकर यह लिखित वचन लें कि भविष्य में होहेन ल्मोलन वंश का व्यक्ति स्पेन का उत्तराधिकारी न होगा। एम्स में फ्रांसिसी राजदूत ने प्रशा के राजा से भेट की तथा नेपोलियन की मांग सामने रखी। प्रशा के शासक ने गारंटी या वचन देने से इन्कार किया। यह तार बिस्मार्क के पास भेजा गया जिसने उसे इस प्रकार सम्पादित किया कि ऐसा प्रतीत हुआ कि फ्रांसिसी राजदूत ने जमन शासक का अपमान किया है तथा जमन शासक ने फ्रांसिसी दूत को बुरा भला कहा। एम्स के इस तार को समाचार पत्रों में छपवाया गया जिससे प्रशा की जनता को लगा कि उनके शासक का अपमान हुआ है तथा फ्रांस के लोगों ने उसे अपना राष्ट्रीय अपमान समझा। बिस्मार्क ने इस तार को ऐसे लाल कपड़े की संज्ञा दी जिसे देखकर फ्रांसिसी सांड भड़क उठा। दोनों देशों में युद्ध की मांग की गयी। 19 जुलाई 1870 को फ्रांस ने युद्ध की घोषणा कर दी। 10 दिन में प्रशा की सेना को 300000 से बढ़ा कर 9 लाख कर दिया गया। अन्य जमन राज्यों ने भी राष्ट्रीय संकट की घड़ी में अपना दायित्व निभाया। अगस्त में जमन सेना ने अल्सास व लारेन में प्रवेश किया। 1 सितम्बर को सेडान के मैदान में फ्रांस की भारी पराजय हुई। 2 सितम्बर को नेपोलियन ने अपने 40 सेनापतियों व 83000 सैनिकों सहित समर्पण कर दिया। सीडान की पराजय के बाद उत्तरी फ्रांस में जमन की सेना का प्रवेश सहज हो गया। 19 सितम्बर को जमन सेना का एक टुकड़ा पेरिस नगर के समीप जा पहुंचा। पेरिस को समर्पण की तैयारी करना पड़ा। 18 जनवरी 1871 में फ्रांस के वर्साय के महल में शीशमहल में विलियम प्रथम को जमनी का सम्राट घोषित किया गया। बिस्मार्क ने जमनी की जनता के राष्ट्रीय एकता के सपने को पूरा किया।

विलियम द्वितीय तथा प्रथम महायुद्ध

बिस्मार्क ने 1871 में जमनी के चांसलर का पद ग्रहण किया तथा 1871 से 1890 तक वह जमनी का भाग्य विधाता बना रहा। 1888 में विलियम द्वितीय जमनी का सम्राट बना। विलियम द्वितीय जमनी को विश्व की प्रमुख शक्ति बनाना

चाहता था । उसकी मान्यता थी जर्मनी का भविष्य लहरो पर निर्भर करता है अर्थात् वह समुद्री सेना की दृष्टि से जर्मनी को विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता था । वह जर्मनी के लिए उपनिवेश प्राप्त करना चाहता था । उसकी महत्वाकांक्षी नीति के कारण यूरोप म तनाव बना और अत म प्रथम महायुद्ध (1914–1919) हुआ । जिसमे जर्मनी व आस्ट्रिया एक ओर थे तथा इगलैंड फ्रास रूस व इटली दूसरी ओर । युद्ध म जर्मनी परास्त हुआ और इसके साथ ही जर्मनी में राजतन्त्र खत्म हो गया । 1919 म जर्मनी म जनतन्त्र की स्थापना हुई ।

हिटलर का उत्कर्ष और द्वितीय महायुद्ध

1920 मे जर्मनी म वाईमार गणराज्य की स्थापना हुई । वाईमार नगर मे सविधान का निर्माण हुआ । इसीलिए जर्मन गणराज्य को वाईमार गणराज्य कहते हैं । 1920 स 1933 तक वहा जनतान्त्रिक शासन रहा । बाद म हिटलर सत्ता म आया । उसने विश्व पर प्रभुत्व जमाने का सपना देखा और 1938 म आस्ट्रिया पर प्रभुत्व जमाया 1939 म चेकोस्लोवाकिया हडप लिया । 1939 म उसने पोलण्ड पर हमला किया और द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हो गया । 1945 म युद्ध समाप्त हुआ और उसके साथ ही जर्मनी की एकता भी समाप्त हो गई । मित्र राष्ट्रो–अमरिका रूस ब्रिटेन व फ्रास–न उसे चार भागो म विभाजित कर दिया तथा प्रत्यक राष्ट्र के पास उसका प्रशासन रहा । 1949 म आते आते जर्मनी मे दो राज्य बने पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी । आज भी जर्मनी एक विभाजित राष्ट्र है ।

□□□

2

जनतान्त्रिक परम्परा

यह एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि जर्मनी के बारे में उनके विरोधियों ने विशेषकर ब्रिटेन तथा अमरीका ने यह प्रचार किया कि जर्मन लोग युद्धप्रिय बर्बर जनतन्त्र विरोधी दूसरे राष्ट्रों को गुलाम बनाने वाले तथा निरंकुशता तथा तानाशाही के समर्थक हैं। दो महायुद्धों की छाया में आंग्ल अमरीकी लेखकों विद्वानों तथा प्राध्यापकों तथा पत्रकारों ने जर्मनी की निंदा की जो उनके राष्ट्रीय हित में थी लेकिन 1949 के बाद इन्हीं देशों ने पश्चिमी जर्मनी की तारीफ आरम्भ कर दी। साथ ही यह उल्लेखनीय है कि प्रथम महायुद्ध से पहले ब्रिटिश विद्वानों ने हमेशा जर्मन संस्थाओं की तारीफ के पुल बांधे तथा अमरीका ने तो जर्मन लोगों के चरित्र को अनुकरणीय माना। निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए राजनीति तथा इतिहास के छात्र को इस निंदा तथा तारीफ से दूर रह कर जर्मनी के इतिहास तथा राजनीति का अध्ययन करना होगा तभी वह सही निष्कर्ष पर पहुंच सकता है।

जर्मनी के इतिहास के गहन अध्ययन से एक निष्कर्ष निकलता है कि यूरोप के अन्य देशों की भांति जर्मनी में भी दो विचारधाराएं प्रवाहित रही हैं। एक राजतान्त्रिक सैनिक विचारधारा जो राज्य की समस्त शक्तियों को कुछ मुट्ठीभर लोगों के हाथ में रखना चाहती थी दूसरी उदारवादी जनतान्त्रिक विचारधारा जो जनता के अधिकारों की पक्षधर थी। यह जर्मनी का दुर्भाग्य था कि दूसरी विचारधारा को वहां सुदृढ़ रूप से पांव जमाने के कम अवसर प्राप्त हुए। इसका कारण जर्मनी का विभाजित होना तथा देर से राष्ट्रीय एकता प्राप्त करना था। इसके लिए जर्मनी से अधिक यूरोप के दूसरे देश और उनकी शक्ति की राजनीति जिम्मेदार थी। लेकिन इसके बावजूद जर्मनी के बुद्धिजीवियों उदारवादी विचारकों तथा राजनेताओं ने वहां जनतन्त्र की स्थापना के लिए सतत प्रयास किया।

सामान्यतया यह माना जाता है कि ब्रिटिश संसद संसदीय जनतन्त्र की जननी है लेकिन यदि संसदीय जनतन्त्र की इस जननी के उद्भव के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए तो उसका उत्तर हमें प्रसिद्ध फ्रांसीसी विचारक मान्टेस्क्यू से प्राप्त होता है। मान्टेस्क्यू के शब्दों में ब्रिटिश संसद का जन्म जर्मनी के ओक के वनों में हुआ। उन्नीसवीं सदी के ब्रिटेन के एक उदारवादी विचारक चार्ल्स जेम्स फॉक्स के अनुसार यूरोप में सिर्फ दो ही संविधान थे एक ब्रिटेन का दूसरा व्यूर्टमबुर्ग (जर्मन रियासत) का। उक्त दो विचारकों की इस मान्यता के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला

जा सकता है कि जर्मनी में प्रतिनिधि समाएं तथा संसदीय विचार किसी विदेशी भूमि से नही आया वरन् स्वयं जर्मनों ने जन सहयोग के आधार पर प्रजातांत्रिक प्रणाली संविधान निर्माण तथा मुक्त संस्थाओं के सृजन में रुचि प्रदर्शित की।

सर्व प्रथम रोमन इतिहासकार टेसीटस ने जर्मन लोगों का जनतांत्रिक प्रवृत्ति का संकेत दिया है जिसका उल्लेख प्रथम अध्याय में किया जा चुका है। मध्य-काल में इटली की भांति जर्मनी में भी नगर राज्यों का निर्माण हुआ जो अपने आंतरिक स्वशासन में पूर्णतया स्वतन्त्र थे। जर्मनी के सुप्रसिद्ध समाजवादी नेता स्वर्गीय फ्रिडरिक एबर्ट ने लिखा है — जर्मनी सम्मानजनक जनतांत्रिक परम्परा से रहित नहीं है। जर्मनी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित वुरटमबुर्ग राज्य में 7 नवम्बर 1457 में जो विधान सभा बुलाई गई उसे प्रथम विधान-सभा की संज्ञा दी जा सकती है।

साम्राज्य में जनतांत्रिक तत्त्व

नवीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक जर्मनी में सम्राट का शासन रहा जो स्वभावतः ही निरंकुश शासन होता है लेकिन जर्मन साम्राज्य की यह विशेषता रहा है कि यहाँ सम्राट का भी चुनाव होता था। यद्यपि अधिकांशतः सम्राट वंशानुगत ही होते थे। लेकिन उन्हें चुनाव मण्डल से अपना चुनाव करवाना आवश्यक था। यह चुनाव मण्डल चाहता तो अन्य व्यक्ति को राजा चुन सकता था। चुनाव मण्डल में कुछ स्थानीय राजा तथा धार्मिक वर्ग के आर्कबिशप आदि शामिल होते थे। विभिन्न समयों में चुनाव मण्डल के सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न होती थी। जब तेरहवीं शताब्दी में इंगलैंड के राजा ने अपने सामन्तों को मैग्नाकार्टा प्रदान किया उसके सिर्फ पांच वर्ष बाद होहेनस्टाउफन वंश के जर्मन सम्राट ने धार्मिक बिशपों को एक चार्टर प्रदान किया तथा उसके 12 वर्ष बाद अपने राजाओं सामंतों व कुलीन लोगों को भी चार्टर प्रदान किया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्राट अकेला शासन नहीं करता था वरन् सामन्तों धर्म-पुरुषों तथा कुलीन लोगों को भी अधिकार प्राप्त थे। उस निरंकुश युग में इतना कार्य भी काफी महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है।

नगर राज्यों में जनतन्त्र

यूरोप के जनतन्त्र के इतिहास में नगर राज्यों का प्रमुख स्थान है और इस सम्बन्ध में जर्मनी के नगर राज्यों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। जर्मनी के नगर राज्य नागरिक स्वतन्त्रता के सजग प्रहरी थे। मध्य काल में जर्मनी में 2000 से अधिक नगर राज्य स्थापित हुए। इनमें से कई नगर राज्यों ने जनतन्त्र के क्षेत्र में महान् प्रयोग किए। मध्य काल में यह धारणा प्रचलित थी कि नगर की वायु मनुष्य को स्वतन्त्र बनाता है। यहां नगर राज्य मध्यम वर्ग के उदय के कारण बने जिन्होंने नागरिक परम्पराओं संस्कृति तथा सभ्यता का निर्माण किया। जर्मनी के एक प्रमुख प्रवक्ता जो प्रकेट राय के अनुसार — स्ट्रासबुर्ग उल्म तथा आगुसबुर्ग नगर की नगर पालिकाओं के सदस्य साधारण कारीगर तथा अन्य लोग थे। ये नगर राज्य यूरोप के

नगर राज्यों में सबसे पहले नगर राज्यों में मध्य और पश्चिमी यूरोप के इतिहास में प्रथम समुदाय गणतन्त्र के प्रकार थे। उस समय इंग्लैण्ड या फ्रांस[1] में इस प्रकार की कोई जनतान्त्रिक संस्था नहीं थी।

स्ट्रासबुर्ग नगर राज्यों का वर्णन करते हुए वही लेखक आगे लिखता है — 'स्ट्रासबुर्ग नगरपालिका का प्रशासन जनता के हाथ में था और वास्तव में सर्वोच्च सम्प्रभु सत्ता गणतान्त्रिक थी। कोई राजा यहां दण्ड नहीं सुनाता था न उसे भंग कर सकता था। कोई भी पादरी या सामन्त कोई दमनकारी आज्ञा नहीं कर सकता था। नागरिक स्वयं अपना प्रशासन करते थे। फिशहान व उनमान नामक अंग्रेजी लेखकों की मान्यता है कि 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य कई क्षेत्रीय राज्यों के उदय से ही कई नगरों ने भारी महत्त्व प्राप्त किया तथा इससे भी कई नगर राज्यों का निर्माण हुआ। कई नगर राज्यों की सत्ता पूर्णतः जनतान्त्रिक थी और समस्त शक्ति नगर-सभाओं तथा बुर्गमास्टर (नगरपिता) के पास थी। अधिकांश नगर राज्य कुलीनतन्त्रीय-जनतन्त्र थे जहां पादरी, सामन्त तथा मध्यमवर्ग के लोग मिलकर नगर सभा का निर्माण करते थे। उदाहरणार्थ न्यूरमबर्ग में कुलीनतन्त्रीय जनतन्त्र था तो स्ट्रासबुर्ग में जनतान्त्रिक व्यवस्था। फ्रैंकफर्ट नगर में इन दोनों के बीच की व्यवस्था थी।[3]

इस प्रकार नगर राज्यों में प्रशासन मूलतः जनतन्त्र पर आधारित था। सभी नागरिक स्वतन्त्र थे और यदि किसी राज्य का कोई किसान (अर्ध-दास) भाग कर नगर में आ जाता तथा एक वर्ष और एक दिन रह लेता तो वह स्वतन्त्र हो जाता था और उसका भूतपूर्व मालिक उसे वापस ले जाने सम्बन्धी दावा पेश नहीं कर सकता था। ये नगर राज्य पूर्णतः स्वतन्त्र माने जाते थे जिन्हें जर्मन साम्राज्य की प्रतिनिधि-सभा (Diet) की सदस्यता प्राप्त होती थी। नगर का प्रशासन नगर-सभा या स्टाडरात के हाथों में होता था जिसका अध्यक्ष बुरगमास्टर या नगरपिता होता था। सभी निर्णय नगरपार्षदों या शम्हर्रन द्वारा लिए जाते थे। प्रशासन को समुचित रूप से संचालित करने के लिए सवैतनिक पदाधिकारी व क्लर्क नियुक्त किए जाते थे। नगर क्लर्क सारे रिकार्ड का ध्यान तथा नगर-सभा की कार्यवाही का लेखा-जोखा रखता था। नगर-सभा दीवानी तथा फौजदारी कानूनों का निर्माण तथा सेना तथा प्रतिरक्षा के संगठनों का निर्देशन करती थी।

ज्यों-ज्यों जर्मन सम्राट की शक्तियों का पतन हुआ त्यों-त्यों सामन्त तथा राजा लोग शक्तिशाली बने और उन्होंने कई नगर राज्यों को पराजित कर अपने राज्यों में मिला लिया। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कई नगर राज्यों ने अपना अस्तित्व

1 देखिए वाल्टर स्टेन्ज (सम्पादक) दी पॉलिटिक्स ऑफ पोस्टवार जर्मनी (न्यूयार्क 1963) में कर्ट हरेन्ड का लेख 'दी जर्मन सिटी' पृ 139।

2 वही पृ 139।

3 स्टीफन किंग्सले व रिचार्ड के रसमान जर्मन पार्लियामेंट्स (सन् 1954) पृ 36।

बनाये रखा इनमें फ्रांकफुर्ट, ब्रेमेन, ल्यूबेक हाम्बुर्ग आदि प्रमुख थे। आज भी पश्चिमी जर्मन संघ राज्य के दो सदस्य हाम्बुर्ग तथा ब्रेमन नगर राज्य हैं। ये नगर राज्य जर्मनी के जनतान्त्रिक आन्दोलन के प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उन्नीसवीं तथा बीसवीं शताब्दी की जर्मन नगरपालिकाओं के लिए ये नगर राज्य आदर्श रहे हैं।

जर्मन एस्टेट्स या क्षेत्रीय संसदें

नगर राज्यों की जनतान्त्रिक परम्परा को जर्मन एस्टटस ने आगे बढ़ाया। जर्मन सम्राट की शक्ति में कमी आने के कारण 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में नये क्षेत्रीय राज्यों (एस्टटस) को लघु संसदों या क्षेत्रीय संसदों की संज्ञा दी जा सकती है। सर्वप्रथम हमें एस्टेट्स शब्द का अर्थ समझना चाहिए। एस्टेटस पादरियों, सामन्तों व कुलीन वर्गीय लोगों तथा नागरिकों की एक प्रतिनिधि सभा थी जो एक राज्य विशेष या क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करती थी। एस्टटस जर्मन राजाओं के विरुद्ध जनता के अधिकारों की रक्षा करती थी। इनमें सुदृढ़ संसदीय एवं उदार परम्पराएं विकसित हुई। इन्होंने न केवल राजाओं के निरंकुश अधिकारों को नियन्त्रित किया वरन् प्रशासन तथा नागरिक स्वतन्त्रताओं का संचालन भी किया। राज्य के वित्त पर इनका नियन्त्रण होता था। यही कारण है कि राजा उनकी बात सुनने को बाध्य था।

जर्मनी की व्यूर्टेमबुर्ग-एस्टटस एक आदर्श एस्टेटस मानी जाती थी। इस एस्टेटस का संविधान तत्कालीन यूरोप का सबसे अधिक उदार संविधान था। इसी से प्रभावित होकर चार्ल्स जेम्स फोक्स ने कहा — यूरोप में केवल दो ही संविधान हैं एक ब्रिटेन का संविधान और दूसरा व्यूर्टमबुर्ग का। एफ. एल. कार्स्टन ने मत व्यक्त किया है कि निरंकुश राजतन्त्र के युग में इन क्षेत्रीय संसदों ने स्वतन्त्रता व संवैधानिक सरकार की भावना का प्रतिनिधित्व किया।[1]

ये एस्टेटस दैनिक कार्यों व साधारण मामलों में स्वयं कदम उठाते थे। यदि किसी महत्त्वपूर्ण मामले में एस्टेटस का काउण्ट या ड्यूक सलाह देने से इन्कार करता तो ऐसी स्थिति में वह कोई भी कदम उठा सकती थी। विदेशी मामलों में भी एस्टटस का भारी प्रभाव था। जब व्यूरटमबुर्ग के ड्यूक एबरहार्ड ने बवेरिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ना चाहा तो एस्टटस ने कहा कि पहले उन लोगों की (जनता की) सम्मति ली जाए जो अपने जीवन को खतरे में डालेंगे। 1514 में एस्टटस ने अपने ड्यूक के साथ समझौता किया जिससे एस्टटस को और अधिक अधिकार मिले। टयूबिंगन के इस समझौते का जर्मनी के संसदीय इतिहास में भारी महत्त्व है। यह तय किया गया कि सभी नियुक्तियों—चाहे वे प्रशासनिक हों या धार्मिक—में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। कोई भी महत्त्वपूर्ण युद्ध छेड़ने से पूर्व एस्टटस की स्वीकृति जरूरी है। व्यूरटमबुर्ग एस्टटस के टयूबिंगन समझौते को जर्मनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।

1 एफ. एल. कार्स्टन, प्रिंसेज एण्ड पार्लियामेंट इन जर्मनी (आक्सफोर्ड 1959) पृ. 444

फ्रांसिसी क्रांति और जर्मनी में जनतन्त्र की भावना

अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम दशक में फ्रांस में क्रान्तिकारी भावनाएं उमड़ी और फ्रांसीसी जनता या जनमत अछूता न रहा। फ्रांस की क्रांति जर्मन जनता भी स्वतन्त्रता समानता और बन्धुत्व के नारा से प्रभावित हुई लेकिन जनता अभी इतनी जागरित नहीं थी कि कुछ प्रभावशाली कदम उठा सकती।

1848 का जर्मन संविधान

1807 में प्रशा में बैरन फान स्टाइन ने सुधार प्रारम्भ किया जिनका उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है। 1848 की जर्मन क्रांति यद्यपि असफल रही लेकिन फ्रांकफुर्ट के सेंतपाल गिरजाघर में जर्मन प्रतिनिधियों ने जो संविधान बनाया वह जर्मन जनतन्त्र का एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है। वह संविधान भले लागू न हो सका लेकिन भावी जर्मन संविधान तथा 1920 के वाइमार संविधान में 1848 के संविधान के अनुच्छेदों को महत्त्वपूर्ण स्थान मिला। 1848 के अप्रभावी संविधान की विशेषताएं निम्नलिखित हैं—

संसद के दो सदनों की व्यवस्था की गई थी प्रतिनिधि सभा या लोकसभा को फोक हाउस के नाम से पुकारा गया। फोक हाउस में समस्त जर्मन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की व्यवस्था थी। राज्यसभा के रूप में स्टाटनहाउस की रचना की गई। इसकी सदस्य संख्या 192 रखी गई। इसमें से आधे राज्यों के प्रतिनिधि तथा आधे राज्य विधानसभाओं के प्रतिनिधि होते थे। स्टाटनहाउस का कार्यकाल 6 वर्ष नियत किया गया।

फोल्क हाउस (लोकसभा) का चुनाव सार्वभौमिक (Universal) समान तथा गुप्त मतदान प्रणाली से होना था। प्रति एक लाख जनसंख्या का एक प्रतिनिधि होना चाहिए था। 25 वर्ष की उम्र वाला प्रत्येक व्यक्ति वोट दे सकता था। फोल्क हाउस कि सी मामले प्रतिनिधि व अन्य व्यवस्था की स्थापना करेगा। यदि एक विधेयक तीन बार संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता तो सम्राट के अनुमति न देने पर भी वह कानून बन सकता था। जनता को कानून के समक्ष समानता व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता आत्मा की स्वतन्त्रता तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया।

प्रशा का संविधान 1850

यद्यपि जर्मन संविधान 1848 में लागू नहीं हुआ पर समय को देखकर दबकर जर्मन ड्यूक व राजाओं ने अपनी जनता को सीमित अधिकार प्रदान किये। 1850 में प्रशा में संवैधानिक राजतन्त्र का सूत्रपात हुआ। दो सदनों की व्यवस्था के संचालन के लिए दो सदनों की व्यवस्था की गई। उच्च सदन या राज्य सभा में सामन्त नगर विश्वविद्यालयों उद्योगों तथा मध्य वर्ग के प्रतिनिधि शामिल होते थे। प्रतिनिधि सभा का चुनाव तीन श्रेणियों द्वारा किया जाता था ये श्रेणियां थीं सम्पत्तिशाली लोग

म-य वग तथा निधन वग । तीना वर्गों के क्रमश 1/3 सदस्य चुन जात थ । ससद क दाना सदन राजा के साथ विधि निमाण का काय करते थ । वजट निर्माण म भी दाना सदना की स्वीकृति जरूरी थी । वजट पारण सम्बन्धी समस्या को लेकर राजा तथा प्रतिनिधि सभा म अक्सर मतभेद हाना था । 1860 के आसपास जब प्रशा क राजा न अपनी सेना म वद्धि के लिए अधिक वजट की माग की तो प्रतिनिधि सभा ने उसका विरोध किया । यह उल्लेखनीय है कि 1858 म प्रशा म प्रतिनिधि सभा क चुनावा म 210 उदारवादी तथा 59 अनुदारवादी लोग जीत जबकि पिछली प्रतिनिधि सभा म अनुदारवादियों की सख्या 236 था ।

1871 का सविधान

1862 म विस्मार्क प्रशा का चान्सलर (प्रधान मन्त्री) बना 1866 म आस्ट्रिया को पराजित करने क बाद उसने उत्तर जमन परिसघ का निमाण किया जिसके लिए सविधान तयार किया गया । यही सविधान 1871 के सविधान का आधार बना । 1871 म जमनी के एकीकरण के पश्चात् नवीन सविधान लागू हुआ । 1871 के सविधान के अन्तगत ससद क दा सदना की व्यवस्था की गई । राज्य सभा को बुन्देसराट क नाम स पुकारा गया तथा लोकसभा को राइशटाग कहा गया ।

इस सविधान म सम्राट का पद वशानुगत रखा गया । उसके अधिकार व्यापक थ । वह चान्सलर की नियुक्ति करता तथा चान्सलर सम्राट क प्रति उत्तरदायी था । बुन्देसराट म जमन सघ क सदस्य राज्यो के प्रतिनिधि थ । य प्रतिनिधि अपनी राज्य सरकारा के निर्देशा क अनुसार मतदान करते थ । बुन्देसराट को न सिफ प्रशासनिक व विधायी अधिकार प्राप्त थ वरन सलाह सम्बन्धी न्यायिक तथा राजनयिक (Diplomatic) अधिकार भी प्राप्त थ । राइशटाग की तुलना म बुन्देसराट को अधिक अधिकार प्राप्त थ ।

1871 क जमन सविधान क 7 व अनुच्छेद के अनुसार—बुन्देसराट—

(1) राइशटाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावो व निणयो

(2) सामान्य प्रशासनिक कदम उठाने तथा

(3) साम्राज्य क कानूनो क पालन म रही कमियो का दूर करन क सम्बन्ध में निणय लेगी

अनुच्छेद 8 क अनुसार बुन्देसराट को (1) स्थल सेना (2) जल सेना (3) सीमा शुल्क व कर (4) व्यापार व परिवहन (5) रेल माग डाक व तारघर (6) न्याय सम्बन्धी तथा (7) लेखा जोखा क बारे म समितिया नियुक्त करने का अधिकार था ।

अनुच्छेद 9 क अन्तगत यह व्यवस्था की गई थी कि बुन्देसराट क प्रत्येक सदस्य का अधिकार है कि वह राइशटाग की बठक म भाग ल सक हर समय उसकी बात सुनी जानी चाहिए ताकि वह अपन राज्य क विचारो का प्रतिनिधित्व कर सक ।

अनुच्छेद 10 म बुन्देसराट क सदस्यो को सुरक्षा की व्यवस्था का उल्लेख किया गया ह । यह कहा गया कि सम्राट का यह दायित्व होगा कि वह बुन्देसराट

के सम्पत्ति का साधारण राजनयिक सुरक्षा प्रदान करे। राईखस्टाग के बारे में 1871 के जर्मन संविधान में निम्नलिखित व्यवस्थाएं थीं। अनुच्छेद 20 के अनुसार जर्मन राईखस्टाग का चुनाव समस्त वालिग मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों द्वारा समान रूप से गुप्त मतदान द्वारा होगा।

अनुच्छेद 21 में यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी सरकारी नौकर को राईखस्टाग में जाने के लिए सरकारी छुट्टी नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 22 में यह व्यवस्था की कि राईखस्टाग की बहसें सार्वजनिक होंगी। अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत राईखस्टाग को यह अधिकार दिया गया कि वह जनता द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं को बुन्देसराट व चान्सलर के पास भेज सकता है। अनुच्छेद 25 में राईखस्टाग के कार्यकाल का उल्लेख किया गया। तदनुसार यह कार्यकाल 5 वर्ष का था। राईखस्टाग को भंग करने के लिए बुन्देसराट की अनुमति जरूरी थी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1871 के प्रारम्भिक दिनों में मताधिकार योरप में जहां तक सीमित था उस समय जर्मन साम्राज्य में समस्त वालिग जनता को मताधिकार प्राप्त था।

वाईमार संविधान 1919

प्रथम महायुद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद सम्राट ने पद त्याग कर हालैण्ड में शरण ली तथा जर्मनी में जनतन्त्र की घोषणा हुई। वाईमार नगर में नवीन संविधान तैयार हुआ तथा 1919 में उसे लागू किया गया। इस संविधान में 1848 के संविधान को काफी महत्व दिया गया। वाईमार संविधान तत्कालीन विश्व का श्रेष्ठतम संविधान माना जा सकता है। इसके बावजूद यह असफल रहा तथा 1933 में हिटलर ने सत्ता में आने के बाद इसे उठाकर ताक में रख दिया।

वाईमार संविधान को मसविदा एक प्रथम नामक व्यक्ति ने तैयार किया था। इस इस संविधान का जनक कहा जा सकता है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में घोषणा की गई कि जर्मन साम्राज्य एक गणतन्त्र है जहां सर्वोच्च सत्ता जनता में प्राप्त होती है। वाईमार संविधान ने तीन प्रमुख संस्थाओं की व्यवस्था की। (1) राईखस्टाग (जनसभा) (2) राईखराट (राज्य सभा) तथा (3) राईखविर्टशाफ्टराट (आर्थिक सभा)। तीसरी संस्था तो लगभग निष्क्रिय ही रही।

राईखस्टाग के अधिकारों और शक्तियों का विवरण संविधान के 20 से 40 तक के अनुच्छेदों में प्राप्त होता है। यह सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जर्मन जनता की प्रतिनिधि सभा थी। राईखस्टाग का कार्यकाल 4 वर्ष था। इसे असीमित विधायी अधिकार प्राप्त थे। साथ ही वह जांच समिति की नियुक्ति कर सकती थी। यद्यपि जर्मन राष्ट्रपति राईखस्टाग को भंग कर सकता था लेकिन 60 दिन के भीतर नवीन राईखस्टाग का चुनाव कराना जरूरी था। राईखस्टाग के सदस्यों को बड़ी उन्मुक्तियां प्राप्त थीं तथा उन्हें गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। 1871 के संविधान की तुलना में 1919 की राईखस्टाग को भारी महत्व दिया गया। वह सही अर्थ में सर्वसत्ता सम्पन्न प्रतिनिधि सभा थी।

राइशरात (राज्य सभा) भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं थी। अनुच्छेद 60 से 67 तक उसके अधिकारों का वर्णन किया गया था। सामान्यतया प्रत्येक कानून के लिए इसकी स्वीकृति जरूरी थी लेकिन राइशटाग उसकी आपत्तियों की अवहेलना कर सकती थी। राइशरात की अनुमति के बिना संविधान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता था।

वाइमार संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति के पद की भी व्यवस्था थी। उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होना था। उस संविधान के 48 वें अनुच्छेद द्वारा व्यापक संकटकालीन अधिकार दिये गये।

वाईमार गणतन्त्र की असफलता के कारण

वाईमार संविधान एक आदर्श संविधान कहा जा सकता है। लेकिन रॉबर्ट नी नायमान के शब्दों में एक सरकार की शक्ति मुख्यतः उसके संविधान के मूल पाठ (Text) तथा व्यवस्थाओं पर आधारित नहीं होती अपितु राजनीतिक दलों के उत्तरदायी व्यवहार पर ही राजनीतिक स्थायित्व निर्भर करता है।[1] अपनी आदर्श व्यवस्थाओं के बावजूद वाईमार संविधान 15 वर्षों में ही मृत दस्तावेज मात्र रह गया। 1939 में तो उसे उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। वाईमार संविधान की असफलता के लिए संविधान तो उत्तरदायी था ही साथ ही जनतन्त्र विरोधी शक्तियाँ, विश्व आर्थिक संकट, जर्मनी में व्याप्त बेरोजगारी, यहूदी विरोधी भावना, पूँजीपतियों व धर्म प्राण जनता में साम्यवाद का भय, हिटलर का व्यक्तित्व आदि कई कारण मुख्यतः जिम्मेदार थे। उसकी असफलता के ब्यौरेवार निम्नलिखित कारण हैं।

कुख्यात 48 वीं धारा

यदि जर्मन संविधान में ही उसकी असफलता का कारण ढूँढना है तो संविधान के 47 वें अनुच्छेद को इसके विनाश के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। निस्सन्देह वाईमार संविधान एक प्रगतिशील दस्तावेज था लेकिन 48वीं धारा जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति को व्यापक संकटकालीन अधिकार दिए गए थे जिनके बराबर दुरुपयोग के अन्तर्गत राष्ट्रपति राईशटाग को भंग कर नए चुनाव के आदेश दे सकता था, संकटकाल की घोषणा कर मूल अधिकारों को स्थगित कर सकता था। राष्ट्रपति वर्ग ने बार बार इस धारा का प्रयोग कर जर्मन जनतन्त्र की नींव पर प्रहार किया। बाद में हिटलर ने इसी अनुच्छेद का सहारा लेकर समस्त शक्तियाँ अपने हाथ में केन्द्रित कर ली।

राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव

वाईमार संविधान के निर्माताओं ने संविधान को अधिक जनतान्त्रिक बनाने के लिए न केवल एक प्रतिनिधि सभा जिसे राईशटाग के नाम से सम्बोधित किया जाता है की व्यवस्था की वरन उन्होंने राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव की भी व्यवस्था की। इस प्रकार जर्मन संसदीय प्रणाली न तो अमरिका की भांति पूरी तरह अध्यक्षात्मक

1 रॉबर्ट जी नोयमान गवर्नमेंट आफ फेडरल रिपब्लिक (न्यूयार्क 1966)

व्यवस्था बन सकी न ही इंग्लैण्ड या भारत की भांति मन्त्रिमण्डलात्मक व्यवस्था। अपने प्रत्यक्ष चुनाव व लोकप्रिय समर्थन के कारण राष्ट्रपति भी राष्ट्र का सच्चा प्रतिनिधि होने का दावा कर सकता था। उधर संविधान ने चान्सलर (प्रधान मंत्री) को भी काफी महत्त्वपूर्ण अधिकार दे रखे थे अत वह भी जनता का सच्चा प्रतिनिधि होने का दावा कर सकता था। दोनों में मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग कर सकता था।

जनतन्त्र विरोधी शक्तियां

संविधान की हत्या का मुख्य दोष जनतन्त्र विरोधी राजनीतिक दलों पर रखा जा सकता है। अनुदार पंथी कट्टर राष्ट्रवादी राजनीतिक दल नात्सी दल तथा साम्यवादी दल वाईमार व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने पर उतारू थे। साम्यवादी दल वाईमार गणतन्त्र के स्थान पर क्रांति के मार्ग से साम्यवादी व्यवस्था थोपना चाहता था। राष्ट्रवादी तत्व वाइमार-गणतन्त्र को पराजय का प्रतीक मानते थे उसे जर्मनी के माथे पर कलंक का टीका समझते थे और उसे समाप्त करना ही उनका परम उद्देश्य था। नात्सीदल तानाशाही का समर्थक था। वह उद्देश्य तभी पूरा हो सकता था जब गणतन्त्र समाप्त हो जाए। नात्सी नेता गोयबल्स ने तो 1928 में यहां तक लिखा: हम राइखस्टाग में इसलिए प्रवेश कर रहे हैं ताकि हम जनतन्त्र के शस्त्रागार से अपने आपको शस्त्रों से सुसज्जित कर सकें। हम राइखस्टाग के डेपुटी (प्रतिनिधि) इसलिए बनेंगे ताकि हम वाइमार की भावना को नष्ट कर सकें। यदि जनतन्त्र इतना घोर मूर्ख है कि वह हमें मुफ्त भोजन तथा रेल टिकट प्रदान करता है ताकि हम उसकी वैसी सेवा कर सकें तो यह उसका अपना मामला है। हम शत्रु की भांति प्रवेश करते हैं ताकि भेड़ों को खत्म कर सकें।

आनुपातिक चुनाव प्रणाली तथा बहुदलीय प्रथा

आनुपातिक चुनाव प्रणाली यद्यपि अंकगणना शास्त्र की दृष्टि से एक न्याय पूर्ण व आदर्श व्यवस्था है लेकिन सहज ज्ञान की दृष्टि से यह खतरनाक हो सकती है। यही प्रणाली जर्मन स्वतन्त्र के लिए मृत्यु का सन्देश बन गई। आनुपातिक चुनाव प्रणाली के उपयोग से राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि होती है और अधिक दल होने पर जनतन्त्र में अस्थिरता व कमजोरी आती है। एक समय वाईमार गणतन्त्र में 36 राजनीतिक दल थे। ये अपने दलगत स्वार्थों की अधिक तथा राष्ट्र की चिन्ता कम रखते थे। आनुपातिक प्रणाली के कारण राइखस्टाग में अनेक दल हो गये तथा सरकार के निर्माण में कठिनाइयाँ उपस्थित हुईं। क्रमशः मिले जुले मन्त्रिमण्डल बनते थे। शीघ्र ही वे टूट भी जाते। चान्सलर में अविश्वास व्यक्त करने के लिए तो विभिन्न राजनीतिक दल झट तैयार हो जाते लेकिन नए चान्सलर के चुनाव के समय

कठिनाई आती क्योंकि प्रत्येक महत्त्वपूर्ण दल अपने दल का चान्सलर चाहता था। इसस सरकार म अस्थायित्व आया प्रशासन कमजोर हुआ और जनकल्याण क कार्यों का ठस लगी।

विश्व आर्थिक सकट

यदि 1929–30 म विश्वव्यापी आर्थिक सकट उपस्थित न होता तो सम्भवत जमन जनतन्त्र दीघकाल तक चल सकता था। प्रथम महायुद्ध क कारण जमनी म प ल ही बकारी भुखमरी तथा आर्थिक सकट विद्यमान था और 1979 म जब अमरीका की वालस्टीट म आर्थिक धमाका हुआ तो जनतन्त्र क बचन की रहा सही उम्मीद भी जाती रही। जब अमरिका म डालर के मूल्य म गिरावट आई तो उसम समस्त विश्व और विशेषत यूरोप की अथव्यवस्था प्रभावित हुई। आर्थिक सकट क कारण विश्वव्यापी मन्दी आया। जमनी का विदेश व्यापार उजड गया और आन्तरिक अथव्यवस्था भी इस भारी धक्क का सहन न कर सकी।

जमन सेना द्वारा जनतन्त्र का विरोध

1871 के बाद स ही जमनी म सेना का अत्यधिक महत्त्व तथा प्रभाव था। स्वय बिस्मार्क इनस चिन्ता था और व्यग्य स उन्ह अघ दवता कहता था। सनिक अधिकारियो म अधिकाशत कुलीन सामत व जमीदार थ। जनतन्त्र की स्थापना स उनक विशेषाधिकारो पर कुठाराघात का सम्भावना थी अत जनतन्त्र का व नापसन्द करत थ। सना का जमन राजनीति पर प्रभाव इस बात स स्पष्ट हो जाता है जमनी म 1920 स 1928 तक कई मन्त्रिमण्डल बदले लकिन सना (प्रतिरक्षा) मन्त्री डा गजलर ही बना रहा। जब उस हटान का सवाल आया तो सना म उसके विश्वसनीय व्यक्ति जनरल ग्रानर का उस पद पर ला बिठाया गया। सनिक अधिकारी प्रथम महायुद्ध का पराजय का बदला लना चाहत थ।

हिटलर द्वारा जनतन्त्र की हत्या

1933 म हिटलर सत्ता म आया। यद्यपि उसन सवधानिक तरीका स चान्सलर का पद प्राप्त किया लकिन शीघ्र ही उसने जनतन्त्र की हत्या कर दी। उसन सभी विरोधी दलो पर प्रतिबन्ध लगा दिया तथा उसका नात्सी दल (नशनल साशलिस्ट लबर पार्टी आफ जमनी) ही एक मात्र कानूनी दल रहा। अपनी समस्त निरकुश शक्तिया तथा सत्ता क दुरुपयोग गर कानूनी गिरफ्तारियाँ नजरबन्दी तथा पीडा क बावजूद वह जमन जनता का मन नही जीत सका उसे मजबूरन उसका आज्ञा का पालन करना पडा। विरोधी राजनीतिक दलो पर प्रतिबन्ध लगान क बावजूद कई जमन लोगो न हिटलर का विरोध किया कई विरोधी-समूहो का जन्म हुआ। श्रमिको बुद्धिजीवियो पादरियो विद्यार्थियों तथा जमन समाज क सभी वर्गों क लोगो न गुप्त रूप स हिटलर का प्रतिरोध जारी रखा। हिटलर विरोधी आन्दोलन

प्रारम्भ हुए। इससे पूव भी कई समूह थ जिनके राजनीतिक धार्मिक व सामाजिक उद्देश्य थे लेकिन य समूह राजनीतिक दलो की वतमान परिभाषा क अन्तगत नही आते थ। क्योकि राजनीतिक दलो क लिए आधारभूत सिद्धान्तो की एकता सगठित रूप स वधानिक उपायो का प्रयोग तथा राष्ट्रीय हितो की वद्धि आवश्यक तत्त्व है। 1870 स पूव जमनी एक राष्ट्र ही नही था अत राष्ट्रीय हितो की वद्धि का प्रश्न ही नही उठता था।

जमन राजनीतिक दलो के उद्भव व विकास का ज्ञान प्राप्त करन स पूव यह जानना जरूरी है कि राजनीतिक दल मूलत कितने प्रकार क होते हैं। सामान्यतया राजनीतिक दलो को चार भागो म विभाजित किया जा सकता है —

(1) उदारवादी दल —य वे दल हैं जो समय और परिस्थितियो क अनुकूल हो। पूव के सवधानिक उपायो का सहारा लेत हुए शासन-व्यवस्था म परिवतन चाहते हो।

(2) अनुदारवादी वे दल है जो यथास्थिति (Status quo) के पोषक हैं तथा प्राचीन व्यवस्था को बनाये रखना चाहते हैं।

(3) उग्रवादी राजनीतिक दलो के अतगत व दल आते हैं जो क्रान्तिकारी परिवतनो की वकालत करते हैं तथा नई व्यवस्था कायम करन क लिए वतमान व्यवस्था को हिंसक क्रान्ति द्वारा बदलन क लिए भी तयार है।

(4) प्रतिक्रियावादी दल की परिधि म व राजनीतिक दल शामिल हैं जो अतीतोन्मुखी है। व भूतकाल को ही स्वण-युग मानते है तथा प्राचीन सभ्यता संस्कृति आचार विचार और परम्पराओ की पुनस्थापना करना चाहते हैं। यहा यह ध्यान देन योग्य है कि आधुनिक राजनीतिक दलो म स अधिकाश दलो पर उपरिलिखित वर्गीकरण पूरी तरह सही नहा उतरता। हो सकता है कि एक दल अनुदारवादी राजनीतिक दल होने के साथ ही साथ कुछ मामलो म उदार हो और कुछ मामलो में प्रतिक्रियावादी। इसी प्रकार अपने आपको उदार कहने वाला राजनीतिक दल कुछ प्रश्नो पर उग्रवादी भी हो सकता है।

जमनी क राजनीतिक दलो को भी उदारवादी अनुदारवादी तथा उग्रवादी राजनीतिक दलो की श्रेणी म रखा जा सकता है। सव प्रथम हम 1848 की क्रान्ति क समय सन्त पाल गिरजाघर म एकत्रित जमन प्रतिनिधियो म असगठित राजनीतिक समूहो क दशन होते हैं। वहा एकत्रित प्रतिनिधियो म कुछ लोग अनुदारवादी थ कुछ उदारवादी तथा कुछ उग्रवादी। इनका वणन पिछले अध्याय म किया जा चुका है। 1850 की प्रशा की प्रतिनिधि-सभा म भी हम उदारवादी प्रारम्भिक राजनीतिक दलो का आभास या सकत मिलता है लेकिन सुस्पष्ट रूप म राजनीतिक दल 1861 क बाद ही उभरे थ। 1863 म प्रशा क चुनाव म निम्नलिखित दल उभर कर आये।

राजनीतिक दल का नाम	प्राप्त मतों की संख्या
उदारवादी (प्रगतिशील दल)	536 000
अनुदारवादी	336 000
पोल (Poles)	132 000
कैथोलिक दल	23 000
अन्य दल	72 000

जर्मनी में व्यापक रूप से संगठित राजनीतिक दलों के सर्वप्रथम दर्शन हमें 1871 के संविधान के बाद होते हैं। 1871 में राष्ट्रीय स्तर पर 6 विशाल राजनीतिक दल तथा लगभग 13 छोटे दल थे। स्थानीय चुनावों में दर्जनों दल भाग लेते थे। 6 प्रमुख दलों के नाम इस प्रकार हैं —

(1) अनुदारवादी
(2) स्वतन्त्र अनुदारवादी
(3) राष्ट्रीय उदारवादी
(4) सेंटर (मध्यवर्ती) दल
(5) प्रगतिशील उदारवादी
(6) सोशल डमोक्रेट (समाजवादी)

1871 से 1918 के मध्य राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में निम्नलिखित तालिका बहुत उपयोगी सिद्ध होगी—

जर्मन राइशटाग 1871–1918

राजनीतिक दल	प्रतिनिधियों की संख्या			
	1871	1893	1907	1912
(1) अनुदार दल	90	100	109	68
(2) उदार राज्य पार्टी	30	—	—	—
(3) राष्ट्रीय दल	119	53	56	44
(4) वाम पंथी—उदारवादी दल (अ) उदारवादी दल (ब) उदार जनता-दल (स) दक्षिण जर्मन जनता दल (द) उदार संघ (ई) प्रगतिशील जनता-दल	47	48 (सभी दलों को मिलाकर)	50	42

(5) सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी	1	44	50	42
(6) सेन्टर पार्टी	58	96	105	93
(7) सुधारक दल	—	16	—	—
(8) स्वतन्त्र निर्दलीय	15	5	3	7
(9) पोल लोगों का दल	14	19	20	18
(10) वोल्फन लोगों का दल	7	7	2	9
(11) अल्सास लॉरेन दल	—	8	8	9
(12) डन लोगों का दल	1	1	1	1

उदारवादी दलों का विकास

1859 में जर्मन राष्ट्रीय संघ नामक एक उदार संगठन बना तथा इसी उदार संघ ने 1861 में प्रशा की विधान-सभा (लेण्डटाग) में जर्मन प्रगतिशील दल के रूप में स्थान ग्रहण किया। लेकिन जर्मनी के उदारवादियों में भारी मतभेद था। 1867 में रुडोल्फ फान बनिगसेन के नेतृत्व में एक अन्य राजनीतिक दल का निर्माण हुआ जिसे राष्ट्रीय उदारवादी दल के नाम से जाना जाता है। 1884 में राष्ट्रीय उदारवादी दल का पुनर्गठन किया गया। अब यह दल राष्ट्रीय अधिक तथा उदारवादी कम रह गया था। इससे असन्तुष्ट होकर उदारवादियों के एक वर्ग ने यूजन रिक्टर के नेतृत्व में अन्य उदारवादी दल (फ्राईसिनिग पार्टी) का निर्माण किया। 1871 से 1918 के बीच उदारवादी दल अधिकाधिक विभक्त होता गया और वह सात राजनीतिक दलों में बंट गया। दो दलों का झुकाव दक्षिण पंथ तथा पाँच का दक्षिण वामपंथ की ओर था। इनका विवरण ऊपर दी गई तालिका में है। विभाजन के कारण उसकी शक्ति कमजोर होती गई।

प्रथम महायुद्ध (1914-1918) के बाद जर्मनी में गणतन्त्र की स्थापना हुई तो उदारवादियों ने विचार किया कि यदि वे संगठित नहीं होंगे तो उनका पतन निश्चित है। लेकिन अभी भी विभिन्न वर्गों में मतभेद थे। यही कारण है कि 1919 से 1933 तक दो उदार राजनीतिक दल जर्मनी में मौजूद रहे —

(1) जर्मन जनतान्त्रिक दल (German Democretic Party)

(2) जर्मन जनता दल [German Peoples Party]

इनमें से प्रथम दल प्रगतिशील नीतियों का हामी था और उसका झुकाव कुछ सीमा तक वामपंथी था। जर्मन जनतान्त्रिक दल के प्रमुख नेताओं के नाम इस प्रकार हैं—फ्रीडरिच नोयमान ह्यूगो प्रयस वाल्टर राथनाउ तथा कानराड हाउसमान।

दूसरा उदारवादी दल था जमन जनता दल इसका नेता गुस्ताफ स्ट्रासमान था। दोनों दलों को जमनी की राइशटाग म निम्नलिखित स्थान प्राप्त थे।

राइशटाग 1919–1933

वष	जमन जनता दल	जमन जनतान्त्रिक दल
1919	22	74
1920	62	45
1224	44	28
1924	51	32
1928	45	25
1930	30	14
1232	7	4
1932	11	2
1933	2	5

उक्त तालिका से स्पष्ट संकेत मिलता है कि यदि दोनों दल संयुक्त रूप से चुनाव लड़ते तो वे एक सशक्त दल के रूप म उभर कर सामने आ सकते थे। 1934 म हिटलर ने विरोधी दलों पर प्रतिबन्ध लगा दिया था।

समाजवादी दल

जमन समाजवादी दल सोशल डमोक्रेटिक पार्टी के नाम से विख्यात है। यह दल यूरोप के प्राचीनतम समाजवादी दलों म से एक है। इसकी स्थापना 1863 म हुई। उस समय इसका नाम समग्र जमन श्रमिक संघ था। इसकी स्थापना फर्डिनेण्ड लासाल (1825–1864) नामक व्यक्ति ने की। ब्रिटेन के प्रसिद्ध दार्शनिक बर्टेण्ड रसल के अनुसार फर्डिनेण्ड लासाल ने जमन श्रमिक आन्दोलन का निर्माण किया तथा लम्बे अरसे तक और आज भी उस दल पर उसके व्यक्तित्व की अमिट छाप है। जमन सोशल डमोक्रेटिक पार्टी पर कुछ अन्य लोगों का भी प्रभाव रहा वे हैं —आगुस्ट बेबेल (1840–1913) विलिहल्म लीबनेख्त (1826–1900)।

समाजवादी आन्दोलन भी मतभेदों का शिकार रहा और 1869 म बेबेल तथा लीबनेख्त ने आईजनाक नामक नगर म एक अन्य समाजवादी दल का निर्माण किया इनके दल का नाम था सोशल डमोक्रेटिक लेबर पार्टी। इस दल ने मार्क्स के विचारों से प्ररणा प्राप्त की। लेकिन शीघ्र ही दोनों दल एक हो गये। क्योंकि 1871 में बिस्मार्क समस्त जमनी का चान्सलर बना वह सोशल डमोक्रेटों से घृणा करता था तथा उन्हें पितृभूमि विरोधी कहा करता था। अतः समाजवादियों ने दमन से बचने के लिए 1875 म गोथा नामक स्थान पर दोनों दलों का नाम सोशल लेबर पार्टी रखा। लेकिन बिस्मार्क समाजवादियों के दमन पर उतारू था।

शीघ्र ही उसको अवसर भी मिल गया। जर्मनी के सम्राट की हत्या के लिए दो बार असफल प्रयास किया गया। यद्यपि समाजवादियो का इसमे कोई हाथ न था फिर भी बिस्मार्क ने समाजवादियो को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया तथा 1878 मे समाजवाद विरोधी कानून का निर्माण किया गया। समाजवादियो के सगठनो तथा अखबारो पर प्रतिबन्ध लगा दिया। समाजवाद विरोधी यह कानून 1890 तक चलता रहा। जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय ने उसे उस वर्ष समाप्त कर दिया।

जर्मन समाजवादी आन्दोलन मे आन्तरिक मतभेद अभी भी बने हुए थे। दल अन्दर ही अन्दर तीन वर्गों मे बट गया (1) लासालवादी (2) मार्क्सवादी तथा (3) उदारपथी जो मध्यम मार्ग अपनाना चाहते थे। मार्क्सवादी विचारधारा वाले वर्ग का नेतृत्व रोजा लुक्जेमबर्ग ने किया। विलियम लीबनेख्त भी इनके साथ था। 1914 मे जब युद्ध की घोषणा हुई और राईशटाग मे युद्ध के खर्च सम्बन्धी बजट का प्रश्न सामने आया तो समाजवादी दल ने उसका समर्थन किया लेकिन लीबनेख्त व उसके कुछ अनुयायियो ने ससद मे इसका विरोध किया। उन्होने इण्डिपेडेन्ट सोशल डमोक्रेटिक पार्टी का निर्माण किया। शीघ्र ही इस दल के एक वर्ग ने इसको त्यागकर जर्मन साम्यवादी दल का निर्माण किया। इस प्रकार समाजवादी दल तीन टुकडे मे बट गया।

कन्जरवेटिव दल

कन्जरवेटिव दल प्रशा की राज्य विधान सभा मे 1860 मे ही मौजूद था। 1866 मे यह दल विभाजित हो गया और दो दल सामने आये —

(1) कन्जरवेटिव दल
(2) फ्री कन्जरवेटिव दल

1871 मे कन्जरवेटिव दल को समस्त मतदान का 1/8 वा भाग मिला तथा ससद मे यह चौथा सबसे बडा दल था। इस दल मे सामन्त सनिक अधिकारी अनुदार प्रोटेस्टेन्ट पादरी सरकारी अधिकारी आदि भी शामिल थे। इनका मुख्य केन्द्र प्रशा का राज्य था। यह दल सम्राट के पद को और अधिक सशक्त बनाना चाहता था तथा प्रशा के सभ्य अधिकारियो की प्रतिष्ठा मे वृद्धि तथा स्वतन्त्र धार्मिक सस्थाओ का पक्षपाती था। 1871 से 1933 तक अनुदारवादी दल काफी शक्तिशाली बना रहा।

फ्री कन्जरवटिव पार्टी काफी मामलो मे कन्जरवेटिव पार्टी से मिलती-जुलती। लकिन जहाँ कन्जरवेटिव पार्टी प्रशा राज्य की पक्षधर थी फ्री कन्जरवेटिव पार्टी जर्मनी को महत्त्व देना चाहती थी। 1871 मे इस दल ने अपना नाम बदल र राईश पार्टी रखा।

र पार्टी

ऊपर हमने जितने राजनीतिक दलों का उल्लेख किया है उनके अधिकाश

सदस्य प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदाय के जमन नागरिक थे। लेकिन धम उनका मूल आधार नहीं था वरन् राजनीतिक आर्थिक व सामाजिक विचार ही प्रमुख थे। लेकिन सटर पार्टी का स्वभाव दूसरा था। इसका आधार धम था और यह मूलत कैथलिक लोगो का राजनीतिक दल था। 1870 मे कैथोलिको के हितो की रक्षा के लिए इसका गठन किया गया। 1871 के चुनावो म राईशटाग मे यह दूसरा सबसे बडा दल था। कई दशाब्दियो तक इसने जमन राजनीति पर प्रभाव डाला। इसका प्रमुख नेता था लुडविग विन्धोसट (1812–1891)। 1919 स 1933 तक भी यह दल वाईमार गणतन्त्र म सक्रिय रहा। यद्यपि राईशटाग के कुल 600 सदस्यो म सन्टर पार्टी के 70 से अधिक सदस्य कभी नहीं रहे फिर भी वाइमार-गणतन्त्र के कुल 14 चासलरो मे से 6 चासलर सेंटर पार्टी के थे।

कम्युनिस्ट पार्टी

पहले साम्यवादी विचारधारा के लोग सोशल डमोक्रेटिक पार्टी म ही शामिल थे लेकिन 1914 म प्रथम महायुद्ध आरम्भ होने के बाद उनके मतभद तीव्र रूप से सामने आये। मतभेद का प्रमुख कारण यह प्रश्न था कि क्या सरकार का युद्ध प्रयासो मे सहयोग दिया जाए तथा युद्ध का समथन किया जाए अथवा नहीं। सोशल डमोक्रेटिक पार्टी क अधिकाश सदस्य इसके पक्ष म थे जबकि कुछ लोग इसके विरुद्ध। 1917 मे साम्यवादी विचारधारावाले लोगो ने स्पार्टेक्स लीग के नाम स अपने आपको सगठित किया तथा बाद म इन्होंने अपना नाम बदल कर जमन साम्यवादी दल रख लिया। 1918 म स्पार्टेक्स दल ने जमनी मे क्रान्ति का प्रयास किया जिसे शीघ्र दबा दिया गया।

जमन साम्यवादी दल के प्रमुख नेताओ मे रोजा लुक्जमबग कार्ल लीबनेख्त तथा अर्नस्ट थेलमान (1886–1944) थे। कट्टर राष्ट्रवादियो ने इनम से प्रथम दो नेताओ की 1919 म हत्या कर दी। थेलमान ने तो जमन राष्ट्रपति पद का भी चुनाव लडा। प्रथम महायुद्ध के बाद जमनी मे क्राति हुई और सम्राट को सिंहासन त्यागना पडा। 1919 म जब सविधान निर्माण-सभा के चुनाव हुए तो साम्यवादियो ने उसमे भाग नहीं लिया लेकिन बाद मे जब राईशटाग क चुनाव हुए थे साम्यवादी दल ने उसमे भाग लिया। 1925 मे जब जमन राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ तो हिण्डनबग क मुकाबले म साम्यवादी दल के थेलमान ने भी चुनाव लडा उसे सिफ 1 2 प्रतिशत मत ही प्राप्त हुए। लेकिन जब राष्ट्रपति पद क किसी भी प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो दूसरी बार भी मतदान हुआ इस बार साम्यवादी दल की वही स्थिति रही। 1932 म राष्ट्रपति पद का दुबारा चुनाव हुआ उसमे भी साम्यवादी दल ने थेलमान को अपना प्रत्याशी बनाया और इस बार उस 3 7 प्रतिशत मत मिले।

इण्डिपेण्डेण्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी

1917 म जब सोशल डमोक्रेटिक पार्टी का विभाजन हुआ तो उनके तीन

दल बने (1) सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (2) स्पार्टकस लीग जो बाद मे साम्यवादी दल के नाम से जानी गयी (3) इंडिपेण्डेन्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इस दल के नेता थे ह्यूगो हास कार्ल काउटस्की तथा एडुआर्ड बर्नस्टाईन। इन लोगो ने 1915 मे ही अलग होने का निर्णय ले लिया था। इंडिपेण्डेन्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के मार्क्सिस्ट शान्तिवादी थे और यही कारण है कि उन्होंने युद्ध का विरोध किया। कुछ वर्षों के लिए यह दल काफी लोकप्रिय रहा लेकिन शीघ्र ही इसका अन्त भी हो गया। 1922 के बाद इसके अधिकांश सदस्यो ने पुन मेजारिटी सोशलिस्ट (सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी) मे प्रवेश किया। 1924 मे इण्डिपेण्डेन्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी समाप्त हो गई। इस वर्ष इसे 98000 वोट ही मिले। इसके कुछ सदस्य साम्यवादी दल मे और कुछ मेजोरिटी सोशलिस्टो मे शामिल हो गए।

नात्सी दल

एन्टन ड्रेक्सलर नामक व्यक्ति ने 1919 मे जर्मन श्रमिक दल नामक एक दल का निर्माण किया। बाद मे इस दल का नाम बदल कर राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रमिक दल (नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी) रखा जिसे संक्षेप मे नात्सी दल कहा है। इसके प्रमुख नेताओ मे हिटलर गोयबल्स हिमलर रूडोल्फ हेस तथा हर्मन गोरिंग थे। सारी सत्ता हिटलर के आस-पास केन्द्रित थी। 1923 मे उसने म्यूनिख मे विद्रोह करके सत्ता पर कब्जा करने का असफल प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप उसे जेल भेज दिया गया। जेल मे उसने माईन काम्फ या मेरा संघर्ष नामक पुस्तक की रचना की। माईन काम्फ शीघ्र ही जर्मनी मे लोकप्रिय हो गई। और 1928 मे बाद नात्सी दल ने राईशटाग के चुनाव मे सक्रिय भाग लिया तथा उत्तरोत्तर अपने वोटो मे वृद्धि की। 1932 मे जर्मनी मे राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ इसमें हिटलर ने भी नात्सी दल के प्रत्याशी के रूप मे चुनाव मे भाग लिया। इस चुनाव मे हिण्डनबर्ग को 1 करोड़ 86 लाख तथा हिटलर को 1 करोड़ 30 लाख वोट तथा 1933 मे राईशटाग के चुनाव मे नात्सी दल को 1 करोड़ 37 लाख वोट तथा 230 स्थान प्राप्त हुए। यद्यपि हिटलर को पूर्ण बहुमत प्राप्त नही हुआ लेकिन राष्ट्रपति हिण्डनबर्ग ने उसे संयुक्त मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए आमन्त्रित किया और इस प्रकार हिटलर जर्मनी का चान्सलर बना।

छोटे राजनीतिक दल

इन महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के अलावा कुछ छोटे-छोटे दल भी थे जो विशेष वर्ग या आर्थिक समूह का प्रतिनिधित्व करते थे। इनके नाम इस प्रकार हैं नाम्स यूनियन (राज्य-संघ दल) जर्मन कृषक दल कैथोलिक राष्ट्रीय समाज सेवा दल आर्थिक दल बवेरिया जनता दल क्रिश्चियन राष्ट्रीय किसान जन सेवा राज्य संघ इत्यादि।

जर्मनी के समस्त दलो को 1919 से 1933 तक राईशटाग मे जितने स्थान प्राप्त थे इसकी तालिका पुस्तक के अन्त में परिशिष्ट मे दी जा रही है।

हिटलर द्वारा विरोधी दलों का अंत

हिटलर ने जो पहला मन्त्रिमण्डल बनाया उसमें नात्सी दल के तीन सदस्य तथा अन्य विरोधी दलों के नौ सदस्य थे। इस पर राष्ट्रपति हिण्डनबर्ग ने सोचा कि ऐसी स्थिति में हिटलर तानाशाह नहीं बन सकता। लेकिन नात्सी नेता हर कीमत पर नात्सी दल की तानाशाही चाहता था। हिटलर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी तथा जर्मन साम्यवादी दल को अपना सबसे कट्टर दुश्मन मानता था। पहले उसने साम्यवादी दल को समाप्त करने का निश्चय किया। 27 फरवरी को किसी ने राइशटाग भवन में आग लगा दी। नात्सी नेता ने इसे साम्यवादियों द्वारा राष्ट्रद्रोही कृत्य की संज्ञा दी। हिटलर की सलाह पर हिण्डनबर्ग ने जर्मन राज्य व राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अधिनियम जारी किए। साम्यवादी आतंक के विरुद्ध भी सुरक्षा का अधिनियम बनाया गया। वाइमार संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्थगित कर दिए गए। इन अधिनियमों को आधार बना कर हिटलर ने विरोधियों के सम्मेलन, सभाओं तथा समाचार-पत्रों और श्रमिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया।

5 मार्च 1933 को राइशटाग के पुनः चुनाव कराए गए। नात्सी दल ने दमन, आतंक, गिरफ्तारियों द्वारा अपने दल के लिए बहुमत प्राप्त करने का प्रयास किया। इस चुनाव में 88 प्रतिशत मतदाताओं ने भाग लिया। कुल 3 करोड़ 93 लाख मतों में से नात्सी दल को 1 करोड़ 73 लाख मत मिले जो 44 प्रतिशत मत थे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के मतों की संख्या में कमी नहीं आई तथा साम्यवादियों के वोटों में भी थोड़ी सी कमी हुई। पुनः हिटलर को मिला जुला मन्त्रिमण्डल बनाना पड़ा। 23 मार्च को हिटलर ने 'राष्ट्र तथा राज्य की संकट-मुक्ति कानून' नामक विधेयक राइशटाग में प्रस्तुत किया। वह इस कानून द्वारा समस्त सत्ता अपने हाथों में केन्द्रित करना चाहता था। इससे पूर्व उसने 81 साम्यवादी सदस्यों को बहस में भाग लेने के लिए अयोग्य ठहरा दिया ताकि वे राइशटाग बहस में भाग न ले सकें। 441 सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया सिर्फ 93 सोशल डेमोक्रेटों ने ही उसका विरोध किया। यह कानून एनबलिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। इससे हिटलर की तानाशाही का मार्ग प्रशस्त हो गया। 14 जुलाई 1933 के एक कानून द्वारा हिटलर ने नात्सी दल को ही एक मात्र वैध दल बना दिया। बाकी दल भंग कर दिए गए। अधिकांश विरोधी नेताओं को या तो देश से भागना पड़ा या उन्हें यातना कैम्पों में भेज दिया गया।

3

बेसिक लॉ का जन्म और विकास

1939 मे हिटलर ने द्वितीय महायुद्ध की शुरुआत की और उसके दुस्साहसी काय के परिणाम स्वरूप 1945 म जमनी को पराजय का मुह देखना पडा। 8 मई 1945 को जमनी न बिना शत आत्म-समपण कर दिया। हिटलर की मृत्यु के पश्चात् एडमिरल (नौ सेनाध्यक्ष) काल डयोनिटज ने सत्ता सम्भाली थी। उस उसके मन्त्रिमण्डल क अन्य सदस्यो सहित गिरफ्तार कर लिया गया। एसा प्रतीत होता था कि जमनी का अत हो गया है अब कभी भी उसका पुनरोदय नही हो सकेगा। जमनी म अमेरिका सोवियत सघ ब्रिटेन व बाद म फ्रास की सेना ने प्रवेश किया। इससे पहले मित्र राष्ट्रो न यास्टा-सम्मलन (फरवरी 1945) म अमरिका के राष्टपति रूजवल्ट सोवियत सघ क स्टालिन तथा ब्रिटेन के प्रधान मत्री चर्चिल ने यह तय कर लिया था कि जमनी को चार क्षेत्रा म बाटा जाएगा तथा उस पर अमरिका सोवियत सघ ब्रिटेन व फ्रास का प्रशासन रहेगा।

अगस्त 1945 म बर्लिन क निकट पोटसडम-सम्मेलन का आयोजन किया गया और उसके निणय के अनुसार जमनी को कुल पाच भागो म बाटा गया पाचवें भाग को पौलण्ड तथा रूस के प्रशासन म रखा गया। पौलेण्ड को जमनी की ओडर नाइसे नदियो क पूर्वी भाग म स्थित समस्त जमन प्रदेश तथा उसक साथ ही स्टटिन का नगर प्रशासन के लिए सौंपा गया। सोवियत सघ को पूर्वी प्रशा का उत्तरी भाग तथा क्योनिगवेग का नगर (जिसका नाम बदल कर बाद म कालिनिनग्राड रखा गया) दिया गया। साथ ही यह निश्चय किया गया कि जब जमनी के साथ शाति-सधि की जाएगी तब इस पाचवें भाग क बारे म अतिम निणय लिया जाएगा लकिन 1945 से लकर आज तक (1977) जमनी के साथ कोई सधि नहा की गई और इसके फलस्वरूप वह क्षेत्र आज भी पौलेण्ड व रूस क प्रशासन क अन्तगत है।

जमनी म मित्र राष्ट्रा की सेना के प्रवेश के साथ ही जमन सवधानिक व्यवस्था समाप्त हो गई। अब वहा चार राष्ट्रा की विदेशी सेना का आधिपत्य था। पोटसडम सम्मलन क निणया म ही जमनी क भावी राजनातिक जीवन क पुनरोदय के बीज निहित थे। पाटसडेम-सम्मलन (जुलाई-अगस्त 1945) के बाद मित्र राष्ट्रा ने घोषणा की कि —

मित्र राष्ट्रा का यह इरादा है कि जमन लोगा को अपने जीवन को जनतान्त्रिक व शातिपूण आधार पर अन्तत अपने पुनर्निमाण क लिए तयारी का अवसर दिया जाए।

जर्मन प्रशासन के मामलों का इस प्रकार निर्देशित किया जाए ताकि राजनीतिक ढांचे का विकेन्द्रीकरण कर स्थानीय उत्तरदायित्व का विकास किया जा सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए —

(1) समग्र जर्मनी में जनतांत्रिक सिद्धान्तों की मान्यता पर निर्वाचित परिषदों के माध्यम से व आधार पर यथाशीघ्र—जो सैनिक अधिकार व सुरक्षा के अनुकूल हो—स्थापना की जाएगी।

(2) समस्त जर्मन प्रदेश में सभी जनतांत्रिक दलों को—संगठन व सम्मेलन के अधिकार सहित—कार्य की अनुमति तथा प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(3) क्षेत्रीय प्रशासन तथा राज्य (राज्य) प्रशासन में प्रतिनिधित्व तथा निर्वाचन के सिद्धान्तों को उतना ही शीघ्र लागू किया जाएगा जितनी जल्दी स्थानीय स्वशासन में इन सिद्धान्तों का लागू करने में सफलता के अनुसार उसका औचित्य सिद्ध होगा।

(4) कुछ अवधि के लिए कोई केन्द्रीय सरकार स्थापित नहीं की जाएगी। इसके बावजूद कुछ अनिवार्य केन्द्रीय जर्मन प्रशासनिक विभाग—जिनके अध्यक्ष स्टेट सेक्रेटरी होंगे—की स्थापना की जाएगी खासकर वित्त परिवहन संचार विदेशी व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्र में। ये विभाग कन्ट्रोल कमीशन[1] (नियंत्रण आयोग) के निर्देशन में काम करेंगे।

(5) सैनिक सुरक्षा का ध्यान रखते हुए भाषण समाचार पत्रों तथा धर्म पालन की स्वतंत्रता की अनुमति दी जाएगी तथा धार्मिक संस्थाओं का सम्मान किया जाएगा। इसी प्रकार सैनिक सुरक्षा के अधीनस्थ स्वतंत्र श्रमिक संघों को कार्य की अनुमति दी जाएगी।

परन्तु युद्धकालीन मित्र सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमरिका शान्तिकाल में एक दूसरे के विरोधी हो गए। उनके मतभेदों तथा विरोध के परिणामस्वरूप जर्मनी के एकीकरण में बाधा आई। चारों राष्ट्र अपने अधिकृत जर्मन प्रदेशों में अपनी राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप राजनीतिक व्यवस्था लादना चाहते थे। डब्ल्यू फ्रीडमान के अनुसार — जर्मनी के चार विभाजित क्षेत्र विश्व रंगमंच के चार नाटक-गृह बन गए जिनमें चार प्रमुख अभिनेता विश्व श्रोताओं का आनन्दित करने हेतु अपना अभिनय कर रहे थे . . . सैनिक प्रशासन के आरम्भ के कुछ ही महीनों बाद चार क्षेत्र चार विभिन्न विश्व बन गए।[2]

अमरिका तथा ब्रिटेन कम से कम जनतांत्रिक सिद्धान्तों के बारे में सहमत थे लेकिन आर्थिक नियोजन के बारे में उनमें मतभेद था। ब्रिटेन की समाजवादी सरकार

1 कन्ट्रोल कमीशन या नियंत्रण आयोग में चारों विजेता राष्ट्रों के सैनिक कमाण्डर शामिल थे जो समस्त जर्मनी में आवागमन व्यापार तथा सुरक्षा की देखरेख करते थे।

2 डब्ल्यू फ्रीडमान दी एलाइड मिलिटरी गवर्नमेंट आफ जर्मनी (लन्दन 1947) पृष्ठ 96।

समाजवादी पद्धति की अर्थ-व्यवस्था चाहती थी और अमेरिका स्वतंत्र अर्थ-व्यवस्था की वकालत कर रहा था। फ्रांस जर्मनी के विकेन्द्रीकरण तथा रूर प्रदेश पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासन की बात कर रहा था तो रूस अर्थ-व्यवस्था के राष्ट्रीयकरण पर जोर दे रहा था। प्रारम्भ में रूस ने एक केन्द्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन किया लेकिन बाद में उसने यह विचार त्याग दिया तथा जर्मनी में संघीय व्यवस्था हो या केन्द्रीकृत व्यवस्था इस प्रश्न पर जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा। फ्रांस अतीत की भयावह स्मृतियों से आक्रान्त था। 1914 से 1940 के बीच फ्रांस दो बार जर्मनी के सैनिक बूटों के तले कुचला गया था। ऐसी स्थिति दुबारा न आए इसके लिए वह जर्मनी को एक कमजोर राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था। यही कारण है कि वह जर्मनी में संघीय व्यवस्था भी नहीं चाहता था वह उस राज्यों के एक ढीले-ढाले परिसंघ के रूप में देखना चाहता था। इस परिसंघ में भी राज्यों को सारे अधिकार देने की बात फ्रांस ने की। केन्द्र को नाम मात्र के अधिकार देने की बात की। इस प्रकार विजेता राष्ट्रों के मतभेद सामने आए।

मूलतः मतभेद अमेरिका व सोवियत संघ के बीच थे। अमेरिका जर्मनी को जनतान्त्रिक पद्धति के अनुरूप ढालना चाहता था और रूस वहाँ साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित देखना चाहता था। द्वितीय महायुद्ध के बाद पूर्व और पश्चिम के बीच शीत युद्ध प्रारम्भ हो गया और मतभेदों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। 20 मार्च 1948 को सोवियत सैनिक कमाण्डर ने मित्र राष्ट्र नियंत्रण आयोग का बहिष्कार कर दिया और उसके परिणाम स्वरूप जर्मनी में चारों राष्ट्रों के प्रशासन में गतिरोध व रुकावट उत्पन्न हो गई। अन्त में अमेरिका ब्रिटेन तथा फ्रांस ने अपने तीनों प्रदेशों को मिला कर पश्चिमी जर्मनी (दी फैडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी) तथा रूस ने अपने जर्मन अधिकृत क्षेत्र में पूर्वी जर्मनी (जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक) की स्थापना की।

राजनीतिक दलों का उदय

पोटसडम-सम्मेलन के अनुसार स्थानीय तथा प्रान्तीय स्तर पर राजनीतिक दलों के निर्माण तथा प्रतिनिधि सभाओं के चुनाव की बात की गई थी उसी के आधार पर चारों विजेता राष्ट्रों ने जर्मनी में राजनीतिक दलों के निर्माण व कार्य की अनुमति दी। सर्वप्रथम सोवियत संघ ने 10 जून 1945 को मित्र जनतान्त्रिक तथा नात्सी विरोधी दलों के निर्माण की अनुमति दी। सोवियत घोषणा में कहा गया —

सोवियत अधिकृत जर्मन प्रदेश में सभी फासिस्ट विरोधी दलों के निर्माण जिनका उद्देश्य जर्मनी से सभी फासिस्ट अवशेषों को समाप्त कर जनतंत्र तथा नागरिक स्वतन्त्रताओं की स्थापना करना है—की अनुमति दी जाती है।

सोवियत अधिकृत जर्मन प्रदेश में श्रमिक जनों को—अपने हितों तथा अधिकारों की सुरक्षा के लिए—स्वतंत्र श्रमिक संघों में संगठित होने का अधिकार होगा।

कि समस्त जर्मनी में एक सरकार की स्थापना असम्भव है। इसके परिणामस्वरूप अमेरिका, ब्रिटेन व फ्रांस ने अपने क्षेत्रों में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना पर सहमति प्रकट की तथा 1 जुलाई 1948 में 11 जर्मन राज्यों (लेण्डर) के मिनिस्टर प्रसिडण्टों (मुख्य मन्त्रियों) को आदेश दिया कि वे पश्चिमी जर्मनी के लिए संविधान का निर्माण करें। ये आदेश लन्दन-सम्मेलन में तीन पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत दस्तावेज के अन्तर्गत दिए गए।

लन्दन दस्तावेज तीन भागों में विभाजित था। प्रथम दस्तावेज में पश्चिम जर्मन मिनिस्टर प्रसिडण्टों को एक संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण करने को कहा गया। साथ ही आदेश दिया गया कि संविधान निर्मात्री सभा एक जनतान्त्रिक संविधान तैयार करेगी जिसमें सभी सदस्य राज्यों का योगदान होगा। व्यवस्था संघीय होगी।'

दूसरे दस्तावेज में मिनिस्टर प्रसिडण्टों (मुख्य मन्त्रियों) से कहा गया कि वे जर्मनी के विविध राज्यों की सीमा का पुनर्निर्धारण करें। तीसरे दस्तावेज में भावी जर्मन सरकार तथा मित्र राष्ट्रों के सैनिक अधिकारियों के मध्य सम्बन्धों के बारे में स्पष्टीकरण किया गया था। लेण्डर (राज्यों) के मिनिस्टर प्रसिडेण्टों से कहा गया कि सितम्बर 1948 तक अपने लेण्ड (राज्य) द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा संविधान सभा का निर्माण करें। इसके कारण समस्त पश्चिमी जर्मनी में शोरगुल मच गया। वे विदेशी सैनिक अधिकारियों के नियन्त्रण में संविधान बनाने को तैयार न थे। उन्हें यह भी डर था कि यदि उन्होंने पश्चिमी जर्मनी के लिए संविधान बना लिया तो समस्त जर्मनी के भावी एकीकरण की सम्भावना धूमिल हो जाएगी तथा ऐसा संविधान जर्मनी के सुनिश्चित विभाजन की घोषणा होगी। पश्चिमी मित्र राष्ट्रों तथा जर्मन प्रतिनिधियों के बीच कटुता की स्थिति आ गई। बाडन—व्यूरटेमबर्ग के मिनिस्टर प्रसिडण्ट (मुख्य मन्त्री) ने तो यहाँ तक कहा कि — यद्यपि यह खतरनाक हो सकता है फिर भी हम ऐसे कानूनी पद की अपेक्षा बिना कानूनी स्थिति के ही रहना पसन्द करेंगे। ऐसा प्रतीत होता था कि आपसी मतभेद समाप्त नहीं होंगे। लेकिन सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकाबंदी (Berlin Blockade) के कारण स्थिति में परिवर्तन आया। पश्चिमी जर्मनी के नेताओं की यह धारणा बनी कि यदि उन्होंने पश्चिमी राष्ट्रों के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो निकट भविष्य में पश्चिमी जर्मनी में भी प्रतिनिधि-सरकार की स्थापना नहीं हो सकेगी।

पश्चिमी जर्मनी के मिनिस्टर प्रसिडण्टों ने 8 से 10 जुलाई 1948 तक कोब्लेन्ज नगर में एक बैठक की तथा यह निर्णय लिया कि फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा के स्थान पर संसदीय परिषद् का निर्माण किया जाएगा तथा पश्चिमी जर्मनी के लिए संविधान का निर्माण न कर बेसिक ला (आधारभूत कानून) का निर्माण किया जाए। भविष्य में जब पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण होगा तभी

विभाजन पर अन्तिम मुहर न लगे। बेसिक ला अपने वर्तमान स्वरूप में कई तथ्यों से प्रभावित हुआ है। ये विविध प्रभाव इस प्रकार हैं —

वाईमार-संविधान से सीख

बेसिक ला का निर्माण करते समय जर्मन प्रतिनिधियों ने जिस तथ्य पर सबसे अधिक ध्यान दिया वह था वाईमार-गणतंत्र की असफलता से सीख लेना। यद्यपि वाईमार-गणतंत्र की कई व्यवस्थाओं को उन्होंने ज्यों का त्यों स्वीकार किया (वाईमार-संविधान के अनुच्छेद 136 137 138 139 तथा 141 अपने मूल रूप में बेसिक ला में सम्मिलित किए गए हैं। ये अनुच्छेद सामाजिक तथा धार्मिक प्रश्नों से सम्बन्धित हैं)। लेकिन कई महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर वह वाईमार-संविधान का विरोधी भी है। उदाहरण के लिए वाइमार-संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता था लेकिन बेसिक ला के निर्माताओं ने राष्ट्रपति के चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से करने की व्यवस्था की। क्योंकि लोकप्रिय जनमत द्वारा समर्थित राष्ट्रपति अधिकाधिक अधिकारों की मांग कर सकता था।

वाईमार संविधान की 48वीं धारा के अन्तर्गत राष्ट्रपति को संकटकालीन अधिकार प्रदान किए गए थे। उसी का दुरुपयोग कर वाइमार राष्ट्रपति हिन्डनबर्ग ने जर्मन जनतंत्र की जड़ें खोखली कर दी थीं। यही कारण है कि बान[1] बेसिक ला के लेखकों ने संकटकालीन अधिकार भी राष्ट्रपति को प्रदान नहीं किए। ये संकटकालीन अधिकार जर्मन बुन्देसटाग (लोक सभा) तथा बुन्देसराट (राज्य सभा) की संयुक्त समिति को सौंपे गए। यह व्यवस्था भी 1968 में जाकर की गई। 1949 से 1968 तक जर्मन बेसिक ला में ऐसे संकटकालीन अधिकारों की व्यवस्था नहीं थी जैसे अन्य देशों के संविधानों में उपलब्ध हैं।

वाइमार-संविधान से सीख लेकर ही बेसिक ला के निर्माताओं ने राष्ट्रपति की तुलना में चान्सलर (प्रधान मन्त्री) के पद को अधिक शक्तिशाली बनाया जिससे मन्त्रिमण्डलात्मक शासन पद्धति कायम हो सके। इसी प्रकार वाईमार-गणराज्य में यद्यपि संघीय शासन की व्यवस्था थी लेकिन वह केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति से प्रभावित था। बेसिक ला के निर्माताओं ने राज्यों को पर्याप्त महत्त्व प्रदान किया।

राजनीतिक दलों का प्रभाव

बेसिक ला के निर्माण पर पश्चिमी जर्मनी के राजनीतिक दलों के विचारों और आदर्शों का भी प्रभाव पड़ा। इसके सृजन में क्रिश्चियन डमोक्रेटिक तथा फ्री डमोक्रेटिक पार्टी के कार्यक्रमों व विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन कैथोलिक धर्म से अत्यधिक प्रभावित था अतः इस

1 बॉन नगर पश्चिमी जर्मनी की राजधानी है।

दल ने संविधान में धर्म तथा चर्च की स्वतन्त्रता को स्थान दिलाने में सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार कैथोलिक धर्म के अनुयायी विवाह तथा परिवार की संस्था को पवित्र मानते हैं और इसी कारण बसिक लॉ में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में विवाह तथा परिवार की संस्था को महत्व दिया गया है।

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी समाजवाद में निष्ठा रखती थी अतः वह राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण के सिद्धान्त की पक्षपाती थी। उसके जोर देने पर बसिक लॉ के 15वें अनुच्छेद में जन-कल्याण के हित में समाजीकरण की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार यह दल सम्पत्ति को पवित्र नहीं मानता था अतः अनुच्छेद 14 में सार्वजनिक हित के लिए सम्पत्ति के हरण की व्यवस्था भी की गई।

फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी उदारवाद की पोषक रही है अतः उसने शिक्षा, शोध विज्ञान व अध्यापन की स्वतन्त्रता की माँग की। इसी प्रकार इस दल ने सम्पत्ति की सुरक्षा की भी वकालत की। यह फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी का ही प्रभाव है कि बसिक लॉ में इन बातों को स्थान मिला। यह उल्लेखनीय है कि इस दल ने 14वें 15वें अनुच्छेद का विरोध किया।

अमेरिका, ब्रिटेन व फ्रांस का प्रभाव

यद्यपि बसिक लॉ पश्चिमी जर्मन प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित किया गया लेकिन मित्र राष्ट्रों के सैनिक गवर्नरों ने अपनी सरकारों के आदेशानुसार बसिक लॉ के निर्माण के लिए कुछ शर्तें रखीं। ये शर्तें इस प्रकार थीं—

(1) बसिक लॉ के अन्तर्गत संसद् के दो सदनों की व्यवस्था की जाए तथा एक सदन राज्यों का प्रतिनिधि होगा उसे राज्यों के हितों की सुरक्षा के पर्याप्त अधिकार दिए जाएँ।

(2) संकटकालीन अधिकारों को सीमित रखा जाए।

(3) वित्तीय मामलों में संघीय सरकार के अधिकार सीमित रखे जाएँ।

(4) स्वतन्त्र न्यायिक व्यवस्था की व्यवस्था हो।

(5) प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार होगा।

इनमें से कुछ शर्तों पर जर्मन प्रतिनिधि पहले से ही सहमत थे। इस दृष्टि से उसे विदेशी प्रभाव नहीं माना जा सकता फिर भी वे इन आदेशों से बाध्य थे।

इसके साथ ही साथ बसिक लॉ या मूलभूत विधि के निर्माण में ब्रिटिश व अमरीकी संविधान से कुछ अन्य प्रेरणाएँ भी प्राप्त की गईं यद्यपि उन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार न कर जर्मन परिस्थितियों के अनुरूप ढाला गया। इसका उल्लेख आगे किया जाएगा।

बसिक लॉ की विशेषताएँ

23 मई 1949 को पश्चिमी जर्मनी के बान नामक नगर में—जो राइन नदी के किनारे पर स्थित है—संसदीय-परिषद् ने बासिक लॉ को स्वीकृत तथा पंजीकृत

किया । यह बेसिक ला जमनी के प्राफसरो वकीलों एव राजनीतिक नेताग्रो के उत्कृष्ट मस्तिष्क की उपज है और इसका निर्माण बहुत थोड समय म कर लिया गया । बसिक ला का निमाण करत समय उन्होंने विदशा के सविधाना का गहन अध्ययन किया । तत्पश्चात् जमनी की तत्कालीन परिस्थितियां तथा प्राचीन परम्पराग्रा सम्यता सस्कृति को दृष्टिगत रखा । इसम कई नवान व्यवस्थाम्रा को भी समाविष्ट किया । इसी व्यवस्था के आधार पर पश्चिमा जमनी न अपना सामाजिक आर्थिक एव राजनीतिक विकास किया । वाईमार सविधान की तुलना म वतमान बेसिक ला अधिक स्थायी सिद्ध हुआ । वाइमार सविधान तो 1919–1939 तक ही चला जहा वतमान बेसिक ला 1948–1977 तक सफलता पूवक काय करता रहा है । जिस प्रकार अमरिकी सविधान की व्यवस्थाओ न दश क विकास का माग प्रशस्त किया उसी प्रकार बसिक ला ने भी जमनी की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ भित्ति पर ला खडा किया । 1945 म जो जमनी राख का ढर था वहा पश्चिमी जमनी आज विश्व के प्रथम तीन श्रेष्ठतम उद्योग प्रधान दशो म है और उसक सिक्क-जमन माक-की आज विश्व म भारी प्रतिष्ठा है । बेसिक ला जमन बुद्धिमत्ता और व्यावहारिकता का जीवत प्रमाण है । एसा लगता है समस्त जमन बुद्धि बसिक ला रूपी पात्र में एक स्थान पर एकत्रित कर दी गई । बेसिक ला की कुछ प्रमुख विशेषताए इस प्रकार हैं—

(1) अस्थायी स्वरूप—विश्व के अन्य सविधानो की स्थायी प्रकृति के विपरीत पश्चिमी जमनी का सविधान एक अस्थायी सविधान है। इसे सविधान क नाम से भी नही पुकारा गया । इसके बजाय पश्चिमी जमनी क लोगो न इस बसिक ला (आधारभूत कानून) क नाम से पुकारना पसन्द किया । जमन भाषा म इस ग्रुण्डगेसेटज (Grundgesetz) के नाम से सम्बोधित किया जाता है । जसा कि पहले ही लिखा जा चुका है पश्चिमी जमनी क जन प्रतिनिधि जमनी के एक हिस्से के लिए सविधान बनाने को तयार न थ । जमन लोगो क अनुसार सविधान स्वीकार करने का अथ देश क विभाजन को स्वीकार करना था । व एसा करने क लिए तयार न थ । उनकी इच्छा थी कि भविष्य म जब समस्त जमनी का एकीकरण होगा तब सारा जमन जनता के प्रतिनिधि बर्लिन म एकत्रित होकर जमनी के लिए सविधान बनाऐंगे । जब तक जमनी का एकीकरण नही हो जाता व एक अस्थायी और काम चलाऊ व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे और बसिक ला या ग्रुण्डगेसेटज के रूप म उन्होंने एक अस्थायी व्यवस्था का निर्माण किया । पश्चिमी जमनी की राजधानी बान बनाई गई लकिन इस भी अस्थायी राजधानी कहा गया । असली राजधानी तो बर्लिन ही मानी गयी । लकिन बर्लिन तो पूर्वी जमनी क साम्यवादी राज्य क हृदय में विद्यमान है जहाँ पर पूर्वी जमनी की सरकार की अनुमति के बिना स्वत्र भाव स नही जाया जा सकता ।

बेसिक लॉ एक अस्थायी व्यवस्था है इस बात का स्पष्ट संकेत किया गया है। बेसिक लॉ की प्रस्तावना अनुच्छेद 23 व अंतिम अनुच्छेद 146 में इसके अस्थायी स्वरूप व प्रकृति का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में कहा गया है —
जर्मन जनता संक्रमण काल (Transitional period) के लिए राजनीतिक जीवन को नवीन व्यवस्था प्रदान करने की इच्छा से इस बेसिक लॉ का निर्माण करता है। अनुच्छेद 23 में लिखा गया है —

फिलहाल यह बेसिक लॉ बादेन, बवेरिया, ब्रेमन, ग्रेटर बर्लिन, हाम्बुर्ग, हैस, लोअर सैक्सनी, नॉर्थ राइन वेस्टफालिया, राइनलैण्ड पैलेटीनेट, श्लेसविग होल्सटाइन, वुर्टमबर्ग होहनत्सोलर्न में लागू होगा। जर्मनी के अन्य भागों द्वारा प्रवेश किए जाने पर यह उन भागों पर भी लागू होगा।

अंतिम अनुच्छेद (146वां) में भी इस व्यवस्था के अस्थायी होने का स्पष्ट उल्लेख है। अनुच्छेद 146 के अनुसार— यह बेसिक लॉ उस दिन प्रभावहीन हो जायगा जिस दिन जर्मन जनता द्वारा स्वतंत्र निर्णय द्वारा एक संविधान अंगीकृत किया जाएगा तथा वह लागू होगा। एल्मर प्लिशके के अनुसार— बेसिक लॉ के निर्माताओं ने उस मौलिक संविधान की अपेक्षा एक अस्थायी व्यवस्था माना तथापि बेसिक लॉ एक संविधान के रूप में जारी है।[1]

(1) अस्थायी स्वरूप सामान्यतया कमजोरी व कमी का द्योतक होता है लेकिन बेसिक लॉ एक विशिष्ट परिस्थितियों में निर्मित हुआ है और यह अस्थायी स्वरूप उसकी दृढ़ता बन गया है। साथ ही सभी व्यावहारिक दृष्टि से यह बेसिक लॉ एक स्थायी व्यवस्था बन गया है—पश्चिम जर्मन जनता ने इसे समर्थन एवं मान्यता प्रदान की है तथा यह संभव है कि जब समस्त जर्मनी के लिए संविधान बनेगा तो यह बेसिक लॉ उसके लिए एक प्रशंसास्पद प्रस्तावना के रूप में कार्य करेगा। यह भी संभव है कि भावी जर्मन संविधान में इसकी कई व्यवस्थाओं का समावेश किया जाए।

(2) निर्मित तथा लिखित—बेसिक लॉ की दूसरी विशेषता यह है कि भारत, अमरिका, कनाडा, टर्की आदि संविधानों की भांति यह एक लिखित एवं निर्मित संविधान है। बेसिक लॉ में कुल 146 अनुच्छेद हैं तथा संविधान के परिशिष्ट के रूप में वाईमार संविधान के 136, 137, 138, 139 तथा 141 वें अनुच्छेद भी शामिल किए गए हैं। इसमें इन पांच अनुच्छेदों को भी सम्मिलित किया जाए तो यानि बेसिक लॉ में 151 अनुच्छेद हुए। यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अमरिकी संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं जबकि आस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद बना। के संविधान में 146 अनुच्छेद दक्षिणी अफ्रिका के संविधान में 153 भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 9 अनुसूचियां जापान के संविधान

1 एल्मर प्लिशके : कान्स्टीट्यूशन्स ऑफ नेशन्स ऑफ यूरोप (बोस्टन 1969) पृष्ठ 25-6

म 103 अनुच्छेद तथा तुर्की के संविधान म 157 अनुच्छेद है। इस प्रकार आकार की दृष्टि से वह कनाडा तुर्की क संविधान के लगभग बराबर है।

यह संभावना हो सकती है कि यदि समस्त जर्मनी के लिए संविधान बनाया जाता तो वह आकार म बडा हो सकता था लेकिन वर्तमान व्यवस्था भी लगभग पूर्ण व्यवस्था है। इसके बावजूद मध्यम स्वरूप का होने के कारण इसे एक छोटी सी पुस्तिका के रूप म साथ म रखा जा सकता है। बेसिक ला म लगभग सभी मुद्दों पर व्यवस्थाए प्रस्तुत की गई हैं।

(3) सर्वोच्च शक्ति जनता मे निहित—बेसिक ला के अन्तर्गत जर्मनी को जनतांत्रिक संघ राज्य बनाया गया है जिसम सर्वोच्च सत्ता जनता म निहित है। अनुच्छेद 20 क अनुसार जर्मन संघीय गणतंत्र एक जनतांत्रिक संघीय राज्य है। राज्य की सारी शक्ति जनता से प्रवाहित होती है जिसका उपयोग जनता चुनाव व मताधिकार क प्रयोग द्वारा करती है। इस दृष्टि स पश्चिमी जर्मनी का बेसिक ला भारतीय संविधान क अत्यधिक निकट है।

(4) मौलिक अधिकार—किसी भी जनतांत्रिक व्यवस्था अथवा संविधान म मौलिक अधिकारों का भारी महत्त्व ह। किसी देश म मौलिक अधिकारो की कितनी प्रतिष्ठा है इसका मूल्यांकन इस बात स किया जा सकता है कि मौलिक अधिकारों को संविधान म कहा स्थान दिया गया है। उदाहरण के लिए भारत म प्रस्तावना' म भी कुछ मौलिक अधिकारों का संकेत है तथा मौलिक अधिकारो का सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। फ्रांस के 1946 के संविधान म प्रस्तावना मे भी नागरिक स्वतन्त्रताओं या मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया ह। इसी प्रकार बेसिक ला को कुल 11 भागों म बाटा गया है और प्रथम भाग म मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अर्नोल्ड हार्डनहाइमर[1] के अनुसार—मौलिक अधिकारों को जो प्रमुखता प्रदान की गई है उसका स्पष्ट संकेत यह है कि उन्हें बेसिक ला के प्रारंभ म स्थान दिया गया है साथ ही यह व्यवस्था की गई है कि ये व्यवस्थाए सभी न्यायालयों व सरकारी अधिकारियो पर बाध्यकारी होगी। रावर्ट जी नोयमान[2] के अनुसार—यह विशेष महत्त्व जानबूझ कर रखा गया है ताकि नवीन जर्मनी तथा नात्सी जर्मनी का अन्तर स्पष्ट हो सके। मानव व्यक्तित्व के सम्यक विकास क लिए मौलिक अधिकारों का विशेष महत्त्व है।

बेसिक ला म अनुच्छेद 1 स अनुच्छेद 19 तक विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकारों या स्वतन्त्रताओं का वर्णन किया गया है। ये मौलिक अधिकार सरकार तथा संसद् के अधिकारो को भी सीमित करते हैं। निस्सन्देह असाधारण परिस्थितियां संकट काल म इन पर कुछ सीमा लगाई जा सकती है लेकिन दूसरे देशों की

1 अर्नोल्ड हार्डनहाइमर दी गवर्नमेंट आफ जर्मनी (लन्दन 1961) पृष्ठ 60
2 नोयमान पूर्वो त पृष्ठ 95

तुलना म पश्चिमी जमनी के नागरिकों को सवटन्त्र म आ अधिक अधिकार स्वतन्त्रताए तथा सुविधाए प्राप्त हैं। ये मौलिक अधिकार या स्वतन्त्रताए इस प्रकार हैं —

(अ) **मानव गरिमा की सुरक्षा** बेसिक ला का केन्द्र व्यक्ति अथवा मानव है। उस की मूल सुविधा एव जीवन यापन के लिए इस की रचना की गई है। अनुच्छेद प्रथम के अनुसार—मानव गरिमा अलघ्य है। सभी राज्याधिकारियों का दायित्व होगा कि व इसका सम्मान तथा सुरक्षा करें। इतना ही नहीं बेसिक ला का प्रथम अनुच्छेद तो यहा तक कहता है कि अलघ्य एव अनिवार्य मानव अधिकार प्रत्येक मानव समुदाय विश्व शान्ति एव न्याय के आधार हैं। इस दृष्टि म न केवल जमनी वासियों की गरिमा की सुरक्षा व सम्मान की व्यवस्था की गई है वरन् विश्व के सभी मानवों की गरिमा का ध्यान रखा गया है।

(आ) **स्वतन्त्रता का अधिकार**—मानव-व्यक्तित्व के समुचित विकास का आधार है उसकी विभिन्न स्वतन्त्रताएं। अनुच्छेद 2 (1) के अनुसार— प्रत्येक व्यक्ति को उस सीमा तक अपने व्यक्तित्व के स्वतन्त्र विकास का अधिकार होगा जिस सीमा तक वह दूसरों के अधिकारों सवधानिक व्यवस्था तथा नैतिक सहिता का उल्लघन नहीं करता। अनुच्छेद 2 (2) म आगे कहा गया है— प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है तथा उसके व्यक्ति या व्यक्तित्व का उल्लघन नहीं किया जाएगा। व्यक्ति की स्वतन्त्रता अनुल्लघनीय होगी। कानून के अनुसार ही इन अधिकारों का अतिक्रमण किया जा सकता है।

(इ) **कानून के समक्ष समानता**—बेसिक ला ने जाति धर्म लिंग तथा अन्य मत मतान्तरों के भेदभाव के बिना सभी जमनी वासियों को समानता प्रदान की है। अनुच्छेद 3 म स्पष्ट घोषणा की गई है कि —

(1) सभी लोग कानून के समक्ष समान होंगे।

(2) स्त्री व पुरुष को समान अधिकार होंगे।

(3) लिंग पतृक वश जाति भाषा निवास-स्थान तथा उद्गम धर्म या धार्मिक अथवा राजनीतिक विचारधारा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा।

(ई) **धर्म व मत की स्वतन्त्रता**—आज के धर्म निरपेक्ष वातावरण म भी धर्म बिल्कुल अथहीन नहीं हो गया है। साथ ही कई मत मतान्तर अब भी प्रभावशाली हैं। इसी को दृष्टिगत करते हुए बेसिक ला म धर्म तथा मत की स्वतन्त्रता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 4 म कहा गया है—धार्मिक स्वतन्त्रता अन्तरात्मा की स्वतन्त्रता तथा मत की स्वतन्त्रता—चाहे वह धार्मिक हो या अन्य किसी प्रकार की अनुल्लघनीय होगी। अनुच्छेद म आगे व्यवस्था है कि— निर्बाध रूप से धर्म-पालन की स्वतन्त्रता

की गारन्टी है यदि किसी व्यक्ति का धर्म हथियार उठाने की इजाजत नहीं देता तो उसे वसिक ला सशस्त्र सेवाओं से छूट देता है। अनुच्छेद 4 (3) में उल्लेख है कि—किसी भी व्यक्ति को उसकी आत्मा के विरुद्ध ऐसी युद्ध-सेवा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसमें शस्त्रों का प्रयोग जरूरी हो। गबट जा नोयमान के अनुसार—यह उल्लेखनीय है कि आत्मा के आधार पर सैनिक सेवा पर आपत्ति विषयक अधिकार की स्पष्ट गारन्टी उस समय से पहले ही दे दी गई जिस समय जर्मन सेना का निर्माण नहीं हुआ था।[1]

संविधान (बेसिक ला) के परिशिष्ट में वाइमार-संविधान की जिन व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया गया है उसमें भी धर्म के बारे में व्यवस्थाएं हैं—यद्यपि यह मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है फिर भी वह उनका पूरक है तथा जर्मन लोगों के धार्मिक जीवन को उसी प्रकार प्रभावित करता है जिस प्रकार कि मौलिक अधिकार। वाईमार संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार—

(1) कोई राज्य चर्च नहीं होगा।
(2) धार्मिक संस्थाओं के निर्माण के लिए संगठन या संघ बनाने की गारन्टी है।
(3) प्रत्येक धार्मिक संस्था सभी के लिए वैध कानूनों की सीमा में रहते हुए स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी गतिविधियों का नियमन करेगी।

इस प्रकार राज्य का कोई धर्म न रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को पूजा उपासना धार्मिक महोत्सव व कर्मकाण्ड की छूट दी गई है।

(उ) अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता—सांस्कृतिक उपलब्धियां तथा जनतन्त्र को सुदृढ़ बनाने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता अनिवार्य है। भाषण लेखन मत अभिव्यक्ति तथा सूचना देने व प्राप्त करने की स्वतन्त्रता मानव-व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य है। उसी आधार पर वह विकासोन्मुख हो सकता है। बेसिक ला के निर्माता इसके बारे में सजग थे। यही कारण है कि अनुच्छेद 5 में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को स्थान दिया गया है। इस अनुच्छेद में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है—

(3) प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रतापूर्वक मत व्यक्त करने तथा भाषण लेखन चित्रों द्वारा मत प्रचार करने और सामान्य उपलब्ध साधनों से अपने आपके लिए सूचना एकत्रित करने का अधिकार होगा। समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता तथा प्रसारणों व फिल्मों के माध्यम से रिपोर्ट देने के अधिकार की गारंटी दी जाती है। कोई सेन्सरशिप (विचारों के गुण दोष निरीक्षण सम्बन्धी संस्था) नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 5 (3) में कला विज्ञान शोध व अध्यापन को मुक्त ठहराया गया है। अध्यापन की स्वतन्त्रता का अर्थ यह नहीं होगा कि व्यक्ति संविधान के प्रति निष्ठा न रखें।

1 नोयमान पूर्वोद्धत पृष्ठ 96

बसिक ला की यह विशिष्टता है कि उसमें अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के विविध पक्षों का सविस्तार वर्णन किया गया है। इतना विशद विवरण दुनिया के किसी संविधान में नहीं मिलता।

(ऊ) विवाह परिवार व अवैध सन्तान—विवाह व परिवार की संस्था की पवित्रता तथा महत्त्व की दृष्टि में जर्मन बेसिक ला का भारी महत्त्व है। वस इस प्रकार की व्यवस्थाएं इटली व टर्की के संविधानों में भी प्राप्य हैं लेकिन वस्तुतः ये व्यवस्थाएं जर्मनी से ही ली गई हैं। इतना ही नहीं जर्मनी का बेसिक ला विश्व के उन चन्द थोड़े से संविधानों में से एक है जिसमें अवैध बच्चे को सुरक्षा व मान्यता प्राप्त है तथा उसके व्यक्तित्व के विकास हेतु समुचित अवसर प्रदान किए गए हैं।

अनुच्छेद 6 में की गई व्यवस्थाओं के अन्तर्गत

(1) विवाह तथा परिवार राज्य का विशेष संरक्षण का उपभोग करेंगे।

(2) बच्चों का लालन-पालन व उनकी परवाह करना माता पिता का नैसर्गिक अधिकार तथा प्रमुख कर्तव्य है। राष्ट्रीय समुदाय इस दिशा में उनके प्रयासों को देखेगा।

(3) बच्चों को उनके परिवारों से अलग नहीं किया जा सकता।

(4) प्रत्येक माता समुदाय द्वारा सुरक्षा व उसका ध्यान रखने की अधिकारिणी होगी।

(5) प्रत्येक बच्चे के शारीरिक आध्यात्मिक विकास के लिए समाज में उनको वही स्थान देने के लिए—जो वैध बच्चों को प्राप्त है—राज्य कानून द्वारा व्यवस्था करेगा।

(ए) शिक्षा का अधिकार—किसी राष्ट्र के विकास में शिक्षा का सर्वोच्च स्थान है। आज के तकनीकी-औद्योगिक युग में शिक्षा का महत्त्व और भी बढ़ गया है। इसी को दृष्टिगत करते हुए बेसिक ला में शिक्षा के अधिकार को स्वीकृति दी गई है। लेकिन शिक्षा को सुव्यवस्थित सशक्त एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए उसे राज्य के पर्यवेक्षण में रखा गया है। भारत की भांति शिक्षा जर्मनी में भी राज्य के क्षेत्राधिकार में ही है। अनुच्छेद 7 के अनुसार—

(1) समस्त शिक्षा व्यवस्था राज्य के पर्यवेक्षण में रहेगी।

(2) बच्चों के भरण-पोषण के अधिकारी लोगों को यह तय करने का अधिकार होगा कि बच्चे को धार्मिक शिक्षा दी जाए अथवा नहीं।

(3) धर्म निरपेक्ष स्कूलों को छोड़कर सभी राजकीय तथा नगरपालिका स्कूलों में सामान्य शिक्षा में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था होगी। किसी भी अध्यापक को उसकी इच्छा के विरुद्ध धार्मिक शिक्षा देने को बाध्य नहीं किया जा सकता।

(4) निजी स्कूलों की स्थापना की गारन्टी है। निजी स्कूलों राजकीय व नगरपालिका स्कूलों के स्थानापन्न रूप में की-स्थापना के लिए सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता होगी। यदि अध्यापक वर्ग की आर्थिक तथा कानूनी स्थिति पर्याप्त रूप में सुनिश्चित नहीं है तो ऐसी स्कूल की मान्यता को रोका जा सकेगा।

इस प्रकार शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत अध्यापकों की दशा को समुन्नत बनाने की गारन्टी भी दी गई है। कई राष्ट्रों के लिए यह अनुच्छेद एक अनुकरणीय आदर्श हो सकता है।

(ए) सभा का अधिकार—अपने विचारों के प्रसार के लिए सभा के आयोजन का विशेष महत्त्व है। इसके अभाव में व्यक्ति मत डाल देने तथा जनमत को प्रभावित करने से वंचित रह जाता है। प्रत्येक जनतान्त्रिक संविधान में सभा के आयोजन का अधिकार दिया जाता है। बेसिक लॉ में भी इसकी व्यवस्था है। अनुच्छेद 8 के अनुसार—

(1) पूर्व अनुमति से सभी जर्मन लोगों को निःशस्त्र एवं शान्तिपूर्ण सभा का आयोजन करने का अधिकार होगा।

(2) सार्वजनिक स्थानों पर खुली हवा में सभा के आयोजन के अधिकार को कानून द्वारा सीमित किया जा सकता है।

(ओ) संघ निर्माण का अधिकार—जनतन्त्र में समान आदर्शों, लक्ष्यों तथा अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघ निर्माण का अधिकार अनिवार्य माना गया है। इसी तथ्य को सुरक्षित बनाने के लिए अनुच्छेद 9 में कहा गया है —

(1) सभी जर्मन लोगों को संघ तथा समाज (सम्प्रदाय) बनाने का अधिकार होगा।

लेकिन ये संघ कानून विरोधी तथा संसदीय जनतान्त्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल न हों इस बात को मद्देनजर रखते हुए अनुच्छेद 9 (2) में स्पष्ट कहा गया है कि—

जिन संघों के उद्देश्य तथा गतिविधियाँ अपराध-कानून के विरुद्ध हैं तथा जो जनतान्त्रिक व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव के सिद्धान्त के विरुद्ध हैं उन पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि पश्चिमी जर्मनी के बेसिक लॉ में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सद्भाव को भी एक महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य माना गया है।

(औ) डाक व दूर संचार की गोपनीयता—मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है लेकिन समाज में रहते हुए भी उसको व्यक्तिगत जीवन और उसकी भावनाओं का पूरा ध्यान रहता है। प्रत्येक व्यक्ति या परिवार अपने घर को एक दुर्भेद्य दुर्ग की भाँति देखना चाहता है। कोई यह पसन्द नहीं करेगा कि उसके निजी जीवन में कोई हस्तक्षेप करे। इस तथ्य को प्रमाणित करते हुए बेसिक लॉ के निर्माताओं ने निम्नलिखित व्यवस्था की है। अनुच्छेद 10 के अनुसार—

लेकिन साथ ही इसम छूट की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 12 (2) म कहा गया है—

यदि एक व्यक्ति आत्मा क आधार पर युद्ध सवा—जिसम शस्त्र उठाना पड़—स इन्कार करता है तो उसे स्थानापन्न सवा करन को कहा जा सकता है। एसी सवा की अवधि अनिवाय सनिक सवा की अवधि से अधिक नहीं होगी। यह एक महत्त्वपूर्ण रियायत मानी जा सकती है।

(ख) निवास की अनुलघनीयता—प्रत्यक व्यक्ति अपने घर को एक दुर्भेद्य किला समझता है और अपने को उसका राजा। वह यह पसन्द नहीं करेगा कि कोई भी—यहाँ तक व सरकार सहित—उसके घर म प्रवश करे। इसलिए बेसिक ला क 13वें अनुच्छेद म व्यवस्था है कि—

(1) निवास स्थान अलघ्य होगा।

(2) सिफ न्यायाधीश के आदेश पर—देरी होन पर खतरा उत्पन्न होन की स्थिति म अन्य सरकारी अग भी कानून द्वारा निर्धारित ढग से—ही मकान की तलाशी ली जा सकती है।

(3) व्यक्तियों की जान का खतरा होन पर या सावजनिक व्यवस्था की सुरक्षा का खतरा होन पर या मकानों की तगी कम करने या महामारी का मुकाबला करने या अबोध बच्चो की सुरक्षा की स्थिति को छोडकर घर अनन्य रहेगा।

(ग) सम्पत्ति पतृक विरासत व अन्य—जमन राजनीतिज्ञ जानत थ कि एक व्यक्ति के जीवन मे उसके घर बगीचे तथा कार व अन्य सम्पदा का भारी अथ और महत्त्व है। इसीलिए अनुच्छेद 14 म कहा गया है—

(1) सम्पत्ति तथा पतृक विरासत की गारटी है। उसक स्वरूप व सीमा का निर्धारण कानून द्वारा किया जाएगा।

लकिन इस का अथ यह नहीं कि व्यक्ति अत्यधिक सकीण दृष्टिकोण अपना लें इसलिए उसी अनुच्छेद म आग कहा गया है— सम्पत्ति कत्तव्यों को थोपती है। उस सावजनिक कल्याण का भी ध्यान रखना चाहिए। इतना ही नहीं सावजनिक हित म सम्पत्ति का अधिग्रहण करन का भी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 14 के अन्तगत स्पष्ट किया गया है कि सिफ सावजनिक कल्याण के लिए सम्पत्ति क हरण की अनुमति दी जाएगी। यह हरण सिफ कानून क अनुरूप ही किया जाएगा जो मुआवजे का स्वरूप तथा सीमा निर्धारित करगा। एसा मुआवजा सावजनिक हित तथा प्रभावित व्यक्ति क हितों म समान सतुलन स्थापित करते हुए निर्धारित किया जाएगा। यदि सरकार तथा व्यक्ति म इस विषय पर विवाद हो तो सामान्य न्यायालय की शरण म जाया जा सकता है।

(घ) समाजीकरण— जसा कि पहले सकेत किया जा चुका है सोशल डमोक्रेटिक पार्टी समाजवाद की पोषक थी तथा व राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण का पक्षपाती

(ज) मूल अधिकारों को सीमित करना—इस बेसिक ला के अन्तगत जहा तक कानून द्वारा किसी मूल अधिकार को सीमित करने का प्रश्न है एसा कानून सामान्य रूप स लागू होगा किसी विशष व्यक्ति के मामल म नहा। इसके साथ ही ऐसे कानून म उस मूल अधिकार का नाम तथा अनुच्छेद की सख्या का सकेत होना चाहिए।

किसी भी स्थिति म मूल अधिकार के अनिवाय तत्व का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। सरकारी अधिकारी द्वारा यदि किसी व्यक्ति क मूल अधिकारा का हनन होता है तो वह न्यायालय की शरण म जा सकता है।

पश्चिमी जमनी म मूल अधिकारा की विस्तृत तथा स्पष्ट व्यवस्था इस बात का भ्रोर इगित करती है कि बसिक ला क निमाता सरकार को कोई एसा कदम उठान स पूरी तरह रोकना चाहत थ जिससे किसी व्यक्ति क मूल अधिकारो पर आघात पहुँचे। सघीय सवधानिक न्यायालय का सभी मूल अधिकारा का सरक्षक नियुक्त कर बसिक ला न उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की है।

(5) सघीय व्यवस्था—एक अन्य विशषता है सघीय व्यवस्था। जमनी मे सघ शासन की लम्बी परपरा रही है। बिस्मार्क के युग म 1866 व 1870 के जो सविधान बन वे सघीय सविधान थ। यही बात 1919 के वाइमार-सविधान पर लागू होती है। 1949 म जिस बसिक ला का निमाण किया गया उसम पूव राज्यो का निमाण हो चुका था। बसिक ला का अनुच्छेद 70 स्पष्ट करता है कि — जहा तक बसिक ला अन्यथा व्यवस्था नहा करता या अनुमति नहा देता राज्य के अधिकार और काया का निष्पादन लेण्डर (राज्या) का मामला है। एलमर प्लिशक क अनुसार यह व्यवस्था अमरिकी सविधान क दसवें सशोधन के अनुसार है जिसम कहा गया है कि व सभी शक्तिया जो सघ सरकार को नही दी गई हैं तथा न सविधान राज्य द्वारा उनक प्रयोग की मनाही करता है व अधिकार राज्यो के लिए आरक्षित हैं।[1]

जमनी 11 राज्या का सघ राज्य है। इन राज्यो क नाम इस प्रकार हैं —

1 बाडेन व्यूरटमबग
2 बवेरिया
3 ब्रेमन
4 हाम्बुग
5 हस
6 लोअर सक्सनी
7 नाथराइन वस्टफालिया
8 राइन लण्ड पेलटीनेट
9 सारलैण्ड
10 श्लसविग होल्सटाइन
11 पश्चिमी बर्लिन

(1) एल्मर प्लिशक पूर्वोद्धृत पृ 53 54

पश्चिमी जर्मनी की सघीय व्यवस्था के अन्तर्गत राज्यो का विभाजन

सघीय व्यवस्था म सघ राज्य तथा उसके सदस्य राज्यो के बीच विषयो का स्पष्ट विभाजन होता है। कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिन पर सघ राज्य या उसका सदस्य राज्य दोनो कानून बना सकते हैं। अधिकार विभाजन की दृष्टि से बेसिक ला म अधिकारो की दो सूचियाँ दी गई हैं —

1 सघीय सूची
2 समवर्ती सूची।

अनुच्छेद 73 म सघीय सूची के अन्तर्गत आने वाले विषयो का उल्लेख है। अनुच्छेद 74 म समवर्ती विषयो की सूची दी गई है तथा इसके अतिरिक्त सारे अधिकार राज्य या लेण्ड के पास होगे। सघ राज्य या बन्द के पास विदेशी मामले सघ की नागरिकता यातायात सिक्के सघीय रेलमार्ग व हवाई यातायात डाक व तार इत्यादि विषय हैं। समवर्ती सूची म फौजदारी व दीवानी कानून जन्म मृत्यु लेखा जोखा शरणार्थी व निष्कासित जमन व्यक्ति राज्य म नागरिकता जनकल्याण युद्धपीडित व युद्धावज श्रमिक कानून भूमि प्राकृतिक साधनो का राज्य का हस्तान्तरित करना अर्थशास्त्र कानून इत्यादि प्रमुख विषय हैं। जैसा कि स्पष्ट है राज्य को

न विषयों पर कानून बना सकता है लेकिन यदि संघ ने कानून बनाया है तो वही लागू होगा।

(6) शक्तिशाली चान्सलर की व्यवस्था—बेसिक ला के निर्माताओं ने जर्मनी के वाईमार-गणराज्य द्वारा की गई भूलों से सीख लेकर राष्ट्रपति की तुलना में शक्तिशाली चान्सलर की व्यवस्था की। आज पश्चिमी जर्मनी के चान्सलर की शक्तियों की तुलना अमरिका के राष्ट्रपति या ब्रिटेन के प्रधान मंत्री से की जा सकती है। चान्सलर को अपने सहयोगी मन्त्रियों की नियुक्ति करने तथा उन्हें पद से हटाने का अधिकार है। इतना ही नहीं जब तक पहले नए चान्सलर का चुनाव नहीं हो जाता तब तक चान्सलर को उसके पद से भी नहीं हटाया जा सकता। यह बेसिक ला की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। इस व्यवस्था के कारण वहां राजनीतिक अस्थायित्व या संकट को समाप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। जर्मनी का प्रथम चान्सलर कानराड आदेनआवर (1949–1963) इतना अधिक शक्तिशाली था कि राजनीति के लेखकों ने पश्चिमी जर्मनी की व्यवस्था को चान्सलर डमोक्रेसी कहना आरम्भ कर दिया। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वहां जनतन्त्र की शक्तियाँ चान्सलर में निहित हैं। बाद के चान्सलरों ने इतनी अधिक शक्तियों व अधिकारों का उपयोग नहीं किया।

(7) अपेक्षाकृत शक्तिहीन राष्ट्रपति—वाईमार गणराज्य (1919–1933) में राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था थी। साथ ही उसे व्यापक संकटकालीन अधिकार प्राप्त थे। इसीलिए उस राष्ट्रपति के पास अत्यधिक शक्तियाँ थीं जिसके दुरुपयोग के कारण वाईमार-गणराज्य में न केवल राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई वरन् अन्त में वह नष्ट हो गया। इसी तथ्य को लक्षित करते हुए बेसिक ला में राष्ट्रपति की शक्तियों में कमी की गई। प्रत्यक्ष चुनाव के स्थान पर अब अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई। संकटकालीन अधिकार भी राष्ट्रपति के पास न रख कर बुन्डेसटाग (लोक सभा) तथा बुन्डेसराट (राज्य सभा) की एक संयुक्त समिति के पास रख गए हैं। इस प्रकार वर्तमान पश्चिमी जर्मनी का राष्ट्रपति सिर्फ समारोहों की शोभा बढ़ाने तथा राष्ट्र के सम्माननीय प्रतीक से अधिक कुछ नहीं रह गया है। लेकिन अन्ततः यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ाता है तथा जनता के कष्ट निवारण में सहयोग देता है। एक सौम्य व सुस्पष्ट विचार वाला राष्ट्रपति अपने लिए सम्मान अर्जित कर सकता है तथा समय आने पर मन्त्रिमण्डल को प्रभावित भी कर सकता है। राष्ट्रपति विषयक अध्याय में इस विषय की विस्तार से चर्चा होगी।

(8) रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव—बेसिक ला की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि उसने राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने के लिए मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध ...स प्रस्ताव का रचनात्मक बनाने में सफलता प्राप्त की है। जिस किसी देश में कई राजनीतिक दल होते हैं वहां विरोधी दल किसी प्रधानमंत्री या चान्सलर को

अनुच्छेद 25 यवस्था करता है कि—सावजनिक अतराष्ट्रीय कानून के सामान्य सिद्धात सघीय कानून के अविभाज्य अग होगे। वे कानूनो से ऊपर स्थान प्राप्त करेंगे तथा सघीय क्षेत्र के निवासियो के लिए अधिकारो तथा दायित्वो का निर्माण करेंगे।

शाति स्थापना के लिए युद्धो पर प्रतिबध लगाना अनिवाय है। इस न य की प्राप्ति के लिए अनुच्छेद 26 यह कत्तव्य लादता है कि —राष्ट्रो के मध्य सम्बन्धो मे व्यवधान डालन क इरादे स किय गय काय—विशेषत आक्रामक युद्ध की तयारी—असवधानिक होगी। ऐसे काय अपराध मान जाएँगे जिसके लिए सजा की यवस्था होगी।

विश्व शाति को इतना अधिक सम्मान बहुत कम सविधानो म प्राप्त है।

(10) राजनीतिक दलो का महत्त्व—एक जनतान्त्रिक यवस्था मे राजनीतिक दलो का भारी महत्त्व ह। वे यवस्था क नियता वाहक एव प्रहरी हैं। लेकिन अधिकाश देशो म राजनीतिक दल सविधान के अग नही हैं। दूसरे शब्दो म यद्यपि राजनीतिक दल सविधान की आधारशिला है लेकिन सविधान म उनका विशद एव विस्तृत उल्लेख नही होता। वे परम्परागत ढग स अपना काय करते हैं। अमरिका म तो प्रारम्भ म सविधान निर्माताओ न राजनीतिक दलो को सविधान के लिए हानिकारक बताया क्योंकि उनकी मान्यता थी कि राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों म द्वष शत्रुता तथा घृणा की भावना फलाएँगे। यही कारण है कि मुनरो ने अमरिका क बारे म लिखा है कि— सविधान निर्माताओ न जिस नीव क पत्थर को अस्वीकृत कर दिया था वही (राजनीतिक दल) आज अमरिकी शासन-पद्धति के आधार स्तम्भ हैं।

पश्चिमी जमनी म इन आधार स्तम्भो (राजनीतिक दलो) की अवहेलना नही की गई वरन् उन्हे बेसिक लॉ म स्थान देकर उनका सावधानीकरण कर दिया तथा उन्ह आवश्यक मान्यता प्रतिष्ठा और सम्मान प्रदान किया है। इसीलिए जमन लेखक गेराल्ड ब्राउनथाल ने लिखा है— जर्मनी मे पहली बार राजनीतिक दलो को—जनता को सक्रिय करने के लिए—राजनीतिक तथा समाजशास्त्रीय दृष्टि म अनिवाय सयन्त्र माना गया है।

बेसिक लॉ क 21 वें अनुच्छेद म स्पष्ट घोषणा की गई है कि— राजनीतिक दल जनता की इच्छा क निर्माण म भाग लेते हैं। निर्बाध रूप से उनका निर्माण किया जा सकता है। उनका आन्तरिक सगठन जनतान्त्रिक सिद्धान्तो क अनुकूल होना चाहिए। उन्ह अपने धन प्राप्ति क स्रोत का सावजनिक विवरण प्रस्तुत करना [illegible]।

(11) स्वतन्त्र न्यायपालिका—शासन की जनतन्त्रीय पद्धति म स्वतन्त्र न्यायपालिका [illegible] भारी महत्त्व होता है। 1949 के बेसिक लॉ म न्यायपालिका के अधिकारो का विकसित किया गया है जिसक कारण कुछ लेखक न तो पश्चिमी जमन राज्य [illegible] राज्य तक की सज्ञा दे डाली है।

(13) लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था—बेसिक ला मे लोक-कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को समाविष्ट किया गया है, अनुच्छेद 74 (7) के अन्तर्गत जन कल्याण को समवर्ती सूची म स्थान दिया गया है। उसी अनुच्छेद के 12वें परिच्छेद म श्रमिक कानूनों का निर्माण करते समय उनकी सुरक्षा की व्यवस्था के साथ ही रोजगार सामाजिक बीमा तथा बेरोजगारी के भत्ते के सम्बन्ध म कानून बनाने का निर्देश भी है। इन व्यवस्थाओं से जनता के जीवन स्तर म सुधार व लोगों को रोजगार सुलभ करना राज्य का दायित्व बताया गया है क्योंकि बेसिक ला के निर्माता व्यक्ति के बहुमुखी विकास को अपना सबसे बड़ा ध्येय मानते थे।

(14) संशोधन प्रक्रिया—सामान्यत लिखित संविधान अनम्य तथा कठोर होता है यह बात बेसिक ला पर भी लागू होती है। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है तथा उसमे संशोधन की प्रक्रिया को कठिन बनाकर ही उसमे निहित आदर्शों की रक्षा की जा सकती है लेकिन दूसरे राष्ट्रों जैसे भारत आदि की तुलना म बेसिक ला को कठोर नहीं कहा जा सकता है। जिस प्रकार भारत म संविधान म संशोधन के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है उसी प्रकार जर्मनी म भी यही व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 79 के अनुसार— इस बेसिक ला म संशोधन करने के लिए बुन्देसटाग तथा बुन्देसराट के सदस्यों के दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता है।

पश्चिमी जर्मनी के संविधान की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि इसके दो अनुच्छेदों म किसी भी स्थिति म संशोधन नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद हैं 1 तथा 20 प्रथम अनुच्छेद म मानव की गरिमा की व्यवस्था है तथा बीसवें अनुच्छेद म जर्मनी को एक जनतान्त्रिक सामाजिक संघ कहा गया है। इस प्रकार बेसिक ला द्वारा जनतन्त्र को शाश्वत बनाये रखा गया है।

(15) दोहरी नागरिकता—भारतीय संविधान म जहाँ एक नागरिकता का प्रावधान किया गया है वहाँ पश्चिमी जर्मनी म दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। अनुच्छेद 72 (2) के अनुसार संघ की नागरिकता विषयक अधिकार संघ के पास होंगे तथा अनुच्छेद 74(8) के अनुसार लेण्डर (राज्यों) की नागरिकता को समवर्ती सूची के अन्तर्गत रखा गया है।

(16) संकटकालीन अधिकार—यह उल्लेखनीय है कि 1949 म जब बेसिक ला का निर्माण हुआ उसम संकटकालीन अधिकारों की कोई व्यवस्था नहीं था। बाद म 1968 म उसम संकट काल विषयक अनुच्छेद जोड़े गए। संकटकाल की दृष्टि म भी बेसिक ला विश्व के अन्य संविधानों की तुलना म बेजोड़ तथा अनुपम है। सामान्यत संकटकाल म समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष अथवा प्रधान मंत्री के हाथों म केन्द्रित हो जाती है तथा वह व्यक्ति सर्वेसर्वा बन जाता है लेकिन बेसिक ला के अनुच्छेद 53(ए) के अनुसार एक संयुक्त समिति (Joint Committee)

का निमाण किया गया है जो मवस्थान म बराबर काय करता रहेगी । इस समिति के सन्स्या म म 2/3 मन्स्य बुन्मेटाग तथा 1/3 मन्स्य बुन्मराट स आयेंगे ।

बर्लिन ता म एक ग्रय उल्लखनीय व्यवस्था यह है कि मवटकाल म ममस्त शक्ति राष्ट्रपति म केन्द्रित नहा का गई है । इतना ही नहीं प्रतिरक्षा का स्थिति होन पर सना विषयक सर्वोच्च सत्ता चासलर क पास आ जाता है । इसके विपरीत भारत म सकटकाल म ममस्त शक्ति राष्ट्रपति म केन्द्रित रहता है ।

(17) चुनाव पद्धति—पश्चिमी जमनी का राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य आधार प्रदान करन म वहा का चुनाव पद्धति का विशप योगदान रहा है । बर्लिन ता के ग्रन्तगत जिस चुनाव प्रणाली की व्यवस्था का गई है उसम विश्व म प्रचलित सभी चुनाव प्रणालियो का सुन्दर ममन्वय प्रस्तुत किया गया है । मूलत चुनाव प्रणाली का दो प्रकारो म बाटा जा सकता है प्रत्यक्ष या साधा चुनाव (इस डायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है) दूसरा अप्रत्यक्ष चुनाव या आनुपातिक चुनाव प्रणाली । जमनी का चुनाव-कानून दोनो प्रणालियो की अच्छाइयो को लेकर बनाया गया है ।

15 जून 1949 को सवप्रथम चुनाव-कानून का निमाण किया गया । इसम 27 अनुच्छेद थ । इसके अन्तगत 21 वर्षीय लोगो को मताधिकार दिया गया तथा 60 प्रतिशत प्रतिनिधियो के प्रत्यक्ष चुनाव तथा 40 प्रतिशत के अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई । प्रत्येक जमन को दो वोट देन थ एक उम्मीदवार को तथा एक राजनीतिक दल को । इस प्रकार 60 प्रतिशत प्रतिनिधि उसी प्रकार चुन जाते थ जैस भारत म तथा 40 प्रतिशत प्रतिनिधियो को राजनीतिक दल अपने भाग प्राप्त मतों के अनुपात म नामजद करते हैं । इस प्रकार व लोग भी बुन्डस्टाग या लण्ड (राज्य) विधानसभा म प्रवेश कर सकते थ जो प्रत्यक्ष चुनाव लडन म कुशल नहा थ ।

इतना ही नहीं छोटे छोटे दलों के निमाण को हतोत्साहित करन के लिए कानून म एक पाच प्रतिशत धारा भी रखी गई जिसके अनुसार जिस राजनीतिक दल को राज्य म या ससद के चुनाव म 5 प्रतिशत वोट नहा मिलत वह अपना प्रतिनिधि नहीं भेज सकता था । इस व्यवस्था को रुकावट धारा भी कहा गया है । इसके कारण जमनी म धीरे धीरे छोटे छोटे दलों का लोप होता गया और अब म कुल तीन मुख्य दल हो रह गए । य दल हैं—सोशल डमोक्रेटिक पार्टी क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन तथा फ्री डेमाक्रेटिक पार्टी ।

1953 म इस चुनाव-कानून म कुछ परिवतन किया गया तथा अब 50 प्रतिशत प्रतिनिधियो के प्रत्यक्ष चुनाव की तथा 50 प्रतिशत राजनीतिक दलो की सूची म चुनाव की व्यवस्था की गई । पहले आम चुनाव म द सदस्यो म 400 प्रतिनिधि चुन गए तथा नय कानून के अनुसार उनकी सख्या 484 कर दी गई । 1956 म चुनाव-कानून म मामूली संशोधन किया गया तथा 1970 म मताधिकार की उम्र 21 स कम करके 18 वष निश्चित की गई । पहले 25 वष

की आयु वाला व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता था अब वह घटाकर 21 कर दी गई। इस परिवर्तन से 20 लाख नवयुवकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। भारत में आजकल चुनाव-कानून में परिवर्तन की माँग की जा रही है तथा साथ ही मताधिकार की उम्र 21 से घटाकर 18 करने की भी आवाज उठाई जा रही है।

(18) राज्यों के अलग संविधान—पश्चिमी जर्मनी के संविधान की एक अन्य विशेषता यह भी है कि वहाँ बेसिक ला के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य राज्य का अपना अलग संविधान है। इस प्रकार वहाँ 11 राज्यों के 11 संविधान भी मौजूद हैं। यह तथ्य इस बात की ओर संकेत करता है कि राज्यों को भारी महत्व दिया गया है। राज्य वहाँ मात्र बड़ी नगरपालिकाओं की भाँति नहीं हैं। लेकिन राज्यों के ये संविधान बेसिक ला के सिद्धान्तों के अनुरूप ही होंगे। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि—

लैण्डर (राज्यों) की संवैधानिक व्यवस्था गणतन्त्रीय जनतान्त्रिक तथा सामाजिक सरकार के सिद्धान्तों के अनुरूप कानून पर आधारित होनी चाहिए।

(19) उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था नहीं—बेसिक ला की एक विशेषता यह भी है कि उसमें उपराष्ट्रपति पद की कोई व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रपति का ही चुनाव होता है तथा पद-त्याग अथवा पद रिक्त होने पर बुन्देसराट का अध्यक्ष राष्ट्रपति पद का काम भार सम्भालता है।

(20) स्थानीय जनतन्त्र की व्यवस्था—बेसिक ला में एक चौखम्भा राज्य की कल्पना की गई है जिसमें संघ राज्य राज्य काउन्टी (Kreise) तथा कम्यून (Gemeinde) की व्यवस्था की गई है। काउन्टी तथा कम्यून अपने अपने क्षेत्रों में स्वायत्त शासी संस्थाएँ होती हैं। ये संस्थाएँ ही पश्चिमी जर्मन जनतन्त्र की नींव या प्रारम्भिक पाठशालाएँ हैं।

बेसिक ला का मूल्यांकन

जनतन्त्र में निष्ठा रखने वाले हिटलर के सैकड़ों विरोधियों ने जो कुर्बानियाँ दी वह निरर्थक नहीं रहा। वे लोग जर्मनी में एक आदर्श जनतान्त्रिक व्यवस्था का सपना देखते थे। क्लाउस फान स्टाउफनबर्ग ने हिटलर की हत्या के असफल प्रयास से पूर्व लिखा था —

हम एक नवीन व्यवस्था चाहते हैं जो सभी जर्मनी वासियों को राज्य में भागीदार बनाएगी तथा अधिकारों व न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित बनाएगी। स्टाउफनबर्ग को फाँसी दे दी गई लेकिन उसके ये शब्द बाद में संविधान निर्माताओं का प्रेरणा स्रोत रहे।

बेसिक ला उसके निर्माताओं के सजग प्रयासों का फल है। इन निर्माताओं ने नवीन जर्मनी के राजनीतिक क्षितिज पर आक्रान्ति समस्याओं तथा अतीत के अपने

बहु अनुभवों को ध्यान म रखते हुए इसका निर्माण किया। बान नगर मे एकत्रित जमन प्रतिनिधि एक स्वतत्र जनतात्रिक तथा सघ राज्य के विचारो से प्रेरित थ।

बेसिक ला यावहारिक राजनीतिक दूरदर्शिता की उपज है। जान फोर्ड गोलाए के अनुसार बसिक ला का निर्माण प्रतिनिधि जनतत्र का एक मौलिक कृत्य है। बिस्मार्क युग व वाइमार-काल के सविधान के विपरीत यह वेसिक ला कम मस्तिष्कों व कई छायाओं का प्रतिफल है। यह काफी विस्तृत हो सकता है लेकिन बसिक ला म समझौतों की जो प्रगति है वह भविष्य के लिए आशावाद का चिह्न है। उससे लगता है कि यह सविधान उसी प्रकार स्थायी होगा जिस प्रकार अन्य देशों के सविधान स्थायी रहे हैं क्योंकि यद्यपि यह सविधान किसी के लिए भी पूर्णत सतोषप्रद भले ही न हो लेकिन सभी के लिए सहन लायक अवश्य है। गोलाए आगे लिखता है— पश्चिमी जमनी म सरकार की स्थापना युद्धोत्तर यूरोप की महानतम राजनीतिक घटना है।[1]

पश्चिमी जमनी के भूतपूर्व राष्ट्रपति गुस्टाफ हाइनमान की मान्यता है कि— हमारा वेसिक ला एक महान् भेंट (offer) है। हमारे इतिहास म पहली बार यह बेसिक ला एक उन्नत जनतात्रिक तथा सामाजिक सवधानिक राज्य म व्यक्ति की गरिमा को ग्राह्य बनाता है। इसम विविध मतों के लिए स्थान है जिन्ह स्पष्ट व निर्भीक विचार विमश द्वारा सुस्पष्ट बनाता है।

प्रसिद्ध जमन दार्शनिक कार्ल यास्पर्स ने बसिक ला के सम्बन्ध म यह विचार प्रस्तुत किए हैं—

हमारा सविधान उत्कृष्ट काय का प्रतिफल है। इस विचारशील राजनीतिज्ञों तथा राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से बनाया है। इसम परम्परागत ससदीय जनतत्र के मूल विचार शामिल हैं तथा यह मानव के मूल अधिकारों का अनन्य घोषित करता है जो भावी ससदीय बन्धनों से नहीं बदले जा सकेंगे हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास यह सविधान है। बसिक ला को प्रत्येक नागरिक के हृदय म अकित करना होगा।

नाबर्ट जी नाउमान के अनुसार—एस कई अच्छे सकेत मिलते हैं जिनसे यह कहा जा सकता है कि पश्चिमी जमनी का नवीन जनतात्रिक शासन सुदृढ़ भित्ति पर खड़ा है आज का जमनी आज के 25 या 50 वर्ष पूर्व के जमनी से प्रत्यक्षिक भिन्न है।[3]

1 जॉन फोर्ड गोलाय दी फाउण्डिग आफ दी फडरल रिपब्लिक आफ जमनी (शिकागो 1968) पृ0 201।

2 कार्ल यास्पर्स वोहीन ट्राइब्ट डी बुन्देसरिपुब्लिक (म्यूनिख 1967) पृष्ठ 175।

3 रबर्ट जी नौमान दी गवर्नमेंट आफ फडरल जमन रिपब्लिक (न्यूयार्क 1960) पृ 163।

अर्नाॅड ज हाईडेनहाईमर लिखता है— बसिक ला की प्रमुख विशेषता है ससदीय व्यवस्था म अनेक प्रकार के नियत्रण तथा सतुलन की व्यवस्था। हाइडेन हाइमार आग कहते हैं—इस म उन्होंने एक नवीन वस्तु सघीय सवधानिक न्यायालय का व्यवस्था कर असवधानिक कार्यों को हतोत्साहित किया है।[1]

एलमर प्लिशके की मान्यता है कि—पश्चिमी जमन व्यवस्था (बसिक ला) म लचीलापन तथा स्थायित्व का प्रदर्शन किया है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि यह उन बड़ समस्याओं का सामना करन मे सक्षम है जो उसक सम्मुख आई हैं।

□□□

अर्नाॅड जे हाईडेनहाईमर दी गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी (लन्दन 1965) पृष्ठ 59
एलमर प्लिशके कान्टेम्पोरेरी गवर्नमेन्ट आफ जमनी (रिवीजड सस्करण 1969) पृष्ठ 31।

4

राष्ट्रपति का पद और उसकी सीमाएँ

राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतीक होता है साथ ही वह उसका प्रथम सम्मानित नागरिक भी है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में वह अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है तथा अपने देश के समाज की अगुवाई करता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रपति का पद किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होता है। जनतान्त्रिक व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यकारिणी होती है। एक अध्यक्षात्मक कार्यकारिणी जहाँ राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होता है। इस व्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है संयुक्त राज्य अमरिका। दूसरे प्रकार की कार्यकारिणी को मन्त्रिमण्डलात्मक व्यवस्था का नाम दिया गया है जिसमें प्रधान मन्त्री के पद के अन्तर्गत सभी अधिकार प्राप्त हैं। पश्चिमी जर्मनी में दूसरे प्रकार की व्यवस्था है। अन्य संसदीय जनतन्त्रों की भाँति पश्चिमी जर्मनी में भी संघ राष्ट्रपति का पद अधिकांश रूप में नाम और अलंकरण का पद है। वाइमार-गणतन्त्र की तुलना में वर्तमान पश्चिमी जर्मन राष्ट्रपति के अधिकार काफी सीमित हैं।

बॉन-संविधान के निर्माता वाइमार-गणतन्त्र की असफलता में राष्ट्रपति की भूमिका से भलीभाँति परिचित थे और वे इस बात के लिए सजग थे कि इतिहास की पुनरावृत्ति न हो। वाइमार-गणतन्त्र में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता था। समस्त जनता के वोटों से चुना गया राष्ट्रपति निश्चय ही यह दावा कर सकता था कि वह जनता का सच्चा प्रतिनिधि है और ऐसी स्थिति में चान्सलर व राष्ट्रपति के बीच विरोध मतभेद विवाद व संघर्ष की काफी गुंजाइश थी। इतना ही नहीं वाइमार-गणतन्त्र के अन्तर्गत राष्ट्रपति को यह भी अधिकार था कि अपने विवेक का प्रयोग करते हुए संसद् द्वारा पारित कानून को जनमत संग्रह के लिए प्रसारित कर सके। इसी प्रकार वाइमार-संविधान के 48वें अनुच्छेद के अन्तर्गत राष्ट्रपति को व्यापक संकटकालीन अधिकार प्रदान किए गए थे। इन अधिकारों के अन्तर्गत वह संसद् को भंग कर समस्त सत्ता अपने हाथों में केन्द्रित कर सकता था। इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण वाइमार संविधान में तत्कालीन जर्मन राष्ट्रपति के अधिकार अत्यधिक विस्तृत थे। नवीन संविधान के निर्माता इन तथ्यों से परिचित थे अतः उन्होंने संसद् तथा चान्सलर को शक्तिशाली बनाने के लिए एक अपेक्षाकृत निर्बल राष्ट्रपति पद की रचना की। उसके चुनाव को भी प्रत्यक्ष के बजाय अप्रत्यक्ष रखा तथा उसे संकटकालीन अधिकारों के उपभोग से भी वंचित कर दिया।

राष्टपति के पद के लिए योग्यताएँ

राष्टपति के बारे म बसिक ला अनुच्छेद 54 (1) कहता है कि प्रत्यक जमन जिसे वाट देन का अधिकार है तथा जिसने 40 वष की आयु प्राप्त कर ली है राष्टपति पद के लिए योग्य है। इसके अतिरिक्त बेसिक ला कोई व्यवस्था नहीं करता। लेकिन जब हम वोट देने के अधिकार की ओर ध्यान देते हैं तो कुछ और योग्यताए प्रकट होती हैं। उदाहरण के लिए वोट वही दे सकता है जो जमनी का नागरिक हो। इस प्रकार राष्टपति पद के प्रत्याशी के लिए निम्नलिखित योग्यताए सामन आती हैं —

(1) वह जमनी का नागरिक हो।
(2) वह 40 वष की आयु प्राप्त कर चुका हो।
(3) वह किसी अपराध म दण्डित न हो।
(4) वह पागल या मानसिक असतुलन का शिकार न हो।
(5) एक निश्चित अवधि तक पश्चिमी जमनी म निवास कर चुका हो।
(6) इसके अतिरिक्त बेसिक ला क अनुच्छेद 55 के अनुसार यह भी कहा गया है कि राष्टपति कोई अन्य वतनिक पद पर काय करने वाला न हो और न किसी व्यापार व्यवसाय या पशे से सम्बद्ध हो। वह लाभ प्रदान करन वाले किसी प्रबन्ध या उद्योग स सम्बद्ध भी नहीं हो सकता।

साथ ही राष्टपति-पद के प्रत्याशी को चुनाव के बाद सघ या राज्य की विधानसभा की सदस्यता या मत्री पद—यदि वह सदस्य या मत्री है तो—का त्याग करना पडगा।

इन सब सवधानिक व्यवस्थाओ के अतिरिक्त भी कुछ बातें हैं जो एक व्यक्ति को इस पद क योग्य बनाती है। राष्टपति वही व्यक्ति बन सकता है जिसन सावजनिक जीवन म दीघकाल तक सवाए प्रदान की हो जो राजनीति शिक्षा समाज सवा या सस्कृति क क्षेत्र म क्रियाशील रहा हो तथा समाज म प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका हो तथा जिस इस प्रतिष्ठा तथा सवा के कारण जनता क प्रतिनिधियो क एव अन्त वह वग का समथन प्राप्त हो।

राष्टपति का निर्वाचन व कायकाल

पश्चिमी जमनी क राष्टपति का चुनाव एक विशिष्ट पद्धति स होता है। बसिक ला क अनुसार राष्टपति का चुनाव एक सघीय निर्वाचन सभा (फडरल कन्वेशन) द्वारा होगा जो राष्टपति क पद की अवधि की समाप्ति क 30 दिन पहले चुनाव क लिए एकत्रित होगी। इस सघाय निर्वाचन सभा को बुन्डेसराट का अध्यक्ष आमन्त्रित करेगा [अनुच्छेद 54 (4)]

बसिक ला क अनुच्छेद 54 (3) क अनुसार—इस सघाय निर्वाचन सभा म

(1) बुन्डसटाग क समस्त सदस्य तथा

(2) बुंदेस्टाग के सदस्यों की समान संख्या में लेण्डेर (राज्यों) की विधान सभाओं के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसी अनुच्छेद के परिच्छेद (2) के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा वह दुबारा चुनाव में खड़ा हो सकता है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ दो ही बार राष्ट्रपति बन सकता है।

इस प्रकार पश्चिमी जर्मनी के राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा पहले से ही चुने गए प्रतिनिधि तथा राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वहां की जनता अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करती है। यदि हम भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का अध्ययन करें तो पश्चिमी जर्मनी व भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति में काफी साम्य नजर आता है। लेकिन कुछ अंतर भी है।

पश्चिमी जर्मनी व भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धतियों में समानताएं तथा असमानताएं

समानताएं

पश्चिमी जर्मनी	भारत
(1) अप्रत्यक्ष निर्वाचन	(1) अप्रत्यक्ष निर्वाचन
(2) संघीय निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचन	(2) निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचन
(3) विशेष रूप से निर्मित संघीय निर्वाचक-मण्डल	(3) विशेष रूप से निर्मित निर्वाचक मण्डल
(4) राज्यों तथा संघीय प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव	(4) राज्यों तथा संघीय प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव

असमानताएं

पश्चिमी जर्मनी	भारत
(1) बुंदेसराट (राज्य सभा) के सदस्य मतदान में भाग नहीं लेते।	(1) राज्य सभा के सदस्य भी निर्वाचन में भाग लेते हैं।
(2) चुनाव में बुंदेस्टाग के प्रतिनिधि तथा उसी के समान संख्या में लेण्डेर (राज्यों) की विधानसभाओं द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं।	(2) चुनाव में राज्यों के सभी चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं।

(3) प्रत्येक प्रतिनिधि एक वोट देता है।	(3) प्रत्येक प्रतिनिधि एक विशेष फार्मूले के अन्तर्गत बहु संख्या में वोट डालता है तथा प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी पसन्द के अनुसार 1 2 3 4 वोट देता है।
(4) यदि राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को बहुमत नहीं मिलता तो दुबारा वोट डाले जाते हैं।	(4) यदि किसी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिले हैं उसके वोट सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को हस्तान्तरित कर दिए जाते हैं।

निर्वाचन प्रक्रिया

जैसा कि पहले कहा जा चुका है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक विशेष संघीय निर्वाचन-सभा का निर्माण होता है। इस सभा में बुन्देसटाग के सदस्यों के समान संख्या में प्रतिनिधि विभिन्न राज्यों द्वारा चुने जाते हैं। ये लोग पश्चिमी बर्लिन में एकत्रित होते हैं तथा वहां राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। बर्लिन में चुनाव करने का एक विशेष आशय है। इस प्रकार पश्चिमी जर्मनी की सरकार यह घोषित करना चाहती है कि बर्लिन जर्मनी की राजधानी है (अस्थायी राजधानी बान नगर है)।

राष्ट्रपति के चुनाव को और अधिक स्पष्ट इस प्रकार किया जा सकता है। मान लीजिए कि बुन्देसटाग में कुल 518 सदस्य हैं तो 518 और सदस्य लैण्ड (राज्य) विधान-सभाओं द्वारा चुने जाएंगे और ये 1036 प्रतिनिधि बर्लिन में एकत्रित होकर चुनाव करेंगे। 1036 प्रतिनिधियों में से 519 मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाएगा। यदि प्रथम मतदान में किसी प्रत्याशी को निश्चित बहुमत नहीं मिलता है तो दुबारा मतदान होगा। यदि इसमें भी निश्चित बहुमत नहीं मिलता है तो तीसरी बार सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर चुना जाएगा।

12 सितम्बर 1949 को जर्मनी में राष्ट्रपति पद का पहला चुनाव हुआ। संघीय निर्वाचन-सभा के कुल सदस्य 804 थे तथा पूर्ण बहुमत के लिए 403 मतों की आवश्यकता थी। चुनाव के मैदान में कुल सात उम्मीदवार थे। प्रमुख प्रत्याशी थियोडोर हायस तथा कुर्ट शूमाखर। शूमाखर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे तथा हायस फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के तथा क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के संयुक्त उम्मीदवार। प्रथम मतदान में होयस को 377 तथा कुर्ट शूमाखर को 311 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार किसी भी उम्मीदवार को आवश्यक बहुमत (403 वोट) न मिलने फलस्वरूप दुबारा चुनाव हुआ। इस बार होयस को 416 मत मिले तथा

चुन लिए गए। 1954 में दुबारा राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। इस बार हायस फिर मैदान में थे और उन्हें कुल 987 मतों में से 871 मत प्राप्त हुए। इस बार सोशल डमोक्रेटिक पार्टी ने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। 1959 में तीसरी बार चुनाव हुआ और इस बार पहले तो स्वयं चांसलर आडेनावर ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने का निर्णय किया लेकिन बाद में उसने विचार त्याग दिया। इस बार क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने हाइनरिख ल्यूबके को—जो आडेनावर मंत्रि मण्डल में कृषि मंत्री थे—चुनाव के लिए प्रस्तुत किया। 1 जुलाई 1959 को चुनाव हुए। कुल मतदाता 1038 थे जिनमें से ल्यूबके को 526 वोट मिले। इस प्रकार वह 6 मतों से विजयी रहा। 1964 में फिर चुनाव हुआ और इस बार ल्यूबके पुन मैदान में उतरा। इस बार उसे 1024 वोटों में से 710 वोट प्राप्त हुए। 1969 में जब बर्लिन में संघीय निर्वाचन सभा के सदस्य 5वीं बार राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एकत्रित हुए तो नजारा बदल चुका था। अब तक जितने राष्ट्रपति बने उन्हें क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ने मिलकर सहयोग दिया था। लेकिन इस बार फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ सहयोग का निश्चय किया तथा उसके परिणाम-स्वरूप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार गुस्ताफ हाइनेमान का चुनाव हुआ। 1974 में जर्मनी के राष्ट्रपति पद पर फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार वाल्टर शील चुने गए। उन्हें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन प्राप्त था। 15 मई को हुए इस चुनाव में वाल्टर शील को 580 वोट मिले। उनके विरोधी कार्स्टेन्स क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन) को 494 मत प्राप्त हुए। कुल मतदाताओं की संख्या 1036 थी।

यह उल्लेखनीय है कि जर्मनी के राष्ट्रपति पद पर अब तक वहां के तीन प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुने जा चुके हैं। इसका विवरण इस प्रकार है—

(1) थियोडोर हायस (1949–59) फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी।

(2) हाइनरिख ल्यूबके (1959–1969) क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन।

(3) गुस्ताफ हाइनेमान (1969–1974) सोशियल डेमोक्रेटिक पार्टी।

(4) वर्तमान राष्ट्रपति वाल्टर शील (1974) फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी।

इस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रारम्भ हुआ और आज भी फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी का सदस्य वहां का राष्ट्रपति है।

राष्ट्रपति पद की शपथ

किसी भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा जो शपथ ली जाती है वह बहुत महत्त्वपूर्ण होती है। जिस प्रकार यह बात भारत पर लागू होती है उसी प्रकार पश्चिमी जर्मनी पर भी।

बेसिक लॉ के 56 वें अनुच्छेद के अनुसार— पद भार ग्रहण करने पर राष्ट्रपति बुंडेस्टाग व बुंडेसराट के सदस्यों के सम्मुख शपथ ग्रहण करेगा—

मैं शपथ लेता हूं कि मैं निष्ठापूर्वक जर्मन जनता के कल्याण का प्रयास करूंगा तथा उसके लाभों में वृद्धि करूंगा उन्हें हानि से बचाऊंगा बेसिक ला तथा संघ के कानूनों की रक्षा करूंगा व उसकी मर्यादा बनाए रखूंगा। श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा तथा सभी को न्याय प्रदान करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे।

यह शपथ ईश्वर के नामोल्लेख के बिना भी ली जा सकती है।

राष्ट्रपति का कार्यकाल

बेसिक ला के अनुच्छेद 54 (2) के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल भी इतना ही है। जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। उसी अनुच्छेद के अनुसार पश्चिमी जर्मनी में कोई व्यक्ति सिर्फ दो बार राष्ट्रपति पद पर बना रह सकता है। इस दृष्टि से भारत में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई सीमा नहीं है लेकिन अब तक की परम्परा के अनुसार राष्ट्रपति तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ता है।

सामान्यतः राष्ट्रपति 5 वर्ष कार्य करता है लेकिन इसी बीच उसे महाभियोग लगा कर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो बीच में त्याग पत्र दे सकता है। पश्चिमी जर्मनी के भूतपूर्व राष्ट्रपति गुस्टाफ हाइनमान ने राष्ट्रपति भवन पर यह घोषणा की थी कि वे अणुशस्त्रों के निर्माण व प्रयोग सम्बन्धी संसद के किसी कानून को स्वीकृति नहीं देंगे अर्थात् उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।

राष्ट्रपति पर महाभियोग

बेसिक ला में जर्मन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर पद से हटाने की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा इस बेसिक ला या संघीय कानून का जानबूझ कर उल्लंघन करने पर बुन्डेसटाग व बुन्डेसराट द्वारा संघीय संवैधानिक न्यायालय के समक्ष उस पर महाभियोग चलाया जा सकेगा। इसी अनुच्छेद में आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रस्ताव के लिए बुन्डेसटाग के 1/4 सदस्यों या बुन्डेसराट के 1/4 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। इस सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए बुन्डेसटाग या बुन्डेसराट के 2/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होगा। जो भी सदन महाभियोग चलाता है उसे संघीय संवैधानिक न्यायालय के सम्मुख अपना प्रतिनिधि भेजना होगा। जो उन आरोपों के सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत कर सके।

यदि संघीय संवैधानिक न्यायालय यह पाता है कि राष्ट्रपति ने जानबूझ कर इस बेसिक ला या संघीय कानून का उल्लंघन किया है तो वह यह घोषणा कर सकता है कि राष्ट्रपति पद पर आसीन रहने का उस पर बने रहने सम्बन्धी अपना अधिकार खो दिया है (अनुच्छेद 61 (2) महाभियोग लगाने के बाद न्यायालय यह अन्तरिम

आदेश निकाल सकता है कि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेगा तथा अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा।

महाभियोग विषयक प्रक्रिया की भारतीय प्रक्रिया से तुलना करें तो निम्न लिखित समानताएं तथा विभेद सामने आते हैं। यह उल्लेखनीय संयोग है कि दोनों देशों में महाभियोग सम्बन्धी धारा 61 ही है।

समानताएं

पश्चिमी जर्मनी	भारत
(1) महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए बुन्देसटाग या बुन्देसराट के 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक।	(1) महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए लोक सभा या राज्य सभा के 1/4 सदस्यों का समर्थन जरूरी है।
(2) महाभियोग सम्बन्धी निर्णय लेने के लिए बुन्देसटाग या बुन्देसराट के 2/3 बहुमत का समर्थन जरूरी।	(2) लोक सभा या राज्य सभा के सदस्यों का 2/3 बहुमत द्वारा समर्थन आवश्यक।

असमानताएं

(1) राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी कार्यवाही संघीय संवैधानिक न्यायालय में होगी।	(1) यदि लोक सभा महाभियोग लगाती है तो कार्यवाही राज्यसभा में होगी। यदि राज्य सभा महाभियोग लगाती है तो मामला लोक सभा सुनेगी।
(2) महाभियोग की सूचना सम्बन्धी अवधि का उल्लेख नहीं है।	(2) भारत में 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है।
(3) महाभियोग प्रक्रिया के दौरान संघीय संवैधानिक न्यायालय एक अंतरिम आदेश निकाल कर राष्ट्रपति को उस पद पर कार्य करने से वंचित कर सकता है।	(3) भारत का संविधान इस विषय पर मौन है।

पद रिक्त होने पर

ऐसे कई कारण हैं जिनके अंतर्गत राष्ट्रपति को अपनी 5 वर्षीय कार्यावधि पूर्ण करने से पूर्व पद छोड़ना पड़े। राष्ट्रपति या मन्त्रिमण्डल में आपसी विवाद की स्थिति, स्वास्थ्य खराब होने पर या महाभियोग सिद्ध होने अथवा असमय में मृत्यु हो जाने पर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। वैसे जर्मनी में अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई। लेकिन फिर भी संविधान में इस विषय में व्यवस्था करना अनिवार्य था। बेसिक ला के अनुच्छेद 57 के अनुसार—यदि संघ राष्ट्रपति को किसी कारणवश अपने कार्य करने से रोका जाता है या उसका पद असामयिक रूप से रिक्त

होता है तो उसके अधिकारों का प्रयोग बुंदेसराट के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। लेकिन यदि बुंदेसराट का अध्यक्ष भी ऐसा करने में असमर्थ हो तो क्या होगा इस बारे में बेसिक ला मौन है।

राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां

अन्य राज्याध्यक्षों की भांति पश्चिमी जर्मनी का राष्ट्रपति भी अपनी कार्यावधि में कई उन्मुक्तियों का उपभोग करता है। राष्ट्रपति पद के अन्तर्गत अपने कार्यों के लिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी भी दीवानी या फौजदारी अदालत में उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता न उसकी गिरफ्तारी का वारंट निकाला जा सकता है। सिर्फ संविधान या संघीय कानून को जानबूझ कर उल्लंघन करने की स्थिति में उस पर संघीय संवैधानिक न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। भारत में भी राष्ट्रपति को लगभग ये ही उन्मुक्तियां प्राप्त हैं।

राष्ट्रपति के अधिकार और कार्य

बेसिक ला के निर्माताओं ने जब राष्ट्रपति पद की शक्तियों के बारे में विचार आरम्भ किया तो उनके समक्ष वाइमार संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति हिण्डनबर्ग द्वारा अपनी शक्तियों के दुरुपयोग की याद ताजा थी। एक कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। जर्मन संविधान निर्माता भी इसी प्रकार अत्यधिक सजग थे। वे नहीं चाहते थे कि भविष्य में कोई दूसरा हिण्डनबर्ग पैदा हो जो जनतन्त्र का जनाजा निकाल दे। संविधान निर्माताओं ने निर्णय लिया कि जर्मन राष्ट्रपति—

(1) राष्ट्र का प्रतीक हो।

(2) राजनीतिक दृष्टि से वह तटस्थ रहे तथा उसे सिर्फ सुस्पष्ट रूप से परिभाषित स्थितियों में निषेधाधिकार का अधिकार दिया जाए तथा किसी भी स्थिति में नीति निर्धारण तथा शासन का अधिकार न दिया जाए।

(3) वह राजनीतिक दलों की गतिविधियों से दूर रहकर संविधान के रक्षक व अभिभावक का कार्य करे।[1]

इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रपति के लिए भरपूर प्रतिष्ठा लेकिन सीमित अधिकारों व शक्तियों की व्यवस्था की गई। बेसिक ला के अनुसार पश्चिमी जर्मनी के राष्ट्रपति के अधिकारों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है।

(1) व्यवस्थापिका विषयक शक्तियां।

(2) कार्यपालिका विषयक शक्तियां।

(3) न्यायिक शक्तियां।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिनिधित्व का अधिकार।

(1) जर्मन इन्टरनेशनल (मासिक पत्र) खण्ड XVIII संख्या 7 जुलाई 1974

प्रस्थापित्ता विषयक शक्तियां

पश्चिमी जर्मनी में कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति तथा मंत्रिमण्डल से मिल कर होता है। पश्चिमी जर्मन राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्तियां भारतीय राष्ट्रपति की तुलना में कुछ कम है। उदाहरण के लिए भारत का राष्ट्रपति लोक सभा का अधिवेशन बुलाता है लेकिन पश्चिमी जर्मनी में यह काय बुन्देसटाग का अध्यक्ष करता है। लेकिन बसिक ला के अनुच्छेद 39 के अनुसार राष्ट्रपति यह माग कर सकता है कि बुन्देसटाग का अधिवेशन बुलाया जाए।

बेसिक ला के अनुसार संसद् द्वारा पारित कानून पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक है। हस्ताक्षर होने के बाद ही वह कानून बनता है।

राष्ट्रपति प्रायः अध्यादेश व आदेश (decree) पर भी हस्ताक्षर करता है लेकिन वास्तव में यह अधिकार सम्बद्ध संघीय मंत्री या राज्य सरकार के पास होता है। इस दृष्टि से उसका अध्यादेश या आदेश जारी करने का अधिकार नाम मात्र का है। साथ ही इन अध्यादेशों पर चान्सलर या सम्बद्ध विभाग के मंत्री के हस्ताक्षर भी जरूरी होते है।

उपरिलिखित विवरण से यह प्रतीत होता है कि पश्चिम जर्मन राष्ट्रपति के अधिकार न के बराबर है लेकिन वस्तुस्थिति यह नहीं है। कुछ मामलों में वह अधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। खासकर प्रधान मंत्री द्वारा विश्वास प्राप्त करने के प्रस्ताव की असफलता के सम्बन्ध में बेसिक ला के अनुच्छेद 68 के अनुसार यदि चान्सलर द्वारा विश्वास प्रस्ताव को बुन्देसटाग के अधिकांश डेपुटी (सदस्य) अस्वीकृत कर देते है तो राष्ट्रपति चान्सलर के प्रस्ताव पर 21 दिन के भीतर बुन्देसटाग को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 81 यह व्यवस्था करता है कि अनुच्छेद 68 के अन्तर्गत यदि बुन्देसटाग भंग न हो होती है तथा संघ सरकार की प्रार्थना पर राष्ट्रपति बुन्देसराट की सहमति से किसी विधेयक के बारे में विधायिका संकट-काल (Legislative emergancy) की घोषणा कर सकता है। यह घोषणा उस विधेयक के बारे में की जा सकती है जिसे संघ सरकार ने आवश्यक बताया है लेकिन बुन्देसटाग ने उसे अस्वीकार कर दिया है।

अनुच्छेद 81 (2) के अनुसार यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि विधायिका संकट-काल की घोषणा कर दी गई तथा बुन्देसटाग पुनः उस विधेयक को अस्वीकृत कर देता है तो वह विधेयक कानून बन जाएगा बशर्ते बुन्देसराट उसको स्वीकृति दे। यदि बुन्देसटाग उस विधेयक को पुनः उपस्थित करने पर चार सप्ताह में पारित नहीं करती है तो भी वही स्थिति लागू होगी।

इस प्रकार विधायिका संकट-काल की स्थिति में राष्ट्रपति की शक्तियां प्रमुख हो जाती है क्योंकि 'विधायिका संकट-काल' है या नहीं यह राष्ट्रपति ही तय करता है।

कायपालिका शक्तिया

पश्चिमी जमनी का राष्ट्रपति बुन्डेस्टाग के समक्ष चान्सलर पद के प्रत्याशी के चुनाव का प्रस्ताव रखता है तथा उस प्रस्ताव पर बिना किसी बहस के मतदान होता है। यदि प्रस्तावित उम्मीदवार का चुनाव नही होता है तो बुन्डेसटाग 14 दिन की अवधि के भीतर बहुमत से चान्सलर का चुनाव कर सकती है लेकिन इस बार भी चुनाव नही होता है तो तत्काल दुबारा चान्सलर का चुनाव कराया जाएगा। यदि अब भी किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत नही मिलता है तो राष्ट्रपति चाहे तो सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले को नियुक्त कर सकता है अथवा बुन्डेसटाग को भग कर सकता है। इस प्रकार चान्सलर के चुनाव म राष्ट्रपति की भूमिका सिद्धान्त रूप से महत्त्वपूर्ण होती है लेकिन व्यवहार म वह उसी उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित करता है जो बहुमत का नेता हो अथवा उसे बहुमत मिलने की सम्भावना हो। मत्रि-परिषद् के सदस्यो की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। यह काय चान्सलर की सलाह से होता है।

अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति सघीय न्यायाधीशो सघीय पदाधिकारियो तथा अधिकारियो तथा गर कमीशन युक्त (non Commissioned) अधिकारियो की नियुक्ति करेगा। इस प्रकार वह न्यायाधीशो राजदूतो प्रान्तिय जनरल आदि की नियुक्ति करता है लेकिन व्यवहार म यह काय मत्रिमण्डल की सलाह से ही होता है।

न्यायिक शक्तिया

न्यायपालिका के क्षेत्र म भी राष्ट्रपति को कई अधिकार प्राप्त हैं। वह सघीय न्यायाधीशो की नियुक्ति करता है। यदि किसी कानून के बारे म उसे सन्देह हो कि यह बेसिक ला के अनुकूल नहा है तो वह सघीय सवधानिक न्यायालय से इस बारे म सलाह ले सकता है। 1952 मे पश्चिमी जमन राष्ट्रपति श्री थियोडोर होयस ने यूरोपीय प्रतिरक्षा-समुदाय सधि की सवधानिकता के बारे म सघीय सवधानिक न्यायालय से सलाह मागी थी। बाद म उन्होंने अपनी यह प्राथना वापस ले ली।

अनुच्छेद 60 (2) के अनुसार राष्ट्रपति सघ राज्य की ओर से व्यक्तिगत मामलो म क्षमादान के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। इस अधिकार के अन्तगत वह दया के विविध रूपो—सजा में कमी प्रविलम्बन (reprieve) आदि की शक्ति का उपयोग कर सकता है लेकिन वह सवक्षमा या पूर्णक्षमा या विमुक्ति का अधिकार नही रखता। इस प्रकार वह न्यायालयो द्वारा दण्डित व्यक्ति के दण्ड को स्थगित कर सकता है उसम कुछ विलम्ब कर सकता है अथवा सजा म कमी कर सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय जगत मे प्रतिनिधित्व

विदेशनीति के क्षेत्र म भी राष्ट्रपति को शक्तिया व अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 59 के अनुसार—सघ राष्ट्रपति सघ के विदेशी सम्बन्धो म उसका प्रतिनिधित्व करेगा। वह सघ की ओर से सधिया करेगा। राजदूतो की नियुक्ति एव

कुछ विशेष स्थितियों में महत्त्वपूर्ण

यह सही है कि सामान्यत जर्मन राष्ट्रपति के अधिकार व शक्तियां ब्रिटिश राजा या रानी से अधिक नहीं है लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में उसका पद अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि सदन में बहुत से दल हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति चान्सलर के पद पर अपनी मर्जी के उम्मीदवार का प्रस्ताव कर सकता है। यदि बुन्देसटाग को प्रस्ताव स्वीकार न हो और यदि बुन्देसटाग 4 दिन में दूसरा व्यक्ति चुनने में असमर्थ हो तो उसके बाद 7 दिन में वह सदन भग कर सकता है।

इसी प्रकार चान्सलर व बुन्देसटाग में किसी विधेयक को लेकर मतभेद होने पर राष्ट्रपति चाहे तो बुन्देसराट की सहायता से विधायिका सकट-काल का घोषणा कर सकता है। ऐसा प्रस्ताव सघ सरकार लाती है लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उस प्रस्ताव को ठुकरा कर चान्सलर की स्थिति को नाजुक बना सकता है। यद्यपि जर्मनी में अभी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है लेकिन भविष्य में क्या हो यह कौन नहीं कह सकता। इसीलिए फ्रास के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक लेखक व पत्रकार अल्फ्रेड ग्रोसर ने कहा है कि— राष्ट्रपति पद को सामान्यतया कमजोर बनाना भूल है। हो सकता है भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जब एक सशक्त राष्ट्रपति की जरूरत हो।

राष्ट्रपति का पद कितना महत्त्वपूर्ण है यह वसिक ता पर तो निर्भर है ही साथ ही उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर है जो उस पद पर आसीन है। जर्मन पहले और दूसरे राष्ट्रपति पद पर बैठे व्यक्तियों ने तो कभी चान्सलर को चुनौती नहीं दी लेकिन जब गुस्टाफ हाइनेमान राष्ट्रपति बन तो ऐसा लगा कि वे अपने अधिकारों पर जोर देंगे। उन्होंने घोषणा की कि वे अणु शस्त्रों के निर्माण व प्रयोग सबधी कानून को स्वीकृति नहीं देंगे लेकिन उनके कार्यकाल में भी सघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। फिर भी राजनीति में रुचि लेने वाले व्यक्तियों को कम से कम यह सोचना तो पड़ा कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों पर जोर दे सकते हैं।

राष्ट्रपति के अधिकारों एव शक्तियों के बारे में विभिन्न विद्वानों के विचार इस प्रकार हैं —

प्रोफेसर थामस एल्वाईन की मान्यता है कि—1948–49 में जर्मन सविधान निर्माताओं के समक्ष सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न था कि राष्ट्राध्यक्ष की स्थिति क्या हो। सभा की बैठकों में राष्ट्राध्यक्ष के अधिकारों के विरुद्ध अविश्वास की भावना प्रदर्शित की गई क्योंकि वाईमार-गणतत्र का अनुभव अभी पुराना नहीं हुआ था। यही कारण है कि राष्ट्रपति के अधिकार कम से कम रख गए।[1]

1 थामस एल्वाईन दास रेगियरुगस सिस्टम डर बुन्डेसरिपब्लिक डो चलाण्ड दूसरा सस्करण (कोलोन 1966) पृ 3 281

6

संघीय संसद

जर्मनी में राष्ट्रीय स्तर पर संसद् का निर्माण 1871 के संविधान द्वारा हुआ। उसी समय से वहाँ संसदीय व्यवस्था चली आ रही है जिसमें दो सदनों का प्रावधान है। बिस्मार्क द्वारा निर्मित संविधान के अन्तर्गत वहाँ की लोकसभा को राइखस्टाग तथा राज्य सभा को बुन्देसराट कहा गया। 1919 में निर्मित वाइमार-संविधान के अन्तर्गत लोक सभा का नाम वही रहा लेकिन राज्य सभा का नाम बदल कर राइखसराट कर दिया गया। 1949 में जब वर्तमान बेसिक ला लागू हुआ तो लोक सभा को बुन्देसटाग तथा राज्य सभा को बुन्देसराट की संज्ञा दी गई।

पश्चिम जर्मनी की राजधानी बान नगर में राइन नदी के किनारे पर संसद् भवन स्थित है। यह भवन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए तैयार किया गया था लेकिन बाद में इस सभा के दोनों सदनों-बुन्देसटाग तथा बुन्देसराट के प्रयोग के लिए चुना गया। इसी भवन के पास एक गगनचुम्बी अट्टालिका बनाई गई है जहाँ संसद के डेपुटी (सदस्य) रहते हैं। बेसिक ला के अनुच्छेद 20 (1) के अनुसार फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी एक जनतान्त्रिक सामाजिक संघीय राज्य है। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ संसदीय प्रणाली होगी। बुन्देसटाग या लोक सभा जर्मन संवैधानिक व्यवस्था की सबसे सशक्त संस्था है तो बुन्देसराट राज्य सभा एक प्रतिनिधि संघात्मक संस्था।

बुन्देसटाग

राष्ट्रीय स्तर पर जनता द्वारा एकमात्र चुनी गई सभा या सदन के रूप में जर्मन बुन्देसटाग (लोक सभा) को पश्चिम जर्मनी के संवैधानिक ढाँचे में सर्वाधिक प्रभावशाली स्थान प्राप्त है।[1] यह जनता की प्रतिनिधि संस्था है। यही कारण है कि जब कभी संसद् का उल्लेख होता है तो सामान्यतया उसका बुन्देसटाग की ओर होता है जबकि संसद् के अन्तर्गत तो दोनों सदन आते हैं।

सदस्यों की योग्यताएं

बुन्देसटाग के सदस्य डेपुटी के नाम से पुकारे जाते हैं। डेपुटी चुने जाने के लिए व्यक्ति में अग्रलिखित योग्यताएं होना चाहिए—

1 कार्ल लोवेन्स्टाइन : द बुन्देसटाग (लाइपज़िग) पृष्ठ 1

(i) बेसिक ला के अनुच्छेद 38 (2) के अनुसार जर्मन बुन्डेसटाग का डिपुटी बनने के लिए 21 वर्ष की उम्र अनिवार्य है।

(ii) वह फेडरल जर्मनी का नागरिक हो तथा संसद द्वारा निर्धारित योग्यता रखता हो।

कानून द्वारा निर्धारित योग्यताओं के अतिरिक्त उनमें राजनीतिक योग्यताएं भी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो या इतना प्रभावशाली व साधन-सम्पन्न हो कि कोई राजनीतिक दल उसे चुनाव लड़ने के लिए आमन्त्रित करे। इसी प्रकार मजदूर संगठन का अनुभव भी किसी व्यक्ति को डिपुटी बनने के योग्य बनाता है। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन नामक दल कई उद्योगपतियों तथा सम्पन्न किसानों को डिपुटी पद पर चुनाव लड़ने के लिए टिकट देता रहा है। इसी प्रकार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी मजदूर-संघ के नेताओं को टिकट देती रही है।

हनरी रिटजल नामक एक सोशल डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ने 1952 में अपने मतदाताओं को बताया कि उसने बुन्डसटाग की 60 पूर्ण सभाओं में से 33 सभाओं में भाषण दिये बुन्डसटाग की समितियों में वह 109 बार बोला तथा उसने पार्टी के संसदीय दल (फ्रैक्शन) में भी 36 बार भाषण दिये। इसके अलावा उसने बुन्डेसटाग से बाहर भी 56 भाषण दिये तथा दल के संगठन के कार्यों में सक्रिय हिस्सा लिया। इस प्रकार की योग्यताएं भी एक उम्मीदवार को प्रभावशाली बनाती हैं।

इसके साथ ही शिक्षा का बड़ा महत्त्व होता है। यद्यपि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बुन्डेसटाग का सदस्य बन सकता है लेकिन जर्मनी में शिक्षा का बहुत महत्त्व दिया जाता है साथ ही यदि पी एच डी हो तो अत्युत्तम। 1961-1965 वाले सत्र में बुन्डसटाग के 65 प्रतिशत सदस्य विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त थे। 5 प्रतिशत लोगों ने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की तथा 25 प्रतिशत लोग प्राथमिक शिक्षा प्राप्त थे। यह उल्लेखनीय है कि 113 सदस्य कानून की डिग्री प्राप्त व्यक्ति थे। 37 लोग भाषा विज्ञान की डिग्री से युक्त थे। इतनी ही संख्या में लोग अर्थशास्त्र की डिग्री प्राप्त थे। 77 लोग धर्मशास्त्र की डिग्री लिए हुए थे। कृषि इंजीनियरिंग समाज विज्ञान डाक्टरी विज्ञान में क्रमश 18 11 8 77 तथा 2 व्यक्ति डिग्री धारी थे।

अयोग्यताएँ

निर्वाचन-कानून में की गई व्यवस्थाओं के अन्तर्गत जिस व्यक्ति में निम्नलिखित बातें हों वह बुन्देसटाग का सदस्य नहीं बन सकता—

(1) यदि व्यक्ति किसी न्यायालय द्वारा पागल घोषित किया गया हो।

(2) दिवालिया हो।

(3) देशद्रोही हो तथा संसद द्वारा निर्धारित कोई अन्य अयोग्यता का शिकार हो।

(4) जो चुनाव म भारी अनियमितताए करन का अपराधी हो।
(5) सजायाफ्ता हो।
(6) वह बुन्डेसराट का सदस्य हो।

फेडरल जर्मन चुनाव-कानून की यह विशेषता है कि वहा सरकारी अधिकारी या कर्मचारी भी चुनाव लड सकता है। डपुटी निर्वाचित होने की स्थिति म उसे सरकारी पद स 4 वर्ष का अवकाश दे दिया जाता है। बाद म पुन वह अपना नौकरी पर लौट सकता है।

सदस्य को सुविधाए व विशेषाधिकार

संविधान के 38 वें अनुच्छेद के अनुसार जर्मन डपुटी-गण समस्त जनता के प्रतिनिधि होंगे। वे किसी भी आदेश निर्देश से बाध्य न होकर अपनी आत्मा के प्रति उत्तरदायी होंगे। लेकिन वास्तव म वे अपनी आत्मा की स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं कर सकते तथा उन्हें अपने दल के आदेशों निर्देशों का पालन करना पडता है अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की जा सकती है। इस दृष्टि से इस अनुच्छेद का अधिक महत्व नहीं है।

डपुटी चुने जाने के बाद ससद सदस्य को न केवल समुचित वेतन तथा आवास की सुविधा ही मिलती है वरन् समस्त फेडरल जर्मनी म भ्रमण के लिए उसे रेल टिकट भी मुफ्त मिलता है और पत्र-व्यवहार आदि के लिए अलग से आर्थिक सहायता भी प्राप्त होती है।

बुन्डेसटाग के डपुटी (सदस्य) को निम्न प्रकार से वेतन मिलता है प्रथमतः उसे मन्त्री के वेतन का 22.5 प्रतिशत वेतन मिलता है। दूसरे अधिवेशन के समय जो दैनिक भत्ता मिलता है वह करीब 500 मार्क प्रति माह पडता है। तीसरे प्रत्येक डपुटी को प्रति माह 600 मार्क कार्यालय भत्ता (सचिव व पत्र-व्यवहार) के रूप म मिलता है। यदि कोई डपुटी बिना सूचना अनुपस्थित रहता है तो उसे एक निश्चित राशि जुर्माने के रूप म देनी पडती है।

किसी भी डपुटी के विरुद्ध उसके बुन्डेसटाग म दिय गये भाषण के विरुद्ध न्यायालय म मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। एक विशेष काल के बाद बुन्डेसटाग से अवकाश प्राप्त करने पर उसे पेंशन भी मिलती है। भारत म पेंशन की व्यवस्था को छोडकर सभी अधिकार ससद-सदस्यों को प्राप्त हैं।

बुन्देसटाग की रचना व सगठन

सैद्धान्तिक दृष्टि से फेडरल जर्मन बुन्डेसटाग ही केन्द्रीय शासन-सचालन संस्था है। एल्मर प्लिश्के के अनुसार यह बहुद्देश्यीय संस्था है जो एक राजनीतिक मंच का काम करता है कानूनों का निर्माण करती है सधियों को स्वीकृति देती है चान्सलर उसके मंत्रिमण्डल तथा नौकरशाही से उनके कार्यों के लिए जवाब-तलब

करती है और जिम्मेदार ठहराती है। इसके साथ ही साथ यह संसदीय जनतन्त्र के लिए व्यावहारिक पाठशाला का कार्य भी करती है।

रचना

बेसिक ला तथा प्रथम संघीय चुनाव कानून के अन्तर्गत 14 अगस्त 1949 के दिन प्रथम बुन्देस्टाग (लोकसभा) के चुनाव हुए जिसमें प्रतिनिधियों की संख्या 402 थी। सदन की सदस्यता में अन्य कानूनों द्वारा उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और 1964 के चुनाव कानून के अनुसार बुन्देस्टाग के अब 518 सदस्य हैं। इनमें से 22 सदस्य बर्लिन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 22 सदस्यों को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि बर्लिन की आज भी विशेष अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति है।

जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों को निम्नलिखित स्थान प्रदान किये गये हैं —

राज्य का नाम	सदस्य संख्या	राज्य का नाम	सदस्य संख्या
बादेन-वूर्टेमबर्ग	68	राईनलैण्ड-पलेटीनट	31
बवेरिया	86	सारलैण्ड	8
ब्रेमेन (नगर राज्य)	5	श्लेसविग-होल्स्टाइन	21
हाम्बुर्ग (नगर राज्य)	17		496
हेसे	45	बर्लिन (नगर राज्य)	22
लोअर सेक्सनी	62	कुल योग	518
नोर्थ राईन वेस्टफालिया	153		

चुनाव प्रणाली

बेसिक ला के अनुच्छेद 38 के अनुसार जर्मन बुन्देस्टाग के डिपुटी का चुनाव सार्वदेशीय या सार्वत्रिक (यूनिवर्सल) प्रत्यक्ष स्वतन्त्र समान तथा गुप्त निर्वाचन प्रणाली द्वारा होगा।

जर्मन चुनाव-पद्धति अपने आप में अनोखी व अनुपम है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व जर्मनी में आनुपातिक चुनाव प्रणाली का प्रयोग होता था लेकिन इसके कारण वाईमार-गणतन्त्र में अत्यधिक पार्टियाँ उत्पन्न हो गई थीं ठीक उसी प्रकार जैसे कि बरसात के मौसम में मेंढक जन्म लेते हैं। इसके परिणामस्वरूप मिली-जुली सरकारें बनी जो बराबर टूटती रहीं। इससे जनतन्त्रीय व्यवस्था की जड़ें मजबूत नहीं हो पाई। बान के संविधान (बेसिक ला) निर्माता उस स्थिति के प्रति सजग थे अतः उन्होंने उस पुरानी चुनाव परिपाटी को नहीं अपनाया। उन्होंने जो चुनाव पद्धति अपनायी उसमें प्रत्यक्ष चुनाव (जैसे कि भारत में) तथा आनुपातिक चुनाव प्रणालियों का समन्वय किया गया।

1949 में जो चुनाव कानून बनाया गया उसमें 27 धाराएं थीं। इसके अनुसार प्रत्येक 21 वर्षीय जर्मन को मताधिकार तथा 25 वर्षीय नागरिक को चुनाव में खड़े होने का अधिकार दिया गया (1970 के एक कानून के अनुसार मताधिकार की उम्र 18 तथा चुनाव लड़ने की उम्र 21 कर दी गई है)। साथ ही 60 प्रतिशत स्थानों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव तथा 40 प्रतिशत स्थानों के लिए सूची (लिस्ट) प्रणाली द्वारा चुनाव की व्यवस्था की गई। कुल 400 स्थानों के लिए चुनाव किया गया।

1953 में दूसरा चुनाव कानून बनाया गया। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव तथा सूची (लिस्ट) चुनाव का अनुपात 50 : 50 प्रतिशत कर दिया गया। साथ ही एक विशेष धारा जोड़ दी गई जो 'पांच प्रतिशत धारा' के नाम से या 'स्पर्र धारा' के नाम से विख्यात है। पांच प्रतिशत धारा का अर्थ यह है कि लिस्ट चुनाव प्रणाली के अंतर्गत जिस राजनीतिक दल को एक राज्य में 5 प्रतिशत मत नहीं मिलेंगे उसे बुंदेसटाग में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं होगा। सदन में स्थानों की संख्या 400 से बढ़ा कर 484 कर दी गई। 1956 में तृतीय चुनाव-कानून निर्मित हुआ। इसमें पूर्व कानून की तुलना में कुछ मामूली संशोधन किये गये जो इस प्रकार थे—पहले एक राज्य में 5 प्रतिशत मत प्राप्त करने में बुंदेसटाग में प्रतिनिधित्व मिल सकता था पर अब यह प्रावधान किया गया कि समस्त संघ में 5 प्रतिशत वोट मिलने पर ही सूची चुनाव के अंतर्गत प्रतिनिधि भेजा जा सकेगा।

प्रत्येक मतदाता दो वोट देगा : एक प्रत्यक्ष चुनाव में उम्मीदवार को, दूसरा मत राजनीतिक दलों की सूची में से एक राजनीतिक दल को अर्थात् एक वोट व्यक्ति को तथा दूसरा वोट पार्टी को।

1964 के चुनाव-कानून द्वारा बुंदेसटाग के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 496 (बर्लिन के 22 प्रतिनिधियों को छोड़कर) कर दी गई। इसमें से 248 के लिए प्रत्यक्ष चुनाव तथा बाकी 248 के लिए लिस्ट चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई।

जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है कि 1970 में बेसिक ला के 38वें अनुच्छेद में संशोधन कर मताधिकार की उम्र 21 से घटाकर 18 तथा उम्मीदवार की उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी गई थी।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जर्मनी में मिश्रित चुनाव प्रणाली है जिसके प्रयोग में दो प्रकार की चुनाव प्रणालियों के लाभ प्राप्त होते हैं। 1949 से 1973 के बीच हुए 7 चुनावों से यह सिद्ध हो गया है कि मिश्रित चुनाव प्रणाली के कारण बुंदेसटाग में राजनीतिक दलों की संख्या क्रमशः घटती गई और आज वहां कुल तीन राजनीतिक दलों को (i) सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (ii) क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा (iii) फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी—ही प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इस प्रकार जर्मनी त्रि-दलीय व्यवस्था की ओर सफलतापूर्वक अग्रसर हो सका है।

बुन्देसटाग का कार्यकाल

बेसिक ला के अनुच्छेद 39 के अनुसार बुन्देसटाग (लोक सभा) का चुनाव चार वर्ष के लिए किया जाएगा। उसका कार्यकाल प्रथम बैठक के दिन से 4 वर्ष तक या उसके भंग होने तक जारी रहेगा। नये चुनाव बुन्देसटाग के चार वर्षीय कार्यकाल के अन्तिम तीन महीनों में सम्पन्न होंगे या बुन्देसटाग भंग होने की स्थिति में 60 दिनों की अवधि में पुनः चुनाव कराये जाएँगे।

चुनाव की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर बुन्देसटाग का अधिवेशन प्रारम्भ होगा लेकिन यह अधिवेशन पिछली बुन्देसटाग की अवधि के अंत से पूर्व नहीं हो सकेगा।

बुन्देसटाग के पदाधिकारी

प्रत्येक संस्था के कार्य संचालन के लिए कुछ निश्चित पदाधिकारियों की आवश्यकता होती है। बुन्देसटाग भी इसका अपवाद नहीं है। बुन्देसटाग के कार्य संचालन के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष-गण, वरिष्ठ जनों की परिषद् (काउंसिल आफ एल्डर्स) सचिव, अन्य कार्यकारी अधिकारी तथा संसदीय समितियों की व्यवस्था की गई है।

बुन्देसटाग अध्यक्ष

बेसिक ला के अनुच्छेद 40 में यह व्यवस्था है कि बुन्देसटाग अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्षों तथा सचिवों का चुनाव करेगी तथा अपने कार्य के लिए कार्य विधि नियम (रूल्स आफ प्रोसिजर) का निर्माण करेगी। 6 दिसम्बर 1951 को बुन्देसटाग ने अपने कार्य संचालन के लिए कार्य विधि नियम निश्चित किये।

सामान्यतया यह परम्परा रही है कि बुन्देसटाग का अध्यक्ष-पद सबसे बड़े राजनीतिक दल को प्राप्त होता है तथा उपाध्यक्षों के पद विभिन्न राजनीतिक दल के सदस्यों से भरे जाते हैं। 1969 तक अध्यक्ष का यह पद क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी को मिलता रहा क्योंकि वही बुन्देसटाग में सबसे बड़ा दल था। उसके बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। फलतः बुन्देसटाग के अध्यक्ष का पद इस दल की सदस्या श्रीमती रेनर को प्राप्त हुआ।

अध्यक्ष का चुनाव

बुन्देसटाग के कार्य-संचालन के लिए निर्मित कार्य विधि नियम (रूल्स आफ प्रोसिजर) का निर्माण 6 दिसम्बर 1951 को किया गया। इसके अन्तर्गत अध्यक्ष के चुनाव के लिए विस्तृत नियम बनाये गये हैं। कार्य विधि नियम के अनुभाग (सेक्शन) 2 के अनुसार अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव की निम्नलिखित प्रक्रिया होगी —

(1) बुन्देसटाग गुप्त तथा अलग अलग मतदान द्वारा क्रमशः अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षों का चुनाव करेगी।

(2) जिम व्यक्ति को बहुमत प्राप्त होगा उसे निर्वाचित घोषित किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत प्राप्त न हो तो पुन मतदान के समय नय उम्मीदवारो का नाम प्रस्तावित किया जा सकता तथा दूसरा मतदान म भी बहुमत प्राप्त नही होता है तो जिस व्यक्ति को सर्वाधिक मत मिल हो उसे निर्वाचित घोषित किया जाएगा। दो व्यक्तियो को बराबर मत मिलन पर लाटरी द्वारा निर्णय होगा।

(3) अध्यक्ष व उपाध्यक्ष 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।

बुन्देसटाग अध्यक्ष के अधिकार

अध्यक्ष बुन्देसटाग का सर्वोच्च सम्मानित पदाधिकारी होता है। वह बुन्देसटाग का प्रतिनिधित्व करता है तथा उसकी कार्यवाही का सचालन करता है। वह बुन्देसटाग की गरिमा व अधिकारो की रक्षा करेगा कानूनसम्मत ढग तथा निष्पक्षता से उसकी बैठक का सचालन करेगा तथा सदन की गरिमा बनाये रखेगा। बुन्देसटाग के अध्यक्ष को सदन के सभी कर्मचारियो को नियुक्त करने तथा उन्हे पदच्युत करने का अधिकार होगा।

सविधान के अनुच्छेद 40 (2) के अनुसार बुन्देसटाग अध्यक्ष बुन्देसटाग भवन में स्वामित्व तथा पुलिस अधिकारो का प्रयोग करेगा। उसकी स्वीकृति के बिना न भवन पर कब्जा किया जा सकेगा न वहा मान व जाच पडताल की जा सकेगी।

कार्य विधि नियम के सातवें परिच्छेद (सेक्शन) के अनुसार बुन्देसटाग का अध्यक्ष वरिष्ठ जन परिषद (काउन्सिल आफ एल्डर्स) तथा सदन की आतरिक समिति तथा प्रसीडियम का अध्यक्ष होगा।

बुन्देसटाग अध्यक्ष सदन के अधिवेशन का समारम्भ करता है उसकी अध्यक्षता करता है तथा उसका समापन करता है। वह असाधारण मामलो में किसी सदस्य को लिखित भाषण पढने की अनुमति दे सकता है। अध्यक्ष किसी सदस्य को यह भी आदेश दे सकता है कि वह मुख्य विषय पर लौट आये तथा विषयान्तर बातें न करे।

यदि कोई सदस्य कार्य विधि नियम का गम्भीर उल्लघन करे तो ऐसी स्थिति में बुन्देसटाग का अध्यक्ष उस सदस्य को उस दिन की कार्यवाही में भाग लेने से वचित कर सकता है। एक सदस्य को अधिक से अधिक 30 बैठको की कार्यवाही में भाग लेने से वचित किया जा सकता है।

कार्य विधि नियम (परिच्छेद 128) के अनुसार अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह कार्य विधि नियम की विशेष धारा या अनुभाग की व्याख्या कर सके।

बुन्देसटाग के अध्यक्ष के पद की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वह ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स के अध्यक्ष (स्पीकर) की भाति दल की सदस्यता नही त्यागता।

बुन्देसटाग का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष-गण अपने अपने राजनीतिक दलों के सक्रिय सदस्य बने रहते हैं व दल की बैठकों में भाग लेते हैं तथा सदन की कार्यवाही में भी सक्रिय भाग लेते हैं।

बुन्देसटाग अध्यक्ष मतदान में भी भाग लेता है तथा सदन की कार्यवाही के दौरान भाषण भी दे सकता है लेकिन ऐसा करते समय उन्हें अध्यक्ष का आसन छोड़ना पड़ता है।

अधिकारों की ऊपर लिखित सूची से यह मान होता है कि बुन्देसटाग का अध्यक्ष अत्यधिक शक्ति सम्पन्न व्यक्ति है। सिद्धांततः यह सही है लेकिन व्यवहार में उसे संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त तीनों दलों के सहयोग पर पर्याप्त निर्भर करना पड़ता है।

उपाध्यक्ष

बुन्देसटाग के उपाध्यक्षों का भी अलग से चुनाव होता है। वे 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष भी सदन की आन्तरिक समिति व प्रेसीडियम के सदस्य होते हैं। उपाध्यक्ष पदों का बटवारा बुन्देसटाग में प्रतिनिधित्व प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या के अनुपात में होता है। उपाध्यक्षों की संख्या कितनी होगी यह नियमों में स्पष्ट नहीं है। अतः प्रत्येक बुन्देसटाग अपने कार्यकाल के लिए दलों की स्थिति को देखते हुए उपाध्यक्ष पदों की संख्या निश्चित कर सकती है। उपाध्यक्ष-पद किसी व्यक्ति पर कृपा करने का साधन है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष-गण बारी बारी से बुन्देसटाग की अध्यक्षता करते हैं। अध्यक्ष के नाते उन्हें ऊपर वर्णित सभी अधिकार प्राप्त होते हैं।

वरिष्ठ जन परिषद

बुन्देसटाग के अन्तर्गत जितनी भी समितियाँ व संस्थाएं हैं उनमें वरिष्ठ जन परिषद् (कौंसिल ऑफ एल्डर्स) का स्थान अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। यह परिषद् एक स्थायी समिति है जिसमें लगभग 20 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष गण तथा संसदीय दलों के नेता इसके पदेन सदस्य होते हैं। वरिष्ठ जन परिषद् एक संचालन समिति की भांति है जिसकी तुलना अमरिका की प्रतिनिधि सदन की नियम-समिति (कमेटी ऑन दी रूल्स ऑफ दी हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्ज ऑफ दी यूनाइटेड स्टेट्स) से की जा सकती है। यह परिषद् बुन्देसटाग के अध्यक्ष को विधायिका कार्यवाही के संचालन में सहायता सहयोग व सलाह देती है। वरिष्ठ जन-परिषद् सदन की कार्यवाही का कार्यक्रम प्रवर-समितियों के अध्यक्षों का चुनाव तथा अलग अलग विषयों पर बहस के लिए समय निर्धारित करती है। क्योंकि इस परिषद् में सभी संसदीय दलों के प्रतिनिधि एकत्र होते हैं अतः इसकी भूमिका अत्यधिक प्रभावपूर्ण होती है। कभी-कभी तो यह विधेयक के पारित होने के लिए कुल एक घंटे का समय तक नियत करती देखी गई है।

विदेश व प्रतिरक्षा समितियाँ

19 मार्च 1956 के एक कानून के अनुसार वर्मिक ना म 45 (अ) नामक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसके अन्तर्गत दो समितियों की व्यवस्था की गई—

(1) विदेशी मामलों की समिति
(2) प्रतिरक्षा-समिति

ये दोनों समितियाँ दो सत्रों के मध्य में भी काम करेंगी।

विशेष समितियाँ

इसके साथ ही साथ जर्मन बुन्देसटाग के कार्य विधि नियम के परिच्छेद 69(1) के अनुसार समितियाँ बुन्डेसटाग की अंग हैं। उनका गठन करते समय संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त राजनीतिक दलों को उनकी संख्या के अनुपात में स्थान दिया जाएगा। उनकी सदस्य-संख्या बुन्डेसटाग निश्चित करेगी। यदि एक विधेयक को कई समितियों के सम्मुख रखा जाना जरूरी है तो उन समितियों में से एक समिति को उस विधेयक के लिए उत्तरदायी समिति या शीर्ष-समिति का स्थान दिया जाएगा।

कार्य विधि नियम के 62वें परिच्छेद के अन्तर्गत विशेष समितियों के निर्माण की भी व्यवस्था है। 63वें परिच्छेद में जाँच-समिति के विस्तृत रूप की चर्चा है। इसके अलावा कार्य विधि नियम के अन्तर्गत

(1) चुनाव-वैधता-समिति
(2) संघीय संवैधानिक न्यायालय-न्यायाधीशों के लिए चुनाव समिति हैं।

चुनाव-वैधता समिति (वर्सिक ना अनुच्छेद 41) बुन्डेसटाग के सदस्यों के चुनाव की वैधता को दी गई चुनौतियों के बारे में विचार विमर्श कर फैसला देती है। संघीय संवैधानिक न्यायालय-न्यायाधीश चुनाव समिति निश्चित संख्या के न्यायाधीशों का चुनाव करने का कार्य करती है।

मध्यस्थता-समिति

बुन्डेसटाग व बुन्डेसराट के बीच विवाद की स्थिति में समस्याओं का समाधान करने के लिए एक मध्यस्थता-समिति (कमेटी आफ मीडियेशन) की भी व्यवस्था की गई है। इस समिति में बुन्डेसटाग व बुन्डेसराट के 11 11 सदस्य शामिल होते हैं। बुन्डेसटाग के सदस्यों का चुनाव बुन्डेसटाग स्वयं करती है।

स्थायी समितियाँ

संख्या व कार्य की दृष्टि से स्थायी समितियाँ सर्वाधिक संख्या में हैं तथा हैं भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण। ये समितियाँ विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयों जैसे—विदेश-नीति, गृह-नीति, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य-समाज, युवक, कानून, वित्त, डाक-तार, परिवहन, शरणार्थी, जल प्रबन्ध, योजना, विदेशी सहायता आदि विषयों पर निरंतर विचार करती रहती हैं।

जर्मनी में साधारणतः 24 के आसपास स्थायी समितियाँ रही हैं। कभी कभी इनकी संख्या बढ़ाकर लगभग 35–36 तक भी हो गई है। इन स्थायी समितियों के सदस्यों की संख्या 15 से 27 के बीच रखी जाती है। प्रारम्भ में कुछ समितियों में तो केवल 7 सदस्य ही रखे गये। 8 नवम्बर 1961 के बुन्देसटाग के निर्णय द्वारा निम्नलिखित स्थायी समितियों का गठन किया गया—

समितियों के नाम	सदस्य संख्या
(1) चुनाव, वैधता, विशेषाधिकार व कार्य विधि नियम समिति	15
(2) याचिका समिति	27
(3) विदेशी मामलात समिति	27
(4) समस्त जर्मन व बर्लिन प्रश्न समिति	27
(5) प्रतिरक्षा समिति	27
(6) आन्तरिक मामलात-समिति	27
(7) मुआवजा समिति	15
(8) सांस्कृतिक मामले व सार्वजनिक सूचना समिति	27
(9) स्थानीय शासन व समाज-कल्याण समिति	27
(10) सार्वजनिक स्वास्थ्य समिति	23
(11) कानून समिति	27
(12) वित्तीय समिति	27
(13) बजट समिति	27
(14) समान भार निर्धारण-समिति (इक्वेलाइजेशन ऑफ बर्डन)	15
(15) आर्थिक समिति	27
(16) विदेशी व्यापार-समिति	27
(17) परिवार व युवक कल्याण समिति	23
(18) मध्य वर्ग समिति	23
(19) खाद्य कृषि व वन सम्पदा-समिति	27
(20) सामाजिक समिति	27
(21) युद्ध पीड़ित व निष्कासित व्यक्ति-समिति	23
(22) सार्वजनिक कार्य-समिति	27
(23) यातायात, डाक व दूर सचार समिति	27
(24) आवास, नगर व ग्राम्य-योजना समिति	27
(25) शरणार्थी समिति	23
(26) परमाणु ऊर्जा व जल प्रबन्ध समिति	27

17 जनवरी 1962 म दो और स्थायी ममितियो का गठन किया गया। उनके नाम व मदस्य मख्या इस प्रकार हैं—

(27)	विकासोन्मुख देश-सहायता ममिनि	27
(28)	मघीय मम्पत्ति-समिति	23

समितिया अपनी कार्यवाही के सुव्यवस्थित सचालन के लिए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करती हैं। अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि कार्य विधि नियम के परिच्छेद 60 के अन्तगत दी गई नियमावलि के अनुसार समिति के काम का सचालन करे। अध्यक्ष समिति की बठक के लिए स्थान तिथि तथा कार्यवाही सूची तयार करता है तथा बठक के लिए एक प्रतिवेदक (रापार्टेयर) नियुक्त करता है।

जमन ससदीय कार्यवाही म इन समितियो का विशेष महत्त्व है। इनके कार्यों का महत्त्व देखते हुए एक विद्वान् ने तो यहा तक कह डाला है कि बुन्डसटाग की समिति वास्तव म लघु ससद् का रूप धारण कर लेती है।[1] जमन जनतन्त्र का असली रूप देखना हो तो इन समितियो की बठको म देखा जा सकता है। अपने विस्तृत एव अगाध ज्ञान के कारण ये समितिया और भी अधिक प्रभावशाली हो उठती हैं।

फलस्वरूप जमन समिति व्यवस्था की यह आलोचना की जाती है कि वहा आवश्यकता से अधिक समितिया है तथा उनका क्षेत्राधिकार एक दूसरे के क्षेत्राधिकार से मिलता है और कई बार एक ही विधेयक को दो या तीन समितियो के पास विचाराथ भेजा जाता है। लेकिन किसी प्रश्न पर अधिक विचार करने से उसकी सभी पेचीदगियो पर ध्यान दिया जा सकता है।

ससदीय दल (फ्रेक्शन्स)

बुन्डसटाग की कार्यवाही म विभिन्न राजनीतिक दलो के ससदीय दलो का विशेष महत्त्व है। इन ससदीय दलो को जमन भाषा म फ्राक्शियोनेन तथा अग्रेजी भाषा म फ्रेक्शन्स कहते हैं। यद्यपि बेसिक ला म इनका उल्लेख नहीं है लेकिन जमन ससदीय व्यवस्था म इनका विशेष स्थान है। ससद म प्रतिनिधित्व प्राप्त तीन राजनीतिक दलो के अपने ससदीय दल हैं तथा उनके अपने अपने कार्य विधि नियम हैं। बुन्देसटाग के निर्णय के अनुसार जब किसी राजनीतिक दल के 15 सदस्य हो तो उस ससदीय दल (फ्रेक्शन) को मान्यता दी जाती है। आरम्भ म यह सख्या 10 रखी गई थी। ससदीय दलो को उनकी सख्या के अनुपात म ससद की कार्यवाही म भाग लेने के लिए समय प्रदान किया जाता है।

बुन्देसटाग की शक्तिया व कार्य

सामान्य विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया पर हम आगे विचार करेंगे।

1 रिचार्ड हिसकाक्स डेमोक्रेसी इन जमनी (लन्दन 1957) पृ 134।

नकिन बुन्देसटाग न्सक अतिरिक्त भी कइ काय करती है जिनम वित्तीय विधयक पारित करना सविधान म मशोधन करना विधायी सकटकाल म कानून बनाना समलय जाच करना राष्पति पर महाभियाग चलाना तथा विदशा राज्या क साथ सधियो सम्ब धी कानून बनाना भी शामिल है।

वित्तीय विधयक

जमनी म एक विशद् तथा सुस्पष्ट वित्तीय विधयक प्रस्तुत करने की परम्परा रही है। वित्त मत्रालय बजट तयार करता है जिसमे आय तथा व्यय दानो का उल्लख हाता है। बसिक ला क अनुच्छद 110 के अनुसार सघ की सारी आमदनी तथा यय बजट म सम्मिलित हाग। बजट एक वष की अवधि क लिए बजट कानून क माध्यम स लागू हागा। अनुच्छद 109 यह व्यवस्था करता है कि बजट क अतगत आर्थिक प्रवत्तियो का देखत हुए कई वर्षों पूव ही वित्तीय योजना प्रस्तुत का जा सकती है। इस प्रकार बजट म आगामी कई वित्तीय वर्षों का ध्यान म रखत हुए याजना प्रस्तुत की जा सकता ह नकिन वित्तीय प्रावधान सिफ एक वष क लिए ही किया जा सकता है।

बजट बुन्देसटाग व बुन्देसराट दोना म एकसाथ पश हाना है। सामान्यतया बुन्देसराट 6 सप्ता म अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकती है नकिन यदि वह प्रस्तावित बजट विधयक म सशाधन प्रस्तुत करना चाहे ता उसे तीन स ताह की अवधि म सशोधन सहित बजट विधयक को बुन्देसटाग को लौटाना पडता है। बुन्देसटाग चाह ता बुन्देसराट का प्रस्ताव स्वीकार करे अथवा न करे।

सवधानिक सशोधन

1871 के जमन सविधान क अन्तगत जमन राज्य-सभा (राइशटाग) बहुमत मात्र स सविधान म सशोधन कर सकता थी। नकिन 1949 म निर्मित बसिक ला क अन्तगत सविधान की प्रक्रिया का काफी कठोर बनाया गया। अब सविधान म सशाधन करन क लिए बुन्देसटाग तथा बुन्देसराट द्वारा अलग अलग बठको म दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है (बसिक ला का अनुच्छद 79)। साथ ही यह भी कहा गया है कि सशोधन अप्रत्यक्ष न हाकर स्पष्टत सविधान क मूल पाठ म सशाधन हाना चाहिए।

यह उल्लखनीय है कि सविधान के कुछ अनुच्छदा एव व्यवस्थाओ म परिवतन नहीं किया जा सकता। बेसिक ला के 79व अनुच्छद क तीसरे परिच्छेद म कहा गया कि लण्डर (राज्यो) क विभाजन कानून निर्माण म राज्या के भाग लने तथा अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छद 20 म परिवतन नहा किया जा सकगा।

जाच-पडताल विषयक शक्तिया

बेसिक ला के अनुसार बुन्देसटाग का सामान्य कानूनो के निर्माण क अतिरिक्त

जाच पडताल का भी अधिकार दिया गया है। बुन्देसटाग को अधिकार है कि वह किसी विषय विशेष की जाच के लिए समिति नियुक्त कर सके। साथ ही ससद् के 1 4 सदस्यों की माग पर बुन्देसटाग का कर्त्तव्य है कि वह जाच समिति का निर्माण कर सावजनिक रूप से या बद कमरे म गवाहों के बयान ले तथा अत में अपना निर्णय दें।

इसके साथ ही बुन्देसटाग को यह अधिकार है कि वह सघ सरकार के विरुद्ध बुन्देसटाग के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्थायी समिति का निर्माण करे जो दो सत्रों के बीच उनके अधिकारों की रक्षा करे। इन समितियों के बारे म हम ऊपर विवरण दे चुके हैं।

जाच-पडताल-समिति की नियुक्ति के कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। 1949 म जब फेडरल (पश्चिमी) जेमनी के लिए वसिक ना का निर्माण किया जा रहा था तब यह प्रश्न उठा कि फेडरल जमनी की राजधानी कहा हो। बर्लिन को राजधानी बनाने का प्रश्न मुश्किल था क्योकि बर्लिन पूर्वी जमनी के जहा सोवियत सघ का प्रभाव था मध्य म स्थित था। अत यह तय किया गया कि मूलत बर्लिन को राजधानी माना जाय लकिन अस्थायी राजधानी की खोज की जाय। अस्थायी राजधानी के लिए मुख्यत दो नाम थे—बान तथा फ्राकफुर्ट। जब ससदीय परिषद् म 10 मई 1949 को इस प्रश्न पर विचार हुआ तो 33 मत बान नगर के पक्ष म तथा 29 वोट फ्राकफुट के पक्ष म प्राप्त 2 सदस्य अनुपस्थित रहे तथा 1 मत अवैध घोषित किया गया। इस पर भी जनता सतुष्ट नहीं थी अत प्रथम आम चुनाव के बाद 3 नवम्बर 1949 को पुन राजधानी के रूप म बान तथा फ्राकफुर्ट म से एक को चुनने का प्रश्न सामने आया जिसका परिणाम इस प्रकार था—कुल 402 म से 200 मत बान नगर के पक्ष म आए 176 फ्राकफुर्ट के पक्ष म 11 मत अवैध घोषित हुए। बाकी सदस्यों ने या तो मतदान म भाग नहीं लिया या वे अनुपस्थित थे। लेकिन विवाद अब भी शान्त नहीं हुआ फलत एक जाच समिति का गठन किया गया क्योंकि विरोधियों का आरोप था कि बान नगर को राजधानी बनाने के पक्ष म मतदान करने के लिए सदस्यों को लालच दिया गया।

एक अन्य जाच-पडताल-समिति उस समय नियुक्त की गई जब यह प्रश्न उठा कि विदेश सेवा तथा विदेश विभाग के सदस्यों के आचरण की जाँच की जाए। यह आरोप था कि कुछ सदस्यों ने हिटलर के नात्सी जमनी म कुकृत्य किये थे। जाच समिति ने 21 व्यक्तियों के विगत आचरण का अध्ययन किया तथा उनम से 4 को दोषी पाया। दोषी व्यक्तियों को या तो सेवा निवृत्त कर दिया गया या उनकी पदोन्नति रोक दी गई।

महाभियोग प्रक्रिया

भारत तथा अमरिका की भाति पश्चिमी जमनी म भी राष्ट्रपति द्वारा सविधान का उल्लघन करने की स्थिति म उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है।

फ्रन्न जमन बेसिक ला के 61वें अनुच्छेद के अनुसार बुन्देसताग या बुन्देसराट सघीय सवधानिक न्यायालय के समक्ष राष्ट्रपति पर जानबूझ कर बेसिक ला या किसी अन्य सघीय कानून की अवहेलना करने पर महाभियोग का दोषारोपण कर सकती है। महाभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव लाने के लिए बुन्देसटाग या बुन्सराट के कम से कम 1/4 सदस्यो की स्वीकृति आवश्यक है। महाभियोग सम्बन्धी निर्णय लेने के लिए दोनो सदनो म से किसी एक सदन के 2/3 बहुमत की जरूरत होती है।

यदि सघीय सवधानिक न्यायालय राष्ट्रपति को दोषी पाता है तो वह यह घोषणा कर सकता है कि राष्ट्रपति ने अपना पद खो दिया है।

राष्ट्रपति की भाँति सघीय न्यायाधीशो पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है। यदि सघीय न्यायाधीश बेसिक ला या किसी सदस्य राज्य की सवधानिक व्यवस्था के सिद्धान्तो का उल्लघन करते है तो बुन्देसटाग उनके विरुद्ध सघीय सवधानिक न्यायालय मे दोषारोपण कर सकता है।

सधियो की स्वीकृति

बेसिक ला के 59 वे अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सघ की ओर से विदेशी राष्ट्रो के साथ सधि कर सके। वास्तव मे यह कार्य चासलर या उसके प्रतिनिधि के रूप मे विदेश मन्त्री करता है। बेसिक ला के अनुच्छेद 59 मे यह भी व्यवस्था है कि सधि विषयक सघीय कानून के लिए उन सस्थाओ—बुन्देसटाग व बुन्देसराट की स्वीकृति की आवश्यकता है जो कानून का निर्माण करने मे सक्षम हैं। जहा तक विदेशो के साथ प्रशासनिक समझौतो का प्रश्न है उसके बारे मे यथोचित परिवर्तनो के साथ सघीय प्रशासन विषयक व्यवस्थाए लागू होगी।

इस प्रकार बेसिक ला के अन्तगत दो प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय समझौते किये जा सकते हैं (1) सधि (2) प्रशासनिक समझौते। अन्तर्राष्ट्रीय सधि की स्वीकृति तथा उपयुक्त घोषणा के बाद वह राज्य का कानून बन जाती है और इस प्रकार वह कानून कार्यपालिका व न्यायपालिका पर बाध्यकारी होता है। सधि उसी प्रक्रिया से पारित होती है जिस प्रकार एक सामान्य कानून पारित होता है। सामान्य कानून के पारित होने की प्रक्रिया पर आगे प्रकाश डाला जाएगा।

अनुच्छेद 32 के अनुसार यदि सधि के कारण सघ के किसी सदस्य राज्य की विशेष स्थिति पर प्रभाव पडता है तो सधि करने से पूर्व उस लेण्डर (राज्य) के साथ विचार विमर्श किया जाना चाहिए। इसी अनुच्छेद मे आगे कहा गया है कि जिन विषयो पर लेण्डर (राज्यो) को कानून बनाने का अधिकार है उन मामलो मे वे सघ राज्य की अनुमति से विदेशी राज्यो के साथ सधि कर सकते हैं।

इस प्रकार विदेशो से सधि करते समय न केवल राज्यो के हितो की रक्षा की गई है वरन् राज्यो को भी उनसे सम्बद्ध विषयो पर सधि करने का अधिकार दिया गया है। जनवरी 1952 मे जब यूरोपीय इस्पात व कोयला-समुदाय सधि

पर स्वीकृति देने का प्रश्न आया तो नार्थ राईन-वेस्टफालिया राज्य से विचार विमर्श किया गया क्योंकि इस संधि से उस राज्य के हित प्रभावित होते थे।

बुन्डेसटाग व बुन्डेसराट में संधियों के सम्बन्ध में स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही में सामान्यतया कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। अधिकांशतः बहुत वाद विवाद के बाद उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है। कभी कभी संधियों को स्वीकृति देने से पूर्व बुन्डेसटाग कुछ शर्तें या आरक्षण की बात कर सकती है। उदाहरण के लिए यूरोपीय कोयला व इस्पात समुदाय-संधि को स्वीकृति देने से पूर्व एक अन्तरिम अभिसमय (कन्वेंशन) तीन प्रोटोकाल तथा पत्र व्यवहार का आदान प्रदान भी संधि के साथ स्वीकृत किया गया।

बुन्देसटाग की कार्यवाही की झलक

बुन्डेसटाग की बैठक से पूर्व सभी सदस्यों को लिखित सूचना भेजी जाती है। सामान्यतया सप्ताह में दो दिन बुन्डेसटाग की बैठक होती है। बुन्डेसटाग अध्यक्ष जब सभा भवन में प्रवेश करता है तो सभी सदस्य उसके सम्मान में खड़े होते हैं। अध्यक्ष द्वारा आसन ग्रहण करने के बाद बुन्डेसटाग का सचिव प्रारम्भिक रस्मों के बाद उस दिन की विषय-सूची की घोषणा करता है। तत्पश्चात् वह उस सदस्य का नाम पुकारता है जो पहला वक्ता होगा। सामान्यतया वक्ता को भी तत्काल या तत्पर भाषण देना होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह लिखित भाषण नहीं पढ़ सकता। उसे किसी पुर्जे पर नोट किए गए मुद्दों को देखकर बोलने का अधिकार है। बुन्डेसटाग अध्यक्ष विशेष परिस्थितियों में किसी डिपुटी (सदस्य) को लिखित भाषण पढ़ने की अनुमति दे सकता है। क्रमशः एक के बाद एक वक्ता को अपने विचार व्यक्त करने को आमन्त्रित किया जाता है।

प्रश्न पूछने का समय

जिस प्रकार ब्रिटिश संसद तथा भारतीय लोक सभा में सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार है उसी प्रकार पश्चिम जर्मन बुन्डेसटाग में विषय-सूची पर विचार से पूर्व प्रश्न पूछने के लिए समय दिया जाता है। 1960 तक जर्मनी में प्रति माह एक घण्टा प्रश्न पूछने के लिए दिया जाता था। बुन्डेसटाग के सदस्य को लिखित रूप में प्रश्न दो सप्ताह पूर्व भेजना पड़ता था। प्रश्न पूछने की पद्धति व उसके उत्तर का एक नमूना यहां प्रस्तुत किया जा रहा है जो द्वितीय बुन्डेसटाग (1953–1957) के कार्य विवरण से उद्धृत है—

प्रश्न —1 नार्डिंग (जर्मन पार्टी)—क्या सरकार को विदित है कि लन्दन की रायल ज्याग्राफिकल सोसायटी ने जो आक्सफोर्ड एटलस (मानचित्र) प्रकाशित किया है उसमें सोवियत अधिकृत जर्मनी (पूर्वी जर्मनी) को एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में दर्शाया गया है?

उत्तर —फान ब्र`टानो (विदश म त्री)—जमन राज दूनावाम न ब्रिटिश विदश विभाग स सम्पक किया है तथा ब्रिटिश एटनस प्रकाशित करने वाना से सीधा मम्पक मी साधा है ताकि नक्शे म परिवतन किया जा सके नकिन ग्रमी नक मफनता प्राप्त नही हुई है।[1]

फरवरी 1965 म प्रश्न पूछने क ममय के बारे म नवीन व्यवस्था की गई जिने वतमान घटना चक्र समय का मना दी गइ। इसके ग्र`नगत प्रयक बठक क प्रारम्भ म एक घण्ट का समय प्रश्न पूछन क लिए प्रदान किया गया। प्रत्यक वक्ता का 5 मिनट का समय दिय जाना ह। को` मी वक्त न पन्न की इजाजत नही ह। उत्तर म मत्रिमण्डल क मन्स्य मी 5 मिनट ही बानत हैं।

मतदान प्रणाली

जब विधेयक पर विचार ममाप्त होना है तो तान प्रकार स मतदान हाता है। अधिकतर पक्ष या विपक्ष म हाथ उठा कर मतदान किया जाना ह। दूमरा तराका है ग्रपन ग्रपन स्थान पर खड हाकर मत प्रकट करना। लकिन यदि बुदेसटाग ग्र य क्ष की गिनन म कठिनाई हो ता मतदान का तीमरा तराका प्रयुक्त किया जाता है। इस तरीके से ग्रनगत ममी ससद्-सदस्य सभा भवन का छाडकर बाहर जात हैं तथा पुन तीन दरवाजा से प्रवेश करते हैं। एक दरवाजा हा का द्यातक है दूमरा ना का तथा तीमरा दरवाजा मतदान मे ग्रनुपस्थित रहन का प्रतीक होता है।

गभीर वातावरण

जिम प्रकार भारतीय लाक सभा मे समय समय पर सत्ता प क्ष व विरोधी दला क बीच उत्तजना गर्मा गर्मी व टहरें बजान की स्थिति ग्राती है वमी स्थिति ग्रान बुन्डसटाग म प्राय ग्रसम्भव नजर ग्राती है। इस दृष्टि म दखा जाए ता बुन्डसटाग म रग ग्रौर जीवन का कमी प्रतीत होती है लकिन गम्भीरता सौम्यता ग्रौर ग्रनुशासन की दृष्टि स देखा जाए तो बुदेसटाग की बठक का दृश्य बहुत ही प्रशसनीय हाता है। कभी कभी कुछ बठकें ग्रत्यधिक नीरस मी नजर ग्राती हैं। कई सदस्य ग्रखबार पढत तथा कई पत्रा पर दस्तखत करत देख जाते हैं। वे पत्र सरकारी मी हा सकत हैं ग्रौर पारिवारिक भी। उपस्थिति की दृष्टि स भी कई बार बुन्डसटाग का विधान भवन जा कि हवाई ग्रड्डे क प्रतीक्षालय का चित्र उपस्थित करना है खाली नजर ग्राता है। त्रिश्चियन डमोक्रटिक यूनियन के ससद् सदस्य हान्स दिचिगन के ग्रनुमार उसम 10 स 15 प्रतिशत (50 स 70) तक सदस्य उपस्थित हान हैं उनम से भी कुछ ग्रापस म बातें करत नजर ग्रान हैं। विरोधी दलना भी गम्भीरता व ग्रनुशासन-बद्ध ढग स बातत हैं ग्रौर मरकारी पक्ष भी उमी प्रकार उत्तर दता है। लकिन प्रथम बुन्डस्टाग (1949–19 3) म कई बार गर्मा गर्मी क दृश्य दखन म ग्राय। उस

1 स्टनोग्राफिक बरिच II काल पीरियोड पृष्ठ 7782

समय सोशल डमोक्रेटिक पार्टी के नेता कुट शुमाखेर बहुत ही ज्वलनशील भाषण देने के लिए विख्यात थे। एक बार तो उन्होंने चान्सलर श्रोनेनश्रावर को जमन जनता का नही वरन् मित्र राष्ट्रों का चान्सलर तक कह दिया। इस पर आपत्ति की गई तथा विरोधी दल क नेता शुमाखेर को सदन छोडन का कहा गया और विरोधी सदस्यो द्वारा बहिगमन भी किया गया। प्रथम बुन्डेसटाग म कुछ साम्यवादी सदस्य भी जोर शोर से बोलत थ लेकिन 1953 के बाद बुन्डेसटाग की बठक का वातावरण क्रमश शान्त और शान्ततर होता गया।

बुन्देसराट

संसदीय प्रणाली के अन्तगत एकात्मक शासन म एक सदन या द्वि-सदनीय प्रणाली की व्यवस्था होती है लेकिन संघीय राज्य म दो सदनो की व्यवस्था अनिवार्य मानी जाती है। भारत व अमरिका की भांति फडरल जमनी म भी द्वि-सदनीय प्रणाली है। बुन्डेसटाग समस्त जनता द्वारा निर्वाचित सस्था होने के नाते जन प्रतिनिधि सस्था है तथा बुन्देसराट राज्यो का प्रतिनिधित्व करती है। सद्धान्तिक दृष्टि स द्वितीय सदन का अधिकार व कार्यों की दृष्टि से दो वर्गों म बाटा जा सकता है—

(1) सशक्त द्वितीय सदन

(2) उपयोगी द्वितीय सदन।

अमरिका मे सशक्त द्वितीय सदन है तो भारत म उपयोगी द्वितीय सदन। सशक्त द्वितीय सदन स तात्पय यह है कि अधिकारो की दृष्टि स वह लोकप्रिय सदन की तुलना म निबल नही होता। उपयोगी द्वितीय सदन लोकप्रिय सदन की तुलना म निबल व प्रभावहीन होता है। फडरल जमनी का द्वितीय सदन बुन्देसराट सशक्त द्वितीय सदन' तथा उपयोगी सदन का मिश्रित रूप है। कुछ मामलो म वह अमरिकी सीनेट की भांति सशक्त है तो कुछ मामलो म वह भारतीय राज्य-सभा की भांति उपयोगी।

बुन्देसराट का गठन

बेसिक ला के 50 वें अनुच्छेद के अनुसार लण्डर (राज्यो) बुन्देसराट के माध्यम से सघ के कानून निर्माण व प्रशासनिक कार्यों म भाग लेंगे।' बुन्डेसराट के गठन क बारे म अनुच्छेद 51 निम्नलिखित व्यवस्था करता है—

बुन्देसराट क सदस्य राज्य-सरकार के सदस्य होंगे। राज्य-सरकार को उनकी नियुक्ति व वापस बुलाने का अधिकार होगा।

इस दृष्टि स देखा जाए तो गठन की दृष्टि स फडरल जमन बुन्देसराट अमेरिका की सीनेट तथा भारत की राज्य-सभा स भिन्न है। अमरिका म सीनेट में सदस्यो का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होता है। भारत की राज्य सभा के सदस्यो का

चुनाव सम्बद्ध रा या की विधान समाए करता हैं लेकिन बु सराट के सदस्य अपने अपन रा य के मत्रिमण्ड के सदस्य होत हैं।

फडरल जमन बुदेसराट (रा य सभा) म यह भी प्रणाली प्रथा है कि यदि सदस्य स्वय कायवाही म अनुपस्थित रह तो वह अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। इन स्थानापन्न प्रतिनिधियो की सूची भी प्रत्यक रा य सरकार तयार करती है।

बसिक ला क अनुच्छेद 52 क परिच्छेद 2 के अनुसार बु सराट म प्रत्येक रा य को कम स कम तीन मत (वोट) 20 लाख स अधिक जनसख्या वाल रा य को 3 मत (वोट) तथा 60 लाख स अधिक जनसख्या वाल रा य को 5 मत (वोट) प्राप्त होग।

उक्त व्यवस्था क अनुसार विभिन रा यो को जमन बुन्देसराट म निम्नाकित स्थान प्राप्त हैं—

रा यों का नाम	सदस्यों की सख्या
बाडन यूटमबग	5
बवेरिया	5
ब्र मन	3
हाम्बुग	3
हेस	4
लाअर सक्सनी	5
नाथ राइन वस्टफालिया	5
राइनलण्ड पलटीनट	4
सारलण्ड	3
श्लसविग होल्सटाइन	4
पश्चिमी बर्लिन	4

इनम स पश्चिमी बर्लिन के प्रतिनिधियो को सलाहकार का दजा प्राप्त है। इस प्रकार जमन बुन्देसराट म कुल 45 प्रतिनिधि बठत हैं जिनम स बर्लिन के चार प्रतिनिधियो को मताधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रत्यक रा य उतन ही सदस्य भेज सकता है जितन वोट उसे प्राप्त हैं। प्रत्यक रा य (लण्ड) क प्रतिनिधि एकमात्र (ब्लाक वोट) मतदान करेंगे।

काय प्रणाली

अपन कायसचालन क लिए बुन्देसराट बसिक ला के 50 से 53 तक क अनुच्छेदो पर आधारित है। 31 जुलाई 1953 म बुन्देसराट न अपन काय सचालन क लिए कायविधि के नियम बनाये।

बुन्देसराट अध्यक्ष

बुन्देसराट का अध्यक्ष एक वष की अवधि के लिए चुना जाता है (बेसिक ला अनुच्छेद 52 (I))। यह उल्लेखनीय है कि फडरल जमन बसिक ला क अन्तगत

उप राष्ट्रपति के पद की यवस्था नहीं है। भारत म तो राज्य सभा की अध्यक्षता उप राष्ट्रपति करता है। लेकिन बुन्दसराट के महत्त्व म वद्धि करने तथा उसे उपयुक्त सम्मान देने क लिए बसिक ला के अनुच्छेद 57 का अन्तगत यह प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद का भार वहन करन म असमथ हो तथा उसका पद समय से पूव रिक्त हो जाता ह तो बुदेसराट का अध्यक्ष राष्ट्रपति का पद सम्हालेगा।

बुन्दसराट की कायवाही का सचालन करते समय अध्यक्ष को लगभग वही अधिकार प्राप्त हैं जो बुन्देसटाग के अध्यक्ष को बुन्देसटाग के सचालक के रूप म प्राप्त है।

बुदसराट समितिया

बुन्दसराट के अन्तगत दो प्रकार की समितिया होती हैं—(i) स्थायी समितिया तथा (ii) विशेष समितिया। बसिक ला क अनुच्छेद 52 (4) के अनुसार लण्ड (राज्य) सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति बुदसराट की समितिया म भाग लगे। स्थायी समितिया की सख्या प्राय 12 के आसपास होती है। समय समय पर विशेष प्रश्नो पर विशेष समितियो की नियुक्ति की जा सकती है। स्थायी समितियो म प्रत्यक राज्य का एक प्रतिनिधि होता है। इस प्रकार कम म कम समितियो म राज्यो का समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। य स्थायी समितिया लगभग उन्ही विषयो पर विचार करती हैं जिन विषयो पर बुन्देसटाग की समितिया विचार करती हैं। बुदसराट का अधिकाश काय समितियो द्वारा होता है। एर्नाल्ड ज हाइडनहाइमार क अनुसार बुन्देसराट क सभी सदस्य लण्ड (राज्य) म मन्त्री होते हैं व महीने म एक या दो बार बान आ त हैं तब बुन्दसराट की बठक मे भाग लेते है। उस समय तक सभी प्रस्ताव समितियो द्वारा तयार कर लिए जाते हैं। 99 प्रतिशत मामलो म एक या समिति सभा की कायवाही करती है जिसे पूण अधिवशन म स्वीकार कर लिया जाता है।[1]

सभा की कायवाही

बुन्दसराट का पूण अधिवशन अधिकाशत सामान्य विचार विमश औपचारिक मतदान तथा कभी-कभार राज्य विशेष के दृष्टिकोण का प्रस्तुत करन व लिए भाषणो स युक्त होता है। जिस प्रकार बुन्देसटाग म स्वतन्त्र मुक्त तथा सक्रिय बहस होती है वसी बहस बुन्देसराट म नही होती क्योंकि यहा प्रतिनिधि अपनी अपनी राज्य सरकारो से निर्देशन प्राप्त करते हैं। यहा गरमागरम बहस व निन्दा कम गुजायश है। सामान्यतया कायवाही गम्भीर वातावरण म होती है। बुन्दसराट सप्ताह म दो या तीन दिन काय करता है।

सभा की अवधि

तकनीकी दृष्टि स देखा जाए तो बुन्देसराट एक स्थायी सस्था है जो निरन्तर कायरत रहती है। इसका कोई सत्र नही होता तथा बुन्देसटाग की भाति प्रत्यक आम

(1) एर्नाल्ड ज हाइडनहाइमार दा गवनमेंट म आफ जमनी (लन्दन 19 5) पृ 121

चुनाव के बाद नये व्यक्ति नहीं आते। लेकिन यदि राज्य विशेष में आम चुनाव के बाद सरकार बदलती है तो बुंदसराट के सदस्यों में भी परिवर्तन होता है।

मतदान प्रणाली

बुन्देसराट की कार्यवाही के अन्तर्गत मतदान प्रणाली इस प्रकार है—राज्यों के नाम घोषित किये जाते हैं तथा उस राज्य के समस्त प्रतिनिधि एकसाथ (एन ब्लाक) मतदान करते हैं। व्यवहार में एक राज्य की ओर से एक व्यक्ति हाथ खड़ा करता है या हाँ या ना में मतदान करता है। यह एक व्यक्ति अपने राज्य के सभी वोटों का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार जब बुन्देसराट में मतदान होता है तो 10 हाथ खड़े किए जाते हैं जो कुल 41 वोटों से प्रतीत होते हैं। 11वें राज्य (पश्चिमी बर्लिन) के 4 प्रतिनिधियों को वोट देने का अधिकार नहीं है यद्यपि वे सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं तथा विविध मुद्दों पर सलाह देते हैं। सामान्य कानूनों पर पूर्ण बहुमत तथा संशोधन के मामले में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है।

बसिक लॉ के अंतर्गत बुन्देसराट को विधायिका एवं प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हैं। यह राज्यों की प्रतिनिधि संस्था है तथा राज्यों के हितों को प्रभावित करने वाले सभी कानूनों—प्रशासनिक कर सम्बन्धी तथा केन्द्रीय कानूनों—में इसकी सम्मति का सर्वाधिक महत्त्व है। इसकी सम्मति के अभाव में कुछ नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार संविधान में संशोधन करने के लिए भी बुन्देसराट के 2/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। शेष सभी कानूनों के मामले में भी इसे निलम्बी-निषेधाधिकार (सस्पेन्सरी वीटो) प्राप्त है। इसका अर्थ यह है कि बुन्देसराट चाहे तो एक बार किसी भी कानून को पुनर्विचार के लिए बुन्देसटाग के पास भेज सकती है।

सामान्य विधेयक

सामान्य विधेयकों के मामले में बुन्देसराट अपने प्रस्तावित संशोधनों सहित विधेयकों को पुनर्विचार के लिए भेज सकती है। कुछ अवसरों पर वह यह भी माँग कर सकती है कि संयुक्त विधेयक पर संयुक्त रूप से विचार करने के लिए मध्यस्थता समिति की बैठक बुलाई जाए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है मध्यस्थता समिति में 11 सदस्य बुन्देसराट तथा 11 ही सदस्य बुन्देसटाग की ओर से चुने जाते हैं। बुन्देसटाग भी चाहने पर इस समिति की बैठक की माँग कर सकती है। बसिक लॉ के 77 वें अनुच्छेद के 4 परिच्छेद के अनुसार बुन्देसराट चाहे तो सामान्य विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। ऐसी स्थिति में बुन्देसटाग उस पर पुनः विचार कर उसे पारित कर सकती है लेकिन यह आवश्यक है कि यदि बुन्देसराट ने उस विधेयक को बहुमत से अस्वीकार किया हो तो बहुमत से ही बुन्देसटाग उसे पारित कर सकेगी और यदि बुन्देसराट ने उसे 2/3 बहुमत से अस्वीकार किया हो तो उसे पारित करने के लिए बुन्देसटाग को भी 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी।

अध्यादेश

प्रशासन के क्षेत्र म भी बुदेसराट का बड़ महत्त्वपूण अधिकार प्राप्त हैं। बेसिक ला के अनुच्छेद 80 के परिच्छेद 2 क अ तगत अधिकाश अध्यादेशो तथा प्रशासनिक नियमो के प्रभावी होने के लिए बुदेसराट की स्वीकृति आवश्यक है।

विधायिका-सकटकालोन विधेयक

बेसिक ला के अनुच्छेद 81 क अनुसार यदि बुदेसटाग उस विधेयक को अस्वीकार कर दता है जिसे राष्ट्रीय सरकार ने अत्यावश्यक बनाया हो तो ऐसी स्थिति मे राष्ट्रपति बुदेसराट की सहमति स उस विधेयक क सम्बन्ध मे विधायी सकट काल की घोषणा कर सकता है। विधायी सकट-काल की घोषणा के बाद भी यदि बुदेसटाग उस विधेयक को ऐसे रूप म स्वीकार करती है जो सघ-सरकार को अमान्य है और ऐसी स्थिति म बुदेसराट उस विधेयक का स्वीकृति दे देता है तो वह विधेयक कानून बन जाता है। विधेयक के सम्बन्ध म विधायी सकट-काल की अवधि 6 माह की होती है। उसके बाद वह कानून समाप्त हो जाता है। एक ही चासलर कायकाल म एक बार ही विधायी सकट-काल की घोषणा की जा सकती है। यह उल्लेखनीय है कि विधायी सकट-काल की स्थिति क अ तगत बेसिक ला म सशोधन नही किया जा सकता न उसे निरस्त किया जा सकता है।

सवधानिक सशोधन

फडरल जमन बेसिक ला म सशोधन करने के लिए भी बुदेसराट की सहमति आवश्यक ह। अनुच्छेद 79 (2) के अनुसार बेसिक ला म सशोधन करन के लिए बुदेसराट के 2/3 बहुमत की स्वीकृति आवश्यक है।

बुदेसराट का महत्त्व

बुदेसराट केवल बुदेसटाग रूपी मशीन का पुर्जा नहीं हैं। यह बुद्धिमान व्यक्तियो की समिति है। राज्य क हितो के मामलो म इसकी इच्छा सर्वोपरि है। इसी प्रकार बेसिक ला म सशोधन क समय इसका महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह केवल विधायिका सस्था न होकर प्रशासन क क्षेत्र म भी महत्त्वपूण स्थान रखती है। अपने गठन की दृष्टि स भी यह एक अनोखी सस्था है क्योकि विश्व म बुदेसराट ही एक ऐसा द्वितीय सदन है जिसम सदस्य विभिन्न राज्यो के मन्त्रिमण्डल क सदस्य हैं। यदि पिछले 8 वर्षों म बुदेसराट क काय का अवलोकन करें तो प्रतीत होगा कि उसने बहुत ही रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। सक्षेप म यह सस्था जमन ससदीय व्यवस्था की मित्र दार्शनिक तथा पथ प्रदर्शिका है।

विधेयक कसे कानून बनता है?

कानून निमाण के क्षेत्र म फडरल जमन ससद भी उसी प्रकार काय करती है जिस प्रकार अन्य जनतान्त्रिक राष्ट्र करते हैं। विधेयक तीन प्रकार क होते हैं—

(1) सामान्य विधेयक
(2) धन विधयक (बजट)
(3) संशोधन विधयक ।

यहा हम सामान्य विधेयक पारित होने सम्बन्धी प्रक्रिया का वर्णन करेंगे। पहले विधेयक का निर्माण होता है फिर उसे औपचारिक रूप से पेश किया जाता है तत्पश्चात् उसे समिति या समितियों म विचारार्थ भेजा जाता है। तब वाचन होता है वाद विवाद के पश्चात् मतदान होता है। अन्त म राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे सघीय राजपत्र (फेडरल गजट) म प्रकाशित किया जाता है। एक विधेयक कानून बनने तक कई चरणों म से गुजरता है जिसका विवरण इस प्रकार है—

(चित्र पृष्ठ 135 पर देखें)

विधेयक का प्रारूप

विधेयक म प्रस्तावित कानून का प्रारूप तयार किया जाता है। कोई बुन्देसराट या बुन्देसटाग का सदस्य या सरकार का मन्त्री कानून का प्रारूप सदन के समक्ष उपस्थित कर सकता है। बुन्देसराट जो भी विधेयक प्रस्तुत करती है वह सघ सरकार के माध्यम से बुन्देसटाग के समक्ष आता है। सामान्यतया 2 से 3 प्रतिशत विधेयक ही बुन्देसराट से आरम्भ होते हैं। लगभग 75 से 80 प्रतिशत विधेयक सरकार की ओर से प्रस्तुत किये जाते हैं बाकी 15–20 प्रतिशत विधेयक बुन्देसटाग के सदस्य व्यक्तिगत रूप म प्रस्तुत करते हैं। गरहाड ल्योवनबर्ग के अनुसार सरकारी विधेयक जो सभी विधेयकों के 75 प्रतिशत के लगभग होते हैं निम्न चरणों म गुजरते हैं (1) मन्त्रालय म निर्माण (2) बुन्देसराट म प्रथम पारण (3) बुन्देसटाग म प्रथम वाचन (4) समिति म प्रस्तुत (5) बुन्देसटाग म द्वितीय वाचन (6) बुन्देसटाग म तृतीय वाचन (7) बुन्देसराट म द्वितीय व तृतीय वाचन (8) राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होकर घोषित होना।[1]

मन्त्रालयों मे निर्माण

जसा कि ऊपर कहा जा चुका है लगभग 75 से 80 प्रतिशत विधेयक सरकार द्वारा तयार होते हैं। विधेयक यदि आर्थिक स्थिति से सम्बद्ध है तो अर्थ मन्त्रालय समाज से सम्बद्ध हैं तो सामाजिक मामलों के मन्त्रालय और नगर निर्माण से सम्बन्धित हो तो उससे सम्बद्ध मन्त्रालय विधेयक तयार करते हैं। कई विधेयक एसे भी होते हैं जिनमे दो-तीन मन्त्रालयों के सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति मे प्रारूप वह मन्त्रालय तयार करता है जो उसमे विशेष रूप म जुड़ा हुआ है। इस मन्त्रालय को मूल मन्त्रालय (मू म) की सज्ञा दी जा सकती है। दूसरे मन्त्रालय उसके प्रारूप के निर्माण म सहयोग देते हैं अत उन्हे सहायक मन्त्रालय (स म) कहा जा सकता है।

बुन्देसराट मे प्रथम पारण

सरकारी विधेयकों को पहले बुन्देसराट म भेजा जाता है। तीन सप्ताह की अवधि म बुन्देसराट उस प्रस्तावित विधेयक में परिवतनों की सिफारिश कर सकती है।

1 गरहार्ड ल्योवनबर्ग पार्लियामेंट इन जमन पालिटिकल सिस्टम (न्यूयार्क 1967) पृ 281

वाचन के दौरान सशोधन भी प्रस्तावित किए जा सकते हैं लेकिन ऐसी स्थिति म सामान्य वाद विवाद के बाद सशोधनो पर अलग म विचार किया जाता है। यहा यह उल्लेखनीय है कि तृतीय वाचन के समय सशोधन प्रस्तुत करने के लिए उतने सदस्यो के समथन की आवश्यकता होती है जितने सदस्य मिल कर ससदीय दल का निर्माण करते हैं। ससदीय दल के निर्माण के लिए 15 सदस्यो की जरूरत होती है। तृतीय वाचन के अत म प्रस्तावित विधेयक की स्वीकृति के लिए मतदान होता है। स्वीकृति के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है।

बुदेसराट मे पारित होने की प्रक्रिया

जब एक विधयक बुदेसटाग म पारित हो जाता है तो उसके बाद वह बुदेसराट म भेजा जाता है। विधेयक पहुचने के बाद दो सप्ताह की अवधि म बुदेसराट को या तो विधेयक को स्वीकृति देनी होती है या यदि वह चाहे तो मध्यस्थता-समिति की बठक की माग कर सकती है। यदि बुदेसराट विधयक को बहुमत से अस्वीकृत करती है तो बुदेसटाग पुन इसे बहुमत स पारित कर सकती है यदि बुदेसराट उसे 2/3 बहुमत से अस्वीकृत करती है उस बिल को पारित होने के लिए बुदेसटाग के 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है (अनुच्छेद 77)।

कानून की घोषणा

दोनो सदनो द्वारा विधेयक पारित हो जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। उस पारित विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही साथ सम्बद्ध मत्री या चासलर के हस्ताक्षर भी जरूरी हैं। हस्ताक्षरो के बाद वह सघीय गजट म प्रकाशित किया जाता है (अनुच्छेद 82)। प्रकाशन के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है।

फडरल जमनी ने अपने ससद के 16 वष के जीवन काल म औसतन प्रतिवर्ष 125 कानूनो का निर्माण किया। प्रथम बुदेसटाग ने 545 द्वितीय न 507 तृतीय बुदेसटाग ने 424 तथा चतुथ बुदेसटाग ने 428 कानून पारित किए।

विद्युत गति-कानून

कई बार बुदेसटाग कानून निर्माण के मामले म अत्यधिक शीघ्रता बरतती है। यद्यपि कानूनी दृष्टि स क्रमश उसके प्रथम द्वितीय तथा तृतीय वाचन आवश्यक है लेकिन यदि सभी ससदीय दल पूव स्वीकृति दे दें तो कानून निर्माण का काय शीघ्रता से निपटाया जा सकता है। कुछ वर्षो पूव कुछ दो दिन म ही बजट पारित कर दिया गया। इस बजट म 300 अरब मार्क का व्यय दिखाया गया था। इसी प्रकार सामान्य विधेयक को विद्युत-गति स पारित किया जा सकता है। इस प्रकार पारित कानून को जमन भाषा म ब्लिटजगेसेट्ज (विद्युत् गति कानून) कहा जाता है। ऐसा कानून कुछ मिनटो म ही पारित हो सकता है।

□□□

7

न्यायपालिका

जर्मनी में एक कहानी प्रचलित है जो प्रशा के शासक फ्रेडरिक महान् (1740-1786) तथा एक पवन चक्की के मालिक से सम्बद्ध है। बर्लिन के निकट स्थित पाट्सडम नगर में राजा का 'सान्स सूसी' नामक ग्रीष्म महल था। उसके पास ही एक पवन चक्की थी जिसकी निरन्तर खटखटाहट से राजा के आराम में व्यवधान पड़ता था। राजा ने आदेश दिया कि पवन चक्की का मालिक उसे नष्ट कर दे। पवन चक्की के मालिक ने इससे इन्कार कर दिया। जब राजा ने धमकी दी कि वह उसे सैनिक पहरे में बन्द कर पवन चक्की तुड़वा देगा तो उसके मालिक का जवाब था— "हाँ, यदि बर्लिन में सर्वोच्च न्यायालय न होता तो ऐसा सम्भव था।" पवन चक्की के मालिक को न्यायाधीशों में पूर्ण भरोसा था कि वे राजा के विरुद्ध उसके अधिकारों की रक्षा करेंगे। यह उल्लेखनीय है कि फ्रेडरिक महान् तत्कालीन यूरोप के सबसे अधिक निरंकुश शासकों में से एक था, इसके बावजूद एक सामान्य आदमी न्याय की भावना से प्रेरित होकर उसका विरोध करने का साहस कर सका। यह कहानी जर्मनी के निष्पक्ष न्याय की प्रणाली का उत्कृष्ट प्रमाण है।

जर्मनी में स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की परम्परा सदियों से चली आ रही है। राजतन्त्र के युग में भी सामान्य जनता में यह विश्वास प्रचलित था कि कोई व्यक्ति कितने भी उच्च पद पर विराजमान हो, न्याय के लम्बे हाथों से नहीं बच सकता और न वह न्यायाधीशों पर प्रभाव ही डाल सकता है। जर्मन कानून मध्य यूरोपीय कानूनी सिद्धान्तों तथा परम्पराओं पर आधारित रहा है जो मध्य युग में रोमन कानून की स्वीकृति देता था।

अपने वर्तमान रूप में जर्मन कानून रोमन कानून, जर्मन रीति रिवाजों, विचारों तथा कुछ अन्य विदेशी कानूनों से प्रभावित है। वर्तमान न्यायिक व्यवस्था का जन्म 1877 के न्यायिक संगठन अधिनियम के साथ होता है। इस अधिनियम ने 1871 में निर्मित संघ के सभी सदस्य राज्यों के लिए समान दीवानी तथा फौजदारी कानूनों की व्यवस्था की। 1919 में जब जर्मनी में वाइमार गणतन्त्र का उदय हुआ तथा समस्त राजकीय शक्ति का स्रोत स्वयं जनता बनी तब भी न्यायिक व्यवस्था का अधिकांश 1877 के अधिनियम पर ही आधारित रही। हिटलर के कुख्यात् एवं बर्बर शासन के समय जो 12 वर्ष (1933-1945) तक चला न्यायाधीशों को नाजी राज्य का पुर्जा बनने को बाध्य किया गया, इसके बावजूद भी

ऐसे कई न्यायाधीश थे जिन्होंने तानाशाह हिटलर के आदेशों के सम्मुख झुकने के बजाय पद त्यागना पसंद किया। 1949 में फेडरल जर्मनी (पश्चिमी जर्मनी) का जन्म हुआ तथा एक विशद् तथा न्यायपूर्ण न्यायिक व्यवस्था का उदय हुआ।

जनतंत्र की सफलता के लिए तीन स्तम्भ आवश्यक हैं—एक स्वतन्त्र न्यायिक व्यवस्था, सक्रिय संसद् तथा स्वतन्त्र प्रेस (समाचार जगत)। फेडरल जर्मनी में हम इन तीनों स्तम्भों के दर्शन होते हैं। सरकार के तीन अंग होते हैं—विधायिका, सभा कार्यकारिणी और न्यायपालिका। इसमें न्यायपालिका का विशेष महत्त्व है। यही कारण है कि इस तीसरी शक्ति को सबसे ऊपर माना गया है। फेडरल जर्मनी एक संघ राज्य है जिसके अन्तर्गत 11 सदस्य राज्य हैं। यहां संघीय तथा राज्य न्यायालयों की व्यापक व्यवस्था की गई है।

संघीय न्यायालय

बेसिक लॉ के 92वें अनुच्छेद के अनुसार न्यायिक शक्तियां न्यायाधीशों में निहित होंगी। इन शक्तियों का प्रयोग संघीय संवैधानिक न्यायालयों तथा राज्य (लैण्डर) न्यायालयों द्वारा—बेसिक लॉ के अनुसार—किया जाएगा। (देखिए चित्र पृष्ठ 141 पर) जर्मन न्यायपालिका की एक विशेषता यह है कि यहां विविध विषयों के लिए अलग अलग संघीय न्यायालय हैं। इसके विपरीत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय ही है। जर्मन संघीय न्यायालय निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं—

न्यायालय का नाम	स्थान जहां स्थित है
(1) संघीय संवैधानिक न्यायालय	कार्लसूहे
(2) संघीय न्यायालय	कार्लसूहे
(3) संघीय श्रम न्यायालय	कासेल
(4) संघीय प्रशासनिक न्यायालय	पश्चिमी बर्लिन
(5) संघीय सामाजिक न्यायालय	कासेल
(6) संघीय राजस्व-करीय (फिस्कल) न्यायालय	म्यूनिख

इसके अतिरिक्त संघीय पेटेन्ट-न्यायालय म्यूनिख में, संघीय अनुशासन-न्यायालय फ्रांकफुर्ट (मेन नदी पर स्थित) तथा सैनिक सेवा-न्यायालयों की भी व्यवस्था है। इन न्यायालयों के लिए संघ जिम्मेदार है।
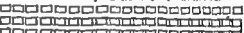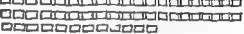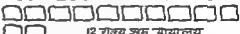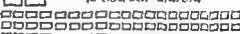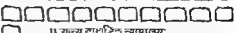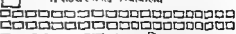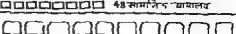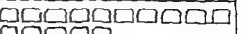
राज्य (लैण्डर) न्यायालय

संघीय न्यायालयों के अतिरिक्त राज्यों के भी अपने न्यायालय हैं। राज्य संघीय कानून की परिधि में रहते हुए इन स्तरों पर राज्य न्यायालयों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। ये राज्य-न्यायालय हैं—

(1) प्रथम चरण न्यायालय (कोर्ट आफ फर्स्ट इन्स्टान्स)

(2) द्वितीय चरण न्यायालय (कोर्ट आफ सेकण्ड इन्स्टान्स)

राज्य न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध अपील या संशोधन के लिए संघ के पास न्यायालयों (संवैधानिक न्यायालय को विशेष तथा भिन्न स्थिति है) में आवेदन किया जा सकता है। कोई व्यक्ति पहले राज्य-न्यायालय में आवेदन करेगा उसके बाद वह संघ-न्यायालय में अपील या संशोधन कर सकेगा। राज्यों के न्यायालय संघीय कानून तथा राज्यों के कानूनों के आधार पर निर्णय देते हैं। राज्यों (लैण्डर) के अपने संवैधानिक न्यायालय भी हैं जो राज्य के संविधानों के सम्बन्ध में निर्णय देते हैं। जैसा कि पहले ही संकेत किया जा चुका है कि रत जमनी के राज्यों के अपने अलग-अलग संविधान भी हैं लेकिन ये संविधान संघीय बेसिक लॉ की सीमाओं में रखकर ही बनाये गये हैं। राज्य के संवैधानिक संविधान न्यायालय राज्य-न्यायालय (स्टेट कोर्ट) के नाम से जाने जाते हैं।

त्रिविध क्षेत्राधिकार

जर्मन न्यायपालिका संगठन की एक विशेषता यह है कि यह संगठन कई अलग-अलग तथा स्वतन्त्र क्षेत्राधिकारों में विभाजित है। यह विभाजन इस प्रकार है —

(अ) संवैधानिक क्षेत्राधिकार—संवैधानिक न्यायालय राजनीतिक कानूनों पर विचार करते हैं। कार्लस्रूहे नगर में स्थित संघीय संवैधानिक न्यायालय इस क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायपालिका संस्था है। संघीय संवैधानिक न्यायालय संविधान (बेसिक लॉ) की व्याख्या तथा उसके लागू होने के सम्बन्ध में विवाद होने पर निर्णय देता है। वह यह तय करता है कि कोई भी कानून बेसिक लॉ के अनुसार बना है या नहीं। साथ ही सदस्य राज्यों तथा संघ के बीच किसी कानूनी विवाद का समाधान भी यही संवैधानिक न्यायालय करता है। इसके अतिरिक्त वह नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व भी निभाता है। संघीय संवैधानिक न्यायालय के कार्य विधि नियम 12 मार्च 1951 में पारित संघीय संवैधानिक न्यायालय अधिनियम पर आधारित हैं।

राज्यों के संवैधानिक न्यायालय (राज्य-न्यायालय) के कार्य भी इसी के समान हैं विशेषतः वह राज्य विशेष के संविधान की व्याख्या करता है।

सामान्य, दीवानी तथा फौजदारी क्षेत्राधिकार

दीवानी तथा फौजदारी के क्षेत्राधिकार से सम्बद्ध मामले सामान्य न्यायालय या संघीय न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते हैं। इन न्यायालयों की संरचना न्यायालय संरचना अधिनियम 1877 पर आधारित है जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन किए गए हैं तथा इसका नवीन रूप में इसका प्रकाशन 12 सितम्बर 1950 को की गई। दीवानी मामलों में दीवानी न्यायालय नियम 1877 तथा फौजदारी मामलों में फौजदारी न्यायालय नियम 1877 को आधार माना गया है। फौजदारी न्यायालय विषयक नियमों को 17 सितम्बर 1965 में संशोधित रूप प्रस्तुत किया गया है।

लेण्डर (राज्यों) ने सामान्य क्षेत्राधिकार का प्रयोग ल्याउण्टी (जिला) न्यायालय लेण्ड (राज्य) न्यायालय तथा अन्य उच्च लेण्ड-न्यायालय करते हैं। बवेरिया राज्य में दीवानी व फौजदारी से सम्बद्ध सामान्य क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को सर्वोच्च लेण्ड (राज्य) न्यायालय तथा बर्लिन में मदन न्यायालय (कामर गरिश्ट) कहते हैं अन्य राज्यों में इन्हें लेण्ड (राज्य) न्यायालय कहा जाता है। दीवानी मामलों के अन्तर्गत धन व सम्पत्ति सम्बन्धी मुकदमे तथा फौजदारी कानूनों के अन्तर्गत मारपीट व दण्ड संहिता के उल्लंघन के मामले प्रस्तुत किये जाते हैं।

पेटेन्ट विषयक क्षेत्राधिकार

पेटेन्ट विषयक मामले सामान्य क्षेत्राधिकार की एक विशेष शाखा है। पेटेन्ट विषयक मुकदमे पहले राज्य पेटेन्ट न्यायालय में पेश किये जाते हैं बाद में उन्हें संघीय न्यायालय में ले जाया जा सकता है। संघीय पेटेन्ट न्यायालय की रचना 9 मई 1961 के संघीय पेटेन्ट अधिनियम पर आधारित है। संघीय पेटेन्ट-न्यायालय जर्मन पेटेन्ट कार्यालय के निर्णयों के विरुद्ध शिकायतों पर फैसला देता है।

श्रम-क्षेत्राधिकार

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है श्रम-न्यायालय मालिक तथा कर्मचारी के बीच रोजगार सम्बन्धी मुद्दों पर विवाद मजदूर व प्रबन्धकों के बीच विवादों तथा कर्मचारियों या मजदूरों द्वारा कार्यालय या कारखाने के सह प्रबन्ध (को टटरमिनशन) से सम्बद्ध प्रश्नों पर निर्णय देता है। प्रत्येक राज्य का अपना श्रम-न्यायालय होता है तथा अन्तिम अपील संघीय श्रम-न्यायालय में की जा सकती है। संघीय श्रम न्यायालय 3 सितम्बर 1953 में पारित श्रम-न्यायालय अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करता है।

प्रशासनिक-क्षेत्राधिकार

संघीय प्रशासनिक न्यायालय तथा राज्य प्रशासनिक न्यायालय प्रशासनिक अधिकारियों तथा जनता के मध्य सार्वजनिक कानूनों से सम्बद्ध विवादों का फैसला करते हैं। लेकिन कुछ निश्चित प्रशासनिक क्षेत्रों में (सामाजिक बीमा तथा कर सम्बन्धी कानूनों के बारे में विवाद के लिए) विशेष न्यायालयों की व्यवस्था है। बर्लिन नगर में स्थित संघीय प्रशासनिक न्यायालय में अन्तिम अपील की जा सकती है। संघीय प्रशासनिक न्यायालय की कार्यविधि 21 जनवरी 1960 में पारित प्रशासनिक न्यायालय नियमों से संचालित है।

सामाजिक क्षेत्राधिकार

सामाजिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वे सभी मामले आते हैं जो सामाजिक बीमा युद्ध पीड़ित व्यक्तियों तथा डाक्टरों के आयोग से सम्बद्ध विवादों से सम्बन्धित होते हैं। यही कारण है कि इसका अलग क्षेत्राधिकार रखा गया है। सामाजिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग लेण्ड सामाजिक न्यायालय तथा कासेल नगर में स्थित संघीय सामाजिक न्यायालय करते हैं। संघीय सामाजिक न्यायालय का कानूनी आधार है सामाजिक न्यायालय अधिनियम 23 अगस्त 1958।

वित्तीय क्षेत्राधिकार

वित्तीय या राजकोषीय क्षेत्राधिकार में वे मामले समाहित हैं जो करों सम्बन्धी सार्वजनिक वित्त आदेशों (डिक्री) तथा चुंगी अधिकारियों के आदेशों के बारे में विवाद के कारण उपस्थित होते हैं। प्रत्येक लेण्ड (राज्य) में कम से कम एक वित्तीय या राजकोषीय न्यायालय होता है। अन्तिम अपील संघीय वित्तीय (राजकोषीय) न्यायालय में की जा सकती है। इन सभी न्यायालयों की कार्यविधि वित्तीय (राजकोषीय) न्यायालय नियमावलि अक्टूबर 6, 1965 पर आधारित है।

अनुशासन व आन्तर क्षेत्राधिकार

न्यायाधीश सरकारी कर्मचारी तथा सैन्यसेवा कर्मचारी राज्य सेवा में स्वामि भक्ति की दृष्टि से राज्य के साथ विशेष रूप से सम्बद्ध होते हैं। यदि वे अपने कर्तव्यों की अवहेलना करते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है (उदाहरण के लिए उनकी निन्दा की जा सकती है, उनके वेतन में कमी की जा सकती है और यहां तक कि उन्हें नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है)। अनुशासन-न्यायालय अनुशासनात्मक कदमों की वैधता पर विचार करते हैं। कठोर कदम उठाने का कार्य सिर्फ सेना विषयक न्यायालय ही कर सकते हैं। प्रत्येक सेवा न्यायालय में न्यायाधीशों के साथ कुछ अन्य लोग भी होते हैं जो अपनी अपनी सेवाओं से सम्बद्ध मामलों के विशेषज्ञ होते हैं। ये विशेषज्ञ न्यायाधीशों के साथ सहयोग करते हैं।

प्रत्येक लैण्ड (राज्य) में उसके कर्मचारियों के लिए अनुशासन-न्यायालय होता है।

संघीय कर्मचारी प्रारम्भ में संघीय अनुशासन-न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं उसके निर्णय के विरुद्ध विशेष सीनेट (अनुशासन-सीनेटों) में अपील की जा सकती है। संघीय अनुशासन-न्यायालय जुलाई 20, 1967 में संशोधित नियमावलि के अन्तर्गत कार्य करता है।

बुन्डेसवेहर (सैनिक सेवाओं) के कर्मचारियों के लिए प्रारम्भिक (फर्स्ट इन्स्टान्स) सैनिक अनुशासन-न्यायालय तथा अपील के लिए संघीय प्रशासन-न्यायालय की विशेष शाखा के रूप में सैनिक अनुशासन सीनेट होती हैं। प्रथम प्रारम्भिक न्यायालय में मुकदमा पेश होता है बाद में सीनेट में अपील की जा सकती है। सैनिक सेवा अनुशासन-न्यायालयों की कार्यविधि सैनिक-सेवा अनुशासन नियमावलि जून 9, 1961 से संचालित होती है।

न्यायाधीशों के कानूनी पद के बारे में जर्मन न्यायाधीश अधिनियम सितम्बर 8, 1961 बनाया गया है जिसके अन्तर्गत विशेष न्यायिक सेवा न्यायालयों की स्थापना की गई है। ये न्यायालय न्यायाधीशों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर्तव्य पालन में अयोग्य (लम्बी बीमारी के कारण) होने पर सेवा निवृत्ति आदि मामलों पर

निर्णय देते हैं। साथ ही उस विवाद पर फैसला देते हैं कि अमुक कानून या कार्य द्वारा न्यायाधीश की स्वतंत्रता पर आंच आती है या नहीं। राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त न्यायाधीशों के लिए राज्य सेवा-न्यायालय (प्रथम चरण) तथा न्याय-सेवा न्यायालय (द्वितीय चरण) होते हैं। पहले प्रथम चरण वाले न्यायालय में आवेदन करना पड़ता है फिर द्वितीय चरण वाले न्यायालय में। संगठन की दृष्टि से ये स्वतंत्र न्यायालय न होकर अन्य न्यायालयों के हिस्से होते हैं। अंतिम अपील संघीय न्यायालय की विशेष सीनेट में की जा सकती है। न्यायिक सेवा न्यायालय द्वारा राजकीय अभियोक्ता या न्यायाभिकर्ता (पब्लिक प्रासीक्यूटर) विषयक अनुशासन के मामलों पर भी फैसला किया जाता है। लेखा प्रमाणकों (नोटरीज) के मामलों में अनुशासन क्षेत्राधिकार का प्रयोग लैण्ड (राज्य) के उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाता है। अंतिम अपील संघीय न्यायालय में की जा सकती है।

अनुशासन क्षेत्राधिकार के साथ ही सम्मानजनक व्यवसायों के लिए भी अलग से क्षेत्राधिकार होता है। कई व्यवसायों में लोग व्यक्ति तथा राष्ट्रीय समुदाय के प्रति अधिक जिम्मेदार होते हैं। इन व्यवसायों में वकील, पेटेन्ट एजेण्ट, कर-सलाहकार तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट, डॉक्टर, दंत चिकित्सक, पशु चिकित्सक तथा रसायन शास्त्री तथा नर्सें एवं चिकित्सा व्यवसाय आते हैं। इन लोगों के लिए अलग से न्यायिक व्यवस्था है। लैण्ड कानून के अनुसार इन न्यायालयों की व्यवस्था व कार्यवाही होती है। अंतिम अपील संघीय न्यायालय में की जा सकती है। इन न्यायालयों में अलग अलग व्यवसाय के लोग विशेषज्ञ के रूप में न्यायाधीशों की सहायता करते हैं। ये विशेषज्ञ अवैतनिक न्यायाधीशों (आनररी जज) के रूप में काम करते हैं।

न्यायाधीशों की स्थिति : संवैधानिक गारंटियां

जर्मनी का संवैधानिक व्यवस्था की सुरक्षा को विशेष महत्त्व देता है। देश के संवैधानिक ढांचे की सुरक्षा के लिए न्याय का क्षेत्राधिकार तथा न्यायाधीशों की स्वतंत्रता का विशेष महत्त्व है। मुकदमों का फैसला करते समय न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होना चाहिए इसलिए उनका स्वतंत्र होना आवश्यक है। बेसिक ला यह गारन्टी प्रदान करता है। अनुच्छेद 97 परिच्छेद 1 के अनुसार न्यायाधीश स्वतंत्र होंगे तथा सिर्फ कानून के अधीन होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि न्यायाधीश विधायिका तथा कार्यपालिका से स्वतंत्र होंगे तथा उन्हें किसी भी मामले में निर्देश नहीं दिया जा सकेगा। न्यायाधीश को किसी भी सिफारिश व दबाव की परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह भी हो सकता है कि किसी मंत्री या विभागाध्यक्ष की सिफारिश न मानने पर उसे स्थानान्तरित या बर्खास्त किया जा सके। ऐसी स्थिति में न्यायाधीश की रक्षा करने के लिए बेसिक ला के अनुच्छेद 97 (2) यह व्यवस्था करता है कि— स्थायी रूप में नियुक्त न्यायाधीशों को उनकी इच्छा के विपरीत उनके पद से न बर्खास्त किया जा सकेगा न स्थायी या अस्थायी

तौर पर निलम्बित किया ना सकेगा या न ही दूसरा काय करने को कहा जा सकेगा या अवधि से पहले सेवा निवत्त नहा किया जा सकेगा। यदि ऐसा करना हो तो वह न्यायिक निर्णय द्वारा सिफ कानून के आधार पर ही किया जा सकेगा। इस प्रकार अपनी कार्यावधि म सिद्धान्त न्यायाधीश को न तो हटाया जा सकता है और न उसका स्थानान्तरण ही किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था आवश्यक थी क्योंकि निजी स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष होने की स्वतन्त्रता एक दूसरे की पूरक है।

कानूनी स्थिति व न्यायाधीशों के प्रकार

बसिक ला के 92 वें अनुच्छेद के अनुसार न्यायिक शक्तियां न्यायाधीशों म निहित होंगी। इस प्रकार न्यायाधीश न्याय प्रशासन के अधिकारी हैं। सामान्यतया दो प्रकार के न्यायाधीश होते हैं—

(1) व्यावसायिक या पेशेवर (प्रोफेशनल) न्यायाधीश
(2) सम्मान-सूचक या अवैतनिक (आनररी) न्यायाधीश

व्यावसायिक या पेशेवर न्यायाधीश वे होते हैं जिन्होंने व्यावहारिक एव व्यवस्थित प्रशिक्षण लिया हो विशेषकर न्याय के क्षेत्र म तथा निर्धारित परीक्षा पास की हो। आनरेरी न्यायाधीश वे लोग (सामान्य व्यक्ति) हैं जो विशेष कानूनी व्यवस्था के अन्तगत न्याय प्रशासन म मदद देते हैं।

पेशेवर न्यायाधीश

सिफ वही व्यक्ति पेशेवर (प्रोफेशनल) न्यायाधीश बन सकता है जिसने दो राजकीय परीक्षाए पास की है। ये परीक्षाएं हैं—जूनियर बरिस्टर या रेफरेंडार तथा सहायक न्यायाधीश परीक्षा या ऐसेसोर परीक्षा। जमन विश्वविद्यालय के प्रत्येक कानून का प्रोफेसर भी न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हो सकता है।

प्रशिक्षण

विश्वविद्यालय म न्याय शास्त्र की पढ़ाई के साथ ही कानूनी प्रशिक्षण आरम्भ होता है जो कम से कम 3½ वर्ष तक जारी रहता है। इसके बाद उम्मीदवार प्रथम परीक्षा (रेफरेंडार या जूनियर बेरिस्टर) पास करता है जो विश्वविद्यालय म न होकर न्याय प्रशासन द्वारा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के पश्चात् ढाई वर्ष तक आरम्भिक सेवा आरम्भ होती है जिसे रेफरेंडार पीरियड कहा जाता है। यह ढाई वर्ष चलती है। इस अवधि म जूनियर बरिस्टर विभिन्न न्यायालयों— दीवानी, फौजदारी, प्रशासनिक तथा अन्य न्यायिक प्रशासनिक क्षेत्रों म सक्रिय प्रशिक्षण प्राप्त करता है। इस आरम्भिक सेवा के पश्चात् जूनियर बरिस्टर (रेफरेंडार) द्वितीय परीक्षा (एसेसोर) म बैठता है। यह परीक्षा किसी भी राज्य के न्यायिक अधिकारी के सम्मुख होती है। उसके पश्चात् उम्मीदवार को न्यायिक सेवा के लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त होती है। इसके साथ ही उसे न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है लेकिन

सभापतित्व करता है तथा उसका सहायक (डेपुटी) या उपाध्यक्ष द्वितीय सीनेट का सभापतित्व करता है।

गणपूर्ति या कोरम

संघीय संवैधानिक न्यायालय की प्रत्येक सीनेट की कार्यवाही के गणपूर्ति आवश्यक मानी गई है। कार्यवाही के समारम्भ के लिए 8 में से 6 न्यायाधीशों की उपस्थिति अनिवार्य है।

असाधारण बैठक

कुछ स्थितियों में असाधारण बैठक की व्यवस्था भी है। जब संघीय संवैधानिक न्यायालय की एक सीनेट दूसरी सीनेट द्वारा प्रस्तुत राय से अलग हट कर काम करना चाहती है तो ऐसी स्थिति में दोनों सीनेट मिलकर एकसाथ पूर्ण अधिवेशन (प्लेनम) करती है तथा असाधारण स्थिति में निर्णय लेती हैं।

न्यायाधीशों की योग्यताएं

संघीय संवैधानिक न्यायालय के लिए न्यायाधीश का पद प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं जरूरी हैं—

(अ) उसकी उम्र कम से कम 40 वर्ष हो।

(ब) वह बुन्डेसटाग के लिए चुनाव लड़ने की योग्यता रखता हो।

न्यायाधीशों का चुनाव

जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है एक सीनेट के लिए न्यायाधीशों का चुनाव होता है। आधे न्यायाधीशों का चुनाव बुन्डेसटाग तथा बाकी के आधे न्यायाधीशों का चयन बुन्देसराट करती है। बुन्देसराट अपने पूर्ण अधिवेशन (प्लेनम) में दो तिहाई बहुमत से चुनाव करती है। बुन्देसटाग आनुपातिक चुनाव प्रणाली के आधार पर 12 सदस्यीय समिति का चुनाव करती है बाद में यह समिति दो तिहाई बहुमत से न्यायाधीशों का चुनाव करती है।

एक राजनीतिक अंग (बुन्देसराट व बुन्देसटाग) द्वारा न्यायाधीशों के चुनाव का औचित्य इस बात में निहित है कि संघीय संवैधानिक न्यायालय न केवल संवैधानिक संस्था है वरन् इसका क्षेत्राधिकार राजनीतिक भी है।

।त

दोनों सीनेटों में से प्रत्येक सीनेट में तीन न्यायाधीश अन्य पांच संघीय न्याया के न्यायाधीशों में से लिए जाते हैं। ये न्यायाधीश 68 वर्ष की उम्र तक संघीय न्यायालय के सदस्य बने रहते हैं। अन्य न्यायाधीशों का चुनाव होता है व 8 वर्ष तक कार्य करते हैं। निर्वाचित न्यायाधीशों का पुनः चुनाव हो सकता। संघीय संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीश अपने विशेष दायित्व ... के क्षेत्र में

प्रत्यधिक योग्य प्रतिभाशाली व विख्यात यक्ति होते हैं तथा उन्हें सार्वजनिक जीवन का काफी अनुभव होता है। अपने पद के कार्यकाल में यायाधीश न तो बुंदेसटाग न बन्देसराट और न ही संघ या राज्य सरकार में सम्बद्ध हो सकते हैं। यायाधीश पद या विश्वविद्यालय के प्रोफेसर-पद के अतिरिक्त वे कोई अन्य व्यावसायिक काय या पेशा नहीं अपना सकते।

संघीय संवैधानिक यायालय क्षेत्राधिकार

संघीय संवैधानिक यायालय जमन बसिक ला का रक्षक है। इसकी काय प्रणाली का आधार बेसिक ला के अनुच्छेद 92 93 94 99 तथा 100 के साथ 12 मार्च 1951 के संघीय संवैधानिक यायालय कानून (जिसमें कई बार संशोधन किया जा चुका है)। इसके प्रमुख कार्यों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है —

(अ) कानूनों की वैधता विषयक परीक्षण

(आ) संघ तथा सदस्य राज्यों (लेण्डर) के बीच काय विधि विवाद तथा दो राज्यों (लण्डेर) के बीच विवाद का फसला

(इ) असंवैधानिकता सम्बन्धी शिकायतों पर निणय

(ई) अन्य प्रक्रियाए।

(अ) कानूनों की वैधता का परीक्षण—यदि कोई यायाधीश किसी मुकदम का फसला करते समय यह अनुभव करता है कि जिस कानून के आधार पर वह फसला देना चाहता है वह कानून ही असंवैधानिक है तो ऐसी स्थिति में वह याया धीश मुकदमे की प्रक्रिया को रोक कर सम्बद्ध मुकदमे के कागजात संघीय संवैधानिक यायालय के पास भेज देता है ताकि संवैधानिक यायालय उस कानून की संवैधानिकता के बारे में निणय ले सके।

इसी प्रकार यदि कोई यायाधीश यह सोचता है कि किसी सदस्य राज्य का कानून संघीय कानून के साथ मेल नहीं खाता है तो यह मामला भी संघीय संवैधानिक यायालय में पेश किया जाता है बेसिक ला का अनुच्छेद 31 यह कहता है कि—संघीय कानून राज्य के कानून से ऊपर होगा। विवाद की स्थिति आने पर मामला संवैधानिक यायालय में जाता है।

कुछ मामलों में संघीय सरकार भी किसी कानून को असंवैधानिक कह कर उसे संघीय संवैधानिक यायालय में पेश कर सकती है। उदाहरण के लिए यदि संसद ने संघ-सरकार की इच्छा के विपरीत किसी कानून को पारित कर दिया है और सरकार यह सोचती है कि यह कानून संविधान के अनुकूल नहीं है तो वह यह कदम उठा सकती है।

साथ ही कोई व्यक्ति संघीय संवैधानिक न्यायालय में यह आवेदन कर सकता है कि सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून का कोई निश्चित नियम फेडरल जर्मनी के संघीय कानून का हिस्सा है या नहीं। बसिक ला के 25 वें अनुच्छेद के अनुसार सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून जर्मन संघीय कानून का अविभाज्य अंग है तथा वह संघीय कानून की तुलना में वरीयता (उच्चता प्राथमिकता) प्राप्त करता है।

यदि किसी सरकारी संस्था तथा अन्य पक्षों के बीच किसी प्रश्न पर विवाद है तथा सम्बद्ध पक्ष यह तर्क देता है कि अमुक सरकारी संस्था उसके बसिक ला में उल्लिखित अधिकारों का हनन कर रही है तो अनुच्छेद 93 पारा 1 (1) के अन्तर्गत संघीय संवैधानिक न्यायालय में आवेदन पत्र दिया जा सकता है तथा न्यायालय बसिक ला की व्याख्या करेगा।

संघ तथा सदस्य राज्यों के बीच मतभेद या विभिन्न राज्यों के बीच संवैधानिक विवाद होने पर भी मामले का निपटारा संघीय संवैधानिक न्यायालय करता है।

बसिक ला के 99 वें अनुच्छेद के अनुसार कोई राज्य चाहे तो संवैधानिक विवादों के निपटारे के लिए संघीय संवैधानिक न्यायालय से निर्णय लेने का कह सकता है।

फेडरल जर्मनी का कोई भी नागरिक अपने मूलभूत अधिकारों (अनुच्छेद 1 से 19 तक) की रक्षा के लिए संघीय संवैधानिक न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। अनुच्छेद 33 38 101 103 तथा 104 में उल्लिखित उसके अधिकारों का हनन होने की स्थिति में भी वह शिकायत कर सकता है। इतना ही नहीं बसिक ला के अनुच्छेद 93 परिच्छेद 4 (अ) के अन्तर्गत कोई नागरिक बसिक ला के अनुच्छेद 20 (4) में वर्णित अधिकार के अन्तर्गत भी संघीय संवैधानिक न्यायालय में आवेदन पेश कर सकता है।

संघीय संवैधानिक न्यायालय 1951 के अधिनियम के अनुसार कार्य करता है। सन् 1951 से 1969 के बीच इस न्यायालय के सम्मुख कुल 20 337 शिकायतें आई जो संवैधानिकता के प्रश्न से सम्बद्ध थी। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि फेडरल जर्मनी के नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं।

उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त संघीय संवैधानिक न्यायालय में निम्नलिखित मामले जाते हैं—

(1) राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का फैसला भी संघीय संवैधानिक न्यायालय में होगा। महाभियोग लगाने का कार्य बुन्देसटाग तथा बुन्देसराट करेगी। 28 वर्ष के अस्तित्व में फेडरल जर्मनी में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग नहीं लगाया गया है।

(2) अनुच्छेद 98 के अनुसार बुन्देसटाग या कोई राज्य-सरकार एक न्यायाधीश के विरुद्ध यह आरोप लगा सकती है कि उसने बसिक ला या किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था का हनन किया है। इन स्थितियों में इसका फैसला भी

संघीय संवैधानिक न्यायालय करेगा। अभी तक ऐसी कोई शिकायत कभी नहीं की गई।

(3) बसिक ला के अनुच्छेद 21 (2) के अनुसार यदि कोई राजनीतिक दल अपने उद्देश्य लक्ष्यों तथा व्यवहार से मूलभूत जनतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुँचाए या उसे समाप्त करने का प्रयास करे तो वह असंवैधानिक होगा। संघीय संवैधानिक न्यायालय असंवैधानिकता के प्रश्न पर निर्णय देगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत बुन्डेस्टाग, बुन्डेसराट या सरकार न्यायालय में किसी राजनीतिक दल के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। संवैधानिक न्यायालय आरोप सिद्ध होने पर उस दल को गैर कानूनी घोषित कर सकता है। 1953 में सोशलिस्ट राइश पार्टी तथा 1956 में साम्यवादी दल के विरुद्ध ऐसी शिकायतें प्रस्तुत की गई थीं प्रमाणित होने पर उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया तथापि 1969 में जर्मन साम्यवादी दल का पुनर्गठन किया गया तथा उसने यह घोषित किया कि वह बसिक ला की परिधि में अपना काम करेगा।

(4) फैडरल जर्मनी में बुन्डेस्टाग के किसी डेपुटी (सदस्य) के चुनाव की वैधता के प्रश्न पर बुन्डेस्टाग स्वयं विचार करती है। बुन्डेस्टाग के निर्णय के विरुद्ध संघीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उसका निर्णय अन्तिम होगा।

अन्य संघीय न्यायालय

संघ के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालय हैं उनका विवरण ऊपर दिया जा चुका है। संघ के 5 न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उनके असंवैधानिक फैसलों के विरुद्ध—संघीय संवैधानिक न्यायालय में शिकायत की जा सकती है। जब हम जर्मनी के न्यायालयों के पाँच क्षेत्राधिकारों के बारे में बात करते हैं तो उसका अर्थ है—(1) सामान्य क्षेत्राधिकार (दीवानी और फौजदारी) (2) श्रम (3) प्रशासनिक (4) सामाजिक तथा (5) वित्तीय (राजकोषीय) क्षेत्राधिकार। ये पाँचों सर्वोच्च न्यायालय हैं। इन पाँचों न्यायालयों की अलग अलग सीनेट (बेंच) होती है जिनकी संख्या निम्नलिखित है—

न्यायालय का नाम	सीनेट की संख्या
1 संघीय न्यायालय	10 दीवानी सीनेट 5 फौजदारी सीनेट 7 विशेष क्षेत्रों की सीनेट
2 संघीय श्रम न्यायालय	5 सीनेट
3 संघीय प्रशासनिक न्यायालय	8 सीनेट तथा अनुशासन के मामलों में विशेष सीनेट
4 संघीय सामाजिक न्यायालय	12 सीनेट
5 संघीय वित्तीय (राजकोषीय) न्यायालय	7 सीनेट

इनके अतिरिक्त प्रत्यक न्यायालय म एक ग्राण्ड सीनेट (उच्चतर सीनेट) होती है जिसम निम्नलिखित मामला म सम्बद्ध सीनट द्वारा अपील की जा सकती है—

(अ) जब सीनट किसी कानून क प्रश्न पर अय सीनट या ग्राण्ड सीनट के निणया से अलग हट कर निणय लेना चाहती हो ।

(आ) जब न्याय प्रशासन की एकरूपता या कानून क विकास का महत्त्वपूण व मूलभूत प्रश्न उठ खडा हो ।

सघीय न्यायालय म दीवानी मामला की ग्राण्ड सीनट फौजदारी मामला की ग्राण्ड सीनट तथा एक सयुक्त ग्राण्ड सीनट होती है ।

सघीय न्यायालय (सामान्य क्षेत्राधिकार)

इस न्यायालय के अन्तगत दीवानी तथा फौजदारी क मुकदमा का फसला होता है । दीवानी मामलो म स्वामित्व क प्रश्न पर विवाद या दावा सविदा (कन्ट्रक्ट) सम्बधी दाव गर-कानूनी काय स उत्पन्न टाट (Tort) कानून सम्बधी दाव (शारीरिक क्षति मोटर कार का क्षति सम्मान को ठस तथा कापी राइट का उल्लघन) जीविका (मन्टेनन्स) सम्बधी दाव वाणिज्यिक दाव तलाक अवध पितृत्व आदि आते हैं ।

फौजदारी मामला म भी व्यक्ति इसी सघीय न्यायालय (सामान्य क्षेत्राधिकार) की शरण म जा सकता है । जमन दण्ड सहिता कानून का आधार दण्ड सहिता अधिनियम 1871 है । इसम समय समय पर सशोधन हुए हैं तथा 1973 म इस अधुनातन रूप प्रदान किया गया है । फौजदारी क्षेत्राधिकार क अन्तगत हत्या लूट चोरी धोखाधडी झूठी गवाही के मुकदमा का फसला होता है ।

सघीय श्रम-न्यायालय

प्रारम्भ म श्रम क्षेत्राधिकार दीवानी क्षेत्राधिकार क अन्तगत आता था लेकिन बढ़त हुए औद्योगीकरण क कारण श्रम-सम्बधी विवादा की सख्या बढ़ी उधर मालिको प्रबधको कमचारियो व मजदूरो म यह प्रवत्ति बनी कि न्याय प्रशासन स उन्हें भी जोडा जाए । इन तथ्या का ध्यान म रखत हुए सघीय श्रम-न्यायालय की व्यवस्था की गई । आज का सघीय श्रम न्यायालय श्रम न्यायालय अधिनियम सितम्बर 3 1953 क अन्तगत काय करता है । इस न्यायालय म श्रम-सम्बधी यानी मालिको तथा कमचारियो (मजदूरा व लिपिका व अय अधिकारियो) क बीच विवाद उपस्थित किए जात हैं । वतन सम्बधी दावे छुट्टिया सम्बधी विवाद कमचारी का बखास्तगी काय करत समय दुघटना के शिकार होन पर दाव मजदूरा द्वारा यत्रा का नुकसान पहुचान पर दावा आदि आत हैं । दूसरी प्रकार क मुकदम मह निणय (का डिटरमिनेशन) सम्बधी विवाद क होत हैं इसी प्रकार वतन-समझौता सम्बधी विवाद तथा हडताल का घोषणा व तालाबन्दी सम्बधी विवाद भी प्रस्तुत किय जात

है। इसी प्रकार प्र यर बड़ी दवान या "यापारिक प्रतिष्ठान म कमचारी परिषद् के चुनाव नियुक्ति उसकी समाप्ति आदि दावे भी सघीय श्रम "यायालय म पेश होते हैं।

सघीय प्रशासनिक यायालय

जसा कि प्रशासनिक क्षेत्राधिकार पर विचार करते हुए बता दिया गया है कि सघीय प्रशासनिक "यायालय में दो सरकारी सस्थाओं के आपसी विवाद—जसे एक क्षेत्र विशेष म सड़कों के निर्माण तथा देखभाल व मरम्मत का काम किस सस्था का है पेश होते हैं। सरकारी सस्था व नागरिक के बीच विवाद—जसे लाइसेंस रद्द करने पर लगाई आपत्ति तथा प्रशासनिक "यायालय अधिकारियों से सम्बद्ध कार्यों से उत्पन्न शिकायतों पर भी यह "यायालय निर्णय देता है।

सघीय सामाजिक "यायालय

इस यायालय के अन्तगत निम्नलिखित विषयों पर मुकदमे व शिकायतें प्रस्तुत की जाती हैं—

(अ) सामाजिक बीमा वाहकर कानूनी स्वास्थ्य बीमा दुघटना बीमा खदान मजदूरों का बीमा तथा मजदूरों तथा कमचारियों के पेंशन-बीमा सम्बन्धी विवाद।

(आ) बेकारी का बीमा प्रशिक्षण काल म राजकीय आर्थिक सहायता सघीय कमचारियों के बच्चों के भत्ते विषयक अधिनियम-सम्बन्धी शिकायतें।

(इ) युद्ध-पीड़ितों के लिए व्यवस्था विषयक दावे।

(ई) कानूनी बीमार कोष के डाक्टरों के कोष व डाक्टरों व दत चिकित्सकों के बीच सम्बन्धों पर विवाद।

(उ) बुन्डसवेर (सघीय सशस्त्र सेनाओं) के भूतपूर्व कमचारियों की जीविका या वृत्ति तथा उनकी विधवाओं व अनाथ बच्चों सम्बन्धी मुकदमे। यह यायालय 23 अगस्त 1958 म पारित सामाजिक "यायालय अधिनियम के अन्तगत काय करता है।

सघीय वित्तीय (राजकोषीय) "यायालय

इस "यायालय का उद्देश्य उन सभी विवादों का निपटारा करना है जो सावजनिक कानून के अन्तगत राजकोषीय अधिकारियों से सम्बद्ध होते हैं। 6 अक्टूबर 1965 म पारित वित्तीय (राजकोषीय) यायालय नियमावलि द्वारा उसकी कायविधि सचालित होती है। यह "यायालय निम्नलिखित विवादों का फसला करता है—

(अ) कर-सम्बन्धी मांगों (डिमांड) की वसूली

(आ) चुगी अधिकारियों से आज्ञा की वसूली

(इ) यूरोपीय आर्थिक समुदाय क कानूना के अन्तगत मालगुजारी (लवी) उगाहन सम्बन्धी विवाद

(ई) आयात निर्यात के मामला म विवाद ।

राज्यो के न्यायालय

सघ की भाति इन्हीं पाच क्षेत्राधिकारा क अन्तगत राज्या म भी न्यायालया की व्यवस्था की गई है । इन न्यायालया का दो भागो म बाटा जा सकता है—

(1) उच्चतर लेण्ड (राज्य) न्यायालय (द्वितीय चरण न्यायालय)

(2) राज्य-न्यायालय (प्रथम चरण न्यायालय)

कुछ विषयो पर काउण्टी (जिला) न्यायालयो की भी व्यवस्था है

छोटे मुकदमे काउण्टी न्यायालय म प्रस्तुत होते हैं उसकी अपील सम्बद्ध राज्य-न्यायालय म की जा सकती है तथा उसके फसल स सतुष्ट न होने पर उच्चतर लेण्ड-न्यायालय के द्वार खटखटाय जा सकते हैं । आखिरी अपील सघीय न्यायालय म होती है । काउण्टी-न्यायालय मे व्यक्ति स्वय प्रस्तुत हो सकता है या अन्य व्यक्ति को प्रतिनिधित्व के लिए भेज सकता है । लेण्ड-न्यायालय या उच्चतर लेण्ड-न्यायालय म वह इन न्यायालयो द्वारा अधिकृत वकीलो के माध्यम से ही आवेदन कर सकता है ।

सघीय न्यायालयो की भाति लेण्ड (राज्य) म भी विभिन्न न्यायालयो की व्यवस्था की गई है । उनकी रचना इस प्रकार है—

(1) सवधानिक न्यायालय—9 राज्या म सवधानिक न्यायालयो की व्यवस्था की गई है । य न्यायालय स्टट-कोट के नाम से जाने जाते हैं । जिस राज्य मे सवधानिक न्यायालय नहीं हैं वे सवधानिकता के प्रश्न पर सघीय सवधानिक न्यायालय की शरण म जा सकत हैं । पश्चिमी बर्लिन म सवधानिक न्यायालय नहा है तथा उसकी विशेष अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति है ।

(2) सामान्य क्षेत्राधिकार (दीवानी फौजदारी) लेण्ड-न्यायालय—इस न्यायालय म दीवानी व फौजदारी मामला के फसल होत हैं । फडरल जमनी म 19 उच्चतर लेण्ड-न्यायालय तथा 93 लेण्ड-न्यायालया की व्यवस्था है । य न्यायालय दीवानी व फौजदारी मुकदमा क बारे म निर्णय लत हैं । साथ ही व्यापारिक मामला तथा अल्प वयस्क लोगा के लिए अलग स व्यवस्था होती है ।

फौजदारी मामले म तीन प्रकार क न्यायालय होते हैं—

(1) उच्चतर लेण्ड-न्यायालय—इसम देशद्रोह सविधान के प्रति धोखा तथा देश के प्रति धोखे-सम्बन्धी मुकदम पश होते हैं । न्यायालय की सीनेट म 5 पेशेवर न्यायाधीश होत हैं । इसके फसल के विरुद्ध अपील नहीं की जाती वरन् मामला सशाधन के लिए पेश किया जाता है ।

(2) असिसज (एसाइज)-न्यायालय—इसमे 3 पेशवर न्यायाधीश तथा 6 ज्यूरस बठते हैं। इसमे जानबूझ कर हत्या के मामले पेश होते है।
(3) दण्ड-न्यायालय—इसमे तीन पेशवर न्यायाधीश व दो ज्यूरस बठते हैं।

लेण्ड श्रम न्यायालय

श्रम सम्बन्धी मुकदमो के तीन चरण होते हैं। प्रथम चरण मे विवाद सामान्य श्रम न्यायालय मे दूसरे चरण मे लेण्ड-श्रम न्यायालय मे तथा अन्तिम चरण मे सघीय श्रम न्यायालय मे मामला पेश होता है।

सभी चरणो मे न्यायाधीशो के अतिरिक्त आनररी न्यायाधीश भी बठते हैं। आनररी न्यायाधीशो मे श्रमिको के तथा प्रबन्धको के अलग अलग प्रतिनिधि बठते हैं।

लेण्ड प्रशासनिक न्यायालय—इन न्यायालयो की कार्यविधि भी तीन चरणो मे विभाजित है। पहले आवेदक सामान्य प्रशासनिक न्यायालय मे अर्जी देता है दूसरे चरण मे वह लेण्ड उच्चतर प्रशासनिक न्यायालय मे तथा तृतीय चरण मे बर्लिन मे स्थित सघीय प्रशासनिक न्यायालय मे आवेदन कर सकता है। कुछ मामलो मे—यथा सघ व राज्य के बीच एस दीवानी कानूनो सम्बन्धी विवाद जिनका सविधान से सम्बन्ध न हो—सघीय प्रशासनिक न्यायालय ही प्रथम व अन्तिम न्यायालय होता है। राज्य न्यायालयो मे 3 न्यायाधीश व 2 आनररी न्यायाधीश बठते हैं।

लेण्ड सामाजिक न्यायालय—ये न्यायालय भी सामान्य सामाजिक न्यायालय (प्रथम चरण) तथा उच्चतर लेण्ड-सामाजिक न्यायालय (द्वितीय चरण) मे विभाजित हैं। अन्तिम अपील सम्बद्ध सघीय न्यायालय मे की जाती है। प्रथम चरण के न्यायालय मे एक प्रशिक्षित न्यायाधीश तथा दो आनररी एसेसर बठते हैं। कुछ निश्चित मामलो मे अपील नही की जा सकती। द्वितीय चरण के न्यायालय मे 3 प्रशिक्षित न्यायाधीश व दो आनररी एससर बठते हैं। कुछ मामलो मे इनके निर्णयो को सशोधित करने के लिए सघीय न्यायालय की शरण ली जा सकती है। यह उल्लेखनीय है कि एसेसर को सामाजिक न्यायाधीश कहा जाता है।

लेण्ड वित्तीय (राजकोषीय) न्यायालय—राज्य-स्तर पर सिर्फ एक ही प्रकार के राजकोषीय न्यायालय होते हैं जबकि अन्य मामलो मे दो श्रेणियो के न्यायालय होते हैं। इस प्रकार वित्तीय (राजकोषीय) न्यायालय सिर्फ उच्चतर लेण्ड न्यायालय के रूप मे ही गठित होते हैं। उनके फसलो मे सशोधन के लिए सघीय वित्तीय (राजकोषीय) न्यायालय मे आवेदन किया जा सकता है। राज्य वित्तीय न्यायालय मे तीन प्रशिक्षित तथा दो आनररी न्यायाधीश बठते हैं।

□□□

राजनीतिक दल

जर्मन राजनीतिक दलों के स्वभाव प्रवृत्ति तथा विकास को समझने के लिए यह आवश्यक है कि 1871 में जर्मनी के एकीकरण के समय की राईशटाग (आज इसे बुन्डेस्टाग कहा जाता है) के सभा भवन की सरचना पर दृष्टि डाली जाए। उस समय ससद् म बठने के स्थान तीन भागो मे विभाजित थे वाम पक्ष (लफ्ट) मध्य पक्ष (सेन्टर) तथा दक्षिण पक्ष (राईट)। इस प्रकार तत्कालीन जर्मन राजनीतिक दलो को मोटे तौर पर तीन भागो म बाटा जा सकता था

(1) वामपथी दल
(2) मध्यम मार्गी दल
(3) दक्षिणपथी दल

1919 म जब वाईमार-गणतन्त्र की स्थापना हुई तो आनुपातिक चुनाव के कारण वहा राजनीतिक दलो की सख्या मे अत्यधिक वद्धि हुई। उस समय वहा 30 के आसपास छोटे मोटे राजनीतिक दल थ लेकिन प्रमुखता कुल 7 राजनीतिक दलो की ही थी। ये सात दल भी ऊपर लिखित तीन वर्गों म विभाजित थ। वामपथी दला मे साम्यवादी समाजवादी (सोशल डेमोक्रेट) तथा जनतत्री दल शामिल थे। मध्यम मार्गी दलो के रूप मे सेन्टर पार्टी तथा बवेरियाई जनता पार्टी सामन थी तथा दक्षिणपथी दलो म जमन जनता-पार्टी तथा नशनल सोशलिस्ट पार्टी (नात्सी दल) शामिल थी।

1933 म हिटलर के सत्ता मे आगमन के साथ जर्मनी के ससदीय इतिहास का काला युग आरम्भ हुआ। हिटलर ने शीघ्र ही अपने दल (नात्सी दल) को छोडकर सब दलो पर प्रतिबध लगा दिया और इस प्रकार बहुदलीय व्यवस्था के कफन मे कील ठोक दी। 12 वष तक जमनी म एक दल का शासन रहा तथा 1945 मे द्वितीय महायुद्ध म जमनी की पराजय तथा विभाजन के बाद मित्र राष्ट्रा-सोवियत सघ अमेरिका ब्रिटेन तथा फ्रास ने वहा धीरे धीरे जमन राजनीतिक दलो को काय करने की अनुमति दी। इस प्रकार जमनी म पुन विभिन्न राजनीतिक दल सक्रिय हुए।

विजेता राष्ट्रा म सोवियत सघ वह प्रथम राज्य था जिसने अपने अधिकृत क्षेत्र में जनतान्त्रिक तथा फासिस्ट विरोधी राजनीतिक दलो को काय करने की स्वीकृति दी और इस प्रकार जमनी म चार राजनीतिक दल उभरे। ये दल थे

(1) सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी
(2) साम्यवादी दल
(3) क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा
(4) उदार दल (जो बाद में फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से विख्यात हुआ)।

अमेरिका ने सोवियत संघ के कार्य का अनुसरण करते हुए राजनीतिक दलों को कार्य की अनुमति दी तथा सितम्बर 1945 में ब्रिटेन व फ्रांस ने भी ऐसी स्वीकृति दे दी। इसके फलस्वरूप 1945 के अंत तथा 1946 के आरम्भ में चार भागों में विभाजित जर्मनी (जोन) के रंगमंच पर चार राजनीतिक दल सक्रिय हुए। लेकिन शीघ्र ही बाढ़मार की भांति छोटे बड़े कई दल उत्पन्न हो गए जिनके नाम इस प्रकार हैं—

(1) स्वतंत्र जर्मन कार्यकारी दल (वर्किंग ग्रुप ऑफ इन्डिपेन्डेन्ट जर्मन्स)
(2) बवेरियाई दल (बवेरियन पार्टी)
(3) क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन (सी डी यू)
(4) क्रिश्चियन सोशल यूनियन (यह राष्ट्रीय क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन का सहचारी राजनीतिक दल है तथा बवेरिया में अपने मूल नाम से जाना जाता है)
(5) जर्मन शांति संघ (जर्मन पीस यूनियन)
(6) जर्मन संघ (जर्मन एसोसिएशन)
(7) जर्मन पार्टी
(8) जर्मन राष्ट्रीय पार्टी
(9) जर्मन दक्षिण पंथी दल (जर्मन राईटिस्ट पार्टी)
(10) जर्मन पीपुल्स-पार्टी (यह इन फ्री डमोक्रेटिक पार्टी की शाखा है जो दक्षिण पश्चिमी जर्मनी में अपने मूल नाम से जानी जाती है)
(11) फ्री डमोक्रेटिक पार्टी
(12) शरणार्थी दल—समग्र जर्मन गुट निष्कासित तथा मताधिकार वंचित लोगों का दल (जी बी /बी एच ई)
(13) समग्र जर्मन दल (आल जर्मन पार्टी)
(14) समग्र जर्मन जनता-पार्टी (आल जर्मन पीपुल्स पार्टी)
(15) जर्मन साम्यवादी दल (संविधान विरोधी गतिविधियों के कारण संघीय संवैधानिक न्यायालय ने सन् 1956 में इसे गैर-कानूनी घोषित कर दिया था लेकिन 1969 के बाद इसका पुनर्गठन किया गया)
(16) नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (इसे नव-नात्सी दल माना जाता है)
(17) सोशल डमोक्रेटिक पार्टी

(18) सोशल राइश पार्टी (संविधान विरोधी गतिविधियों के कारण 1952 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया)
(19) दक्षिण श्लसविग मतदाता संघ (एस एस वी)
(20) आर्थिक पुनरचना दल (डब्ल्यू ए वी)
(21) सेन्टर पार्टी

इनके अतिरिक्त भी कुछ नगण्य प्रभाव वाले राजनीतिक दल थे। पहले हम कुछ छोटे राजनीतिक दलों की चर्चा करेंगे।

जर्मन पार्टी

जर्मन पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी थी। 194९ में सर्वप्रथम इसने लोअर सेक्सनी स्टेट पार्टी के नाम से राजनीतिक रंग मंच पर प्रवेश किया। यह 19वीं शताब्दी के जर्मन-हनोवर दल की अनुदारवादी परम्परा का अनुयायी रहा है। वैचारिक धरातल पर जर्मन पार्टी एक दक्षिणपंथी दल के रूप में उभरी। 1947 में हाईनरिच हेलवेगे के नेतृत्व में इस पार्टी ने पश्चिमी जर्मनी के विविध राज्यों में अपनी शाखाएं खोलीं तथा ब्रेमेन हाम्बुर्ग लोअर सेक्सनी तथा श्लसविग-हाल्सटाईन नामक राज्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया।

विचारधारा के क्षेत्र में जर्मन पार्टी की भाषा को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जन्म भूमि में निवास कानून का शासन ऐतिहासिक परम्पराएं तथा ईसाई धर्म में श्रद्धा रखने का अधिकार हो। विदेश-नीति के क्षेत्र में जर्मन पार्टी का मुख्य लक्ष्य था—शांतिपूर्ण साधनों से विभाजित जर्मनी का एकीकरण किया जाए।

1949 में जब क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के नेता कानराड आडेनआवर ने प्रथम मिली-जुली सरकार का निर्माण किया तो जर्मन पार्टी के दो सदस्यों को भी मंत्री बनाया गया। हाईनरिच हेलवेगे को बुन्देसराट मामलों का मंत्री तथा हान्स क्रिस्टोफ सीबोह्म को परिवहन मंत्री बनाया गया। सीबोह्म करीब 15 वर्ष तक मंत्री पद पर बना रहा।

1961 में जर्मन पार्टी तथा रिफ्यूजी पार्टी ने मिल कर समग्र जर्मन पार्टी का निर्माण किया लेकिन बुन्देसटाग के चुनावों में इसे सिर्फ 2 8 प्रतिशत मत मिले अतः उसे प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ। 1965 के बुन्देसटाग के चुनावों में समग्र जर्मन पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किये। इसके बाद संघीय स्तर पर यह पार्टी गायब हो गई। कुछ राज्यों में इसका प्रभाव बना रहा।

शरणार्थी दल

शरणार्थी दल समग्र जर्मन गुट, निष्कासित एवं मताधिकारहीन व्यक्तियों का (जी बी/बी एच ई) इतने बड़े नाम वाला शरणार्थी दल 1950 में स्थापित

हुआ । कुछ वर्षों तक यह संघीय स्तर पर सक्रिय रहा और फला-फूला । 1953 के चुनावों में इस बुन्डेस्टाग में 6 प्रतिशत मत मिले । बाद में इसका प्रभाव में कमी आई और 1961 में जर्मन पार्टी में इसका विलय हुआ तथा समग्र जर्मन पार्टी के रूप में नया दल बना ।

शरणार्थी-दल ने पूर्वी जर्मन राज से निष्कासित जर्मन व्यक्तियों के हितों की रक्षा का बीड़ा उठाया । 1953 में शरणार्थी दल के नेता वाल्डमार क्राफ्ट को विशेष कार्यों का मंत्री बनाया गया । इस दल के प्रमुख नेता थे—थियोडोर ओबर लैण्डर तथा फ्रेडरिक फान काम्पेन । ज्यों-ज्यों निष्कासित व्यक्ति पश्चिम जर्मनी के समाज में घुलते-मिलते गये त्यों-त्यों दल प्रभावहीन होता गया । इसके कुछ प्रमुख सदस्य क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन में मिल गये और कुछ जर्मन पार्टी में ।

साम्यवादी दल

हिटलर की पराजय तथा जर्मनी के चार भागों में विभाजन के तुरन्त बाद जिन दलों को पुनः राजनीति में प्रवेश की स्वीकृति दी गई उनमें साम्यवादी दल प्रमुख था । 1945 से 1948 के बीच राज्यों की विधान-सभाओं के चुनावों में साम्यवादी दल को 8 से 9 प्रतिशत मत मिले लेकिन जब पूर्वी जर्मन क्षेत्र में साम्यवादी दल ने सरकार बनाई तथा वहां स्थित सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को अपने साथ मिलकर सोशलिस्ट यूनिटी पार्टी बनाने को मजबूर किया तो यह दल पश्चिम जर्मनी में अलोकप्रिय हो गया । 1949 में जब बुन्डेस्टाग के लिए चुनाव हुए तो साम्यवादी दल को 5 प्रतिशत से अधिक मत मिले और 15 साम्यवादी प्रतिनिधि सदन में पहुंचे । लेकिन 1953 के आम चुनावों में इसे 2 प्रतिशत से कुछ अधिक मत मिले और चुनाव कानून की पांच प्रतिशत धारा के अन्तर्गत साम्यवादी बुन्डेस्टाग में प्रतिनिधित्व पाने से वंचित रह गए । इस दल के प्रमुख नेताओं में थे मैक्स राइमान तथा हार्ल्ड रनर । ये दोनों संसद्-सदस्य भी थे ।

साम्यवादी दल की एक युवक शाखा भी थी । इसका नाम था फ्री जर्मन यूथ । साम्यवादी युवकों ने संगठित प्रदर्शनों द्वारा गड़बड़ पैदा करने का प्रयास किया तथा अशांति फैलाई । इससे क्रुद्ध होकर सरकार ने साम्यवादी युवक शाखा पर प्रतिबंध लगा दिया । सरकार ने साम्यवादी दल पर भी यह आरोप लगाया कि यह संविधान के आदर्शों का विरोध करता है तथा जनतांत्रिक संघीय सरकार को हिंसा व गैर-कानूनी ढंग से उखाड़ना चाहता है । मामला संघीय संवैधानिक न्यायालय में पेश हुआ तथा 1956 में न्यायालय ने साम्यवादी दल को गैर-कानूनी घोषित किया । बारह वर्ष बाद सितम्बर 1968 में पश्चिम जर्मनी में एक नवीन साम्यवादी दल का गठन किया गया ।

जर्मन दक्षिणपंथी पार्टी

यह दल लोअर सैक्सनी नामक राज्य में सक्रिय था । प्रथम आम चुनाव में

इस दल क प्रतिनिधि बुदेसटाग म पहुचन में सफल रह । इन्होंने नात्सियो को दी गए सजा का विरोध किया मित्र राष्ट्रो पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया तथा उग्र जमन राष्ट्रवाद का समथन किया । 1952 म इस दल क नता को गिरफ्तार कर लिया गया ।

सोशलिस्ट राईश पार्टी

1949 म इस पार्टी का गठन हुआ । यह पार्टी नात्सी समथक पार्टी थी अत भूतपूव नात्सी लोग निष्कासित व्यक्ति तथा युद्धबन्दी इस दल की ओर आकर्षित हुए । इस दल क प्रमुख नता थ—डा फ्रिट्ज डोर्लस जनरल आटो अर्न्स्ट रेमर वाल्फ काउण्ट फान वेस्टाप तथा डा गरहार्ड क्रयुगर—य सब लोग हिटलर के नात्सी दल या विविध रक्षक दलो से सम्बद्ध थे । 1951 म लोअर सेक्सनी राज्य की विधान-सभा के चुनावो म इस दल का 11 प्रतिशत तथा ब्रमन नगर राज्य मे 8 प्रतिशत के लगभग मत मिले । नात्सी लोगो क इस प्रभाव का मुकाबला करन के लिए सघीय सरकार न नवम्बर 1951 म सघीय सवधानिक न्यायालय म मुकदमा पेश करत हुए इस दल पर हिंसा फलाने तथा बसिक ला का उल्लघन करन का आरोप लगाया । न्यायालय क आदश स अक्टूबर 1952 म इस दल पर प्रतिबध लगा दिया गया ।

जमन राईश पार्टी

सोशलिस्ट राइश पार्टी पर प्रतिबन्ध लगान क बाद उसक पद चिह्नो पर ही जमन राइश पार्टी का निमाण किया गया । इसका नता था—एडोल्फ फान थाडेन । पहल यह व्यक्ति जमन दक्षिण-पथी दल का ओर स बुन्दसटाग का सदस्य था । 1953 व 1957 के चुनावो म जमन राईश पार्टी को काफी मत मिल लकिन व 5 प्रतिशत स कम थे । राइनलण्ड–पेलटानट नामक राज्य के न्यायालय न इस दल पर भी प्रतिबध लगा दिया ।

नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी

1964 म इस पार्टी का जन्म हुआ और अगले ही वष 1965 के चुनावो म इसे राष्ट्राय स्तर पर 2 प्रतिशत मत मिल । इसका नता वही एडोल्फ फान थाडन था । आगामी वर्षों म कइ राज्यो म इस दल को विधान-सभाओ म स्थान मिला लकिन सघीय स्तर पर इसे 5 प्रतिशत मत न मिलन क कारण बुन्देसटाग म कोई प्रतिनिधित्व न मिल सका । इस दल को भी नव नात्सी दल कहा जाता है लकिन एस छोट-मोटे दक्षिण-पथी दलो स फडरल जमनी का भविष्य कोई खतरा प्रतीत नहा होता । इन दलो को राष्ट्रीय स्तर पर कोई लोकप्रियता भी प्राप्त नहीं है ।

प्रादेशिक पुनरचना-सघ

प्रादेशिक पुनरचना-सघ नामक दल कुछ वर्षों तक बवेरिया म लोकप्रिय रहा

लेकिन दल के भीतर आपसी मतभेदों के कारण शीघ्र ही यह प्रभावहीन हो गया।

सेन्टर पार्टी

यद्यपि सेन्टर पार्टी वाइमार-गणतन्त्र की सेन्टर पार्टी की ही प्रतिरूप है लेकिन इसमें कुछ वामपक्षी प्रभाव के लोग रहे। यही कारण है कि यह मध्यवर्गों में [illegible] आसपास [illegible] रहा। यह उल्लेखनीय है कि आर्थिक व सामाजिक प्रश्नों पर सेन्टर पार्टी ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन किया तो धर्म, संस्कृति तथा शिक्षा के मामलों में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के साथ मतदान किया। प्रथम बुन्डेस्टाग में इस दल के 10 सदस्य थे। वैसे इस दल का प्रभाव नार्थ राइन-वेस्टफालिया राज्य में ही अधिक रहा। क्रमशः यह प्रभावहीन हो गया।

बवेरियाई पार्टी

बवेरियाई पार्टी एक कट्टर [illegible]-पंथी दल है जैसा कि नाम से ही विदित है। यह बवेरिया में संगठित है और इसका नारा है 'बवेरिया बवेरिया के वासियों के लिए'। यह दल बवेरिया को एक स्वतन्त्र राज्य मानता है। इसके नेता हैं—डा. जोसेफ बाउमगार्टनर जो बवेरियाई परम्परा पर जोर देने वाले मुख्य समर्थक तथा स्थानीय कृषकों के हितों का समर्थक है। 1949 में इस दल को बवेरिया में 21 प्रतिशत मत मिले तथा प्रथम बुन्डेस्टाग में इसके कुछ सदस्य भी थे। बाद में राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रभावहीन हो गया लेकिन बवेरिया में अब भी इसका प्रभाव है।

समग्र जर्मन जनता पार्टी

समग्र जर्मन जनता-पार्टी का गठन 1952 में हुआ। इसके संस्थापक थे—डा. गुस्टाव हाइनेमान तथा श्रीमती हेलेन वेसल। डा. हाइनेमान पहले क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के सदस्य थे तथा प्रथम बुन्डेस्टाग के सदस्य और एडेनावर मन्त्रिमण्डल में गृह मन्त्री भी थे। 1950 में उन्होंने नेताओं से मतभेद होने के कारण मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया। वह पहले और अन्तिम मन्त्री हैं जिन्होंने जर्मनी में त्यागपत्र दिया है। यह दल अधिक प्रभावशाली नहीं बन पाया और 1957 में इसे भंग कर दिया गया। डा. हाइनेमान तथा श्रीमती (फ्राउ) वेसल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर बुन्डेस्टाग के लिए चुन गए। बाद में डा. हाइनेमान इसी दल की ओर से राष्ट्रपति चुने गए।

तीन प्रमुख दल

यह उल्लेखनीय है कि प्रथम निर्वाचन में 21 दलों में से अपेक्षाकृत बहुत कम राजनीतिक दलों को बुन्डेस्टाग में प्रतिनिधित्व मिला। बाद में इनकी संख्या क्रमशः कम होते होते सिर्फ तीन दल ही बुन्डेस्टाग में रह गये। इन दलों के नाम इस प्रकार हैं —

(1) सोशल डमाक्रेटिक पार्टी (एस पी डी)
(2) क्रिश्चियन डमाक्रेटिक यूनियन (सी० डी० यू बवरिया का क्रिश्चियन सोशल यूनियन ना वुन्डेसटाग म इसी दल के साथ मिल कर काय करती है। प्रस्तुत पुस्तक म दोनो दलो के लिए एक ही नाम का प्रयोग करेंगे)
(3) फ्री डमाक्रेटिक पार्टी (एफ डी पी)

निम्नांकित पृष्ठो म हम इन तीन महत्वपूर्ण दलो के बारे म विस्तार म चर्चा करेंगे।

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी

यूरोप के समाजवादी आन्दोलन म जमन सोशल डमाक्रेटिक पार्टी का महत्व पूर्ण योगदान रहा है। यह यूरोप के प्राचीनतम समाजवादी दलो म से एक है। जमनी के राजनीतिक दलो म भी यह दल सबसे अधिक सुसंगठित एव प्राचीन है। इस दल को 1871 के बाद बिस्मार्क का तथा 1933 के बाद हिटलर के दमन का सामना करना पड़ा। इनके साहित्य पर प्रतिबंध लगाया गया समाचार-पत्रों का प्रकाशन रोक दिया गया। सभाओं पर पाबन्दी लगी तथा इसके सदस्यो पर क्रूर अत्याचार किये गये। इनके बावजूद दल के सदस्य निष्ठापूर्वक अपने राजनीतिक बन्धन एव आन्दोलन को बनाये रहे।

सोशल डमाक्रेटिक पार्टी का इतिहास 100 वर्ष से अधिक प्राचीन है। इसकी स्थापना 1863 म हुई। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस दल के इतिहास को पाच भागो में विभाजित किया जा सकता है—

(1) प्रारम्भिक अवस्था 1863–1891
(2) विकास का युग 1891–1905
(3) जन आन्दोलन का सगठित रूप 1905–1933 (तत्पश्चात् 12 वर्ष तक दल गैरकानूनी घोषित रहा)
(4) द्वितीय युद्ध के पश्चात् पुनगठन 1945–1959
(5) मध्यम माग की नीति 1959–1977

प्रारम्भिक अवस्था

फर्डिनेंड लासाल नामक व्यक्ति ने 1 माच 1863 म जमन श्रमिक-सघ नामक एक दल का गठन किया। प्रसिद्ध समाजवादी लेखक स्वर्गीय कार्ल काउत्स्की के अनुसार— यदि जमन समाजवादी दल की उत्पत्ति को एक व्यक्ति का काय माना जाए तो यह दल फर्डिनेंड लासाल का काय था। 23 मई 1863 म समस्त जमनी से 15 समाजवादी प्रतिनिधि लाइप्जिग नामक नगर म एकत्रित हुए और उन्होंने अपने दल का नाम समग्र जमन श्रमिक-सघ' रखा। लासाल भी इन प्रतिनिधियो म से एक था। यही दल 1869 म सोशल डमोक्रेटिक पार्टी के रूप म गठित किया

गया। इस प्रकार लासाल इस दल का संस्थापक तथा जनक था तथा आज तक इस दल पर उसके व्यक्तित्व की अमिट छाप है।

यद्यपि लासाल की समाजवाद में आस्था थी लेकिन वह मार्क्स के जो जर्मनी में पैदा हुआ सिद्धान्तों से पूर्णतः सहमत नहीं था। यही कारण है कि मार्क्स व एंगेल्स उसको नापसन्द थे। इन्होंने तो लासाल को 'भावी श्रमिक-तानाशाह' तक कहा। शीघ्र ही लासाल को आगुस्ट बेबेल व विल्हेल्म लीबक्नेख्त नामक दो सहयोगी मिले जिन्होंने जर्मन समाजवादी आन्दोलन को विचार भूमि प्रदान की तथा इस प्रगति की ओर अग्रसर किया। विल्हेल्म लीबक्नेख्त ने 1848 की जर्मन क्रांति में भाग लिया तथा उसे भाग कर लन्दन में शरण लेनी पड़ी जहाँ वह 1862 तक रहा। बाद में वह लौट कर जर्मनी आ गया। आगुस्ट बेबेल (1840–1913) ने निरन्तर जर्मनी में समाजवादी आन्दोलन को गति प्रदान की। लासाल के खेमे में एक नवीन व्यक्ति ने भी प्रवेश किया जिसका नाम था जोहान बप्टिस्ट फान श्वाइटजर। इस व्यक्ति का झुकाव बिस्मार्क की ओर था। यही कारण है कि लीबक्नेख्त व बेबेल से उसका मतभेद हो गया जिसके फलस्वरूप दो दल बन गए। लासाल की मृत्यु के बाद दोनों दलों में मतभेद और बढ़े।

7 अगस्त 1869 को आइजनाख नगर में बेबेल के दल ने एक नवीन दल का गठन किया जिसका नाम सोशल डेमोक्रेटिक लेबर-पार्टी रखा गया। लेकिन शीघ्र ही दोनों दलों लासालवादियों तथा आइजनाखवादियों की समझ में आ गया कि आपसी संघर्ष द्वारा वे न केवल अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं वरन् पुलिस के दमन चक्र के भी शिकार हो रहे हैं। एकता द्वारा वे पुलिस दमन का दृढ़तापूर्वक मुकाबला कर सकते हैं। 22 मई 1875 में गोथा नामक नगर में दोनों दलों ने मिलकर नया राजनीतिक दल बनाया जिसका नाम सोशल लेबर पार्टी आफ जर्मनी रखा गया। नवीन दल में जनतान्त्रिक समाजवाद तथा साम्यवादी सिद्धान्तों का मिला जुला रूप प्रस्तुत किया गया था। दल के कार्यक्रमों के इतिहास में गोथा कार्यक्रम (1875) एक मील का पत्थर है।

गोथा-कार्यक्रम के अनुसार– श्रम ही समस्त धन तथा समस्त संस्कृति का आधार है और सामान्य तथा सारा उपयोगी श्रम सिर्फ समाज द्वारा ही संभव बनाया जाता है अतः समस्त धन और संस्कृति समाज यानी उसके समस्त सदस्यों की सम्पत्ति है। वर्तमान समाज में उत्पादन के सभी साधनों पर पूँजीपति-वर्ग का एकाधिकार है जिसके परिणामस्वरूप मजदूरों को सभी प्रकार की दासता, विपत्ति तथा गुलामी का शिकार होना पड़ता है। इस घोषणा में साम्यवादी प्रभाव का स्पष्ट संकेत है लेकिन इसके द्वारा प्रस्तुत मांगें जनतान्त्रिक प्रगति की ओर संकेत करती हैं। ये मांगें इस प्रकार हैं—

(1) सार्वत्रिक समान प्रत्यक्ष तथा गुप्त मतदान द्वारा सभी विधायी सभाओं का चुनाव किया जाये।

(2) जनता द्वारा प्रत्यक्ष या सीधे चुनाव करने का अधिकार हो।
(3) युद्ध तथा शांति सम्बन्धी निर्णय जनता द्वारा लिये जायें तथा
(4) संकटकालीन व असाधारण कानूनों को समाप्त किया जाए।

इस प्रकार गोथा-कार्यक्रम द्वारा एक जन-कल्याणकारी राज्य की स्थापना की माग की गई। मार्क्स और एंगेल्स इस कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने इस कार्यक्रम को लासालेवादियों के प्रति आत्म-समर्पण बताया। समाजवादियों की उत्तरोत्तर बढ़ती लोकप्रियता से जर्मनी का चान्सलर बिस्मार्क घबरा उठा। वह ऐसे अवसर की तलाश में था जिसका लाभ उठाकर समाजवादियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जा सके। 1878 में जर्मन सम्राट की हत्या के दो असफल प्रयास किए गए। तत्काल बिस्मार्क ने समाजवादियों पर हत्या के षड्यन्त्र का आरोप लगाया तथा 19 अक्टूबर 1878 में समाजवाद विरोधी कानून पारित किया गया। इस कानून द्वारा चान्सलर ने सभी श्रमिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। उनके अखबार जब्त कर लिए गए तथा समाजवादियों द्वारा सभाओं के आयोजन पर रोक लगा दी गई। प्रति दो वर्ष बाद इस कानून का नवीकरण किया गया और इस प्रकार 1890 तक यह कानून जारी रहा। दल के अधिकांश नेताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया गया या देश से निष्कासित कर दिया गया।

1890 में केजर (सम्राट) विलियम द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने बिस्मार्क के साथ मतभेद होने के कारण समाजवाद विरोधी कानून को समाप्त कर दिया। 1878 से 1890 तक समाजवादियों ने अपनी गतिविधियाँ जारी रखीं तथा वे निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में चुनाव भी लड़ते रहे। प्रतिबंध हटने के एक वर्ष बाद (1891) समाजवादियों ने एरफुर्ट नगर में दल का सम्मेलन बुलाया। एरफुर्ट-कार्यक्रम पर समाजवादी नेता कार्ल काउटस्की के व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप है। यह मार्क्सवाद से प्रेरित था और इस प्रकार इस कार्यक्रम पर साम्यवादी घोषणा-पत्र (कम्युनिस्ट मनीफेस्टो) का प्रभाव दीख पड़ता है। लेकिन कई मांगें ऐसी भी रखी गईं जिससे दल का सुधारवादी तबका संतुष्ट रहे। संक्षेप में एरफुर्ट कार्यक्रम में भी समन्वय की विचारधारा स्पष्ट है फिर भी एरफुर्ट-कार्यक्रम गोथा कार्यक्रम की तुलना में मार्क्सवाद से अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित था।

जर्मन समाजवादी आन्दोलन प्रारम्भ में ही दो भिन्न धाराओं के बीच डूबता उतरता रहा। एक ओर लासाल श्वाईटज़र बर्नस्टाईन तथा फोलमार जैसे व्यक्ति थे जो जनतांत्रिक समाजवाद के पोषक थे दूसरी ओर लीबक्नेख्त बेबेल तथा काउटस्की जैसे लोग थे जो मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे। दोनों वर्गों में कार्यक्रम व दलीय संगठन के मुद्दों को लेकर भारी मतभेद था। इस प्रकार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का इतिहास एक द्वंद्व-परम्परा का शिकार रहा है। कभी उसमें कार्यक्रम सुधार अधिक थे तो कभी मार्क्सवाद का अधिक पुट उसमें दिखाई दिया। लेकिन एक

पूरे 14 वप तक यह दल एक प्रभावशाली दल के रूप मे बना रहा लेकिन शीघ्र ही साम्यवादी दल ने अपनी स्थिति मजबूत करने म सफलता प्राप्त कर ली। प्रथम महायुद्ध के बाद जमन सोशल डेमोक्रटिक पार्टी द्वारा निर्मित गोरलित्ज कायक्रम दल की दाशनिक परम्परा तथा कायक्रम क इतिहास मे महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

हिटलर के सत्ता म आने (1933) के पूव 1920 से 1933 के बीच जमनी मे 21 मत्रिमण्डल बने और बिगडे। इनमे सिफ एक सोशल डमोक्रट चान्सलर बना। इसका नाम हमन म्यूलर था जिसने 1928 स 1930 तक शासन किया। लेकिन जिला तथा राज्य-स्तर पर समाजवादियो ने कई बार सरकारो का निमाण किया। हिटलर जमनी के राजनीतिक क्षितिज पर एक धूमकेतु की भाति उदय हुआ और 12 वप (1933–1945) तक अय दलो की भाति समाजवादी दल पर भी रोक लगा दी गई। यह उल्लेखनीय है कि जब हिटलर न एनेबलिंग एक्ट के माध्यम से समस्त शक्तिया अपने हाथो मे केन्द्रित करनी चाही तो राईशटाग (जमन लोक सभा) म सिफ 93 सोशल डमोक्रट सदस्यो न ही उसका विरोध किया।

1945 के बाद

वाईमार जनतन्त्र की अवधि म सोशल डमोक्रटिक पार्टी माक्सवाद से काफी प्रभावित रही यद्यपि वह माक्सवाद क्रान्तिकारी न होकर समयोचित परिवतनो का समथक ही रहा। लेकिन फिर भी जब कभी किसी समस्या का सद्धान्तिक आधार ढूढना और उसका समाधान करना होता तो माक्सवाद के शस्त्रागार से हथियार निकालने की आवश्यकता पडती। द्वितीय महायुद्ध के बाद भी माक्सवादी परम्परा का प्रभाव बना रहा। 1945 म जब सोशल डमोक्रटिक पार्टी का पुनगठन हुआ तो उसका नेतृत्व कुट शूमाखर नामक व्यक्ति के हाथ म आया। यह व्यक्ति वाईमार गणतन्त्र के जमाने स ही सक्रिय समाजवादी था तथा इसने अपना जीवन एक सम्पादक के रूप मे आरम्भ किया था। शूमाखेर 1924–1931 तक व्यूरटम्बग राज्य की विधानसभा का सदस्य रहा तथा 1930–33 तक जमन राइशटाग का सदस्य। वह इतना निभय था कि इसने गोएबल्स को ढीठ बौना कहने का साहस किया। हिटलर ने शूमाखेर को यातना केन्द्र (कन्सनटेशन कैम्प) म भेज दिया जहा बीमारी की अवस्था म इसकी एक टाग व एक हाथ खराब हो गये। 1948 म उसकी बाई टाग काटनी पडी। शूमाखेर एक निष्ठावान् तथा उद्देश्यो से युक्त नेता था साथ ही वह व्यग्य व कटुता से परिपूर्ण तथा समझौता विरोधी दृष्टिकोण वाला था। 1952 म उसकी मृत्यु हो गई। शूमाखेर को जमन राजनीति का मार्टिन लूथर कहा गया है।

कुट शूमाखेर की मृत्यु के पश्चात् एरिख ओलेनहावर दल का नेता बना। वह नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। नात्सी युग म वह प्राग पेरिस व लन्दन म निर्वासित व्यक्ति के रूप म रहा। ओलेनहावर 1949 स 1963 (मृत्यु-पयन्त) बुन्देसटाग का सदस्य रहा।

1964 मे विलि ब्रान्ट सोशल डमोक्रटिक पार्टी का अध्यक्ष बना लेकिन इसके पूर्व 1961 के चुनाव मे उसने अपने दल की ओर से चुनाव लडा तथा बहुमत प्राप्त करने की स्थिति मे वह चान्सलर पद का प्रत्याशी था। ब्रान्ट हिटलर के काल में क्रूर दमन चक्र से बचने के लिए नार्वे चला गया था तथा उसने वहा की नागरिकता प्राप्त करली थी। द्वितीय महायुद्ध के बाद वह नार्वे की ओर से राजदूतावास में सूचना अधिकारी बन कर आया। शीघ्र ही उसने पुन जर्मनी की नागरिकता स्वीकार कर ली तथा बर्लिन स्थित सोशल डमोक्रटिक पार्टी में सक्रिय हो गया। शीघ्र ही वह पश्चिमी बर्लिन का मेयर बन गया और अपने गतिशील व्यक्तित्व के कारण उसने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली। 1966 में वह क्रिश्चियन डमोक्रटिक यूनियन व सोशल डमोक्रटिक पार्टी द्वारा निर्मित मिले जुले मन्त्रिमण्डल में वाईस चान्सलर (उप प्रधानमन्त्री) तथा विदेश मन्त्री बना। तीन वर्ष बाद ब्रान्ट चान्सलर बना तथा 1974 मे इसने चान्सलर पद से इस्तीफा दे दिया। तत्पश्चात् इसी दल का हैल्मुठ श्मिडट चान्सलर-पद पर आसीन हुआ।

इसके अतिरिक्त फ्रिटज एलर तथा हर्बट वेहनर गुस्टाफ हाइनेमान तथा कार्लो श्मिन्ट नामक व्यक्ति सोशल डमोक्रटिक पार्टी में काफी प्रभावशाली रहे। 1967 में एलर की मृत्यु हो गई। वह सुधारवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। हर्बट वेहनर आज भी दल के संगठन में प्रभावशाली स्थान रखता है। गुस्टाफ हाइनेमान ने पश्चिमी जर्मनी के राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया था।

सोशल डेमोक्रटिक कार्यक्रम

युद्धोत्तर काल में सोशल डमोक्रटिक पार्टी के कार्यक्रम का सम्यक अध्ययन करने की दृष्टि से उसे दो भागो मे बाटना उचित होगा। यह वर्गीकरण इस प्रकार है—

(1) समाजवादी सिद्धान्तो पर अधिक बल (1945 1958)।
(2) जनतान्त्रिक समाजवाद की ओर (1959–1977)।

प्रथम काल मे सोशल डमोक्रटिक पार्टी ने उत्पादन वितरण तथा विनिमय के साधनो पर राज्य के नियन्त्रण की बात की तथा राष्ट्रीयकरण की माग पर जोर दिया तथा अर्थ व्यवस्था पर सामाजिक नियन्त्रण की वकालत की। समाज को व्यक्ति से ऊपर माना गया। दल अत्यधिक सिद्धान्तवादी था और परम्परागत रूढि पर चलने को तत्पर था। उसने देश के बदलते स्वरूप व परिस्थितियो पर अधिक ध्यान नही दिया खास कर कुर्ट शूमाखर के समय ऐसा सिद्धान्तवादी दृष्टिकोण अधिक प्रभावी रहा। उसकी मृत्यु के बाद 1952 में स्थिति में कुछ परिवर्तन आया। ओलेनहावर यद्यपि सैद्धान्तिक दृष्टि से शूमाखर के निकट था लेकिन उसकी व्यावहारिक बुद्धि के कारण कार्यक्रम में समन्वय व समझौते के लिए कुछ स्थान रहा। 1956 के बाद दल के नेतृत्व ने अनुभव किया कि यदि दल के कार्यक्रम में जनतान्त्रिक सिद्धान्तो को यथोचित स्थान नहीं दिया गया तो वह न केवल अलोकप्रिय रहेगा वरन् निकट

भविष्य म सत्ता प्राप्ति का सपना सपना ही रह जाएगा। निरतर चिन्तन विचार विमर्श तथा सलाह के बाद 1959 म बाडगाडसबग नामक नगर म (आज यह बान नगर का हिस्सा है) सोशल डमोक्रटिक पार्टी का महत्वपूण सम्मेलन हुआ। इसम राष्ट्रीयकरण एव राज्य के नियत्रण को बहुत कम महत्त्व दिया गया तथा समाज की तुलना म व्यक्ति का अधिक महत्त्व प्रदान किया गया।

1959 क बाडगोडसबग कायक्रम की स्वीकृति क साथ हा लोकतान्त्रिक समाजवादी प्रवत्ति की निर्णायक जीत हुई और राष्ट्रीयकरण क समथका का पराजय स्वीकार करनी पडी। तत्पश्चात् दल की लोकप्रियता म भी वद्धि हुई।

राष्ट्रीयकरण का प्रश्न

जसाकि स्पष्ट किया जा चुका है जमन समाजवादी आन्दोलन विभिन्न विचारधाराओं–साम्यवादी और सशोधनवादी–क बीच झूलता रहा है। यही बात युद्धोत्तर जमन सोशल डेमोक्रटिक पार्टी के बारे म लागू होती है। राष्ट्रीयकरण का सिद्धान्त समाजवाद के सिद्धान्तशास्त्रियो क लिए एक पवित्र सिद्धान्त रहा है। 1945 से 1952 के बीच दल ने अधिकाधिक उत्पादन–साधनो क राष्ट्रीयकरण की वकालत की तथा यह प्रवत्ति बराबर जारी रही। 1949 के बाद जब क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन (सी डी यू) की सरकार न बाजार अथनीति का अनुसरण किया तो उसकी निंदा की गइ तथा इस पूजीपतियो के एकाधिकार का पुनर्स्थापना की सज्ञा दी गई। साथ ही साथ यह माग की गई कि राईन तथा रूर क्षेत्र म स्थित प्रमुख उद्योगो को निजी हाथो म से निकाल कर सावजनिक नियत्रण म दे दिया जाय। समाजवादी राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण का राग अलापत रहे लकिन तत्कालीन सी डी यू सरकार न मुक्त व्यापार तथा निजी उद्योगो की सहायता स देश म आर्थिक पुनरचना क कठिन काय को सभव कर दिखाया। 1953 म दुबारा चुनाव हुए और जनता ने समाजवादियो से अधिक मत क्रिश्चियन डमाक्रटिक यूनियन को दिए। 1953–57 के बीच और अधिक आर्थिक उन्नति हुई और द्वितीय महायुद्ध नष्टप्राय एव ध्वस्त जमनी को पुन एक प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र क रूप म खडा कर दिया गया। यह सब मुक्त अथ-व्यवस्था स्वतत्र बाजार और निजी उद्योगो की सहायता से ही सभव हो पाया। अत जनता सोशल डमोक्रटिक पार्टी को क्यो वोट देने लगी? समाजवादी दुविधा म पड गए कि अब क्या किया जाए। सिफ राष्ट्रीयकरण या नियोजित विकास क नारो की रट स तो मत मिलने नही। इसी बीच 1957 म तीसरे आम चुनाव हुए जिसम क्रिश्चियन डमोक्रटो को और अधिक वोट मिले। समाजवादियो की निराशा का पारावार न रहा। उन्ह मजबूर होकर राष्ट्रीयकरण के पुराने नारे को छोडना पडा। 1959 म सोशल डमोक्रटिक पार्टी न बाडगोडसबग कायक्रम बनाया जो समाजवादी कम और जनतान्त्रिक अधिक था। इस कायक्रम क सम्बन्ध म एक ब्रिटिश लेखक न तो यहा तक कहा कि बाडगोडसबग

राजनीतिक चेतना फूकनी होगी। सोशल डेमोक्रेटो की मान्यता थी कि शिक्षा का उद्देश्य स्वतन्त्र विचार सहिष्णुता तथा सामाजिक दायित्व के प्रति जन चेतना को जाग्रत करना है। इन्होंने माग की कि शिक्षण संस्थाओं के व्यवस्थापन में अभिभावक तथा छात्रों को सह निर्णय का अधिकार दिया जाना चाहिए। शिक्षा-व्यवस्था की सफलता इसी बात में निहित है कि वह बौद्धिक स्वतन्त्रता तथा जनतान्त्रिक भावनाओं को सुदृढ कर तथा साथ ही साथ अन्तरराष्ट्रीय बन्धुत्व के विचारों को प्रोत्साहन भी दे।

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के 1959 के कार्यक्रम के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में सभी लोगों को स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा को विकसित करने का अवसर मिलना चाहिए स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों के युवकों में पारस्परिक सद्भाव सहिष्णुता व सम्मान की भावना भरनी चाहिए। युवकों को स्वतन्त्रता तथा सामाजिक दायित्व के साथ ही साथ जनतन्त्र के आदर्शों और अन्तरराष्ट्रीय सद्भाव का पाठ भी पढ़ाया जाना चाहिए इस प्रकार शिक्षा के पाठ्यक्रम में आदर्श नागरिक की शिक्षा शामिल होनी चाहिए।

दलीय संगठन

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एक बहुत ही सुसंगठित दल है तथा दल की कार्यवाही जनतान्त्रिक तरीकों पर आधारित है। जर्मनी में संगठन की दृष्टि से राजनीतिक दलों को दो वर्गों में बांटा जाता है

(1) सदस्योन्मुख दल

(2) चुनावोन्मुख दल।

प्रथम वर्ग का दल संगठन में सदस्यों को अधिक महत्व देता है जबकि दूसरे वर्ग का दल चुनावों में अधिक दिलचस्पी रखता है और संगठन में कम। 1972 में इस दल के 9 00 000 सदस्य थे। यही कारण है कि इसे सदस्योन्मुख दल के नाम से जाना जाता है। यदि जर्मनी के तीन प्रमुख राजनीतिक दलों की तुलना की जाए तो विदित होगा कि 1964 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के 6 78 484 सदस्य क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के 3 00 000 तथा फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के लगभग 8(000 सदस्य थे।

दल की रचना

वाइमार-गणतन्त्र में भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 20 जिला इकाइयों में बंटी थी और आज भी यही स्थिति है। जिलों से नीचे स्थानीय इकाइ क्षेत्र विशेष की ... आदि इकाइयां हैं। राज्य-स्तर पर तथा संघ स्तर पर भी इसका गठन होता है। संघ स्तर पर पार्टी कांग्रेस इसका सर्वोच्च अंग होता है। पार्टी कांग्रेस या ... में 300 सदस्य होते हैं जो विभिन्न जिलों व राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं।

इसमें दल की कार्यकारिणी तथा नियंत्रण आयोग के सदस्य भी शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त संसदीय दल या सलाहकार के रूप में पार्टी कांग्रेस में भाग लेता है।

पार्टी कांग्रेस (अधिवेशन)

दल हर वर्ष पार्टी कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन दल की कार्यकारिणी करती है। पार्टी-कांग्रेस से पूर्व सभी प्रतिनिधियों के परिचय पत्रों की जाँच होती है। नये नेताओं का चुनाव होता है तथा कार्य विधि नियम निश्चित किये जाते हैं। अधिकांश मामले साधारण बहुमत से तय किये जाते हैं तथा पार्टी के संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। प्रति दूसरे वर्ष दल की नई कार्यकारिणी का चुनाव होता है साथ ही दल के नियंत्रण आयोग का निर्वाचन भी होता है।

प्रतिनिधियों का अधिकार है कि पार्टी कांग्रेस के आयोजन से पाँच सप्ताह पूर्व प्रस्ताव भेजें। ये प्रस्ताव कार्यकारिणी को भेजे जाते हैं। सारे प्रस्ताव सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साप्ताहिक पत्र फारवर्ट्स में तीन सप्ताह पूर्व प्रकाशित होते हैं।

संकटकाल में पार्टी कांग्रेस का असाधारण सम्मेलन बुलाया जा सकता है।

कार्यकारिणी

दल की कार्यकारिणी में अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, एक अतिरिक्त कोषाध्यक्ष तथा निश्चित संख्या में सदस्य होते हैं। इन सदस्यों की संख्या समय-समय पर बढ़ाई या घटाई जा सकती है। लेकिन दल के संविधान के अनुसार कार्यकारिणी में कम से कम चार महिलाएँ अवश्य होनी चाहिए। कार्यकारिणी अपने निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए एक प्रसीडियम का चुनाव करती है जिसकी सदस्य-संख्या पार्टी कांग्रेस द्वारा निश्चित की जाती है।

कार्यकारिणी दल के सुचारु प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होती है। दल की विभिन्न संस्थाओं और संगठनों पर नियंत्रण रखती है। वह जब भी चाहे दल के किसी भी मामले की जाँच कर सकती है।

परिषद

दल के संघीय स्वभाव की सुरक्षा के लिए कार्यकारिणी के अतिरिक्त एक परिषद् की भी व्यवस्था की गई है। इस परिषद् में निम्नलिखित प्रतिनिधि शामिल होते हैं—

(1) जिला स्तर के दल के अध्यक्ष तथा इसके अतिरिक्त उसकी कार्यकारिणी के प्रतिनिधि। जिस जिले में दल के 20 हजार सदस्य होते हैं वह एक प्रतिनिधि, 50 हजार सदस्यों पर दो प्रतिनिधि तथा 50 हजार से अधिक सदस्यों पर तीन प्रतिनिधि भेजते हैं।

(2) दल की राज्य शाखा के अध्यक्ष
(3) राज्य विधान सभा दल का नेता
(4) राज्य के मुख्य-मत्री या उप मुख्य मत्री
(5) सघ-सरकार (यदि उनकी सरकार हो ना) के सदस्य-गण ।

परिषद् क सम्मेलन का आयोजन दल की कायकारिणी करती है । तीन माह मे सामान्यतया परिषद् की बठक होती है लकिन परिषद् के एक तिहाई सदस्या की विशेष प्राथना पर असाधारण बठक बुलाई जाती है । दल की कायकारिणी विविध विषयो —जस विदेश नीति अथ नीति गृह-नीति तथा पार्टी सगठन के मुद्दा पर निणय लेने स पूव परिषद् के विचार सुनता है । इस प्रकार कायकारिणी क निरकुश होने का खतरा टालने क लिए तथा विभिन्न राज्यो की शाखाओ को उचित महत्व देन की दृष्टि म परिषद् की स्थापना की गई है ।

दल नियत्रण आयोग

साशल डेमाक्रट लाग कायकारिणी के अत्यधिक प्रभावपूर्ण होन की स्थिति से बचना चाहते थ । उसक कार्यों पर नियत्रण क लिए जहा एक ओर दलीय परिषद् की स्थापना की गई वहा दूसरी ओर एक नियत्रण आयोग की रचना भी हुई जिसक 9 सदस्य होत हैं । नियत्रण आयोग का चुनाव प्रति दूसर वष पार्टी काग्रस करती है । हर तीसरे माह इस आयोग की बठक होती है । नियत्रण आयोग दल की कायकारिणी के कार्यों का पयवेक्षण करता है तथा कायकारिणी क विरुद्ध की गई शिकायतो या अपीलो की जाच करता है ।

वित्तीय व्यवस्था

किसी भी राजनीतिक दल की निणय लेने की स्वतत्रता इस तथ्य पर निभर करती है कि क्या वह आर्थिक दृष्टि से स्वतत्र है या किन्ही अन्य सस्थाओ पर निभर है । इस दृष्टि से साशल डमाक्रटिक पार्टी भाग्यशाली है । इसके सदस्य नियमित रूप से दल को सदस्यता शुल्क व अन्य अनुदान देत हैं । न केवल इस दल की सदस्य सख्या अधिक है वरन् उसका सदस्यता शुल्क भी अधिक है । सदस्यता शुल्क प्रति माह चुकाना पडता है । 1964–65 म सदस्यता शुल्क की दरें इस प्रकार थी —

आमदनी	सदस्यता शुल्क प्रति माह
300 जमन मार्क	1 5 जमन मार्क
400	2
600	3
800	5
1000	7

1200 जमन मार्क	10 जमन मार्क
1500	15
1800	20
2000	30
2500	40

1963 म सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को सदस्यता शुल्क के रूप म 145 लाख मार्क प्राप्त हुए जिसम न केवल रोजमर्रा का व्यय पूरा हो सका वरन् कुछ सीमा तक प्रचार का खर्च भी चल सका। इस दल की तुलना म क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन व फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी को सदस्यता शुल्क से बहुत कम आमदनी प्राप्त होती है। साथ ही पार्टी के कार्यों पर क्रिश्चियन डेमोक्रेट लगभग 80 मार्क खर्च करते हैं जो काफी कम है। इसम म 30 लाख मार्क सदस्यता शुल्क म प्राप्त होते थे बाकी 50 लाख का खर्च अन्य संस्थाओं की सहायता से प्राप्त होता था। फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी अपने लगभग समस्त व्यय के लिए उद्योगपतियों व पूँजीपतियों पर आधारित थी।

दलीय समितियाँ

आज का युग विशेष ज्ञान का युग है तथा विविध समस्याओं—सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक सामाजिक के समाधान के लिए विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता होती है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी नीतियों के स्पष्टीकरण के लिए विशेष समितियों की व्यवस्था की है। ये दलीय समितियाँ सम्बद्ध समितियों द्वारा निर्धारित विषयों को ध्यान म रख कर बनाई जाती हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने निम्नांकित विषयों पर समितियों का निर्माण किया है—शिक्षा-नीति स्त्रियों की दशा युद्ध पीड़ित लोग सार्वजनिक निर्माण-कार्य रेडियो व प्रचार-नीति प्रतिरक्षा-नीति सामाजिक दशा निष्कासित व्यक्ति जर्मन-एकीकरण वित्त-नीति कर्मचारी मजदूर व परिवहन-नीति।

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का महत्त्व

विरोधी राजनीतिक दलों ने प्रारम्भ म इस दल की कड़ी आलोचना की तथा इसे नकारात्मक नीति के प्रसारक की संज्ञा दी लेकिन धीरे धीरे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की रचनात्मक नीति के कारण उसकी प्रशंसा होने लगी। 1963 म तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार के चांसलर आइजनआवर ने यहाँ तक कहा कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के बिना आधुनिक फेडरल जर्मनी के सामाजिक राजनीतिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। देश के स्वतंत्र संगठन तथा पितृ भूमि को इस दल द्वारा दी गई सेवाओं की कोई भी व्यक्ति अवहेलना नहीं कर सकता।

1966 में तो सोशल डेमोक्रेटिक दल ने क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक ... मिल

कर मिली-जुली सघीय सरकार का भी निर्माण किया। 1972 म जव मध्यावधि चुनाव हुए तो स्वय सोशल डमोक्टा न विली ब्राण्ट के नेतृत्व म सरकार का निमाण किया। जमन जनता मे जनतत्रीय भावनाओ क विकास के क्षेत्र म इस न्ल का भारी यागदान रहा है।

सोशल डमोक्रेट सरकार म—186ɔ स 1977 के बीच सोशन डमोक्रटिक पार्टी को अधिकाश समय तक विरोधी दन की भूमिका निभानी पडी। वाईमार गणतत्र के प्रयम राष्टपति फ्रीडरिच एवट तथा एक बार सरकार बनान क अलावा दल को अधिकाश समय तक विरोधी दन क रूप म काय करना पडा। 1949 से (फडरल जमनी के निर्माण) लेकर 1966 तक य दल विरोधी बेंचा पर बठा (यद्यपि कई राज्यो म इसन मिला जुली सरकारो म भाग लिया)। 1966 म जव फ्री डमाक्रट लोगा ने क्रिश्चियन डमोक्रटा क साथ वन मन्त्रिमण्डल को त्याग दिया तो उनक स्थान पर सोशल डमाक्रटा न मन्त्रिमण्डल म प्रवेश किया। 1949 स 1974 तक जमन सरकार की रचना इस प्रकार रही—

वष	सरकार में सा मलित दलो का नाम	चासलर का नाम व दल
1949–53	क्रिश्चियन डमोक्रटिक यूनियन फ्री डमाक्रटिक पार्टी व जमन पार्टी	आडनआवर (क्रिश्चियन डमोक्रट)
1953–57	क्रिश्चियन डमोक्रटिक पार्टी व फ्री डमाक्रटिक पार्टी	आडनआवर
1957–1961	—वही—	आडनआवर
1961–1963	—वही—	आडनआवर
1963–1965	—वही—	लुडविग एरहाड (क्रिश्चियन डमोक्रट)
1965–66	—वही—	लुडविग एरहाड
1966–1969	सोशल डमोक्रट व क्रिश्चियन डमोक्रटिक पार्टी	किसिंगर (क्रिश्चियन डमाक्रट)
1969–1972	सोशल डमाक्रटिक पार्टी व फ्री डमाक्रटिक पार्टी	विली ब्राण्ट (सोशल डमाक्रट)
1972–1974	—वही—	विली ब्राण्ट
1974–	—वही—	हलमुट श्मिडट

इस प्रकार 1966 म ही सोशल डमोक्रट क्रिश्चियन डमाक्रटिक पार्टी क साथ मिलकर सरकार म प्रवश कर सक तथा सोशल डमोक्रटिक पार्टी की ओर स श्री विली ब्राण्ट वाईस चासलर (उप प्रधान मत्री) बन। 1969 म सोशल डमाक्रटिक पार्टी न फ्री डमाक्रटिक पार्टी क साथ मिलकर सरकार बनाई। इसम सोशल

डमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से विली ब्राण्ट चांसलर (प्रधान मंत्री) बने। जून 1974 में विली ब्राण्ट ने त्यागपत्र दे दिया और उनके स्थान पर उनके ही दल के श्री हेलमुट शिमट चांसलर बने।

सोशल डेमोक्रेट राष्ट्रपति

पश्चिम जर्मनी के भिन्न राष्ट्रपतियों के नाम व कार्यकाल का अध्ययन हम राष्ट्रपति विषयक अध्याय में कर आए हैं। यहां हम सोशल डेमोक्रेटिक दल के सदस्य श्री गुस्टाफ हाईनमान के निर्वाचन का उल्लेख करेंगे। 1949 से 1969 तक जर्मनी में या तो फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी या क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य ही राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे लेकिन 1969 में आकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सदस्य ने राष्ट्रपति भवन में प्रवेश किया। 4 मार्च 1969 को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने श्री हाईनमान तथा क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने श्री गरहार्ड श्रोडर को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया। चुनाव में सफलता की कुंजी सदस्य की भांति फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथ में था। जिधर यह दल मत देता वह उम्मीदवार जीत जाता। इस बार फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ने सोशल डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को मत देने का निश्चय किया। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए विशेष संघीय सम्मेलन (सम्मेलन सभा) का निर्वाचन होता है जिसमें बुन्डस्टाग (लोक सभा) के समस्त सदस्य तथा उनके समान संख्या में ही राज्य विधान सभाओं द्वारा सदस्य भेजे जाते हैं। 1969 के चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए मतदाताओं की संख्या 1036 थी। इसमें से साधारणतः विजय प्राप्त करने के लिए 519 मतों की आवश्यकता पड़ती लेकिन यदि प्रथम तथा द्वितीय मतदान में भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिलता तो तीसरे मतदान में जिस व्यक्ति को सबसे अधिक मत मिलते हैं उसे राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। चुनाव का परिणाम इस प्रकार रहा —

	हाईनमान	श्रोडर	अवैध मत	अनुपस्थित
प्रथम मतदान	514	501	3	5
द्वितीय मतदान	511	507	—	5
तृतीय मतदान	512	506	—	5

इस प्रकार तृतीय मतदान में श्री गुस्टाफ हाईनमान राष्ट्रपति घोषित किए गए।[1]

1 1974 में पुनः राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ इसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य श्री वाल्टर शील को समर्थन प्रदान किया और श्री शील राष्ट्रपति चुने लिए गए।

क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सी डी यू)

सामान्यतया हमारे देश में लोगों की यह मान्यता है कि आज के पश्चिम के लोग धर्म को बहुत कम महत्त्व देते हैं लेकिन ऐसा विचार भ्रान्तिपूर्ण है। यह आश्चर्यजनक बात है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप के विभिन्न देशों खासकर फ्रांस, इटली व पश्चिमी जर्मनी में जिन दलों ने एक अवधि तक सरकारों का निर्माण किया उनके नाम के साथ क्रिश्चियन (ईसाई) शब्द जुड़ा हुआ था। जर्मनी में भी ईसाइयत के एक कट्टर व समर्थक एवं अनुयायी कानराड आडनआर ने ही 1949 से 1963 तक चान्सलर का पद धारण किया। इसके पद-त्याग के बाद भी 1969 तक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी का चान्सलर फेडरल जर्मनी पर शासन करता रहा।

द्वितीय महायुद्ध की भयंकर विनाश-लीला से समस्त यूरोप थर्रा उठा और अधिकांश लोगों के मन में यह धारणा घर कर गई कि धर्म के प्रति उदासीनता तथा अनैतिकता के कारण ही यूरोप तथा जर्मनी पर विपत्ति का यह पहाड़ टूटा था और इससे नात्सी तानाशाही व साम्यवादी तानाशाही के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता कानराड आडनआवर ने अपने संस्मरण (ममायर्स) में लिखा है "ईसाई सिद्धान्तों की नींव पर ही क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन का प्रासाद खड़ा करना आवश्यक था। ईसाइयत ही निर्णायक तत्त्व थी। हम नात्सीवाद की भौतिक विचारधारा के स्थान पर ईसाई दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहते हैं। ईसाई नैतिकता को भौतिकवाद के सिद्धान्तों पर विजय पानी होगी।"[1]

क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सी डी यू) ने ईसाई धर्म के मुख्य सिद्धान्तों को अपनाया। यह एक नया दल था साथ ही पुराना भी। नया इन अर्थों में कि इसने प्राचीन जर्मन राजनीतिक दलों की परम्परा को कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट ईसाइयों को एक राजनीतिक रंगमंच पर ला खड़ा किया। बिस्मार्क के जमाने से लेकर द्वितीय महायुद्ध से पूर्व कैथोलिक धर्म के अनुयायियों ने अपना एक अलग दल बना रखा था जिसका नाम था सेंटर पार्टी। अधिकांश कैथोलिक इसी दल को मत देते थे। इस दृष्टि से देखा जाए तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एक पुराना दल था। क्योंकि बहुत से कैथोलिक मतदाता सेंटर पार्टी को वोट देते थे वे अब इसके अनुयायी हो गए। इस प्रकार इस दल में प्राचीन सेंटर पार्टी समाहित हो गई।

आडनआवर भलीभांति जानता था कि जब तक दोनों ईसाई सम्प्रदायों कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट को एकसाथ दल में एकत्रित नहीं किया जाता तब तक एक विशाल तथा सुसंगठित दल की स्थापना नहीं हो सकती। सत्ता प्राप्ति के लिए

1 कोनराड आडनआवर मेमायर्स 1945–53 अनुवादक बायात फान आवेन (लन्दन 1966) पृष्ठ 49।

देना होगा अनगार की प्रवत्ति त्यागनी पडगी। तत्पश्चात् कथोलिकों ने पूरी नगन से अपने हितों की रक्षा का प्रयास किया।

वाईमार गणतंत्र के समय भी सेंटर पार्टी काफी सक्रिय एवं शक्तिशाली थी। विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य इसकी स्थिति और भी सुदृढ़ थी क्योंकि वह जिस तरफ मिल जाती उसी पक्ष का पलडा भारी हो जाता। सेंटर पार्टी की महत्त्वपूर्ण भूमिका व स्थान का पता इस बात से चलता है कि 1919 से 1933 के बीच वाईमार जर्मनी में 14 चान्सलर बने। इनमें से 8 चान्सलर सेंटर पार्टी के थे। साथ ही इस दल ने लगभग सभी सरकारों में मंत्रियों के रूप में भाग लिया। हिटलर (1933-45) ने अन्य वर्गों की भांति कथोलिकों पर भी अत्याचार किया यद्यपि वह स्वयं भी जन्म से कथोलिक था। युद्धकालीन अनुभवों ने कथोलिकों में यह विश्वास और भी कूट-कूट कर भर दिया कि सरकार एवं समाज को ईसाई सिद्धांतों व विश्वासों पर आधारित होना चाहिए।

आडनआवर ने अपने संस्मरण (ममायम) में लिखा है— कई वर्षों से मैं यह विश्वास करता रहा कि हमें एक क्रिश्चियन (ईसाई) दल की आवश्यकता है जिसमें दोनों सम्प्रदाय कथोलिक व प्रोटेस्टेन्ट शामिल हों। सिर्फ इसी प्रकार हम राजनीतिक मामलों में भौतिकवादी विचारधारा का सामना कर सकते थे और सिर्फ इस प्रकार ही जर्मनी में एक नवीन प्रकार का राजनीतिक जीवन प्रारम्भ कर सकते थे। आडनआवर ने आगे लिखा— जीवन के प्रति ईसाई दृष्टिकोण ही कानून का एक मात्र संरक्षक है .... हमारे राष्ट्र की राजनीतिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक पुनर्स्थापना व पुनर्निर्माण के लिए ईसाइयत ही आधार बन सकता है। एक अन्य नेता आटो फ्रिक ने तो यहां तक कहा कि— सिर्फ ईसाई सिद्धान्तों दस आदेशों (टेन कमाण्डमेंटस) तथा ईसा द्वारा पहाडी पर दिए गए धर्मोपदेश (सरमन आन दी माउण्ट) के आधार पर ही जर्मनी का पुनर्निर्माण हो सकता है। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के प्रारम्भ तथा विकास के बारे में विचार करने से पूर्व इस दल के नाम पर ध्यान दिया जाये। इसका प्रथम शब्द है क्रिश्चियन जिसका अर्थ है ईसाई। यह शब्द वस्तुतः जनता के लिए भारी आकर्षण रखता था। दूसरा शब्द है— डेमोक्रेटिक यानी जनतंत्रीय। यह उदार विचारधारा मुक्त व्यापार तथा जनतांत्रिक प्रवत्ति के लोगों के लिए आह्वान था। तीसरा व अन्तिम शब्द है यूनियन जिसका अर्थ है संघ। संघ में तो सभी प्रकार के सदस्यों के लिए स्थान है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दल का नामकरण भी कभी कभी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होता है और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन नाम विविध वर्गों के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त नाम था।

एर्नाल्ड जे हाईडनहाइमर के अनुसार क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा बवेरिया स्थित उसकी सहचारी पार्टी क्रिश्चियन सोशल यूनियन वर्तमान जर्मन इतिहास

का पता चलता है उसी प्रकार किसी भी राजनीतिक दल का प्रारम्भिक परिचय उसके कार्यक्रम—आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक सामाजिक आदि से प्राप्त होता है फिर उस दल के कार्यों का अवलोकन एवं व्याख्या करने से उसका पूरा परिचय मिलता है। इस दृष्टि से किसी भी दल के कार्यक्रम का विशेष महत्त्व होता है।

क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ईसाई सिद्धान्तों एवं पश्चिमी संस्कृति को आधार मान कर चलता रहा है। इस दल ने आध्यात्मिक मूल्यों को राजनीतिक कृत्यों में उतारने का प्रयास किया है। राबर्ट जी नायमान के अनुसार वर्तमान क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा उसकी बवेरिया स्थित सहचारी पार्टी क्रिश्चियन सोशल यूनियन अपने राजनीतिक सिद्धान्तों में तथा अपने कार्यक्रमों में उन्हीं आदर्शों का पालन करती है जो यूरोप की अन्य क्रिश्चियन डमोक्रेटिक पार्टियाँ स्वीकार करती हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस की पापुलर रिपब्लिकन मूवमेंट (एम आर पी)।[1]

सांस्कृतिक नीति

इस दल का मूलाधार ही ईसाई संस्कृति थी अतः यह स्वाभाविक ही था कि वह सांस्कृतिक पक्ष पर अधिक बल देता। नास्तिक तानाशाही आदर्शों साम्यवाद व नात्सीवाद के पुनरागमन व प्रसार को रोकने के लिए ईसाई धर्म के उदात्त सिद्धान्तों के प्रति पूर्ण निष्ठा आवश्यक मानी गई। दल को नैतिक मूल्यों की नींव पर खड़ा किया गया ताकि भौतिकवादी आदर्शों का मुकाबला किया जा सके। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक दल के नेताओं की मान्यता थी कि संस्कृति ही समाज का आधार है तथा समाज के स्वरूप से ही राजनीतिक विचारधारा तथा अर्थनीति प्रभावित तथा प्रस्फुटित होती है। दल के प्रारम्भिक कार्यक्रमों में बार बार यह बात दुहराई गई कि पश्चिमी ईसाई संस्कृति की ओर पुनः अभिमुख होना जरूरी है। यह संस्कृति व्यक्ति की गरिमा और महत्त्व पर अधिक बल देती है।

चर्च का समाज में क्या स्थान हो इस सम्बन्ध में दल के नेताओं की मान्यता थी कि गिरजाघरों तथा धार्मिक संघों को राज्य द्वारा संरक्षण व सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए ताकि वे अपनी गतिविधियों का चलान में स्वतन्त्र एवं मुक्त रह सकें।

नेहाईम हाउस्टन नामक स्थान पर क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने जो कार्यक्रम तैयार किया उसमें परिवार की संस्था पर विशेष बल दिया गया। कानराड आडेनआवर ने जनता व राज्य के लिए परिवार को मूलभूत महत्त्व की संस्था माना। धर्म ईसाइयत तथा ईश्वर का इस दल के कार्यक्रमों में बार-बार उल्लेख मिलता है। 1959 में हाम्बुर्ग नगर में आयोजित पार्टी सम्मेलन में बोलते हुए क्रिश्चियन डमोक्रेट नेता कार्ल एर्नाल्ड ने कहा ईश्वर इतिहास का नियंता एवं स्वामी है और रहेगा। मानव को ईश्वर का आदेश है कि वह ईश्वर की इच्छा के अनुरूप विश्व का निर्माण

1 नॉयमान रॉबर्ट जी गवर्नमेंट आफ दी जर्मन फेडरल रिपब्लिक (न्यूयार्क 1966) पृ 41

करें। हम जानते हैं कि जिस व्यवस्था का निर्माण ईश्वर के बिना होता है वह शैतान व्यवस्था है। उसने अपने अनुयायियों से अपील की कि वे एक ईसाई जर्मनी के निर्माण के लिए तन मन और धन से जुट जाएं।

विरोधी दल ने खासकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पर गिरजाघर-दल (चर्च-पार्टी) होने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि जब जब चुनाव होते हैं धर्मनिष्ठा के गिरजाघर व पादरी इस दल के प्रचार के केन्द्र बन जाते हैं। विरोधियों का यह आरोप काफी हद तक सही था। लेकिन एडेनावर तथा अन्य नेताओं का कहना था कि राजनीति के क्षेत्र में ईश्वर एवं मानव के प्रति उत्तरदायित्व मौजूद है तथा अपने इस तर्क के समर्थन में उन्होंने बेसिक ला की प्रस्तावना को उद्धृत किया जिसमें कहा गया है "ईश्वर तथा मानव के प्रति अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग होकर ..."। इस प्रकार यदि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के कार्यक्रम का सार रूप में प्रस्तुत करना हो तो कहना होगा—ईसाई संस्कृति पर आधारित समाज और राज्य।

शिक्षा-नीति

इस दल की मान्यता थी कि शिक्षा का लक्ष्य ऐसा वातावरण तैयार करना होना चाहिए जिसमें स्वतंत्र जनतांत्रिक व्यवस्था का सफलतापूर्वक संचालन हो सके। परिवार, स्कूल, गिरजाघर तथा विश्वविद्यालय ये चार स्तम्भ हैं जिन पर समाज व्यवस्था का ढांचा खड़ा है तथा इन्हीं के आधार पर व्यक्तित्व का निर्माण या विनाश हो सकता है। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी का विचार था कि शिक्षा-नीति के निर्माण में माता पिता का निश्चित अधिकार होने चाहिए। बच्चों की शिक्षा कभी भी इस बारे में प्रारम्भ न हो। इस दल का कहना था कि माता पिता के विचारों को भी शिक्षा में महत्व दिया जाना चाहिए।

एडेनावर का विचार था कि व्यावसायिक, तकनीकी व वैज्ञानिक शिक्षा के साथ ही धार्मिक शिक्षा का भी महत्त्व है। दोनों के समन्वित विकास से ही एक सन्तुलित व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। इसलिए क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने शिक्षण-संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था की वकालत की। लेकिन साथ ही माता पिता को अधिकार दिया गया कि वे ही यह निश्चय करें कि उनका पुत्र या पुत्री धार्मिक शिक्षा लें या नहीं।

आर्थिक नीति

अपनी आर्थिक नीति में इस दल ने निजी सम्पत्ति का महत्त्व स्वीकार करते हुए निजी व्यापार व उद्योग को प्रोत्साहन देने की वकालत की। अपने एक प्रारम्भिक कार्यक्रम ([illegible] कार्यक्रम) में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने घोषणा की—

जनतांत्रिक राज्य की अनिवार्य सुरक्षा के लिए सम्पत्ति का स्वामित्व जरूरी है।

समुचित मात्रा में सम्पत्ति के अर्जन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस दल ने मुक्त-बाजार अर्थव्यवस्था या सामाजिक बाजार अर्थ नीति को पालन करने पर बल दिया। क्योंकि इसी दल की सरकार बनी अत: उसने इस नीति का पालन भी किया। लेकिन इसमें यह भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए कि यह दल एक शोषक व इजारेदारी पूँजीवादी व्यवस्था का पोषक था। यह दल मजदूरों की समस्याओं के प्रति भी सजग था तथा इसने उद्योगों तथा कारखानों में सह-निर्णय (को-डिटरमिनेशन) को लागू किया जिसके अनुसार उद्योगों व कारखानों के संचालन के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया जिसमें मजदूर, प्रबन्धक (या मालिक) तथा सरकार के प्रतिनिधि एकसाथ बैठकर निर्णय लेते थे। क्योंकि निर्णयों में मजदूर व कर्मचारी भी शामिल होते थे अत: इसे सह-निर्णय कहा गया है। मजदूर व कर्मचारी जनतान्त्रिक तरीके से अपने प्रतिनिधि चुनते तथा उन्हें प्रबन्ध परिषद् में भेजते थे।

क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन यद्यपि स्वतन्त्र निजी व्यापार व निजी उद्योग को प्रोत्साहन देने के पक्ष में रहा लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं रहा कि देश के समस्त आर्थिक साधन कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में केन्द्रित हो जाएं। स्वतन्त्र व्यापार व फर्मों के पक्षपाती इस दल के शासन काल में कई महत्वपूर्ण उद्योग सरकार के नियन्त्रण में लिए गए जैसे रेल तथा फोल्क्सवागन (Volksw ag n) मोटर-कार के संचालन के लिए सरकार ही जिम्मेदार रही। फोक्सवागन नामक गाडी का कारखाना यद्यपि सरकारी नियन्त्रण में रहा लेकिन उसके प्रबन्धकों में निजी व्यवसाय के लोगों को भी पद दिये गये तथा उसे एक व्यापारिक प्रतिष्ठान के रूप में सचालित किया गया।

लुडविग एरहार्ड जो पहले क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन की सरकार के आर्थिक मामलों का मंत्री था तथा बाद में चान्सलर भी बना और इसे सामाजिक बाजार-व्यवस्था अर्थ नीति का जनक कहा जाता है ने देश की अर्थ-नीति व शक्ति कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में केन्द्रित न हो जाए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कार्टेल-कानून (Cartel La) बनाए। यह उल्लेखनीय है कि एरहार्ड द्वारा निर्मित आर्थिक नीतियों के आधार पर ही नष्टप्राय जर्मनी पुन: समृद्धि के पथ पर अग्रसर हुआ और 10-12 वर्षों में ही जर्मनी का इतना काया-कल्प हो गया कि आज लोग इसे आर्थिक चमत्कार' (इकोनोमिक मिरेकल) की संज्ञा देते हैं। 15 वर्ष के भीतर विश्व के आर्थिक मानचित्र पर जर्मनी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया। जर्मनी आर्थिक महामानव के रूप में विश्व पर मंडराने लगा।

क्रिश्चियन डमोक्रेटिक दल ने अपनी अर्थनीति के निर्माण में निजी कर्मों को प्रोत्साहन, निजी सम्पत्ति की सुरक्षा व गारंटी, पूर्ण रोजगार, निजी उद्योग व व्यवसायों को प्रोत्साहन, आर्थिक समृद्धि व मजबूत सिक्के के लक्ष्य को ध्यान में रखा

ग्रौर इस प्रकार इस दल द्वारा एक जन-कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य सामने आया।

दलीय सगठन

सगठन की दृष्टि से यह दल नीचे से प्रारम्भ हुआ। पहले जिला व स्थानीय स्तर पर क्रिश्चियन डमोक्रटिक यूनियन की नींव रखी गई फिर राज्य इकाइयों का निर्माण हुआ तथा अंत म सघाय व सम्पूर्ण देश म केन्द्रीय दल का गठन किया गया। यदि तीन दलों क सगठन का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो यह ज्ञात होगा कि जहा क्रिश्चियन डमोक्रटिक यूनियन क दलीय सविधान क अनुसार 18 इकाइया हैं ता फ्री डमोक्रटिक पार्टी म 11 तथा सोशल डमोक्रटिक दल म 20 इकाइया हैं।

यह उल्लेखनीय है कि क्रिश्चियन डमोक्रटिक यूनियन की इकाइयों म बवेरिया तथा बर्लिन शामिल नहीं हैं। बवेरिया म अलग स दल है जिसका नाम है क्रिश्चियन सोशल यूनियन। यह राज्य-स्तर पर स्वतन्त्रतापूर्वक काय करता है लकिन केन्द्रीय या सघीय स्तर पर क्रिश्चियन डमोक्रटिक यूनियन क साथ मिल-जुलकर काय करता है। बर्लिन की इकाई का भी लगभग ऐसा ही व्यवहार है।

सदस्यता

सदस्यों की सख्या की दृष्टि से क्रिश्चियन डमोक्रटिक दल का दूसरा स्थान है। पश्चिम जर्मनी के सोशल डमोक्रटिक पार्टी क 1965 म 6 00 000 सदस्य थ तो क्रिश्चियन डमोक्रटिक यूनियन क लगभग 00 000 सदस्य ही थ।

क्रिश्चियन डमोक्रटिक यूनियन क दलीय सविधान की धारा 2 म कहा गया है कि प्रत्येक जर्मन जिसकी उम्र 18 वष हो इस दल का सदस्य बन सकता है। सदस्य बनने वाले व्यक्ति को दल क राजनीतिक दशन व कायक्रम म आस्था रखना आवश्यक है।

सगठन का स्वरूप

सगठन की दृष्टि से यह दल चार भागों म विभक्त है—(1) सघीय घटक ( ) राज्य शाखा (3) जिला स्तर व 4) स्थानीय इकाई।

सघीय इकाई के विभिन्न अग

दलीय सविधान की धारा 29 के अनुसार सघाय दल क निम्नाकित अग हैं—(1) सघीय पार्टी कांग्रेस (2) सघीय आयोग (या समिति) तथा सघीय (3) कायकारिणी समिति। सघीय पार्टी कांग्रेस म सभी शाखाओं क चुने हुए प्रतिनिधि एकत्रित होते हैं। किसी राज्य क प्रतिनिधियों की सख्या क निर्धारण का तरीका इस प्रकार है—पिछले आम चुनाव म जहा दल को 75 000 मत मिले वहा स एक प्रतिनिधि तथा

इसके अलावा वहा दल के एक हजार सदस्यो पर एक प्रतिनिधि भेजा जाता है। पार्टी काग्रेस का आयोजन प्रति वर्ष होता है।

उक्त सघीय सगठनो के अलावा पार्टी काग्रेस एक प्रसीडियम का चुनाव करती है जिसमे एक पार्टी प्रबन्धक (मनजर) एक सहायक प्रबधक तथा चार अन्य सदस्य सम्मिलित होते हैं। साथ ही पार्टी-न्यायालय (कोर्ट) के लिए 5 सदस्यो व उनके 5 सहायको का चुनाव होता है।

पार्टी काग्रेस दल की मूलभूत नीतियो का निश्चय करती है कार्यकारिणी समिति से रिपोर्ट सुनती है तथा इसकी अनुमति के बिना दल के सविधान मे सशोधन नही किया जा सकता। यद्यपि यह सर्वोच्च एव सर्वशक्तिमान सस्था है पर क्योकि यह वर्ष मे एक बार ही आयोजित होती है अत यह अधिक प्रभावशाली रूप मे कार्य नही कर सकती। इस प्रकार समस्त सत्ता सघीय आयोग तथा सघीय कार्यकारिणी समिति के हाथो मे केन्द्रित हो जाती है।

सघीय आयोग उन सब मामलो पर राजनीतिक व सगठन मूलक निर्णय ले सकता है जो पार्टी-काग्रेस द्वारा पूरी तरह आरक्षित नही है। इस आयोग मे राज्य शाखाओ तथा दल द्वारा निर्मित राज्य सरकारो के अध्यक्ष तथा सघीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य तथा राज्य शाखाओ के प्रबधक (मनजर) तथा सघीय समितियो के अध्यक्ष शामिल होते हैं। इतने व्यापक प्रतिनिधित्व के कारण इस आयोग की महत्ता स्वत स्पष्ट हो जाती है। यह निम्नलिखित कार्य करता है

(1) सघीय कोषाध्यक्ष तथा सघीय कार्यकारिणी के 15 सदस्यो का चुनाव। कार्यकारिणी के 60–70 सदस्य होते हैं।

(2) यदि प्रसीडियम के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो उसके स्थान पर अस्थायी सदस्य का नामजद करना।

(3) यह दलीय चुनाव-समिति का चुनाव समिति राज्य तथा सघीय चुनावो का सचालन उम्मीदवारो का चयन आदि कार्य।

(4) दल की आर्थिक व वित्तीय स्थिति के अवलोकन के लिए दो आडिटरो की नियुक्ति।

यह आयोग प्रति छ माह मे बैठक करता है लेकिन आवश्यकता पडने पर दल का अध्यक्ष या प्रबधक चार सप्ताह मे असाधारण बैठक बुला सकता है। अपने व्यापक अधिकारो की दृष्टि से यह एक महत्त्वपूर्ण सस्था है लेकिन सामान्यतया इसकी वर्ष मे दो बैठकें होती हैं। इससे इसका महत्त्व घट जाता है।

सघीय कार्यकारिणी समिति दल रूपी नाव की सचालिका है। यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सस्था है। प्रसीडियम भी इसी कार्यकारिणी से सबधित है। प्रसीडियम मे दल का अध्यक्ष मुख्य दल प्रबधक उनके दो सहायक तथा चार अन्य सदस्य शामिल होते हैं। प्रसीडियम प्रति माह मिलता है तथा दल के प्रमुख नेतागण इसमे शामिल होते हैं अत व्यवहार मे यह सबसे महत्त्वपूर्ण सस्था हो जाता है।

सघीय कायकारिणी म 60 से 70 तक सदस्य होत हैं। इनम निम्नलिखित लाग होत हैं

(1) दल का कोषाध्यक्ष
(2) दल प्रबधक
(3) ससदीय दल का नेता व उसका सहायक
(4) राज्य शाखाओं के अध्यक्ष-गण
(5) दल से सम्बद्ध सगठन व सस्थाओं—जैसे युवक सघ महिला सघ मध्य वर्ग सघ आदि के अध्यक्ष-गण।
(6) विभिन्न राज्य सरकारों के (जहा दल की सरकार हो) मुख्य मत्री
(7) बुन्डस्टाग का अध्यक्ष (यदि वह दल से सम्बद्ध हो) तथा
(8) प्रायोग द्वारा निर्वाचित 15 सदस्य।

कार्यकारिणी समिति तीन माह म एक बार मिलती है। प्रसीडियम को छोड कर यह सबसे महत्त्वपूर्ण सस्था है।

समितिया व अध्ययन दल

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र म ज्ञान की अपार वृद्धि के कारण आज के युग में व्यक्ति व समाज को विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पडता है। क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन इस तथ्य से अवगत था अत उसने समय समय पर विशेषज्ञ की समितियां बनाई। 1969 म कुल छ विशेषज्ञ समितिया था जिनके नाम इस प्रकार हैं (1) सास्कृतिक-नीति-समिति (2) प्रतिरक्षा-नीति-समिति (3) आर्थिक नीति-समिति (4) कृषि-नीति (5) स्वास्थ्य-नीति तथा (6) सामाजिक व सार्वजनिक सेवा-समिति।

क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन का महत्त्व

फेडरल जर्मनी के पिछले 28 वर्षों के इतिहास मे इस दल का निर्णायक स्थान रहा है। 1949 म 1969 तक तो इस दल ने किसी अन्य दल के साथ मिलकर—स व सरकार का निर्माण तथा नेतृत्व किया। प्रथम 20 वर्षों म जर्मनी की सफलता तथा असफलता की कहानी क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन की सफलता व असफलता की ही कहानी है।

जर्मनी के प्रथम तीन चासलर—कानराड आडेनआवर लुडविग एरहार्ड तथा कुर्ट ग्याग किसिंगर—इसी क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन की देन थ। जिस प्रकार भारत म आजादी के बाद काग्रेस पार्टी का दबदबा रहा इसी प्रकार प्रथम 20 वर्षों तक फेडरल जर्मनी म इस दल ने शासन की बागडोर अपने हाथ म रखी।

बेसिक ला के निर्माण म भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके कई अनुच्छेदों पर क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन के व्यक्तित्व की ही छाप है जैसे प्रस्तावना परिवार शिक्षा संस्कृति तथा धर्म विषयक अनुच्छेद आदि। वैसे पूरे बेसिक ला पर कानराड आडेनआवर की छाया नजर आता है।

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जर्मनी को सुदृढ़ भित्ति पर खड़ा करने का श्रेय भी इसी दल को दिया जाना चाहिए। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में यदि आर्थिक चमत्कार रचना हो तो जर्मनी को भी एक उदाहरण के रूप में सम्मुख रखा जा सकता है।

इस दल ने चान्सलर आडेनआवर एरहार्ड व किसिंगर के अलावा डा हाइनरिच ल्यूबक (जो 1959 से 1969 तक राष्ट्रपति-पद पर आसीन रहा) डा हाइनरिच फान ब्रेन्तानो एनस्ट लमर गेरहार्ड श्रोडर डा एलिजाबेथ श्वार्ज़हाप्ट (मन्त्रिमण्डल की प्रथम महिला सदस्या यह स्वास्थ्य मंत्री बनी) फ्राज जोसेफ स्ट्राउस डा० हर्मन एहलर्स (बुन्डेस्टाग अध्यक्ष 1950–1954) तथा डा यूगन गर्स्टेनमायर (बुन्डेस्टाग अध्यक्ष 1954–1969) जैसे व्यक्ति प्रदान किए।

आलोचना के रूप में यह कहा जा सकता है कि क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन ने राजनीति में धर्म का प्रवेश कराया तथा आडेनआवर का तानाशाही वृत्तियों को प्रोत्साहन दिया लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो वर्तमान फेडरल जर्मनी की पुनरचना तथा पुन स्थापना में इस दल का भारी योगदान रहा।

फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी

फेडरल जर्मनी के तीन प्रमुख दलों में सबसे छोटा दल है—फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी। जैसा कि पहले ही संकेत किया जा चुका है जिन चार दलों को चार प्रमुख विजेता राष्ट्रों द्वारा अधिकृत जर्मनी में सर्वप्रथम कार्य करने की अनुमति दी गई उनमें यह दल भी सम्मिलित था। सर्वप्रथम वुर्टम्बर्ग तथा बादेन नामक राज्य में प्रोफेसर थियोडोर ह्यूस जो बाद में पश्चिमी जर्मनी के प्रथम राष्ट्रपति बने के नेतृत्व में डेमोक्रेटिक पार्टी का निर्माण हुआ। आरम्भ में अलग अलग जर्मन राज्यों में इसके अलग अलग नाम थे। उदाहरणार्थ बर्लिन तथा हेसे नामक क्षेत्र में इसका नाम लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी राइनलैण्ड पलटीनेट नामक राज्य में डेमोक्रेटिक पार्टी ब्रमन लोअर सैक्सनी वुर्टम्बर्ग तथा वुर्टम्बर्ग-बादेन नामक क्षेत्र में जर्मन जनता पार्टी तथा बवेरिया हाम्बुर्ग लोअर सैक्सनी नार्थ राइन वेस्टफालिया तथा श्लेसविग होल्स्टीन में फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी। दिसम्बर 1948 में जाकर विभिन्न विभिन्न उदार दल हेप्पनहाइम नामक स्थान पर एकत्रित हुए तथा उन्होंने एक संयुक्त दल बनाया जिसका नाम फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी रखा गया।

फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी अपने आपको जर्मनी की उदार परम्परा का उत्तराधिकारी मानती है तथा जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान् तथा उदारवादी राजनेताओं—जैसे विल्हेल्म फान हुम्बोल्ट फ्रान्हर फाम स्टाईन यूगन रिक्टर हूगो प्रोयस बेन्जामिन फ्रान्रिच नायमान तथा गुस्ताफ स्ट्रेसमान को अपना बौद्धिक नेता मानती है। उदारवाद के प्रवर्तकों में सुकरात प्लेटो व अरस्तू भी शामिल थे। इसी प्रकार अमरीकी

स्वतन्त्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, 1848 की क्रांति आदि भी इस दल के प्रेरणा स्रोत रहे हैं।

अपने आरम्भिक चरण में उदारवाद जो फ्री डमोक्रेटिक पार्टी का आधारभूत दर्शन है एक संगठित दर्शन न होकर कई विचारधाराओं का समूह मात्र था। ये समस्त समूह एक बात पर सहमत थे वह थी व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा गरिमा। विल्हेल्म फान हुम्बोल्ट को जर्मन उदारवाद का प्रणेता तथा जनक कहा जा सकता है। हुम्बोल्ट ने राज्य के अधिकारों को सीमित करने तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को प्रोत्साहन देने की वकालत की। वह राज्य को सिर्फ पुलिस कार्यों के लिए आवश्यक मानता था जिसका एकमात्र कर्तव्य दुश्मन से जनता की रक्षा करना था। राजनीति तथा अर्थव्यवस्था सम्बन्धी विचारों की दृष्टि से उदारवादी आन्दोलन तत्कालीन निरंकुश शासन के विरुद्ध था। यह विचारधारा सभी राजाओं और सामन्तों के असीमित अधिकारों पर रोक लगाने के पक्ष में रही। फ्राम स्टाइन वह पहला मंत्री था जिसने प्रशा नामक राज्य में सर्वप्रथम उदार विचारधारा को लागू करने का प्रयास किया। इसने नगरपालिकाओं के चुनाव-सम्बन्धी कानून तथा किसानों की सामन्तों के चंगुल से छुटकारे के लिए कानूनों का निर्माण किया।

1850 से ही प्रशा नामक जर्मन राज्य की विधान-सभा में उदारवादी प्रतिनिधि काफी संख्या में विद्यमान थे। 1860 के आस-पास जब प्रशा के राजा ने अपनी सेना की संख्या-वृद्धि करनी चाही तथा इसके लिए बजट प्रस्तुत किया तो उदारवादियों ने डटकर उसका विरोध किया। यह विरोध इतना प्रबल था कि प्रशा के शासक ने एक बार तो राज सिंहासन तक त्यागने का विचार किया क्योंकि उसकी मान्यता थी कि सेना का निर्माण व विकास शासक का विशेषाधिकार था, इस पर सीमा लगाने पर उसे राज सिंहासन त्याग देना चाहिए। लेकिन 1862 में उसने पेरिस स्थित अपने राजदूत बिस्मार्क को बुलाया तथा उसे प्रशा का चान्सलर बनाया। बिस्मार्क तथा उदारवादियों के बीच सैनिक बजट के प्रश्न पर लगातार संघर्ष व तनाव की स्थिति रही।

1861 में प्रशा की विधान सभा में विभिन्न उदारवादियों ने मिलकर जर्मन प्रगति पार्टी (जर्मन प्रोग्रेसिव पार्टी) का निर्माण किया। 1866 तक इस दल ने बिस्मार्क की सैन्य विकास की नीति का जमकर विरोध किया लेकिन 1866 में प्रशा द्वारा आस्ट्रिया को पराजित किये जाने के पश्चात् बिस्मार्क जर्मन राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गया। उसका विरोध करना जर्मन राष्ट्रीयता का विरोध करने जैसा था। अतः विरोध कुछ मंद पड़ा। 1867 में रुडोल्फ फान बेनिगसन के नेतृत्व में उदारवादियों ने नेशनल लिबरल पार्टी की स्थापना की। यह दल बिस्मार्क की सैन्य सफलताओं से भारी प्रभावित हुआ तथा उसने उसका समर्थन आरम्भ किया। 1871 में नेशनल लिबरल पार्टी एकीकृत जर्मनी की राइखस्टाग में सबसे मजबूत दल के रूप

में उभरी। 1884 में इस दल को पुनर्गठित किया गया तथा यह नवीन दल भारी उद्योगों एवं पूंजीपतियों तथा राष्ट्रवादियों के प्रभाव में आ गया। जर्मनी के कई उदारवादी तथा प्रगतिशील तत्त्व नेशनल लिबरल पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं थे अतः 1871 में ही प्रगतिशील उदारवादियों ने अलग से एक दल बनाया जिसका नाम उदार दल (फाईसिनिग पार्टाई) रखा गया। इसका नेता था यूगेन रिश्टर। 1893 में इस दल का विभाजन हो गया और प्रगतिशील उदारवादी तीन दलों में विभाजित हो गए जिनके नाम इस प्रकार हैं—

(1) लिबरल पापल्स पार्टी (इसका नेता रिश्टर था)।
(2) साउथ जर्मन पीपल्स पार्टी तथा
(3) लिबरल यूनियन।

विभिन्न दलों में विभाजित होने से उदारवादियों की शक्ति का ह्रास ही हुआ। संसद् में इनके प्रतिनिधित्व में कमी आई जैसा कि निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है। नेशनल लिबरल पार्टी का जहां राईखस्टाग में 1871 में 119 स्थान प्राप्त हुए वहां 1893 1907 तथा 1912 के चुनावों में क्रमशः 100 109 तथा 68 स्थान ही मिले। प्रगतिशील उदारवादियों को जो कई दलों में विभाजित थे क्रमशः 47 48 50 व 42 स्थान प्राप्त हुए। यह अनुमान लगाना सहज है कि जर्मनी के समस्त उदारवादी मिलकर यदि एक दल बनाते तो वे निश्चय ही संसद् में सबसे शक्तिशाली दल के रूप में उभरते। तत्कालीन उदारवादी नेता फ्रीडरिच नायमान ने ठीक ही कहा था हमारे दल में वह एकता नहीं है जो श्रमिक दल या किसानों के संघ में है। हमारे कोई अपने पादरी (नेता) नहीं हैं। हममें आदेश और अनुशासन की कमी है। नायमान ने 30 लाख उदारवाद-समर्थक मतदाताओं से अपील की कि वे विभिन्न टुकड़ों में बटे उदारवादियों से स्पष्ट शब्दों में मांग करें कि वे अनुशासित रहें एवं एकता का प्रदर्शन करें।

प्रथम महायुद्ध में जर्मनी की पराजय के साथ ही 1918–19 में जर्मनी में गणतन्त्र का उदय हुआ तथा वाईमार गणतन्त्र के समय में जर्मनी में दो उदारवादी दलों जर्मन डमोक्रेटिक पार्टी तथा जर्मन पीपल्स पार्टी का उदय हुआ। इनमें से प्रथम दल जनपक्ष एवं प्रगतिशील विचारों वाला उदारवादी दल था और दूसरा राष्ट्रवादी एवं राजतन्त्र के प्रति सहानुभूति रखने वाला तथा दक्षिण पंथी विचार वाला दल था। जर्मन डमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख नेताओं में फ्रीडरिच नायमान ह्यूगो प्रायस (इसने वाईमार संविधान के निर्माण में भारी योगदान दिया था) तथा वाल्टर राथनाउ सम्मिलित थे। दक्षिण-पंथी विचारधारा वाली जर्मन पीपल्स पार्टी का नेता गुस्ताफ स्ट्रासेमान था। वाईमार गणतन्त्र में स्ट्रासमान का दल अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ। लेकिन 1930 के बाद दोनों दलों के भाग्य का सितारा अस्त होने लगा। अधोलिखित तालिका से दोनों दलों की स्थिति स्पष्ट हो जाती है—

जर्मन राईशटाग में उदारवादी दलों की स्थिति

वर्ष	जर्मन पीपल्स पार्टी	जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी
1919	22	74
1920	62	45
1924	44	28
1924	51	32
1928	45	25
1930	30	14
1932	7	4
1932	11	2
1933	2	5

यह उल्लेखनीय है कि वार्मार-गणतन्त्र में उदारवादियों ने काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन दलों ने दो विशेष मन्त्री प्रदान किए जिन्होंने देश की प्रथक सेवा की। इनके नाम हैं—वाल्टर राथेनाउ तथा गुस्ताफ स्ट्रासेमान। 1933 में हिटलर के सत्ता में आने के पश्चात् सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 12 वर्ष तक (1933–1945) जर्मनी में एकमात्र नाज़ी दल ही वैध दल रहा। 1945 में जर्मनी की पराजय के बाद विजेता राष्ट्रों ने पुनः राजनीतिक दलों को कार्य करने की अनुमति प्रदान की।

कैजर (सम्राट) के जमाने में तथा वार्मार गणतन्त्र में उदारवादी बराबर विभाजित रहे और उन्हें अपनी आपसी फूट के परिणाम भुगतने पड़े। युद्धोत्तर जर्मनी के उदारवादी अपने पुराने इतिहास को भूले नहीं थे और उन्होंने इससे सबक लेने का दृढ़ निश्चय किया। जैसा कि पहले ही लिखा जा चुका है पश्चिमी जर्मनी के विविध उदारवादी दलों ने 1948 में एक दल के रूप में संगठित होने का निर्णय लिया जिसके परिणामस्वरूप फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी का उदय हुआ।

इस दल के प्रमुख नेताओं के नाम इस प्रकार हैं—प्रोफेसर थियोडोर ह्यूस (प्रथम राष्ट्रपति) व डा. फ्रांज ब्ल्यूखेर (प्रथम मन्त्रिमण्डल में वाईस चान्सलर या उप प्रधानमन्त्री 1956 में इसने फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्यता त्याग कर जर्मन पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली) डा. थामस डेहलर (प्रथम न्याय-मन्त्री) एरहार्ड विन्टरमुथ (प्रथम आवास मन्त्री) डा. एरिख्वा मेन्डे (यह 1960–1968 तक फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद पर रहा तथा 1963 में एरहार्ड मन्त्रिमण्डल में उप प्रधान मन्त्री या वाईस चान्सलर तथा समग्र जर्मन मामलों के मन्त्री का पद सम्हाला। तीन वर्ष पश्चात् इसने त्याग पत्र दे दिया)। दल के वर्तमान नेताओं में वाल्टर शील का विशेष स्थान है। 1968 में यह फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष बना तथा इसने

1969 में विली ब्राण्ट के मन्त्रिमण्डल में वाईस चांसलर (उप प्रधानमन्त्री) व विदेश-मन्त्री का पद सम्हाला। 1974 में श्री वाल्टरशील जर्मनी के राष्ट्रपति गये। शील के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के बाद अब फ्री डमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व हान्स डिएटरिश गेंशर, जोसेफ एटल हान्स फ्रीडरिचस तथा वेनर मार्होफ़र के हाथों में आ गया है।

कार्यक्रम

एलमर प्लिशके के अनुसार – फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी वाईमार-युग की जर्मन डमोक्रेटिक पार्टी के उद्देश्यों को प्रतिबिम्बित करती है जो उद्योग तथा व्यावसायिक हितों की वकालत करती थी। यह मध्यम मार्ग में कुछ दक्षिण-पंथ की ओर झुकाव रखती है तथा किसी भी प्रकार के समाजवाद की विरोधी है। साथ ही यह पादरी वर्ग की भी विरोधी है। इसके अधिकांश मतदाता प्रोटेस्टेन्ट मतानुयायी हैं जो क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन के कैथोलिक नेताओं से दूर रहना चाहते हैं।

यह तीनों प्रमुख दलों में सबसे अधिक राष्ट्रवादी भावना से परिपूर्ण है तथा यह शहरों में अधिक सक्रिय है। इसके अन्य मतदाताओं में व्यावसायिक व पेशेवर लोग सफेदपोश मजदूर व कर्मचारी तथा किसानों का भी काफी हिस्सा शामिल है।[1] राबर्ट जी नायमान के अनुसार— धार्मिक प्रश्नों पर फ्री डमोक्रेटिक पार्टी सोशल डमोक्रेटिक पार्टी की विचारधारा के निकट है तथा उद्योग व आर्थिक प्रश्नों पर यह दल क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन के काफी निकट है तथा साथ ही अधिक दक्षिण पंथी भी।

फ्री डमोक्रेटिक पार्टी के बर्लिन-कार्यक्रम (1957) के अनुसार पार्टी की विचारधारा को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है— फ्री डमोक्रेटिक पार्टी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है ताकि व्यक्ति उत्तरदायित्व के साथ कार्य कर सके। अपने सामाजिक दायित्व से प्रेरित होकर हम सभी समाजवादी प्रयासों को अस्वीकार करते हैं तथा अपने ईसाई दायित्वों से प्रेरित होकर हम राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म के दुरुपयोग को अस्वीकार करते हैं।

सामाजिक नीति

अपने 1952 के सामाजिक कार्यक्रम में फ्री डमोक्रेटिक पार्टी ने समाज को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत कीं —

(1) व्यक्ति की स्वतन्त्रता

(1) एल्मर प्लिशके : कांटेम्पोरेरी गवर्नमेंट्स ऑफ जर्मनी, द्वितीय संस्करण (बोस्टन 1969) पृष्ठ 147

(2) नायमान पृष्ठ 67

(1) उदारवाद या

(2) साम्यवाद

विश्व को इन दोनों विकल्पों में से एक को चुनना होगा। उदारवाद की स्थापना व विकास के लिए आंतरिक (आत्मा व हृदय) स्वतन्त्रता तथा बाह्य (भौतिक जीवन-स्तर आदि) स्वतन्त्रता आवश्यक है। सांस्कृतिक नीति के अन्तर्गत फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ने धर्म, शिक्षा, कला व साहित्य विषयक प्रश्नों का विवेचन एवं समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

चर्च-सम्बन्धी नीति

धर्म व चर्च के मामलों में भी डेमोक्रेटिक पार्टी पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि शासन डेमोक्रेटों की भांति यह दल भी नास्तिकता का पोषक है और इस प्रकार गिरजाघरों का दुश्मन है लेकिन इस दल ने स्पष्ट घोषणा की कि न तो वे नास्तिकता में निष्ठा रखते हैं और न वे चर्च के ही विरोधी हैं। फ्री डेमोक्रेट नेताओं ने कहा कि वे राजनीतिक मामलों में चर्च के प्रयोग के विरोधी हैं। इस दल के प्रथम व प्रमुख नेता थियोडोर ह्यूस ने ममनीय परिषद् में भाषण देते हुए कहा कि 'राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चर्च के उपयोग को मैं ईसाई विरोधी मानता हूँ। ईसा इस विश्व में सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए आए थे किसी राजनीतिक दल को अपना नाम प्रदान करने के लिए उन्होंने इस विश्व में पदार्पण नहीं किया था।' साथ ही यह भी कहा गया कि सार्वजनिक जीवन में चर्च व धार्मिक संस्थाओं का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है परन्तु गिरजाघरों का काम आत्मा व अध्यात्म-सम्बन्धी प्रश्नों को हल करना है बाकी मामलों में पादरियों को गिरजाघरों की चारदीवारी में ही सीमित रहना चाहिए।

अपनी सांस्कृतिक नीति की व्याख्या करते हुए दल के नेताओं ने घोषणा की कि 'उदारवादी राज्य सभी धर्मों को धार्मिक उपासना की स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संस्थाओं के विकास तथा दान-पुण्य विषयक संस्थाओं की स्थापना व सुचालन की गारंटी देता। ईसाई धर्म के परम्परागत मूल्य सामाजिक व्यवस्था के लिए मूलभूत महत्त्व रखते हैं।

शिक्षा-नीति

स्वतन्त्रता का दान उचित एवं उत्कृष्ट शिक्षा पर आधारित है। फ्री डेमोक्रेट नेता इसी विचार को लेकर चले हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बेसिक लॉ के अन्तर्गत संस्कृति एवं शिक्षा राज्य के कानून के विषय हैं लेकिन फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस व्यवस्था का डटकर विरोध किया। इस दल की यह मान्यता है कि संघ के अन्तर्गत जितने राज्य होंगे वे उतनी ही भिन्न सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक नीति अपना सकते हैं। इससे प्रान्तीयतावादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा। अतः देश के हित को

सर्वोपरि मानते हुए शिक्षा व संस्कृति नामक विषय को संघ-सूची में शामिल किया जाना चाहिए ताकि देश की शिक्षा-नीति में एकरूपता स्थापित की जा सके।

फेडरल जर्मनी में दो प्रकार के स्कूल हैं नगरपालिका (म्यूनिसिपल) स्कूल तथा धार्मिक शिक्षा देने वाले स्कूल। फ्री डमोक्रेटिक पार्टी की माग है कि एक ही प्रकार के स्कूलों की व्यवस्था की जानी चाहिए। हा यदि मा बाप चाहे तो उसी स्कूल में उनके बच्चो को धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। उच्च शिक्षा के लिए वैज्ञानिक तकनीकी तथा शोध संस्थानो की स्थापना व विकास पर बल दिया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह दल शोध व शिक्षा नीति पर संघ सरकार का नियंत्रण चाहता है।

कला व साहित्य के क्षेत्र में फ्री डमोक्रेटिक पार्टी स्वतंत्र चिंतन धारणाओं एवं नवीन प्रयोगो की पक्षपाती रही है। कलाकारों एवं साहित्यकारों के जो देश के सांस्कृतिक दूत एवं प्रचारक हैं जीवन स्तर में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया। फ्री डमोक्रेटिक पार्टी आध्यात्मिक स्वतंत्रता सहिष्णुता विचार स्वातन्त्र्य एवं आधुनिक शिक्षा की प्रवक्ता रही है। इस प्रकार यह दल मुक्त समाज (ओपन सोसायटी) की रचना का पक्षधर है।

गतिशील तृतीय शक्ति बनने का प्रयास

फेडरल जर्मनी के निर्माण के समय जर्मनी में अनेक राजनीतिक दल विद्यमान थे। लेकिन चुनाव कानून के कारण तथा 5 प्रतिशत की बाधक धारा के कारण क्रमश बुन्डेस्टाग में दलो की संख्या घटती गई और अंत में तीन दल ही रह गए जिनमें फ्री डमोक्रेटिक पार्टी भी एक है। विभिन्न आम चुनावों में दल की स्थिति में उतार चढ़ाव आता रहा और दल के नेताओ के समक्ष एक सक्रिय गतिशील एव सतुलनकारी दल के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखने की समस्या थी। प्रथम आम चुनाव (1949) के बाद फ्री डमोक्रेटिक पार्टी ने क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन व जर्मन पार्टी के साथ मिल कर संघीय सरकार का निर्माण किया तथा साथ ही कई राज्यों में निर्मित मिली-जुली सरकारो में भाग लिया लेकिन 1953 के आम चुनावों में संघीय स्तर पर दल का मत प्रतिशत 11 9 से घटकर 9 5 प्रतिशत रह गया दूसरी ओर क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन को आवश्यक बहुमत प्राप्त हो गया लेकिन चानसलर आडेनावर को संविधान में आवश्यक संशोधन करने तथा विदेश नीति के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने थे। अत वह चाहता था कि फ्री डमोक्रेटिक दल को सरकार में लिया जाय ताकि इन महत्वपूर्ण निर्णयों को व्यापक बहुमत का समर्थन प्राप्त हो सके। यद्यपि दल को सरकार में स्थान मिला लेकिन चानसलर आडेनावर के साथ उसके सम्बन्ध काफी कटु रहे और 1956 में फ्री डमोक्रेटिक दल दो दलों में विभाजित हो गया एक दल चानसलर आडेनावर का

समथन करते हुए सरकार म रहना चाहता था और दूसरा दल सरकार से हटना चाहता था। प्रथम वग के लोगो का नेता डा व्यूलर था जिसन फ्री पीपल्स पार्टी का निर्माण किया। बाद म यह दल जमन पार्टी म सम्मिलित हो गया। इस वर्ग के लोग सरकार म मन्त्री-पद पर बने रहे बाकी फ्री डमोक्रटिक पार्टी के सदस्यो ने विरोधी दल के रूप म स्थान ग्रहण किया। लेकिन फ्री पीपल्स पार्टी क लोग 1957 म आम चुनावो के बाद भी सरकार म शामिल हुए जबकि मूल दल क लोग विरोधी बेंचो पर बठे।

1956 तक प्रात-प्रात फडरल जमनी की जनता के दिमाग म यह धारणा घर कर गई कि फ्री डमाक्रटिक पार्टी वास्तव म क्रिश्चियन डमाक्रटिक पार्टी की पिछलग्गू है और क्रिश्चियन डमोक्रटिक पार्टी रूपी वटवृक्ष की छाया म आराम कर रही है। ऐसी धारणा दल के अस्तित्व के लिए खतरनाक थी क्योकि यदि जनमानस म ऐसा विचार घर कर जाए तो हो सकता है अगले आम चुनाव म वह पिछलग्गू पार्टी (फ्री डमाक्रटिक पार्टी) का वोट न देकर सीधे ही क्रिश्चियन डमोक्रटिक पार्टी को वोट दें क्योकि दोनो का वोट देना एक ही समान माना जा रहा था। ऐसी स्थिति म दल को अपनी एक नवीन प्रतिमा का निमाण करना था और यह स्पष्ट रूप स प्रदर्शित करना था कि वह कानराड आडनग्रावर के हाथ की कठपुतली न होकर एक सशक्त रचनात्मक प्रगतिशील एव सक्रिय दल है जिसका अपना कायक्रम है जो न केवल आकपक है वरन् मौलिक भी है।

1961 म जब फ्री डमोक्रेटिक पार्टी ने चुनाव लडा तो उसका नारा था आडेनग्रावर के बिना सरकार का निमाण। इससे जनमानस पर अच्छा प्रभाव पडा और दल को पूवापेक्षा अधिक मत प्राप्त हुए। फ्री डेमोक्रटिक पार्टी का आरम से यह प्रयास रहा है कि वह क्रिश्चियन डमोक्रटिक यूनियन तथा सोशल डमोक्रटिक पार्टी क बीच एक सतुलन स्थापित करने वाली पार्टी बनी रह सके। उसने द्विदलीय प्रणाली का विरोध किया क्योकि उसका अथ था इस दल के अस्तित्व की समाप्ति जो कोई भी दल नहीं चाहता। इस प्रकार 1961 के बाद लगातार फ्री डमोक्रटिक पार्टी न यह प्रयास किया कि वह जनता को यह समझा सके कि अन्य दो दलों—क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन व सोशल डमाक्रटिक पार्टी—म से किसी भी एक दल को पूण बहुमत प्रदान करना जमन मतदाताओ क अपन हित म नहीं होगा। फ्री डमोक्रटिक पार्टी को सदव समथन देकर ही मतदाता एक पार्टी की तानाशाही-से सदव सदव क लिए मुक्ति पा सकते हैं। कहना होगा कि यह दल अपने इस लक्ष्य म बराबर सफल रहा और इस प्रकार उन मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सका जो अन्य दो दलो को मत देने को तयार न थ। एक सशक्त व स्वतन्त्र तृतीय शक्ति क रूप म बन रहना ही फ्री डमाक्रटिक पार्टी का लक्ष्य रहा है और समस्त उतार चढाव के बावजूद यह अपन अस्तित्व को बनाय रख सकी है।

दलीय संगठन

अन्य राजनीतिक दलों की भाँति भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन भी जनतांत्रिक आधार पर आधारित है। इसके संगठन को समझने के लिए दल के संविधान को समझना जरूरी है। इसके संविधान के अनुसार संगठन का ढाँचा संघीय स्वरूप पर आधारित है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विभिन्न राज्य (प्रदेश)-समितियों तथा संघीय संगठनों से मिलकर बनती है। 1948 में पहली बार संघीय स्तर पर इसकी रचना हुई। राज्य-समितियों की कुल संख्या 11 है।

सदस्यता

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार प्रत्येक भारतीय जिसकी आयु 17 वर्ष की पूरी हो तथा जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आधारभूत सिद्धान्तों व संविधान में आस्था रखता हो, दल का सदस्य बन सकता है। सदस्य संख्या की दृष्टि से भी यह दल तीन प्रमुख दलों में से सबसे छोटा दल है। 1964 में इस दल के लगभग 80 000 सदस्य थे जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य-संख्या 6 78 484 था।

संघीय दल का स्वरूप

संघीय दल 11 राज्य संगठनों से मिलकर बनता है। इसके प्रमुख अंगों का विवरण इस प्रकार है—

(अ) पार्टी-कांग्रेस
(आ) संघीय मुख्य-समिति
(इ) संघीय कार्यकारिणी

पार्टी-कांग्रेस

पार्टी-कांग्रेस दल की सर्वोच्च संस्था या अंग है। इसके निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी हैं। यह कांग्रेस प्रति वर्ष अपना सम्मेलन आयोजित करती है लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसका असाधारण सम्मेलन बुलाया जा सकता है। असाधारण सम्मेलन के लिए संघीय मुख्य समिति के बहुमत का समर्थन या चार राज्य-संगठनों की कार्यकारिणियों द्वारा इसकी माँग करना आवश्यक है।

सामान्यतया दल का प्रत्येक सदस्य कांग्रेस में भाग ले सकता है लेकिन संघीय कार्यकारिणी आदि को विचार विमर्श तथा कार्यवाही के लिए राज्य शाखाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों तक ही सीमित कर सकती है।

मत देने का अधिकार निम्नलिखित लोगों को है—

(अ) संघीय कार्यकारिणी के सदस्य
(ब) राज्य-पार्टी-कांग्रेस द्वारा दो वर्ष के लिए चुने गए प्रतिनिधि

सघोय मुख्य समिति

यह समिति दल की सघीय प्रकृति का प्रतीक है। इसके सदस्यो मे निम्न लिखित व्यक्ति शामिल होत हैं—

(1) सघीय कायकारिणी के सदस्य
(2) रा-य-सगठना के प्रतिनिधि। इसके अतिरिक्त दल द्वारा नियुक्त विशष समितियो के अध्यक्ष दल क विभिन्न सगठनो—युवक सगठन—के प्रध्यम तथा दलीय ससद-सदस्य इसकी बठका मे उपस्थित होकर सला० दे सकत हैं।

इस समिति का महत्त्व इस बात से सिद्ध हा जाता है कि यह उन सब राज नीतिक व सगठन-सम्बन्धी प्रश्नो पर विचार कर सकती है जिस पर काग्र स ने निराय न लिए हो।

सघीय कायकारिणी समिति

सघीय कायकारिणी पार्टी काग्र स द्वारा निर्धारित व निर्णित सभी राजनीतिक व सगठनात्मक विषयो की देखभाल करती है तथा निराणयो को कार्यान्वित करती है। कायकारिणी के सदस्यो म निम्नांकित व्यक्ति सम्मिलित होत हैं—

(1) दल का अध्यक्ष
(2) तीन उपाध्यक्ष
(3) कोपाध्यक्ष
(4) दल की रा-य शाखाओ के अध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि
(5) ससदीय दल का अध्यक्ष
(6) राज्य सरकार व सघ-सरकार मे दल क मन्त्रिगण तथा
(7) 13 अन्य सदस्य।

उक्त सदस्यता की व्याख्या करन स स्पष्ट हो जाता है कि इसम रा-या को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हाता है इसीलिए कई लोग इसे रा-य दलों का गुट (कार्टेल आफ स्टेट पार्टीज) की सज्ञा देत हैं।

विशेष समितिया व अध्ययन दल

1949 म ही फ्री डमाक्रेटिक पार्टी ने विशष समितियो एव अध्ययन दलों की आवश्यकता का अनुभव कर लिया था। य विशष समितिया विषय विशष क मामल म सघीय कायकारिणी तथा ससदीय दल की सहायता करता हैं। 1962 म इन समितियो ने अपनी 78 बठका म 200 से अधिक विषयो पर विचार किया। इन समितियो की सख्या विभिन्न अवसरो पर घटती बढ़ता रही है। इनके अतिरिक्त 5 अध्ययन दल भी बनाये गये जिनके विषय इस प्रकार हैं—

(1) विदेश-नीति प्रतिरक्षा तथा समग्र जमनी से सम्बद्ध मामले।

(2) आर्थिक प्रश्न
(3) श्रमिक व सामाजिक नीतियां
(4) गृह-नीति
(5) कृषि नीति

1962 में एक अन्य अध्ययन दल बनाया गया जिसका काम सांस्कृतिक नीतियों पर विचार करना था। इस प्रकार कुल 6 अध्ययन दल हो गए।

वित्तीय साधन

फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी की आमदनी अपेक्षाकृत कम है। इसकी सदस्य-संख्या कम होने के कारण तथा नियमित सदस्यता शुल्क प्राप्त न होने की वजह से इसकी आमदनी कम होती है। इसके बावजूद इसका संघीय कार्यालय काफी बड़ा है तथा वह सुव्यवस्थित ढंग से काम करता है। अपने चुनाव के व्यय के लिए यह दल मात्र अनिक चन्दे तथा बुर्जुआवर्ग व उद्योगपतियों की सहायता पर निर्भर करता है। ऐसा कहा जाता है कि 1961 के आम चुनाव में इस दल ने 1 करोड़ मार्क (जर्मन सिक्का) खर्च किया। 1963 में इस दल की आमदनी 77 00 000 मार्क तथा खर्च 69 50 000 मार्क बताया गया।

अन्य दलों से सम्बन्ध

फेडरल जर्मनी में फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़कर दो और प्रमुख दल हैं— क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। 1949 से 1966 तक फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी तथा क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के सम्बन्ध मोटे तौर पर मधुर थे। हां बीच-बीच में तनाव व विरोध की स्थितियां भी आई। 1969 से 1977 के बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इसके सम्बन्ध प्रगाढ़ हो गये। इस प्रकार पिछले 28 वर्षों में फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी लगभग 23 वर्षों तक सरकार में शामिल हुई। पहले क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के साथ मिलकर इसने सरकार बनाई तथा 1969 के बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर।

फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी का महत्त्व

यद्यपि फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी तीन प्रमुख दलों में से सबसे छोटा दल है लेकिन इसका महत्त्व उसके आकार की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक ही रहा है। इस दल ने फेडरल जर्मनी को दो राष्ट्रपति प्रथम तथा वर्तमान राष्ट्रपति प्रदान किये। पहले राष्ट्रपति थे थियोडोर होयस (1949–1959) तथा वर्तमान राष्ट्रपति वाल्टरशील का चुनाव 1974 में सम्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त इस दल ने देश को कई वाईस चांसलर (उप प्रधानमन्त्री) प्रदान किये जिनमें फ्यूखर एरिख मेन्डे वाल्टरशील तथा हान्स डिएटरिश गेंशर प्रमुख हैं।

फ्री डमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं का दावा है कि फेडरल जमनी की आर्थिक प्रगति मे उनका भारी योगदान है क्योकि उनके दबाव मे आकर ही क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन ने सामाजिक-बाजार अर्थव्यवस्था या स्वतन्त्र बाजार अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया। यह इसी दल के जोर देने का परिणाम है कि लुडविग एरहार्ड को आर्थिक मामलो का सचालक नियुक्त किया गया और इसके सफल एव सुयोग्य नेतृत्व के कारण जर्मनी आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर हो सका।

बेसिक ला के निर्माण एव वतमान स्वरूप म फ्री डमाक्रेटिक पार्टी के चिन्तन का स्पष्ट प्रसर है। व्यक्ति की गरिमा सम्बन्धी उसके विचारो को उसम प्रमुख स्थान दिया गया है।

विदेश नीति के क्षेत्र मे भी इस दल की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। एक लम्बी अवधि तक अन्तर जमन सम्बन्धो का सचालन भी इसी दल को दिया गया। कुछ समय तक विकासोन्मुख देशो को सहायता देने वाला मन्त्रालय भी इसी दल के पास रहा और 1965 के आसपास वाल्टरशील ने भारत व अन्य एशियाई व अफ्रीकी देशो को सहायता देने मे काफी रुचि दिखाई। बाद म वाल्टर शील विदेश-मन्त्री बने और उन्होंने इस क्षेत्र म भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की। भारत के साथ सम्बन्धो को अधिक सुदृढ बनाने म वाल्टरशील का विशेष स्थान रहा है। 1974 मे वाल्टर शील पश्चिमी जमनी के राष्ट्रपति बने तथा फ्री डमाक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व हान्स डिएटरिश गेन्शर ने सम्हाला। गेन्शर आजकल पश्चिमी जमनी के विदेश मन्त्री है तथा भारत मे जनता सरकार (मार्च 1977) के निर्माण के बाद गेन्शर ने भारत की यात्रा की तथा दोनो देशो के सम्बन्धो को सुदृढ आधार प्रदान किया।

□□□

9

विदेश-नीति

किसी भी देश की विदेश नीति का उचित मूल्यांकन करने के लिए उस देश की भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक परम्परा, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था एवं सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिमी जर्मनी या फेडरल जर्मनी यूरोप के हृदय में स्थित है। इसे केन्द्रीय भूमि या मध्य भाग के नाम से भी पुकारा जाता है। इस दृष्टि से जर्मनी यूरोप के व्यापार, वाणिज्य, सांस्कृतिक आदान-प्रदान का केन्द्र रहा है। ऐतिहासिक परम्परा के अन्तर्गत जर्मनी एक विशाल साम्राज्य था। 1871 में जर्मनी के एकीकरण के पश्चात् उसने न केवल यूरोप के लिए पथ का कार्य किया वरन् विश्वव्यापी राजनीति पर भी उसका असर रहा। इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से जर्मन जनता के मन में अतीत के गौरव की स्मृतियाँ शेष हैं। आर्थिक दृष्टि से जर्मनी यूरोप का सबसे समृद्ध एवं उद्योग प्रधान देश रहा है। आज भी वह विश्व के प्रमुख औद्योगिक देशों में से एक है। अपनी वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था की दृष्टि से जर्मनी एक जनतान्त्रिक देश है अतः यह स्वाभाविक ही है कि विश्व के अन्य जनतान्त्रिक देशों के साथ उसके सुदृढ़ सम्बन्ध हों। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही फेडरल जर्मनी की विदेश नीति की सम्यक् व्याख्या की जा सकती है।

पश्चिमी जर्मनी की विदेश नीति को हृदयंगम करने के लिए 1949 से लेकर 1977 तक वहाँ की सरकारों के गठन तथा चान्सलरों (प्रधानमन्त्रियों) के बारे में परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। इस अवधि में वहाँ निम्नांकित दलों की सरकारें थीं तथा चान्सलरों के नाम इस प्रकार हैं—

सन	सरकार में दलीय स्थिति	चान्सलर का नाम
1949–1963	क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी	आडेनावर
1963–1966	—वही—	लुडविग एरहार्ड
1966–1969	क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी	कुर्ट ग्योर्ग किसिंगर
1969–1974	सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी तथा फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी	विली ब्रान्ट
1974–	—वही—	हेलमुठ शिमडट

उक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि 1949 से 1966 तक क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन ने एक प्रमुख दल तथा फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक सहायक दल के रूप में जर्मन विदेश-नीति का संचालन किया। 1966 से 1969 तक क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन तथा सोशल डमोक्रेटिक पार्टी ने मिल कर विदेश नीति को दिशा तथा गति प्रदान की। 1969 से 1977 के बीच सोशल डमोक्रेटिक पार्टी ने प्रमुख भूमिका अदा की जबकि सहायक दल फ्री डमोक्रेटिक पार्टी ने विदेश मंत्री का पद सम्हालते हुए उसमें सहयोग दिया। यद्यपि वास्तव में चान्सलर ही समस्त नीतियों का जिसमें विदेश-नीति भी शामिल है—नियामक होता है फिर भी विदेश-मंत्री विदेश-नीति के निर्माण व संचालन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। पश्चिमी जर्मनी के अब तक के विदेश-मंत्रियों के नाम इस प्रकार हैं —

विदेश मंत्री का नाम	कार्यकाल
1 कानराड आडेनआवर	1949–1955
2 हाईनरिच फान ब्रेन्टानो	1955–1961
3 गेरहार्ड शोडर	1961–1966
4 विली ब्राण्ट	1966–1969
5 वाल्टरशील	1969–1974
6 हान्स डिएटरिच गेन्शर	1974–

इन विदेश मंत्रियों में से प्रथम तीन विदेश मंत्री क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन चौथा विदेश-मंत्री सोशल डमोक्रेटिक पार्टी तथा अन्तिम दो विदेश मंत्री फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य रहे हैं। इस प्रकार फेडरल जर्मनी के तीनों प्रमुख दलों ने अपने देश को विदेश-मंत्री प्रदान किये हैं। इस आधार पर हम जर्मन विदेश नीति को मुख्यतः दो भागों में बाट सकते हैं—

(1) 1949–1966—इस युग में विदेश नीति का संचालन क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने किया तथा फ्री डमोक्रेटिक पार्टी ने सहयोग दिया। *नीति अधिकांशतः पश्चिमी विश्व व अमेरिका के पक्ष में थी। इस नीति का मुख्य संचालक आडेनआवर था।*

(2) 1966–1977—इस समय विदेश-नीति का सूत्र सोशल डमोक्रेटिक पार्टी के हाथ में रहा तथा 1969 से फ्री डमोक्रेटिक ने सहायक की भूमिका अदा की। इस अवधि में पूर्वी नीति (ओस्ट पालिटिक) का समारम्भ हुआ तथा सोवियत संघ पोलण्ड पूर्वी जर्मनी रूमानिया युगास्लाविया व चेकोस्लोवाकिया आदि पूर्वी गुट देशों के साथ अच्छे सम्बन्धों की शुरुआत हुई तथा साथ ही पश्चिमी देशों तथा अमरिका से साथ सुदृढ सम्बन्ध स्थापित रहे। इस युग की विदेश-नीति का नियामक विली ब्राण्ट वाल्टर शील तथा गेन्शर रहे हैं।

विदेश-नीति का प्रथम युग [1949–1966]

प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान् अल्फ्रेड ग्रोसर के अनुसार जो जर्मन मामला के विख्यात विशेषज्ञ हैं— शीत युद्ध से दो पुत्रियां उत्पन्न हुई—एक उत्तर अतलांत (अटलांटिक) संधि तथा दूसरी फैडरल जर्मनी। कहने का तात्पर्य यह है कि शीत युद्ध जब उग्र रूप धारण कर चुका उस समय एक पश्चिमी सैनिक संगठन (उत्तर अतलांत संधि संगठन या नाटो) तथा पश्चिमी जर्मनी का एकसाथ उदय हुआ। 1949 से 1966 तक जो विदेश-नीति अपनाई गई उसे आडनआवर की विदेश नीति की संज्ञा दी जा सकती है।

1945 के बाद समस्त विश्व दो विरोधी खेमों में बंट गया। पश्चिमी खेमे का नेता अमरिका था तथा पूर्वी गुट का नेता सोवियत संघ। दोनों ने यूरोप को अपने अपने प्रभाव में रखना चाहा तथा पश्चिमी यूरोप अमरिकी गुट के साथ हो गया तथा पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के साथ में। 1949 में आते आते मास्को (सोवियत संघ) ने चकोस्लोवाकिया पूर्वी जर्मनी पोलैण्ड हंगरी बुलगारिया रूमानिया युगोस्लाविया आदि देशों में साम्यवादी शासन की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की।

जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है द्वितीय महायुद्ध में जर्मनी की पराजय के पश्चात् उसे चार क्षेत्रों में बांट कर सोवियत संघ अमरिका ब्रिटेन व फ्रांस के प्रशासन में सौंप दिया गया था। सोवियत संघ ने 1949 में पूर्वी जर्मनी में अलग से साम्यवादी शासन की स्थापना में सफलता प्राप्त की। पश्चिमी राष्ट्रों ने अपने अपने अधिकृत वाकी के तीन जर्मन क्षेत्रों को मिलाकर फैडरल जर्मनी नामक राज्य की स्थापना की और इस प्रकार जर्मनी का विभाजन हो गया। इसी प्रकार जर्मनी की राजधानी बर्लिन जो पूर्वी जर्मनी के बीच में स्थित है भी दो भागों में विभाजित हो गई तथा पूर्वी भाग पूर्वी जर्मनी तथा पश्चिमी भाग पश्चिमी जर्मनी के साथ रहा।

पूर्ण सार्वभौमिकता की प्राप्ति की ओर

1949 में यद्यपि फैडरल जर्मनी का निर्माण सम्पन्न हो गया लेकिन वह पूर्ण सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र नहीं था। वह सिर्फ आन्तरिक स्वशासन के लिए स्वतंत्र था तथा उसकी विदेश नीति पर अब भी तीन मित्र राष्ट्रों—अमरिका ब्रिटेन व फ्रांस का नियंत्रण था। 1939 से 1945 तक जर्मनी इनका शत्रु था जिसके विरुद्ध उन्होंने युद्ध लड़ा था। द्वितीय महायुद्ध के बाद आज तक समस्त जर्मन राष्ट्र के साथ कोई शांति-संधि नहीं हुई क्योंकि अमरिका व सोवियत संघ में मतभेद थे।

युद्ध की स्थिति की समाप्ति

14 सितम्बर 1950 को अमेरिका ब्रिटेन तथा फ्रांस ने संयुक्त रूप से

जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की स्थिति का अन्त करने की घोषणा की। इस प्रकार अब जर्मनी एक शत्रु राष्ट्र नहीं रह गया था। इससे पूर्व 8 जून को मित्र राष्ट्रों ने फेडरल जर्मनी को यह अधिकार दिया कि वह विदेशों के साथ आर्थिक संधियां कर सकता है। इस प्रकार अब भी जर्मनी विदेशी मामलों में पूर्ण स्वतन्त्र नहीं था न जर्मन सरकार के पास अपना कोई विदेश विभाग ही था। 6 मार्च 1951 को तीन राष्ट्रों ने जर्मनी के सम्बन्ध में अधिकृत कानून (आकुपेशन स्टैच्यूट) में परिवर्तन किया तथा फेडरल जर्मनी को विदेश मन्त्रालय के निर्माण का अधिकार दिया। इससे पूर्व ही 1950 में फेडरल जर्मनी ने ब्रिटेन फ्रांस अमरिका रोम अंकारा (टर्की) हाग (हालैण्ड) ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में अपने वाणिज्य-दूतावास खोले। 1951 के बाद ही विदेशों में राजदूतावासों की स्थापना सम्भव हो सकी। 27 फरवरी 1955 को तीन मित्र राष्ट्रों ने घोषणा की कि फेडरल जर्मनी को पूर्ण सार्वभौम सत्ता प्रदान की जाती है। इस प्रकार 1955 में जाकर ही यह राष्ट्र पूर्णतः सार्वभौम बन सका। 1951 में वह विदेश-नीति के क्षेत्र में सक्रिय हुआ और चार वर्ष बाद पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ उसका संचालन करने लगा।

रास्ते का चुनाव

अपने अस्तित्व के आरम्भ (1949) में फेडरल जर्मनी के सम्मुख विदेश-नीति के क्षेत्र में तीन मार्ग थे जिनमें से कोई एक अपनाया जा सकता था। वे रास्ते इस प्रकार थे—

(1) सोवियत गुट के साथ मैत्री

(2) अमरिकी खेमे में मैत्री

(3) स्वतन्त्र विदेश-नीति अर्थात् भारत जैसी विदेश-नीति।

रूस के साथ मैत्री करने से एक स्पष्ट लाभ था और वह यह कि जर्मनी का पुनः एकीकरण हो जाता क्योंकि पूर्वी जर्मनी रूस के प्रभाव में था। यह एक बहुत बड़ा फायदा था लेकिन इसके साथ ही वहां पश्चिमी पद्धति के जनतन्त्र की व्यवस्था समाप्त हो जाती।

अमरिका के साथ मैत्री का यह लाभ था कि सम्पन्न और समृद्ध अमरिका युद्ध से राख के ढेर बने पश्चिमी जर्मनी को भारी मात्रा में आर्थिक सहायता दे सकता था तथा साथ ही उसे साम्यवाद से बचा सकता था।

तीसरा रास्ता स्वतन्त्र या गुट निरपेक्ष नीति का रास्ता था। फेडरल जर्मनी के लिए यह रास्ता काटों भरा साबित होता क्योंकि उस समय वह न केवल आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक निर्बल था वरन् सैनिक दृष्टि से भी पंगु था। ऐसी स्थिति वहां किसी भी अव्यवस्था का आह्वाहन कर सकती थी।

फेडरल जर्मनी ने अमरिका के साथ मैत्री का रास्ता चुना। एडेनावर ने पूर्व (सोवियत संघ) की ओर पीठ की तथा वह पश्चिम (अमरिका ब्रिटेन

व फ्रास) की ओर अभिमुख हुआ। 1949 स 1963 तक तो वह स्वय विदेशी-नाति का नियामक था। 1963 म यद्यपि आडनआवर न चासलर पद से त्यागपत्र दे दिया लेकिन फिर भा अगन तीन वर्षों तक विदेश नीति पर उसका काफी प्रभाव रहा।

आडेनआवर की विदेश नीति 1949–63

फडरल जमनी की विदेश नीति को सु यवस्थित रूप प्रदान करन का श्रेय जमनी क प्रथम चासलर कानराड आडनआवर का है। प्रसिद्ध जमन लेखक वाल्टर हाल्सटाइन क अनुसार— जमन विदश नाति के समक्ष जो तीन रास्ते थे उसम से आडनआवर न अमरिका तथा स्वतन्त्र विश्व क साथ रहने का रास्ता चुना। उसकी विदश-नीति के प्रमुख आधार इस प्रकार थे—

(1) जमनी का एकीकरण
(2) साम्यवाद का विरोध तथा शक्ति की राजनीति
(3) हाल्सटाईन सिद्धान्त
(4) यूराप की सुरक्षा व्यवस्था
(5) अमेरिका के साथ सुदृढ सम्बन्ध
(6) फ्रास क साथ मैत्री
(7) ब्रिटेन क साथ सुमधुर सम्बन्ध
(8) भारत के साथ मैत्री व आर्थिक सहयाग।

जमनी का एकीकरण

क्रिश्चियन डमोक्रटिक यूनियन तथा चासलर आडनआवर की विदेश नीति में देश क एकीकरण को विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। पितृ भूमि की एकता उसका प्रमुख नारा था। लेकिन जमन एकीकरण की समस्या विषम थी। क्योंकि देश के एकीकरण की दिशा मे प्रयास करने का अथ सोवियत सघ पूर्वी जमनी तथा ब्रिटन फ्रास तथा अमरिका क साथ सम्बन्धो म किसी न किसी रूप म तालमेल बिठाना था जा लगभग असम्भव था। आडेनआवर न यह दावा प्रस्तुत किया कि पश्चिमी जमनी ही समस्त जमन जनता का अकेला प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि यहा की सरकार स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव क आधार पर चुनी गई है जबकि पूर्वी जमनी को स्वतन्त्र रूप से चुनाव द्वारा सरकार का निर्वाचन करने से वचित रखा गया। सयुक्त राज्य अमरिका ब्रिटन तथा फ्राम न यह स्वीकार किया कि पश्चिमी जमनी क नेता ही समस्त जमन क एक मात्र प्रतिनिधि है और उन्ह एसा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। इस प्रकार एकमात्र प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त की शुरूआत हुई।

10 जून 1953 का आडनआवर की सरकार ने अपनी विदेश-नीति के पाच सूत्री सिद्धान्त प्रस्तुत किए जो निम्नलिखित हैं (1) समस्त जमनी म स्वतन्त्र तथा

जनतान्त्रिक चुनाव (2) तत्पश्चात् समस्त जर्मन सरकार का निर्माण (3) मित्र राष्ट्रों—अमरिका सोवियत सघ ब्रिटेन व फ्रास तथा पुन एकीकृत जर्मनी के बीच शाति सधि (4) शाति सधि में जर्मनी की प्रादेशिक सीमाओं का निर्णय तथा (5) समस्त जर्मन सरकार द्वारा सयुक्त राष्ट्र सघ के घोषणा-पत्र के उद्देश्यों की भावना के अन्तर्गत सभी राष्ट्रों के साथ सधियों की व्यवस्था।

यदि इन पाच सिद्धान्तों का गम्भीर अध्ययन किया जाए तो वे विविध चरणों में जर्मनी के एकीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास मात्र हैं। एल्मर प्लिश्के के अनुसार विदेश-नीति का मूलाधार था—(1) फेडरल जर्मनी की सुरक्षा (2) बर्लिन व फेडरल जर्मनी के बीच सम्बन्ध बनाये रखना तथा (3) देश का एकीकरण करना। लेकिन सोवियत सघ तथा पश्चिमी राष्ट्रों के बीच आपसी मतभेद तथा तनाव के कारण जर्मनी के पुन एकीकरण का सपना अधूरा ही रहा।

साम्यवाद का विरोध तथा "शक्ति की राजनीति"

राजनीतिक विचारधारा की दृष्टि से कानराड आडनआवर साम्यवाद का कट्टर विरोधी था। धार्मिक दृष्टि से वह कट्टर कैथोलिक था तथा सोवियत सघ को धर्म का घोर शत्रु मानता था और एक नास्तिक व तानाशाही व्यवस्था वाले सोवियत सघ के साथ वह मैत्री के लिए हर्गिज तैयार न था। मास्को को वह जर्मन एकीकरण का सबसे बड़ा दुश्मन समझता था अत एस राष्ट्र के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना कठिन था।

आडनआवर के अनुसार सोवियत रूस की नीति विस्तारवादी तथा आक्रामक थी तथा जर्मनी के साम्यवादियों को भी वह पच मार्गी (फिफ्थ कालमनिस्ट) मानता था जो रूस के इशारों पर जनतन्त्र की जड़ें खोखली करने पर तुले हुए थे। उसकी मान्यता थी—कि रूस की विदेश-नीति का दीर्घकालीन उद्देश्य फेडरल जर्मनी फ्रास व इटली को साम्यवादी नियन्त्रण में लाना था ताकि इन सब राष्ट्रों के आर्थिक साधनों का उपयोग करते हुए वह अधिक आत्म विश्वास व साधना के साथ अमरिका का मुकाबला कर सके। पूर्वी जर्मनी को आडेनआवर ने सोवियत क्षेत्र की सज्ञा दी क्योंकि वहा सोवियत सघ के प्रभाव व सहयोग से साम्यवादी शासन की स्थापना की गई थी। बर्लिन के प्रश्न को लेकर 1948 में सोवियत सघ ने जो रुख अपनाया उससे आडनआवर अत्यधिक क्षुब्ध हुआ।

यह स्मरणीय है कि 1948 तक समस्त जर्मनी की भाति बर्लिन पर भी मित्र राष्ट्रों का नियन्त्रण था तथा देश व राजधानी दोनों को चार भागों में विभाजित कर चार राष्ट्रों के प्रशासन में सौंप कर रखा गया था। यह कार्य प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किया गया था लेकिन कानूनी दृष्टि से समस्त जर्मनी व बर्लिन पर चारों राष्ट्रों का नियन्त्रण स्वीकार किया गया था।

जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन (अभी

फेडरल जर्मनी की अस्थायी राजधानी बान है) पूर्वी जर्मनी के बीच स्थित है तथा वह भी पूर्वी तथा पश्चिमी बर्लिन में विभाजित है तथा पश्चिमी बर्लिन फेडरल जर्मनी के साथ में है। रूसी नेता स्तालिन उसे पूर्वी जर्मनी में मिलाना चाहता था। उसने सोचा कि यदि पश्चिमी बर्लिन व पश्चिमी जर्मनी के आपसी सम्बन्ध यातायात आदि समाप्त कर दिये जाय तो पश्चिमी बर्लिन की जनता भूखों मर जाएगी तथा लाचार होकर वह पूर्वी जर्मनी में शामिल होना स्वीकार कर लेगी। इसीलिए उसने 1948 में बर्लिन की नाकाबंदी की।

बर्लिन की नाकाबन्दी से पहले समस्त जर्मनी में यातायात खुला था तथा इसी प्रकार बर्लिन के निवासी भी एक भाग से दूसरे भाग में जा सकते थे। लेकिन स्तालिन के आदेश पर पहले पूर्वी जर्मनी ने स्थल मार्गों की नाकाबन्दी तथा पूर्वी बर्लिन से पश्चिमी बर्लिन को मिलने वाली बिजली की लाईन काट दी गई। अमरिका ब्रिटेन व फ्रांस ने स्तालिन के इस कदम का विरोध किया तथा हवाई जहाजों की सहायता से पश्चिमी बर्लिन को अनाज व अन्य सामग्री पहुचाई गई। 26 जून 1948 से 12 मई 1949 के बीच 260000 बार हवाई जहाज बर्लिन पहुंच व वापस आए तथा पश्चिमी बर्लिन की जनता को हर सम्भव सहायता पहुंचाई गई। स्तालिन अमरिका के कड़े रूख से निराश हुआ और उसे लगभग 11 माह बाद नाकाबंदी हटाना पड़ी। इस घटना में फेडरल जर्मनी व सोवियत संघ के बीच अविश्वास की भावना घर कर गई।

सोवियत संघ का सामना करने के लिए शक्ति की आवश्यकता थी। आडेनआवर का विचार था कि रूस एक ही भाषा समझता है और वह है शक्ति की भाषा। इसलिए उसने शक्ति की राजनीति अपनाई। अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने यूरोपीय सुरक्षा समुदाय नामक संधि का समर्थन किया तथा 1955 में उत्तर अतलांत सैनिक संधि में प्रवेश किया।

यद्यपि आडेनआवर साम्यवाद का कट्टर दुश्मन था लेकिन वह यह भी जानता था कि जर्मनी के एकीकरण की कुंजी रूस के हाथ में है। साथ ही यद्यपि युद्ध 1945 में ही समाप्त हो गया था लेकिन अभी भी एक लाख से अधिक जर्मन सैनिक व अन्य लोग रूस में कैद थे। जर्मन जनता की मांग थी कि उन्हें मुक्ति दिलाई जाए। ऐसी स्थिति में रूस के साथ बातचीत जरूरी हो गई। 9 सितम्बर से 13 सितम्बर 1955 में आडेनआवर ने मास्को की यात्रा की तथा एलेक्सी टालसटाय भवन (विदेश मंत्रालय) में बुल्गानिन के साथ वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच सितम्बर 1955 में ही राजनयिक सम्बन्ध कायम करना तय हुआ[1] तथा साथ ही यह भी समझौता हो गया कि

1 20 दिसम्बर 1955 को सोवियत संघ की ओर से वलेरिन जोरिन को राजदूत बनाकर फेडरल जर्मनी भेजा गया तथा जनवरी 1956 में जर्मन राजदूत विल्म हास ने सोवियत संघ में अपना पद सम्भाला।

100 000 जमन युद्ध बन्दी रिहा कर दिए जाएग। अक्टूबर 1955 स जनवरी 1956 के बीच इन युद्ध बंदियो को छोड दिया गया । युद्ध बंदियो की मुक्ति स फडरल जमनी म आडनआवर की लोकप्रियता म भारी वद्धि हुई। यद्यपि दोनो देशो के बीच कूटनीतिक सम्बध कायम हो गए लकिन आपसी तनाव तथा विरोधी प्रचार जारी रहा। रूस ने समय2 पर पश्चिमी जमन सरकार पर नात्सियो तथा सयवादियो को सरक्षण देने का आरोप लगाया तथा इस प्रत्युत्तर मे फडरल जमनी न कहा कियह गन्दा प्रचार है तथा रूस उवा देने वाली पुनरावत्ति का शिकार है यानी बार बार एक ही रट लगाए हुए है जबकि आरोप निराधार है। रूस के साथ सक्रिय सहयोग का रास्ता काटो से भरा था तथा 1970 के आसपास जाकर ही दोनो दशो के मध्य अच्छे सम्बधो की स्थापना का माग प्रशस्त हुआ।

हाल्सटाईन सिद्धान्त

फडरल जमनी की विदेश-नीति की एक विशेपता थी हाल्सटाईन सिद्धात। वाल्टर हाल्सटार्इन नामक व्यक्ति ने यह सिद्धान्त प्रस्तुत किया था। जसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि पश्चिमी जमनी के नता सम्पूर्ण जमनी के एक मात्र प्रतिनिधि होने का दावा करते थे लेकिन जब 1955 म रूस के साथ राजनयिक सम्बध स्थापित हुए तो यह कठिनाई सामने आई। सावियत सघ तथा पूर्वी जमनी के बीच पहले ही राजनयिक सम्बध थे इस प्रकार रूस न दोनो जमन राज्यो को मान्यता दी। आडनआवर को डर था कि रूस क पद चिह्नो का अनुसरण करते हुए यदि अन्य विदेशी राष्ट्रो ने भी दोनो जमन राज्यो को मान्यता देना आरम्भ कर दिया तो जमनी का विभाजन स्थायी रूप ले लेगा। वह एसा नही चाहता था अत हाल्सटाईन सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया। रूस के साथ कूटनीतिक सम्बध स्थापित करने के साथ ही कानराड आडनआवर ने इस सिद्धात की घोषणा की। हाल्सटाईन सिद्धात के अनुसार— यदि कोइ राष्ट्र पूर्वी जमन राज्य को राजनयिक मान्यता देगा तो पश्चिमी जमनी उस मान्यता देने वाले राष्ट्र के साथ राजनयिक सम्बन्ध तोड लगा तथा उसे कोई आर्थिक सहायता नही देगा। 1958 म जब युगोस्लाविया ने पूर्वी जमन राज्य को राजनयिक मान्यता दी तो फडरल जमनी ने हाल्सटाईन सिद्धान्त के अन्तगत युगोस्लाविया स राजनयिक सम्बध तोड लिए। यह सिद्धात 1970 तक प्रभावी रहा। धीरे धीरे उसका प्रभाव खत्म होने लगा और जब 1972 म फडरल जमनी तथा पूर्वी जमनी ने परस्पर मान्यता दी तो यह सिद्धात स्वत ही समाप्त हो गया।

यूरोप की सुरक्षा

इसी शताब्दी म दो विश्व-युद्ध लड गए तथा उसके परिणामस्वरूप यूरोपीय राष्ट्रो को तथा विशषकर जमनी को भारी नुकसान उठना पडा। द्वितीय महायुद्ध क

किया है तथा आज का जर्मनी तथा कल का संयुक्त जर्मनी भी ऐसा ही होना चाहिए।'

अमरिका के साथ जर्मनी के सम्बन्ध कितने घनिष्ठ थे इसका अनुमान आडेनआवर की इस बात से लगता है— युद्ध के बाद मार्शल योजना, अमरिकी राष्ट्रपति ट्रूमन तथा विदेश मन्त्री एचसन के माध्यम से दोनों देशों में स्वागतयोग्य सम्बन्ध स्थापित हुए। राष्ट्रपति आईजनहावर तथा विदेश सचिव डलस के समय ये सम्बन्ध निरन्तर प्रगति करते रहे। लेकिन अमेरिका में कनेडी के राष्ट्रपति बनने के बाद आडेनआवर तथा वाशिंगटन के बीच सम्बन्ध उतने मधुर नहीं रह जैसे कि पहले थे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि एक दूसरे के समर्थन में कमी आई।

फ्रांस के साथ मैत्री

पिछले तीन सौ वर्षों में जर्मनी तथा फ्रांस के सम्बन्धों का इतिहास तनाव व युद्धों को समेटे हुए है। 1870 से 1939 के बीच दोनों देशों ने तीन बड़े युद्ध लड़े। अतः कटुता में वृद्धि होना स्वाभाविक ही था। तीनों युद्धों में जर्मन सेना ने फ्रांस को बुरी तरह पराजित किया तथा फ्रांसीसी भूमि तथा जनता जर्मन सैनिक बूटों के तले कुचली गई। युद्धोपरांत जर्मनी को फ्रांस के सहयोग व सक्रिय समर्थन की अत्यधिक आवश्यकता थी लेकिन फ्रांसीसी जनता पुराने अत्याचारों को नहीं भूली थी।

कानराड आडेनआवर जानता था कि जर्मनी की प्राचीन क्रूर छवि तथा व्यक्तित्व को भुलाकर एक नवीन जर्मनी के निर्माण के लिए फ्रांस की सद्भावना आवश्यक थी। यही कारण है कि कई अवसरों पर आडेनआवर ने फ्रांस के हितों को प्राथमिकता दी तथा यूरोपीय संस्थाओं की सदस्यता प्राप्त करने के पश्चात् पश्चिम जर्मनी ने विभिन्न अवसरों पर फ्रांस की नीतियों का सक्रिय समर्थन किया। इस प्रकार आडेनआवर दोनों देशों के मध्य सुमधुर सम्बन्ध स्थापित करने में सफल रहा। सफलता का चर्मोत्कर्ष हमें 1963 की फ्रांसीसी-जर्मन सहयोग संधि में दीख पड़ता है।

फ्रांस के राष्ट्रपति जनरल डीगाल तथा आडेनआवर ने मिलकर 22 जनवरी 1963 को सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि फ्रांस व जर्मनी के सम्बन्धों में एक मील का पत्थर थी। जनरल डीगाल ने इस अवसर पर कहा "विश्व का प्रत्येक व्यक्ति इस कार्य के महत्त्व को समझता है न केवल इसलिए कि इससे पुराने संघर्ष व लड़ाइयों के पृष्ठ बन्द होते हैं वरन् इसलिए भी कि इससे फ्रांस व जर्मनी तथा यूरोप और इस प्रकार समस्त विश्व के लिए नए भविष्य का द्वार खुल गया है।" आडेनआवर ने प्रत्युत्तर में कहा "मैं आपकी भावना का समर्थन करता हूं तथा इससे अधिक इसमें कुछ नहीं जोड़ना चाहता।"

फ्रांस जर्मन सहयोग-संधि 1963 के अन्तर्गत अग्रलिखित व्यवस्थाएं की गई—

(1) दोनों देशों के विदेश मन्त्री प्रति तीन माह के बाद मिलेंगे तथा पारस्परिक हितों के मामलों पर विचार विमर्श करेंगे।

(2) फ्रांस व पश्चिम जर्मनी के प्रतिरक्षा मन्त्री भी प्रति तीन माह बाद मिलेंगे तथा एक दूसरे का सैन्य गतिविधियों व समस्याओं से अवगत कराएंगे।

(3) दोनों देशों के प्रमुख सेनापति (चीफ ऑफ स्टाफ) दो माह में एक बार मिल कर विचारों का आदान प्रदान करेंगे।

(4) दोनों शिक्षा मन्त्री तीन माह में एक बार मिलेंगे।

(5) दोनों देशों के युवक कल्याण व तत्सम्बन्धी मामलों के मन्त्री भी प्रति तीन माह में एक बार मिलकर बातचीत करेंगे।

इस प्रकार अन्तर मन्त्रालय-समन्वय की व्यवस्था की गई। दोनों देशों के बीच प्रोफेसरों छात्रों व कलाकारों के आदान प्रदान को स्वीकृति दी गई। इस संधि के पश्चात् दोनों देशों में निरन्तर सद्भावना का विस्तार हुआ।

ब्रिटेन के साथ सम्बन्ध

यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश सैनिक पदाधिकारियों ने दो बार कोनार्ड आडनआवर को पदच्युत किया था। पहली बार प्रथम महायुद्ध के बाद ब्रिटिश सेना ने जर्मनी के कोलोन नगर में प्रवेश किया तथा वहां के मेयर कोनराड आडनआवर को पद से हटा दिया। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमरिकी सेना ने कोलोन पर अधिकार किया तथा 15 मार्च 1945 को आडनआवर को वहां के नगर निगम के मेयर का पद प्रदान किया। बाद में यह नगर ब्रिटिश प्रशासित प्रदेश बना और 6 अक्टूबर 1945 को ब्रिटिश सैनिक अधिकारी जनरल बाराक्लाफ ने पुनः आडनआवर को पद से हटा दिया। दो बार बर्खास्त किए जाने के कारण जर्मन चान्सलर के मन में आक्रोश था लेकिन देश के हित को सर्वोपरि मानते हुए उसने अपने व्यक्तिगत क्रोध को दबा कर ब्रिटेन के साथ मैत्री का रास्ता अपनाया। इसके कुछ कारण थे—जर्मनी व ब्रिटेन के मध्य भारी व्यापार था। ब्रिटेन की मैत्री प्राप्त करके ही यूरोप में फ्रांस के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सकता था।

यद्यपि फ्रांस इस बात का विरोधी था कि ब्रिटेन को यूरोपीय साझा बाजार का सदस्य बनाया जाए लेकिन आडनआवर ने समय समय पर ब्रिटेन की सदस्यता का समर्थन किया। इस प्रकार दोनों देशों के बीच सहयोग का नया अध्याय प्रारम्भ हुआ।

भारत के साथ मैत्री

पिछले पांच सौ वर्षों में भारत व जर्मनी के मध्य घनिष्ट सांस्कृतिक सम्बन्ध थे। जर्मन विद्वानों ने—इनमें हेर्डर, फ्रीडरिच श्लेगल, ए डब्लू श्लेगेल विल्हेल्म फान हुम्बोल्ट मैक्स म्यूलर प्रमुख हैं—भारतीय धर्म दर्शन व संस्कृति की प्रामा

की तथा उसे यूरोप में लोकप्रिय बनाया। जोहानन गाटफ्राइड हेर्डर ने कालिदास की विख्यात नायिका शकुन्तला के माध्यम से भारत की भूमि के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कविता लिखा—

> जहां शकुन्तला अपने परित्यक्त पुत्र के साथ रहती है
> जहां दुष्यन्त देवताओं से निज नए वरदान प्राप्त करता है।

पवित्र भूमि तुम्हें बार-बार प्रणाम है ऐ ध्वनि व शब्दों के हृदय की आवाज तुमसे प्रार्थना है कि मुझे स्वर्गीय आनन्द का कुछ भाग प्रदान करो।

इसी प्रकार विश्व विख्यात जर्मन कवि ग्याद ने भी शकुन्तला की प्रशंसा में गीतों की रचना की। आगुस्ट विल्हेम श्लेगल ने 1820 में जर्मनी की वर्तमान राजधानी बान में भारतीय पुस्तकालय की जिसमें संस्कृत भाषा में धर्म व दर्शन की पुस्तकें संग्रहीत की गई—स्थापना की। इस प्रकार सर्वप्रथम बान में 1818 में विश्वविद्यालय में भारतीय विद्या का अध्ययन आरम्भ हुआ। श्लेगल ने बान को पश्चिम के बनारस तथा राइन नदी को पश्चिम की गंगा की संज्ञा दी। तब से निरंतर दोनों देशों में सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान होता रहा। भारत में शा... न्याय शिलर व मैक्स म्यूलर (भारत के संस्कृत के विद्वान इन्हें मोक्षमूलर कहना पसन्द करते हैं) की रचनाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि कवियों व दार्शनिकों के इस रचना ने भारत की संस्कृति में प्रमुख रवि न्द्रिनाथ तथा उसमें प्रेरणा प्राप्त की। यूरोप में भारतीय संस्कृति के प्रसार के लिए भारत सदैव जर्मनी का ऋणी रहेगा।

यद्यपि सांस्कृतिक दृष्टि से दोनों देश एक-दूसरे के बहुत निकट थे लेकिन गुलाम भारत जर्मनी के साथ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सका। आजादी के बाद ही दोनों देशों के बीच राजनयिक सम्बन्ध स्थापित हो सके। लेकिन आजादी के संघर्ष के दौरान कई भारतीय ब्रिटिश दमन चक्र से बचने के लिए जर्मनी चले गए और वहां रहकर उन्होंने यूरोपीय जनता को ब्रिटेन द्वारा भारत के शोषण से परिचित कराया। 1913 में एक अनाम भारतीय ने एक जर्मन समाचार-पत्र 'नार्थविंसगर नार्थरिटन' में जर्मन उद्योगपतियों को भारत में कारखाने लगाने की प्रवीनं की। 1914 में ए... जर्मन विल्ला' ने जर्मनी भारत को ... नामक पुस्तक लिखी। 16 अगस्त 1915 में जर्मन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतन्त्रता-समिति नामक एक गुप्त संस्था की घोषणा-पत्र प्रकाशित किया। बाद में इसका नाम बदल कर भारतीय राष्ट्रवादी समिति-यूरोपीय केन्द्र रखा गया।

इससे पूर्व 1915 में अमरिका से प्रोफेसर मौलाना बरकतुल्लाह जर्मनी भेज गए ताकि वे यूरोप में भारतीय स्वतन्त्रता के लिए चेतना जाग्रत कर सकें। बाद में राजा महेन्द्र प्रताप ने काबुल में जिस अस्थायी भारतीय सरकार की घोषणा की उसने स्वयं को राष्ट्रपति तथा मौलाना बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। भारत

के मुल्तान क्षेत्र के क्रांतिकारियों ने अपने को काबे जर्मन या पीन जर्मन घोषित किया। उधर राजा महेन्द्र प्रताप 1918 में बर्लिन भी गए ताकि भारतीय स्वतन्त्रता के लिए जर्मन राष्ट्र का सहयोग प्राप्त किया जा सके।

बाद में एम एन राय, ताराचन्द राय, विनय कुमार सरकार, ए सी एन नम्बियार, ए डूमन, प्रोफेसर गिरिजा के मुखर्जी आदि ने जर्मनी में भारतीय स्वतन्त्रता के लिए कार्य किया। पण्डित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू व डा. राम मनोहर लोहिया ने भी जर्मनी की यात्रा की।

भारतीय नेताओं में सुभाषचन्द्र बोस वह प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने हिटलर की जर्मनी में सहायता प्राप्त कर भारत को आजाद कराने का असफल प्रयास किया। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बाद को एम आर व्यास व प्रो. गिरिजा के मुखर्जी ने आग जारी रखने का प्रयास किया।

जब भारत अपने संविधान के निर्माण में रत था तो भारतीय विधि विशेषज्ञों ने जर्मन संविधान (वेमर) का भी गूढ़ अध्ययन किया। इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में भारत ने जर्मनी का सहयोग व सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी भारत आखिर ब्रिटेन का दास था अतः जब ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी ने युद्ध छेड़ा तो भारत को उसमें सहयोग देना पड़ा। 6 सितम्बर 1939 को भारत ने मित्र राष्ट्रों के समर्थन में हिटलर के जर्मनी के विरुद्ध घोषणा की और जब विजेताओं की सेना ने जर्मनी में 1945 में प्रवेश किया तो उसमें भारत के सैन्य प्रतिनिधि भी शामिल थे।

भारत ने जर्मनी के साथ अपने सुमधुर सांस्कृतिक सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए फेडरल जर्मनी के साथ सम्बन्ध सुधारने की दिशा में भारी रुचि दिखाई। उधर जर्मनी भी स्वतन्त्र भारत की सद्भावना प्राप्त करने का इच्छुक था। भारत उस समय अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में एक उदीयमान सितारा था तथा एशिया व अफ्रीका में वह काफी लोकप्रिय था। फेडरल जर्मनी एशिया व अफ्रीकी देशों में अपने पाँव जमाना चाहता था। यहां भारत की मैत्री व मान्यता एक महत्त्वपूर्ण तथ्य सिद्ध हो सकती थी।

1 जनवरी 1951 को भारत ने जर्मनी के साथ युद्ध की स्थिति का अन्त करने की घोषणा की और 11 नवम्बर 1951 को नई दिल्ली तथा बान में एक-साथ यह घोषणा की गई कि दोनों देशों ने राजनयिक सम्बन्ध स्थापित कर लिए हैं तथा शीघ्र ही राजदूतों का आदान-प्रदान किया जाएगा। 22 अप्रैल 1952 में नई दिल्ली में जर्मन राजदूतावास खोला गया। इस प्रकार अफ्रीकी व एशियाई देशों में भारत उन राष्ट्रों में से एक था जिसने सबसे पहले फेडरल जर्मनी के साथ सम्बन्ध स्थापित करने में तत्परता दिखाई। भारत और जर्मनी के बीच राजनीतिक से अधिक आर्थिक सम्बन्ध रहे।

दोना देशो के बीच आर्थिक सम्बन्धा का इतिहास 1844 से प्रारम्भ होता है जब हाम्बुग की व्यापारिक कम्पनी 'हान्सियाटिक लीग' का प्रथम वाणिज्य-दूत ए एच ह्यूशके ने बम्बई आकर अपना कार्यालय खोला । उसी वष कलकत्ता म टी एच ए वाटेनबाख ने वाणिज्य दूत का कायभार सम्हाला । द्वितीय महायुद्ध के बाद 12 मई 1951 को बम्बई मे प्रथम जमन महावाणिज्य दूत का कार्यालय खोला गया । 20 जनवरी 1956 म बम्बई म भारत जमन व्यापार-मण्डल (इण्डो-जमन चेम्बर आफ कामस) की स्थापना की गई । वस दोनो दशो म माल का आयात निर्यात 1951 मे ही प्रारम्भ हो गया था । निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि दोनो देशो मध्य भारी व्यापार था ।

जमनी द्वारा भारत को भेजा गया माल (लाख माक)

वर्ष	माल	वर्ष	माल
1951	2140	1960	8340
1952	2270	1961	7800
1953	2770	1962	7310
1954	3750	1963	7240
1955	5900	1964	7770
1956	8190	1965	10490
1957	11260	1966	9510
1958	11730	1967	7960
1959	9600	1968	5750
		1969	4980

भारत द्वारा जमनी को भेजा गया माल (लाख माक)

वर्ष	माल	वर्ष	माल
1951	1200	1961	2230
1952	1250	1962	2610
1953	1660	1963	2540
1954	1530	1964	2720
1955	2680	1965	2440
1956	1890	1966	2390
1957	2520	1967	1840
19 ९	1920	1968	2150
1959	1800	1969	2370
1960	1840		

उक्त तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि भारत ने कम माल भेजा तथा जर्मनी से ज्यादा माल आया । इससे भारत के विदेशी व्यापार मे असन्तुलन हुआ और

1969 के बाद भारत ने पूर्वापेक्षा अधिक माल भेजना आरम्भ किया तथा व्यापार सतुलन कुछ ठीक हो सका।

फेडरल जर्मनी के विदेश-सहायता कार्यक्रम में भारत को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आज तक पश्चिमी जर्मनी ने जो सरकारी वित्तीय ऋण दिए हैं उनका 33 प्रतिशत भाग भारत को दिया तथा तकनीकी सहायता-कार्यक्रम के अंतर्गत जो मदद दी गई उसका 10 प्रतिशत भाग भारत के हिस्से में आया है। 1957 से लेकर अप्रैल 1973 तक जर्मनी ने भारत के विकास के लिए 58000 लाख मार्क प्रदान किए हैं जो 1850 करोड रुपया के बराबर होते हैं। 1973 में जर्मनी ने भारत को 3100 लाख मार्क अथवा 93 करोड रुपए ऋण के रूप में देना स्वीकार किया है। इस प्रकार भारत को दी जाने वाली द्विपक्षीय सरकारी सहायता की दृष्टि से अमरिका के बाद पश्चिमी जर्मनी का दूसरा स्थान है। 1974 में भारत को 3600 लाख मार्क यानी 108 करोड रुपए ऋण व सहायता के रूप में प्राप्त हुए। 1973 की तुलना में यह मदद 16 प्रतिशत अधिक है। 1974 में प्राप्त 3600 लाख मार्क में से 2200 लाख मार्क (66 करोड रुपए) ऋण के रूप में है तथा 100 लाख मार्क या 3 करोड रु कृषि विकास कार्यक्रम में सहायता के रूप में तथा 1300 लाख मार्क या 39 करोड रुपए पुराने ऋण में राहत के रूप में है। इस ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा तथा इसे 30 वर्षों में चुकाया जा सकता है। न चुकाने की स्थिति में 10 वर्ष की अवधि और प्रदान की जाएगी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋण उदार शर्तों पर दिया गया है।

व्यापारिक आयात निर्यात के साथ ही नई दिल्ली तथा बान (पश्चिमी जर्मनी) के आर्थिक सम्बन्ध सीमित नहीं रह जाते। फेडरल जर्मनी ने भारत की शैक्षणिक तकनीकी व कृषि तथा उद्योग विषयक प्रगति में भी भारी योगदान दिया है। कैंसर रोग निवारण रिसर्च इलेक्ट्रोनिक तकनीक से लेकर भू-उपग्रह निर्माण के क्षेत्र में दोनों देशों ने निकट सहयोग स्थापित किया है। जिन क्षेत्रों में जर्मनी ने भारत को तकनीकी व आर्थिक सहायता प्रदान की है उनका विवरण इस प्रकार है—

रूरकेला इस्पात कारखाना

भारत की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए इस्पात की अत्यधिक आवश्यकता थी। जर्मनी ने रूरकेला में इस्पात-कारखाना स्थापित करने में सहायता प्रदान कर भारत के औद्योगिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। यह उल्लेखनीय है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में रूरकेला का इस्पात-कारखाना पहला स्थापित कारखाना है। यह कारखाना प्रति वर्ष लगभग 20 लाख टन स्टील तैयार करता है। पश्चिमी जर्मन राजदूत ग्यूटर डीहल के अनुसार रूरकेला इस्पात कारखाना अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का अनुपम उदाहरण है।

मण्डी व कांगडा-कृषि-योजना

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है तथा सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या है कृषि का वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। इस दिशा में जर्मनी ने हमें सहायता दी है। हिमाचल प्रदेश के मण्डी व कांगडा क्षेत्र में मांग्त जर्मन कृषि योजनाएं लागू की गई हैं जिसमें खेती की पैदावार में वृद्धि के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग सम्भव हुआ। यहां दोनों देशों के कृषि विशेषज्ञ मिलकर कार्य करते हैं। जर्मन सरकार ने कृषि सघन दुग्ध विकास योजना के लिए आवश्यक मुफ्त सहायता दी है।

नीलगिरी-कृषि योजना

दक्षिण भारत में स्थित नीलगिरी-क्षेत्र में भारत-जर्मन सहयोग सक्रिय दीख पड़ता है। कृषि पण्डितों के आपसी सहयोग तथा विचारों के आदान प्रदान से कृषि की उन्नति सम्भव हुई है। अब यहां के किसान पहले की अपेक्षा कई गुनी अधिक पैदावार करते हैं। यहां बीजों की किस्म को समुन्नत बनाने तथा कृषि के लिए वैज्ञानिक यन्त्रों का अधिकाधिक प्रयोग करने का काम होता है। पिछले पांच वर्षों में इस सहयोग का गहरा प्रभाव पड़ा है।

मद्रास-तकनीकी संस्था

भारत को इन्जीनियरों व कुशल कारीगरों की आवश्यकता है। इसी लक्ष्य को दृष्टिगत करते हुए देश में तकनीकी अध्ययन संस्थान खोले गए। फैडरल जर्मनी ने इस दिशा में भी सहयोग का हाथ बढ़ाया। 1969 में मद्रास में जो इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टक्नालाजी खोला गया उसकी स्थापना में जर्मन सहयोग प्राप्त किया गया। 1959 में यह संस्था आरम्भ हुई। इससे हजारों की संख्या में तकनीकी विशेषज्ञ तैयार किए।

बंगलोर-फोरमेन-संस्था

औद्योगिक व व्यावसायिक पक्षों में भी प्रशिक्षण जरूरी था और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए बंगलोर में फोरमेन ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट की स्थापना की गई। यह संस्था भी जर्मन सहयोग के आधार पर खोली गई थी।

हावडा प्रशिक्षण व शोध संस्था

तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए शोध की भारी आवश्यकता महसूस की गई। प्रस्तुत समस्याओं के निवारण के लिए प्रत्येक राष्ट्र को सतत् शोध करनी पड़ती है। इस कार्य की पूर्ति के लिए जर्मनी के सहयोग से हावड़ा में सट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट की स्थापना की गई।

टेलीविजन तकनीक मे सहयोग

भारत में टेलीविजन या दूरदर्शन-यन्त्र के आगमन की दिशा में भी फैडरल

जर्मनी का प्रमुख सहयोगी रहा है। उसने न केवल भारत को सम्पूर्ण टेलीविज़न-संयंत्र भेंट किए वरन् भारत में टेलीविज़न सेवा के निर्माण में उसने विशेषज्ञों की सेवाएं भी प्रदान की। बम्बई में आपसी सहयोग से एक टेलीविज़न-केन्द्र खोला गया है।

छापखाने

देश में शिक्षा के प्रसार तथा पुस्तकों की बढ़ती हुई माँग को देखते हुए आधुनिक किस्म के छापखानों का महत्त्व बढ़ा। फलस्वरूप जर्मनी ने इस दिशा में भारत की सहायता करना स्वीकार किया। चण्डीगढ़ (पंजाब) में उसके सहयोग से एक विशाल और आधुनिक मशीनों वाला छापाखाना खोला गया जो पाठ्य-पुस्तकें छापने का कार्य करता है।

प्रथम युग की समीक्षा

आडेनावर की विदेश-नीति यद्यपि अपने मूल लक्ष्य—देश के एकीकरण की प्राप्ति में असफल रही लेकिन इसके बावजूद उसने विदेश-नीति के क्षेत्र में कई उपलब्धियां प्राप्त कीं।[5] उसने जर्मनी के लिए सार्वभौम सत्ता प्राप्त की, फ्रांस की मुख्य सेना शामिल की, ब्रिटेन को मित्र बनाया तथा अमरीका का सुरक्षा कवच प्राप्त किया। आडेनावर का दावा है कि फ्रांसीसी जर्मन सहयोग-सन्धि उसकी महान् सेवा है। उसने बहिष्कृत जर्मन देश को सम्मान्य राष्ट्रों की श्रेणी में ला खड़ा किया तथा आर्थिक दृष्टि से उसे एक महान् देश बनाया। विदेशी सहायता के माध्यम से उसने विकासशील देशों की मैत्री तथा सम्मान प्राप्त किया।

विदेश-नीति का द्वितीय युग 1966–77

आडेनावर के पश्चात् तीन वर्ष तक लुडविग एरहार्ड चांसलर के पद पर रहा। उसने लगभग उसी विदेश-नीति का पालन किया जो उसके पूर्वगामी ने आरम्भ की थी। लेकिन 1966 में जब क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की मिली-जुली वृहद्-सरकार (ग्रान्ड कोलीशन) बनी और इसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता विली ब्रांट को वाइस चांसलर (उप प्रधानमंत्री) तथा विदेश मंत्री नियुक्त किया गया तो विली ब्रांट ने इस शर्त पर सरकार में शामिल होना स्वीकार किया कि पूर्वी यूरोप के देशों के साथ सम्बन्धों को सुधारा जाए तथा उन्हें मुख्य आधार प्रदान किया जाए। इस दृष्टि से 1966 का वर्ष पश्चिमी जर्मनी की विदेश-नीति के इतिहास में एक मील का पत्थर है, एक निर्णायक वर्ष है। इसी वर्ष से जर्मन विदेश-नीति के अन्तर्गत एक नया अध्याय आरम्भ होता है जिसे ओस्ट पोलिटिक कहा जाता है। ओस्ट पोलिटिक का अर्थ होता है पूर्वी देशों के प्रति नीति। यहां पूर्वी देशों से तात्पर्य पूर्वी यूरोप के देशों से है।[3]

आडेनावर युग में पूर्वी यूरोपीय देशों में सिर्फ सोवियत संघ को ही महत्त्व दिया गया लेकिन उसके साथ भी मधुर सम्बन्ध नहीं रहे। उसकी नीति थी शक्ति-

चान्सलर विली ब्राण्ट ने कहा— सोवियत संघ के साथ यह संधि युद्धोपरांत जर्मनी की नीति की सफलता है। सोवियत संघ तथा हमारे पूर्वी पड़ोसियों के साथ हमारे सम्बन्ध सुधारने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम है।

इस संधि की प्रमुख धाराएं इस प्रकार हैं —

(1) फेडरल जर्मनी तथा सोवियत संघ अन्तर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना तथा तनाव शैथिल्य के लक्ष्य की प्राप्ति को अपनी नीतियों का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य मानते हैं।

वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि अपने प्रयासों द्वारा यूरोप में स्थिति को सामान्य बनाने की नीति को बनाये रखेंगे तथा समस्त यूरोपीय देशों के मध्य शांतिपूर्ण सम्बन्धों में वृद्धि करेंगे और ऐसा करते समय वे इस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के आधार पर ही आगे बढ़ेंगे।

(2) फेडरल जर्मनी तथा सोवियत संघ अपने आपसी सम्बन्धों में तथा साथ ही साथ यूरोपीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के कार्य में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में उल्लिखित उद्देश्यों व सिद्धांतों से संचालित होंगे। तदनुसार वे संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 2 के अनुवर्ती अपने आपसी विवादों का समाधान एक मात्र शांतिपूर्ण साधनों से करेंगे तथा वे यह वचन देते हैं कि अपने आपसी मामलों के साथ ही साथ यूरोपीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामलों में सैनिक शक्ति के उपयोग या धमकी से दूर रहेंगे।

(3) उपरिलिखित उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों के अनुसार फेडरल जर्मनी तथा सोवियत संघ समान रूप से अनुभव करते हैं कि यूरोप में तभी शांति स्थापित रह सकती है जब कोई भी राष्ट्र वर्तमान सीमाओं का अतिक्रमण न करे।

—वे बिना किसी आरक्षण के यूरोप के सभी देशों की वर्तमान सीमाओं के अन्तर्गत प्रादेशिक अखण्डता का सम्मान करने की प्रतिज्ञा करते हैं।

—वे यह घोषणा करते हैं कि किसी भी राष्ट्र के विरुद्ध उनका कोई प्रादेशिक दावा नहीं है न भविष्य में ही वे ऐसे दावों पर जोर देंगे।

—वे आज भी मानते हैं तथा भविष्य में भी मानते रहेंगे कि सभी यूरोपीय देशों की सीमाओं को जैसी कि वे इस संधि पर हस्ताक्षर करने की तिथि के दिन है—अनुल्लंघनीय मानेंगे। इन सीमाओं में ओडर नाईसे रेखा भी है जो पोलैण्ड गणराज्य की पश्चिमी सीमा है।

(4) फेडरल जर्मनी तथा सोवियत संघ के बीच सम्पन्न इस संधि से दोनों पक्षों द्वारा पहले की गई द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

इस सधि पर जमना का ग्रार म विदेशी ब्राण्ट तथा वाल्टरशाल (विदेश मत्री) तथा सोवियत सघ को ग्रोर स प्रधान मत्री एलेक्सई एन कोसिगन तथा विदेश मत्री एन्ड्राई ए ग्रोमिको न हस्ताक्षर किए । 1 मई 1972 को जमन ससद् ने इस सन्धि पर स्वीकृति प्रदान की ।

ग्राधुनिक यूरोप के इतिहास म इस सन्धि का निर्णायक महत्व है । इसके साथ ही पूर्वी तथा पश्चिमी यूरोप के बीच तनाव शथिल्य का वातावरण बनना गया ग्रौर सारी यूरोप की सुरक्षा का माग प्रशस्त हुग्रा । सोवियत कम्युनिष्ट पार्टी के प्रमुख पत्र प्रावदा न इस सम्बन्ध म लिखा कि यह सन्धि फडरल जमनी का राज नीतिक शक्तियो व शान्तिवादी जनमानस की विजय है । यहा यहउल्लेखनीय है कि फडरल जमना ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह शान्तिपूर्ण तरीके से दोनो जमन राज्यो के एकीकरण का प्रयास करता रहेगा ।

पोलेण्ड के साथ सधि

पोलण्ड को हिटलर के क्रूर ग्राक्रमण का शिकार होना पडा । ग्रत वहा की जनता म जमन राष्ट्र के प्रति घृणा थी । विली ब्राण्ट को ही इस बात का श्रय दिया जाना चाहिए कि उन्मन पोलण्ड का जनता का विश्वास जीता । यद्यपि पोलण्ड न 18 फरवरी 1955 का जमना के साथ युद्ध की स्थिति की समाप्ति की घोषणा कर दी थी लकिन दोना देशा के मध्य तनाव बराबर बना हुग्रा था । जसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि जमनी के विभाजन के समय कुछ जमन प्रदेश पोलण्ड के प्रशासन म सौप गय थ तथा यह तय किया गया कि बाद म इन प्रदेशो के भाग्य का निर्णय किया जाएगा लकिन पोलण्ड ने उस ग्रधिकृत जमन प्रदेश को ग्रपन म मिला लिया ग्रौर उस डर था कि भविष्य म जमनी इस प्रदेश पर दावा कर सकता है लकिन पोलण्ड यह प्रदेश ग्रब नहा दना चाहता था। दोना देशो के बीच तनाव का एक कारण यह सीमा समस्या भी थी ।

7 माच 1963 को फडरल जमनी तथा पोलण्ड न व्यापार-समझौता किया जिसस दोना देशो को ग्रार्थिक लाभ हुग्रा । 1966 (माच 26) को फडरल जमनी न शांति स्थापनाथ एक पत्र पोलण्ड भजा । ग्रागामी तीन वर्षों तक दोना देशा के मध्य सहयोग व सधि के सम्बन्ध म पत्राचार होता रहा । 17 मई 1969 को पोलण्ड के साम्यवादी दल के नता ब्लादिस्लाव गोमुल्का न यह प्रस्ताव रखा कि यदि जमनी ग्रोडर-नाइस नदी को पोलण्ड की पश्चिमी सीमा स्वीकार कर ल ता दोनो देशो के मध्य सधि हो सकती है । ब्राण्ट न इस विषय पर वार्ता करन का कहा । 4 फरवरी 1970 से 7 फरवरी 1970 के बीच पोलण्ड की राजधानी वार्सा म दोना के बीच वार्ता चली जिसस सद्भावना व सहयोग का वातावरण बना । 7 दिसम्बर 1970 को दोना पक्षों के बीच सामान्य सम्बन्ध निर्माण की सधि हुई । इस सधि की धाराए इस प्रकार थी—

(1) संघीय जर्मनी तथा पोलैण्ड ने पाट्सडम-समझौते (2 अगस्त 1945) के नौवें अध्याय में उल्लिखित वर्तमान सीमा को स्वीकार किया। यह सीमा ओडर-नाइस नदियों द्वारा निर्मित होती है। उन्होंने वर्तमान सीमाओं की अनुल्लंघनीयता की पुष्टि की तथा भविष्य में इनका सम्मान करने का वचन दिया। उन्होंने घोषणा की कि वे एक दूसरे के विरुद्ध किसी भी प्रकार के प्रादेशिक दावे नहीं रखते न भविष्य में ही ऐसा करेंगे।

(2) संघीय जर्मनी व पोलैण्ड अपने पारस्परिक सम्बन्धों के साथ ही साथ यूरोपीय व अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने में संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में उल्लिखित उद्देश्यों व सिद्धान्तों से संचालित होंगे। तदनुसार वे संयुक्त राष्ट्र-संघ के चार्टर के अनुच्छेद 1 तथा 2 के अनुवर्ती अपने सभी विवादों का निपटारा एक मात्र शांतिपूर्ण तरीकों से करेंगे तथा अपने पारस्परिक सम्बन्धों तथा यूरोपीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामलों में शक्ति के प्रयोग या उसकी धमकी से दूर रहेंगे।

(3) संघीय जर्मनी तथा पोलैण्ड सम्बन्धों को पूर्णतया सामान्य बनाने तथा अपने पारस्परिक सम्बन्धों को विशद रूप में विकसित करने के लिए आगे कदम उठायेंगे।

वे यह स्वीकार करते हैं कि आर्थिक वैज्ञानिक तकनीकी सांस्कृतिक व अन्य सम्बन्धों में सहयोग का विस्तार उनके आपसी हित में है।

(4) वर्तमान सन्धि सम्बद्ध पक्षों द्वारा पहले किए गए द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौतों को प्रभावित नहीं करती।

संघीय जर्मनी की ओर से इस सन्धि पर विली ब्राण्ट तथा वाल्टर शील ने तथा पोलैण्ड की ओर से जोजफ सिराकीविक्ज तथा स्टीफन जडीकोवस्की ने हस्ताक्षर किये।

वारसा में सन्धि पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् पोलैण्ड के प्रधान मन्त्री जोजफ सिराकीविक्ज ने कहा "इस सन्धि की एक ऐतिहासिक भूमिका है वह हम दोनों राष्ट्रों तथा समग्र यूरोप के लिए लाभदायी सद्भाव का मार्ग प्रशस्त करेगा" विली ब्राण्ट ने प्रत्युत्तर में कहा—"यह हम दोनों राष्ट्रों के लिए एक विशेष दिन है। इस सन्धि से एक नवीन शुरुआत होगी। मेरी सरकार की नीति तनाव शैथिल्य की नीति है। इस प्रकार सद्भावपूर्ण कदम उठाने होंगे।" पोलैण्ड के साथ सन्धि सम्पन्न होने के साथ यूरोप में शांति के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार हुआ। जर्मन बुन्डस्टाग ने मई 1972 में इस सन्धि की भी स्वीकृति प्रदान की।

विली ब्राण्ट को नोबल पुरस्कार (1971)

सन् 1971 पश्चिमी जमनी क इतिहास म सदैव स्मरण रखा जाएगा। इस वष चान्सलर विली ब्राण्ट का विश्व विख्यात नोबल शान्ति-पुरस्कार प्रदान किया गया। यह जमनी की शान्ति-पूर्ण विश्व-शान्ति की सफलता का उच्चतम प्रतीक था। इस अवसर पर पश्चिमी जमनी क राष्ट्रपति गुस्ताफ हाइनमान न कहा— आज का विश्व कई तरह स खतर म पड़ा है और नाना एस पुरुषों व स्त्रियों की तलाश म है जिनम विश्वास व्यक्त किया जा सक नोबल पुरस्कार समिति न विली ब्राण्ट को नोबल शान्ति-पुरस्कार दकर उनम विश्वास व्यक्त किया ह।

नोबल पुरस्कार-समिति न विली-ब्राण्ट को नोबल शान्ति पुरस्कार दन क कारणों का उल्लख करत हुए कहा कि पश्चिमी जमनी क नता क रूप म तथा जमन जनता की ओर स विली ब्राण्ट न उन लोगों व राष्ट्रों क प्रति मत्री का हाथ बढ़ाया जो दीघकाल स शत्रु थ। उन्होंने यूरोप म शान्ति क लिए सद्भावना की दिशा म पूर्वपोषित वातावरण तयार करन म असाधारण सफलता प्राप्त की है। समिति न आग कहा— 1966 म विदश मन्त्री क रूप म तथा 1969 म चान्सलर क रूप म विली ब्राण्ट न तनाव शथिल्य क लिए वातावरण तयार करन की दिशा म सुनिश्चित कदम उठाए हैं तथा पोलण्ड व सोवियत सघ क साथ बल प्रयोग परित्याग सन्धि पर हस्ताक्षर किय है।

विली ब्राण्ट न नार्वे की राजधानी ओस्लो म 10 दिसम्बर 1971 को नोबल शान्ति पुरस्कार स्वीकार करन के पश्चात कहा— मुझ अत्यधिक खुशी है कि मर दश का नाम शान्ति की इच्छा के साथ जोड़ा जा रहा है। विली ब्राण्ट न कहा— आपसी विनाश स बचन का एक ही रास्ता है और वह है पारस्परिक सुरक्षा। साथ ही आग कहा— युद्ध राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन नहीं होना चाहिए। युद्ध को सीमित नहीं वरन् पूणत समाप्त करना होगा।

जनवादी (पूर्वी) जमनी के साथ सन्धि

हिटलर की पराजय क पश्चात् जमनी को 1945 म मुख्यत चार भागों म बाटा गया। 1949 म आगे आत रूस अधिकृत पूर्वी जमन प्रदेश म साम्यवादी शासन पद्धति के आधार पर जनवादी जमन राज्य का निर्माण किया गया तथा अमरिका ब्रिटेन व फ्रास क अधिकृत क्षेत्रों को मिलाकर पश्चिमी जमनी या सघीय जमन गणराज्य की रचना की गई जहा पश्चिमी जनतन्त्रीय पद्धति अपनायी गई। पूर्वी जमनी रूस द्वारा स्थापित वारसा सनिक सगठन का सदस्य बना तथा पश्चिमी (सघीय) जमनी अमरिका द्वारा प्रस्तावित उत्तर अतलान्तिक सन्धि-सगठन का सदस्य बना। इस प्रकार विचारधारा तथा सन्य सगठन की सदस्यता की दृष्टि स दोनों जमन राज्य एक-दूसर के नयकर विरोधी हो गए। पश्चिमी जमनी न पूर्वी जमन राज्य के अस्तित्व से ही इन्कार किया तथा उस सोवियत अधिकृत जमन प्रदेश की सज्ञा दी।

साथ ही यह दावा भी किया कि पश्चिमी जर्मन राज्य ही समस्त जर्मन जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अडेनावर का कहना था कि पूर्वी जर्मनी में निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र चुनाव नहीं हुए हैं अतः पश्चिमी जर्मनी ही समस्त जर्मन जनता की सच्ची व सही प्रतिनिधि है।

विश्व के अन्य देश यहां पूर्वी जर्मन राज्य को राजनीतिक मान्यता न दें इसी तथ्य से प्रेरित होकर अडेनाअवर युग के आरम्भ में हालस्टाइन सिद्धान्त का जन्म हुआ। इसका उल्लेख विस्तार से पहले किया जा चुका है। यद्यपि दोनों जर्मनी के नेता एक दूसरे का कट्टर विरोध करते रहे फिर भी जनता दोनों के एकीकरण के पक्ष में थी क्योंकि जर्मन नागरिकों के सम्बन्धी व मित्र दोनों राज्यों में फैले हुए थे। दोनों राज्यों के नेता देश के एकीकरण की बात करते रहे लेकिन उनकी शर्तें अलग अलग थीं। पश्चिमी जर्मनी समस्त जर्मनी को एक जनतन्त्रीय राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था तथा पूर्वी जर्मनी इसे एक साम्यवादी राष्ट्र के रूप में।

बर्लिन की समस्या और भी अधिक विकट थी। यह नगर पूर्वी जर्मन राज्य के मध्य में स्थित है और पश्चिमी बर्लिन पश्चिमी जर्मनी के साथ था तथा पूर्वी बर्लिन पूर्वी जर्मन राज्य के अधिकार में। 1948 में पहली बार स्टालिन ने बर्लिन नगर की नाकेबन्दी कर पश्चिमी बर्लिन की जनता को पूर्वी जर्मन राज्य में मिलने को प्रेरित करना चाहा लेकिन अमरीका ब्रिटेन व फ्रांस द्वारा वहां वायुयानों से रसद व अन्य सामग्री पहुंचाई। वायुयानों का प्रयोग इसलिए करना पड़ा क्योंकि पूर्व जर्मन सरकार ने स्थल मार्ग बन्द कर दिया था। पूर्वी जर्मनी ने पश्चिमी जर्मनी के नागरिकों द्वारा स्थल मार्ग से पश्चिमी बर्लिन में प्रवेश पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया था। वे लोग अमरीकी फ्रांसीसी या ब्रिटिश वायुयानों से उड़कर ही पश्चिमी बर्लिन पहुंच सकते थे।

1961 में पूर्वी जर्मन सरकार ने पूर्वी बर्लिन व पश्चिमी बर्लिन के बीच एक कांक्रीट दीवार बना दी ताकि पूर्वी बर्लिन से लोग पश्चिमी बर्लिन में न जा सकें। पश्चिमी जर्मनी अमरीका ब्रिटेन व फ्रांस ने सोवियत संघ से विरोध प्रकट किया लेकिन दीवार बनी रही।

1966 में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की मिली जुली संयुक्त सरकार बनी तब विली ब्राण्ट उप प्रधानमंत्री (चांसलर) तथा विदेश मन्त्री के पद पर आसीन हुए। इन्होंने पूर्वी जर्मनी के साथ सम्बन्ध सुधारने की दिशा में पहल की। यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त सरकार में प्रवेश करने से पूर्व सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने पूर्वी जर्मनी के प्रति नवीन नीति अपनाने की बात की थी। सोशल डेमोक्रेट नेता ब्राण्ट की मान्यता थी कि शीत युद्ध की नीति से जर्मनी के एकीकरण का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है अतः तनाव शैथिल्य की नीति का अनुसरण करके वह लक्ष्य प्राप्त किया जाए। ब्राण्ट ने अपने

दल के नता के रूप मे पूर्वी जमनी क नताग्रा को पत्र लिखे तया दोना रा्यों क नताम्रो द्वारा एक दूसरे के क्षेत्र म जाकर मापए देन का प्रस्ताव रखा। साथ ही दन के सभी स्तरा पर ग्रापसी सम्पक की बात की गइ। न्किन पूर्वी जमनी क नेताग्रा ने इस ग्रस्वीकार कर न्यिा।

फडरल जमनी क 28 वप क इतिहास म 1969 म पहली बार सोशियल डमोक्र टिक पार्टी न मुख्य पार्टी क रूप म फ्री डमाक्र टिक पार्टी क साथ मिनी-जुली लघु सरकार' (मिनी कोलीशन) बनाई। इस सरकार न पूर्वी जमनी स सम्बन्ध सुधारन का काय ग्रोर तज कर दिया। इ्ही प्रयासा के फ्लस्वरूप 1972 म दाना जमन रा्यो के बीच सम्बन्धा का ग्राधार बनान के लिए सधि क प्रारुप पर हस्ताक्षर हुए। फडरल जमनी व जनवादी (पूर्वी) जमन रा्य के बीच हुई सधि की व्यवस्थाए इस प्रकार हैं —

(1) फडरल जमनी व जनवादी जमनी समानता क ग्राधार पर एक दूसर क साथ ग्रच्छ पडोसी क सामा्य सम्बन्ध विकसित करेंगे।

(2) दाना देश सयुक्त राष्ट सघ के चाटर म उल्लिखित सिद्धान्ता म सचालित होंगे खासकर सभी राष्टा का सावभौम समानता स्वत त्रता के प्रति सम्मान स्वशासन प्रादशिक ग्रखण्डता तथा ग्रात्म निणय क ग्रधिकार मानव ग्रधिकारा की सुरक्षा तथा भदभाव का ग्रत करन की दिशा में प्रवत्त होंगे।

(3) सयुक्त राष्ट्र सघ चाटर के ग्रनुसार दोना रा्य एक मात्र शातिपूण तरीक से ग्रपन विवादो का समाधान करेंगे तथा शक्ति का प्रयोग या उसकी धमकी का प्रयाग नहीं करेंगे।
वे ग्रभी तथा भविष्य म एक दूसर की वतमान सीमा की ग्रनुलघ नीयता की पुष्टि करत हैं तथा उनकी प्रादशिक खण्डता क सम्मान का वचन दते हैं।

(4) दोनो दश इस मा्यता क साथ काय करेंगे कि दाना रा्या म स कोई भी रा्य ग्र तराष्टीय क्षेत्र म दसरे का प्रतिनिधित्व नहा कर सकता या उसके नाम पर काय नही कर सकता।

(5) दाना देश यूरोपीय रा्यों क बीच शातिपूण सम्बन्धा को प्रोत्साहित करेंगे तथा यूरोप म शाति व सहयोग की दिशा म काय करग।
व यूरोप म सना तथा शस्त्रों की स ्या म कमी करन सम्बन्धी प्रयासों का समथन करेंगे।

(6) दाना राष्ट इस सिद्धान्त को मानकर चलेंगे कि दोना रा्यों का क्षत्रा धिकार उनकी सीमा तक सीमित हैं। वे ग्रातरिक व विदेशी मामलों म एक दूसर की स्वत त्रता का सम्मान करेंगे।

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के प्रथम व द्वितीय अनुच्छेद के अनुसार व अपने आपसी विवादों का समाधान एक मात्र शान्तिपूर्ण तरीके से करेंगे तथा यूरोपीय व अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामलों तथा अपने पारस्परिक मसलों में बल प्रयोग या उसकी धमकी नहीं देंगे।

(५) उपरिलिखित उद्देश्यों व सिद्धान्तों के अनुकूल दोनों देश वर्तमान सीमा की अनुलंघनीयता की पुष्टि करते हैं तथा अभी या भविष्य में बिना किसी आरक्षण के एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता का सम्मान करने का वचन देते हैं।

(६) दोनों देश अपने पारस्परिक सम्बन्धों के विस्तार विकास के लिए और कदम उठाएँगे। वे स्वीकार करते हैं कि आर्थिक व वैज्ञानिक क्षेत्र में अपने वैज्ञानिक तथा तकनीकी सम्बन्धों में तथा प्राकृतिक वातावरण के रक्षण, अनुकूल यातायात व अन्य क्षेत्रों में परस्पर सहयोग करेंगे जो दोनों के हित में होगा।

फेडरल जर्मनी की ओर से इस सन्धि पर विली ब्राण्ट तथा वाल्टर शील (विदेश-मंत्री) तथा चेकोस्लोवाकिया की ओर से लुबोमीर स्ट्रोगल (प्रधानमन्त्री) तथा बोहुस्लाव छनोउपक (विदेश-मंत्री) ने हस्ताक्षर किए।

ओस्ट पोलिटिक की समीक्षा

विली ब्राण्ट ने 1964 में कहा था— आर्थिक दृष्टि से फेडरल जर्मनी एक भीमकाय व्यक्ति है और राजनीतिक दृष्टि से बौना। इस बौने फेडरल जर्मनी को सतुलित व्यक्तित्व प्रदान करना जरूरी था। आडेनावर युग में पश्चिमी राष्ट्रों के साथ मुदृढ़ सम्बन्ध स्थापित हो चुके थे और फेडरल जर्मनी ने आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। लेकिन जब तक पूर्वी यूरोप के देश फेडरल जर्मनी को मान्यता नहीं देते तब तक उसका अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व असतुलित था साथ ही जर्मनी के एकीकरण की दिशा में सोचा भी नहीं जा सकता था। अतः समय की माँग थी कि पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाए जाएँ और विली ब्राण्ट ने यह कर दिखाया। 1969 में अपनी नीति की घोषणा करते हुए विली ब्राण्ट ने कहा— पूर्वी यूरोप के प्रति हमारी नीति शान्ति-नीति के अलावा कुछ और नहीं हो सकती। इस प्रकार ओस्ट पोलिटिक का आविर्भाव हुआ और 1970 में रूस और पोलैण्ड के साथ बल प्रयोग-परित्याग सन्धि पर हस्ताक्षर हुए। उसके साथ ही यूरोप की तनाव पूर्ण परिस्थिति में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। विली ब्राण्ट ने इस प्रकार विश्व शान्ति के लिए मार्ग प्रशस्त किया। मानवता व शान्ति के प्रति उसकी सेवाओं को देखते हुए 1971 में नोबल-पुरस्कार-समिति ने विली ब्राण्ट को शान्ति के लिए नोबल पुरस्कार देकर सम्मानित किया। यह पुरस्कार फेडरल जर्मनी व विली ब्राण्ट के

लिए एक अपूर्व सम्मान था तथा यह जर्मनी की शांतिवादी नीति का चरम प्रतीक भी था। बाद में जनवादी जर्मनी तथा चेकोस्लोवाकिया के साथ संबंध सुधार कर शांति स्थापना के इतिहास में नए अध्याय का श्री गणेश किया गया। ओस्ट पालिटिक विली ब्राण्ट तथा शांति का पर्याय बन गई। जर्मनी ने इस नीति के माध्यम से पूर्वी तथा पश्चिमी यूरोप के बीच पुल का कार्य करने का सफल प्रयास किया। 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विली ब्राण्ट को पत्र लिख कर आशा व्यक्त की कि राष्ट्रों के मध्य सहयोग व सद्‌भावना का आपका लक्ष्य आगे भी सफल होगा। ये वाक्य ओस्ट पोलिटिक के महत्त्व को स्पष्ट करते हैं।

जर्मनी तथा संयुक्त राष्ट्र संघ

प्रारम्भ से ही जर्मनी की यह इच्छा रही कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बने तथा विश्व शांति एवं सहयोग में योगदान दे। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने पर जर्मनी का विभाजन हो जाता क्योंकि फेडरल जर्मनी अभी संयुक्त जर्मनी का प्रतिनिधि नहीं बन सकता था। लेकिन विश्व के विकास में सहयोग देने के लिए उसने इसकी कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सदस्यता प्राप्त की तथा उन्हें भारी मात्रा में आर्थिक मदद दी। संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा जर्मनी जिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सदस्य बना उनके नाम इस प्रकार हैं —

(1) अन्तर सरकारी जहाजी व्यापार सलाहकार संगठन जर्मनी 7 जनवरी 1957 को इसका सदस्य बना।

(2) अंतर्राष्ट्रीय परिमाणु ऊर्जा एजेन्सी (1 अक्तूबर 1957 को सदस्यता प्राप्त)।

(3) अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (8 जून 1956)।

(4) विश्व डाक संघ (1955)।

(5) संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (21 जून 1952)।

(6) खाद्य एवं कृषि संगठन (10 नवम्बर 1950)।

(7) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (12 जून 1951)।

(8) अन्तर्राष्ट्रीय बैंक–पुनरचना व विकास (14 अगस्त 1952)।

(9) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (संस्थापक सदस्य)।

(10) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (संस्थापक सदस्य)।

(11) अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ (17 अप्रैल 1952)।

(12) विश्व-स्वास्थ्य संगठन (29 मई 1951)।

(13) विश्व ऋतु विज्ञान संगठन (10 जुलाई 1954)।

(14) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा (मानिटेरी) कोष (14 अगस्त 1952)।

फडरल जमनी के सयुक्त राष्ट्र सघ की जिन सहायक अन्तराष्ट्रीय सस्थाओं की सदस्यता प्राप्त की उनके नाम इस प्रकार हैं—

(1) सयुक्त राष्ट्र-सघ औद्योगिक विकास सगठन (सस्थापक सदस्य)।
(2) सयुक्त राष्ट्र-सघ विकास-कायक्रम (सस्थापक सदस्य)।
(3) फिलीस्तीन शरणार्थियो के लिए सयुक्त राष्ट्र-सघ राहत-काय एजन्सी (1952)।
(4) सयुक्त राष्ट्र सघ व्यापार व विकास-सगठन (1964)।
(5) यूरोपीय आर्थिक आयोग (21 फरवरी 1956)।
(6) सयुक्त राष्ट्र-सघ-बाल-सहायता-कोष।
(7) सयुक्त राष्ट्र-सघ शरणार्थी-उच्चायुक्त (आरभ से सहायता)।
(8) सयुक्त राष्ट्र सघ प्रशिक्षण एव शोध-सस्था (1963)।

उपरिलिखित सभी अन्तराष्ट्रीय सस्थाओं को फडरल जमनी ने काफी मात्रा म आर्थिक सहायता प्रदान की जिसका विवेचन निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है।

सयुक्त राष्ट्र सघ की सस्थाओं को फेडरल जमनी द्वारा दी गई आर्थिक सहायता (1960–1971)

सस्था	आर्थिक सहायता (मिलियन मार्क में)
(1) सयुक्त राष्ट्र सघ व्यापार व विकास-सम्मलन	12 692
(2) सयुक्त राष्ट्र-सघ विकास-कायक्रम	392 320
(3) सयुक्त राष्ट्र बाल सहायता-कोष	73 972
(4) सयुक्त राष्ट्र सघ राहत काय सघ	60 384
(5) अन्तराष्ट्रीय श्रम सगठन	56 095
(6) खाद्य व कृषि-सगठन	85 568
(7) शैक्षणिक वज्ञानिक व सास्कृतिक सगठन	74 445
(8) विश्व-बक	172 252
(9) विश्व-स्वास्थ्य सगठन	135 390
(10) अ तर्राष्ट्रीय विकास-बक	1184 629

उक्त सस्थाओं तथा अय म थाओं को फिडरल जमनी ने 1960–1971 की अवधि म 26430 208 लाख मार्क प्रदान किए। इस प्रकार फडरल जमनी अन्तराष्ट्रीय सहयोग सद्भावना व विकास की दिशा म महत्वपूर्ण योगदान की ओर अग्रसर हुआ।

22 जून 1972 को सयुक्त राष्ट्र-सघ की सुरक्षा-परिषद न सवसम्मति म महासभा को सिफारिश की कि पूव तथा पश्चिमी जमनी को सयुक्त राष्ट्र सघ की

सदस्यता प्रदान का जाए। 18 सितम्बर 1973 का फडरल जमना का इस महान् अन्तराष्ट्रीय सगठन का सदस्यता प्रदान की गई तथा फडरल जमनी सयुक्त राष्ट्र सघ का 134 वा सदस्य दना। 26 सितम्बर 1973 का सयुक्त राष्ट्र-महासभा म भाषण दत हुए फडरल जमनी क चान्सलर विली ब्राण्ट न कहा— हम यहा इसलिए नहीं आए हैं कि सयुक्त राष्ट्र-सघ क मच का जमन समस्या क लिए आलोचना या माग क लिए प्रयुक्त किया जाए। हम यहा विश्व भावना स सम्बद्ध उत्तरदायित्व में हिस्सा बटान आए हैं। फडरल जमनी यूराप म शाति की स्थिति उत्पन्न करन का प्रयास करगा। बल प्रयाग क परित्याग की नीति हमारी शाति-नीति का प्रथम तत्त्व है और रहगा। श्री ब्राण्ट न आग कहा— सयुक्त राष्ट्र-सघ—पूर्ण विनाशक युद्ध की चुनौती का उत्तर है—विश्व मानवता क शाति प्रयासा क सदिया पुरान सपन का दपण है इसक लिए सभी राष्ट्रा को एकजुट होकर काय करना हागा।

□□□

अनुलेख (पोस्ट-स्क्रिप्ट)

पिछले पृष्ठो मे 1975 तक के घटना चक्र का उल्लेख किया गया है। उसके बाद 1976 मे पश्चिमी जमनी मे बुन्देसटाग (लोकसभा) के चुनाव हुए लेकिन सरकारी स्तर पर स्थिति वही बनी रही। 3 अक्टूबर 1976 को बुन्देसटाग के चुनावो म सोशल डमोक्रेटिक पार्टी फ्री डमोक्र टिक पार्टी तथा क्रिश्चियन डमोक्र टिक यूनियन ने (तथा यूनियन की सखी पार्टी क्रिश्चियन सोशल यूनियन जो बवेरिया म सक्रिय है) भाग लिया। 1976 के इन चुनावा से पहले भी पश्चिमी जमनी मे सोशल डेमोक्रटिक पार्टी व फ्री डमोक्र टिक पार्टी की मिली जुली सरकार थी और इन चुनावो के बाद भी वहा पुन उन्ही की सरकार बनी। चान्सलर पद के लिए सोशल डेमोक्र टिक पार्टी के नेता हेलमुठ श्मिडट पुन चुने गए। विरोधी पक्ष (क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन) के नेता हेलमुठ कोहल भी चान्सलर पद के उम्मीदवार थे। यह सयोग की बात है कि 1976 मे चान्सलर पद के दो दावेदार थे दोनो के नाम हेलमुठ से आरम्भ होते थे एक हेलमुठ श्मिडट तथा दूसरे हेलमुठ कोहल।

पश्चिमी जमनी मे 3 अक्टूबर 1976 को आयोजित चुनावो का परिणाम इस प्रकार रहा —

बुन्देसटाग के चुनाव

दल का नाम	1976 प्राप्त सीटें	1976 प्रतिशत	1972 प्राप्त सीटें	1972 प्रतिशत
सोशल डमोक्र टिक पार्टी	214	42 6	230	45 8
क्रिश्चियन डमोक्र टिक यूनियन	190	38 0	177	35 2
क्रिश्चियन सोशल यूनियन	53	10 6	48	9 7
फ्री डमोक्रटिक पार्टी	39	7 9	41	8 4
नशनल डमोक्रेटिक पार्टी	—	0 3	—	–
जमन साम्यवादी दल	—	0 3	—	—

उक्त तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि 1972 के चुनावो की तुलना म 1976 म सोशल डमोक्र टिक पार्टी तथा उसकी सहयोगी फ्री डमोक्र टिक पार्टी को अपेक्षाकृत कम प्रतिशत मत मिले इस प्रकार उनकी स्थिति कुछ कमजोर हुई। इसके बावजूद सोशल डमोक्रेटिक पार्टी व फ्री डमोक्र टिक पार्टी मिलकर सरकार का निर्माण करने म सफल रही। उधर क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन और बवेरिया

स्थित क्रिश्चियन सोशल यूनियन ने अपने मतों में वृद्धि की ये दोनों दल बुन्डेसटाग में एक दल के रूप में बैठते हैं और इस दृष्टि से देखा जाए तो 1976 के चुनावों में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन सबसे बड़े दल के रूप में उभरी इसके नेता हेलमुट कोल ने पश्चिमी जर्मन राष्ट्रपति वाल्टर शील से निवेदन किया कि बुन्डेसटाग में सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता के रूप में उन्हें सरकार बनाने का निमन्त्रित किया जाय। हेलमट श्मिट ने फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हान्स डिट्रिश गेन्शर से कहा कि वह क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के साथ मिलकर सरकार बनाए लेकिन गेन्शर ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उधर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष विलि ब्राण्ट तथा फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हान्स डिट्रिश गेन्शर ने पश्चिमी जर्मन राष्ट्रपति वाल्टर शील से भेंट की तथा कहा कि सोशल डेमोक्रेट व फ्री डेमोक्रेट दोनों मिलकर सरकार का निर्माण करना चाहते हैं दोनों दलों को मिलाकर बुन्डेसटाग में उनका बहुमत है अतः उनके नेता के रूप में हेलमुट श्मिट को चान्सलर के रूप में उम्मीदवार के रूप में बुन्डेसटाग के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। जैसा कि बेसिक ला (मूलभूत विधि या संविधान के 63 वें अनुच्छेद) में स्पष्ट कहा गया है—राष्ट्रपति बुन्डेसटाग के सदस्यों के समक्ष चान्सलर पद के प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित करता है। वाल्टर शील ने हेलमुट श्मिट का नाम चान्सलर पद के लिए प्रस्तावित किया। 15 दिसम्बर 1976 को बुन्डेसटाग ने श्मिट को चान्सलर के रूप में चुना। फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हान्स डिट्रिश गेन्शर को वाइस चान्सलर (उप प्रधान मन्त्री) बनाया गया इसके साथ ही गेन्शर ने विदेश मन्त्री पद भी सम्भाला।

मार्च 1977 में भारत में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता सरकार का गठन हुआ तो शीघ्र ही पश्चिमी जर्मनी के विदेश मन्त्री गेन्शर ने भारत की सद्भावना यात्रा की। अपनी भारत यात्रा के दौरान श्री गेन्शर ने विदेश मन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा प्रधान मन्त्री श्री देसाई के साथ भेंट की और पहले से चले आ रहे भारत पश्चिमी जर्मन सम्बन्धों को और अधिक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। पश्चिमी जर्मनी विदेशी राष्ट्रों को जो आर्थिक विकास सहायता देता रहा है उनमें भारत प्रथम स्थान पर है।

पश्चिमी जर्मनी की आतरिक स्थिति को दृष्टि से देखा जाय तो 1977 में वहां आतंककारी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई। अप्रैल 1977 में आतंकवादियों ने पश्चिमी जर्मनी के संघीय सरकारी वकील बूबाक की हत्या कर दी। सितम्बर मास में वहां के एक बड़े मालिक का अपहरण किया गया तथा उसके बदले में कुछ आतंकवादी बन्दियों को रिहा करने की मांग की गई। बाद में उस मालिक की हत्या कर दी गई।

13 अक्टूबर 1977 को आतंकवादियों ने मैजार्को से फ्रैंकफुर्ट जाने वाले पर्याप्त यात्रियों सहित विमान लुफ्थहान्सा का अपहरण किया तथा पश्चिमी जर्मन जेलों

म आतकवादियो के नेता बान्र-मान्नहाफ तथा उसके अन्य सहयोगियो को रिहा करने की माग की गई। चार दिन तक इन हवाई डाकुओ ने विमान के यात्रियो को बधक बनाये रखा तथा लुफ्तहान्सा विमान का राम दुबाई व मोगादिशू के हवाई अड्डो पर ले जाया गया बाद म मोगादिशू के हवाई अड्डे पर विशेष जमन सुरक्षा दल (कमाण्डो) ने माफ के भुटपुटे म हवाई-दस्युओ पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। एक सौ दस घण्टे के इस लाम-हर्षक नाटक के बाद विमान यात्रियो ने चैन की सास ली। हलमुठ श्मिडट के नेतृत्व म पश्चिमी जमन सरकार को इस साहसिक कार्यवाही पर भारत अमरिका व फ्रास तथा अन्य राष्ट्रो के नेताओ ने बधाई दी।

1976-77 म पश्चिमी जमन सरकार ने विमानो के अपहरण के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया। पश्चिमी जमनी के विदेश मन्त्री हास डिएटरिश गन्शर ने सयुक्त राष्ट्र सघ स माग की कि अन्तर्राष्ट्रीय वायु मार्गो की सुरक्षा के लिए इन आतकवादी अपहरण घटनाओ को रोकने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय (कन्वेन्शन) स्वीकार किया जाए। पश्चिमी जमनी ने सुझाव दिया कि इन हवाई दस्युओ को कोई भी राष्ट्र शरण न दे तथा इन अपराधियो को या तो सम्बद्ध राष्ट्र को सौंप दिया जाए या जिस राष्ट्र के हवाई अड्डे पर वे मौजूद हैं वहीं उन पर मुकदमा चला कर सजा दी जाए। पश्चिमी जमनी के इस सुझाव पर हवाई दस्युओ के विरुद्ध अन्तराष्ट्रीय अभिसमय की रूप रेखा तयार हो चुकी है। इस प्रकार बान सरकार ने मानवता की सेवा की दिशा म एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

अक्टूबर 1977 म लुफ्तहान्सा विमान के अपहरण तथा पश्चिमी जमन कमाण्डो द्वारा उसकी रिहाई के बाद पश्चिमी जमन सरकार ने भारत सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा कि जमन अपने लुफ्तहान्सा विमानो की सुरक्षा के लिए भारत के हवाई अड्डो पर पश्चिमी जमन विशेष प्रशिक्षित सुरक्षा दल के सैनिक रखना चाहता है प्रस्ताव म यह भी कहा गया कि यदि भारत चाहे तो वह भी एयर इण्डिया के विमानो की सुरक्षा के लिए पश्चिमी जमनी के हवाई अड्डो पर भारत के विशेष दस्ते तनात कर सकता है। फिलहाल (अक्टूबर 1977) भारत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है।

आन्तरिक स्तर पर आतकवाद का मुकाबला करने के लिए पश्चिमी जमनी की सरकार ने अक्टूबर 1977 म विशेष कानून पारित किया है हलमुठ श्मिडट के नेतृत्व म पश्चिमी जमनी प्रगति की राह पर बढ रहा है आज पश्चिमी जमनी म सबसे कम बेकारी है उसके सिक्के मार्क का अन्तराष्ट्रीय मूल्य ऊचा है जमन मार्क सुदृढ व ठोस वाला सिक्का है।

□□□

बेसिक लॉ का हिन्दी अनुवाद

संसदीय परिषद (Parliamentary Council) द्वारा घोषणा

संवैधानिक परिषद् ने राइन नदी के तट पर स्थित बान नगर में 23 मई 1949 को इस तथ्य की पुष्टि की कि जर्मन संघीय गणराज्य (The Federal Republic of Germany) के लिए आधारभूत विधि (The Basic Law) को जिसे संवैधानिक परिषद् ने 8 मई 1949 को अंगीकृत किया संघ के सदस्य राज्यों (Laender) ने दो तिहाई से अधिक बहुमत से अभिपुष्ट किया। यह कार्य 16 से 22 मई 1949 के सप्ताह में सम्पन्न हुआ।

इस तथ्य के आधार पर संवैधानिक परिषद् के प्रतिनिधि के रूप में उसके अध्यक्ष ने आधारभूत विधि पर हस्ताक्षर कर उसे घोषित तथा प्रसारित किया।

बेसिक ला को धारा 145 के तीसरे परिच्छेद के अनुसार संघीय राजपत्र (Federal Law Gazette) में प्रकाशित किया जाना है।[1]

प्रस्तावना

जर्मनी के लोगों ने जो बादेन बवेरिया ब्रेमन हाम्बुर्ग हेस नोवर सक्सनी नार्थ राइन-वेस्टफालिया राइनलैण्ड-पेलेटीनेट श्लेसविग-होल्सटाइन व्यूर्टेम-बुर्ग बादेन तथा व्यूर्टेम बुर्ग-होहेन्ज़ोलेन के निवासी हैं ईश्वर तथा मानव के प्रति अपने उत्तरदायित्व के कारण सजग होकर यूरोप एक संयुक्त यूरोप में समान भागीदार के रूप में अपनी राष्ट्रीय व राजनीतिक एकता की सुरक्षा तथा विश्वशांति की सेवा के संकल्प से अनुप्राणित होकर संक्रमण-काल के लिए अपने राजनीतिक जीवन को एक नवीन व्यवस्था देने की इच्छा से प्रेरित होकर अपनी निर्वाचक शक्ति के आधार पर जर्मन संघीय गणराज्य के लिए इस आधारभूत कानून (The Basic Law) का अधिनियमन (Enact) किया है। उन्होंने उन जर्मन लोगों की ओर से भी यह कदम उठाया है जिन्हें इस कार्य में हिस्सा लेने से वंचित किया गया है। समस्त जर्मन जनता का आह्वान किया जाता है कि स्वतंत्र आत्मनिर्णय द्वारा जर्मनी की एकता एवं स्वतंत्रता प्राप्त करें।

(1) मूल अधिकार (Basic Rights)

अनुच्छेद 1 मानव गरिमा की सुरक्षा

(1) मानव की गरिमा अबाध्य होगी। इसका सम्मान तथा सुरक्षा राज्य का दायित्व होगा।

1 यह अधिसूचना फेडरल ला गजट के पहले अंक में दिनांक 23 मई 1949 को छपी।
2 अनुच्छेद 23 की पाद टिप्पणी देखिए

(2) इसलिए जर्मन जनता अहस्तान्तरणीय तथा अनुल्लघनीय मानव अधिकारों को प्रत्येक समुदाय विश्व शांति एव न्याय का आधार मानती है।

(3) निम्नलिखित मूल अधिकार प्रत्यक्ष प्रवर्तनीय (direct enforceable) कानून होंगे।[1] विधायिका कार्यकारिणी एव न्याय-पालिका इनसे बाध्य होगी।

अनुच्छेद 2 स्वतन्त्रता का अधिकार

(1) प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व में उन्मुक्त विकास का अधिकार होगा। यह अधिकार उसी सीमा तक प्राप्त होगा जहा तक वह दूसरे के अधिकारों या संवैधानिक व्यवस्था या नैतिक संहिता का उल्लंघन न करे।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार होगा तथा उसकी देह अबाध्य होगी। व्यक्ति की स्वतन्त्रता अलघ्य होगी। किसी विधि के आधार पर ही इन अधिकारों का अतिक्रमण किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 3 विधि के समक्ष समता

(1) सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे।

(2) पुरुष और स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त होंगे।

(3) किसी भी व्यक्ति के प्रति उसके लिंग वंश प्रजाति भाषा मातृभूमि जन्म स्थान आस्था या धार्मिक अथवा राजनीतिक विचारों के आधार पर कोई विभेद या पक्षपात नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 4 धर्म या पन्थ की स्वतन्त्रता

(1) विश्वास अंतरात्मा पंथ धर्म और विचारधारा सम्बन्धी स्वतन्त्रता (Weltan chaulsch) का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

(2) धार्मिक कार्यों में बाधा न डालने की गारंटी दी जाती है।

(3) किसी भी व्यक्ति को उसकी आत्मा के विरुद्ध ऐसी सैनिक सेवा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसमें हथियारों का प्रयोग करना पड़ता हो। इस सम्बन्ध मे विस्तृत संघीय कानून बनाया जाएगा।

अनुच्छेद 5 अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता

(1) प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति भाषण लेख एवं चित्रों द्वारा अपने विचारों के प्रचार की स्वतन्त्रता होगी तथा वह स्वतन्त्रतापूर्वक सामान्यतया उपलब्ध साधनों के द्वारा सूचना प्राप्त कर सकेगा। समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता तथा फिल्मों तथा रेडियो प्रसारण के साधनों से सूचना देने की स्वतन्त्रता की गारंटी दी जाती है।

(2) ये अधिकार व्यापक कानूनों और युवकों की रक्षा तथा व्यक्तिगत सम्मान की अलघ्यता से सम्बद्ध कानूनों से सीमित हैं।

1 19 मार्च 1959 के संघीय कानून के अन्तर्गत संशोधित (फेडरल लॉ गजट 1 पृष्ठ)

(3) कला और विज्ञान शोध कार्य तथा अध्यापन में स्वतन्त्रता होगी। अध्यापन की स्वतन्त्रता संविधान के प्रति निष्ठा की भावना से मुक्त नहीं होगी।

अनुच्छेद 6 विवाह परिवार अवैध बच्चे

(1) विवाह तथा परिवार को राज्य का विशेष संरक्षण प्राप्त होगा।

(2) बच्चों का लालन-पालन व देखभाल माता पिता का नैसर्गिक अधिकार है और ऐसा करना उनका प्रमुख कर्त्तव्य है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय समुदाय उनके प्रयासों की निगरानी करेगा।

(3) जो लोग भरण पोषण के अधिकारी हैं उनकी इच्छा के विरुद्ध बच्चों को उनके परिवारों से अलग न किया जाय। यदि ऐसे व्यक्ति अपने दायित्व में असफल रहते हैं या बच्चे के प्रति उदासीनता का खतरा है तो कानून के अनुसार बच्चों को इनके परिवारों से अलग किया जा सकता है।

(4) प्रत्येक माता का अधिकार होगा कि वह समुदाय द्वारा सुरक्षा तथा देखभाल प्राप्त कर सके।

(5) अवैध बच्चों को उनके शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास तथा समाज में स्थान के सम्बन्ध में कानून द्वारा वही अवसर प्रदान किये जाएंगे जिनका उपभोग वैध बच्चे करते हैं।

अनुच्छेद 7 शिक्षा

(1) समस्त शैक्षणिक व्यवस्था राज्य की देखरेख में रहेगी।

(2) जिन व्यक्तियों का बच्चों के भरण-पोषण का अधिकार होगा उन्हें ही यह अधिकार भी होगा कि वे यह निश्चय करें कि बच्चे को धार्मिक शिक्षा दी जाये अथवा नहीं।

(3) धर्मनिरपेक्ष स्कूलों को छोड़कर राज्य तथा नगरपालिका के स्कूलों के सामान्य पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा को स्थान दिया जाएगा। राज्य की देखरेख के अधिकार को क्षति पहुंचाये बिना धार्मिक समुदायों के सिद्धान्तों के अनुसार शिक्षा दी जाएगी। अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी भी अध्यापक को धार्मिक शिक्षा देने का बाध्य नहीं किया जाएगा।

(4) निजी स्कूलों की स्थापना के अधिकार की गारंटी दी जाती है। राज्य या नगरपालिकाओं के स्कूलों के स्थानापन्न रूप में निजी स्कूलों की स्थापना के लिए राज्य की स्वीकृति लेनी होगी तथा वे राज्यों (Laender) के कानून से संचालित होंगे। ऐसी स्वीकृति उस समय दी जाय जब निजी स्कूल अपने शैक्षणिक उद्देश्यों सुविधाओं तथा अध्यापक-वर्ग के प्रशिक्षण की दृष्टि से हीन न हों तथा जहां माता पिता के साधनों के अनुसार विद्यार्थियों के बीच पार्थक्य नहीं रखा जाता हो। यदि अध्यापक-गण को आर्थिक एवं कानूनी स्थिति का उचित आश्वासन नहीं दिया जाता है तो ऐसे स्कूलों की स्वीकृति को रोका जा सकता है।

(5) एक निजी प्राथमिक स्कूल की स्थापना की स्वीकृति उसी स्थिति में दी जाएगी जब शिक्षा अधिकारी यह मानते हैं कि उसमें एक विशेष शैक्षणिक (Pedagogic) हित की पूर्ति होती है या बच्चों की शिक्षा के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है कि यह स्कूल एक अन्तर-सम्प्रदाय या धार्मिक या विशेष विचारधारा वाला स्कूल होगा तथा ऐसा स्कूल तभी माना जाएगा जबकि उस क्षेत्र (Commun) में राज्य अथवा नगरपालिका द्वारा ऐसा स्कूल स्थापित नहीं किया गया हो।

(6) प्रारम्भिक स्कूल (Vorschulen) बन्द कर दिए गए हैं।

अनुच्छेद 8 सम्मेलन का अधिकार

(1) सभी जर्मन लोगों को बिना पूर्व सूचना या अनुमति के शान्तिपूर्वक एवं बिना हथियार लिए सम्मेलन करने का अधिकार होगा।

(2) कानून के अन्तर्गत खुले वातावरण में सम्मेलन के अधिकार को सीमित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 9 संघ बनाने का अधिकार

(1) सभी जर्मन लोगों को संघ या समाज बनाने का अधिकार होगा।

(2) ऐसे संघों के निर्माण की मनाही है जिनके उद्देश्य या गतिविधियाँ फौजदारी कानून के विरुद्ध हैं या संवैधानिक व्यवस्था या अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव के सिद्धान्त के खिलाफ हैं।

(3) सभी व्यापार, व्यवसाय तथा आजीविका के लोगों को अपनी कार्य प्रणाली तथा आर्थिक स्थिति में सुधार तथा सुरक्षा के लिए संघ बनाने का अधिकार होगा। ऐसे समझौते जो इस अधिकार को सीमित करते हैं या बाधा पहुँचाते हैं गैर-कानूनी होंगे तथा इस अधिकार के विरुद्ध उठाये गये कदम अवैध होंगे। अनुच्छेद 12 A के परिच्छेद (2) व (3) तथा अनुच्छेद 35 के परिच्छेद (4) तथा अनुच्छेद 87 A या अनुच्छेद 91 के अन्तर्गत औद्योगिक संघर्ष में रत संघों जो इस परिच्छेद के प्रथम वाक्य के अन्तर्गत अपनी कार्य प्रणाली व आर्थिक सुधार व सुरक्षा के अर्थ में संघर्ष कर रहे हैं के विरुद्ध कदम नहीं उठाये जा सकेंगे।

अनुच्छेद 10 डाक व संचार की गोपनीयता

(1) डाक व संचार-सम्बन्धों की गोपनीयता अलंघ्य है।

(2) इस अधिकार को सिर्फ कानून के अन्तर्गत ही सीमित किया जा सकता है। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की जा सकती है कि यदि यह स्वतन्त्रता जनतांत्रिक आधारभूत व्यवस्था की रक्षा के लिए या संघ या राज्य (Land) के अस्तित्व एवं

1 वर्तमान पाठ 24 जून 1968 के संशोधन कानून के अन्तर्गत जोड़ा गया है फेडरल लॉ गजट प्रथम पृष्ठ 709

सुरक्षा के लिए सीमित की जा रही है तो सम्बद्ध व्यक्ति को इस सम्बन्ध में सूचना नहीं दी जाएगी तथा गोपनीयता के उल्लंघन के मामले न्यायालय में नहीं ले जाए जा सकेंगे। उनके स्थान पर मामलों की सुनवाई का कार्य संसद् द्वारा नियुक्त निकाय या सहायक निकाय करेंगे।

अनुच्छेद 11 विचरण की स्वतन्त्रता

(1) सभी जर्मन लोग संघ के क्षेत्र में विचरण की स्वतन्त्रता का उपभोग करेंगे।

(2) [1] सिर्फ कानून के अन्तर्गत ही इस अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है और वह भी सिर्फ उन मामलों में जहां ऐसी रोक के लिए पर्याप्त आधार हो तथा जहां इस अधिकार के परिणामस्वरूप समुदाय पर विशेष कठिनाइयां आती हों या संघ अथवा राज्य (Land) के अस्तित्व व स्वतन्त्रता या जनतान्त्रिक आधारभूत व्यवस्था को खतरा हो या महामारी का खतरा हो। प्राकृतिक कोप या भारी दुर्घटना का मुकाबला करने तथा नवयुवकों को तिरस्कार से बचाने या अपराध की रोकथाम की दृष्टि से भी ऐसी रोक लगाई जा सकती है।

अनुच्छेद 12 व्यापार पेशा या व्यवसाय चुनने का अधिकार

(1) सभी जर्मन लोगों को स्वतन्त्रतापूर्वक अपना पेशा, व्यवसाय या व्यापार, काम का स्थान व प्रशिक्षण का स्थान चुनने का अधिकार होगा। पेशे या व्यवसाय की कार्यप्रणाली का कानून द्वारा या कानून के अन्तर्गत ही नियमन किया जा सकता है।

(2) परम्परागत अनिवार्य सार्वजनिक सेवा के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति पर कोई विशेष पेशा न थोपा जाए। यह बात सभी लोगों पर समान रूप से लागू होगी।

(3) ऐसे व्यक्ति को जबरन कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सकेगा जिसकी स्वतन्त्रता न्यायालय ने सजा देकर छीन ली हो।

अनुच्छेद 12 A सैनिक व अन्य सेवाओं की जिम्मेदारी[3]

(1) जो पुरुष अट्ठारह वर्ष का हो चुका है उसे सशस्त्र सेना, संघीय सीमा रक्षक दल (Federal Border Guard) या नागरिक सुरक्षा संगठन में कार्य करने को कहा जा सकता है।

(2) यदि कोई व्यक्ति अन्तरात्मा के आधार पर हथियार उठाने से इन्कार करता है तो उसे स्थानापन्न सेवा के लिए कहा जा सकता है। ऐसी स्थानापन्न

1 फेडरल लॉ गजट प्रथम पृष्ठ 709

2 पूर्व उद्धृत (फेडरल लॉ गजट प्रथम पृष्ठ 709)

3 19 मार्च 1956 (फेडरल लॉ गजट प्रथम पृष्ठ 11) तथा 24 जून 1968 के संघीय कानून द्वारा संशोधन स्वरूप

सेवा की अवधि सैनिक सेवा की अवधि से अधिक नहीं होगी। इस सम्बन्ध मे विस्तृत कानून बनाया जाएगा जो अन्तरात्मा की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप नही करेगा और साथ ही सशस्त्र सेना या संघीय सीमा रक्षक की इकाई से अलग स्थानापन्न सेवा की व्यवस्था करेगा।

(3) जो लोग सैनिक सेवा के योग्य हैं तथा जिन्हें इस अनुच्छेद के (1) तथा (2) परिच्छेद के अन्तर्गत सेवा के लिए नहीं कहा जाएगा उन्हें जब रक्षा की स्थिति (a state of defenc) उत्पन्न होती है तब कानून के अन्तर्गत प्रतिरक्षात्मक उद्देश्य वाली नागरिक सेवाओं के लिए कहा जा सकता है। इन सेवाओं में नागरिक जनसंख्या की रक्षा सम्मिलित है। उन्हें सार्वजनिक कानून के अन्तर्गत आने वाले व्यवसाय जैसे—पुलिस-कार्य या सार्वजनिक प्रशासन के कार्य जिन्हें सिर्फ सार्वजनिक कानून के अन्तर्गत कार्य करने वाले अधिकारी ही कर सकते हैं नहीं दिये जा सकेंगे। ऐसे व्यक्तियों को प्रथम परिच्छेद में उल्लिखित कार्य ही सौंपे जाएंगे। सशस्त्र सेना के साथ उन्हें वितरण व सहायता या प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता का कार्य सौंपा जाएगा। सम्बद्ध प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनकी सुरक्षा की गारंटी के लिए उत्पन्न परिस्थितियों के सिवाय नागरिक जनसंख्या में वितरण या सहायता से सम्बद्ध कार्य व व्यवसाय उन्हें नहीं सौंपे जाएंगे।

(4) जब प्रतिरक्षा की स्थिति बनी हुई है इस समय यदि नागरिक सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा या अचल सैनिक अस्पतालों की आवश्यकताएं स्वैच्छिक सेवाओं के आधार पर पूरी नहीं होती हैं तो ऐसी स्थिति में 18 से 55 वर्ष के बीच की महिलाओं को कानून के अन्तर्गत ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है। किसी भी स्थिति में वह ऐसी सेवा में नहीं लिया जा सकता जिनमें शस्त्रों का प्रयोग होना हो।

(5) ऐसी प्रतिरक्षा की स्थिति से पूर्व के समय में इस अनुच्छेद के परिच्छेद 3 के अन्तर्गत कार्य करने को सिर्फ तभी कहा जा सकता है जब अनुच्छेद 80 A के परिच्छेद (1) में दी गई स्थिति उत्पन्न हो गई हो। कानून द्वारा या कानून के अनुसार विशेष ज्ञान या योग्यता प्राप्त करने के हेतु ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त करने को कहा जा सकता है जिसके द्वारा इस अनुच्छेद के परिच्छेद 3 की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इस सीमा तक इस परिच्छेद का प्रथम वाक्य लागू नहीं होगा।

(6) जब प्रतिरक्षा की स्थिति बनी हुई हो तथा यदि इस अनुच्छेद के परिच्छेद 3 के दूसरे वाक्य में वर्णित श्रम सम्बन्धी आवश्यकताएं स्वेच्छा सेवा से पूरी न हो रही हों तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसी स्थिति में जर्मन व्यक्ति का अपना व्यवसाय या पेशा छोड़ने या कार्य का स्थान छोड़ने के अधिकार को सीमित किया जा सकता है। इस अनुच्छेद का परिच्छेद (5)

प्रतिर या का स्थिति के अस्तित्व म पूव यथोचित् परिवतन सहित (Mutatis Mutandis) लागू नहा होगा।

अनुच्छेद 13 गृह की अनघनीयता

(1) घर अनघनीय होगा।
(2) तलाशा सिफ न्यायाधीश के आदेश द्वारा ही हो सकेगी या यदि देर का खतरा होन की स्थिति म कानून द्वारा निर्दिष्ट दूसरे कार्यालय (organ) भी आदेश दे सकेंगे लेकिन तलाशी का काय कानून द्वारा निर्धारित रूप के अन्तगत ही हो सकता।
(3) आम खतरे को या व्यक्तियो की प्राण हानि को या सावजनिक क्षति को रोकने व व्यवस्था बनाये रखने का या विशेषत घरो की भारी कमी को दूर करने का महामारी का मुकाबला करने की या पागल लोगो का प्राणो के खतरे से बचाने की स्थितियो को छोडकर अन्य मामलो म इस अनघनीयता को सीमित नही किया जाएगा और न उसका अतिक्रमण किया जाएगा।

अनुच्छेद 14 सम्पत्ति उत्तराधिकार का अधिकार सम्पत्ति का स्वामित्व हरण

(1) सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार के अधिकार की गारटी है। उनकी धारिता तथा सीमा का निश्चय कानूनो द्वारा होगा।
(2) सम्पत्ति कर्तव्य आरोपित करती है। इसका उपयोग जन कल्याण के लिए भी होना चाहिए।
(3) सिफ जन कल्याण के हेतु सम्पत्ति-हरण की स्वीकृति दी जाएगी। ऐसा कानून के द्वारा या कानून के अन्तगत हो किया जाएगा तथा मुआवजे का स्वरूप व सीमा कानून द्वारा तय होगा। इस मुआवजे का निश्चय करते समय जनहित तथा प्रभावित व्यक्ति के हितो के सतुलन का ध्यान रखा जाएगा। मुआवजे की रकम के बारे म विवाद के मामले म साधारण न्यायालयो की शरण ली जा सकेगी।

अनुच्छेद 15 समाजीकरण

भूमि प्राकृतिक सम्पदा तथा उत्पादन के साधनो को समाजीकरण के उद्देश्य से कानून द्वारा सावजनिक स्वामित्व म या सावजनिक रूप से सचालित अर्थ-व्यवस्था के अन्य रूपों म परिवर्तित किया जा सकता है तथा इस सम्बन्ध म दिये जाने वाले मुआवजे का स्वरूप व सीमा कानून द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

ऐसे मुआवजे के मामले म अनुच्छेद 14 के परिच्छेद 3 के तीसरे व चौथे वाक्यो को यथोचित् परिवतन सहित (Mutatis Mutandis) लागू किया जाएगा।

अनुच्छेद 16—नागरिकता से वञ्चित करना प्रत्यपण (extradition) तथा शरण देने सम्बन्धी अधिकार (Deprivation of Citizenship Extradition Right of Asylum)

(1) किसी भी व्यक्ति को जर्मन नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। सिर्फ कानून के अनुसार ही नागरिकता खोने का प्रश्न उठ सकता है तथा प्रभावित व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध भी तभी प्रश्न उठ सकता है जबकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति राज्य हीन नहीं होगा।

(2) किसी भी जर्मन व्यक्ति को विदेश में निष्कासित या प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता। राजनीतिक आधार पर सताए गए व्यक्ति शरण प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

अनुच्छेद 17 याचिका का अधिकार

प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप में उपयुक्त एजेंसियों तथा संसदीय निकायों को लिखित आवेदन या शिकायत पेश करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 17A[1] सशस्त्र सेनाओं इत्यादि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर सीमाएं

(1) सैनिक सेवाओं और उनकी स्थानापन्न सेवाओं सम्बन्धी कानून के अन्तर्गत सैनिक सेवाओं तथा उनकी स्थानापन्न सेवाओं की अवधि में इन सेवाओं के सदस्यों की अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य भाषण, लेखन व चित्रों द्वारा मत के प्रचार (अनुच्छेद 5 के परिच्छेद (1) का प्रथम वाक्य) सम्मेलन का मूल अधिकार (अनुच्छेद 8) तथा याचिका का अधिकार (अनुच्छेद 17) जहां तक उनमें अन्य लोगों के साथ संयुक्त रूप से आवेदन या शिकायत की व्यवस्था है सम्बन्धी अधिकारों को सीमित किया जा सकेगा।

(2) प्रतिरक्षात्मक उद्देश्यों से सम्बद्ध कानूनों के अन्तर्गत जिसमें नागरिक जन संख्या की सुरक्षा भी शामिल है विचरण की स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 11) तथा घर की अलंघनीयता (अनुच्छेद 13) के मूलभूत अधिकार सीमित किये जा सकते हैं।

अनुच्छेद 18 मूल अधिकारों से वंचित करना

(1) जो कोई व्यक्ति स्वतन्त्र जनतान्त्रिक आधारभूत व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष के लिए अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता विशेषतः समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 5 का परिच्छेद (1)) अध्यापन की स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 5 का परिच्छेद (3)) सम्मेलन की स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 8) संघ बनाने की स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 9) डाक संचार सन्देश की गोपनीयता (अनुच्छेद 10) सम्पत्ति (अनुच्छेद 14) या शरण देने के अधिकार (अनुच्छेद 16 परिच्छेद (2)) का दुरुपयोग करेगा उसके मूल अधिकार छीन लिये जायेंगे। अधिकारों से वंचित करने सम्बन्धी सीमा के बारे में संघीय संवैधानिक न्यायालय घोषणा करेगा।

1 17 A 19 मार्च 1956 के संघीय कानून द्वारा जोड़ा गया (फैडरल ला गजट I प्रथम पृ 111)

अनुच्छेद 19 मूल अधिकारों पर सीमा या प्रतिबन्ध

(1) इस आधारभूत कानून (बेसिक ला) के अन्तर्गत किसी मूल अधिकार पर किसी कानून या उसके अनुवर्ती द्वारा प्रतिबन्ध लगाया जा सकेगा—

ऐसा कानून आमतौर पर लागू होगा न कि किसी व्यक्तिगत मामले में। इसके अतिरिक्त ऐसे कानून के अन्तर्गत उस मूल अधिकार का नाम व सम्बद्ध अनुच्छेद का उल्लेख करना होगा।

(2) किसी भी स्थिति में एक मूल अधिकार के अनिवार्य सारांश का अतिक्रमण नहीं किया जाए।

(3) मूल अधिकार आंतरिक न्यायिक व्यक्तियों पर उस सीमा तक लागू होंगे जहां तक कि इन अधिकारों की प्रकृति अनुमति देती है।

(4) *यदि किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकेगा। यदि क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहीं है तो साधारण न्यायालय की शरण ली जा सकेगी। अनुच्छेद 10 के परिच्छेद 2 का दूसरा वाक्य इस परिच्छेद की व्यवस्थाओं से प्रभावित नहीं होगा।*

II संघ तथा घटक राज्य (लण्डर)[1]

अनुच्छेद 20 संविधान के मूल सिद्धान्त—*प्रतिरोध का अधिकार*

(1) संघीय जर्मन गणतन्त्र (फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी) एक जनतान्त्रिक तथा सामाजिक संघीय राज्य है।

(2) समस्त राजकीय सत्ता का स्रोत जनता है। *इस सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा* चुनाव तथा मतदान के माध्यम से होगा तथा निश्चित विधायिका कार्यकारिणी तथा न्यायिक अंग भी इसका प्रयोग करेंगे।

(3) विधायिका-सभा संवैधानिक व्यवस्था के अधीन होगी कार्यकारिणी तथा न्यायपालिका कानून व न्याय से बद्ध होगी।

(4) *यदि कोई उपचार सम्भव न हो तो सभी जर्मन लोगों को यह अधिकार*[2] कि वे उस व्यक्ति या व्यक्तियों का प्रतिरोध करें जो इस संवैधानिक व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

1 सम्पादकीय टिप्पणी जर्मन भाषा में राज्य को लण्ड तथा राज्यों को लण्डर (Laender) कहते हैं।

2 अंतिम वाक्य 24 जून 1968 के संघीय कानून द्वारा जोड़ा गया (फेडरल ला गजट) पृष्ठ 710

अनुच्छेद 21 राजनीतिक दल

(1) राजनीतिक दल जनता की राजनीतिक इच्छा के निर्माण में हिस्सा बटायेंगे। इनकी स्थापना स्वतन्त्रतापूर्वक की जा सकती है। इनका आन्तरिक संगठन जनतान्त्रिक सिद्धान्तों के अनुरूप होना चाहिए। इन्हें अपने धन प्राप्ति के साधनों के बारे में सार्वजनिक घोषणा करनी होगी।

(2) जो दल अपने उद्देश्यों तथा समर्थकों के व्यवहार से स्वतन्त्र जनतान्त्रिक आधारभूत व्यवस्था को क्षति पहुंचाते हैं या संघीय जर्मन गणराज्य के अस्तित्व को खतरे में डालते हैं वे असंवैधानिक होंगे। असंवैधानिकता के प्रश्न पर संघीय संवैधानिक न्यायालय निर्णय करेगा।

(3) इस बारे में विस्तृत ब्यौरा संघीय कानूनों द्वारा तय किया जायगा।

अनुच्छेद 22 संघीय झण्डा

संघीय झण्डे का रंग काला, लाल व सुनहरा होगा।

अनुच्छेद 23 बेसिक ला (संविधान) का क्षेत्राधिकार

फिलहाल यह आधारभूत कानून (बेसिक ला) बाडेन, बवेरिया, ब्रेमन, विशाल (ग्रेटर) बर्लिन, हाम्बुर्ग, हेस्से, लोअर सेक्सनी, नार्थराइन वेस्टफालिया, राइनलैण्ड पेलटीनट, श्लेसविग होलस्टाइन, व्यूरटम्बर्ग बाडेन[1] तथा व्यूरटम्बर्ग होहेनत्सोलन के लैण्डर (राज्यों) में लागू होगा। जर्मनी के अन्य भागों में यह उनके विलय के समय लागू होगा।

अनुच्छेद 24 सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था में प्रवेश

(1) संघ शासन कानून द्वारा सार्वभौम शक्तियां अन्तर सरकारी संस्थाओं को हस्तान्तरित कर सकता है।

(2) शांति की स्थापना के लिए संघ शासन पारस्परिक सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था में प्रवेश कर सकता है। ऐसा करते समय वह अपने सार्वभौम अधिकारों पर ऐसी सीमाएं लगाने की स्वीकृति देगा जिससे यूरोप में तथा विश्व के राष्ट्रों के मध्य एक शांतिपूर्ण एवं स्थायी व्यवस्था लायी जा सके।

(3) राष्ट्रों के बीच विवादों के समाधान के लिए संघ शासन साधारण सर्वांग तथा बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को स्वीकार करेगा।

1 4 मई 1951 के संघीय कानून द्वारा (फेडरल ला गजट I पृष्ठ 284) बाडेन व्यूरटम्बर्ग का लैण्ड (राज्य) अतएव बाडेन व्यूरटेमबर्ग बाडेन तथा व्यूरटेमबर्ग होहेनत्सोलन के राज्यों (लैण्डर) में सम्मिलित करके बनाया गया।

2. यह संविधान (बेसिक ला) 23 दिसम्बर 1956 के संघीय कानून फेडरल ला गजट 1 पृष्ठ 188 के परिच्छेद (1) द्वारा सारलैण्ड नामक नये राज्य में लागू हुआ।

सामाजिक ढांचे का उचित सम्मान रखते हुए सघीय कानून द्वारा सघीय प्रदेश का पुनर्गठन किया जायगा।

(2)[1] 8 मई 1945 के प्रादेशिक पुनर्गठन के बाद जो क्षेत्र बिना जनमत सग्रह (प्लेबीसाइट) के किसी अन्य लण्ड (राज्य) के अग बन गये हैं ऐसे विलय के सम्बन्ध में बेसिक ला के लागू होने की एक वर्ष की अवधि के भीतर निश्चित परिवर्तन सम्बन्धी निर्णय के बारे में सार्वजनिक उपक्रमण (फोकुनर इनीशियेटिव) की माग की जा सकती है। ऐसे सार्वजनिक उपक्रमण के लिए राज्य विधान सभा (लाण्डटाग) के चुनाव में भाग लेने के लिए अधिकारी लोगों के 1/10 व भाग का स्वीकृति आवश्यक होगी।

(3) यदि सार्वजनिक उपक्रमण को इस अनुच्छेद के परिच्छेद 2 के अन्तर्गत आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तो सम्बद्ध क्षेत्र में 31 मार्च 1975 के पूर्व या बादेन-व्यूरटेनबुर्ग के बादेन क्षेत्र में 30 जून 1970 से पूर्व जनमत सग्रह होगा (कि क्या प्रस्तावित हस्तान्तरण किया जाय अथवा नहीं) यदि लण्ड (राज्य) के चुनाव में मतदान के अधिकारी व्यक्तियों का बहुमत जिसमें कम से कम 1/4 भाग समाविष्ट हो हस्तान्तरण के पक्ष में मतदान करता है तो सम्बद्ध क्षेत्र की प्रादेशिक स्थिति के बारे में जनमत सग्रह होने के एक वर्ष की अवधि में सघीय कानून बनाया जायगा। जहा उसी लण्ड (राज्य) में कई प्रदेशों को दूसरे लण्ड में हस्तान्तरण करना हो तो एक ही कानून में आवश्यक नियमों को सम्मिलित किया जायगा।

(4)[3] ऐसा सघीय कानून जनमत सग्रह के परिणाम पर आधारित होगा तथा उसे उतनी ही सीमा तक बदला जा सकेगा जितना इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) में उल्लिखित विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत पुनर्गठन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक होगा। ऐसे कानून के निर्माण के लिए बुन्देस्टाग (लोकसभा) के सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होगी। यदि एक कानून लण्ड (राज्य) के ऐसे क्षेत्र को दूसरे राज्य को हस्तान्तरित करने की बात करता है जिसके बारे में जनमत सग्रह द्वारा माग नहीं की गई है तो ऐसे कानून की स्वीकृति के लिए उस समस्त क्षेत्र में जनमत सग्रह कराया जायगा जिसे हस्तान्तरित किया जाना है। यह बात उस स्थिति में लागू नहीं होगी जब एक वर्तमान लण्ड से क्षेत्रों को अलग करना है तथा जब शेष क्षेत्र स्वय एक लण्ड के रूप में जारी रहता है।

1 19 अगस्त 1969 के सघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृष्ठ 1241) द्वारा सशोधित रूप।
2 वही
3 वही

(5)[1] इस अनुच्छेद के परिच्छेद (2) से (4) में उल्लिखित प्रक्रिया के अतिरिक्त सघीय प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में कोई कानून बनाने पर सम्बद्ध क्षेत्र की कानूनी व्यवस्था के आधार पर उस क्षेत्र में जनमत सग्रह कराया जायगा जिसे एक लण्ड से दूसरे में हस्तान्तरित किया जाना है। यदि ऐसी व्यवस्था सम्बद्ध क्षेत्र में से कम से कम एक क्षेत्र में अस्वीकृत हो जाती है तो बुन्डेस्टाग में यह कानून पुन प्रस्तुत होगा यदि वह पुन कानून बन जाता है तो सम्बद्ध प्रावधानो की स्वीकृति के लिए समग्र सघीय प्रदेश में जनमत सग्रह कराया जायगा।

(6)[2] जनमत सग्रह में डाले गये कुल मतो के बहुमत से निर्णय लिया जायगा। इससे इस अनुच्छेद के परिच्छेद (3) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपयुक्त प्रक्रिया का निर्माण सघीय कानून द्वारा होगा। यदि जर्मनी के किसी भाग के विलय के कारण पुनर्गठन आवश्यक हो तो ऐसा पुनर्गठन विलय के दो वर्ष की अवधि के भीतर होना चाहिए।

(7) लण्ड (राज्य) की सीमा में अन्य परिवर्तन की प्रक्रिया का निर्धारण सघीय कानून द्वारा किया जायगा। इसके लिए बुन्डेसराट तथा बुन्डेस्टाग के बहुमत की स्वीकृति अनिवार्य होगी।

अनुच्छेद 30 लैण्डर (राज्यो) के कार्य

जहा तक बेसिक ला (सविधान) अन्य व्यवस्था नहीं करता या स्वीकृति नहीं देता लैण्डर के लिए सरकारी शक्तियो के प्रयोग तथा सरकारी कार्यों का सम्पादन अनिवार्य होगा।

अनुच्छेद 31 सघीय कानून की प्राथमिकता

सघीय कानून के आगे लण्ड का कानून रद्द माना जायेगा।

अनुच्छेद 32 विदेशी सम्बन्ध

(1) विदेशी राज्यो के साथ सम्बन्धो का सचालन सघ शासन करेगा।

(2) एक लण्ड (राज्य) की विशेष स्थिति को प्रभावित करने वाली सधि करने से पूर्व उस राज्य की जनता को पर्याप्त समय प्रदान कर उसकी सलाह ली जानी चाहिए।

(3) जिस सीमा तक लण्डर (राज्यो) को कानून बनाने का अधिकार है वे सघीय सरकार की अनुमति से विदेशी राज्यो के साथ सधि कर सकते हैं।

अनुच्छेद 33 सभी जर्मन लोगो की समान राजनीतिक स्थिति

(1) प्रत्येक लण्ड (राज्य) में प्रत्येक जर्मन के समान अधिकार व कर्तव्य हैं।

1 वही
2 वही

(2) प्रत्येक जर्मन व्यक्ति अपनी अभिरुचि योग्यता व व्यावसायिक उपलब्धि के अनुसार समान रूप से किसी भी सार्वजनिक पद के लिए उपयुक्त व योग्य माना जायगा।

(3) नागरिक व राजनीतिक अधिकारों के उपयोग सार्वजनिक पद के लिए योग्यता तथा सार्वजनिक सेवा में प्राप्त अधिकारों के उपभोग का धार्मिक सम्प्रदाय से कोई सम्बन्ध न होगा। किसी भी व्यक्ति को किसी सम्प्रदाय या विचार धारा में श्रद्धा या अश्रद्धा रखने के कारण कोई हानि न उठानी पड़ेगा।

(4) राज्य की शक्ति व अधिकारों को एक स्थायी कार्य के रूप में प्रयोग कानूनी रूप से सार्वजनिक सेवाओं के सदस्यों को सौंपा जायगा। उनकी पद सेवा तथा निष्ठा सार्वजनिक कानूनों द्वारा सचालित होगी।

(5) सार्वजनिक सेवा के कानूनों का नियमन करते समय व्यावसायिक (पेशेवर) नागरिक सेवाओं के परम्परागत सिद्धान्तों का उचित सम्मान किया जायगा।

अनुच्छेद 34 अत्याचार की घटनाओं में दायित्व

यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक सेवा के अन्तर्गत सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते समय अपने पद के दायित्वों का उल्लंघन करे तथा दूसरे पक्ष को हानि पहुँचाता है तो उसका दायित्व राज्य या उस सार्वजनिक संस्था पर होगा जो उस नौकरी देता है। जानबूझ कर दुराग्रह या कार्य की भारी उपेक्षा की स्थिति में उसके उपचार का अधिकार (राईट आफ रिफोर्म) प्रारम्भित होगा। मुआवजे या उपचार के अधिकार के सम्बन्ध में साधारण न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का वर्जन नहीं किया जायगा।

अनुच्छेद 35[1] कानूनी प्रशासनिक व पुलिस सहायता

(1) सभी संघीय अधिकारी तथा लण्ड (राज्य) के अधिकारीगण एक-दूसर को कानूनी व प्रशासनिक सहायता देंगे।

(2) सार्वजनिक सुरक्षा या व्यवस्था की स्थापना या पुनर्स्थापना के लिए एक लण्ड विशेष महत्व के मामले में अपनी पुलिस को सहायतार्थ संघीय सीमा रक्षा दल (फेडरल बाडर गार्ड) की सुविधाएं तथा सहायता का आह्वान कर सकता है। यह सहायता तभी मांगी जायगी जबकि लण्ड बिना लण्ड पुलिस उस कार्य की पूर्ति करने में असमर्थ हो या उसे भारी कठिनाई हो रही हो। किसी प्राकृतिक दुर्घटना या विशेष गम्भीर घटना से निपटने के लिए एक लण्ड दूसरे लण्ड (राज्य) की पुलिस की सहायता या दूसरे प्रशासनिक अधिकारी-वर्ग से सेना की सहायता या संघीय सीमा रक्षक दल या सशस्त्र सेना से मदद या सुविधा मांग सकता है।

1 24 जून 1968 के संघीय कानून द्वारा संशोधित पृष्ठ ला गजट 1 पृष्ठ 710
2 28 जुलाई 1972 (फेडरल ला गजट 1 पृष्ठ 1305 के संघीय कानून द्वारा संशोधित रूप

(3) यदि प्राकृतिक प्रकोप या अन्य दुघटना से एक लण्ड (राज्य) से अधिक बड़े क्षेत्र का खतरा होता है तो उस खतरे का मुकाबला करने के लिए जहां जरूरी हो संघ सरकार राज्य (लण्ड) सरकारों को कोई निर्देश दे सकती है कि वह अपनी पुलिस को दूसरे राज्यों के अधिकार में दे साथ ही संघ सरकार पुलिस की सहायता के लिए सघीय सीमा सुरक्षा दल या सशस्त्र सेना की टुकड़ियां सुपुर्द कर सकती है। इस परिच्छेद के प्रथम वाक्य के अन्तर्गत संघ सरकार द्वारा उठाए गये कदम बुन्देसराट (राज्य सभा) द्वारा कभी भी आवश्यक करने पर और खतरे की समाप्ति पर हर स्थिति में अविलम्ब समाप्त हो जाने चाहिए।

अनुच्छेद 36 सघीय संस्थाओं के कर्मचारी

(1) सर्वोच्च सघीय संस्थाओं में सभी लण्डर (राज्यों) से उपयुक्त अनुपात में नागरिक पदाधिकारियों की नियुक्ति की जायगी। हर स्थिति में अन्य सघीय संस्थाओं में व्यक्तियों की नियुक्ति उसी राज्य में से की जायेगी।

(2) सैनिक कानून अन्य बातों के साथ साथ संघ के लण्डर (राज्यों) में विभाजन तथा उनकी जनसंख्या के क्षेत्रीय सम्बन्धों का भी ध्यान रखेंगे।

अनुच्छेद 37 सघीय बाध्यकरण (फडरल एनफोसमेंट)

(1) यदि कोई राज्य इस बेसिक ला (सविधान) या अन्य सघीय कानूनों के अन्तर्गत आरोपित सघीय दायित्वों का पालन करने में असफल रहता है तो संघ सरकार बुन्देसराट की स्वीकृति से राज्य द्वारा ऐसे दायित्वों के पालन करने के लिए सघीय बाध्यकरण के अन्तर्गत आवश्यक कदम उठा सकती है।

(2) ऐसे सघीय बाध्यकरण को कार्यान्वित करने के लिए संघ-सरकार या उसके आयुक्त (कमिश्नर) को यह अधिकार होगा कि वह सभी लेण्डेर (राज्यों) तथा उनके अधिकारी गणों को आदेश दे सके।

III सघीय संसद (बुन्देस्टाग)

अनुच्छेद 38 चुनाव

(1) जर्मन बुन्देस्टाग (लोकसभा) के डिपुटी गण (संसद् सदस्य) आम प्रत्यक्ष स्वतन्त्र समान एवं गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित होंगे। वे समस्त जनता के प्रतिनिधि होंगे तथा वे किसी भी आदेश या निर्देशों से बाध्य नहीं होंगे तथा मात्र अपनी अन्तरात्मा के प्रति उत्तरदायी होंगे।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो अट्ठारह वर्ष का हो चुका है मतदान का अधिकारी होगा।

1 16 मार्च 1956 के संघीय कानून (फडरल लॉ गजट I पृष्ठ 111) द्वारा जोड़ा गया।

प्रत्येक व्यक्ति जिसने पूर्ण कानूनी उम्र (21 वर्ष) प्राप्त कर ली हो चुनाव में खड़ा होने का अधिकारी होगा।

(3) इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण एक संघीय कानून द्वारा नियमित होगा।

अनुच्छेद 39 अधिवेशन तथा विधायिका कार्यकाल

(1) बुन्देस्टाग 4 वर्ष के लिए निर्वाचित होगी। उसका कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक के चार वर्ष बाद या उसके भंग होने पर समाप्त होगा। अवधि के अंतिम तीन माह में या उसके भंग किये जाने के बाद साठ दिन के भीतर नये चुनाव होंगे।

(2) बुन्देस्टाग चुनाव के बाद तीस दिन के भीतर, किन्तु पिछली बुन्देस्टाग की अवधि की समाप्ति के बाद एकत्रित होगी।

(3) बुन्देस्टाग अपनी बैठक के समापन तथा पुनरारम्भ के बारे में निश्चय करेगी। बुन्देस्टाग अध्यक्ष इससे पहले भी इसकी बैठक बुला सकता है। यदि इसके एक तिहाई सदस्य या संघीय राष्ट्रपति या संघीय चान्सलर मांग करें तो उसे बैठक बुलानी चाहिए।

अनुच्छेद 40 बुन्देस्टाग-अध्यक्ष कार्य विधि के नियम

(1) बुन्देस्टाग अपने अध्यक्ष उपाध्यक्षों तथा सचिवों का चुनाव करेगी। वह अपने कार्य-संचालन के लिए कार्यविधि के नियम बनायेगी।

(2) अध्यक्ष बुन्देस्टाग भवन में स्वामित्व विषयक तथा पुलिस अधिकारों का प्रयोग करेगा। उसकी अनुमति के बिना बुन्देस्टाग के अहाते में कोई तलाशी या गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी।

अनुच्छेद 41 चुनावों की समीक्षा (स्क्रूटिनी)

(1) चुनावों की समीक्षा (सूक्ष्म परीक्षण) बुन्देस्टाग की जिम्मेदारी होगी। वह यह भी *निश्चय करेगी कि क्या एक डिप्टी (संसद्-सदस्य) ने बुन्देस्टाग में* अपना स्थान खो दिया है।

(2) बुन्देस्टाग के इस निर्णय के विरुद्ध संघीय संवैधानिक न्यायालय (*फेडरल* कान्स्टीटयूशनल कोर्ट) में शिकायतें की जा सकेंगी।

(3) विस्तृत विवरण एक संघीय *कानून द्वारा नियमित होगा*।

अनुच्छेद 42 कार्यवाही तथा मतदान

(1) बुन्देस्टाग की बैठकें सार्वजनिक रूप से होंगी। इसके सदस्यों के दशांश (दसवें *भाग) द्वारा प्रस्तावित करने पर या संघ-सरकार द्वारा प्रस्ताव* रखने पर दो तिहाई बहुमत से संसद् की कार्यवाही के समय जनता के प्रवेश को वर्जित किया जा सकेगा। जिस बैठक में इस प्रस्ताव पर *निर्णय लिया जायगा* वह सार्वजनिक नहीं होगी।

(2) कानून बनाने सघीय चासलर का चुनने या सघीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने जैसे विशद् अधिकार इस स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार के बाहर होगे।

अनुच्छेद 45 (a)[1] विदेशी मामलो तथा प्रतिरक्षा विषयक समितिया

(1) बुन्डस्टाग एक विदेशी मामला की समिति तथा एक प्रतिरक्षा-समिति की नियुक्ति करेगी। दोनो समितिया दो ससदो के अवधि के बीच के काल म भी कायरत रहगी।

(2) प्रतिरक्षा-समिति को जाच पडताल समिति के अधिकार भी प्राप्त होंगे। अपने एक चौथाई सदस्यो द्वारा प्रस्ताव रखने पर इस समिति का यह कत्त य होगा कि वह विशिष्ट विषय की जाच-पडताल करे।

(3) अनुच्छेद 44 का परिच्छेद (1) प्रतिरक्षा के मामला म लागू नही होगा।

अनुच्छेद 45 (b)[2] बुदेस्टाग का प्रतिरक्षा आयुक्त

बुन्डेस्टाग द्वारा एक प्रतिरक्षा आयुक्त नियुक्त किया जायगा जो बुन्दस्टाग के आधारभूत अधिकारो की सुरक्षा तथा ससदीय नियन्त्रण के क्रियान्वयन म सहायता देगा। इस सम्बन्ध म विस्तृत विवरण एक सघीय कानून द्वारा नियमित होगा।

अनुच्छेद 46 डेपुटी का सुरक्षा व निरापदता

(1) एक डपुटी (ससद सदस्य) के विरुद्ध बुन्डस्टाग या उसकी समितिया म उसके द्वारा किये गये मतदान या दिये गये भाषण के लिए बुन्देस्टाग के बाहर न तो न्याय लय म मुकदमा दायर हो सकता है न अनुशासनात्मक कदम उठाया जा सकता है या न ही अन्य रूप मे उस जवाबदेही के लिए कहा जा सकता है। बदनामीपूर्ण अपमान की स्थिति पर यह बात लागू नही होगी।

(2) यदि किसी डपुटी को अपराध करते हुए या उसके दूसरे दिन पकडा न गया तो बुन्देस्टाग की अनुमति के विना उसे न जवाब देने के लिए कहा जा सकता है न गिरफ्तार किया जा सकता है।

(3) एक डपुटी (समद-सदस्य) की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर अन्य प्रतिबन्ध लगाने या अनुच्छेद 18 के अन्तगत उसके विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए भी बुन्देस्टाग की अनुमति आवश्यक होगी।

(4) एक डेपुटी के विरुद्ध 18 वें अनुच्छेद के अन्तगत कोई भी फौजदारी मुकदमा या अन्य मुकदमा या उसकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर अन्य प्रतिबध बुन्देस्टाग के कहने पर स्थगित कर दिये जायेंगे।

1 19 मार्च 1956 ■ सघीय कानून (फ डरल लॉ गजट I पृ 111) द्वारा जोडा गया।
2 वही

अनुच्छेद 47 डपुटी द्वारा गवाही से इन्कार का अधिकार

डपुटीगए उन नामा क बारे म जिहाने उनक डपुटी पद क कारण उहें गोपनीय बातें कही है या डपुटी न अपनी डपुटी की हैसियत स उह कोई गोपनीय बात कही है या इसक साथ ही सम्बद्ध इन बाता क लिए डेपुटी गवाही दने स इन्कार कर सकता है। जिस सीमा तक उसक गवाही न देने का अधिकार बना रहता है किसी भी दस्तावज का जब्त करन की स्वीकृति नही दी जायगी।

अनुच्छेद 48 डपुटी-गणों क अधिकार

(1) बुन्देस्टाग चुनाव क लिए किसी भी प्रयाशी को उसके चुनाव अभियान के लिए आवश्यक छुट्टी (अवकाश) प्राप्त करन का अधिकार होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति का डपुटी का पद स्वीकार करने व उसके प्रयोग मे नही रोका जा सकगा। इस आधार पर न उस पद मे हटान की अधिसूचना (नाटिस) दी जा सकगी न नौकरी म बखास्त किया जा सकगा।

(3) डपुटी-गए को अपनी स्वतन्त्रता सुनिश्चित रखन हतु पर्याप्त पारिश्रमिक (रमुनरशन) प्राप्त करन का अधिकार हागा। व सभी सरकारी यातायात के साधना का नि शुल्क प्रयोग करने के अधिकारी हाग। विस्तृत विवरण एक सघीय कानून द्वारा नियमित किया जायगा।

अनुच्छेद 49 दो ससदा क बीच अतराल

अध्यक्ष मण्डल (प्रसीडन्सी) क सदस्या स्थायी समिति विदेशी मामला की समिति तथा प्रतिरक्षा समिति के साथ ही उनक मुख्य स्थानापन्न सदस्या व सदस्याओं के बारे म अनुच्छेद 46 47 तथा 48 के परिच्छेद 2 व 3 दो ससदा क बीच क अतराल म भी लागू हागे।

IV सघटक राज्यो की परिषद (बुन्देसराट)

अनुच्छेद 50 काय (फक्शन)

लेण्डर (राज्य) बुन्देसराट (राज्य सभा) क माध्यम स सघ शासन क कानून निर्माण व प्रशासन म भाग लेंगे।

अनुच्छेद 51 गठन (कम्पोजीशन)

(1) बुन्देसराट (राज्य सभा) का गठन लण्ड (राज्य) सरकार क सदस्या स हागा। लण्ड सरकार उन्ह नियुक्त करगी व वापस बुलायगी। एसी सरकारा क अन्य सदस्य स्थानापन्न व्यक्ति (सबस्टाटयूट) क रूप म काय कर सकेंगे।

(2) प्रत्येक लण्ड (राज्य) को कम स कम तीन मत (वाट) प्राप्त होगे 20 लाख

मे अधिक जनसंख्या वाले लेण्डर को चार मत तथा 60 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को पाच मत प्राप्त होंगे।

(3) प्रत्येक लण्ड उतने ही प्रतिनिधि भेज सकेगा जितने मत उसे प्राप्त हैं। प्रत्येक लण्ड को अपने मत एक लाक मत के रूप में डालने होंगे और सिर्फ उसके उपस्थित सदस्यों या स्थानापन्न व्यक्तियों द्वारा डाले जायेंगे।

अनुच्छेद 52 अध्यक्ष कार्यविधि के नियम

(1) बुन्देसराट (राज्य सभा) एक वर्ष के लिए अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी।

(2) अध्यक्ष बुन्देसराट का सम्मेलन बुलायगा। यदि कम से कम दो लेण्डर (राज्य सरकार) या संघ शासन ऐसी बैठक बुलाने की माग करता है तो उस बैठक बुलानी चाहिए।

(3) बुन्देसराट बहुमत से अपने निर्णय लेगी। वह अपने कार्य विधि के नियमों का निर्माण करेगी। उसकी बैठक सार्वजनिक रूप से आयोजित होगी। जनता को इसकी बैठक से अलग रखा जा सकता है।

(4) लण्ड (राज्य)—सरकारों के अन्य सदस्य या उसके द्वारा नियुक्त सदस्य बुन्देसराट की समितियों के सदस्य के रूप में कार्य कर सकेंगे।

अनुच्छेद 53 संघीय सरकार द्वारा सहभागिता (हिस्सा लेना)

संघीय सरकार के सदस्यों को अधिकार होगा तथा माग करने पर उनका कर्त्तव्य होगा कि वे बुन्देसराट और उसकी समितियों की बैठकों में उपस्थित हों। उन्हें किसी भी समय सुना जाना चाहिए। संघीय सरकार को अपने कार्यों के संचालन के बारे में बुन्देसराट को बराबर सूचित करते रहना चाहिए।

IV–ए[1] संयुक्त समिति

अनुच्छेद 53 (a) संयुक्त समिति

(1) संयुक्त समिति के दो तिहाई सदस्य बुन्देस्टाग तथा एक तिहाई सदस्य बुन्देसराट के सदस्य होंगे। बुन्देस्टाग अपने सदस्यों की नियुक्ति करते समय संसदीय दलों की संख्या के अनुपात का ध्यान रखेगी ऐसे डेपुटी-गण संघीय सरकार के सदस्य नहीं होने चाहिए। प्रत्येक लण्ड का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा मनोनीत बुन्देसराट के सदस्य द्वारा किया जायेगा। ये सदस्य निर्देशों से बाध्य नहीं होंगे। संयुक्त समिति की स्थापना व उसकी प्रक्रिया का संचालन बुन्देस्टाग द्वारा स्वीकृत कार्य विधि के नियमों द्वारा होगा। इसके लिए बुन्देस्टाग की स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

(2) संघीय सरकार को प्रतिरक्षा की स्थिति (स्टेट आफ डिफेंस) विषयक अपनी योजना के सम्बन्ध में संयुक्त समिति को सूचना देनी चाहिए। अनुच्छेद

1 24 जून 1968 के संघीय कानून (फेडरल लॉ गजट I प 710) द्वारा जोड़ा गया

43 के परिच्छेद (1) के अन्तर्गत बुन्डेस्टाग के अधिकार इस परिच्छेद की व्यवस्था से प्रभावित नहीं होंगे।

V संघ का राष्ट्रपति

अनुच्छेद 54 संघीय सम्मेलन (फेडरल कन्वेंशन) द्वारा चुनाव

(1) संघ का राष्ट्रपति संघीय सम्मेलन (फेडरल कन्वेंशन) द्वारा बिना विचार व बहस के चुना जायगा। प्रत्येक जर्मन जो बुन्डेस्टाग के चुनाव में वोट देने का अधिकारी है तथा 40 वर्ष का हो चुका है इस पद का प्रत्याशी हो सकता।

(2) संघ के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा। पुनः निर्वाचन के लिए व्यक्ति लगातार अवधि (कान्सीक्यूटिव टर्म) के लिए सिर्फ एक बार खड़ा हो सकेगा।

(3) संघीय सम्मेलन (फेडरल कन्वेंशन) में बुन्डेस्टाग के सदस्य तथा उतने ही बराबर संख्या में राज्यों (लैण्डर) की विधानसभाओं (लाण्डटाग) से चुने गए सदस्य जिनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धान्त पर होगा सम्मिलित होंगे।

(4) संघीय सम्मेलन पद के राष्ट्रपति की कार्यावधि की समाप्ति से 30 दिन पहले या असामयिक मृत्यु की स्थिति में उस तिथि के 30 दिन बाद अपनी बैठक करेगा। बुन्डेस्टाग का अध्यक्ष इसकी बैठक का आयोजन करेगा।

(5) संसद के कार्यकाल की समाप्ति के बाद इस अनुच्छेद के परिच्छेद 4 के प्रथम वाक्य द्वारा निश्चित समय बुन्डेस्टाग की प्रथम बैठक के साथ आरम्भ होगा।

(6) वह व्यक्ति जो संघीय सम्मेलन का बहुमत प्राप्त करेगा निर्वाचित होगा। यदि दो बार मतदान होने तक कोई भी उम्मीदवार ऐसा बहुमत प्राप्त नहीं करता है तो आगामी मतदान में जो व्यक्ति अधिकतम मत प्राप्त करता है उसे निर्वाचित किया जायगा।

(7) इस अनुच्छेद में विस्तृत विवरण संघीय कानून द्वारा नियमित किया जायगा।

अनुच्छेद 55 अनुपयोगी व्यवसाय नहीं (या सरकारी प्रावधान)

(1) संघ का राष्ट्रपति संघ शासन या किसी लैण्ड (सभा) की सरकार या विधायिका सभा का सदस्य न रह सकेगा।

(2) संघ का राष्ट्रपति कोई अन्य वैधानिक पद का उपभोग नहीं कर सकेगा न वह किसी व्यापार नौकरी या व्यवसाय में ही संलग्न होगा। किसी लाभ वाली संस्थान के प्रबन्ध-मण्डल या संचालक-मण्डल में भी वह सम्बद्ध नहीं हो सकेगा।

अनुच्छेद 56 पद की शपथ

पद धारण करते समय सघ का राष्ट्रपति बुन्डसटाग व बुन्डेसराट के एकत्रित सदस्यो के सम्मुख निम्नलिखित शपथ लेगा—

"मै शपथ लेता हूँ कि मै निष्ठापूर्वक जर्मन जनता के कल्याण के लिए प्रयास करूँगा उन्हें हानि से बचाऊँगा बेसिक ला (सविधान) तथा सघ शासन के कानूनो का सरक्षण और प्रतिरक्षा करूँगा अन्त करण से अपने दायित्वो का पालन करूँगा तथा सभी को न्याय प्रदान करूँगा। ईश्वर मेरा सहायक हो।

यह शपथ धार्मिक प्रतिज्ञापन के बिना भी ली जा सकती है।

अनुच्छेद 57 प्रतिनिधित्व

यदि सघ का राष्ट्रपति कार्य करने मे अक्षम हो जाता है या अवधिपूर्व उसका पद रिक्त होता है तो बुन्डेसराट (राज्य सभा) का अध्यक्ष राष्ट्रपति के अधिकार का प्रयोग करेगा।

अनुच्छेद 58 प्रतिहस्ताक्षर (काउन्टर सिगनेचर)

राष्ट्रपति के आदेशो तथा आज्ञप्तियो (डिक्रीज) की वैधता के लिए यह आवश्यक होगा कि उन पर चान्सलर या उपयुक्त मन्त्री के प्रतिहस्ताक्षर हो। लेकिन चान्सलर की नियुक्ति और बर्खास्तगी पर व अनुच्छेद 63 के अन्तर्गत बुन्डसटाग को भग करने तथा अनुच्छेद 69 के परिच्छेद 3 के अन्तर्गत की जाने वाली प्रार्थना पर यह लागू नही होगा।

अनुच्छेद 59 अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों मे सघ शासन के प्रतिनिधित्व करने का अधिकार

(1) राष्ट्रपति अन्तर्राष्ट्रीय मामलो मे सघ शासन का प्रतिनिधित्व करेगा। सघ शासन की ओर से वह विदेशो मे सधियाँ करेगा। वह राजदूतो की नियुक्ति तथा विदेशी राजदूतो का स्वागत करेगा।

(2) जो सधियाँ सघ शासन के राजनीतिक सम्बन्धो को नियमित करती हैं या सघीय कानूनो से सम्बन्धित हैं उनसे सम्बद्ध ऐसे सघीय कानूनो के निर्माण के लिए किसी सुनिश्चित मामले मे कानून बनाते समय सक्षम निकायों का योगदान व स्वीकृति आवश्यक होगी। जहाँ तक प्रशासनिक समझौतो का प्रश्न है इस सम्बन्ध मे सघीय प्रशासन से सम्बद्ध व्यवस्थाएं यथोचित् परिवर्तन सहित (मुटाटिस मुटान्डिस) लागू होगी।

अनुच्छेद 59 (a)[1] रद्द कर दिया गया (रिपील्ड)

अनुच्छेद 60 सघीय नागरिक कर्मचारियो व पदाधिकारियों की नियुक्ति

1 19 मार्च 1956 के सघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृ 111) द्वारा जोडा गया तथा 24 जून 1968 के सघीय कानून (फेडरल लॉ गजट I पृष्ठ 111) द्वारा रद्द किया गया।

(1)[1] यदि कानून द्वारा अन्यथा कोई व्यवस्था न की गई हो तो राष्ट्रपति संघीय न्यायाधीशों, संघीय नागरिक कर्मचारियों, पदाधिकारियों तथा अराजादिष्ट (नान कमीशण्ड) पदाधिकारियों को नियुक्त तथा पदच्युत करेगा।

(2) संघ शासन की ओर से वह वैयक्तिक मामलों में क्षमा दान के अधिकार का प्रयोग करेगा।

(3) वह ये अधिकार अन्य अधिकारियों को प्रदत्त कर सकेगा।

(4) अनुच्छेद 46 का परिच्छेद (2) से (4) संघीय राष्ट्रपति पर यथोचित परिवर्तन सहित (मुटाटिस मुटान्डिस) लागू होगा।

अनुच्छेद 61 संघीय संवैधानिक न्यायालय के सम्मुख महाभियोग

(1) राष्ट्रपति द्वारा इस बेसिक ला (संविधान) या किसी भी संघीय कानून का जानबूझ कर उल्लंघन करने पर बुन्देसटाग (लोक सभा) या बुन्देसराट (राज्य सभा) द्वारा संघीय संवैधानिक न्यायालय में उसके विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकेगा। महाभियोग बुन्देसटाग के कम से कम एक चौथाई सदस्यों द्वारा या बुन्देसराट के एक चौथाई मतों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। महाभियोग लगाने के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए बुन्देसटाग के दो तिहाई सदस्यों या बुन्देसराट के दो तिहाई मतों की आवश्यकता होगी। महाभियोग लगाने वाले निकाय (बाडी) द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति महाभियोग को सम्पुष्ट करेगा।

(2) यदि संघीय संवैधानिक न्यायालय को यह पता चलता है कि राष्ट्रपति ने जानबूझ कर इस बेसिक ला (संविधान) या अन्य संघीय कानून का उल्लंघन किया है तो वह यह घोषणा कर सकता है कि राष्ट्रपति ने अपने पद पर बने रहने का अधिकार खो दिया है। महाभियोग सिद्ध होने पर वह एक अंतरिम आदेश द्वारा राष्ट्रपति को उसके अधिकारों के प्रयोग से वंचित कर सकता है।

VI संघीय सरकार

अनुच्छेद 62 गठन

संघीय चान्सलर (प्रधानमन्त्री) तथा संघीय मन्त्रिगण मिलकर संघ सरकार का निर्माण करेंगे।

अनुच्छेद 63 संघीय चान्सलर का चुनाव व बुन्देसटाग को भंग करना

(1) संघीय चान्सलर संघीय राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर बिना किसी बहस के बुन्देसटाग द्वारा निर्वाचित किया जायेगा।

(1) 19 मार्च 1956 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृष्ठ 111) द्वारा संशोधित

(2) जो व्यक्ति बुन्देस्टाग के सदस्यो के बहुमत का समर्थन प्राप्त करेगा वह निर्वाचित होगा। निर्वाचित व्यक्ति को सघ के राष्टपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए।

(3) यदि प्रस्तावित व्यक्ति निर्वाचित नही होता है तो बुन्दसटाग 14 दिन की अवधि म मतदान द्वारा अपने सदस्यो के आधे से अधिक मत से सघीय चासलर को चुन सकेगा।

(4) यदि इस अवधि के भीतर कोई उम्मीदवार नही चुना जाता है तो बिना देर किए नवीन मतदान होगा जिसमे जो व्यक्ति सबसे अधिक मत प्राप्त करता है वह निर्वाचित होगा। यदि निर्वाचित व्यक्ति को बुन्देसटाग के सदस्यो का बहुमत प्राप्त हुआ है तो राष्टपति को सात दिन म उसे नियुक्त करना चाहिए। यदि निर्वाचित व्यक्ति को ऐसा बहुमत नही मिला है तो राष्ट्रपति को या तो सात दिन के भीतर उसे नियुक्त करना चाहिए या बुन्देस्टाग को भग कर देना चाहिए।

अनुच्छेद 64[1] सघीय मन्त्रियो की नियुक्ति

(1) सघीय चासलर के प्रस्ताव पर सघीय राष्टपति सघीय मत्रियो को नियुक्त तथा पदच्युत करेगा।

(2) पद ग्रहण करने पर सघीय चासलर तथा मत्रिगण बुन्देस्टाग के सम्मुख अनुच्छेद 56 म उल्लिखित शपथ लेंगे।

अनुच्छेद 65 उत्तरदायित्व का विभाजन

सघीय चासलर आम नीतियो सबधी निर्देश निश्चित करेगा तथा उनके लिए उत्तरदायी होगा। इन निर्देशो की निश्चित सीमाओ म रहकर प्रत्येक सघीय मत्री अपने विभाग का निजी उत्तरदायित्व सहित स्वायत्ततापूवक सचालन करेगा। सघ-सरकार सघीय मत्रियो के बीच मतभेद के सम्बन्ध म निर्णय लेगी। सघ सरकार के कार्यों का सचालन करते समय सघीय चान्सलर उसके द्वारा स्वीकृत कायविधि के नियमो के अनुसार काय करेगा और इन नियमो के लिए सघीय राष्टपति की स्वीकृति लेनी होगी।

अनुच्छेद 65 (a)[1] सशस्त्र सनाओं पर नियत्रण सम्बन्धी अधिकार

सशस्त्र सनाओ पर नियन्त्रण सम्बन्धी शक्तिया सघीय प्रतिरक्षा मत्री म निहित होगी।

अनुच्छेद 66 अनुपयोगी (सहायक) व्यवसाय वजन

फेडरल चान्सलर और सघीय मत्रिगण कोई अन्य सवतनिक पद व्यापार

19 माच 1956 के सघीय कानून (फेडरल ला गजट 1 पृ 111) द्वारा जोड़ा गया तथा 24 जून 1968 के सघीय कानून (फेडरल ला गज 1 पृ 711 (नया सशोधन)

व्यवसाय पेशा नहीं अपना सकेंगे न किसी प्रबन्ध मण्डल से सम्बन्ध रह सकेंगे या बुंदेस्टाग की अनुमति के बिना किसी लाभ कमाने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठान के सचालक मण्डल में भाग भी नहीं ले सकेंगे।

अनुच्छेद 67 अविश्वास का प्रस्ताव

(1) बुन्डेस्टाग अपने सदस्यों के बहुमत से सघीय चासलर का उत्तराधिकारी चुनकर तथा राष्ट्रपति से चासलर को पदच्युत करने का निवेदन करके ही उसके विरुद्ध अविश्वास व्यक्त कर सकता है। सघीय राष्ट्रपति को इस निवेदन का पालन करना चाहिए तथा नव निर्वाचित व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए।

(2) प्रस्ताव तथा निर्वाचन के बीच 48 घटे का अतराल होना चाहिए।

अनुच्छेद 68 विश्वास प्रस्ताव बुंदेस्टाग को भग करना

(1) यदि सघीय चासलर द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव को बुन्डेस्टाग के सदस्यों का बहुमत अनुमोदन नहीं देता तो राष्ट्रपति सघीय चासलर के प्रस्ताव पर 21 दिनों के भीतर बुन्डेस्टाग को भग कर सकता है। जैसे ही बुन्डेस्टाग अपने सदस्यों के बहुमत से अन्य सघीय चासलर का चुनाव कर लेती है उसे भग करने का अधिकार समाप्त हो जायगा।

(2) प्रस्ताव रखने तथा उस पर होने वाले मतदान के बीच 48 घटे का अन्तराल होना चाहिए।

अनुच्छेद 69 सघीय चासलर का प्रतिनिधि (डिपुटी आफ दी चासलर)

(1) सघीय चासलर एक सघीय मन्त्री को अपना डिपुटी नियुक्त करेगा।

(2) सघीय चासलर व सघीय मत्री का कार्यकाल हर स्थिति में उस दिन समाप्त हो जायगा जब नई बुन्डेस्टाग अपनी प्रथम बैठक करेगी। किसी सघीय मन्त्री का कार्यकाल उस समय भी समाप्त होगा जब किसी अन्य कारण से सघीय चासलर का कार्यकाल समाप्त होगा।

(3) सघीय राष्ट्रपति के निवेदन पर सघीय चासलर या सघीय चासलर की प्रार्थना या सघीय राष्ट्रपति के निवेदन पर सघीय मन्त्री उस समय तक अपने कार्य के लिए बाध्य है जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता।

VII सघ शासन की विधायिका शक्तियां

अनुच्छेद 70 सघ तथा लेण्डर (राज्यों) के कानून

(1) जिस सीमा तक यह बेसिक ला (सविधान) सघ शासन को कानून बनाने का अधिकार नहीं देता उस सीमा तक लेण्डर (राज्यों) को कानून बनाने का अधिकार है।

(2) सघ शासन तथा लण्डर (राज्यों) के बीच कानून निर्माण की क्षमता सम्बन्धी विभाजन का निश्चय इस बेसिक ला द्वारा निर्धारित एकमात्र (एक्सक्लुजिव) अधिकार तथा समवर्ती (कानकरेंट) अधिकारों द्वारा होगा।

अनुच्छेद 71 सघ शासन द्वारा कानून निर्माण का एकमात्र अधिकार परिभाषा

(1) जिन मामलों में कानून बनाने का एकमात्र अधिकार सघ शासन को है उस क्षेत्र में लण्डर (राज्यों) सिर्फ तभी कानून बना सकेंगे और उसी सीमा तक बना सकेंगे जितना अधिकार एक सघीय कानून स्पष्टत उन्हें देता है।

अनुच्छेद 72 सघ का समवर्ती कानून परिभाषा

(1) समवर्ती कानूनी शक्तियों के क्षेत्र में लेण्डर (राज्यों) को उसी सीमा तक कानून निर्माण का अधिकार होगा जिस सीमा तक सघ शासन कानून निर्माण के अधिकार का प्रयोग नहीं करता।

(2) सघ शासन उस सीमा तक कानून निर्माण का अधिकारी होगा जिस सीमा तक इन मामलों में सघीय कानून द्वारा नियमन की आवश्यकता होगी क्योंकि—

1 किसी एक लण्डर (राज्य) द्वारा एक मामले पर प्रभावशाली कानून का नियमन सभव नहीं है या

2 किसी एक लण्डर (राज्य) के कानून द्वारा व्यवस्था करने में अन्य राज्यों (लेण्डर) या समस्त जनता के हितों को क्षति पहुँच सकती है।

3 कानूनी या आर्थिक एकता की स्थापना के लिए विशेषत किसी भी लण्डर (राज्य) की सीमा से परे जीवन-स्तर की एकरूपता की स्थापना के लिए, ऐसे कानून की आवश्यकता होती है।

अनुच्छेद 73 कानून निर्माण का एकमात्र अधिकार

निम्नलिखित मामलों में एकमात्र सघ शासन को नियमन का अधिकार होगा—

(1)[1] विदेशी मामलों के साथ ही साथ प्रतिरक्षा जिसमें नागरिक जनसख्या की सुरक्षा सम्मिलित है।

(2) सघ राज्य के अन्तर्गत नागरिकता

(3) विचरण पार पत्र (Passport) के मामले आप्रवास (Immigration) उत्प्रवास (Emigration) तथा प्रत्यर्पण (Extradition)

(4) मुद्रा धन सिक्के तोल माप के साथ ही साथ काल घडी क्षमता का स्तर निर्धारण (determination of standard of time)

(5) चुगी शुल्क तथा व्यापारिक क्षेत्रों की एकता व्यापार तथा जहाजरानी सबधी

1 सघीय कानून 26 मार्च 1954 (फेडरल लॉ गजट 1 पृ 45 तथा 24 जून 1968 फेडरल ला गजट 1 पृ 711) द्वारा सशोधित रूप।

धनियों मान के नाम तथा जाने की स्वतन्त्रता विदेशों के साथ माल तथा भुगतान का विनिमय इसमें चुंगी तथा सीमा सुरक्षा भी सम्मिलित हैं।

(6) संघीय रेल मार्ग तथा हवाई परिवहन

(7) डाक तथा दूर संचार-संवाद

(8) संघीय शासन तथा संघीय निगम (Corp rate) निकायों द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की सार्वजनिक कानून के अन्तर्गत कानूनी स्थिति

(9) औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार रचना-स्वत्व (Copyrights) तथा प्रकाशक के अधिकार

(10)[1] संघ राज्य तथा लण्ड (राज्यों) के बीच सहयोग के क्षेत्र

a अपराध शाखा में सम्बद्ध पुलिस की सुरक्षा

b स्वतन्त्र जनतान्त्रिक आधारभूत व्यवस्था की सुरक्षा संघ राज्य या लण्ड (राज्य) के अस्तित्व की सुरक्षा (संविधान की सुरक्षा) तथा

c संघ में ऐसे प्रयासों के विरुद्ध बल प्रयोग द्वारा अथवा बल प्रयोग की तैयारी सम्बन्धी वे कार्य जिनसे जर्मन संघीय गणतन्त्र (दी फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी) के विदेशी हितों का खतरा हो तो ऐसे प्रयासों के विरुद्ध संघीय क्षेत्र में सुरक्षा सम्बन्धी प्रयास के मामले

d इसके साथ ही संघीय अपराध-पुलिस शाखा का कार्यालय तथा अपराध के अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण की स्थापना

(11) संघीय उद्देश्य से आंकड़ों का आकलन

अनुच्छेद 74 समवर्ती कानून-तालिका (Concuorent legislation cola logue)

निम्नलिखित में समवर्ती कानून लागू होंगे—

(1) दीवानी कानून फौजदारी कानून तथा दण्डों का क्रियान्वयन न्यायालयों का गठन तथा प्रक्रिया कानूनों व्यवसाय नोटरी प्रमाणक (Notary) तथा कानूनी सलाह (Rechtsberatung)

(2) जन्म मृत्यु तथा विवाह का पंजीयन

(3) संघ तथा सम्मेलन सम्बन्धी कानून

(4) निवास तथा विदेशियों के निवास सम्बन्धी कानून

(4 a)[1] हथियारों सम्बन्धी कानून

(5) जर्मन संस्कृति के संग्रहों का विदेश भेजने के विरुद्ध कानून

(6) शरणार्थियों व निष्कासितों के मामले

(7) जन-कल्याण

(8) लण्डर (राज्यों) में नागरिकता

1 2 जुलाई 1972 संघीय कानून (फेडरल लॉ गजट 1 पृ 1305) द्वारा संशोधित रूप।

(9) युद्ध-गनि तथा मुआवज

(10)[1] युद्ध म अपग व्यक्तियो तथा युद्ध म मार गय लोगा के आश्रिना क साथ भूतपूव युद्ध व दियो का सहायता व लाभ

(10 ए) सनिका की कब्रगाहा युद्ध के शिकार लोगा की कब्रगाहा तथा निरकुशता के शिकार लोगा के कब्रगाह

(11) आर्थिक मामला से सम्बद्ध कानून खानें उद्योग विद्युत वितरण शिल्प (Crafts) व्यवसाय वाणिज्य बकिंग शयर बाजार तथा निजी बीमा कम्पनिया

(11 ए)[3] शान्तिपूर्ण उद्देश्या क लिए परमाणु ऊर्जा का उत्पादन तथा उपयोग एवं उद्देश्यो क लिए प्रतिष्ठानो की स्थापना तथा उनका सचालन परमाणु ऊर्जा क विकीरिकरण मे आयनीकरण (Ionizing) तथा रेडियोधर्मी तत्वों का समापन

(12) प्रतिष्ठाना के कानूनी गठन सहित श्रमिक कानून श्रमिका की सुरक्षा रोजगार कार्यालय तथा अभिकरण साथ ही साथ बरोजगारी बीमा सहित सामाजिक बीमा

(13)[4] शक्षणिक तथा प्रशिक्षण अनुदान का नियमन तथा वज्ञानिक शोध को प्रोत्साहन

(14) अनुच्छेद 73 तथा 74 म प्रदत्त सीमा तक स्वामित्व हरण (Expropriation) सम्बधी कानून

(15) भूमि प्राकृतिक सम्पदा तथा उत्पादन क साधनो का सावजनिक स्वामित्व म या अन्य सावजनिक नियत्रित अथ व्यवस्था मे हस्तान्तरण

(16) आर्थिक सत्ता के दुरुपयोग पर रोक

(17) कृषि तथा वन से उत्पादन को प्रोत्साहन खाद्य वितरण की सुरक्षा कृषि तथा वन-सम्पदा का आयात व निर्यात गहर समुद्र तथा तटीय समुद्र म मछली पकडना तथा तटा की सुरक्षा

(18) वास्तविक भू सम्पत्ति सम्बधी सौदे भूमि-कानून तथा कृषि सम्बधी पट्टे साथ ही मकानात आवास सम्बधी मामले

(19) मानव तथा पशुआ की उन बीमारिया क विरुद्ध कदम जो दूर फलाती हैं या जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं चिकित्सा अथवा अन्य

1 16 जून 1965 के सघीय कानून (फडरल ला गजट 1 प 513) द्वारा सशोधित रूप
2 व ?
3 13 सितम्बर 1959 क सघीय कानून (फडरल ला गजट प 813) द्वारा जोडा गया
4 12 मई 1969 1 369) द्वारा सशोधित

अनुच्छेद का परिच्छेद (3) अनुच्छेद 98 के परिच्छेद (1) के अनुवर्ती बनाये जाने वाले कानूनों पर यथोचित् परिवर्तन सहित लागू होगा।

अनुच्छेद 75 संघ शासन की ग्राम व्यवस्थाएं तालिका

अनुच्छेद 75[1] की शर्तों के अन्तर्गत संघ शासन को अधिकार होगा कि वह इन विषयों सम्बन्धी व्यवस्थाओं की रूपरेखा तैयार कर सके

(1) *यदि अनुच्छेद 74 एं अन्य व्यवस्था नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में कानून* के अन्तर्गत लैण्डर (राज्यों) कम्युनों समुदाय या अन्य निगमित निकायों Corporate bodies) की सार्वजनिक सेवाओं का कानूनी स्थिति

(1)ए[3] उच्च शिक्षा संचालन के सामान्य सिद्धान्त

(2) समाचार पत्रों तथा फिल्म उद्योग की सामान्य कानूनी स्थिति

(3) शिकार प्राकृतिक सम्पदा की सुरक्षा तथा ग्राम्य क्षेत्र की देखभाल

(4) भूमि वितरण क्षेत्रीय आयोजना पानी का प्रबन्ध

(5) आवास के पतों में परिवर्तन का पंजीयन या निवास-स्थान (domicile) *तथा परिचय पत्र (Id ntity card) से सम्बन्धित मामले।*

अनुच्छेद 76 विधेयक

(1) संघीय सरकार या बुन्देसराट के सदस्य बुन्देसटाग में विधेयक पेश करेंगे।

(2)[4] *संघीय सरकार के विधेयक पहले बुन्देसराट में प्रस्तुत किये जायेंगे।* बुन्देसराट को अधिकार होगा कि ऐसे विधेयकों पर वह 6 सप्ताह में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दे। बुन्देसराट के सम्मुख प्रस्तुत संघ सरकार का विधेयक *अत्यधिक* आवश्यक है तो ऐसी स्थिति में संघीय सरकार तीन सप्ताह के भीतर चाहे अभी बुन्देसराट ने अपनी स्थिति स्पष्ट न की हो उस विधेयक को बुन्देसटाग में प्रस्तुत कर सकती है। जब संघीय सरकार को बुन्देसराट की राय मालूम हो तो वह बिना देर किये उस स्थिति से बुन्देसटाग को सूचित करेगी।

(3)[5] *संघीय सरकार द्वारा तीन माह की अवधि के भीतर बुन्देसराट के विधेयक* बुन्देसटाग में पेश किये जायेंगे। ऐसा करते समय संघ-सरकार को उस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने चाहिए।

अनुच्छेद 77 स्वीकृत विधेयकों से सम्बद्ध प्रक्रिया—बुन्देसराट द्वारा आपत्ति

(1) संघीय कानून बनने वाले विधेयकों के लिए बुन्देसटाग की स्वीकृति आवश्यक

1 12 मई 1969 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट 1 पृष्ठ 363) द्वारा संशोधित रूप
2 18 मार्च 1971 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट 1 पृष्ठ 2 6) द्वारा संशोधित
12 मई 1969 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट 1 पृष्ठ 363) द्वारा जोड़ा गया
15 नवम्बर 1968 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट 1 पृष्ठ 1977) द्वारा संशोधित
5 17 जुलाई 1969 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट 1 पृष्ठ 816) द्वारा संशोधित

होगी। उनकी स्वीकृति के बाद बु म ाग का अध्यक्ष उसे तत्काल बुन्सराट को भेजगा।

(2)[1] स्वीकृत विधेयक की प्राप्ति के बाद बु मराट तीन सप्ताह की अवधि मे यह माग कर सकती है कि उस विधेयक पर सयुक्त रूप से बुन्सटाग तथा बुन्सराट के सदस्यो की एक समिति का आयोजन किया जाय। इस सयुक्त समिति का गठन तथा प्रक्रिया बुन्सटाग द्वारा स्वीकृत काय विधि के नियमो द्वारा सचालित होगी जिनके लिए बुन्सराट की स्वीकृति आवश्यक होगी। इस समिति मे भाग लेन वाले सदस्य अपनी सरकार के निर्देशो से बाध्य नही होग। यदि कानून बनन हेतु एक विधेयक के लिए बुन्सटाग या सघीय सरकार भी इस समिति की बैठक की माग कर सकती है। यदि यह समिति उस विधेयक मे किसी संशोधन का प्रस्ताव रखती है तो बुन्सटाग को उस पर पुन मतदान करवाना होगा।

(3) यदि किसी बिल के लिए कानून बनने म बुन्सराट की स्वीकृति अनिवाय नही है तो बुन्सराट इस अनुच्छेद के परिच्छेद (2) के अतगत प्रक्रिया पूरी होने पर बुन्सटाग द्वारा पुन स्वीकृत विधेयक के बारे मे दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकती है और अन्य मामलो म इस अनुच्छेद के परिच्छेद (3) के अन्तगत समिति के अध्यक्ष द्वारा यह सूचना देने पर कि कमेटी ने इस सम्बन्ध म अपनी कायवाही पूरी कर ली है बुन्सराट अपनी राय प्रकट करगी।

(4) यदि बुन्सराट बहुमत से आपत्ति करती है तो बुन्सटाग के बहुमत से उस रद्द किया जा सकता है। यदि बुन्सराट अपने कम से कम दो तिहाई बहुमत म आपत्ति उठाती है तो उसको रद्द करने के लिए बुन्सटाग के दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी।

अनुच्छेद 78 सघीय कानूनो के पारित होने की शर्तें

बुन्सटाग द्वारा स्वीकृत विधेयक कानून बन जायगा यदि बुन्सराट उसके प्रति सहमति प्रकट करती है या अनुच्छेद 77 के परिच्छेद (2) के अनुवर्ती माग करन म असफल रहती है या अनुच्छेद के परिच्छेद (3) के अन्तगत निर्धारित अवधि के बीच आपत्ति करने म असफल रहती है या उसी आपत्ति वापिस ले लेती है या उसी आपत्ति को बुन्देसटाग अस्वीकार कर देती है।

अनुच्छेद 79 बेसिक ला (सविधान) मे संशोधन (Amendment of the Ba ic Law)

(1) इस बेसिक ला (सविधान) को उन्ही कानूनो के अनुसार संशोधित किया जा

1 नवम्बर 1968 के सघीय कानून (फडरल ला गजट 1 द्वारा संशोधित

2. 15 नवम्बर 1968 के सघीय कानून (फेडरल ला गजट 1 पृ0 177) द्वारा संशोधित

सकता है जिनके अन्तर्गत मूल पाठ (Text) में स्पष्टतः संशोधन या सम्पूरण (Supplement) की बात कही गई है। अन्तर्राष्ट्रीय संधियां जिनके विषय शांति संधि (Peace settlement) है शांति संधि की तैयारी या आधिपत्य शासन का विनाश (Occupation Regime) या फेडरल रिपब्लिक की प्रतिरक्षा के हित हैं के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना पर्याप्त होगा कि बेसिक ला की धाराएं ऐसी संधियों का करने व उनके प्रभावी होने में बाधक नहीं होंगी तथा ऐसे स्पष्टीकरण के लिए इस बेसिक ला के मूल पाठ (Text) का सम्पूरण (Supplementation) किया जा सकता।[1]

(2) ऐसे किसी भी कानून के लिए बुन्डेस्टाग के दो तिहाई स्वीकृति सूचक मत तथा बुन्देसराट के दो तिहाई मतों की आवश्यकता होगी।

(3) संघ राज्य को लैण्डर (राज्यों) में विभाजित करने लैण्डर (राज्यों) द्वारा कानून निर्माण में भाग लेने सम्बन्धी सिद्धान्त या 1 और 20 वें अनुच्छेद के मूलभूत सिद्धान्तों के सम्बन्ध में इस बेसिक ला में संशोधन अमान्य होगा।

अनुच्छेद 80 अध्यादेशों का प्रकाशन जो कानून की भांति मान्य होंगे

(1) संघ-सरकार एक संघीय मंत्री या लैण्ड (राज्य)-सरकारों को एक कानून द्वारा अध्यादेशों के प्रकाशन का अधिकार दिया जा सकता है जो कानून की भांति मान्य होंगे। इस अधिकार प्रदान करते समय कथित कानून के अन्तर्गत उस अधिकार का सारांश उद्देश्य तथा क्षेत्राधिकार स्पष्ट होने चाहिए। उस अध्यादेश में इस कानूनी अधिकार का उल्लेख होना चाहिए कि यदि एक कानून यह व्यवस्था करता है कि अधिकार का प्रत्यायोजन (delegated) किया जा सकता है तो उस प्रत्यायोजन के लिए अन्य अध्यादेश की आवश्यकता है जो कानून की भांति मान्य हो।

(2) यदि संघीय कानून द्वारा कोई अन्य व्यवस्था न हो तो संघीय रेल-मार्ग डाक व संचार-सेवाएं या उनके शुल्क या रेल मार्ग का निर्माण एवं संचालन साथ ही ऐसे अध्यादेश जो किसी संघीय कानून के अनुवर्ती जारी किए गए हैं और जो कानून की भांति मान्य होते हैं और उनके लिए बुन्देसराट की स्वीकृति अनिवार्य हो या जो कानून लैण्डर (राज्यों) द्वारा संघ के अभिकर्त्ता (Agent) के रूप में क्रियान्वित किए जाते हों या अपने स्वयं के सम्बन्धित मामलों के कानून इन सब के लिए बुन्देसराट की स्वीकृति की आवश्यकता होगी

1 दूसरा वाक्य 26 मार्च 1954 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृष्ठ 45) द्वारा जोड़ा गया।

अनुच्छेद 80 ए[1] तनाव की स्थिति (State of Tension)

(1) जहां यह वसिक ना या प्रतिरक्षा सम्बन्धी एक सघीय कानून (इसम असैनिक जनसख्या की सुरक्षा भी सम्मिलित है) यह माग करता है कि सिर्फ इस अनुच्छेद के अनुसार ही कानूनी व्यवस्था की जाय उनका प्रयोग जब प्रतिरक्षा की स्थिति विद्यमान हो उसे छोड़कर तभी किया जा सकता है जब बुन्डेसटाग विशेष रूप से यह घोषणा करे कि तनाव की स्थिति विद्यमान है। अनुच्छेद 12 ए के परिच्छेद (5) के प्रथम वाक्य तथा परिच्छेद (6) के दूसरे वाक्य में उल्लिखित मामलों के सम्बन्ध में तनाव की स्थिति का निर्णय तथा उसकी सुनिश्चित स्वीकृति के लिए दिये गये मतों का दो तिहाई बहुमत आवश्यक होगा।

(2) बुन्देसटाग जब कभी निवेदन करे तो इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) के अन्तर्गत अधिनियमित कानूनी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत उठाया गया कोई भी कदम रद्द कर दिया जायगा।

(3) सन्धियों के अन्तर्गत कोई अन्तर्राष्ट्रीय सगठन सघ सरकार की स्वीकृति तथा इच्छानुसार इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) की कानूनी व्यवस्थाओं का प्रनार या उसम कमी कर सकता। इस परिच्छेद के अनुवर्ती उठाया गया कदम बुन्डेसटाग के सदस्यों के बहुमत के निवेदन पर हटाया जायेगा।

अनुच्छेद 81 विधायी सकट की स्थिति

(1) यदि अनुच्छेद 68 की परिस्थितियों में बुन्डेसटाग भग नहीं होती है और सघ सरकार द्वारा किसी विधेयक को अत्यावश्यक घोषित करने पर भी यदि बुदेसटाग उस विधेयक को अस्वीकृत कर देती है तो सघीय राष्ट्रपति बुन्डसरात की स्वीकृति सहित सघ सरकार की प्रार्थना पर इस विधेयक के सम्बन्ध में विधायी सकट की स्थिति की घोषणा कर सकता है। यही बात उस विधेयक के बारे में लागू होगी जिसे अस्वीकृत कर दिया गया है यद्यपि सघीय चासलर ने उसे अनुच्छेद 68 के अन्तर्गत प्रस्ताव के साथ पेश किया है।

(2) यदि विधायी सकट की स्थिति की घोषणा कर दिये जाने के बाद बुन्डेसटाग पुन उस विधेयक को अस्वीकार कर देता है या उसे उस रूप में स्वीकार करती है जो सघ सरकार को मान्य नहीं है तो वह विधेयक बुन्डसराट द्वारा स्वीकृत किये जाने की स्थिति में कानून समझा जाएगा।

(3) एक सघीय चासलर के कार्य-काल में बुन्डेसटाग द्वारा अस्वीकृत कोई विधेयक विधायी सकट की स्थिति की पहली घोषणा के 6 माह की अवधि के भीतर

1 24 जून 1968 के सघीय कानून (फेडरल ला गजट 1 पृ 711) द्वारा जोड़ा गया।

इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) तथा (2) के अन्तर्गत कानून बन सकेगा। इस अवधि की समाप्ति के बाद उसी संघीय चान्सलर के कार्यालय में विधायी संकट की स्थिति की दूसरी घोषणा अस्वीकार्य होगी।

(4) इस अनुच्छेद के परिच्छेद (2) के अनुसार निर्मित कानून द्वारा इस बेसिक ला को पूर्ण या आंशिक रूप में न तो संशोधित किया जा सकता है न ही निरस्त (रद्द) किया जा सकता है।

अनुच्छेद 82 कानूनों का प्रचलित करने तथा उनके प्रभावी होने की तिथि

(1) इस बेसिक ला की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निर्मित कानून प्रतिहस्ताक्षरित (Countersignature) और संघीय राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद संघीय विधि राजपत्र (फेडरल ला गजट) में जारी किये जायेंगे। अध्यादेश जो कानूनी शक्ति से युक्त होंगे वे उस अधिकरण (Agency) द्वारा हस्ताक्षरित होंगे जो उन्हें जारी करता है यदि कानून द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गई हो तो वे फेडरल ला गजट में प्रचारित किये जायेंगे।

(2) प्रत्येक कानून या प्रत्येक अध्यादेश का जो कानूनी शक्ति से युक्त है अपने प्रभावी होने की तिथि का उल्लेख करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था के अभाव में फेडरल ला गजट में प्रकाशित होने के 14 दिन की समाप्ति पर वह प्रभावी माना जायगा।

VIII संघीय कानूनों तथा संघ प्रशासन का कार्यान्वयन (The Execution of Federal Laws of the Federal Administration)

अनुच्छेद 83 संघीय कानूनों का लेण्डर (राज्यों) द्वारा कार्यान्वयन

जहाँ तक यह बेसिक ला कोई अन्य व्यवस्था नहीं करता या अनुदेश नहीं देता उस सीमा तक लेण्डर (राज्यों) संघीय कानून का उसी प्रकार कार्यान्वयन करेंगे जैसे वह उनका अपना मामला हो।

अनुच्छेद 84 लेण्ड (राज्य) प्रशासन तथा संघ सरकार का निरीक्षण

(1) जहाँ लेण्डर (राज्य) संघीय कानूनों को अपना मामला समझकर उनका कार्यान्वयन करते हैं वहाँ वे उस सीमा तक आवश्यक अधिकारियों व कार्यालयों की व्यवस्था करेंगे तथा प्रशासनिक प्रक्रिया को नियमित करेंगे जिस सीमा तक बुन्डसराट द्वारा स्वीकृति प्राप्त संघीय कानून दूसरी व्यवस्था नहीं करते।

(2) संघ-सरकार बुन्डसराट की स्वीकृति से उपयुक्त सामान्य प्रशासनिक नियम जारी कर सकती है।

( ) संघ-सरकार इस बात की निगरानी रखती कि लेण्डर (राज्यों) सुनिश्चित रूप से प्रभावी संघीय कानून का कार्यान्वयन करते हैं। इस उद्देश्य के लिए संघ

सरकार नण्ड (राज्य) के सर्वोच्च अधिकारियों तथा सहायक अधिकारियों के पास भी आयुक्त को भेज सकती है। इसके लिए वह उनकी स्वीकृति मांगगी यदि ऐसा स्वीकृति नहीं मिलता है तो बुन्डसराट की स्वीकृति से उन्हें भेज सकेगा।

(4) यदि संघ-सरकार का पता चलता है कि नण्ड (राज्यों) में संघीय कानूनों के कार्यान्वयन में त्रुटियां हैं और वे उन्हें नहीं सुधारते हैं तो संघ-सरकार या सम्बद्ध नण्ड (राज्य) के आवेदन पर बुन्डसराट निर्णय देगी कि क्या उस नण्ड ने प्रयाप्त कानून का उल्लंघन किया है। बुन्डसराट के निर्णय को संघीय संवैधानिक न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

(5) संघीय कानून के कार्यान्वयन की दृष्टि से संघीय सरकार को बुन्डसराट की स्वीकृति पर एवं संघीय कानून द्वारा यह अधिकार दिया जा सकेगा कि वह विशेष मामलों में अलग निर्देश भेज सके। यदि संघीय सरकार मामले को अत्यावश्यक मानती है तो वे निर्देश नण्ड (राज्य) के सर्वोच्च अधिकारियों को भेजे जायेंगे।

अनुच्छेद 85 लण्डेर (राज्यों) द्वारा संघ शासन के एजेन्ट के रूप में कार्यान्वयन

(1) जहां नण्डेर (राज्यों) संघ शासन के एजेन्ट के रूप में संघीय कानूनों का कार्यान्वयन करते हैं वहां जिस सीमा तक बुन्डसराट की स्वीकृति सहित संघीय कानून अन्य व्यवस्था नहीं करते आवश्यक कार्यालय की स्थापना करना लण्डेर (राज्यों) का कार्य होगा।

(2) संघीय-सरकार बुन्डसराट की स्वीकृति से उपयुक्त सामान्य प्रशासनिक नियम जारी कर सकती है वह नागरिक अधिकारियों तथा अन्य वेतन भोगी सार्वजनिक कर्मचारियों के समान प्रशिक्षण का नियमन कर सकता है। मध्यवर्ती स्तर पर मुख्य अधिकारियों (Head of authority) की नियुक्ति उसकी सहमति से होगी।

(3) नण्ड (राज्य) पदाधिकारी उपयुक्त सर्वोच्च संघीय पदाधिकारियों के निर्देशों के अधीन कार्य करेंगे। संघीय से उसे आवश्यक निर्देश नण्ड (राज्य) के सर्वोच्च अधिकारियों के पास भेज सकेगा। नण्ड (राज्य) के सर्वोच्च अधिकारी उनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।

(4) संघीय निगरानी कानून के अनुसार क्रियान्वयन की उपयुक्तता के आधार पर होगा। इस उद्देश्य के लिए संघ-सरकार प्रतिवेदनों तथा दस्तावेजों की प्राप्ति का अनुरोध कर सकती तथा सभी अधिकारियों के पास आयुक्तों को भेज सकेगा।

अनुच्छेद 86 प्रत्यक्ष संघ प्रशासन

जहां संघ शासन प्रत्यक्ष संघीय प्रशासन या संघीय निगमों निकायों या संस्थाओं में कानूनों का कार्यान्वयन करता है वहां संघ सरकार जब तक सम्बद्ध

कानून कोई और विशेष व्यवस्था नहीं करता उपयुक्त सामान्य प्रशासनिक नियम जारी करेगी। जिस सीमा तक सम्बद्ध कानून अन्य व्यवस्था नहीं करता उस सीमा तक संघ-सरकार आवश्यक कार्यालयों की स्थापना की व्यवस्था करेगी।

अनुच्छेद 87[1] प्रत्यक्ष संघ प्रशासन के विषय

(1) विदेशी-सेवाएं संघीय वित्तीय प्रशासन संघीय रेल सड़क मार्ग संघीय डाक सेवाएं तथा अनुच्छेद 89 की व्यवस्थाओं के अनुसार संघीय जल-मार्गों तथा जहाजरानी का प्रशासन सीधे संघीय प्रशासन का विषय समझा जाकर उसका क्रियान्वयन होगा उसका अपना सहायक प्रशासनिक ढांचा भी होगा संघीय सीमा सुरक्षा प्राधिकरण पुलिस सूचना व संचार का केन्द्रीय कार्यालय अपराध शाखा-पुलिस का कार्यालय और शक्ति के प्रयोग या उसकी तैयारी जिससे जर्मन संघीय गणराज्य (फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी) के विदेशी हितों का तथा संविधान की सुरक्षा तथा संघीय क्षेत्रों को खतरा हो उसे सुरक्षा के लिए आंकड़ें संकलित करने का कार्यालय संघीय कानून के द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं।

(2) सामाजिक बीमा संस्थाएं जिनका क्षेत्राधिकार एक लैण्ड (राज्य) के भू प्रदेश से अधिक विस्तृत हो सार्वजनिक कानूनों के अन्तर्गत संघीय निगम निकाय के रूप में प्रशासित होंगी।

(3) इसके अतिरिक्त सार्वजनिक कानून के अन्तर्गत स्वशासन संघीय उच्चतर संस्थाएं तथा उनके साथ ही साथ संघीय निगम निकाय तथा संस्थाएं संघीय कानून के अन्तर्गत उन मामलों में स्थापित की जा सकेंगी जिनके निर्माण का संघ शासन को अधिकार है बुन्देसटाग की स्वीकृति सहित तथा बुन्देसटाग के सदस्यों के बहुमत से अत्यावश्यक होने पर मध्यवर्ती तथा निम्न वर्ती संघीय कार्यालयों की स्थापना की जा सकती है।

अनुच्छेद 86 ए[3] सैन्य संचय संख्या सशस्त्र सेनाओं का उपयोग व कार्य

(1) संघ शासन प्रतिरक्षा के उद्देश्य से सशस्त्र सेना का निर्माण करेगा। उसकी संख्या तथा सामान्य संगठन ढांचा बजट में प्रदर्शित किया जायेगा।

(2) प्रतिरक्षा उद्देश्य के अतिरिक्त सशस्त्र सेनाओं का उपयोग सिर्फ उसी सीमा व क्षेत्रों तक किया जा सकेगा जिनकी बेसिक ला संविधान स्पष्ट व्यवस्था करता है।

1 19 मार्च 1956 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृष्ठ 111) द्वारा जोड़ा गया तथा 24 जून 1968 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृष्ठ 711) द्वारा संशोधित

2 28 जुलाई 1972 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृष्ठ 1305) द्वारा संशोधित रूप।

3 19 मार्च 1956 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृ 111) द्वारा जोड़ा गया।

(3) जब प्रतिरक्षा की स्थिति या तनाव की स्थिति विद्यमान है तो सशस्त्र सेनाओं को नागरिक जनसंख्या की सुरक्षा का अधिकार होगा तथा वह यातायात नियन्त्रण का कार्य उस सीमा तक कर सकेंगी जिस सीमा तक उनकी प्रतिरक्षा-सम्बन्धी कार्य की दृष्टि में ऐसा जरूरी है। इसके अतिरिक्त प्रतिरक्षा की स्थिति या तनाव की स्थिति में सशस्त्र सेना पुलिस की सहायता के लिए नागरिक सम्पत्ति की सुरक्षा भी कर सकती है। ऐसी स्थिति में सशस्त्र सेनाएं सक्षम अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगी।

(4) यदि अनुच्छेद 92 के परिच्छेद (2) में वर्णित स्थिति उत्पन्न होती है तथा पुलिस एवं संघीय सुरक्षा-दल स्थिति का सामना करने में असमर्थ होते हैं तो संघ शासन या एक लण्ड (राज्य) के अस्तित्व का शासन सत्ता या स्वतन्त्र जनतान्त्रिक आधारभूत व्यवस्था पर खतरे को दूर करने के लिए सशस्त्र सेनाओं का नागरिक सम्पत्ति की रक्षा तथा संगठित और सशस्त्र विद्रोहियों का मुकाबला करने में पुलिस तथा संघीय सीमा रक्षक दल की मदद के लिए उपयोग किया जायगा। जब कभी बुन्डस्टाग या बुन्डसराट निवेदन करें तो सशस्त्र सेनाओं का उपयोग बन्द किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 87-ख[1] सशस्त्र सेनाओं का प्रशासन

(1) संघीय सशस्त्र सेनाओं का प्रशासन सीधे संघीय प्रशासन के रूप में क्रियान्वित किया जायगा। इसका अपनी प्रशासनिक उपसंरचना होगा। इसका कार्य मानव कर्मचारी गण के मामलों का प्रशासन तथा सशस्त्र सेनाओं की रसद आवश्यकताओं की सीधे पूरा करना होगा (बुन्डसराट की स्वीकृति से निर्मित संघीय कानून के अभाव में घायल व्यक्तियों की देखभाल तथा पहुंचाने का कार्य तथा निर्माण-कार्य सशस्त्र सेना प्रशासन को नहीं सौंपा जायगा। ऐसी स्वीकृति उन कानूनों में भी जरूरी होगी जिनके अन्तर्गत सशस्त्र सेना प्रशासनिक को किसी अन्य वर्ग के अधिकारों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया हो। यह बात सेवा कर्मचारी-गण से सम्बद्ध कानूनों पर लागू नहीं होगी।

(2) इसके अतिरिक्त बुन्डसराट की स्वीकृति से प्रतिरक्षा से सम्बद्ध संघीय कानून द्वारा जिनमें सेवा सेवाओं के लिए भर्ती तथा नागरिक जनसंख्या की सुरक्षा भी सम्मिलित है यह व्यवस्था दी जा सकती है कि उसका संचालन पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से या तो सीधे संघीय प्रशासन द्वारा स्थापित उनकी अपनी उपसंरचना द्वारा या संघ शासन के एजेन्ट के रूप में लण्डर (राज्यों) द्वारा किया जा सकेगा। यदि ऐसे कानून का कार्यान्वयन लण्डेर (राज्य) संघ शासन के एजेन्ट के रूप में करते हैं तो बुन्डसराट की स्वीकृति से

[1] 19 मार्च 1956 के संघीय कानून (फेडरल लॉ गजट I पृ 111) द्वारा जोड़ा गया।

अनुच्छेद 8० (ए) के अन्तगत यह व्यवस्था की जा सकती है कि जो अधिकार *सघ शासन के पास हैं व अधिकार पूर्ण या आंशिक रूप से उपयुक्त सर्वोच्च* सघीय अधिकारियो को सौंप जा सकते हैं ऐसी स्थिति मे इन अधिकारी-गण को अनुच्छेद 85 के परिच्छेद (2) के अन्तगत सामान्य निर्देश जारी करते *समय बुन्देसराट की स्वीकृति लेना आवश्यक नही होगा।*

अनुच्छेद 87–सी[1] परमाणु ऊर्जा का उत्पादन व उपयोग

बुन्देसराट की स्वीकृति से अनुच्छेद 78 के 11ए के अन्तगत निर्मित कानूनो मे यह व्यवस्था की जा सकती है कि लण्डर (राज्यो) द्वारा सघ शासन के एजन्ट के रूप मे उनका कार्यान्वयन किया जा सकता है।

अनुच्छेद 87–डी उड्डयन प्रशासन

(1) उड्डयन प्रशासन सीधे सघ शासन द्वारा क्रियान्वित होगा।
(2) बुन्देसराट की स्वीकृति से सघीय कानून द्वारा उड्यन प्रशासन के काय लण्डर (राज्यो) को सौंपे जा सकेंगे जो सघ शासन के एजन्ट के रूप मे इन्हें क्रियान्वित करेंगे।

अनुच्छेद 88 सघीय बैंक

सघ शासन एक कागजी मुद्रा तथा मुद्रा जारी करने वाला बैंक स्थापित करेगा जो सघीय बैंक के रूप मे काय करेगा।

अनुच्छेद 89 सघीय जल माग

(1) सघ शासन भूतपूर्व राइश (साम्राज्य) जल मार्गों का स्वामी होगा।
(2) सघ शासन स्वय अपने अधिकारियो के माध्यम से सघीय जल-मार्गों का प्रशासन चलायगा। यह उन सरकारी दायित्वो का भी निर्वाह करेगा जो *अन्तर्देशीय जल-माग मे सम्बद्ध हैं तथा जिनका क्षेत्र एक लण्ड (राज्य) के* क्षेत्र से आगे तक विस्तृत है तथा व सरकारी काय भी करेगा जो व्यापारिक जहाजरानी से सम्बद्ध हैं तथा उसे कानून द्वारा दिये गये हैं। एक लण्ड *(राज्य) के निवेदन करने पर सघ शासन उन सघीय जल मार्गों* का प्रशासन एक लण्ड (राज्य) को सौंप सकेगा जो एक लण्ड (राज्य) के प्रदेश मे निहित हैं। लण्ड (राज्य) सघ शासन के एजेंट के रूप मे काय करेगा। यदि एक जलमाग कई लेण्डर (राज्यो) की सीमा को छूता है और यदि सम्बद्ध लण्डर (राज्यो) प्राथना करते हैं तो सघ शासन एक विशेष लण्ड (राज्य) को अपना एजेंट नियुक्त कर सकेगा।

1 23 दिसम्बर 1959 के सघीय कानून (फडरल लॉ गजट I पृ 813) द्वारा जोड़ा गया
2 6 फरवरी 1961 के सघीय कानून (फडरल लॉ गजट I पृ 65) द्वारा जोड़ा गया।

(3) जनमार्गों के प्रशासन विकास तथा नवीन निर्माण-कार्यों के समय भू सवधन व परिष्कार की आवश्यकता तथा जल प्रबंध को लेण्डर (राज्यो) के साथ समझौतो द्वारा सुरक्षित किया जायेगा।

अनुच्छेद 90 सघीय राज मार्ग

(1) सघ शासन भूतपूर्व राइश (साम्राज्य) के मोटर मार्गों (Reich Sauto bahnen) तथा राईश राजमार्गों का स्वामी होगा।

(2) लण्ड (राज्य) कानून के अन्तर्गत लेण्डर (राज्यो) या एसी स्व शासी निगम निकाय सघ शासन के एजेंट के रूप मे सघीय मोटर मार्गों तथा अन्य सघीय राज मार्गों जो दूरवर्ती यातायात के लिए प्रयुक्त होते हैं का प्रशासन करेंगे।

(3) एक लण्ड (राज्य) की प्रार्थना पर सघ शासन उस लण्ड (राज्य) के प्रदेश मे आने वाले मोटर मार्गों तथा अन्य सघीय राज मार्गों को जो दूरवर्ती यातायात के लिए प्रयुक्त होते हैं सीधे सघीय प्रशासन मे ले लेगा।

अनुच्छेद 91[1] सघ शासन या एक लण्ड (राज्य) के अस्तित्व को उत्पन्न खतरों को दूर करना

(1) सघ शासन या एक लण्ड (राज्य) के अस्तित्व या स्वतन्त्र जनतांत्रिक आधार भूत व्यवस्था को उत्पन्न किसी आसन्न खतरे को दूर करने के लिए एक लण्ड अन्य लेण्डर (राज्यो) की पुलिस सेवाओ या अन्य दस्तो की सेवाएं तथा अन्य प्रशासनिक कार्यालयों तथा सघीय सीमा रक्षक दल से सुविधाएं माग सकता है।

(2) यदि एक लण्ड (राज्य) जहा ऐसा आसन्न खतरा है स्वय खतरे के मुकाबले का अनिच्छुक या अयोग्य है तो सघ सरकार इस लण्ड में पुलिस रख सकती है तथा अन्य लेण्डर (राज्यो) को पुलिस दस्तो का तथा सघीय रक्षक दल को अपने स्वय के निर्देशन में रख सकती है इसके लिए दिया गया आदेश खतरा टल जाने पर या बुन्देसराट के अन्यथा निवेदन पर किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। यदि एक लण्ड से अधिक विस्तृत प्रदेश में खतरा फैलता है तो सघ शासन ऐसे खतरे का प्रभावशाली ढग से मुकाबला करने के लिए जिस सीमा तक आवश्यक हो लण्ड (राज्य) सरकार को निर्देश दे सकती है। इस परिच्छेद के प्रथम तथा द्वितीय वाक्य उस व्यवस्था से प्रभावित नहीं होंगे।

1 24 जून 1968 के सघीय कानून (फेडरल लॉ गजट I पृ 711) द्वारा संशोधित रूप
2 उदाहरणार्थ —नागरिक सुरक्षा दल आपातकालीन नागरिक इंजीनियरिंग दल अग्नि शमन दल इत्यादि इत्यादि।

अनुच्छेद 91 ए[1] संयुक्त कृत्य की परिभाषा

(1) संघ शासन निम्नांकित मामलों में लैण्डर (राज्यों) के साथ दायित्वों का निवाह करेगा बशर्ते कि ऐसा दायित्व समग्र समाज के लिए महत्त्वपूर्ण है तथा जीवन स्थितियों में सुधार लाने के लिए संघ का सहयोगी होना आवश्यक है—

(i) विश्वविद्यालय चिकित्सा गृह सहित उच्चतर शिक्षा संस्थाओं का विस्तार व निर्माण

(ii) क्षेत्रीय आर्थिक ढांचों में सुधार

(iii) कृषि-संरचना तथा तटीय संरक्षण में सुधार

(2) बुन्डेसराट की स्वीकृति के साथ संयुक्त कृत्य को एक संघीय कानून द्वारा परिभाषित किया जायगा। इस कानून में संयुक्त कृत्य के निर्वाह के लिए सामान्य संचालन नियम सम्मिलित होने चाहिए।

(3) ऐसे कानून में व्यापक संयुक्त योजना के लिए आवश्यक प्रक्रिया व संस्थाओं की व्यवस्था होगी। व्यापक परियोजना में एक योजना को सम्मिलित करने के लिए उस लैण्ड की स्वीकृति आवश्यक होगी जिसमें उसे क्रियान्वित किया जाता है।

(4) उन मामलों में जिनमें इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) के विषय 1 तथा 2 लागू होते हैं संघ शासन कम से कम आधा व्यय भार वहन करेगा तथा यह अनुपात सभी लैण्डर (राज्यों) के लिए समान होगा। विस्तृत विवरण कानून द्वारा नियमित किया जायगा। धन की व्यवस्था संघ तथा लैण्डर (राज्यों) के बजट में विनियोग पर आधारित होगी।

(5) यदि संघ सरकार तथा बुन्डेसराट ऐसी मांग करे तो उन्हें संयुक्त कृत्यों के कार्यान्वयन के बारे में सूचना दी जायेगी।

अनुच्छेद 91 बी शैक्षणिक योजना तथा शोध-कार्यों में संघ शासन तथा लैण्डर (राज्यों) का सहयोग

समझौता के अनुवर्ती संघ शासन तथा लैण्डर (राज्य) शैक्षणिक योजना तथा अधिक्षेत्रीय (Supra regiond) महत्त्व की वैज्ञानिक शोध की परियोजनाओं एवं संस्थाओं को प्रोत्साहन देने में सहयोग करेंगे। उपर्युक्त समझौता से व्यय भार का विभाजन नियमित किया जायगा।

1 12 मई 1969 के संघीय कानून (फेडरल लॉ गजट 1 पृ 359) द्वारा जोड़ा गया।
2 वही

न्यायिक प्रशासन

अनुच्छेद 92[1] न्यायालयों का सगठन

न्यायिक शक्तियां न्यायाधीशो मे निहित होगी। उनका निष्पादन बेसिक ला (संविधान) मे दी गई व्यवस्था के अनुसार सघीय सवैधानिक न्यायालय सघीय न्यायालय तथा लेण्डर (राज्यो) के न्यायालयो द्वारा किया जायगा।

अनुच्छेद 93 सघीय सवैधानिक न्यायालय सक्षमता

(1) सघीय सवैधानिक न्यायालय निम्नांकित स्थितियों मे निर्णय करेगा—

(i) एक सर्वोच्च सघीय निकाय या अन्य दलो जिन्हे बेसिक ला (संविधान) या एक सर्वोच्च सघीय निकाय की कार्य विधि नियम द्वारा अधिकार दिये गये हैं, के बीच अधिकारो या कर्त्तव्यो को लेकर विवाद उठ खडा होता है तो बेसिक ला (संविधान) की व्याख्या करना

(ii) सघीय सरकार लेण्ड (राज्य) सरकार के निवेदन पर या एक तिहाई बुन्डेस्टाग के सदस्यो के निवेदन पर इस बेसिक ला (संविधान) के अन्तर्गत सघीय तथा लेण्ड (राज्य) के कानून के साथ औपचारिक या वास्तविक सगति के सम्बन्ध मे मतभेद या सन्देह होने की या लेण्ड (राज्य) के कानून व अन्य सघीय कानून के बीच असगति होने की स्थिति मे

(iii) सघ शासन व लेण्डर (राज्य) के अधिकारो और कर्त्तव्यो तथा विशेषत लेण्डर (राज्यो) द्वारा सघीय कानूनो के क्रियान्वयन तथा सघीय पर्यवेक्षण के निष्पादन मे मतभेद होने पर

(iv) यदि अन्य न्यायालयो मे जाने का मार्ग खुला नहीं है तो विभिन्न लेण्डर (राज्यो) के बीच या एक लेण्ड (राज्य) मे या सघ शासन तथा लेण्डर (राज्यो) के मध्य सार्वजनिक कानूनो से सम्बद्ध अन्य मतभेदो पर

(iv)ए असवैधानिकता की शिकायत पर जिसकी शिकायत कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसका यह दावा है कि अनुच्छेद 20 के परिच्छेद (4) अनुच्छेद 33 38 101 103 या 104 मे प्रदत्त उसके मूलभूत अधिकारो मे एक का या अन्य अधिकारो मे से किसी एक का सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा हनन किया गया है[2]।

(vi)बी[3] कम्यूनो या कम्यूनो के सघ द्वारा इस आधार पर असवैधानिकता की शिकायत कि अनुच्छेद 28 के अन्तर्गत उनके स्व शासन के अधि

1 18 जून 1968 के सघीय कानून (फेडरल ला गजट 1 पृ 657) द्वारा सशोधित रूप।
2 12 मई 1969 के सघीय कानून (फेडरल लॉ गजट 1 पृ 359) के द्वारा जोड़ा गया।
3 29 जनवरी 1969 के सघीय कानून (फेडरल लॉ गजट 1 पृ 97) द्वारा जोड़ा गया।

कारो का हनन एव कानून द्वारा किया गया है । इसम लण्ड (रा य) कानून शामिल नहा है क्योकि उसके लिए सम्बद्ध लण्ड सवधानिक यायालय म शिकायत की जा सकती है ।

(४) अ य मामलो म जिनकी व्यवस्था बेसिक ला (सविधान) मे है ।

(2) सघीय सवधानिक न्यायालय ऐसे अन्य मामलो म भी कायवाही करेगा जो उस सघीय कानून द्वारा सौंपे गये हैं ।

अनुच्छेद 94 सघीय सवधानिक यायालय गठन

(1) सघीय सवधानिक यायालय सघीय यायाधीशो व अ य सदस्यो से निर्मित होगा । सघीय सवधानिक यायालय के आधे सदस्य बुन्डेसटाग और बुन्देस राट द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे । व बुन्देसटाग बुन्देसराट सघ सरकार और लण्ड क किसी निकाय क सदस्य नहीं हो सकते ।

(2) सघीय सवधानिक यायालय की रचना तथा प्रक्रिया एक सघीय कानून द्वारा नियमित होगी जो यह स्पष्ट करेगा कि किन मामलो में उसके निर्णय कानून की शक्ति स सम्पन्न होगे ।[1] ऐसे कानून क लिए यह अनिवाय किया जा सकता है कि असवधानिकता की ऐसी शिकायत करने स पूव सभी अ य कानूनी उपचार पूरे कर लिए गये हैं । साथ ही इस कानून मे शिकायत की स्वीकृति से सम्बद्ध विशेष यवस्था की जा सकती है ।

अनुच्छेद 95 सघ—शासन के सर्वोच्च यायालय—सयुक्त नामावलि

(1) सामान्य प्रशासनिक वित्तीय श्रम तथा सामाजिक क्षेत्राधिकार क उद्देश्यो के लिए सघ शासन सघीय न्यायालय सघीय प्रशासनिक यायालय सघीय राजकोषीय (Fiscal) यायालय सघीय श्रम-न्यायालय तथा सघीय सामाजिक यायालय ऐसे सर्वोच्च यायालयो की स्थापना करेगा ।

(2) इसम से प्रत्येक न्यायालय क यायाधीशो की नियुक्ति स म सघीय मत्री तथा यायाधीशो के चयन के लिए गठित एक समिति जिसम लण्ड (रा य) क सम्बद्ध मत्री तथा उतनी ही सख्या म बुन्देसटाग के सदस्य होगे के द्वारा सयुक्त रूप स की जायगी ।

(3) क्षेत्राधिकार की एकरूपता की सुरक्षा के लिए इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) म उल्लिखित यायालयो की एक सयुक्त नामावलि (सीनेट) निश्चित की जायगी । विस्तृत विवरण एक सघीय कानून द्वारा नियमित किया जायेगा ।

1 29 जनवरी 1969 क सघीय कानून (फडरल लॉ गजट 1 प 97) द्वारा जोडा गया ।
2 18 जून 1968 क सघीय कानून (फडरल लॉ गजट 1 प 657) द्वारा सशोधित रूप ।

अनुच्छेद 96[1] संघीय न्यायालय

(1) संघ शासन औद्योगिक सम्पत्ति अधिकारों से सम्बद्ध मामलों के लिए एक संघीय न्यायालय स्थापित कर सकता है।

(2) संघ शासन सशस्त्र सेनाओं के लिए सैनिक अपराध न्यायालयों की संघीय न्यायालयों के रूप में स्थापना कर सकता है। वे अपराध क्षेत्राधिकार का निष्पादन उस समय करेंगे जब प्रतिरक्षा की स्थिति मौजूद हो अन्यथा वे सिर्फ विदेशों में स्थित या युद्धपोतों पर तैनात सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों पर क्षेत्राधिकार का उपयोग करेंगे। विस्तृत विवरण एक संघीय कानून द्वारा नियमित किया जायगा। ये न्यायालय संघीय न्याय मंत्री के क्षेत्राधिकार में रहेंगे। उनके लिए नियुक्त न्यायाधीशों में पूर्णकालिक न्यायाधीशों के कर्तव्य निभाने की योग्यता होनी चाहिए।

(3) इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) तथा (2) में उल्लिखित न्यायालयों द्वारा अपील के लिए संघीय न्यायालय ही सर्वोच्च न्यायालय होगा।

(4)[2] संघ शासन संघीय लोकसेवा कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालयों की स्थापना कर सकेगा।

(5)[3] अनुच्छेद 26 के परिच्छेद (1) के अंतर्गत फौजदारी कार्यवाही या राज्य की रक्षा के सम्बन्ध में एक संघीय कानून जिसके लिए बुंदेसराट की स्वीकृति अनिवार्य है द्वारा यह व्यवस्था की जा सकती है कि लैण्ड (राज्य) के न्यायालय संघीय क्षेत्राधिकार का निष्पादन कर सकें।

अनुच्छेद 96 ए[4]

अनुच्छेद 97 न्यायाधीशों की स्वतंत्रता

(1) न्यायाधीश स्वतंत्र होंगे तथा सिर्फ कानून के अधीन होंगे।

1 मूल 96 अनुच्छेद 18 जून 1968 के संघीय कानून द्वारा रद्द कर दिया गया (फेडरल ला गजट I पृ 658) वर्तमान 96 अनुच्छेद भूतपूर्व 96 ए अनुच्छेद है जो 19 मार्च 1956 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृ 111) द्वारा जोड़ा गया तथा—
6 मार्च 1961 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृ 141) द्वारा।
18 जून 1968 के संघीय कानून I पृ 658
12 मई 1969 I पृ 363
26 अगस्त 1969 I पृ 1357
द्वारा संशोधित किया गया।

2 12 मई 1969 I पृ 363
द्वारा संशोधित

3 26 अगस्त 1969 I पृ 1357
द्वारा जोड़ा गया।

4 मूल 96 अनुच्छेद को रद्द कर दिया गया।

(2) स्थापित पदों पर स्थायी तथा पूर्णकालिक रूप से नियुक्त न्यायाधीशों को सिवाय एक न्यायिक निर्णय या सिर्फ उन्ही आधारों पर जिनकी कानून द्वारा व्यवस्था है उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले उनकी इच्छा के विरुद्ध न पदच्युत किया जा सकेगा न पद से स्थायी या अस्थायी तौर पर निलंबित किया जा सकेगा या भिन्न पद दिया जा सकेगा अथवा अवकाश प्राप्त करने को कहा जा सकेगा। जीवन भर के लिए नियुक्त न्यायाधीशों के अवकाश प्राप्ति के सम्बन्ध में कानून द्वारा आयु की सीमा निर्धारित की जा सकेगी। न्यायालयों की संरचना या क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में परिवर्तन की स्थिति में न्यायाधीशों को अन्य न्यायालयों में स्थानान्तरित किया जा सकेगा या पद से हटाया जा सकेगा बशर्ते उन्हें पूरी तनख्वाह दी जाय।

अनुच्छेद[1] 98 न्यायाधीशों की कानूनी स्थिति

(1) *एक विशेष संघीय कानून द्वारा न्यायाधीशों की कानूनी स्थिति नियमित की जायेगी।*

(2) यदि एक न्यायाधीश अपनी शासकीय (आफिशियल) या अशासकीय (नान आफिशियल) हैसियत में इस बेसिक लॉ (संविधान) या एक लैण्ड (राज्य) की संवैधानिक व्यवस्था के सिद्धान्तों का अतिक्रमण करता है तो बुन्देसटाग के निवेदन पर संघीय संवैधानिक न्यायालय अपने दो-तिहाई बहुमत से निर्णय दे सकता है कि ऐसे न्यायाधीश को अन्य कार्य सौंपा जाये या अवकाश प्राप्त करने को कहा जाये। जानबूझ कर उल्लंघन किये जाने के मामले में उसको पदच्युत करने का आदेश दिया जा सकता है।

(3) लैण्डर (राज्यों) में न्यायाधीशों की कानूनी स्थिति का नियमन लैण्ड के विशेष कानूनों द्वारा होगा। जहां तक अनुच्छेद 74 ए का परिच्छेद (4) अन्य व्यवस्था नहीं करता संघ शासन सामान्य व्यवस्थाएं अधिनियमित कर सकता है।

(4) लैण्डर (राज्य) यह व्यवस्था कर सकते हैं कि लैण्ड का न्यायमन्त्री न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए गठित समिति के साथ लैण्डर (राज्यों) के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में निर्णय ले सकेगा।

(5) लैण्डर (राज्यों) इस अनुच्छेद के परिच्छेद (2) के अनुरूप लैण्ड के न्यायाधीशों के बारे में व्यवस्था कर सकते हैं। वर्तमान लैण्ड (राज्य) के संवैधानिक कानून अप्रभावित रहेंगे। एक न्यायाधीश पर महाभियोग के मामले में संघीय न्यायालय को निर्णय देने का अधिकार होगा।

1 18 मार्च 1971 के संघीय कानून (फेडरल लॉ गजट I पृ 206) द्वारा संशोधित रूप।
2 की

अनुच्छेद 99[1] लण्ड (राज्य) के कानूनों के सम्बन्ध में संघीय संवधानिक न्यायालय तथा सर्वोच्च संघीय न्यायालयों की सक्षमता का निर्धारण

एक लण्ड के भीतर संवधानिक विवादों पर निर्णय के लिए लण्ड के कानून द्वारा मामला संघीय संवधानिक न्यायालय को हस्तांतरित किया जा सकता है लण्ड कानून के लागू करने सम्बन्धी मामले में लण्ड में अंतिम अपील के बाद मामला अनुच्छेद 95 के परिच्छेद (1) में उल्लिखित व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयों में ले जाया जा सकता है।

अनुच्छेद 100 बेसिक ला (संविधान) के साथ वधानिक कानूनों की अनरूपता

(1) यदि न्यायालय एक कानून को अपने निर्णय द्वारा असंवधानिक मानता है तो उस कानून के निर्माण की कार्यवाही रोक दी जायगी तथा लण्ड के न्यायालय जो संवधानिक विवादों के सम्बन्ध में फसला देने में सक्षम हैं से यह निर्णय प्राप्त किया जायेगा कि क्या लण्ड के संविधान का उल्लंघन हो रहा है। यह बात इस बेसिक ला (संविधान) पर भी लागू होगी कि क्या लण्ड के कानून से उसका उल्लंघन हो रहा है या एक लण्ड कानून संघीय कानून के अनुरूप है या नहीं।

(2) यदि एक मुकदमे (लिटिगेशन) के दौरान यह संदेह उत्पन्न होता है कि क्या सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून का एक नियम संघीय कानून का अविभाज्य अंग है तथा क्या ऐसा नियम व्यक्ति के लिए सीधे अधिकार तथा कर्तव्य (अनुच्छेद 25) का निर्माण करता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय संघीय संवधानिक न्यायालय से निर्णय प्राप्त करेगा।

(3) यदि एक लण्ड का संवधानिक न्यायालय इस बेसिक ला की व्याख्या करते समय संघीय संवधानिक न्यायालय या अन्य लण्ड के संवधानिक न्यायालय के निर्णय से हटने का इरादा करता है तो उसे संघीय संवधानिक न्यायालय से निर्णय प्राप्त करना चाहिए।

अनुच्छेद 101 असाधारण न्यायालयों पर प्रतिबंध

(1) असाधारण न्यायालय अस्वीकार्य होंगे। किसी भी व्यक्ति को उसमें सम्बद्ध न्यायाधीश के कानूनी क्षेत्राधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा।

(2) सिर्फ कानून द्वारा विशेष क्षेत्र के लिए न्यायालयों की स्थापना की जा सकेगी।

अनुच्छेद 102 मृत्यु दण्ड का अंत

मृत्यु-दण्ड का अंत कर दिया जायेगा।

1 18 जून 1968 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृ 658) द्वारा संशोधित रूप।

2 ···

अनुच्छेद 103 न्यायालयों में मूलभूत अधिकार

(1) प्रत्येक व्यक्ति को कानून के अनुसार न्यायालयों में निवेदन करने व सुने जाने का अधिकार है।

(2) किसी कार्य के लिए सिर्फ तभी सजा दी जा सकती है जबकि वह कार्य किये जाने से पहले वैसा कोई कानून था।

(3) सामान्य अपराध-कानून के अन्तर्गत किसी को उसी अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती।

अनुच्छेद 104 स्वतन्त्रता से वंचित करने की स्थिति में कानूनी गारंटी

(1) सिर्फ एक औपचारिक कानून के अन्तर्गत उसकी निर्धारित सीमा का उचित विचार करते हुए किसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर रोक लगाई जा सकती है। हवालात में रखे व्यक्ति के साथ मानसिक व शारीरिक दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है।

(2) सिर्फ न्यायाधीश ही किसी को निरन्तर स्वतन्त्रता से वंचित करने की स्वीकार्यता (एडमिसिबिलिटी) पर निर्णय कर सकते हैं। जहां ऐसा वंचन (डिप्राइवेशन) किसी न्यायाधीश के आदेश पर आधारित नहीं है वहां बिना देर किये एक न्यायिक निर्णय प्राप्त किया जाना चाहिए। पुलिस अपने स्वयं के अधिकार के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को अपनी हिरासत में उस दिन से अधिक नहीं रख सकती जिस दिन उसे गिरफ्तार किया गया है। विस्तृत विवरण कानून द्वारा नियमित होगा।

(3) कोई भी व्यक्ति जो एक अपराध करने के संदेह में अस्थायी तौर से हिरासत में लिया गया है उसे गिरफ्तारी के दूसरे दिन न्यायाधीश के सम्मुख लाया जाना चाहिए। न्यायाधीश उस व्यक्ति को हिरासत के कारण की सूचना देगा, उसके बयान लेगा तथा उसे आपत्ति उठाने का अवसर देगा। न्यायाधीश को बिना देर किये या तो कारणों सहित गिरफ्तारी का वारंट जारी करना चाहिए या उसे हिरासत से मुक्त करना चाहिए।

(4) हिरासत में लिये गये व्यक्ति के किसी सम्बन्धी या विश्वसनीय किसी न्यायिक निर्णय की सूचना व्यक्ति को बिना देर किये देनी चाहिए जिसमें उसको स्वतन्त्रता से निरन्तर वंचित करने का आदेश हो।

X वित्त

अनुच्छेद 104 ए[1] व्यय का विभाजन—वित्तीय सहायता

(1) जिस सीमा तक यह बेसिक ला (संविधान) अन्य व्यवस्था नहीं करता संघ शासन तथा लेण्डर (राज्य) अपने अपने कार्यों के सम्पादन के लिए होने वाले व्यय भार का अलग अलग वहन करेंगे।

1 12 मई 1969 के संघीय कानून (फेडरल लॉ गजट I पृ 359) द्वारा जोड़ा गया।

(3) उन करों में सम्बद्ध संघीय कानूनों के लिए जो पूर्णत या आंशिक रूप से लेण्डर या कम्यूनों या कम्यूनों के संघ से सम्बद्ध होते हैं बुन्देसराट की स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

अनुच्छेद 106[1] कर आय का विभाजन

(1) वित्तीय एकाधिकार की आमदनी की प्राप्ति तथा निम्नांकित करों से प्राप्त राजस्व संघ शासन को मिलेगा

(i) चुंगी शुल्क

(ii) आबकारी-कर जहां तक वह इस अनुच्छेद के परिच्छेद (2) के अनुवर्ती लेण्डर को प्राप्त नहीं होते हैं या इस अनुच्छेद के परिच्छेद (3) के अनुसार संघ शासन व लेण्डेर दोनों को या इस अनुच्छेद के परिच्छेद (6) के अनुसार कम्यूनों या कम्यूनों के संघ को प्राप्त नहीं होते हैं।

(iii) माल-ढुलाई कर

(iv) पूंजी हस्तांतरित कर बीमा-कर तथा विनिमय के विपत्र (Bills) तथा ड्राफ्टस

(v) सम्पत्ति पर अनावर्ती उगाही (Non recurrent levy) बोझ का समकरण (equalization of burden) सम्बन्धी कानून के कार्यान्वयन के उद्देश्य से लागू अंशदान (Contribution)

(vi) आय तथा निगम अधिकार

(vii) यूरोपीय समुदाय के ढांचे के अन्तर्गत परिव्यय

(2) लेण्डेर को निम्नलिखित करों से राजस्व प्राप्त होगा —

(i) सम्पत्ति शुद्ध मूल्य (net worth) कर

(ii) उत्तराधिकार कर

(iii) मोटरवाहन-कर

(iv) सौदों पर ऐसे कर जो इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) के अनुवर्ती संघ शासन को प्राप्त नहीं होते या इस अनुच्छेद के परिच्छेद (3) के अनुवर्ती संयुक्त रूप से संघ शासन व लेण्डेर को प्राप्त नहीं होते

(v) बीयर पर कर

(vi) जुआघरों पर कर

1 23 दिसम्बर 1955 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृष्ठ 817)
24 दिसम्बर 1956 1077) तथा
12 मई 1969 359) द्वारा संशोधित रूप

2 उदाहरणार्थ — उन व्यक्तियों पर लागू अंशदान जिन्हें युद्ध से क्षति न हुई हो वे उन्हें अदा करेंगे दिया जायेगा जिन्हें युद्ध से क्षति हुई हो। इस प्रकार बोझ का समकरण (eqnatization) हो सकेगा।

(3) आयकर से प्राप्त राजस्व निगम तथा पण्यावतकर (Turnover Tax) संयुक्त रूप से संघ शासन व लेण्डर को प्राप्त होंगे उस सीमा तक जहां तक इस अनुच्छेद के परिच्छेद (5) के अनुवर्ती आयकर से प्राप्त राजस्व कम्यूनो का आवंटित नहीं किया गया है। संघ शासन तथा लेण्डर आयकरों तथा निगम करों को समान रूप से आपस में बांटेंगे। पण्यावतकर (Turnover Tax) से प्राप्त आय का संघ शासन तथा लेण्डेर का अपना अपना अंश एक संघीय कानून द्वारा निर्धारित होगा जिसके लिए बुन्देसराट की स्वीकृति आवश्यक होगी। ऐसा निर्धारण निम्नांकित सिद्धान्तों पर आधारित होगा —

(i) संघ शासन तथा लेण्डेर को अपने अपने आवश्यक व्यय के लिए वर्तमान राजस्व से प्राप्त राशि पर समान दावा होगा। ऐसे व्यय की सीमा एक बहुवार्षिक वित्तीय योजना (Pluri annual Financial Planning) की व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित की जायगी।

(ii) संघ शासन तथा लेण्डर के लिए आवश्यक राशि का इस प्रकार समन्वित किया जाय कि एक उचित सन्तुलन स्थापित हो सके करदाता पर अधिक कर भार का निवारण किया जाय तथा संघीय क्षेत्र में जीवन स्तर की एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।

(4) पण्यावत कर (Turnover Tax) से प्राप्त आय में संघ शासन व लेण्डर के अपने अपने अंश का उस समय नये प्रकार से विभाजित किया जायगा जब राजस्व तथा खर्च का आपसी सम्बन्ध संघ शासन में लेण्डर से तत्वतः भिन्न विकसित होता है। जहां संघीय कानून अतिरिक्त खर्च थोपता है या लेण्डर में राजस्व वापस लेता है वहां अतिरिक्त भार को संघीय कानून के अन्तर्गत संघीय अनुदान द्वारा पूरा किया जायेगा जिसके लिए बुन्देसराट की स्वीकृति आवश्यक होगी बशर्ते कि ऐसा अतिरिक्त भार थोड़े समय तक सीमित रहता है। ऐसे कानूनों द्वारा व सिद्धान्त सामने रखे जायेंगे जिनके द्वारा ऐसे अनुदान का परिकलन (Calculation) तथा लेण्डर (राज्यों) में वितरण किया जा सके।

(5) आयकर से प्राप्त आमदनी का एक हिस्सा कम्यूनो को लेण्डर द्वारा दिया जायगा यह लेण्डर के निवासियों से प्राप्त आयकर के आधार पर दिया जायेगा। इसका विस्तृत ब्यौरा एक संघीय कानून द्वारा नियमित किया जायेगा जिसके लिए बुन्देसराट की स्वीकृति आवश्यक होगी। ऐसे कानून द्वारा यह व्यवस्था की जा सकती है कि कम्यून अपने समुदाय के हिस्से का निर्धारण स्वयं करेगा।

(6) वास्तविक सम्पत्ति तथा व्यापार करों से प्राप्त आय कम्यूनो को प्राप्त होगी स्थानीय आबकारी करों से प्राप्त आय कम्यूनों को मिलेगी या लेण्डर (राज्य)

कानून द्वारा व्यवस्थित होने पर कम्यूनो के सघ को प्राप्त होगी। कम्यून वर्तमान कानूनी ढाचे के अन्तर्गत वास्तविक सम्पत्ति व व्यापार पर लगाये गए करो के बारे में निर्धारण करने के अधिकारी होगे। जहा एक लण्ड में ऐसे कम्यून न हो, वहां वास्तविक सम्पत्ति तथा व्यापार-करो के साथ ही साथ स्थानीय आबकारी करो से प्राप्त आय लण्ड को मिलेगी। सघ शासन तथा लण्डेर एक महसूल (Impost) के निर्धारण द्वारा व्यापार-कर से होने वाली आय में हिस्सेदारी ले सकेंगे। ऐसे महसूल के बारे में विस्तृत विवरण एक सघीय कानून द्वारा नियमित होगा जिसके लिए बुन्डेसराट की स्वीकृति जरूरी होगी। लण्ड-कानून के ढाचे के अन्तर्गत वास्तविक सम्पत्ति तथा व्यापार पर करो तथा साथ ही आयकर में कम्यून के हिस्से को आधार मानकर ऐसे महसूल का हिसाब किया जायगा।

(7) लण्ड के हिस्से में आने वाली समस्त आय तथा समग्र (Over all) सयुक्त करो का विशेष प्रतिशत जो लण्ड कानून द्वारा निर्धारित किया जायगा कम्यून तथा कम्यूनो के सघ को प्राप्त होगा। अन्य सब मामलो में लण्ड कानून यह निश्चय करेगा कि क्या और किस सीमा तक लण्ड करो से प्राप्त आय कम्यूनो तथा कम्यूनो के सघो को मिलेगी।

(8) यदि किन्ही लण्डर (राज्यो) या कम्यूनो या कम्यूनो के सघो में सघ शासन विशेष सुविधा की स्थापना करता है जिससे सीधे इन लण्डर या कम्यूनो या कम्यूनो के सघों के खर्च में वृद्धि होती है या उन्हें आय (विशेष भार) में नुकसान होता है तो सघ शासन आवश्यक मुआवजे की स्वीकृति तभी देगी जब ऐसे लेण्डर या कम्यून और कम्यून के सघ से तत्सम्मत इस से ऐसे विशेष भार (आय) को उठाने की आशा नही की जा सकती। ऐसे मुआवजे की स्वीकृति देते समय तृतीय-पक्ष की क्षतिपूर्ति (Third Party Indemnity) तथा लण्डर या कम्यूनो या कम्यूनो के सघो को ऐसी सस्थाओ की स्थापना में होने वाले वित्तीय लाभो की सुविधा का उचित हिसाब रखा जायगा।

(9) इस अनुच्छेद के प्रयोजन हेतु कम्यूनो तथा कम्यूनो के सघो की आय तथा व्यय क... लण्ड की आय या ... व्यय माने जायेंगे।

अनुच्छेद 107[1] वित्तीय समकरण

(1) जिस सीमा तक लण्ड कर तथा आय तथा निगम कर राजस्व अधिकारियों द्वारा अपने अपने प्रदेशो (स्थानीय आय) से वसूल किए जाते हैं उस सीमा तक वे कर उस विशिष्ट लण्डेर को प्राप्त होंगे। निगम कर तथा वेतन

1 23 दिसम्बर 1955 के सघीय कानून (फेडरल लॉ गजट I पृष्ठ 817) तथा 12 मई 1969 ... 359) द्वारा सशोधित रूप

(Wags) कर से प्राप्त स्थानीय आय के आवटन तथा परिसीमन के बारे में विस्तृत ब्यौरे की व्यवस्था एक सघीय कानून द्वारा की जा सकती है जिसके लिए बुन्देसराट की स्वीकृति जरूरी होगी। एसे कानून द्वारा अन्य करो से प्राप्त स्थानीय आय का परिसीमन तथा आवटन भी हो सकता है। पण्यावर्त कर (Turnover Tax) से होने वाली आय के हिस्से में लण्ड के हिस्से का निर्धारण प्रति व्यक्ति औसत (Per Capita) के आधार पर होगा।

लण्ड करो तथा आय तथा निगम करो की दृष्टि से जिन लण्डर (राज्यो) की प्रति व्यक्ति औसत आय सभी लेण्डर की सयुक्त आय के औसत से कम है उन्हे एक सघीय कानून द्वारा जिसके लिए बुन्देसराट की स्वीकृति जरूरी है पूरक हिस्सा (Supplemental Share) दिया जा सकेगा जो उस लण्ड की आय के एक चौथाई हिस्से से अधिक नही होगा।

(2) सघीय कानून वित्तीय दृष्टि से असमृद्ध तथा समृद्ध लेण्डर (राज्यो) के मध्य तर्कसम्मत वित्तीय समकरण का सुनिश्चित करेगा ऐसा करते समय कम्यूनो तथा कम्यूनो के सघो की वित्तीय क्षमता तथा आवश्यकताओ का उचित हिसाब रखा जायेगा। ऐसे कानून मे लेण्डर के समकरण सम्बन्धी दावे किस लण्डर को वित्तीय समकरण के अन्तर्गत भुगतान किया जायेगा किन लेण्डर को वित्तीय समकरण की स्थापना के लिए समकरण भुगतान देना होगा उनके सचालन सम्बन्धी शर्तों का विशेष रूप से उल्लेख होगा इसके साथ ही समकरण भुगतान की राशि के लिए मानदण्ड निर्धारित किया जायगा। ऐसे कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की जा सकती है कि सघीय कोष से सघ शासन असमृद्ध लेण्डर को उनकी आम वित्तीय जरूरत की पूर्ति के लिए अनुदान देगा जो कोटि पूरक अनुदान (Complemental grant) होगा।

अनुच्छेद 108[1] कर सम्बन्धी प्रशासन (Fiscal Administration)

(1) चुगी शुल्क वित्तीय एकाधिकार आबकारी कर सघीय कानून के विभाग होगे इसमे आयात पर आबकारी कर भी शामिल है साथ ही यूरोपीय समुदाय के ढाचे के अन्तर्गत लगाये गये शुल्क भी सघीय राजस्व अधिकारियो द्वारा प्रशासित होगे। इन अधिकारियो का गठन सघीय कानून द्वारा नियमित होगा। मध्यवर्ती प्रशासनिक स्तर पर जो मुख्य अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे उनके सम्बन्ध मे उससे सम्बन्धित लेण्डर से सलाह ली जायगी।

(2) अन्य सभी कर लण्ड राजस्व अधिकारियो द्वारा प्रशासित होगे। इन कार्यालयो का गठन तथा उनके कर्मचारियो के प्रशिक्षण को एकरूपता के लिए सघीय कानून बनाया जा सकता है जिसके लिए बुन्देसराट की स्वीकृति आवश्यक

1 12 मई 1969 के सघीय कानून (फेडरल लॉ गजट 1 पृष्ठ 359) द्वारा सशोधित रूप

(3)[1] बजट सम्बन्धी कानून कर प्रशासन का आर्थिक प्रवत्तियो स ज्ञात तथा आगामी कई वर्षों क लिए वित्तीय योजना क सचालन क लिए सघीय कानून द्वारा सिद्धात निर्धारित किये जा सकते हैं जो सघ शासन व लेण्डर दोनो पर लागू होग इस कानून के लिए बुन्डसराट की स्वीकृति आवश्यक होगी।

(4) समग्र आर्थिक सतुलन म उत्पन्न गड़बडी को दूर करने की दृष्टि से सघीय कानून जिसके लिए बुन्डसराट की स्वीकृति आवश्यक है का निमाण किया जा सकता है जिसम निम्नांकित का प्रावधान किया जा सकता है —

(i) अधिकतम राशि सावजनिक अधिकृत सस्थानो चाहे व स्थानीय हो या क्रियाशील द्वारा ऋण उगाहने की शर्ते व समय तथा

(ii) जमन फडरल (सघीय) बक म सघ शासन तथा लेण्डर द्वारा ब्याज मुक्त राशि (आर्थिक प्रवत्तियो क मुकाबल के लिए जमा पूजी) जमा करन का दायित्व

उपयुक्त अध्यादेशो जो कानून के समान शक्ति से युक्त होंगे के निमाण तथा घोषणा का अधिकार सिफ सघीय सरकार को होगा। एस अध्यादेशो के लिए बुन्डसराट की स्वीकृति अनिवाय होगी। यदि बुन्डसराट माग करती हो तो उन्हें निरस्त किया जायगा विस्तृत विवरण सघीय कानून द्वारा नियमित होगा।

अनुच्छेद 110 सघ शासन का बजट

(1) सघ शासन की समस्त आय तथा व्यय बजट म सम्मिलित होगी सघीय उद्यमो (enterprises) तथा विशेष निधि (special fund) क सबध मे सिफ विनिधान (allocation) तथा उनमे निकासी गई रकम का बजट म शामिल करना आवश्यक होगा। आय तथा व्यय की दृष्टि से बजट सतुलित होना चाहिए।

(2) बजट की स्थापना एक कानून द्वारा होगा जिसम एक वष या कई वित्तीय वर्षों क लिए अलग अलग बजट का प्रबन्ध या होगी यह व्यवस्था उन वित्तीय वर्षों म स प्रथम वष के आरम्भ से पूव की जायगी। बजट क कुछ हिस्सो के लिए एसी व्यवस्था की जा सकती है कि वे अलग अलग अवधि म लागू होंगे लेकिन उनको वित्तीय वर्षों म विभाजित किया जायगा।

(3) इस अनुच्छेद क परिच्छेद ( ) के प्रथम वाक्य के अर्थो म निर्मित विधेयक साथ ही बजट कानून तथा बजट मे सशोधन सबधी विधेयको को एक साथ बुन्डसराट व बुन्डस्टाग म पेश किया जायेगा बुन्डसराट को अधिकार होगा कि

1 12 मई 1969 क सशोधन कानून (फडरल ला गजट 1 पृष्ठ 357) द्वारा सशोधित रूप

2 वही

वह छः सप्ताह की प्रवधि म और यदि वह विधेयक म संशोधन चाहती है तो तीन सप्ताहों के भीतर अपनी राय व्यक्त कर।

(4) बजट कानून मे सिर्फ संघ शासन के आय तथा व्यय तथा उसकी अवधि जिसके लिए बजट कानून बनाया गया है सम्बन्धी व्यवस्थाएं ही हो सकती हैं। बजट कानून यह अनुबन्ध कर सकता है कि उसकी कुछ निश्चित व्यवस्थाएं सिर्फ उसी समय समाप्त होंगी जब आगामी बजट की घोषणा होगी। अनुच्छेद 115 के अनुवर्ती प्राप्त अधिकार की स्थिति म वे निश्चित व्यवस्थाएं बाद की तिथि तक भी जारी रह सकती हैं।

अनुच्छेद 111 बजट की स्वीकृति से पूर्व भुगतान

(1) यदि वित्तीय (Fiscal) वर्ष के अन्त तक आगामी वर्ष के लिए कानून द्वारा बजट की व्यवस्था नहीं हुई है तो जब तक ऐसा कानून नहीं बन जाता संघ-सरकार वे सभी भुगतान कर सकती है जो जरूरी हैं। ये भुगतान निम्न विषयो से सम्बद्ध होंगे —

(अ) कानून द्वारा निर्मित संस्थाओं के पोषण तथा कानून द्वारा अधिकृत कार्यों के पालन हेतु

(ब) संघ शासन के सांविधिक (Statutory) अनुबन्धात्मक तथा सन्ध्यात्मक दायित्वो के पालन करने के लिए

(स) निर्माण-कार्य योजनाओं कानूनी तथा अन्य सेवाओं को चालू रखने के उपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुदान स्वीकृति जारी रखने बशर्ते कि पिछले वर्ष के बजट म उनके लिए उपयुक्त व्यवस्था की गई हो

(2) जिस सीमा तक विशिष्ट कानून द्वारा आय की व्यवस्था है तथा उस कर या शुल्क या अन्य अधिभार अथवा साधनों या कार्यकारी पूंजी निधि (Working Capital Reserve) द्वारा प्राप्त किया जा सकता है (इसम इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) मे वर्णित व्यय शामिल नहीं होना चाहिए) उस सीमा तक ऐसी स्थिति म वर्तमान कार्य-सचालन के लिए सरकार उन मदो म से आवश्यक राशि उधार ले सकती है। इस राशि की अधिकतम सीमा पिछले बजट की समस्त राशि की एक चौथाई होगी।

अनुच्छेद 112[1] बजट अनुमानों से अधिक व्यय

बजट विनियोग से अधिक व्यय तथा बजट के अतिरिक्त व्यय के लिए संघीय वित्त मन्त्री की स्वीकृति आवश्यक होगी। ऐसी स्वीकृति तभी दी जा सकती है जब

1 12 मई 1969 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृष्ठ 357) द्वारा संशोधित रूप

कोई अत्यावश्यक या अभूतपूर्व आवश्यकता उठ खडी हुई हो। विस्तृत विवरण सघीय कानून द्वारा नियमित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 113[1] व्यय मे वृद्धि

(1) उन कानूनो के लिए सघीय-सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी जिसम सघीय सरकार द्वारा बजट के व्यय मे वृद्धि का प्रस्ताव हो या भविष्य मे नये खर्च की सम्भावना हो। यह बात उन कानूनो पर भी लागू होगी जो आय मे कमी या भविष्य मे कमी की सम्भावना से सम्बद्ध होगे। सघीय सरकार बुन्देसटाग से कह सकती है कि ऐसे विधेयको पर मतदान स्थगित कर दिया जाय। ऐसी स्थिति मे सघीय सरकार छ सप्ताह के भीतर अपनी राय बुन्देसटाग के सम्मुख प्रस्तुत करेगी।

(2) बुन्देसटाग द्वारा ऐसे विधेयक पर मतदान के चार सप्ताह की अवधि के भीतर सघीय सरकार पुन उस विधेयक पर मतदान के लिए कह सकती है।

(3) यदि अनुच्छेद 78 मे अनुवर्ती कोई विधेयक कानून बन गया है तो सघीय सरकार सिर्फ छ सप्ताहो के भीतर उस पर अपनी स्वीकृति रोक सकती है। यह वह तभी कर सकती है जब इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) तथा (2) के अन्तर्गत दी गई प्रक्रिया को पूरा कर ले। इस अवधि की समाप्ति पर यह माना जायगा कि स्वीकृति दे दी गई है।

अनुच्छेद 114 हिसाब देना आडिट आफिस (लेखा परीक्षा कार्यालय)

(1) सघीय सरकार की ओर से सघीय वित्त मन्त्री प्रतिवर्ष बुन्देसटाग तथा बुन्देसराट की स्वीकृति के लिए उनके सम्मुख पिछले वर्ष का आय व्यय और सम्पत्ति ऋण का हिसाब प्रस्तुत करेगा।

(2) सघीय लेखा परीक्षा-कार्यालय (आडिट आफिस) जिसके सदस्यो को न्यायिक स्वतन्त्रता प्राप्त होगी मितव्ययिता तथा बजट के सही-सही खर्च की दृष्टि से बजट के प्रावधानो की परीक्षा करेगा। सघीय लेखा परीक्षा कार्यालय प्रति वर्ष सीधे सघीय सरकार के साथ ही साथ बुन्देसटाग तथा बुन्देसराट को भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अन्य सभी मामलो मे सघीय लेखा परीक्षा कार्यालय की शक्तियो का नियमन एक सघीय कानून द्वारा होगा।

अनुच्छेद 115[3] ऋण की प्राप्ति (Procument of Credit)

(1) आगामी वित्तीय वर्षों मे होने वाले व्यय के परिणामस्वरूप राशि

1 12 मई 1969 के सघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृष्ठ 357) द्वारा सशोधित रूप।
2 12 मई 1969 के सघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृष्ठ 357) द्वारा सशोधित रूप
3 12 मई 1969 के सघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृष्ठ 357) द्वारा सशोधित रूप

उधार लेना वचन-पत्र वितरित करना गारण्टी देना या अन्य प्रतिज्ञा करना आदि के लिए एक संघीय विधायकी प्राधिकरण की आवश्यकता होगा जो यह अधिकार देगा कि अधिकतम कितनी राशि ऋण के रूप में ली जा सकती है। उधार से प्राप्त आय बजट में समस्त व्यय के लिए की गई व्यवस्था से अधिक नहीं होगी सिर्फ समग्र आर्थिक सन्तुलन में होने वाली गड़बड़ी को दूर करने के लिए अपवाद-रूप में अन्य व्यवस्था की स्वीकृति दी जा सकेगी। विस्तृत विवरण एक संघीय कानून द्वारा नियमित किया जायगा।

(2) संघ शासन की विशेष निधि (Sp cial Fund) के मामले में इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) में उल्लिखित अपवाद व्यवस्था के लिए संघीय कानून द्वारा अधिकार दिया जा सकता है।

रक्षा एवं प्रतिरक्षा की स्थिति

अनुच्छेद 115 ए प्रतिरक्षा की स्थिति का निर्धारण

(1) बुन्देसटाग बुन्देसराट की स्वीकृति से यह निश्चय करेगी कि संघीय प्रदेश पर सशस्त्र सेना से हमला हो रहा है या ऐसे आक्रमण की सीधी आशंका (प्रतिरक्षा की स्थिति) है या नहीं। ऐसा निश्चय संघीय सरकार की प्रार्थना पर किया जायगा और इसके लिए कुल डाले गये मतों का दो तिहाई बहुमत जरूरी होगा जो कम से कम बुन्देसटाग की कुल सदस्य-संख्या का बहुमत भी होगा।

(2) यदि स्थिति अनिवार्यतः तत्काल कदम उठाने की माँग करती है तथा बुन्देसटाग की बैठक का समय पर आयोजित करने में अलंघ्य बाधाएँ हैं या बुन्देसटाग में गण-पूर्ति (कोरम) नहीं है तो संयुक्त समिति अपने कुल डाले गये मतों के दो तिहाई बहुमत से जो कम से कम कुल सदस्यों का बहुमत भी होगा इसका निश्चय करेगी।

(3) अनुच्छेद 82 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा इस निश्चय का फेडरल लॉ गजट (संघीय कानून राजपत्र) में घोषित किया जायगा यदि समय पर यह सम्भव नहीं है तो अन्य विधि से घोषणा की जा सकेगी जिसे बाद में जितना जल्दी सम्भव हो संघीय राज-पत्र में प्रकाशित किया जायगा।

(4) यदि संघीय प्रदेश पर सशस्त्र सेनाओं द्वारा हमला होता है और यदि संघ शासन के सक्षम अंग इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) के प्रथम वाक्य में की गई व्यवस्था के अनुसार तत्काल निर्णय लेने की स्थिति में न हो तो जिस समय

1 समस्त दसवाँ ए– खण्ड 24 जून 1968 के संघीय कानून (फेडरल लॉ गज 1 पृ 711) द्वारा जोड़ा गया।

हमला प्रारम्भ होता है उसी समय यह मान लिया जायेगा कि ऐसा निश्चय हो चुका है।

(5) जब प्रतिरक्षा की स्थिति के अस्तित्व का निर्धारण हो जाता है तथा उसे घोषित कर दिया जाता है और यदि संघीय प्रदेश पर सशस्त्र सेना द्वारा आक्रमण होता है तो राष्ट्रपति बुन्डेसटाग की सहमति से ऐसा प्रतिरक्षा की स्थिति के अस्तित्व के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से वैध घोषणा जारी करेगा। तब इस अनुच्छेद के परिच्छेद (2) के अधीन संयुक्त समिति बुन्डेसटाग का प्रतिनिधित्व करेगी।

115 बी—प्रतिरक्षा की स्थिति में नियन्त्रण की शक्ति

प्रतिरक्षा की स्थिति की घोषणा के उपरान्त सशस्त्र सेनाओं पर समादेश की शक्ति चान्सलर के हाथ में आ जायगी।

115 सी—प्रतिरक्षा की स्थिति की अवधि में संघ शासन की विधायी क्षमता

(1) संघ शासन को कानून निर्माण द्वारा यहां तक अधिकार होगा कि वह लैन्डर की विधायी क्षमता से सम्बद्ध विषयों पर भी समवर्ती कानून बना सके। ये कानून प्रतिरक्षा की स्थिति आरम्भ होने पर लागू होंगे। ऐसे कानूनों के लिए बुन्डेसराट की स्वीकृति आवश्यक होगी।

(2) जब प्रतिरक्षा की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस सीमा तक जब तक प्रतिरक्षा की स्थिति विद्यमान रहती है। निम्न आवश्यक मामलों पर संघीय-सरकार को कानून बनाने तथा लागू करने का अधिकार होगा वे इस प्रकार हैं—

(i) सम्पत्ति हरण की स्थिति में दिये जाने वाले प्रारम्भिक मुआवजे के सम्बन्ध में और इस प्रकार अनुच्छेद 14 के परिच्छेद (3) के द्वितीय वाक्य से विचलित होगा।

(ii) अनुच्छेद 104 के परिच्छेद (2) के तीसरे वाक्य व परिच्छेद (3) के प्रथम वाक्य से विचलित या विरोधी होने की स्थिति में यदि कोई न्यायाधीश सामान्य समय में लागू नियम के आधार पर कार्य नहीं कर पाता है तो किसी व्यक्ति को स्वतन्त्रता से वंचित रखा जा सकेगा यह अवधि 4 दिन से अधिक नहीं होगी।

(3)[1] प्रतिरक्षा की स्थिति उत्पन्न होने पर प्रत्यक्ष खतरे या आसन्न खतरे को दूर करने के लिए एक आवश्यक संघीय कानून द्वारा जिसके लिए बुन्डेसराट की स्वीकृति आवश्यक है खण्ड आठ आठ ए तथा दस के कानूनी प्रावधानों से हट कर संघ शासन तथा लेन्डर की प्रशासन-व्यवस्था को विचलित कर उसकी व्यवस्था व प्रशासन नियमित किया जा सकता है बशर्ते कि उसमें लेण्डर तथा कम्यूनों

1 12 मई 1969 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृ 359) द्वारा संशोधित ।

और कम्यूना के संघ की जीवन-क्षमता विशेषतः कर प्रशासन के मामलों की सुरक्षा हो सके।

(4) इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) के उप परिच्छेद (1) तथा परिच्छेद (2) के अनुसार निर्मित कार्यान्वयन के उद्देश्य से तैयार किये गये संघीय कानूनों को प्रतिरक्षा की स्थिति उत्पन्न होने से पूर्व भी लागू किया जा सकता है।

अनुच्छेद 115 डी– प्रतिरक्षा की स्थिति की अवधि में अत्यावश्यक विधेयकों के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया

(1) जब प्रतिरक्षा की स्थिति मौजूद हो तब अनुच्छेद 7 के परिच्छेद (2) अनुच्छेद 77 के परिच्छेद (1) तथा (2) से (4) अनुच्छेद 78 तथा अनुच्छेद 82 के परिच्छेद (1) की व्यवस्थाओं के बावजूद संघीय कानूनों के मामले में इस अनुच्छेद के परिच्छेद (2) तथा (3) की व्यवस्थाएं लागू होंगी।

(2) जिन विधेयकों को अत्यावश्यक रूप से संघ सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है वे बुन्डेसटाग को भेजे जायेंगे तथा उसी समय बुन्डेसराट में भी प्रस्तुत किये जायेंगे। बुन्डेसटाग तथा बुन्डेसराट बिना देर किये समान रूप से ऐसे विधेयकों पर बहस करेंगी। ऐसे विधेयक के कानून बनने के लिए बुन्डेसराट की बहुमत से स्वीकृति आवश्यक है। विस्तृत विवरण बुन्डेसटाग द्वारा स्वीकृत कार्य विधि के नियमों द्वारा नियमित होगा जिनके लिए बुन्डेसराट की सहमति भी आवश्यक होगी।

(3) ऐसे कानूनों को जारी करने के सम्बन्ध में अनुच्छेद 115 ए के परिच्छेद (3) का दूसरा वाक्य यथोचित परिवर्तन सहित (Mutatis Mutandis) लागू होगा।

अनुच्छेद 115 ई–संयुक्त समिति का पद तथा कार्य

(1) जब प्रतिरक्षा की स्थिति मौजूद रहती है और यदि संयुक्त समिति कुल डाले गये मतों के दो तिहाई मतों से (इसमें कम से कम सदस्यों का बहुमत होना जरूरी है) तय करती है कि बुन्डेसटाग के समय पर बैठक बुलाने में अलंघ्य बाधाएं हैं या कि बुन्डेसटाग में कोरम (गण पूर्ति) नहीं है तो संयुक्त समिति को बुन्डेसटाग व बुन्डेसराट दोनों का पद प्राप्त होगा तथा वह उनके अधिकारों का प्रयोग करेगी।

(2) संयुक्त समिति इस बेसिक लॉ के संशोधन सम्बन्धी कानून नहीं बना सकती या पूर्ण अथवा आंशिक रूप में इसके प्रयोग या प्रभाव से वंचित नहीं कर सकती। संयुक्त समिति अनुच्छेद 24 के परिच्छेद (1) या अनुच्छेद 29 के अनुसार कानून बनाने की अधिकारी नहीं होगी।

आवश्यकता उत्पन्न होती है तो समिति अपने सदस्यों के बहुमत से चुनाव करेगी संघीय राष्ट्रपति संयुक्त समिति के सम्मुख उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित करता। संयुक्त समिति संघीय चान्सलर के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव तभी कर सकती है जब वह अपने सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से उसका उत्तराधिकारी चुन ले।

(3) जब तक प्रतिरक्षा की स्थिति विद्यमान है बुन्सटाग को भंग नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद 115 आई–लैण्ड सरकारों के असाधारण अधिकार

(1) यदि संघीय-सरकार के अधिकृत अंग खतरे को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में असमर्थ हैं तथा यदि स्थिति अत्यावश्यक रूप से माँग करती है कि संघीय प्रदेश के प्रत्येक हिस्सों में तत्काल स्वतन्त्र रूप से कदम उठाये जाने चाहिए तो ऐसी स्थिति में लैण्ड-सरकारों द्वारा नियुक्त अधिकारियों या प्रायुक्तों को अधिकार दिया जायगा कि अपने अपने अधिकृत क्षेत्र में अनुच्छेद 115 एफ के परिच्छेद (1) के अनुसार वे कदम उठायें।

(2) इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) के अनुसार उठाया गया कोई भी कदम संघीय सरकार द्वारा तथा यदि मामला लैण्ड अधिकारियों या सहायक संघीय अधिकारियों से सम्बद्ध है तो लैण्ड के मुख्य मंत्रियों द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

अनुच्छेद 115 जे–कानूनी असाधारण कानूनों तथा अध्यादेशों की वैधता की श्रेणी तथा अवधि

(1) अनुच्छेद 115 सी 115 ई तथा 115 जी के अनुसार निर्मित कानून तथा साथ ही साथ ऐसे कानूनों के अन्तर्गत जारी किये गये अध्यादेश जो कानूनी शक्ति से युक्त हैं अपने लागू रहने की अवधि में उन सब कानूनों या अध्यादेशों को निलम्बित कर देंगे जो उनके विपरीत हैं। यह बात उन कानूनों पर लागू नहीं होगी जो अनुच्छेद 115 सी 115 ई 115 जी के अन्तर्गत अधिनियमित किये जा चुके हैं।

(2) संयुक्त समिति द्वारा स्वीकृत कानून तथा ऐसे कानूनों के अन्तर्गत जारी किये गये अध्यादेश जो कानूनी शक्ति से युक्त होंगे प्रतिरक्षा की स्थिति की समाप्ति के 6 माह बाद प्रभावहीन हो जायेंगे।

(3)[1] अनुच्छेद 91–ए 91–बी 104–ए 106 तथा 107 के विपरीत प्रवर्तमान कानून प्रतिरक्षा की स्थिति की समाप्ति के बाद दूसरे वित्तीय वर्ष का

1 12 मई 1969 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृ 359) द्वारा संशोधित रूप।

समाप्ति के बाद लागू नहीं होंगे। ऐसी समाप्ति के बाद बुन्देसराट की सहमति से एक संघीय कानून द्वारा संशोधित किया जा सकता है ताकि खण्ड आठ (VIII) ए तथा दसवें (X) में दी गई व्यवस्था को पुनः प्राप्त किया जा सके।

अनुच्छेद 115 ल—असाधारण कानूनों का निरस्तीकरण, प्रतिरक्षा की स्थिति की समाप्ति, शांति-स्थापना

(1) बुन्देसटाग बुन्देसराट की स्वीकृति से किसी भी समय संयुक्त समिति द्वारा निर्मित कानूनों को रद्द कर सकती है। बुन्देसराट बुन्देसटाग से ऐसे किसी भी मामले में निर्णय लेने का आवेदन कर सकती है। यदि बुन्देसटाग तथा बुन्देसराट ऐसा निश्चय करते हैं तो संयुक्त समिति तथा संघ सरकार द्वारा खतरे को दूर करने के लिए उठाये गये किन्हीं भी कदमों को रद्द किया जा सकता है।

(2) बुन्देसटाग बुन्देसराट की सहमति से अपने निश्चय द्वारा किसी भी समय प्रतिरक्षा की स्थिति की समाप्ति की घोषणा कर सकता है। यह घोषणा राष्ट्रपति द्वारा जारी की जानी चाहिए। बुन्देसराट बुन्देसटाग से ऐसे किसी भी मामले में निर्णय करने का आवेदन कर सकती है। जब प्रतिरक्षा की स्थिति के लिए आवश्यक कारण समाप्त हो जाते हैं तो प्रतिरक्षा की स्थिति तत्काल समाप्त कर देनी चाहिए।

(3) शांति स्थापना का कार्य संघीय कानून का विषय होगा।

XI ग्यारहवां संक्रमणकालीन तथा समापन व्यवस्थाएं

अनुच्छेद 116 जर्मन व्यक्ति की परिभाषा, नागरिकता पुनः प्रदान करना

(1) यदि कानून द्वारा अन्यथा व्यवस्था न हो तो इस बेसिक ला के अर्थों में जर्मन वह व्यक्ति है जिसे जर्मन नागरिकता प्राप्त है या जिसे 31 दिसम्बर 1937 से पूर्व एक शरणार्थी व्यक्ति या जर्मन जाति (Stock) के निष्कासित व्यक्ति की पत्नी या पति या ऐसे व्यक्ति के वंशज के रूप में जर्मन राइश (Reich) की सीमाओं में प्रवेश की अनुमति दी गई थी।

(2) भूतपूर्व जर्मन नागरिक जिन्हें 30 जनवरी 1933 तथा 8 मई 1945 के मध्य राजनीतिक, प्रजातीय (racial) या धार्मिक कारणों से नागरिकता से वंचित किया गया उनके वंशजों के आवेदन प्रस्तुत करने पर पुनः जर्मन नागरिकता प्रदान की जायगी। यदि उन्होंने 8 मई 1945 के बाद जर्मनी में अपना स्थायी निवास स्थान (domicile) बना लिया है और इसके विपरीत कोई इच्छा प्रकट नहीं किया है तो यह माना जायगा कि वह जर्मन नागरिकता से वंचित नहीं किया गया है।

अनुच्छेद 117 अनुच्छेद 3 तथा 11 के लिए अस्थायी आदेश

(1) अनुच्छेद 3 के परिच्छेद (2) के विपरीत बना कानून उस समय तक जारी रहेगा जब तक इस बेसिक ला की व्यवस्था के अनुरूप उसे नहीं ढाला जाता लेकिन 31 मार्च 1953 के बाद वह कानून नहीं बना रह सकेगा।

(2) वे कानून जो निवास स्थानों की वर्तमान कमी के कारण विचार की स्वतन्त्रता के अधिकार को सीमित करते हैं उस समय तक लागू रहेंगे जब तक संघीय कानून द्वारा उन्हें रद्द नहीं किया जाता।

अनुच्छेद 118 बादेन व्यूरटेमबर्ग बादेन तथा व्यूरटेमबर्ग होहेनत्सोलन के लेण्डर (राज्यों) का पुनर्गठन

अनुच्छेद 29 की व्यवस्थाओं के बावजूद सम्बद्ध लण्डेर (राज्यों) के मध्य समझौतों द्वारा बादेन व्यूरटेमबर्ग बादेन तथा व्यूरटेमबर्ग होहेनत्सोलन के लण्डर (राज्यों) के भू प्रदेशों का पुनर्गठन किया जा सकेगा। यदि कोई समझौता नहीं होता है तो संघीय कानून द्वारा पुनर्गठन किया जायगा जिसके लिए लोकमत संग्रह (referendum) की व्यवस्था होनी चाहिए।[1]

अनुच्छेद 119 शरणार्थी व निष्कासित व्यक्ति

जब तक संघीय-कानून नहीं बन जाता शरणार्थियों व निष्कासित व्यक्तियों से सम्बन्धित मामलों में विशेषकर लण्डर (राज्यों) में उनकी जनसंख्या के विभाजन सम्बन्धी मामलों में संघीय सरकार बुन्देसराट की सम्मति से नियम जारी कर सकती है जो कानूनी शक्ति से युक्त होंगे। इस विषय में संघीय सरकार विशिष्ट मामलों में अलग अलग निर्देश देने की अधिकारी होगी। देर होने से उत्पन्न खतरे की स्थिति के अलावा ऐसे निर्देश लण्डर (राज्य) के सर्वोच्च अधिकारियों के नाम प्रेषित किये जायेंगे।

अनुच्छेद 120[2] युद्ध के परिणामस्वरूप आधिपत्य का व्यय तथा भार

(1)[3] संघीय कानून द्वारा की गई विस्तृत व्यवस्था के अनुसार संघ शासन युद्ध के परिणामस्वरूप आधिपत्य का तथा अन्य आन्तरिक तथा बाह्य भार का खर्च उठायेगा। 1 अक्टूबर 1969 तक या उसमें पूर्व संघीय कानून द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार संघ शासन तथा लण्डर आपस में मिलकर इस व्यय तथा भार के खर्च का वहन करेंगे। ऐसे भार तथा व्यय का जिनके बारे में न

1 देखिए अनुच्छेद 23 की पाद टिप्पणी

2 30 जुलाई 1965 के संघीय कानून (फडरल ला गजट 1 पृष्ठ 649) तथा 28 जुलाई 1969 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट 1 पृ 985) द्वारा संशोधित रूप।

3 28 जुलाई 1969 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट 1 पृ 985) द्वारा संशोधित रूप

तो सघीय कानून म व्यवस्था का गई है और न यवस्था की जायेगी 1 अक्टूबर 1965 तक या उमम पूव लेण्डर कम्यूनो या कम्यूनो के सघ या अन्य इकाइयो ने जो लण्डेर या कम्यूनो के काय का निष्पादन करती है वहन किया गया है तो सघ शासन पर उस तारीख के बाद भी ऐसे यय भार उठाने का दायित्व नही होगा। सघ शासन सामाजिक सुरक्षा बीमा सस्थाओ इनम बेरोजगारी बीमा तथा बेरोजगारो को सावजनिक सहायता भी शामिल है के लिए आर्थिक सहायता देगा। इस परिच्छेद म की गई व्यवस्था क अनुसार युद्ध के परिणामस्वरूप उत्पन्न भार तथा अय यय का सघ शासन तथा लण्डर क बीच वितरण स युद्ध के मुआवजे के दावा सम्बन्धी विधायी प्रब धो पर प्रभाव नही पडेगा।

(2) इस अनुच्छेद म उल्लिखित व्यय की जिम्मेदारी उठाने पर सघ शासन को उसके अनुरूप राजस्व उसी समय प्रदान किया जायेगा।

अनुच्छेद 120-क[1] भार के समकरण सम्बधी कानून को कार्यान्वित करना

(1) बुन्डेसराट की सहमति म भार के समकरण सम्बन्धी कानून के अन्तगत सम्बद्ध कानूनो द्वारा यह व्यवस्था की जा सकती है कि लाभ के समकरण क सम्ब ध म उन कानूनो का कार्या वयन आशिक रूप म सघ शासन तथा आशिक रूप म लेण्डेर जो सघ शासन के एजेंट के रूप म काय करेंगे द्वारा किया जायेगा तथा अनुच्छेद 85 के अन्तगत सम्बद्ध शक्तिया सघ शासन तथा स गम सर्वोच्च सघीय समकरण कार्यालय (Federal Equalization Office) को प्रदत्त की जायगी। इन अधिकारो का प्रयोग करते समय सघीय समकरण कार्यालय को बुन्डेसराट की स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी अत्यावश्यक मामलो को छोडकर सर्वोच्च लण्ड अधिकारियो (लण्ड समकरण कार्यालय) को इस सम्ब ध म निर्देश दिये जायेगे।

(2) अनुच्छेद 87 के परिच्छेद (3) की व्यवस्थाओ पर इसका प्रभाव नही पडेगा।

अनुच्छेद 121-बहुमत की परिभाषा

इस बसिक ला के अर्थों क अनुसार बुन्डसटाग क सदस्यो का बहुमत तथा सघीय सम्मेलन (Bunde ver ammlung) का बहुमत अपने कानूनो द्वारा निश्चित सख्या का बहुमत होगा।

अनुच्छेद 122 अब तक वतमान विधायी क्षमताए

(1) बुन्देसटाग की प्रथम बठक की तारीख म कानून का निर्माण सिर्फ इस बसिक ला म मान्यता प्राप्त विधायी अंगो द्वारा ही होगा।

1 14 अगस्त 1952 क संघीय कानून (फडरल लॉ गजट I पृ 445) द्वारा जोडा गया।

(2) विधायिका सस्थाए तथा व सस्थाए जो मनाह्कार के रूप म विधि निमाण में भाग लेती हैं और जिनकी कायक्षमता इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) द्वारा समाप्त होती है व उस तिथि म भग की जाती है।

अनुच्छेद 123–प्राचीन कानूनों व सधियो की वधता का जारी रहना

(1) बुन्डस्टाग की प्रथम बठक म पूर्व जो कानून लागू थ व उस सीमा तक लागू रहेंगे जिस सीमा तक व इस बसिक ला क विपरीत नहा है।

(2) सम्बद्ध पक्षो क सभी अधिकारो व आपत्तियो का ध्यान म रखत हुए जमन राइश (Reich) द्वारा उन मामलो म जो सधियां की गई हैं जो इस बसिक ला क अन्तगत राज्य कानूनो के क्षेत्राधिकार म हैं व सधियाँ कानून क सामान्य सिद्धान्तो के अनुसार उस समय तक वध रहगी जब तक इस बसिक ला क अन्तगत सक्षम एजसियो द्वारा नई सधिया नहीं की जाती या जब तक व अपनी व्यवस्थाओ के अनुसार या अन्य तरीको स समाप्त नहीं हो जाती।

अनुच्छेद 124 प्राचीन कानून जो अनन्य विधायी कानून क मामलों को प्रभावित करते हैं

सिर्फ सघ शासन की विधायी शक्ति से सम्बद्ध विषयो का कानून जहा कहीं भी लागू हो[1] सघीय कानून होगा।

अनुच्छेद 125 प्राचीन कानून जो समवर्ती कानून क मामलो को प्रभावित करत हैं

सघ शासन की समवर्ती कानूनी शक्ति को प्रभावित करन वाला कानून जहा कहीं भी लागू हो सघीय कानून होगा—

(i) जहा तक वह एक स अधिक अधिकृत क्षेत्रो (Zone of Occupation) म समान रूप स लागू होता है।

(ii) 8 मई 1945 क बाद जहा तक उस कानून म भूतपूर्व राइश क द्वारा सशोधन किया गया है।

अनुच्छेद 126 प्राचीन कानूनों की सतत् वधता क सम्बन्ध म विवाद

सघीय सवधानिक न्यायालय द्वारा सघीय कानून क रूप म एक कानून क जारी रहन क बार म विवाद की स्थिति म निणय किया जायगा।

अनुच्छेद 127 द्वि-क्षत्रीय आर्थिक प्रशासन क कानून

इस बसिक ला की घोषणा की एक वष की अवधि म सघीय सरकार राइनलेण्ड (राज्यों) की सरकारो की सहमति स बाडन ग्रटर बनिन राइनलण्ड-पलटीनट

1 क्षेत्रीय—खण्ड या क्षेत्रीय (zonal) कानून

तथा बुटम्बर्ग-होहेनत्सोलन के लैण्डर (राज्यों) में द्विमेत्रीय आर्थिक प्रशासन के कानून जिस सीमा तक वे अनुच्छेद 124 या 125 के अंतर्गत संघीय कानून के रूप में जारी रहते हैं लागू कर सकती है।

अनुच्छेद 128 निर्देश देने के अधिकारों का जारी रहना

अनुच्छेद 84 के परिच्छेद (5) के अर्थ के अंतर्गत जो कानून लागू रहते हैं तथा निर्देश देने का अधिकार प्रदान करते हैं वे अधिकार उस समय तक बने रहेंगे जब तक कानून द्वारा अन्य व्यवस्था नहीं की जाती।

अनुच्छेद 129 प्राधिकरण की वैधता का जारी रहना

(1) जिस सीमा तक कानूनी व्यवस्थाओं के जो संघीय कानून के रूप में लागू रहती हैं अंतर्गत कानूनी शक्ति से युक्त अध्यादेश जारी करने या सामान्य प्रशासनिक नियम जारी करने या प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करने के प्राधिकार का प्रश्न है ऐसा प्राधिकार सम्बद्ध मामलों में सक्षम एजेन्सियों के हाथों में दिया जायगा। सन्देह की स्थिति में संघीय सरकार बुन्डसराट की सम्मति से मामले पर निर्णय करेगी उस निर्णय प्रकाशित किये जाने चाहिए।

(2) जिस सीमा तक लैण्ड कानून के रूप में लागू कानूनी प्रावधान के अंतर्गत उस प्राधिकार की व्यवस्था है उनका कार्यान्वयन लैण्ड-कानून के अंतर्गत सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जायगा।

(3) इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) तथा (2) के अंतर्गत जिस सीमा तक कानूनी प्रावधान संशोधन या परिवर्द्धन या कानून के स्थानापन्न कानूनी प्रावधान जारी करने का प्राधिकार प्रदान करती हैं उसी सीमा तक ऐसे प्राधिकार समाप्त होंगे।

(4) इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) तथा (2) की व्यवस्थाएं उन मामलों में यथाविद् परिवर्तन सहित लागू होंगी जहां कानूनी व्यवस्था उन नियमों या उन संस्थाओं की ओर संकेत करती है जिनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है।

अनुच्छेद 130—सार्वजनिक कानून के अंतर्गत निगम

(1) प्रशासनिक एजेन्सियां (agencies) तथा अन्य संस्थाएं जो सरकारी प्रशासन या न्याय प्रशासन की सेवा करती हैं और जो लैण्ड कानून या लैण्डर (राज्यों) के बीच संधियों पर आधारित नहीं है साथ ही दक्षिण-पश्चिम जर्मन रेल मार्ग प्रबन्धक संघ (Association of Management of South West German Railroads) तथा फ्रांसीसी आधिपत्य क्षेत्र (Zone of Occupation) की प्रशासनिक डाक सेवा तथा दूर-संचार परिषद् संघीय सरकार के

मे रखी गई थी या आज प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त हो रही है और मात्र अस्थायी रूप मे ही नही तो वह सम्पत्ति उस लण्ड या निगम अथवा सस्था को मिलेगी जो अब इन कार्यों का सम्पादन करती है।

(3) जिस सीमा तक इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) के अन्तगत अर्थों म सम्पत्ति शामिल नही होती उस सीमा तक जिस लण्ड का अब अस्तित्व नही है उसको उपकरणो सहित वास्तविक सम्पदा (Real Estate) उस लण्ड को मिलगी जिसम वह सम्पत्ति स्थित है।

(4) यदि सघ शासन के प्रभिभावी (over riding) क्षेत्र के विशिष्ट हित के लिए आवश्यक हैं तो सघीय कानून द्वारा इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) से (3) तक मे वर्णित नियमो के विपरीत व्यवस्था की जा सकती है।

(5) सम्बद्ध सरकारी कानून के अन्तगत 1 जनवरी 1952 से पूव जिस सीमा तक लण्डर या निगमो या सस्थाओ के बीच समझौतो द्वारा कोई निर्णय नही हुआ है तो सम्पत्ति का उत्तराधिकार अधिकार तथा व्यवस्था सघीय कानून द्वारा नियमित होगी। इसके लिए बुन्देसराट की स्वीकृति आवश्यक होगी।

(6) निजी कानून के अन्तगत भूतपूव प्रशा लण्ड (राज्य) के उद्यमो सम्बन्धी हित सघ शासन को मिलेंगे। एक सघीय कानून जो इस व्यवस्था से भिन्न भी हो सकता है इस सम्बन्ध मे विस्तृत विवरण तयार करेगा।

(7) इस बेसिक ला के लागू होने पर इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) से (3) पर आधारित सावजनिक कानून द्वारा जिस सीमा तक सम्पत्ति एक लण्ड या निगम या सस्था को मिलने वाली थी और जिसे एक लण्ड-कानून के अन्तगत या अन्य प्रकार स अधिकृत पक्ष ने बेच दी है तो उसके विक्रय से पूव उस सम्पत्ति का हस्तान्तरण हो गया माना जायेगा।

अनुच्छेद 135 ए[1] अन्य वस्तुओं के साथ-साथ राईश तथा भूतपूव प्रशा लण्ड (राज्य) के निश्चित दायित्वों का पूर्ण या आंशिक निर्वाह

अनुच्छेद 134 के परिच्छेद (4) तथा अनुच्छेद 135 के परिच्छेद (5) द्वारा सघ शासन के लिए आरक्षित कानून यह भी व्यवस्था कर सकता है कि निम्नांकित का दायित्व निर्वाह नही किया जायेगा या पूर्णत नही किया जायगा

(i) राईश या भूतपूव लण्ड (राज्य) प्रशा के दायित्व या ऐसे निगमो या सस्थाओ के दायित्व जो अब कानून के अनुसार वास्तव म नहीं हैं

(ii) सघ शासन या निगमो तथा सस्थाओ के ऐसे दायित्व जो सावजनिक कानूनो के अन्तगत अनुच्छेद 89 90 134 या 135 के अनुसार

1 22 अक्टूबर 1957 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृ 1745) द्वारा जोड़ा गया।

सम्पत्ति के हस्तान्तरण से सम्बद्ध हैं तथा इन संस्थाओं के ऐसे दायित्व जो इस उपधारा संख्या (1) में उल्लिखित कदम उठाने से उत्पन्न होते हैं

(iii) लण्डर या कम्यूनों या कम्यूनों के संघों द्वारा 1 अगस्त 1945 से पूर्व प्रशासनिक शासन के अन्तर्गत लाजिमी तौर पर उठाये गये कदमों या राज्य द्वारा मित्रशक्ती अधिपत्य के नियमों के पालन हेतु या युद्ध से उत्पन्न संकटकाल का अन्त करने सम्बन्धी कार्यों से उत्पन्न ऐसे दायित्व।

अनुच्छेद 136 बुन्डेसराट का प्रथम अधिवेशन

(1) प्रथम बार बुन्डेसराट की बैठक उस दिन होगी जब बुन्डेसटाग की प्रथम बैठक होगी।

(2) जब तक प्रथम संघीय राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता उसकी शक्तियों का प्रयोग बुन्डेसराट के अध्यक्ष द्वारा किया जायगा। उसे बुन्डेसटाग को भंग करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 137– सरकारी कर्मचारियों का चुनाव में खड़े होने का अधिकार

(1)[1] सरकारी नौकरों, अन्य सार्वजनिक सरकारी कर्मचारियों, पेशेवर सैनिकों, अस्थायी स्वयंसेवी-सैनिकों या न्यायाधीशों के संघ, शासन या लण्डर में या कम्यूनों में चुनाव लड़ने के अधिकार को कानून द्वारा सीमित किया जाता है।

(2) संसदीय परिषद् (Parliamentary Council) द्वारा स्वीकृत चुनाव-कानून प्रथम बुन्डेसटाग, प्रथम संघीय सम्मेलन तथा फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी के प्रथम संघीय राष्ट्रपति के चुनाव पर लागू होगा।

(3) अनुच्छेद 42 के परिच्छेद (2) के अनुसार संघीय संवैधानिक न्यायालय के कार्य उस समय तक संयुक्त आर्थिक क्षेत्र के लिए जर्मन उच्च न्यायालय द्वारा किये जायेंगे जब तक संघीय संवैधानिक न्यायालय की स्थापना नहीं हो जाती। उच्च न्यायालय कार्य विधि के नियम के अनुसार निर्णय देगा।

अनुच्छेद 138 लेख्य प्रमाणक

बाडन, बवेरिया, व्यूर्टम्बर्ग-बाडन तथा व्यूर्टम्बर्ग-होहेनत्सोलेर्न में लेख्य प्रमाणक से सम्बन्धित मौजूदा कानूनों में परिवर्तन के लिए इन लेण्डर (राज्यों) की सम्मति आवश्यक होगी। देखिए अनुच्छेद 23 की पाद टिप्पणी।

अनुच्छेद 139 मुक्ति-कानून

राष्ट्रीय समाजवाद तथा सैनिकवाद से जर्मन जनता की मुक्ति के सम्बन्ध में निर्मित कानून इस बेसिक ला की व्यवस्थाओं से प्रभावित नहीं होंगे।

1 19 मार्च 1956 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृ. 111) द्वारा संशोधित रूप
2 देखिए परिशिष्ट

अनुच्छेद 140 वाईमार सविधान के अनुच्छेदों की वयता

11 अगस्त 1919 म निर्मित जमन सविधान के अनुच्छेद 136 137 138 139 तथा 141 की व्यवस्थाए इम बेसिक ला की अविभाज्य अग होगी।

अनुच्छेद 141 ब्रेमेन धारा

अनुच्छेद 7 क परिच्छेद (3) का प्रथम वाक्य उस लण्ड म लागू नही होगा जहा 1 जनवरी 1949 म लण्ड कानून म भिन्न प्रकार की व्यवस्था थी।

अनुच्छेद 142 लण्ड सविधानों म मूल अधिकार

अनुच्छेद 31 की व्यवस्थाओं के बावजूद लण्ड-सविधानो के अन्तगत एसी व्यवस्थाए लागू रहगी जो बेसिक ला के अनुच्छेद 1 स 18 क अनुरूप हैं तथा मूल अधिकारो की गारण्टी देती हैं।

अनुच्छेद 142 ए[1] निरस्त किया गया

अनुच्छेद 143 निरस्त किया गया

अनुच्छेद 144 बेसिक ला की अधिपुष्टि-बुन्देसराट तथा बुन्देसटाग में वर्णित के प्रतिनिधि

(1) इस बेसिक ला की अधिपुष्टि क लिए उन जमन लण्ड (राज्यो) की प्रतिनिधि सभाओं के दो तिहाई मत की आवश्यकता होगी जहाँ यह फिलहाल लागू होगा।

(2) जिस सीमा तक अनुच्छेद 23 के अन्तगत दी गई सूची म किसी भी लण्ड या उसक किसी हिस्स म इस बेसिक ला के लागू होने पर रोक है एसे लण्ड या उसक किसी हिस्से को अनुच्छेद 38 क अनुसार बुन्देसटाग म तथा अनुच्छेद 50 के अनुसार बुन्देसराट मे प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 145 बेसिक ला की घोषणा

(1) सवधानिक परिषद् ग्रेटर बर्लिन क प्रतिनिधियो सहित सावजनिक अधिवशन मे इस बेसिक ला की अधिपुष्टि को प्रमाणित करेगी तथा हस्ताक्षर करगी और उसकी घोषणा करेगी।

(2) घोषणा के दिन क अन्त स यह बेसिक ला लागू होगा।

(3) यह फेडरल ला गजट म प्रकाशित होगा।

1 (अ) 26 माच 1954 क सशोध कानून (फेडरल ला गजट I पृष्ठ 45) द्वारा जोडा गया तथा (ब) 24 जून 1968 क सशोध कानून (फेडरल ला गजट I पृष्ठ 714) द्वारा निरस्त किया गया।

2 (अ) 19 माच 1956 क सशोध कानून (फेडरल ला गजट I पृष्ठ 111) द्वारा सशोधित तथा (ब) 24 जून 1968 क सशोध कानून (फेडरल लॉ गजट I पृष्ठ 714) द्वारा निरस्त किया गया

अनुच्छेद 146 बेसिक ला की वधता की अवधि

यह बेसिक ला उस दिन समाप्त हो जायेगा जिस दिन समस्त जर्मन जनता स्वतन्त्र निर्णय द्वारा एक संविधान स्वीकृत कर लेगी।

बेसिक ला का परिशिष्ट

अनुच्छेद 136 (11 अगस्त 1919 का वाईमार संविधान)

(1) नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार तथा कर्त्तव्य न तो धार्मिक स्वतन्त्रता पर आधारित होंगे न उनके पालन न उन पर रोक लगाई जायेगी।

(2) नागरिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता का उपभोग तथा सरकारी पद के लिए पात्रता धार्मिक मान्यता से स्वतन्त्र होगी।

(3) कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिक मान्यता बताने के लिए बाध्य नहीं होगा। कानून द्वारा आकड़ो के सर्वेक्षण के अन्तर्गत अधिकारो व कर्त्तव्यो को छोड़कर सरकारी अधिकारी गण को किसी व्यक्ति के किसी धार्मिक सस्था की सदस्यता के बारे मे जाच का अधिकार नहीं होगा।

(4) किसी भी व्यक्ति को किसी धार्मिक कृत्य के सम्पादन या समारोह मे भाग लेने या धार्मिक कार्य मे भाग लेने या धार्मिक शपथ लेने के लिए बाध्य नही किया जायेगा।

अनुच्छेद 137 (11 अगस्त 1919 का वाईमार संविधान)

(1) कोई राजकीय चर्च नहीं होगा।

(2) धार्मिक सस्था बनाने सम्बन्धी सघ निर्माण की स्वतन्त्रता की गारण्टी है। राईश के प्रदेश के अन्तर्गत धार्मिक संस्थाओं का सघ बनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

(3) सभी के लिए वध कानून की सीमाओं के अन्तर्गत प्रत्येक धार्मिक सस्था का स्वतन्त्रतापूर्वक नियम बनाने तथा प्रशासन का अधिकार होगा। वे राज्य या नागरिक समुदाय की जिम्मेदारी के बिना पद प्रदान करेंगे।

(4) नागरिक कानून (Civil Law) की सामान्य व्यवस्थाओं के अनुसार धार्मिक सस्थाए कानूनी क्षमता प्राप्त करेंगी।

(5) धार्मिक संस्थाएं सार्वजनिक कानून के अन्तर्गत उस सीमा तक समष्टि सस्थाओं के रूप मे रहेंगी जिस सीमा तक वे अब तक ऐसे रूप मे रही हैं। यदि अन्य धार्मिक सस्थाओं को संविधान तथा उसके सदस्य यह आश्वासन देते हैं कि वह स्थायी सस्था रहेगी तो उन्हे आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर वस अधिकार प्रदान किये जायेंगे। यदि कई धार्मिक सस्थाए एक सगठन मे एकत्रित होती हैं तो सार्वजनिक कानून के अन्तर्गत ऐसा सगठन भी एक समष्टि सस्था होगा।

(6) जो धार्मिक संस्थाएं सार्वजनिक कानून के अन्तर्गत समष्टि संस्थाएं हैं उन्हें लण्ड-कानून के अनुसार नागरिक-कर सूची के आधार पर कर लगाने का अधिकार होगा।

(7) जिस संघ का उद्देश्य दार्शनिक विचारधारा का संवर्द्धन करना है उसका वही पद होगा जो एक समष्टि संस्था का है।

(8) इन व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक ऐसे अन्य नियम लण्ड कानूनों पर आश्रित होंगे।

अनुच्छेद 138 (वाईमार संविधान)

(1) धार्मिक संस्थाओं को कानून या संविदा (Contract) या कानूनी अधिकार पर आधारित राज्य का अंशदान लण्ड-कानून द्वारा चुकाया जायेगा। राईश ऐसे चुकारे के लिए सिद्धान्तों की स्थापना करेगा।

(2) उपासना शिक्षा या दान के उद्देश्य के लिए धार्मिक संस्थाओं या संघों द्वारा सम्पत्ति के स्वामित्व के अधिकार तथा उनकी संस्थाओं प्रतिष्ठानों आदि की अन्य सम्पदा के अधिकार की गारण्टी दी जाती है।

अनुच्छेद 139 (वाईमार संविधान)

रविवार तथा राज्य द्वारा मान्य छुट्टियाँ कानूनी रूप से आराम तथा आध्यात्मिक उन्नति के दिन के रूप में सुरक्षित रखी जायेंगी।

अनुच्छेद 141 (वाईमार संविधान)

जिस सीमा तक सेना अस्पतालों जेलों या अन्य सरकारी संस्थाओं में धार्मिक उपासना तथा आध्यात्मिक देख रेख की आवश्यकता विद्यमान है उस सीमा तक धार्मिक संस्थाओं को धार्मिक कृत्य पूरा करने की स्वीकृति दी जायेगी। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होगी।

□□□

परिशिष्ट II

Reichstag Elections 1871–1912

PARTY दल का नाम	1871 No Votes वोटो की सख्या	1871 No Deputies प्रतिनिधि	1874 No Votes वोटो की सख्या	1874 No Deputies प्रतिनिधि	1877 No Votes वोटो की सख्या	1877 No Deputies प्रतिनिधि	1878 No Votes वोटो की सख्या	1878 No Deputies प्रतिनिधि
No eligible voters मतदाताओ की सख्या	7 975 750		8 523 446		8 943 028		9 124 311	
कुल वध मत पड़े	4 134 299	397	5 259 155	397	5 535 785	397	5 811 159	397
Conservatives कन्जरवेटिव पार्टी	548 877	57	359 959	2[illegible]	526 039	40	749 494	59
Reichspartei राईश पार्टी	627 229	67	431 376	36	426,637	38	785 855	57
National Liberals नेशनल लिबरल	1 171 807	125	1 542 501	155	1 469 527	128	1 330 643	99
Progressives प्रोग्रसिव	361 150	47	469 [illegible]77	50	597 529	52	607 339	39
Center सेन्टर	724,179	63	1 445 948	91	1 341,295	93	1 328 073	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Poles पोल	176 072	13	199 273	14	219 159	14	210 062	14
Social Democrats सोशियल डेमोक्रेट	123 975	2	351 952	9	493 288	12	437 158	9
Guelphs ग्युल्फ	60 858	7	92 080	4	96 335	4	102 574	10
Danes डेन	18 221	1	19 856	1	17 277	1	16 145	1
Alsace–Lorraine अल्सास लोरेन	234 545	15	234 545	15	199 976	15	178,883	15
Antisemites यहूदी विरोधी								
Other parties अन्य दल	66 670		36 636		14 153		14 721	

Continue 2

Reichstag Elections 1871–1912 *(Contd)*

PARTY	1881		1884		1887		1890	
	No Votes	No Deputies	No Votes	No Deputies	No Votes	No Deputies	No Votes	No Deputies
No eligible voters	9 088 792		9 383 074		9 769 802		10 145 877	
No valid votes cast	5 301 242	397	5 811 973	397	7 527 601	397	7 298 010	397
Conservatives	830 807	50	861 063	78	1 147 200	80	695 103	73
Reichspartei	379 347	28	387 687	28	736 389	41	482 314	20
National Liberals	746 575	47	997 033	51	1 677 979	99	1 177 807	42
Progressives	1 181 865	115	1 09 895	74	1 061 922	32	1 307 485	76
Center	1 182 873	100	1 282 006	99	1 516 222	98	1 342 113	106
Poles	194 894	18	206 346	16	221 825	13	246 800	16
Social Democrats	311 961	12	549 990	21	763 128	11	1 427 298	35
Guelphs	86 704	10	96 400	11	112,800	4	112 100	11
Danes	14 398	2	14 400	1	12 360	1	13 700	1
Alsace Lorraine	152 991	15	165 600	15	233 685	15	101 156	10
Antisemites					11 496	1	47 500	5
Other parties	13 010		12 700		47 600	2	74 600	2

Continue

Reichstag Elections 1871–1912 (*Contd*)

PARTY	1893		1898		1903		1907		1912	
	No Votes	No Deputies	No Votes	No Deputies	No Votes	No Deputies	No Votes	No Deputies	No Votes	No Deputies
No eligible voters	10 628 292		11 441 094		12 531 210		13 352 990		14 441 436	
No valid votes cast	7,673 973	397	7 752 693	397	9 495 586	397	11,262 829	397	12,207 529	397
Conservatives	1 038 353	72	859 222	56	948 448	54	1 060 209	60	1,126 270	43
Reichspartei	438 435	28	343 642	23	333 404	21	471,863	24	367,156	14
National Liberals	996 980	53	971,302	46	1 317 401	51	1 637 581	54	1 662 670	45
Progressives	1 091 677	48	862,524	49	872 653	36	1 233 933	49	1 497 041	42
Center	1 468 501	96	1 455,139	102	1 875 273	100	2 179 743	105	1 996 843	91
Poles	229 531	19	244 128	14	347 784	16	453 858	20	441 644	18
Social Democrats	1 786,738	44	2 107 076	56	3 010 771	81	3 259 029	43	4 250,401	110
Guelphs	101 800	7	105 200	9	94 252	6	78 232	1	84 618	5
Danes	14 400	1	15 400	1	14 843	1	15 425	1	17 289	1
Alsace Lorraine	114 700	8	107 400	10	101 921	9	103 626	7	162 007	9
Antisemites	263 8(1	1(	284 250	13	244 543	11	248 534	16	104 538	3
Other parties	129 000	5	397 500	18	267 142	11	319 574	14	497 252	16

परिशिष्ट–III

Reichstag Elections 1919–1933

PARTY दलों के नाम	राष्ट्रीय संविधान सभा जनवरी 1919			जून 6 1920			मई 4 1924		
	Total Votes कुल वोट	प्रतिशत	No Deputies प्रतिनिधि	Total Votes कुल वोट	% प्रतिशत	No Deputies प्रतिनिधि	Total Votes कुल वोट	/ प्रतिशत	No Deputies प्रतिनिधि
No eligible voters कुल मत	36 766 500		423	35 949 800		459	38 375 000		472
No valid votes cast कुल मत पड़	30 400,300	82 7		28 196 300	78 4		29,281 800	76 30	
Majority Socialists मेजोरेटी सोशलिस्ट	11 509 100	37 9	165	6 104 400	21 6	102	6 008 900	20 5	100
Independent Socialists इंडिपेंडेंट सोशलिस्ट	2 317 300	7 6	22	5 046 800	17 9	84			
Communist party साम्यवादी दल				589 500	2 1	4	3 693 300	12 6	62
Center	5 980 200	19 7	91	3 845 000	13 6	64	3 914 400	13 4	65
Bavarian People s Party बवेरिया जनता पार्टी				1 238 600	4 4	21	946 700	3 2	16
Democrats डेमोक्रट	5 641 800	18 6	75	2 333,700	8 3	39	1,655 100	5 7	28
People's party जनता पार्टी	1,345,600	4 4	19	3,919,400	13 9	65	2 694 400	9 2	45
Wirtschaftspartei आर्थिक पार्टी	275 100	0 9	4	218 600	0 8	4	693 600	2 4	10

Contd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nationalists राष्ट्रवादी	3 121 500	10 3	44	4 249 100	14 9	71	5 696 500	19 5	95
Christlich soz Volksdienst ईसाई सेवा संघ							574 900	1 9	10
Land bund राज्य-संघ									
Christlich natl Bauern u Landvolk ईसाई राष्ट्रवादी किसान संघ									
Deutsch Hannov Partei जर्मन हनोवर पार्टी	77 200	0 2	1	319 100	0 9	5	319 800	1 0	5
Deutsche Bauernpartei जर्मन कृषक दल									
National Socialists नात्सी							1 918 300	6 5	32
Other parties अन्य दल	132 500	0 4	2	332 100	1 6		1 165 900	4 0	4

Contd

PARTY	December 7 1924 Total Votes		No deputies	May 20 1928 Total Votes		No deputies	September 14 1930 Total Votes		No deputies
No eligible voters	38 987 300		493	41 224 700		491	42 957 700		577
No valid votes cast	30 290 100	77 69		30 753 300	74 60		34 970 900	81 41	
Majority Socialists	7 881 000	26 0	131	9 153 000	29 8	153	8,517 700	24 5	143
Independent Socialists									
Communist party	2 709 100	9 0	45	3 264 800	10 6	54	4 592 100	13 1	77
Center	1 118 900	13 6	69	3 712 200	12 1	62	4 127,900	11 8	68
Bavarian People s Party	1 134 000	3 7	19	945 600	3 0	16	1 059 100	3 0	19
Democrats	1,919 800	6 3	32	1 505 700	4 9	25	1 322 400	3 8	20
People s party	3 049 100	10 1	51	2 679,700	8 7	45	1 578 200	4 5	30
Wirtschaftspartei	1 005 400	3 3	17	1 397,100	4 5	23	1 362 400	3 9	23
Nationalists	6 205,800	20 5	103	4,381 600	14 2	73	2,458,300	7 0	41
Christlich soz Volksdienst							868 200	2 5	14
Landbund	499 400	1 6	8	199 500	0 6	3	194 000	0 5	3
Christlichnatl Bauern u Landvolk				581 800	1 8	10	1 108 700	3 0	19
Deut ch Hannov Partei	262 700	0 8	4	195 600	0 5	3	144,300	0 4	3
Deutsche Bauern Partei				481 300	1 5	8	339 600	1 0	6
National Socialists	907 300	3 0	14	810 100	2 6	12	6 409 600	18 3	107
Other parties	597 600	2 0		1 445 300	4 8	4	1 073 500	3 1	4

Contd

PARTY	July 31 1932 Total Vote		No deputies	November 6 1932 Total Votes		No deputies
No eligible voters	44 226 500		(05	41 373 700		584
No valid votes cast	36 882 400	83 39			79 93	
Majority Socialists	7 959 700	21 6	13	7 248 000	20 4	121
Independent Socialist				–		
Communist party	5 ?? 600	14 (	89	5 9 0 ?00	16 9	100
Center	4 589 300	12 5	75	4 230 (00	11 9	70
Bavarian People party	1 192 700	3 ?	22	1 094 600	3 1	?0
Democrats	371 800	1 0	4	336 500	1 0	2
People's party	436 000	1 ?	7	661 800	1)	11
Wirtschaftspartei	146 900	0 4	2	110 300	0 3	1
Nationalists	? 177 400	5 9	37	? ?5) 000	8 8	52
Christlich soz Volksdienst	405 300	1 1	3	412 500	1 2	
Landbund	96 900	0 2	?	105 ?00	0 3	?
Christlich natl Bauern u Landvolk	90 600	0 2	1	4(400	0 1	
Deutsch Hannov Partei	4( )00	0 1		64 000	0 2	1
Deutsche Bauern Partei	137 100	0 3	?	149 000	0 4	
National Socialists	13 745 800	37 4	230	11 737 000	33 1	19(
Other parties	342 500	0 9	1	74) _00	2 2	

Contd

PARTY	March 5, 1933 Total Votes	/	No deputies	November 12, 1933 Total Votes	/	No deputies
No eligible voters	44,685 800		647	45 141,900	95 2	661
No valid votes cast		88 04				
Majority Socialists	7 181 600	18 3	120			
Independent Socialists	4 848 100	12 3	81			
Communist party	4 424 900	11 7	74			
Center	1 073 600	2 7	18			
Bavarian People s party	334,200	0 8	5			
Democrats	432,300	1 1	2			
People s party						
Wirtschaftsparty						
Nationalists	3 136 800	8 0	52			
Christlich soz Volksdienst	384 000	1 0	4			
Landbund	83 800	0 2	1			
Christlich natl Bauern u Landvolk						
Deutsch Hannov Partei	47 700	0 1				
Deutsche Bauernpartei	114 000	0 3	2			
National Socialists	17 277 200	43 9	288	39 638 800	92 2	661
Other parties	136 646	0 3				

No invalid votes 3 349 363

सदर्भ ग्रथ–सूची

Ad nauer Konrad World Indivisible (NewYork 1955)
Alexander Edgar Adenauer and New Germany (NewYork 1957)
Almond Gabriel A (ed) The Struggle for Democracy in Germany Chapel Hill Univ of North Carolina Press 1949
Allemann F R Bonn ist nicht Weimar (Koeln 1956)
Andrews William G (ed) European Political Institutions (NewYork 1966)
Asopa D N Political System of West Germany (Meerut 1973)
B entano Heinrich von Germany and Europe Reflections on German Foreign Policy Trans by Andre Deut ch New York Praeger (1964)
Butler Ewan City Divided Berlin—1955 NewYork Praeger 1955
Brandt Willy A Peace Policy for Europe (London 1969)
Brandt Willy Peace (Bonn Badgodesbeg 1971)
Chalmers Douglas A The Social Democratic Party of Germany (New Haven Yale Univ Press 1964)
Chamberlin William Henry The German Phoenix (New York Duell Sloan and Pearce 1963)
Clay Lucius D Decision in Germany (Carden City Double day 1950)
Clay Lucius D Germany and the Fight for Freedom (Cambridge Harvard Univ Press 1950)
Conant James Bryant Germany and Freedom A Personal Appraisal (Cambridge Harvard Univ Press 1958)
Connor Sidney and Carl J Friedrich (eds) Military Govern ment January 1950 Issue of Annals of the American Academy of Political and Social Science Deals chiefly with Germany
Davison W Phillips The Berlin Blockade : A Study in Cold War Politics (Princeton Princeton Univ Press 1958)

Deutsch Karl W and Lewi J Edinger Germany Rejoins *the Powers* (*Stanford* Stanford Univ Press 1959)

Documents on the Status of Berlin 1943-1963 Ed by *Guentner Hindrichs and Wolfgang Heidelm yer* (Munich Oldenbourg 1964)

Dornberg John The Other Germany (*Garden City* N Y Doubleday 1968)

Dulles Eleanor Lansing Berlin The Wall Is Not Forever (Chapel Hill Univ of North Carolina Press 1967)

Edinger Lewis J Politics in Germany Attitudes and Processes (Boston Little Brown 1968)

Federal Republic of Germany The German Bundesrat By Albert Pfitzer Bonn Press and Information Office 1966

Feld Werner Reunification and West German Soviet Relations (The Hague Nijhoff 19?3)

Frederiksen Oliver J The American Military Occupation of Germany 1945-1953 (Washington Historical Division of the Army 1953)

Freund Gerald Germany Between Two Worlds (New York Harcourt Brace 1961)

Freymond Jacques The Saar Conflict 1945-195 (New York Praeger 1960)

Friedrich Carl J The Soviet Zone of Germany (New Haven Human Relations Area Files Inc 1956)

Friedrich Carl J et al American Experiences in Military Government in World War II (New York Rinehart 1948 Chapters 9-13)

Gillen J F J State and Local Government in West Germany 1945 1953 With Special Reference to the U S Zone and Bremen (Bad Godesberg/Mehlem Germany HICOG 1953)

Golay John F rd The founding of the Federal Republic of Germany (Chicago Univ of Chicago Press 1958)

Great Britain Central Office of Information The Reunification of Germany : Attempts to Reach a Settlement 1945-1960 (London Swindon Press 1960)

Grosser Alfred The Colossus Again Western Germany from Defeat to Rearmament Trans by Richard Rees (New York Praeger 1955)

Grosser Alfred The Federal Republic of Germany A Conci e History Tran by Nelson Aldrich (New York Praeger 1964)

Grotkopp Wilhelm et al (eds) Germany 1945/1954 (Schaan Liechtenstein Boa International Publishing Co (1954))

Handbook of Statistics for the Federal Republic of Germany (Wiesbaden Fod Statistical Office 1957)

———Germany Reports Ed by Helmut Arntz (Wiesbaden Franz Steiner Verlag 4th ed 1966)

Hangen Welles The Muted Revolution East Germany Challenge to Russia and the West (New York Knopf 1966)

Hanreider Wolfram F West German Foreign Policy 1949-1963 International Pressure and Domestic Response (Stanford Stanford Univ Pres 1967)

Hanhardt Arthur M Jr German Democratic Republic (Baltimore Johns Hopkins Press 1968)

Hartmann Frederick H Germany Between East and West The Reunification Problem (Englewood Cliff Prentice Hall 1965)

Heidenheimer Arnold J Adenauer and the CDU (The Hagu Nijhoff 1960)

Heidenheimer Arnold J The Government of Germany (New York Crowell 2nd ed 1966)

Herz John H The Government of Germany (New York Harcourt Br ce and World 1967)

Hiscocks Richard Democracy in Western Germany (New York Oxford Uni Press 1957)

Howley Frank L Berlin Command (New York Putnam 1950)

Hub s h Walter (ed) The German Question (A Documentary) Trans by Salvator Attanasio (New York Herder Book Center 1967)

Keller John W Germany the Wall and Berlin International Politics Durin An International Crisis (New York Vantage 1964)

K ng Hall Steph n and Richard K Ullmann German Parliaments A Study of the Development of Representati e Institutions in Germany (New York : Praeger 1954)

Kitzinger Uwe W German Electoral Politics—A Study of the 1957 Campaign (Oxford Clarendon Press 1960)

Lane John C and James K Pollock Source Materials on the Government and Politics of Germany (Ann Arbor : Wahrs Pub Co 1964)

Leifer Walter India and the Germans 500 Years of Indo-German Contact (Bombay (1971))

Legien Rudolf Roman The Four Power Agreements on Berlin Alternative Solutions to the Status Quo ? Trans by Trevor Davies (Berlin Carl Heymanns (1960))

Lewis Harold O New Constitutions in Occupied Germany (Washington Foundation for Foreign Affairs Pamphlet No 6 1948)

Litchfield Edward H and Associates Governing Postwar Germany (Ithaca Cornell Univ Press 1953)

Mc Clellan Grant S (ed) The Two Germanies (London Wilson 1959)

McInnis Edgar et al The Shaping of Postwar Germany (New York Praeger 1960)

McWhinney Edward Constitutionalism in Germany and the Federal Constitutional Court (Leyden Sythoff 1962)

Merkatz Hans Joachim von and Wolfgang Metzner Germany Today Facts and Figures (Frankfurt (Main) Alfred Metzner Verlag 1954)

Merkl Peter H Germany Yesterday and Tomorrow (New York Oxford Univ Press 1965)

Merkl Peter H The Origin of the West German Republic (New York Oxford Univ Press 1963)

Meyer Ernest Wilhelm Political Parties in Western Germany (Washington European Affairs Division Library of Congress 1951)

Montogomery John D Forced to be Free The Artificial Revolution in Germany and Japan (Chicago Univ of Chicago Press 1957)

Morgenthau Hans J (ed) Germany and the Future of Europe (Chicago Univ of Chicago Press 1951)

Nettl J P The Eastern Zone and Soviet Policy in Germany 1945–1950 (New York Oxford Univ Press 1951)

Neumann Franz L German Democra y 1950 (New York : Carne ie Endowment International Conciliation No 461 May 1950)

Neumann Robert G The Government of the German Federal Republi (New York Harper and Row 1966)

Noelle Elisabeth and Erich Peter Neumann (eds) The Germans Public Opinion Polls 1947–1966 Allensbach and Bonn Verlag fur Demoskopie 1967)

Office of Military Government (U S) Documents on the Creation of the German Federal Constitution (Berlin OMGUS 1949)

——————— *Land and Local Government in the United* States Zone in Germany (Frankfurt (Main) OMGUS 1947)

——————— Statistical Handbook on Potsdam Germany (Berlin OMGUS 1947)

Office of the U S High Commissioner for Germany Elections and Political Parties in *Germany 1945 1952 (Frankfurt (Main)* HICOG 1952)

——————— *Germany s Parliament in Action (Frankfurt (Main)* HICOG 1950)

——————— *Quarterly Report on Germany Ten Reports* September 21 1949 March 31 1952 *(Bad Godesberg/* Mehlem Germany HICOG 1949–1952)

——————— *Report on Germany Sept 21 1949 July 31 1952 (Bad Godesberg/Mehlem Germany HICOG 1952)*

Oppen Beate Ruhm von (ed) Documents on Germany Under Occupation 1945–1954 (New York *Oxford Univ Press 1955*)

Pinney Edward L Federalism Bureaucracy and Party Politics in Western Germany The Role of the Bundesrat *(Chapel Hill : Univ of North Carolina Press 1963)*

Planck Charles R The Changing Status of German Reunification in Western Diplomacy 1955–1966 *Baltimore John Hopkins Press 1967)*

Plischke Elmer The Allied High Commission for Germany *(Bad Godesberg/Mehlem Germany HICOG 1953)*

Plischke Elmer Berlin Development of Its Government and Administration (Bad Godesberg/Mehlem Germany HICOG 1952)

Plischke Elmer Allied High Commission Relations with the West German Government (Bad Godesberg/Mehlem Germany HOCOG 1952)

Plischke Elmer Government and Politics of Contemporary Berlin (The Hague Nijhoff 1963)

Plischke Elmer History of the Allied High Commission for Germany Its Establishment Structure and Procedures (Bad Godesberg/Mehlem Germany HOCOG 1951)

Plischke Elmer Konrad Adenauer Legator of the West German Governmental System pp 155–202 Statesmen and Statecraft of the Modern West ed by Gerald N Grob (Barre Mass Barre Pub 1967)

Plischke Elmer Revision of the Occupation Statute for Germany (Bad Godesberg/Mehlem Germany HICOG 1952)

Plischke Elmer The West German Federal Government (Bad Godesberg/Mehlem Germany HICOG 1952)

Pollock James K et al German Democracy at Work (A Selective Study Ann Arbor Univ of Michigan Press 1955)

Pollock James K and Homer Thomas Germany in Power and Eclipse The Background of German Development (New York Van Nostrand 1952)

Pollock James K Jame H Meisel and Henry L Bretton (eds) Germany Under Occupation Illustrative Materials and Documents rev ed Ann Arbor Wahr Pub Co 1949 (earlier ed 1947)

Postwar Reconstruction in Western Germany November 1948 Issue of Annals of the American Academy of Political and Social Science Includes articles by German writers

Pounds Norman J G Divided Germany and Berlin (Princeton Van Nostrand 1962)

Prittie Terence C F Germany Divided The Legacy of the Nazi Era (Boston Little Brown 1960)

Ritter Gerhard The German Problem Basic Questions of German Political Life Past and Present Trans by Sigurd Burckhardt (Columbus Ohio State Univ Press 1965)

Robson Charles B (trans and ed) **Berlin Pivot of German Destiny** (Chapel Hill Univ of North Carolina Press 1960)

Russell Frank M **The Saar Battleground and Pawn** (Stanford Stanford Univ Press 1951)

Schmertzing Wolfgang P von (trans and ed) **Outlawing the Communist Party A Case Hisotry** (New York The Bookmailer 1957)

Schroder Gerhard **Decision for Europe** (London Thames and Hudson 1964)

Smith Bruce L R **The Governance of Berlin** (New York *Carnegie Endowment International Conc l at on No 525* November 1959)

Speier Hans Divided Berlin **The Anatomy of Soviet Political Blackmail** (New York Praeger 1961)

Speier Hans and W Phillip Divison (eds) **West German Leadership and Foreign Policy** (Evanston Row Peterson 1957)

Stahl Walter (ed) **The Politics of Postwar Germany** (New York Praeger 1963)

Stanger Roland J (ed) **West Berlin The Legal Context** (Columbus Ohio State Univ Press 1966)

Sziz Zoltan Michael *Germany s Eastern Frontiers (The* Problem of the Order Neisse Line Chicago Regnery 1960)

Trossmann Hans **The German Bundestag : Organization and Operation** (Darmstadt and Bad Homburg Neue Darmstadter Verlagsanstalt 1965)

United States *Department of State Confuse and Control* **Soviet Techniques in Germany** Department of State Publication 4107 Washington Government Printing Office 1951

——— **East Germany Under Soviet Control** Department of State Publication 4596 Washington Government Printing Office 1952

——— **Germany 1947-1949 The Story in Documents** Department of State Publication 3556 Washington Government Printing Office 1950

——— The United States and Germany 1945–1955 Department of State Publication 5827 Washington Government Printing Office 1955

United States Senate Documents on Germany (1944–1961 87th Cong 1st Sess 1961)

———— Tension Within the Soviet Captive Countries Soviet Zone of Germany 83rd Cong 1st Sess Sen Document No 70 Part 3 1954

Vali Ferenc A The Quest for a United Germany (Baltimore Johns Hopkins Press 1967)

Waldman Eric The Goose Step Is Verboten The German Army Today (New York Free Press 1964)

Wallenberg Hans Report on Democratic Institutions in Germany New York American Council on Germany 1956

Wallich Henry C Mainsprings of the German Revival New Haven Yale Univ Pre s 1955

Well Roger H The States in West German Federalism A Study of Federal-State Relations 1949–1960 (New York Bookman 1961)

Wolfe James H Indivisible Germany Illustion or Reality ? (The Hague Nijhoff 1963)

Zink Harold The United States in Germany 1944–1955 (Princeton Van Nostrand 1957)

□□□